माला, खंड 30, अंक 7

सोमवार, 26 नवम्बर 2007
5 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....64.....
Dated.....17 Mar 2009

(खण्ड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 7, सोमवार, 26 नवम्बर, 2007/5 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
आतंकवाद की घटनाओं की निंदा तथा उत्तर प्रदेश और असम में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में मारे गए लोगों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141, 142, 144, 145, 146 और 149	2-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 143, 147, 148 और 150 से 160	41-70
अतारांकित प्रश्न संख्या 1177 से 1389	70-459
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
(एक) महिला तीरंदाज सुश्री डोला बनर्जी के विश्व चैंपियनशिप जीतने पर तथा भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के विरुद्ध उसकी जीत पर बधाई	459-461
(दो) संसदीय एकादश क्रिकेट टीम को हरियाणा के मुख्यमंत्री की एकादश क्रिकेट टीम के विरुद्ध मैच जीतने पर बधाई	471-472
सभा पटल पर रखे गए पत्र	461-469
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 श्री शरद पवार	469-470
(दो) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थाई समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति प्रो. सैफुद्दीन सोज	470-471
(तीन) उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में बम विस्फोट श्री शिवराज वि. पाटील	472-475
सदस्यों द्वारा निवेदन	
उत्तर प्रदेश में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के बारे में	476-518
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	476-477
श्री मोहन सिंह	478-484

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
	योगी आदित्यनाथ	486-492
	श्री बसुदेव आचार्य	483-494
	श्री प्रभुनाथ सिंह	494-497
	कुंवर जितिन प्रसाद	497-498
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	499-500
	श्री राजेश वर्मा	500-503
	श्री गुरुदास दासगुप्त	504-505
	श्री बृजकिशोर त्रिपाठी	505-506
	श्री अनंत गंगाराम गीते	507-509
	श्री संतोष गंगवार	510-512
	श्री निखिल कुमार	512-513
	श्री रामदास आठवले	514
	श्री असादूद्दीन ओवेसी	514-516
	श्री भर्तृहरि महताब	516
	श्री शिवराज वि. पाटील	518-522
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007		472
नियम 377 के अधीन मामले		522-533
(एक)	कर्नाटक में नई रेल परियोजनाओं की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	522-523
(दो)	राजस्थान के बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	डा. करण सिंह यादव	523-524
(तीन)	गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी.के. दुम्मर	524
(चार)	राजस्थान के हिम्मतनगर-विजयपुर-मेहसाना-राधनपुर राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	524

विषय		कॉलम
(पांच)	भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने में एनबीसीसी द्वारा किए गए काम की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र शेखर दुबे	525
(छह)	पालनपुर और गांधी-धाम के बीच स्थानीय रेल सेवा फिर से शुरू किए जाने तथा पालनपुर और अहमदाबाद के बीच स्थानीय डीएमयू रेल सेवा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिसिंह चावड़ा	525-526
(सात)	आगरा से मुम्बई तक और मध्य प्रदेश के शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदौर से बैतूल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार क्षेत्रों का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत	526
(आठ)	सिंचाई के लिए जल के अत्यंत अभाव का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नलकूप लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	526
(नौ)	बंगलौर और बेलगाम के बीच "रानी चेनम्मा एक्सप्रेस" की समय-सारणी पुन: निर्धारित करने तथा यात्रा का समय कम किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश अंगड़ि	527
(दस)	महाराष्ट्र और गोवा में 4.4.2000 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय व्याख्याताओं को नेट/सेट परीक्षा की अनिवार्य शर्त से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाऊ जावले	527-528
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हंसराज गं. अहीर	528-529
(बारह)	पूर्व रेलवे के सियालदाह और हावड़ा मंडलों में एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों के चालकों की सेवा-शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	529
(तेरह)	केरल में पालक्कड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एन. कृष्णदास	530
(चौदह)	उत्तर प्रदेश के लखनऊ-बरेली मंडल में रेल फाटक संख्या-122सी पर उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	530
(पन्द्रह)	देश के किसानों को बीज और रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	531

विषय		कॉलम
(सोलह)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु तीन फेज विद्युत आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
	श्री घुरन राम	531
(सत्रह)	उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला स्थित ऐतिहासिक स्थल "गोपामऊ" के पुनरुद्धार हेतु सर्वेक्षण करने और उपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
	श्री इलियास आजमी	531-532
(अठारह)	तमिलनाडु में मंदिरों के शहर, तिरूवन्नामलाई की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	532
(उन्नीस)	तमिलनाडु के सत्तुर और कोविलपट्टी में रेलगाड़ी संख्या 2665/2666 को. ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	533
कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प		533-608
	श्री शिवराज वि. पाटील	533-536, 608
	श्री अनंत कुमार	537-545
	श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा	545-549
	श्री वरकला राधाकृष्णन	549-553
	श्री मोहन सिंह	553-556
	श्री भर्तृहरि महताब	556-558
	श्री अजय चक्रवती	558-560
	श्री प्रहलाद जोशी	560-562
	श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा	562-571
	श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी	571-573
	श्री आर.एल. जालप्पा	573-581
	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	581-585
	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	585-586
	श्री एच.डी. देवगौड़ा	587-608
आधे घंटे की चर्चा		
विदेश में रहने वाले भारतीयों को वीजा और पासपोर्ट जारी न किया जाना		609-620

विषय	कॉलम
श्री अविनाश राय खन्ना	609–612
प्रो. रासा सिंह रावत	612–613
श्री वरकला राधाकृष्णन	613–614
श्री आनन्द शर्मा	615–620
संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006	620–652
विचार करने के लिए प्रस्ताव	620
श्री थावरचन्द गेहलोत	620–622
श्री एस.के. खारवेनथन	622–624
श्री वरकला राधाकृष्णन	624–626
श्री भर्तृहरि महताब	626–628
डा. टोकचोम मैन्या	629–630
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	630–631
श्री पी. चिदम्बरम	631–637
खंड 2 से 38 और 1	637–652
पारित करने के लिए प्रस्ताव	652
अनुबंध I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	653
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	654–660
अनुबंध II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	661–662
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	661–662

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 26 नवम्बर, 2007/5 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

आतंकवाद की घटनाओं की निंदा तथा उत्तर प्रदेश और असम में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 नवम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी शहरों के न्यायालय परिसरों में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए जिनमें लगभग 14 निर्दोष लोगों की जाने गयीं तथा 59 लोग घायल हुए।

इसके अतिरिक्त, असम में हुए बम विस्फोटों में 2 लोगों की जानें गयीं तथा 18 लोग घायल हुए।

सभा आतंकवाद के इन कायराना कृत्यों की घोर भर्त्सना करती है तथा मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में वकील हड़ताल पर हैं। ...(*व्यवधान*)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कृपया हमारी बात सुन लीजिए। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने असम को भी शामिल किया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मैं जानता हूँ कि आप व्यग्र हैं क्योंकि ये गंभीर मामले हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। मैंने माननीय गृह मंत्री से वक्तव्य देने के लिए अनुरोध किया है।

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): माननीय गृहमंत्री प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात् दोपहर 12 बजे एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय: वे प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे वक्तव्य देंगे तथा यदि आप चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति दे दूँगा। कृपया उन्हें वक्तव्य देने दें। मैं माननीय गृह मंत्री का आभार प्रकट करता हूँ कि वे वक्तव्य देने पर तुरंत सहमत हो गए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पहले सरकार की तरफ से एक वक्तव्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूँ। पहले प्रश्नकाल होनें दें तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य होने दें। इन मामलों को उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी तारीफ करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): स्टेटमेंट के फौरन बाद डिस्कशन शुरू होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं तो मैं शुरू कर सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमने ठीक तरह से शुरूआत की है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141, श्री श्रीचन्द कृपलानी

[हिन्दी]

रबी एवं खरीफ की बकाया राशि

*141. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को विशेषकर राजस्थान राज्य को वर्ष 2005 के लिए खरीफ फसल तथा 2005-2006 के लिए रबी फसल की खरीद की बकाया राशि के भुगतान अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भुगतान में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) केंद्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों (चावल, गेहूँ और मोटे अनाजों) की खरीदारी किए जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को भुगतान खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक खर्चों की दरों पर राज्य सरकारों के दावों के आधार पर किया जाता है। अंतिम खरीदारी प्रासंगिक खर्चे राज्यों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित खातों पर आधारित होते हैं।

सरकार के पास खरीफ विपणन मौसम 2005-06 के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का मोटे अनाजों का केवल एक प्रस्ताव लंबित है। सरकार को रबी विपणन मौसम 2005-06 के लिए कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि पिछले वर्षों के लिए प्रासंगिक प्रभारों के प्रति खाते पर भुगतान के लिए राजस्थान सरकार की एक एजेंसी राजस्थान राज्य भंडारण निगम को 2001 में 8 करोड़ राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि राजस्थान राज्य भंडारण निगम इस राशि के प्रति दावे प्रस्तुत नहीं कर सका है इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2005-06 के प्रासंगिक खर्चों में से 64 लाख रुपये के ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये की राशि समायोजित कर ली है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने रबी विपणन मौसम 2005-06 के लिए भारतीय खाद्य निगम से 69.95 लाख रुपये की राशि का दावा किया है और राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4147/05 दायर की है। अब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: महोदय, हमने पिछले दिनों यह महसूस किया है कि यहां इस सरकार के बनने के बाद से ही, राजस्थान सरकार के साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में लगातार अन्याय हो रहा है और इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है, क्योंकि भारत सरकार की अन्य जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो, एनएफएफडब्ल्युपीएस हो या जल ग्रहण विकास कार्यक्रम हो, सभी में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को जो भुगतान किया जाना चाहिए, वह भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकार के कई कार्य रुके हुए हैं। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसके बारे में, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय भण्डारण निगम है, उसमें आपने क्या कोई ऐसी नीति बना रखी है या कोई समय सीमा तय कर रखी है ताकि किसान को निश्चित समय पर भुगतान मिल जाए, क्योंकि इसे आपने अपने उत्तर में भी स्वीकार किया है कि सन् 2005-2006 का भुगतान अभी बाकी है? इसकी क्या वजह है और क्या इसकी कोई निश्चित समय-सीमा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि कोई भुगतान बाकी नहीं है। छोटी सी बात है कि राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को एडवांस एमाउंट दिया गया था, उनका हिसाब-किताब अभी तक नहीं मिला है इसलिए चार साल में वह एमाउंट एक्जिस्ट रह गया था, जहां तक टोटल एमाउंट और उसका इंटरेस्ट है, राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का कहना है कि उसमें नौ लाख रुपये का फर्क है। इस बारे में बैठकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने या राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग ने यह तय किया है कि इस बारे में कोर्ट में जाया जाए, इसलिए वे हाई कोर्ट में चले गए। अत: यह मामला सबज्यूडिस है। मेरा सुझाव है कि सिर्फ आठ-नौ लाख रुपये के लिए केन्द्र सरकार के खिलाफ

कोर्ट में जाना ठीक नहीं है। आपस में बैठकर रास्ता निकाला जा सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आठ लाख रुपए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार द्वारा 70 लाख रुपए से अधिक का भुगतान बताया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि यह भुगतान कब तक हो जाएगा, क्या इसके लिए आप कोई समयावधि निश्चित करेंगे? पुराना हिसाब-किताब अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है लेकिन इतना फर्क कभी नहीं आ सकता है। इसलिए मैं जानकारी चाहूंगा कि कब तक भुगतान हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जवाब दिया है कि केस अदालत में पेंडिंग है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: आठ लाख रुपए और 70 लाख रुपए में तो बहुत अंतर है। इसकी वजह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जवाब दे दिया है।

चौधरी लाल सिंह। क्या आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं?

चौधरी लाल सिंह: मैं देश के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया राज्यों में पैडी और व्हीट प्रोक्योर करती है। हमारा जम्मू-कश्मीर राज्य ऐसा है, जहां आपका आर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन पैडी और व्हीट की खरीद वह नहीं करता है। क्या केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रोपोजल है ताकि वहां भी इनकी प्रोक्योरमेंट की जा सके, ताकि वहां के किसानों का जो शोषण हो रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, उससे उन्हें बचाया जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति इसलिए दी है क्योंकि आप जम्मू तथा कश्मीर के हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक व्हीट और राइस की बात है, देश के स्टाक में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर कोई राज्य सामने आकर कहे कि हम देने को तैयार हैं या इस संबंध में कोई प्रोपोजल दे कि आप हमारे यहां प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, तो हम तुरंत शुरू कर देंगे।

चौधरी लाल सिंह: क्या हमारे राज्य से भी खरीदेंगे?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ठीक कह दिया है कि जो राज्य कहेंगे, वह करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा। भारतीय खाद्य निगम धान खरीद रहा है। तथापि, गत कुछ वर्षों के दौरान, इस सरकार की अवधि के दौरान उड़ीसा के केबीके क्षेत्र देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में औने-पौने दामों पर बिक्री की गई। विभिन्न भारतीय खाद्य निगम के सर्किलों में गुणवत्ता निरीक्षकों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि वह पूरे कर्मचारियों की भर्ती करेगी ताकि खरीद में विलंब हो? दूसरी बात यह है कि सरकार ने गेहूँ के लिए 1000 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है क्या सरकार धान के लिए भी 100 रु प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी? देश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के अधिकांश लोग चावल पर निर्भर करते हैं। अतएव, क्या सरकार धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रु॰ प्रति क्विंटल तक बढ़ाएगी या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न से परे है।

श्री शरद पवार: प्रश्न खासकर राज्यों से विशेषरूप से राजस्थान की अदायगी के बारे में है। मैं इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना की आशा करता हूँ। यदि मुझे पृथक सूचना प्राप्त होती है तो मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने आपको उत्तर देने की पेशकश की। प्रश्न पूछें या उन्हें एक पत्र लिखें।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, सामान्यत: प्रश्न में राज्यों का तथा विशेषरूप से राजस्थान का उल्लेख है। मैं अन्य राज्यों के बारे में भी जानना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री देव, वे काफी अनुभवी तथा सहयोगी मंत्री हैं और आप यह सब जानते हैं। आप खरीद की प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे थे और जो कुछ उन्होंने कहा वह आपने शुरू किया है।

कृषि मजदूरों को मजदूरी

*142. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम मजदूरी के कारण देश के लाखों कृषि मजदूरों द्वारा कितनी गरीबी और भूख का सामना किया जा रहा है का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में राज्य-वार कृषि मजदूरों को कितनी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में कम मजदूरी देने की प्रथा के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, कृषि मजदूरों के लिए अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या में कृषि में लगे व्यक्ति समाविष्ट हैं। वर्ष 2004-05 में कराये गये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के आधार पर, देश में गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशता 21.8% आंकी गई है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य-वार कृषि (अकुशल) मजदूरों को भुगतान की जाने वाली औसत दैनिक मजदूरी सम्बंधी एक ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) कृषि उत्पादन मजदूरी के अलावा अनेक कारकों अर्थात् निर्विष्टयों (इनपुट) यथा उर्वरक, बीज और खरपतवारनाशकों/कीटनाशकों, मशीनीकरण, ऋण प्रवाह, सिंचाई, वर्षा और मौसम स्थिति आदि की आपूर्ति पर निर्भर करता है। कृषि के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ानें की मामूली गुंजाइश है। कृषि उत्पादन में उच्चतर कुल उत्पादन स्तर प्रति हेक्टेयर अधिक फसल उपज प्राप्त करने के माध्यम से ही संभव होगा। इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का विशेष जोर विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा निर्विष्टियों (इनपुट) के अधिक कुशल उपयोग करने पर है। इन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

अनुबंध I

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता-2004-05

(एम आर पी-उपभोग पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.0
3.	असम	17.0
4.	बिहार	32.9
5.	छत्तीसगढ़	31.2
6.	दिल्ली	0.1
7.	गोवा	1.9
8.	गुजरात	13.9
9.	हरियाणा	9.2
10.	हिमाचल प्रदेश	7.2
11.	जम्मू-कश्मीर	2.7
12.	झारखण्ड	40.2
13.	कर्नाटक	12.0
14.	केरल	9.6
15.	मध्य प्रदेश	29.8
16.	महाराष्ट्र	22.2
17.	मणिपुर	17.0
18.	मेघालय	17.0
19.	मिजोरम	17.0
20.	नागालैंड	17.0
21.	उड़ीसा	39.8
22.	पंजाब	5.9
23.	राजस्थान	14.3
24.	सिक्किम	17.0
25.	तमिलनाडु	16.9
26.	त्रिपुरा	17.0
27.	उत्तर प्रदेश	25.3
28.	उत्तराखण्ड	31.7
29.	पश्चिम बंगाल	24.2
30.	अंडमान और निकोबार	16.9
31.	छत्तीसगढ़	3.8
32.	दादरा और नगर हवेली	36.0
33.	दमण और दीव	1.9
34.	लक्षद्वीप	9.6
35.	पुडुचेरी	16.9
	अखिल भारत	21.8

एम आर पी उपभोग - मिक्स्ड रिकाल अवधि उपभोग जिसमें पांच अखाद्य मदों मामत: कपड़ा जूता, टिकाऊ सामान, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्ययों के लिए उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365-दिवस रिकाल अवधि से संकलित किए जाते हैं और शेष मदों के लिए उपभोग आंकड़े 30-रिकाल अवधि से संकलित किए जाते हैं।

अनुबंध II

देश में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य-वार औसत दैनिक कृषि मजदूरी (अकुशल)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 (अ)	2006-07 (अ)
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.11	66.45
2.	असम	64.32	उ.न.
3.	बिहार	62.91	उ.न.
4.	गुजरात	75.18	82.13
5.	हरियाणा	110.87	उ.न.
6.	हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.
7.	कर्नाटक	71.65	72.53
8.	केरल	211.37	254.14
9.	मध्य प्रदेश	53.00	उ.न.
10.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.
11.	उड़ीसा	48.60	62.90
12.	पंजाब	95.56	92.32
13.	राजस्थान	70.01	101.18
14.	तमिलनाडु	67.33	69.01
15.	त्रिपुरा	उ.न.	120.00
16.	उत्तर प्रदेश	67.17	67.03
17.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.

टिप्पणी: अ-अनन्तिम
उ.न.-उपलब्ध नहीं
केवल 17 राज्यों के लिए मजदूरी आंकड़े संकलित किए जाते हैं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन, जो लोक सभा में 12 दिसंबर 2008 को प्रस्तुत किया गया था, में सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार वर्तमान विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मे 'न्यूनतम मजदूरी' शब्द की व्याख्या करने तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की पद्धति में संशोधन लाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ता वह न्यूनतम मजदूरी देने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हो जो इस समय 68 रु. है। समिति ने सरकार के इस उत्तर पर असंतोष व्यक्त किया कि प्रणाली राज्यों में लगभग ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। समति ने अपनी पूर्ववर्ती सिफरिशों को दोहराया तथा सरकार से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन लाने का अनुरोध किया ताकि श्रमिक न्यूनतम मजदूरी के अपने अधिकार से वंचित न हो...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध करके यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अधिनियम में संशोधन आने तक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिले।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या मैं यह मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार 'न्यूनतम मजदूरी' शब्द की व्याख्या करने तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की पद्धति में संशोधन लाने के लिए विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन लाने पर विचार कर रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस संशोधन को संसद में कब तक रख दिया जाएगा? क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि पर भी विचार कर रही है जो आवश्यक वस्तुओं की भारी मूल्य वृद्धि तथा देश में मुद्रास्फीति को देखते हुए काफी कम है? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप यह सब नहीं कर सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं जानना चहूँगा कि इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मुझे यहाँ यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने अक्टूबर, 2007 में राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय आरम्भिक न्यूनतम मजदूरी वर्तमान के प्रतिदिन 66 रु. से बढ़कर 1 सितम्बर 2007 से प्रतिदिन 80 रु. होगी। यह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में होगा। हम सिफारिश करते हैं और राज्य सरकारें उसे स्वीकार करती हैं। जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है हम उस विषय पर विचार कर रहे हैं तथा उस पर विचार करने के लिए हमें समय चाहिए।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, मैं 31 अगस्त 2007 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में प्रकाशित एक खबर को उद्धृत करना चाहूँगा ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप अपना प्रश्न पूछिए। इसे मत पढ़िए। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, मैं मात्र एक या दो मिनट का समय लूंगा।

उक्त खबर में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार ने 2 अक्टूबर, 2007 को एक बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आरंभ में उन 1.50 लाख ग्रामीण परिवारों की सुविधा के लिए जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, केन्द्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना को स्वीकृति दी गयी है जो अगले एक वर्ष में आने से आधे परिवारों को शामिल करेगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत सरकार स्वभाविक मौत होने पर 30,000 रु० तथा दुर्घटना में मृत्यु होने तथा नि:शक्तता के मामले में 75,000 रु० मुआवजे के रूप में परिवार के मुखिया को देगी।...(*व्यवधान*) यह कृषि श्रमिकों से संबंधित है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, यह प्रश्न से संबंधित है। क्या सरकार ने आम आदमी बीमा योजना शुरू की है? यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए। किन्तु दुर्भाग्यवश मेरी राय यही है।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: इस योजना को शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या केन्द्र सरकार इस योजना के लिए कोई धनराशि देने पर विचार कर रही है? क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले लोगों की कुल संख्या का ब्यौरा देगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यदि आपके पास सूचना है तो इन्हें प्रदान करें।

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: पहले हमने देश में उन गरीबों को शामिल करने का निर्णय लिया है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और गरीब लोग इस बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाएँगे। अगले दौर में बोर्ड के सामने लायी जाने वाली उन विभिन्न योजनाओं में हम विभिन्न श्रेणी के लोगों को शामिल करेंगे जो मजदूरी करते हैं और जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। हम उन्हें गरीब लोगो तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. प्रेम कुमार धूमल–उपस्थित नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बेहद जरूरी बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। अनुलग्नक-II में औसत दैनिक कृषि मजदूरी से संबंधित एक सारणी दी गयी है जिसके अनुसार केरल में यह प्रतिदिन 254.14 रु. है। न्यूनतम आंध्र प्रदेश में 61.11 रु० है। इसका स्थान केरल के बाद है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: ये आंकड़े दिए हुए हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह स्थिति है। मजदूरों के एक राज्य से दूसरे में पलायन करने की समस्या है। जब तक मजदूरी के मामले में कोई एक समान नीति नहीं बनायी जाती इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे हमारे राज्य में भी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है जहाँ कृषि मजदूर केरल पलायन कर रहे हैं जिससे केरल के मजदूरों के अवसर कम हो रहे हैं।

इस प्रकार की आकस्मिकता को रोकने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करुँगा कि पूरे भारत में लागू होने वाली एक समान मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक विधान लाएँ। क्या यह संभव है? कृपया माननीय मंत्री बताएँ।

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: पूरे देश में एक समान मजदूरी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि विभिन्न राज्यों में काम की स्थिति भिन्न हैं। पूर्वोत्तर में काम की स्थिति केरल के काम की स्थिति से भिन्न है। वास्तव में केरल में कामगार उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि केरल के लोग विदेश जा रहे हैं और कमा रहे है। यह स्थिति हैं। अत: एक बार में एक समान मजदूरी लागू करना हमारे लिए मुश्किल होगा। किन्तु हमने आरम्भिक मजदूरी लागू की है और उस आरंभिक मजदूरी के आधार पर राज्य सरकारों को यह निर्णय करना होगा कि उस राज्य में कितनी मजदूरी होनी चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशी: हाल के आंकड़ों और रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वर्ष में सर्वाधिक बिलियन डालर अर्जित करने वाला दुनियां का चौथा देश है। किन्तु मानव विकास सूचकांक में हम 126वें स्थान पर हैं। हमने एक वर्ष में एक लाख मिलियन डालर अर्जित किया है किन्तु फिर भी हमारी आबादी में से 36 मिलियन लोग प्रतिदिन 20 रु. पर गुजारा करते हैं। एनएसएस के अनुसार यह भी बताया गया है जिसका मंत्री ने अपने उत्तर में हवाला दिया है कि एक भारतीय किसान परिवार का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 503 रु. है। उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि प्रति हेक्टेयर उच्च फसल पैदावार प्राप्त करके कृषि उत्पादन में उच्च उत्पादकता पायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री प्रहलाद जोशी: उन चीजों को करने के बाद जो भी उत्तर दिया जाता है, अधिक पैदावार होने के बाद कृषि मजदूरों की स्थिति सुधार सकते हैं। किन्तु बात यह है कि अब उन्हें औने-पौने दाम पर उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं और जो भी वे उत्पादन कर रहे हैं उसका उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि किसानों और कृषि मजदूरों के न्यूनतम जीवनस्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से रचनात्मक कदम उठाए जाने और उपाय किए जाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है। यह मजदूरी के बारे में है।

श्री प्रहलाद जोशी: हो सकता है। मैं आपकी चिंताओं से सहमत हूँ और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। किन्तु इसे प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए।

मंत्री महोदय, क्या आप अब उत्तर देना चाहते हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: महोदय, बात यह है कि कृषि मजदूरों के पास पूरे साल काम नहीं होता है। अत: हम ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय के अधीन एक योजना लेकर आएँ हैं जिसमें 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है। इससे हम कुछ हद तक देश में किसानों और कृषि मजदूरों की सहायता कर पाएँगे।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है, इसके पहले खण्ड में पूछा गया था कि क्या खेतिहर मजदूर की गरीबी का आंकड़ा सरकार के पास है। महोदय, यह सवाल वैसे तो श्रम मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन योजना आयोग ने जो उत्तर दिया है, उससे बहुत निराशा होती है। योजना आयोग से जबाब आया है कि कृषि मजदूरों के लिए अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया जाता है। इसमें एक गड़बड़ी यह है कि प्लानिंग कमीशन के एनएसएस द्वारा हर पाँच साल में जो बृहद् सर्वेक्षण कराया जाता है, उसमें खेतिहर मजदूरों के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी ली जाती है। अगर प्लानिंग कमीशन एक कदम आगे चलकर, अपने सर्वेक्षण में तय कर दे, तो खेतिहर मजदूरों में कितनी गरीबी व्याप्त है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। मेरा श्रम मंत्री से केवल यही निवेदन है कि वह अपने मंत्रालय के माध्यम से योजना आयोग से कहेंगे कि जब वह गरीबी के आंकड़े निकाले, तो उनके मंत्रालय से संबंधित जो देश में खेतिहर मजदूर हैं, उसके अलग से आंकड़े निकाल कर छापे जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्रवाई के लिए सुझाव है। आप इसे नोट कर सकते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: जी हाँ, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने इसे नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने जायज प्रश्न पूछ लिए हैं, क्योंकि खेतिहर मजदूरों की वेजिज़ की समस्या काफी गंभीर है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्हें दिए जाने वाले दैनिक वेतन तथा पंजाब और हरियाणा में दिए जाने वाले दैनिक वेतन में काफी अंतर होने से हजारों की तादाद में हर साल, हर सीज़न में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के खेतिहर मजदूर पंजाब और हरियाणा की ओर जाते है। हमारे देश का जो मिनिमम वेजिज़ एक्ट है, उसके अनुसार राज्य सरकारों को ही इस बात का अधिकार है कि खेतिहर मजदूर के न्यूनतम वेतन का निर्धारण करे।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि राज्यवार परेशानियां तो हैं लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो पेईंग कैपेसिटी है, वह उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की नहीं है। ऐसी हालत में क्या भारत सरकार एक यूनिफार्म पॉलिसी बना कर, अधिकतम नहीं लेकिन न्यूनतम वेतन, दैनिक वेतन का जो आधार होगा, वह निर्धारित करके पूरे देश के लिए समान रूप से न्यूनतम वेतन तय करके, इस सिद्धांत पर कानूनी तौर पर अमल कराएगी?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: जैसा कि मैंने पहले बताया है, विभिन्न राज्यों में परिस्थितियाँ और स्थिति भिन्न हैं। हम ऐसा करना चाहते हैं किन्तु व्यवहारिक रूप से यह बहुत मुश्किल है। हम मामले का अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए हमने 80 रु॰ का उचित मूल्य दिया है। हमने इसे हाल ही में बढ़ाया है। हम इस मामले की लगातार निगरानी करेंगे ताकि कृषि मजदूरों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित हो।

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 143 श्री रनेन बर्मन–उपस्थित नहीं।

ऐसा लगता है कि सोमवार को प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए। श्री पी.एस. गढ़वी–प्रश्न संख्या 144.

नई स्पेक्ट्रम नीति

*144. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई स्पेक्ट्रम नीति को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग की स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया समिति ने मंत्रियों के समूह की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बगैर स्पेक्ट्रम संबंधी नई नीति की घोषणा कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने नई स्पेक्ट्रम नीति को अंतिम रूप देने के लिए किसी मंत्री समूह का गठन नहीं किया है। तथापि, विदेश मंत्री की अध्यक्षता में "स्पेक्ट्रम को खाली करने और इस उद्देश्य के लिए संसाधन जुटाने" के संबंध में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग में कोई "स्पेक्ट्रम आबंटन प्रक्रिया" गठित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, दूरसंचार क्षेत्र में दूरसंचार कंपनियों का संघ बनने के कारण सभी बड़े दूरसंचार प्रचालकों ने उपभोक्ताओं की कीमत पर टैरिफ में वृद्धि कर दी है। सरकार नए प्रचालक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है जैसे कि कई देशों में कार्यरत प्रचालक हैं। अत: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए सरकार और लाइसेंसधारकों के बीच किस प्रकार का संविदात्मक करार हुआ है और क्या किसी प्रचालक को संविदात्मक स्पेक्ट्रम से अधिक स्पेक्ट्रम दिया गया है; यदि हाँ ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री गढ़वी जी, यह मुख्य प्रश्न से किस प्रकार से संबंधित है?

श्री पी.एस. गढ़वी: यह बात माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही है...(*व्यवधान*) स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु सरकार और लाइसेंस धारकों के बीच क्या संविदात्मक करार हुआ है और क्या किसी प्रचालक को संविदात्मक स्पेक्ट्रम से अधिक स्पेक्ट्रम दिया गया है, यदि हाँ, तो ऐसे लाइसेंसधारक कौन-कौन से हैं और उन्हें अधिक स्पेक्ट्रम आवंटित करने के क्या कारण हैं तथा अधिक स्पेक्ट्रम को वापस लेने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

डा. शकील अहमद: महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार ने अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया उनके अनुपूरक प्रश्न का अवलोकन करें।

डा. शकील अहमद: सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए किसी मंत्री समूह का गठन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या आपने किसी विशेष पार्टी के साथ विशेष बर्ताव किया है।

डा. शकील अहमद: नहीं, सरकार की भूमिका तटस्थ है। हमने किसी विशेष प्रचालक को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। यह मामला टीडी सैट के अधीन है जिसे इसके बारे में निर्णय लेना है। हमने टीडी सैट को यह वचन दिया है कि हम 12 दिसम्बर से पहले, जिस दिन टीडी सैट को सुनवाई करनी है, किसी विशेष प्रचालक को स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं करेंगे।

श्री पी.एस. गढ़वी: अब तक, क्या यह देखने के लिए कोई कानून है कि अधिक आवंटन तो नहीं किया गया है...(*व्यवधान*)

संचार और सूचना प्राद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मुझे यह बात स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य का प्रश्न इस तथ्य से संबंधित है कि क्या सरकार का कुछ प्रचालकों के साथ संविदात्मक जिम्मेदारी है अथवा प्रचालकों को और अधिक स्पेक्ट्रम देने के लिए सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने यह कहा है कि सारा मामला प्राधिकरण के समक्ष है। तथापि, मैं सभा और माननीय सदस्य को अपने पास उपलब्ध सभी तथ्य बता सकता हूँ।

जैसे ही एलओआई का पालन पूरा होता है, नए प्रचालक को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार को लाइसेंस शुल्क प्राप्त होता है, सरकार इस पर विचार करती है किंतु वह आरंभिक स्पेक्ट्रम देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सरकार को और अधिक स्पेक्ट्रम देना है, जैसा कि टीडी सैट के समक्ष आश्वासन

दिया गया है, ऐसा सरकार द्वारा बनाए जा रहे मानदंड के अनुरूप किया जाएगा। 'ट्राई' ने भी यही कहा है। 'ट्राई' ने अपनी सिफारिश दे दी है जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई है। इन सब बातों के अध्यधीन इसका ध्यान रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, कृपया मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैंने केवल एक प्रश्न ही पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: दो मंत्रियों ने आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, उन्होंने केवल उसमें कुछ और बातें बताई हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति में नए लाइसेंस जारी करने के दिशानिर्देश, जो स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन है, के स्थान पर अक्टूबर 2003 के कैबिनेट निर्णय को लागू करने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार अखिल भारतीय आधार पर सेवा क्षेत्र में सार्वभौमिक एक्सेस सेवाओं के प्रावधान हेतु नए प्रवेशकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना लाइसेंस जारी कर सकती है। यदि हाँ, तो इन दिशानिर्देशों को क्यों नहीं लागू किया गया है और क्या सरकार लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को एलओआई जारी करने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: मैं संक्षिप्त उत्तर चाहता हूँ।

श्री ए. राजा: महोदय, माननीय सदस्य की टिप्पणी सही है। यह सच है कि पहले जब 1999 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति घोषित की गई थी, नीति में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि जहाँ कहीं पर लाइसेंस जारी किए जाएं, वे स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अनुरूप हों। दूसरे शब्दों में, यदि स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है तो सरकार को नए लाइसेंस नहीं देने चाहिए। इसे वर्ष 2003 में मंत्रियों के समूह के पास भेजा गया जिसमें एकीकृत एक्सेस लाइसेंस नीति अस्तित्व में आई। मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश के पैरा-11, जिसे कैबिनेट के समक्ष भी रखा गया था, में यह कहा गया है कि सेवा क्षेत्र में एकीकृत एक्सेस सेवाओं के प्रावधान हेतु प्रवेशकों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना लाइसेंस जारी किए जाएं। सरकार इस पर कायम है। हम मंत्रालय के पास उपलब्ध नए दिशानिर्देशों के अनुसार नए प्रवेशकों को अनुमति देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपूरक प्रश्न और उत्तर, दोनों, प्रश्न से अलग थे। तथापि, मुझे खुशी है कि आप उत्तर देने के लिए तैयारी करके आए थे।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: सीधे प्रश्न मेरे माध्यम से पूछा जाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैंने भी यही कहा है कि आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या टेलीकॉम इंजीनियरिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद स्पेक्ट्रम ने इसकी समीक्षा को 'सिद्धांतत:' स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए एक पैनल गठित कर दिया है। क्या वे सब्सक्राइबर के आंकड़ों के आधार पर लाइसेंस प्रचालकों हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन मानदंड की समीक्षा करेंगे?

श्री ए. राजा: महोदय, यह सच है कि सरकार द्वारा सब्सक्राइबर आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह मामला 'ट्राई' को भेजा गया था और उसने अपनी सिफारिश दे दी है। वर्तमान प्रचालकों में से कुछ ने नए सब्सक्राइबर आधार को नहीं अपनाया है। 'ट्राई' की सिफारिश होते हुए भी, सरकार ने मंत्रालय के पास उपलब्ध टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर को यह आंकलन करने का निदेश दिया कि प्रचालकों के लिए किस सब्सक्राइबर आधार पर गणना की जा सकती है। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, ट्राई की सिफारिशों का प्रचालकों ने स्वयं विरोध किया किंतु टीईसी की रिपोर्ट में ट्राई की सिफारिश से भी अधिक की सिफारिश की गई। इसलिए वर्तमान प्रचालक यह कहते हुए न्यायालय में चले गए कि वे टीईसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। यह सही है कि ट्राई की सिफारिशों के अस्तित्व में आने से पहले ही टीईसी ने अध्ययन शुरू कर दिया था। आरोप ट्राई या सरकार के विरुद्ध नहीं था। ट्राई की सिफारिश वैज्ञानिक कारणों पर आधारित नहीं थी जबकि टीईसी की सिफारिश वैज्ञानिक कारणों पर आधारित थी। इसके बावजूद इसे टीडी सैट में चुनौती दी गई। सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय के समक्ष यह कहा कि टीईसी द्वारा की गई गणना एकपक्षीय है और उनकी शिकायतों को फोरम के समक्ष नहीं रखा गया। इसलिए, इन सब मुद्दों को ध्यान

में रखते हुए, हमने आईआईटी, चेन्नई और कानपुर के प्रोफेसरों की एक स्वतंत्र कमेटी गठित की। उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी में विशिष्ट डिग्री प्राप्त है। इसलिए, यह स्वतंत्र कमेटी, टीडी सैट के समक्ष मामले के होते हुए भी इन सभी मुद्दों पर गौर कर रही है। इसके बाद, मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

सिंचाई सुविधाओं का विकास

***145. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभी तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में कुल कितने क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) IXवीं योजना के दौरान वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, लघु सिंचाई स्कीमों और कमान क्षेत्र विकास क्रियाकलापों के संबंध में सिंचाई पर वास्तविक व्यय 60147.37 करोड़ रुपये था। Xवीं योजना के दौरान सिंचाई पर होने वाले व्यय के 100151.58 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I और II पर दिए गए हैं। कार्यकारी दल ने XIवीं योजना के लिए वृहद और मध्यम सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के वास्ते कुल 2,10,825.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है।

IXवीं योजना के दौरान 7696 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था और Xवीं योजना के लिए 8813 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का अनुमान है।

इसमें IXवीं योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली 20 पूर्ण की गई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित लगभग 587 हजार हेक्टेयर और Xवीं योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 52 वृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सृजित लगभग 562 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता शामिल है। सृजित की गई सिंचाई क्षमता के राज्यवार ब्यौरे, संलग्न अनुबंध-III पर दिए गए हैं। XIवीं योजना के दौरान 16,000 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है।

वर्ष 1995-96 की कृषि गणना के अनुसार पूर्ण रूप से सिंचित जोत क्षेत्रों की संख्या 3.74 करोड़ अर्थात कुल प्रचालनाधीन जोत क्षेत्रों का लगभग 32.4% है। वर्ष 2000-01 की कृषि गणना से पूर्ण रूप से सिंचित जोत क्षेत्रों की संख्या में 3.97 करोड़ अर्थात कुल प्रचालानाधीन जोत क्षेत्रों का 36.7% तक की वृद्धि का संकेत मिलता है। 2000-01 की कृषि गणना से यह भी पता चलता है कि 1.29 करोड़ जोत क्षेत्र आंशिक रूप से सिंचित है।

अनुबंध-I

नौवीं योजना के दौरान सिंचाई पर हुए वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4045.77	976.25	49.18	5071.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.73	94.62	4.99	101.34
3.	असम	212.96	382.22	31.14	626.32
4.	बिहार	1621.94	231.56	62.66	1916.16
5.	छत्तीसगढ़	160.64	71.48	1.57	233.69

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	224.22	26.68	9.70	260.60
7.	गुजरात	5298.42	933.32	61.34	6293.08
8.	हरियाणा	1154.41	200.90	143.03	1498.34
9.	हिमाचल प्रदेश	65.09	232.70	4.38	302.217
10.	जम्मू–कश्मीर	128.52	142.86	20.58	291.96
11.	झारखंड	167.01	39.31	0.00	206.32
12.	कर्नाटक	8700.51	459.03	97.90	9257.44
13.	केरल	703.33	225.82	41.80	970.95
14.	मध्य प्रदेश	2203.68	746.29	17.43	2967.40
15.	महाराष्ट्र	14807.29	1348.55	219.47	16375.31
16.	मणिपुर	171.67	30.05	6.63	208.35
17.	मेघालय	10.65	34.21	0.87	45.73
18.	मिजोरम	0.14	26.30	0.47	26.91
19.	नागालैंड	0.86	25.32	0.53	2793.46
20.	उड़ीसा	2331.23	435.70	26.53	2793.46
21.	पंजाब	334.92	189.01	179.34	703.27
22.	राजस्थान	1725.14	259.48	263.35	2247.97
23.	सिक्किम	2.16	19.44	1.64	23.24
24.	तमिलनाडु	1218.50	287.70	65.88	1572.08
25.	त्रिपुरा	32.44	75.27	0.04	107.75
26.	उत्तर प्रदेश	3014.68	361.96	155.31	3531.95
27.	उत्तरांचल	60.96	19.59	0.00	80.55
28.	पश्चिम बंगाल	667.80	346.08	26.53	1040.41
	कुल राज्य	49066.67	8221.70	1492.29	58780.66
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	12.18	0.00	12.18
30.	चंडीगढ़	0.00	1.42	0.00	1.42
31.	दादरा और नगर हवेली	3.38	5.13	0.78	9.29

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	0.80	3.35	0.10	4.25
33.	दिल्ली	0.00	3.81	0.00	3.81
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	29.44	0.00	29.44
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	4.18	55.33	0.88	60.39
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	49070.85	8277.03	1493.17	58841.05
	केन्द्रीय क्षेत्र	218.70	357.96	729.66	1306.32
	कुल जोड़	49289.55	8634.99	2222.83	60147.37

अनुबंध II

दसवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र पर होने वाले अनुमानित व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों और संघ क्षेत्रों का नाम	वृहद और मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20865.50	1970.78	46.79	22883.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.08	139.39	10.40	151.87
3.	असम	156.38	150.76	8.64	315.78
4.	बिहार	1582.81	824.90	120.16	2527.87
5.	छत्तीसगढ़	1845.88	1047.08	34.06	2927.02
6.	गोवा	306.44	110.98	14.37	431.79
7.	गुजरात	10055.23	1789.26	16.77	11861.26
8.	हरियाणा	1261.24	0.00	133.06	1394.30
9.	हिमाचल प्रदेश	105.45	347.68	10.94	464.07
10.	जम्मू-कश्मीर	284.97	293.40	46.06	624.43
11.	झारखंड	1302.62	218.20	0.10	1520.92
12.	कर्नाटक	16592.30	1040.21	168.42	17800.93
13.	केरल	714.81	126.05	30.79	871.65

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	5586.58	1249.29	11.98	6847.85
15.	महाराष्ट्र	8634.73	1385.94	959.80	10980.47
16.	मणिपुर	359.74	66.26	24.72	450.72
17.	मेघालय	3.04	36.30	1.12	40.46
18.	मिजोरम	0.10	85.12	0.70	85.92
19.	नागालैंड	0.03	69.33	3.53	72.59
20.	उड़ीसा	1936.68	380.36	514.01	2831.05
21.	पंजाब	526.04	171.51	145.33	842.88
22.	राजस्थान	3041.94	521.11	215.52	3778.57
23.	सिक्किम	0.00	22.09	12.05	34.14
24.	तमिलनाडु	1074.95	400.31	95.93	1571.19
25.	त्रिपुरा	40.19	124.04	0.06	164.29
26.	उत्तर प्रदेश	5031.68	608.89	243.46	5884.03
27.	उत्तरांचल	275.57	288.03	9.53	573.13
28.	पश्चिम बंगाल	309.01	186.38	106.29	601.68
	कुल राज्य	81895.99	13653.65	2984.59	98534.23
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	8.15	0.00	8.15
30.	चंडीगढ़	0.00	9.13	0.00	9.13
31.	दादरा व नगर हवेली	2.66	3.45	1.17	7.28
32.	दमन और दीव	1.29	0.62	0.05	1.96
33.	दिल्ली	0.00	0.71	0.00	0.71
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	84.31	0.00	84.31
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	3.95	106.37	1.22	111.54
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	81899.94	13760.02	2985.81	98645.77
	केन्द्रीय क्षेत्र	295.19	380.68	829.94	1505.81
	कुल जोड़	82195.13	14140.70	3815.75	100151.58

समापन वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय को व्यय माना गया है।
2006-07 में वास्तविक व्यय केवल 2008-09 के लिए ही उपलब्ध होगा।

अनुबंध III

नौवीं और दसवीं योजना में सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता दर्शाने वाला विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सृजित कुल सिंचाई क्षमता	
		IXवीं योजना	Xवीं योजना
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	375.71	541.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.10	19.56
3.	असम	58.11	100.84
4.	बिहार	380.13	321.34
5.	छत्तीसगढ़	165.25	992.24
6.	गोवा	9.83	18.79
7.	गुजरात	143.99	812.63
8.	हरियाणा	74.88	98.59
9.	हिमाचल प्रदेश	13.42	12.19
10.	जम्मू–कश्मीर	13.82	29.91
11.	झारखंड	45.91	320.94
12.	कर्नाटक	509.13	46.43
13.	केरल	163.08	532.98
14.	मध्य प्रदेश	118.00	177.98
15.	महाराष्ट्र	1297.20	618.15
16.	मणिपुर	43.25	30.60
17.	मेघालय	4.40	10.79
18.	मिजोरम	3.96	1.39
19.	नागालैंड	9.32	17.61
20.	उड़ीसा	385.46	325.99
21.	पंजाब	103.01	64.71
22.	राजस्थान	234.13	429.00
23.	सिक्किम	3.44	3.76
24.	तमिलनाडु	11.96	22.85
25.	त्रिपुरा	19.67	44.13
26.	उत्तर प्रदेश	2635.80	2848.29
27.	उत्तरांचल	14.36	24.91
28.	पश्चिम बंगाल	825.76	347.65
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	16.73	7.19
	कुल जोड़	7695.81	8813.38

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मेरे प्रश्न के तीन भाग थे। मेरे प्रश्न के तीसरे भाग में, मैंने लाभान्वित हुए किसानों की संख्या पूछी थी। परंतु दुर्भाग्वश, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, तथापि, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार सिंचाई पर खर्च की गयी कुल धनराशि नौंवी योजना में 60,000 करोड़ रुपये थी जो दसवीं योजना में बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो गयी है। परंतु वास्तविकता यह है कि नौंवी योजना के दौरान सिंचित क्षेत्र 32.4 प्रतिशत था और दसवीं योजना के दौरान यह सिंचित क्षेत्र 36.7 प्रतिशत रहा। इस प्रकार दो योजनावधि के दौरान मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि रही है। ग्यारहवीं योजना में सिंचाई हेतु दो करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सिंचित भूमि में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हासिल करने हेतु कोई कठोर निर्णय लेगी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य देश में सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने के बारे में इतने चिन्तित हैं। उन्होंने कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया है। हाँ, वर्षों से सिंचाई क्षेत्र का काफी वित्तपोषण किया गया है। नौंवी योजना के दौरान सिंचाई पर 60,147 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और दसवीं योजना के दौरान यह निवेश 1,00,151 करोड़ रुपये रहा है तथा ग्यारहवीं योजना हेतु, योजना आयोग के कार्य समूह ने 2,10,825 करोड़ रुपये निवेश करने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार सिंचाई क्षेत्र का काफी वित्तपोषण किया गया है परंतु माननीय सदस्य के अनुसार, सिंचाई क्षमता किए गए निवेश के अनुपात में नहीं बढ़ी है। मेरा मानना है कि हमारे पास जबरदस्त सिंचाई क्षमता है। छठी योजना में सिंचाई हेतु समुचित निधियां उपलब्ध थी। इसके पश्चात् निधियों की कुछ कमी रही है। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा। परन्तु जब से संप्रग सरकार सत्ता में आयी है, सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। निधियां उपलब्ध हैं। मैं माननीय सदस्य

के मन में और आपके माध्यम से इस सम्मानीय सभा में आशा का भाव पैदा करना चाहता हूँ कि वर्ष 1951 तक सिंचाई क्षमता से युक्त भूमि 2.26 करोड़ हेक्टेयर की तथा वर्तमान में दसवीं योजना के अंत में सिंचाई क्षमता युक्त भूमि 10,20,00,000 हेक्टेयर है। इस प्रकार यह एक बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि, मेरा मानना है कि वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र पर जितना ध्यान दिया जा रहा है उस पर इससे कहीं काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैंने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा की थी और वे हमारी मांग का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सिंचाई देश में कृषि विकास हेतु मुख्य कारक है।

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न है कि आप 50 प्रतिशत तक कब पहुंचेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मैं आशा करता हूँ कि और अधिक धन उपलब्ध होगा तथा और अधिक सिंचाई क्षमता हासिल होगी। मंत्रालय का भारत निर्माण पर भी विशेष ध्यान है।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर के बावजूद इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हूँ कि ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान देश में कुल कृषि भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आ पाएगा।

महोदय, मेरी राय में भूमि सुधार और सिंचाई ऐसे दो प्रमुख कारक हैं जो खाद्य सुरक्षा की समस्या, सूखे की समस्या और बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रत्येक चीज का समाधान तभी हो सकता है जब हम देश में भूमि सुधारों को लागू करें तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें।

मेरा मंत्री महोदय से दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में तीस्ता और दामोदर परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित करेगी।

अध्यक्ष महोदय: हाँ, यही प्रश्न है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: महोदय, माननीय सदस्य ने सूखा प्रवण क्षेत्रों के बारे में एक प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की लघु सिंचाई योजनाओं पर हमारा ध्यान गया था और हमने अक्टूबर के अंत में इस परियोजना की धनराशि स्वीकृत की थी।

जहाँ तक तीस्ता और अन्य परियोजनाओं का सवाल है, हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि जल राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की पहले ऋण के माध्यम से और वर्तमान में अनुदानों के माध्यम से मदद करती रही है। पिछले वर्ष से तीस्ता काफी चर्चा में है। परंतु तीस्ता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हम इस विषय पर पश्चिम बंगाल सरकार से चर्चा करेंगे। हमें उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें और आपको धन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम उन परियोजनाओं पर कार्य कर सकते हैं जो हमारे साथ सम्पर्क से चलायी जा रही हैं।

माननीय मंत्रियों सहित पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी उस मुद्दे को उठाते रहे हैं। तीस्ता राष्ट्रीय परियोजना का भाग है। मंत्रिमंडलीय समिति इस पर विचार कर रही है। तीस्ता ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक होगी जिनका शत-प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार करेगी।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम सभी को अच्छी तरह पता है कि सप्रंग सरकार सिंचाई सुविधा के विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में, नौवी योजना के दौरान सिंचाई पर किए गए व्यय का उल्लेख किया है। परंतु दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्रालय के पास तमिलनाडु हेतु विशेषकर इसके दक्षिणी भागों हेतु, जो वस्तुत: सूखा-प्रवण क्षेत्र हैं, कोई विशेष योजना अथवा प्रस्ताव है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री के. करुणानिधि ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, रामेश्वरम सहित तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कावेरी नदी का जल लाने हेतु 616 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना की हाल ही में घोषणा की थी।

क्या मंत्रालय इस विशेष योजना हेतु तमिलनाडु सरकार की सहायता करने का इच्छुक है?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: तमिलनाडु पर ध्यान दिया जाएगा। दसवीं योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध हैं। दसवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु तमिलनाडु में 1,571 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

इस सुझाव के संबंध में कि तमिलनाडु पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो भी प्रस्ताव उपलब्ध है उसे हमारे पास भेजे। हम उस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री भँवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से सीधे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो नदियां जोड़ने की योजना थी, उस योजना को, जब तक जो बाढ़ का क्षेत्र है और पानी जो बाढ़ में बह जाता है, उसे अगर सेन्टर के कंट्रोल में नहीं लिया जाएगा तो कोई भी राज्य नदियों का पानी दूसरे राज्य को नहीं देगा और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक अकालग्रस्त क्षेत्र में कभी भी पानी आ नहीं सकता। आपने राजस्थान में दो प्लान में कुल मिलाकर करीब 650 हजार हेक्टेयर में पानी की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था भी राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से ज्यादातर हुई है। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि वे नदियां, जिनमें हर साल बाढ़ आती है और सरकार करोड़ों रुपया बाढ़ पर खर्च करती है, क्या उन नदियों का पानी केन्द्र के तहत लाकर, विशेषकर हमारे अकालग्रस्त राज्यों में सरकार देना चाहेगी या नहीं?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ... *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب اسپیکر صاحب، یہ سوال اس پرشن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں۔۔۔(مداخلت)

अध्यक्ष महोदय: वे आपके पश्न का जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: नदियों को आपस में जोड़े जाने का मुद्दा प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इनकार नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ वह मामला नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी इस सदन से दरख्वास्त है कि जो यह गलतफहमी है कि जो पहले रीवर्स इंटरलिंकिंग की बात थी, वह शायद बैक बर्नर पर है, ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

यह फ्रंट बर्नर पर है। इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ कि जो पांच नदियों के इंटरलिंकिंग का सिलसिला है, उनमें एक तो यह है कि केन-बेतवा नदी का जोड़ने का काम बहुत कठिन है। यह मामला सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से मिन्नत-समाजत करके मिलाना पड़ता है और एक दरख्वास्त देनी पड़ती है।

پروفیسر سیف الدین سوز: میں جواب دے رہا ہوں۔ میری اس سدن سے درخواست ہے کہ جو یہ غلط فہمی ہے کہ جو پہلے ریورس انٹرلنکنگ کی بات تھی، وہ شاید بیک برنر پر ہے، ایسا نہیں ہے۔

میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ

جو پانچ ندیوں کے انٹرلنکنگ کا سلسلہ ہے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ کین۔ بیتوا ندی کا جوڑنے کا کام بہت مشکل ہے۔ یہ معاملہ مرکزی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے منت سماجت کر کے ملانا پڑتا ہے۔ اور ایک درخواست دینی پڑتی ہے۔

[अनुवाद]

मैं केन-बेतवा के संबंध में इस सभा को बताना चाहता हूँ कि डीपीआर तैयार की जा रही है। डीपीआर एक काफी कठिन स्थिति है। वे इसके लिए तीन वर्ष का समय मांग रहे हैं परंतु मैं जोर दे रहा हूँ कि उन्हें डीपीआर दो वर्षों के अंतर्गत पूरा करनी चाहिए। परंतु चार से पांच लिंक काफी चर्चा में हैं:

पार्वती-काली सिंध, नर्मदा-प्रतापी और गोदावरी कृष्णा!

جہاں تک کین۔ بیتوا کا تعلق ہے تو میں اس ایوان کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ ڈی پی آر تیار کی جا رہی ہے۔ ڈی پی آر کی حالت بہت مشکل ہے۔ وہ تین سال کا وقت چاہتے ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ انھیں ڈی پی آر تین سال میں تیار کر لینا چاہیئے۔ لیکن جتنا بتایا جا رہا ہے اس میں پیچیدگیاں پائی جا رہی ہیں:

[हिन्दी]

श्री भँवर सिंह डांगावास: मैं बाढ़ के पानी की बात कर रहा हूँ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब इसे छोड़िये।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों, मैंने एक डीओ लिखकर दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से विनती की

है और समझौता ज्ञापन दिया है कि दोनों आपस में इस पर साईन करेंगे तभी यह पानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिये होगा और उससे उनको बड़ा फायदा होगा। सैंट्रल गवर्नमेंट आपकी सेवा में है, इसलिए मेहरबानी करके इस पर दस्तखत कीजिए। हम इस में दिलचस्पी लेंगे। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि जहां-जहां मुमकिन है, हम वहां नदियों को जोड़कर काफी ईरीगेशन पोटैंशियल बना सकते हैं और राहत मिल सकती है।

پروفیسر سیف الدین سوز: جہاں تک راجستھان اور مدھیہ پردیش کی بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ڈی۔او۔لٹر کر دونوں اسٹیٹس کے چیف منسٹرس سے درخواست کی ہے اور MOU دیا ہے کہ دونوں آپس میں اس پر سائن کر دیں تبھی یہ پانی راجستھان اور مدھیہ پردیش کے لئے ہوگا اور اس سے اگریو فائدہ ہوگا۔ سینئر گورنمنٹ آپکی جانکاری کے لئے میں نے اس لئے مہربانی کر کے اس پر دھیان دیجئے۔ ہم اس میں دلچسپی لیں گے۔ معزز ممبر صاحب کی یہ بات صحی ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہے، ہم وہاں ندیوں کو جوڑ کر کافی ازیگیشن پوٹینشل بنا سکتے ہیں اور یہ راحت مل سکتی ہے۔

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइये। आप थोड़ा चेयर पर मेहरबानी कीजिये। मेहरबानी करके मानिये।

[अनुवाद]

मुझे यहाँ परेशानी हो रही है क्योंकि प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। सभा में पूछे जा रहे किसी भी पूरक प्रश्न के संबंध में हमारे माननीय मंत्री हमें अनुग्रहीत कर रहे हैं क्योंकि वे काफी जानकारी रखने वाले मंत्री हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि प्रासंगिकता और संक्षिप्तता भी महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि असम के बोडोलैंड अंचल में जिस तरह से ईरीगेशन फैसीलीटीज देनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं दे पाये हैं। इस साल वहां जबर्दस्त फ्लड आ गया है और मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीटुवैंसी के दो असैम्बली सेगमेंट्स आज तक पानी में डूबे हुये हैं। मैं इस सिलसिले में आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। जितने ईरीगेशन डैम थे, वे सब टूट गये हैं। भूटान से बेकी नाम से एक नदी निकलती है। इस नदी ने पिछले दो हजार चार साल (2004) से लोगों को बहुत तकलीफ दी है। इस साल भी नदी के एम्बैंकमेंट नारेंगुरी के टूट जाने की वजह से नदी के दक्षिण पूर्व अंचलों में जबरदस्त बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार बेकी नदी के उस टूटे हुए एम्बैंकमेंट के पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाना चाहती है और असम सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को क्या क्या सिफारिशें मिली हैं?

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रस्ताव दिया है, और उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है, उसकी जांच की जा रही है और मैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। असम में काफी कठिन स्थिति है। मैं इस सम्मानीय सभा को यह सूचित करना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में माजुली द्वीप का दौरा किया था जिसे काफी क्षति पहुंची है। लेकिन बाढ़ की अवधि के दौरान यह मंत्रालय कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह राहत की स्थिति है। तथापि, मैंने असम के मुख्यमंत्री, श्री तरुण गोगोई तथा उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों से यह वायदा किया था कि मैं माजुली जाऊंगा। यह इतना आसान नहीं था।

महोदय, मुझे बताया गया तथा मेरे लिए सुखद आश्चर्य था कि स्वर्गीय डा. फखरुद्दीन अली अहमद के बाद माजुली जाने वाला मैं पहला व्यक्ति था...(*व्यवधान*)

कृपया मेरी बात सुने, माजुली अब सुरक्षित है। मैं यह मानता हूँ कि दो या तीन चरणों में उपलब्ध राशि पर्याप्त नहीं है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ तथा हम निश्चित रूप से माजुली को भविष्य में होने वाले आक्रमण से बचाएंगे। जहाँ तक अन्य प्रस्तावों का संबंध है, मैं उन पर भी ध्यान दे रहा हूँ। आपका पत्र मेरे पास है। मैं आपको आगे भी मंत्रालय में आमंत्रित करूंगा। तथा आपके साथ बैठकर इस संबंध में आप जो भी सुझाव देंगे उन पर सकारात्मक उत्तर दूँगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पानी की बात आती है तो पता है कि देश में बहुत सी नदियां हैं और बारिश का पानी बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन उसका व्यवस्थापन ठीक नहीं है। किसानों को तीन फसलें पैदा करने के लिए समुचित पानी की आवश्यकता है। आज हमारे देश में मानसून के अलावा विन्टर सीज़न में केवल एक तिहाई खेती के लायक ज़मीन में ही हम पानी दे सकते हैं, दो तिहाई ज़मीन में पानी नहीं मिलता है क्योंकि पानी की शार्टेज है। यदि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि न केवल विन्टर सीज़न में, बल्कि क्राप लेने के लिए भी हमारे किसान तैयार

हैं। गत बजट में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का ही आबंटन किया गया जो बहुत कम है। मुझे लगता है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के लिए बजट में सब्सिडी के रूप में ज्यादा से ज्यादा आबंटन किया जाए तो न केवल विन्टर सीजन में बल्कि थर्ड क्राप भी किसान ले सकते हैं और आज जो अनाज और गेहूँ की कमी है, उसे भी हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया गया है?

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मुझे खेद है कि इसका कुछ लंबा उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय: लंबा उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं है। आप उन्हें उत्तर भेज सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा क्योंकि उन्होंने ड्रिप सिंचाई की बात की है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भू जल के पुनर्भरण के लिए भू जल सलाहकार परिषद का गठन किया था। जिसका इस वर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: हमारे पास उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हमने एक पुस्तक निकाली है जिसे अब परिचालित कर दिया गया है। मंत्रालय में हमारा लक्ष्य यह है कि भू जल काफी महत्वपूर्ण है। यह बैंक में जमा राशि के समान है। हम मूलधन राशि नहीं निकाल सकते हैं। अत:, इस सिद्धांत का अनुकरण कर हम भूमिगत जल का पुनर्भरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति है कि हमने देश भर के सभी मुख्य मंत्रियों को यह कहते हुए एक दस्तावेज परिचालित किया है कि हमें जल की प्रत्येक बूंद से अधिक फसल और आय चाहिए। वैसी स्थिति में छिड़काव सिंचाई मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा मिशन

*146. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त मिशन को लागू करने की प्रक्रिया कब और कहां से शुरू किए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 16 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के चिन्हित 305 जिलों में रबी 2007-08 से शुरू की जा चुकी है ताकि ग्यारहवीं योजना के अंत (2011-12) तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ एवं 2 मिलियन टन दालों के अतिरिक्त उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल परिव्यय 4882.48 करोड़ रुपये हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एफएफएसएम) के तीन घटक हैं अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल (एनएफएसएम-चावल), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ (एनएफएसएम-गेहूँ) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन)। एनएफएसएम में शामिल किए गए कार्यक्रमों में उन्नत उत्पादन प्रोद्योगिकियों पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों तथा संकर नस्लों के गुणवत्ता प्राप्त बीजों का वितरण, बीज मिनिकिटों के जरिए नई निर्मुक्त किस्मों को लोकप्रिय बनाना, सूक्ष्म पोषकों, जिप्सम, जीरो-टिलेट, रोतावेटरों, कोनोवीडरों तथा अन्य फार्म उपकरणों के लिए सहायता, समेकित कृमि प्रबंधन, समेकित पोषण प्रबंधन, पानी उठाने तथा आर्द्रता बचत की युक्तियां, सबसे अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार सहित प्रशिक्षण और जन संचार आभियान आदि शामिल हैं। इसके अलावा इसमें सामुदायिक जनरेटरों संबंधी परियोजनाएं, नीलगायों का प्रबंधन एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी शामिल है। चिन्हित जिलों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप क्षेत्र विशिष्ट प्रोद्योगिकीय कार्यक्रम की छूट दी गई है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैंने वक्तव्य को पढ़ा है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों को केंन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा मिशन- में शामिल किया गया है लेकिन केरल को शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमने माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा की थी। मेरा मानना है कि कुछ त्रुटिपूर्ण मानदण्डों अथवा इस मंत्रालय के पास कुछ गलत सूचना के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई यह है कि पांच जिले, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, चावल का उत्पादन कर रहे हैं। ये जिले हैं पालघाट, त्रिचुर, एर्नाकुलम, अलेप्पी तथा कोट्टायम। अगर इन जिलों को एक साथ लिया जाए तो संभवत: एक अच्छी योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महादोय से यह जानना चाहूँगा कि क्या मंत्रालय हमारे अनुरोध पर खुले दिमाग से अनुकूल रूप से विचार कर सकता है।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): इसे योजना विशेष पर पिछले वर्ष 29 मई को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी तथा इसे स्वीकृत किया गया था। हमने 16 राज्यों तथा 305 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया था। एक मानदण्ड यह था कि किसी विशेष फसल के संबंध में न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र किसी जिले विशेष में उस फसल विशेष के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करना है तो जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। अत:, उस आधार पर सभी जिलों का चयन किया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस मानदण्ड को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं और इसी वजह से इस समय इन राज्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

हमने केरल के बारे में विस्तार से चर्चा की है। केरल में हमें ऐसा एक भी जिला नहीं मिला जहां किसी फसल विशेष नामत: धान के अंतर्गत इतना क्षेत्र है। केरल का मुख्य जोर निश्चित रूप से बागान फसलों पर है। इसी वजह से कुछ समस्याएं हैं। लेकिन मैंने हाल ही में केरल के माननीय सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की है और उन्होंने इन जिलों के नाम दिए हैं। डा. स्वामीनाथन ने भी सिफारिश की है। उस आधार पर हमने इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा केरल को भी प्रमुखता देने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह काफी अच्छी बात है कि मंत्रालय ने इस मामले पर सकारात्मक रूप से विचार किया है तथा इस मामले पर फिर से विचार किया है। वास्तव में जब आप इस मामले पर विचार करेंगे तो ऐसे पांच जिले हैं। 'केरल के धान की कटोरी (राइस बाउल)' के रूप में विख्यात पालघाट में ही धान की खेती के अंतर्गत 50 लाख एकड़ से अधिक भूमि है। इसका समीपवर्ती त्रिचुर जिला भी शीत भूमि खेती के लिए जाना जाता है। पुन: एर्नाकुलम तथा कुट्टनाड जिले भी हैं। यह क्षेत्र दो जिलों-कोट्टायम तथा अलप्पी में फैला हुआ है। अत: मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय डा. स्वामीनाथन द्वारा की गई सिफारिश को देखें तथा केरल के संसद सदस्यों के अनुरोध पर भी विचार करें तथा जिलों के बारे में अंतिम निर्णय लें।

श्री शरद पवार: हमने यह पहले ही कहा है कि हम इस मामले पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन के अंतर्गत करीब 305 जिलों में इस स्कीम को लागू किया जाएगा, हालांकि, जिलों की सूची नहीं दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी जिलों की सूची भी उपलब्ध करा देंगे।

जैसा आप जानते हैं कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह काश्कारों के साथ एग्रीमैंट करने के बाद, उनसे क्राप पर्चेज करेंगे या सामान्यत: जैसा पीडीएस में चलता है, उसी तरह काश्कारों से प्रोक्योरमैंट करने का काम करेंगे, और क्या उसके लिए कोई स्पैसिफिक अधिकारी अलग से नियुक्त किये जाएंगे? जितनी स्कीम्स आपने बताई हैं, उसमें जो सुविधाएं दी जानी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है इसके अंतर्गत खास तौर से तीन क्राप्स का उत्पादन देश में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी-पल्सेज, चावल और गेहूँ। अगले पांच-दस सालों में देश की जो जरूरत होगी, उसको पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्कता है और इसलिए इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। 5000 करोड़ रुपये के आस-पास की रकम इस स्कीम के लिए रखी गई है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि 16 राज्यों का नाम इसमें स्वीकार हुआ और वहां वास्तव में काम भी शुरू हुआ है। माननीय सदस्य जो पूछते हैं, वह स्थिति बाद में आएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रोक्योरमैंट के बारे में क्या नीति रहेगी। प्रोक्योरमैंट के बारे में मैंने इससे पहले भी सदन में जवाब दिया है कि चाहे आंध्र प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जहां सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर देने के लिए वह तैयार हैं तो उसे खरीदने का इंतजाम एफसीआई और स्टेट गवर्नमैंट की एजेन्सीज की मदद से हम करेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या सरकार किसानों से एग्रीमैंट करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया संक्षिप्त प्रश्न पूछें। कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर हम जो अनाज खरीदते हैं, जो अनाज विदेश से आता है, उस पर कितना खर्च केन्द्र का लगता है और उसमें कितने लॉसेज होते हैं? हम आये दिन सुनते रहते हैं कि गोदाम भरे पड़े रह गए, उसका बराबर वितरण नहीं हो पाया। मेरा सवाल है कि लॉसेस कितना आता है और उन लॉसेस को कम करने के लिए सरकार किस तरीके के कदम उठाती है?

श्री शरद पवार: यह मिशन उत्पादन बढ़ाने का है, इस मिशन में खरीदने की बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 147–श्री एकनाथ महादेव गायकवाड–उपस्थित नहीं

श्रीमती निवेदिता माने–उपस्थित नहीं

प्रश्न 148–श्री एन.एन.कृष्णदास–उपस्थित नहीं

श्री इकबाल अहमद सरडगी–उपस्थित नहीं

यह काफी दु:खद स्थिति है। हमें यह निर्णय करना है कि सोमवार को प्रश्नकाल होना चाहिए या नहीं

श्री एस.के. खारवेनथन–प्रश्न 149

खाद्यान्न उत्पादन

*149. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष का अभी तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान नकदी फसलों के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पिछले दशक के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी गिरावट आई है और देश अधिक खाद्यान्न का आयात कर रहा हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। जैसा कि नीचे की सारणी में देखा जा सकता है, कुल खाद्यान्नों की उत्पादकता वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान लगातार बढ़ी है।

फसल वर्ष	खाद्यान्न की उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर)
2004-05	1652
2005-06	1715
2006-07*	1750

* 19.7.2007 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान

(ग) और (घ) प्रमुख नकदी फसलों जैसे गन्ना और कपास का उत्पादन वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान लगातार वृद्धि दर्शाता रहा है। तिलहनों के संदर्भ में, 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान कम क्षेत्र आच्छादन के कारण उत्पादन कम हुआ। तथापि, 2007-08 के दौरान खरीफ तिलहनों का उत्पादन (प्रथम अग्रिम अनुमान) 2006-07 (चौथे अग्रिम अनुमान) के दौरान खरीफ तिलहनों के 13.94 मिलियन टन के उत्पादन से

2.19 मिलियन टन अधिक है। नीचे की सारणी में वर्ष 2005-06 से 2006-07 तक तिलहनों, गन्ना और कपास का उत्पादन दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन)		
	तिलहन	गन्ना	कपास #
2004-05	24.35	237.09	16.43
2005-06	27.98	281.17	18.50
2006-07*	23.88	345.31	22.70

* 19.07.2007 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान
# 170 किलो ग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें

(ङ) और (च) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1996 में 475.2 ग्राम प्रतिदिन से घट कर 2000 में 454.4 ग्राम प्रति दिन और 2006 में 444.5 ग्राम (अनंतिम) प्रतिदिन हो गई।

भारत 2003-04 से 2005-06 के दौरान खाद्यान्नों का निवल निर्यातक रहा है। तथापि, 2006-07 के दौरान बफर भण्डार संवर्धित करने के लिए लगभग 6.08 मिलियन टन गेहूँ का आयात किया गया है।

(छ) चावल, गेहूँ और मोटे अनाज आधारित फसल प्रणालियों में एक एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2000 से कार्यान्वयन में है। स्कीम जो कृषि की वृहद प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत शामिल थी, ने स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित राज्यों को उदारता प्रदान की है। दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल, 2004 से देश में तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम (आइसोपॉम) कार्यान्वयन के अंतर्गत है। तथापि, चावल, गेहूँ और दालों का उत्पादन और बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" भी 2007-08 से देश में प्रारंभ की गयी है। इसका उद्देश्य लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात 2011-12 तक चावल के उत्पादन को 10 मिलियन टन, गेहूँ के उत्पादन को 8 मिलियन टन दालों के उत्पादन को 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध सैक्टर्स का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक विकास प्राप्त करना है।

श्री एस.के. खारवेनथन: अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में देश में कृषि क्षेत्र-कृषि उत्पाद तथा खाद्यान्नों की पैदावार में भारी कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, गेहूँ और चावल के बफर स्टॉक में भी निरंतर कमी आई है। सरकार काफी ऊँची कीमतों पर गेहूँ का आयात भी कर रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्न की पैदावार में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं और क्या सरकार द्वारा कृषि भूमि का खेती के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने को रोकने के लिए सुरक्षोपाय करने एवं संरक्षण करने के लिए तथा देश में खाद्यान्न की उत्पादकता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृषि मंत्रालय की संपूर्ण बातों पर प्रश्नकाल में चर्चा करना चाहते हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही कारण है कि सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने का सोच-समझकर निर्णय लिया है, और खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूँ, चावल और दालों की कृषि के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाया जाए।

उत्पादन में सुधार के लिए भी योजना बनाई गई है। यहाँ प्रश्न केवल इतना है कि उत्पादकता में सुधार किस प्रकार लाया जाएगा, कुल कितने उत्पादन की आवश्यकता है और उसे कैसे पूरा किया जाएगा। उत्तर दिया जा चुका है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, हाल के वर्षों में हमारे देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर तमिलनाडु के कुछ भागों में किसान धीरे-धीरे जैविक कृषि अपना रहे हैं और उन्होंने आयातित रसायनों तथा उर्वरकों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर दी है जिससे सरकारी खजाने के धन की भारी मात्रा की बचत हो रही है। परिणामस्वरूप, उनकी उपज निरंतर बढ़ रही है और सारी भूमि उर्वर होती जा रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उन किसानों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने पर विचार किया है जिन्होंने जैविक कृषि अपना ली है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में सहायता मिलती है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों को इसके प्रयोग और जैविक कृषि के लाभों के बारे में शिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: आपके संक्षिप्त प्रश्न के लिए धन्यवाद।

श्री शरद पवार: महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कुछ प्रोत्साहन तथा कुछ मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। आज, हमारे जैसे देश में मुख्य आवश्यकता यह है कि उत्पादकता में सुधार किस प्रकार लाया जाए। नि:संदेह, जैविक कृषि महत्वपूर्ण है। इसका न केवल भारत में, अपितु भारत के बाहर भी बाजार है और यही कारण है कि हम इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोरंजन भक्त, आपका नाम सूची में है। क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री मनोरंजन भक्त: जी महोदय।

महोदय, संघ राज्य क्षेत्रों, जो कि दूर-दराज स्थित द्वीप हैं, ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाए ताकि किसी समस्या की स्थिति में उन क्षेत्रों में खाद्यान्न का कोई संकट न हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री शरद पवार: आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

किसानों को पुनर्वास पैकेज

***143. श्री रनेन बर्मन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के कृषि संबंधी कष्टों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठा गए हैं;

(ख) उन विभिन्न शीर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत अभी तक पैकेज का क्रियान्वयन किया गया है; और

(ग) उक्त पैकेज से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ क्षेत्र में 6 संकटग्रस्त जिलों के लिए 1 जुलाई, 2006 को तथा आन्ध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (6) और केरल (3) राज्यों को कवर करते हुये संकटग्रस्त 25 अभिज्ञात जिलों के लिये 29 सितम्बर, 2006 को घोषित प्रधानमंत्री का विशेष पुनर्वास पैकेज संबंधित क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभाग, बैंक तथा नाबार्ड शामिल हैं, क्रियान्वित किया गया है। इस पैकेज के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तरीय समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति, जिला स्तरीय समिति, पंचायती राज संस्थाओं के जरिये क्रियान्वयन तथा उचित संस्थागत व्यवस्था का सृजन और स्थानीय स्तर पर सहकारी समिति/समुदाय आधारित विशेष उद्देश्यीय संगठनों का प्रावधान है। भारत सरकार आवधिक रूप से आयोजित समीक्षा बैठकों के जरिये पैकेज के क्रियान्वयन में प्रगति की भी मानीटरिंग कर रही है। जबकि बैंक अपेक्षित ऋण प्रदान करते हैं, गैर-ऋण घटक जैसे अवरोध बांध, पनधारा विकास, सिंचाई परियाजनायें, वर्षा जल भण्डारण संरचना आदि राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान तथा नाबार्ड द्वारा इसके आरआईडीएफ में से राज्य सरकारों को जारी किये गये ऋणों का उपयोग करते हुये क्रियान्वित किये जाते हैं।

(ग) पुनर्वास पैकेज के प्रमुख घटक जो व्यक्तिगत रूप से किसानों से सम्बन्धित हैं, ऋण से जुड़े हुए उपाय हैं। पैकेज के ऋण घटक के मामले में प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित है–

(i) ऋण राहत तथा ब्याज में छूट

राज्य का नाम	पुन: निर्धारित ऋण खातों की संख्या और ब्याज में छूट	अतिदेय ब्याज में छूट (रु. करोड़ में)
आन्ध्र प्रदेश	13,82,852	1978.11
कर्नाटक	2,86,549	706.35
केरल	1,29,158	218.93
महाराष्ट्र	9,29,020	824.98
योग	27,27,579	3728.37

(ii) ऋण प्रवाह

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	लक्ष्य 2006-07	31 मार्च 07 को वितरण	लक्ष्य 2007-08	30.09.2008 को वितरण
आन्ध्र प्रदेश	13,817,78	12,627.23	15032.50	6991.00
कर्नाटक	3076.20	2962.90	3749.41	1149.57*
केरल	1945.07	2324.30	2395.45	477.56*
महाराष्ट्र	2583.39	2012.90	2225.35	1386.65
योग	21,422.44	19,927.42	23402.71	10004.78

*30.6.2007 की स्थिति के अनुसार

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

*147. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि हेतु निर्धारित की गई धनराशि सहित दसवीं योजना अवधि में राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 01.11.2007 को अनुमोदित की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। चूंकि, सरकार द्वारा अनुमोदन नवंबर, 2007 में किया गया है, अत: योजना का कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है। तथापि, 31.03.2007 के अनुसार, योजना की आठ वर्षों की प्रचालन अवधि में लगभग 86,000 करोड़ रू. का निवेश हुआ है। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 3225.06 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के तहत संवितरित कुल सब्सिडी 2044.18 करोड़ रु. थी। योजना आयोग ने अभी तक 11वीं योजना अवधि के लिए कुल योजना आबंटन सूचित नहीं किया है।

विवरण

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की प्रमुख विशेषताएं

(i) स्पिनिंग मशीनरी पर ब्याज प्रतिपूर्ति की दर को घटाकर 4% कर दिया है। इस योजना के तहत आने वाले शेष सभी उप क्षेत्रों को 5% की दर से सहायता जारी रहेगी।

(ii) योजना के तहत विदेशी मुद्रा विनिमय दर के 5% तक के उतार-चढ़ज्ञव को कवर करना जारी रहेगा। तथापि, स्पिनिंग मशीनरी के लिए कवरेज 4% होगा।

(iii) इस योजना में विद्युतकरघा इकाइयों को 100 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 20 लाख रु. की अधिकतम पूंजी सब्सिडी तक टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले अब 15% मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएगी। लाभग्राहियों से न्यूनतम 15% इक्विटी अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) इस योजना में वस्त्र लघु उद्योग और पटसन क्षेत्र को 100 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 15 लाख रु. की अधिकतम पूंजी सब्सिडी तक टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश 15% मार्जिन मनी सब्सिडी अब दिया जाएगा। लाभग्राहियों से न्यूनतम इक्विटी अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) योजना में, विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए 10% पूंजी सब्सिडी जमा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जारी रहेगी।

(vi) योजना में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी, तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीनरी और परिधान मशीनरियों के लिए 10% पूंजी सब्सिडी जमा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vii) इस योजना के तहत करों पर सब्सिडी न देने के निर्णय के मद्देनजर आकलन के लिए कर संघटक को छोड़कर मशीनरी के आधारगत मूल्य पर ब्याज सब्सिडी/पूंजी सब्सिडी/मार्जिन मनी सब्सिडी अब दी जाएगी।

(viii) इस योजना में करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रचालनों, हथकरघा उत्पादन एककों के लिए हथकरघा/हथकरघों के उन्नयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों के वास्ते नई मशीनरी एवं उपस्कर की खरीद पर 25% पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।

(ix) योजना के तहत 8 लाख रु. की लागत वाली और 10 वर्ष पुरानी मशीन एवं न्यूनतम 10 वर्ष की शेष आयु वाले स्वचालित करघों को छोड़कर किसी भी लाभ के लिए आयातित पुरानी मशीनरी की समग्र श्रेणी को अब अपात्र माना गया है।

(x) ऊर्जा बचत उपकरण, निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र, इन हाउस आर एंड डी, ईआरपी सहित सूचना प्रौद्योगिकी, आईएसओ/बीआईएस मानकों की पालना सहित टीक्यूएम, सीपीपी आदि जैसे अन्य निवेश योजना के तहत मशीनरी लागत का अब केवल 25% तक वित्तीय सीमा तक लाभ पाने के पात्र होंगे।

(xi) भूमि, फैक्ट्री भवन, प्रचालन पूर्व व्ययों और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी जैसे निवेश अब वर्तमान 50% अर्थात मशीनरी और उपस्कर की लागत का 50% सीमा वाली अपैरल क्षेत्र और हथकरघा को छोड़कर

योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए अब पात्र नहीं होंगे।

(xii) 01.4.1999 और 31.03.2007 के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों पर उस समय मौजूद मानदंड एवं दिशा निर्देश लागू होंगे।

राज्यों का खाद्यान्न कोटा

*148. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) वाले कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के कोटे में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्न कोटे को बहाल करने तथा अतिरिक्त कोटा देने का भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के आबंटन को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों के मासिक उठान के आधार पर क्रमश: जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि इन्हें अधिक वास्तविक बनाया जा सके और केन्द्रीय पूल में उपलब्धता के अनुरूप बनाया जा सके।

तथापि, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए निर्गम की 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गेहूं और चावल के लिए संशोधन पूर्व और संशोधित आबंटन संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं/चावल के आबंटन को बढ़ाने/बहाल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनके नाम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट स्थिति के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को उनकी पात्रता की शर्त के अध्यधीन बढ़ाकर जून, 2007 में उनके आबंटन का डेढ़ गुणा कर दिया गया है। बढ़ा हुआ आबंटन जुलाई, 2007 से दिया जा रहा है।

केन्द्रीय पूल में उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है। तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का राज्यवार मासिक आवंटन (हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2006 में युक्तिकरण से पूर्व आबंटन	जून, 06 से संशोधित आबंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.806	2.754
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.815	0.786
3.	असम	22.128	18.697
4.	बिहार	201.316	69.947
5.	छत्तीसगढ़	28.755	5.714
6.	दिल्ली	68.178	28.394
7.	गोवा	3.011	0.201
8.	गुजरात	1.0.317	37.457
9.	हरियाणा	79.457	29.083
10.	हिमाचल प्रदेश	13.971	10.858
11.	जम्मू-कश्मीर	18.45	17.136

1	2	3	4
12.	झारखंड	34.272	26.585
13.	कर्नाटक	51.871	8.154
14.	केरल	45.705	19.113
15.	मध्य प्रदेश	244.688	106.497
16.	महाराष्ट्र	392.069	122.658
17.	मणिपुर	1.714	0.606
18.	मेघालय	0.648	0.43
19.	मिजोरम	1.01	0.624
20.	नागालैण्ड	2.727	2.716
21.	उड़ीसा	24.402	7.793
22.	पंजाब	98.156	11.122
23.	राजस्थान	226.34	84.104
24.	सिक्किम	0.5	0.245
25.	तमिलनाडु	10	3.783
26.	त्रिपुरा	3.995	1.337
27.	उत्तराखंड	13.196	7.191
28.	उत्तर प्रदेश	395.1	125.966
29.	पश्चिम बंगाल	174.287	121.514
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.578	0.329
31.	चण्डीगढ़	4.511	0.018
32.	दादरा और नगर हवेली	0.253	0.044
33.	दमन व दीव	0.129	0.012
34.	लक्षद्वीप	0.019	0.019
35.	पांडिचेरी	0.2	0.1
	जोड़	2365.574	871.987

विवरण–II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का राज्यवार मासिक आबंटन (हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 07 में आबंटन	अप्रैल, 07 से संशोधित आबंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	318.287	318.287
2.	असम	7.676	83.043
3.	अरूणाचल प्रदेश	121.71	10.676
4.	बिहार	248.354	157.194
5.	छत्तीसगढ़	124.031	63.766
6.	दिल्ली	29.18	19.864
7.	गोवा	7.628	1.465
8.	गुजरात	125.533	49.734
9.	हरियाणा	30.56	5.810
10.	हिमाचल प्रदेश	22.16	20.930
11.	जम्मू-कश्मीर	45.931	45.931
12.	झारखंड	71.199	59.971
13.	कर्नाटक	210.397	194.541
14.	केरल	160.841	68.755
15.	मध्य प्रदेश	95.254	38.814
16.	महाराष्ट्र	248.676	114.088
17.	मणिपुर	8.474	7.290
18.	मेघालय	5.221	5.221
19.	मिजोरम	7.866	7.866
20.	नागालैण्ड	198.329	146.605

1	2	3	4
21.	उड़ीसा	198.329	146.905
22.	पंजाब	43.393	6.562
23.	राजस्थान	85.518	17.940
24.	सिक्किम	3.426	3.426
25.	तमिलनाडु	475.863	396.151
26.	त्रिपुरा	23.924	17.235
27.	उत्तराखंड	29.47	18.325
28.	उत्तर प्रदेश	521.332	251.707
29.	पश्चिम बंगाल	337.726	116.498
30.	अंडमान और निकोबार	1.927	1.927
31.	चण्डीगढ़	2.172	0.285
32.	दादरा और नगर हवेली	.997	0.889
33.	दमन और दीव	.826	0.188
34.	लक्षद्वीप	.313	0.313
35.	पांडिचेरी	6.926	5.296
	जोड़	3630.629	2266.401

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ाने/बहाल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरूणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू-कश्मीर
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	मिजोरम
15.	नागालैण्ड
16.	उड़ीसा
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	सिक्किम
20.	तमिलनाडु
21.	त्रिपुरा
22.	उत्तराखंड
23.	उत्तर प्रदेश
24.	पश्चिम बंगाल
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
26.	चण्डीगढ़
27.	दादरा और नगर हवेली
28.	लक्षद्वीप

विवरण–IV

सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 तक के महीनों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के तहत राज्यों को गेहूं का अतिरिक्त आवंटन

क्र.सं.	राज्य	सित. 06	अक्तू. 06	नवम्बर 06	दिसम्बर 06	जन. 07-मार्च, 07 प्रतिमाह	अप्रैल-जुलाई, 07 प्रतिमाह	सितम्बर व अक्तूबर 07	नवम्बर व दिसम्बर, 07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1377
2.	अरूणाचल प्रदेश	300	300	300	300	300	300	शून्य	265
3.	असम	4000	4000	3000	3000	3000	3000	शून्य	9349
4.	बिहार	4000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	517
5.	छत्तीसगढ़	3000	3000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1552
6.	दिल्ली	8000	8000	10000	10000	10000	5000	4000	12231
7.	गोवा	500	500	500	500	500	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3201
9.	हरियाणा	2500	2500	15000	1500	1500	1500	1500	3711
10.	हिमाचल	3500	3500	3500	3500	6500	6500	6500	3374
11.	जम्मू-कश्मीर	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5597
12.	झारखंड	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	688
13.	कर्नाटक	4000	5000	5000	5000	5000	5000	शून्य	1934
14.	केरल	5000	6000	8000	8000	8000	8000	5000	5889
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2370
16.	महाराष्ट्र	5000	6000	10000	10000	10000	10000	10000	2577
17.	मणिपुर	300	300	300	300	300	300	शून्य	250
18.	मेघालय	300	300	300	300	300	300	शून्य	215
19.	मिजोरम	300	300	300	300	300	300	शून्य	312
20.	नागालैण्ड	300	300	300	300	300	300	शून्य	937
21.	उड़ीसा	4000	5000	4000	4000	4000	4000	2000	3897
22.	पंजाब	2500	2500	2500	2000	12000	3000	3000	653
23.	राजस्थान	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4000	8480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिक्किम	300	300	300	300	300	300	शून्य	123
25.	तमिलनाडु	4000	5000	5000	5000	6250	6250	5000	1892
26.	त्रिपुरा	800	800	800	800	800	800	शून्य	669
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4000	726
28.	उत्तराखंड	5000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	783
29.	पश्चिम बंगाल	10000	5000	5000	5000	5000	5000	शून्य	24520
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	100	100	300	300	300	300	124
31.	दादरा और नगर हवेली	50	50	50	50	50	50	50	शून्य
32.	पांडिचेरी	100	150	150	150	150	150	150	8
33.	चंडीगढ़	50	50	50	50	50	50	50	शून्य
34.	लक्षद्वीप	50	शून्य	शून्य	50	50	50	50	शून्य
35.	दमन और दीव	50	50	50	50	50	50	50	50
	जोड़	100000	100000	100000	99750	119000	100000	73150	98771

[हिन्दी]

सी.डी.एम.ए. मोबाइल सेवा

***150. श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का विचार देश में सी.डी.एम.ए. मोबाइल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कंपनी को आवंटित स्पेक्ट्रम मौजूदा मानकों के अनुसार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) बीएसएनएल ने हाल ही में 21 सेवा क्षेत्रों में मौजूदा सीएमटीएस लाइसेंसों के अंतर्गत जीएसएम प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त सीडीएम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पूर्णत: मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। भारतीय सेल्युलर प्रचालक एसोसिएशन (सीओएआई) और कुछ जीएसएम प्रचालकों ने, अन्य बातों के साथ-साथ "लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने और अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या तय करने" संबंधी ट्राई की दिनांक 28.08.07 की सिफारिशों के संदर्भ में दोहरी प्रौद्योगिकी वाले स्पेक्ट्रम के प्रयोग के संबंध में सरकार के निर्णय को दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग के मौजूदा मानदंडों के अनुसार बीएसएनएल के प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सर्किल के लिए बुनियादी सेवा लाइसेंस के अंतर्गत फिक्स्ड और सीमित मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक 1.25 मेगाहर्ट्ज के दो सीडीएमए वाहक आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

खरीफ फसल का उत्पादन

***151. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चालू खरीफ की फसल के उत्पादन का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी;) द्वारा खरीफ की फसल के उत्पादन हेतु किए गए पूर्वानुमान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू खरीफ की फसल के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की क्षतियों के कारण खरीफ की खड़ी फसल के उत्पादन में हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा क्षेत्र तथा उत्पादन के अग्रिम तथा अन्तिम अनुमानों को समयावार निकाला जा रहा है। इन अनुमानों का समेकन राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, फसल मौसम निगरानी ग्रुप बैठकों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र तथा अन्य सम्बद्ध सूचना से प्राप्त निवेशों के आधार पर किया जाता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 19 सितम्बर 2007 को जारी खरीफ 2007 के प्रमुख फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान नीचे दिए गए हैं।

(मिलियन टन)

चावल	मोटे अनाज	कुल दालें	कुल खाद्यान्न	कुल नौ तिलहन	कपास*	पटसन तथा मेस्ता**	गन्ना
80.15	26.58	5.51	112.24	16.13	229.43	113.03	345.62

*170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें
**180 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें

(ग) भारतीय मौसम विभाग सभी खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए कोई पूर्वानुमान नहीं करता। तथापि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केवल कुछेक मौसम विज्ञान ग्रुप प्रभागों का एग्रोमेट माडलिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करके खरीफ चावल की पैदावार का अनुमान निकालता है।

(घ) मानसून 2007 के दौरान बाढ़ आदि स्थिति के कारण अनेक राज्यों में जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (गृह मंत्रालय) द्वारा मूल्यांकन किया गया है, फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जो निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

खरीफ 2007 के दौरान प्रभावित फसल क्षेत्र-

राज्य	प्रभावित फसल कटाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2
आंध्र प्रदेश	1,74,000
अरूणाचल प्रदेश	एन.आर.
असम	6,70,957
बिहार	16,62,000
छत्तीसगढ़	2,560
गोवा	नकारात्मक
गुजरात	4,68,342
हरियाणा	शून्य
हिमाचल प्रदेश	1,12,982
झारखंड	962
जम्मू-कश्मीर	शून्य
कर्नाटक	2,37,480
केरल	36,823
मध्य प्रदेश	4239
मणिपुर	–
मिजोरम	शून्य
नागालैंड	शून्य
महाराष्ट्र	एन.आर.
मेघालय	90
उड़ीसा	1,84,147

1	2
पंजाब	28,134
राजस्थान	नकारात्मक
सिक्किम	–
त्रिपुरा	शून्य
तमिलनाडु	शून्य
उत्तर प्रदेश	1,62,566
उत्तराखंड	एन.आर.
पश्चिम बंगाल	25,55,006
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
चंडीगढ़	–
दमन और दीव	शून्य
दादरा और नगर हेवली	शून्य
दिल्ली	–
लक्षद्वीप	शून्य
पांडिचेरी	2,15,000
कुल	64,15,288

स्रोत – आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय (वेबसाइट, दिनांक 15.10.2007)

तथापि, खरीफ 2007 के दौरान अनाजों, तिलहनों, कपास, पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन खरीफ 2006 मौसम के दौरान से अधिक रहना अनुमानित हैं, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अनाज	दालें	तिलहन	गन्ना	कपास*	पटसन तथा मेस्टा**
2007 (पहले अग्रिम अनुमान)	106.73	5.51	16.13	345.62	229.43	113.03
2006 (चौथे अग्रिम अनुमान)	105.78	4.74	13.94	345.31	226.96	112.57

अनाज, दालें, तिलहन तथा गन्ना मिलियन टन में
* 170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें
** 180 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें

[हिन्दी]

भारत-रूस रक्षा सौदा

***152. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की हाल की रूस यात्रा के दौरान युद्धक उपकरणों और हथियारों के मामले में सहयोग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): युद्धक उपस्करों तथा हथियारों की आपूर्ति के प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 17-18 अक्टूबर, 2007 को मास्को में आयोजित सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग (आईआरआईजी सी-एमटीसी) की सातवीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चल रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की तथा रक्षा उपस्करों की आपूर्ति, सहविकास तथा उत्पादन सहित रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में पारस्परिक हित के विभिन्न मसलों पर चर्चा की। बैठक की समाप्ति पर निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(i) भावी बहु-कार्यात्मक लड़ाकू वायुयानों के विकास और उत्पादन में सहयोग के लिए अंतर-सरकारी करार।

(ii) सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की सातवीं बैठक का प्रोटोकाल।

इसके पश्चात् प्रधानमंत्री ने 11-12 नवम्बर, 2007 को रूस का दौरा किया तथा आपसी हित के कई मामलों पर चर्चा हुई। बहुभूमिका वाले परिवहन वायुयान के विकास और उत्पादन में सहयोग के लिए रूस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

[अनुवाद]

अवमृदा जल

*153. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैदानिक अध्ययन में इस बात का पता चला है कि एक्वीफर्स में मौजूदा जल की तुलना में अवमृदा जल की गुणवत्ता बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त के मद्देनजर सरकार का विचार अवमृदा जल के उपयोग को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अवमृदा और जलभृत्त के जल की गुणवत्ता अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में अवमृदा जल की गुणवत्ता बेहतर हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में जलभृत्त के जल की गुणवत्ता है। सरकार, जल की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर जल संसाधनों के एकीकृत उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. की खराब मोबाइल सेवा

*154. **योगी आदित्यनाथ:***
श्री उदय सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा अपने उपभोक्ताओं को नियमित और बढ़िया मोबाइल सेवा प्रदान करने में विफल रहने के संबंध में कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों से लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपनी सेवाओं का उन्नयन करने में विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाओं में सुधार करने और इनका उन्नयन करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और यह सामान्यतया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है। तथापि, संकुलन, कवरेज, इंटरनेट अभिगम, बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) फेल हो जाने आदि के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) बीएसएनएल कवरेज, क्षमता और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में वृद्धि करने हेतु उत्तरोत्तर रूप से अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क का निरंतर संवर्द्धन कर रहा है और इसका वर्ष 2007-08 में 88.5 लाख कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के प्रयास किए जाते हैं। बीएसएनएल अपने नेटवर्क के कार्य निष्पाद हेतु अपने नेटवर्क को निरंतर इष्टतम बना रहा है और ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की मानीटरिंग को भी सुदृढ़ किया गया है।

इस समय, बीएसएनएल जीपीआरएस (जनरल पैकेट रेडियो सेवा), ईडीजीई (जीएसएम विकास हेतु संवर्द्धित डाटा दर) सेवाएं अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान कर रहा है। स्पेक्ट्रम प्रदान किए जाने पर, अगले वर्ष से 3जी मोबाइल सेवाओं को शुरू कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई परियोजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा सहायता

*155. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों में प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सहायता को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) कई राज्य सरकारों ने सिंचाई स्कीमों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहायता मांगी है। नाबार्ड ने 31 मार्च, 2007 तक ग्रामीण अवसंरचना निधि (रिड्फ) के तहत विभिन्न राज्यों की 1,18,908 सिंचाई स्कीमों के संबंध में 20,379.61 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। राज्यवार ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

रिड्फ के तहत राज्य सरकारों को ऋण प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक परियोजनाओं की निर्धारित औपचारिकताओं तथा कार्यान्वयन में प्रगति को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेने के पश्चात जारी किया जाता है। सिंचाई क्षेत्र के लिए रिड्फ ऋण की स्वीकृति के समय चरणबद्ध अनुमोदन के अनुसार सभी स्वीकृत परियोजनाओं को 3 वर्षों की अवधि में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	सिंचाई	
		स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3292	2538.07
2.	असम	43	191.98
3.	बिहार	7976	504.90
4.	छत्तीसगढ़	403	787.12
5.	गोवा	33	21.03
6.	गुजरात	24301	3459.76
7.	हरियाणा	268	511.74
8.	हिमाचल प्रदेश	1174	337.76
9.	जम्मू-कश्मीर	288	197.77
10.	झारखण्ड	1175	340.00
11.	कर्नाटक	1677	801.07
12.	केरल	934	267.97
13.	मध्य प्रदेश	701	2808.08
14.	महाराष्ट्र	574	1416.34
15.	मणिपुर	225	15.27
16.	मेघालय	26	21.28
17.	मिजोरम	79	19.98
18.	नागालैंड	58	18.43
19.	उड़ीसा	43136	1216.52
20.	पंजाब	120	230.14
21.	राजस्थान	2397	1279.45
22.	सिक्किम	200	3.93
23.	तमिलनाडु	767	711.15
24.	त्रिपुरा	134	48.00
25.	उत्तर प्रदेश	15950	1944.91
26.	उत्तरांचल	279	159.11
27.	पश्चिम बंगाल	13598	531.12
	कुल	118908	20379.61

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

***156. प्रो. रासा सिंह रावत:**
श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर वर्तमान ब्याज दर क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान श्रम संगठनों ने इसमें कितनी वृद्धि की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ई.पी.एफ. ब्याज दर में बढ़ोत्तरी नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई राज्यों में ई.पी.एफ. की बड़ी अप्रयुक्त राशि पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2006-07 में ई.पी.एफ. की ब्याज दर में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2006-07 के लिए घोषित ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सरकार द्वारा घोषित ब्याज की तुलना में उच्च ब्याज दर की मांग रही है।

(ख) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से ब्याज की दर घोषित की जाती है। ब्याज की दर निर्धारित करते समय, केन्द्र सरकार स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगी कि "सदस्यों के खातों में जमा किए गए तत्संबंधी ब्याज को डेबिट किए जाने के परिणामस्वरूप ब्याज उचंत खाता से कोई अधिक आहरण नहीं किया गया है।"

(ग) और (घ) आय और व्यय सहित कर्मचारी भविष्य निधि के खाते उस रूप में रखे जाते हैं जैसाकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सभी राशियों की निर्धारित रूप में गणना की जाती है और सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार निवेश की जाती हैं और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि में 'अप्रयुक्त राशि' के रूप में कोई राशि नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गेहूँ तथा चावल की खरीद में कमी

***157. श्रीमती सी.एस. सुजाता:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा चावल तथा गेहूँ की खरीद में इस वर्ष काफी कमी आई है.

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं.

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देश में चावल तथा गेहूँ की खरीद कर रही हैं.

(घ) यदि हाँ, तो क्या इन कंपनियों द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रतिबंध है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या सरकार का भविष्य में ऐसे कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी एजेंसियों (राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम) द्वारा की गई चावल की खरीदारी में मामूली गिरावट हुई थी (यह खरीदारी 250.75 लाख टन हुई थी जबकि खरीफ विपणन मौसम 2005-06 में 276.56 लाख टन हुई थी)। तथापि, गेहूं की खरीदारी रबी विपणन मौसम 2006-07 के 92.25 लाख टन से बढ़कर रबी विपणन मौसम 2007-08 में 111.228 लाख टन हो गई है। खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में चावल की खरीदारी खरीफ विपणन मौसम 2005-06 की तुलना में कम हुई थी, ऐसा मुख्यतया फसल विविधीकरण और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मंडियों में धान की कम आमद हुई थी।

(ग) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित प्राइवेट पार्टियों, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, को अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होते हैं। भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जाने वाली खरीदारी की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं' (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। इस आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50,000 टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिटर्न भेजेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखी गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

डाक प्रौद्योगिकी में उन्नयन

***158. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में डाक विभाग के फैले भारी नेटवर्क का अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में डाक विभाग के परिचालन को सुचारू बनाने की आवश्यकता की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए डाक नेटवर्क के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु धनराशि का निवेश करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां। डाक विभाग अपने नेटवर्क का इष्टतम उपयोग करने के लिए अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से डाक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) प्रमुख रूप से ये सेवाएं निम्नानुसार हैं:

(i) विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बिजनेस कोरेसपोंडेंट की स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की है।

(ii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्वसहायता समूहों के लिए प्रायोगिक आधार पर माइक्रो क्रेडिट के संवितरण की भी शुरुआत की है।

(iii) विभाग ने रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा शुरु की है।

(iv) विभाग ग्राहकों को दूरसंचार कंपनियों एवं अन्य उपयोगिता सेवा प्रदाताओं के विभिन्न बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रहा है।

(v) विभाग यूटीआई, भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकलिन टेंपलटन, रिलाइंस म्यूच्युअल फंड्स आदि वित्तीय संस्थाओं की तरफ से वित्तीय लिखतें यथा म्यूच्युअल फंड आदि का वितरण कर रहा है। विभाग ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. की तरफ से गैर-जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण कर रहा है।

(vi) विभाग अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवा के माध्यम से 205 देशों से भेजे गए धन को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(vii) कुछ राज्यों के डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लाभार्थियों को मजदूरी का संवितरण कर रहा है।

(viii) कुछ राज्यों में डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) डाक विभाग ने मेल व्यवसाय उत्पादों को सुदृढ़ बना कर तथा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नई सेवाएं शुरू कर व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय, मेल व्यवसाय केंद्रों, ग्रामीण व्यवसाय डेस्क, ग्लोबल व्यवसाय डिवीजन एवं लॉजिस्टिक पोस्ट केंद्रों की स्थापना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। विभाग डाक सेवाओं के उन्नयन के लिए डाक प्रचालनों में निरंतर प्रौद्योगिकी को शामिल कर रहा है। 10वीं योजना के अंतर्गत 8263 डाकघरों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। 11वीं योजना के अंतर्गत शेष 17,598 विभागीय डाकघरों एवं 64,000 शाखा डाकघरों का कंप्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। 10वीं योजना के दौरान डाकघरों के कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के लिए करीब 559 करोड़ रु. का व्यय किया गया। 11वीं योजना के अंतर्गत डाकघरों के कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के लिए लगभग 2100 करोड़ रु. के निवेश किए जाने का अनुमान है।

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण

*159. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ) अपील अधिकरणों की अपर्याप्त संख्या के कारण मामलों की निपटान दर काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो निपटान हेतु क्षेत्रीय ई.पी.एफ अपील अधिकरण को भेजे गए मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ई.पी.एफ. अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठें भी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

(ग) और (घ) अतिरिक्त पीठों की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उपभोक्ताओं की जांच

*160. **श्री अनन्त नायक:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल सेवा प्रदाता नए उपभोक्ता का नामांकन करते समय आवश्यक उपभोक्ता जांच प्रक्रिया का सामान्यत: पालन नहीं कर रहे हैं.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्यकरण की जांच के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है.

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सेवा प्रदाताओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया है कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा समुचित सत्यापन किए बिना कुछ उपभोक्ताओं का नामांकन किया गया है।

(ख) से (ङ) लाइसेंस शर्तों के रूप में विस्तृत अनुदेश सम्मिलित किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक ग्राहक का उपभोक्ता के रूप में नामांकन करने से पूर्व उसका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। इसमें उपभोक्ता की पहचान तथा पते के प्रमाण हेतु उसका फोटो तथा निर्धारित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना शामिल है।

दूरसंचार विभाग के सतर्कता दूरसंचार मीनीटरिंग (वीटीएम) प्रकोष्ठों द्वारा अप्रैल 2006 में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और हैदराबाद में एक विशेष अभियान चलाया गया था ताकि इस बात की जांच की जा सके कि सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के सत्यापन से संबंधित अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं। विशेष अभियान के अवलोकन के आधार पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश जारी किए गए थे कि जो कनेक्शन समुचित सत्यापन किए बिना प्रदान किए गए हैं उन कनेक्शनों को काट दिया जाए।

दिनांक 22.11.2006 के अनुदेशों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा मार्च 2007 तक अपने मौजूदा उपभोक्ता आधार का पुन: सत्यापन किया जाना अपेक्षित था और 31.03.2007 के बाद लाइसेंसधारक के नेटवर्क में उपभोक्ता से संबंधित जानकारी का विधिवत् सत्यापन किए बिना कनेक्शन को कार्यरत नहीं रहना चाहिए। मोबाइल प्रचालकों द्वारा किए गए उपभोक्ता सत्यापन की स्थिति की संपरीक्षा करने के लिए अप्रैल और मई 2007 में नमूना आधार पर विशेष अभियान चलाए गए थे। उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की संपरीक्षा किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

सरकारी उपक्रमों सहित लगभग सभी अभिगम सेवा प्रदाता उपभोक्ता सत्यापन प्रक्रिया का पूरी तरह अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं।

इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा अपने सतर्कता दूरसंचार मानीटरिंग (वीटीएम) प्रकोष्ठों के माध्यम से, सभी सेवा क्षेत्रों में नेमी जांच कार्य किया जाता है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर जहां कहीं भी विसंगतियां/कमियां पाई गई, विगत छह महीनों में संबंधित सेवा प्रदाताओं को, उन पर दंड अधिरोपित करने के लिए, जो कि विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद लगाया जाना होता है, 133 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की प्रगति

*1177. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की तुलना में देश की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिक प्रगति कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) नैसकॉम (राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कम्पनी संघ) के अनुसार, वर्ष 2006 में विश्वव्यापी प्रौद्योगिकी तथा संबंधित सेवाओं पर व्यय में वर्ष 2005 की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, वर्ष 2006-07 में भारतीय सूचना प्रौद्यागिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र के राजस्व (जिसमें देशीय और निर्यात खण्ड शामिल है) में वर्ष 2005-06 की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का निर्यात

*1178. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में प्रत्येक राज्य का राज्यवार कितना योगदान रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के विकास हेतु समुचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण तथा सहायता भी प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) हथकरघा तथा हस्तशिल्प के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सांख्यिकीय आंकड़े केवल अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प तथा हाथ के बुने कालीनों के कुल निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है-

वर्ष	निर्यात का मूल्य
2004-05	18567.76 करोड़ रुपये
2005-06	19267.65 करोड़ रुपये
2006-07	20963.00 करोड़ रुपये

हथकरघा उत्पादों हेतु अलग आईटीसी (एचएस) कोडों के अभाव में अप्रैल, 2003 के बाद हथकरघा उत्पादों के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हस्तशिल्प कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास स्कीम में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्प के विकास हेतु अन्य स्कीमों में शिल्प समूह के एकीकृत विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीआई), विपणन एवं समर्थन सेवाएं; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास तथा कल्याण स्कीम शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न हथकरघा एजेंसियों के बुनकरों के समुचित प्रशिक्षण आदि के जरिए डिजाइन अभिनवीनता एवं उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास हेतु ग्यारहवीं योजना में विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम नामक एक स्कीम प्रचालनरत है।

(ङ) निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि के लिए ग्यारहवीं योजना में विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हस्तशिल्प हेतु धनराशि को अंतिम रूप अभी दिया जाना है।

वस्त्र कामगार राहत कोष योजना

*1179. **डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र कामगार राहत कोष योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) के अंतर्गत देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में बंद पड़ी मिलों के मजदूरों को दी गई राहत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार राहत की कितनी धनराशि मंजूर की गई और उसमें से इन मजदूरों को वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(ग) उक्त राहत प्राप्त करने हेतु योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली ऐसी मिलों के राज्यवार क्या नाम हैं और वे कहां स्थित हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) गत तीन वर्षों में वस्त्र कामगार राहत निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में बंद पड़ी वस्त्र मिलों के वस्त्र कामगारों को दी गई राहत का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
	कामगारों की संख्या जिन्हें भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	कामगारों की संख्या जिन्हें भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	कामगारों की संख्या जिन्हें भुगतान की किया	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	46	14.52	1823	410.50	1043	423.11
मध्य प्रदेश	3233	779.86	1336	363.47	1665	790.00

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1	0.06	1	.39	0	0
कर्नाटक	18	5.41	65	25.61	530	191.89
प. बंगाल	0	0	0	0	95	20.00
कुल	3298	799.85	3225	799.97	3333	1425.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राहत और वास्तविक रूप से वितरित राहत राशि नीचे दी गई है। राज्य-वार संवितरण उपरोक्त (क) में दिया गया है।

(लाख रु. में)

वर्ष	सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	कामगारों को संवितरित राशि
2004-05	800.00	799.85
2005-06	800.00	799.97
2006-07	1425.00	1425.00

(ग) गुजरात राज्य में दो मिल नामत: मै. नवज्योत टेक्साइल्स मिल्स लि., काड़ी मेहसाना जिला और मै. महेश्वरी मिल्स लि. अहमदाबाद पात्रता संबंधी मानदंड को पूरा कर रहे हैं। तथापि, वास्तविक राहत राशि का भुगतान करने के लिए पात्र कामगारों/व्यक्तिगत दावा संबंधी आवेदन-पत्र के ब्यौरे अभी प्राप्त किये जाने हैं।

[अनुवाद]

भैंसों की प्रजाति में सुधार

1180. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने मुर्रा भैंसों की प्रजाति में सुधार हेतु कोई समेकित मुर्रा विकास परियोजना अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने और उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां। हरियाणा द्वारा प्रस्तुत "आधुनिक जैव - तकनीकी का उपयोग करके एकीकृत मुर्राह जर्मप्लाज्म विकास परियोजना" नामक प्रस्ताव को राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के चरण-2 के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) एनपीसीबीबी के चरण-2 की शुरूआत दिसम्बर, 2006 से की गई है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त योजना के तहत प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित सभी क्रियाकलापों को समेकित करके बृहद संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

मृदा, बीजों और फसलों के लिए अवसंरचना

1181. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृदा, बीजों और फसलों के पोषण और संरक्षण हेतु अपेक्षित बीज उपचार फार्मिंग इम्प्लीमेन्ट्स, कीटनाशकों एवं उर्वरक इत्यादि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की मांग और आपूर्ति संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत सरकार का उद्देश्य 100% बीज उपचार प्राप्त करना है। फार्मिंग उपकरणों के क्षेत्र में कोई कमी सूचित नहीं की गई है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान कीटनाशकों की मांग 43,718 मीट्रिक टन थी। वर्ष 2007-08 के रबी मौसम के लिए उर्वरकों नामत: यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) और म्यूरियेट आफ पोटाश

(एम.ओ.पी.) की आवश्यकता क्रमशः 14.00 मिलियन टन, 4.91 मिलियन टन एवं 1.96 मिलियन टन आंकी गई है।

(ख) 100% बीज उपचार के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर किसानों को राजसहायता प्राप्त कृषि उपकरण मुहैया करवाए जाते हैं। कीटनाशकों की कमी से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त उर्वरकों की आपूर्ति योजना उर्वरक विभाग द्वारा तैयार की गई है।

[अनुवाद]

समेकित वस्त्र पार्क

1182. श्रीमती जयावहन बी. ठक्करः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो विद्यमान योजनाओं अर्थात स्कीम फॉर अपेरल पार्क ऑफ एक्सपोर्ट स्कीम और टैक्सटाइल सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का विलय करके एक नई समेकित वस्त्र पार्क योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई योजना से केवल गारमेन्ट्स/टैक्सटाइल विनिर्माण समूहों अथवा उनके अधीन कतिपय कंपनियों को ही लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों को इस योजना के लाभों से वंचित रखने जाने के कारण हैं;

(घ) क्या यह योजना तैयार करते समय पुरानी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। इसे 2005 में कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। यह योजना वस्त्र एकक स्थापित करने के लिए इच्छुक किसी भी उद्योग संघ/उद्यमी समूह के लिए उपलब्ध है।

(ग) सरकारी संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) प्रत्येक वस्त्र पार्क परियोजना के लिए गठित विशेष उद्देश्य तंत्र की कुल इक्विटी के 49% की सीमा तक इक्विटी में भागीदारी कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस) और वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के तहत स्वीकृत परियोजनाएं, जिनका कार्य 31.07.2005 से पहले शुरू कर दिया गया था, संबंधित योजना के तहत सरकारी सहायता के लिए पात्र रहेगी। तथापि, ईपीईएस और टीसीआईडीएस के विलय के बाद इन योजनाओं के तहत कोई नए प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये योजनाएं अब चालू नहीं हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में पशुपालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना

1183. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने रास्थान जैसे मरूस्थलीय और अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों के मद्देनजर पशुपालन और कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन): (क) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग राजस्थान जैसे क्षेत्रों सहित देश में पशुपालन और कुक्कुट को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। तथापि, ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से कोई योजना/कार्यक्रम नहीं है।

(ख) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के किसान

1184. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात के किसानों को पैकेज देने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश जिसमें गुजरात शामिल है, में समान रूप से लागू होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, विपणन मूल्यों के उनके स्तर से नीचे गिरने के अवसर पर किसानों को उनके उत्पाद के लिए न्यूनतम गारन्टी मूल्य के रूप में होता है। जब विपणन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने को होते हैं, नामित एजेन्सियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदती हैं। यदि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिलता है तो किसान उन मूल्यों पर बेचने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

[अनुवाद]

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पशुधन बीमा योजना

1185. डा. के.एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के और 100 जिलों में विद्यमान पशुधन बीमा योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पर उक्त योजना लागू की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों में नकली दवाइयां

1186. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर स्थित सतपुड़ा अस्पताल में नकली और घटिया दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी नहीं। औषधियों की आपूर्ति मुख्यत: सशस्त्र मेडिकल सप्लाई (एएफएमएस) डिपो, मुम्बई के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। केवल ऐसी औषधियां, जो विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हों और एएफएमएस डिपो के माध्यम से उपलब्ध नहीं करवाई गई हों, प्राधिकृत औषध भंडारों से खरीदी जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) घटियां औषधि की आपूर्ति का ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, एक मामले में दवा लिखने वाले विशेषज्ञ द्वारा औषधि के विशुद्ध होने के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। इस फैक्टरी के महाप्रबंधक द्वारा सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच बोर्ड बिठाया गया हैं। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पैम-रोधी कानून

1187. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगभग 80 प्रतिशत मेल स्पैम होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इंटरनेट प्रयोक्ताओं को इंटरनेट न्यूसेंस से छुटकारा दिलाने के लिए कोई नया कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सुरक्षा उत्पादों में लेन-देन करने वाले एक अग्रणी अंतराष्ट्रीय उद्योग द्वारा इन्टरनेट सुरक्षा पर किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 76% स्पैम होता है। किन्तु, भारत में होने वाला स्पैम शीर्ष 25 स्पैम तैयार करने वाले देशों में होने वाले समस्त स्पैम का 1% है।

(ख) और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और 66 में देश में स्पैम और अवांछित ई-मेल को रोकने के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रधान अधिनियम में स्पैम सहित साइबर अपराधों से संबंधित कानूनी ढांचे और प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में 15 दिसम्बर, 2006 को पेश किया गया।

बोनस की सीमा में वृद्धि

1188. श्री एल. राजगोपाल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक कामगारों के लिए बोनस की सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्यवार और कितने कामगारों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) बोनस भुगतान करने हेतु पात्रता सीमा बढ़ाकर वेतन अथवा मजदूरी को 3500 रुपये से 10000 रुपये प्रतिमाह और गणना की उच्चतम सीमा 2500 रुपये से 3500 रुपये प्रतिमाह करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 2007 को बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 प्रख्यापित किया गया है।

(ग) चूंकि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 प्रत्येक उस कारखाने एवं प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें उस लेखा वर्ष के दौरान किसी दिन 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है, ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

उर्वरकों का समुचित उपयोग

1189. श्री सुव्रत बोस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों की ज्यादा मात्रा का उपयोग करने वाले राज्य कृषि में ऐसे राज्यों से पीछे हैं, जो उर्वरकों का समुचित उपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों के उर्वरकों के समुचित उपयोग के संबंध में शिक्षित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उत्पादकता आदानों की संख्या जिसमें उर्वरक भी शामिल है, पर निर्भर करती है। तथापि, यह देखा गया है कि उर्वरकों की उच्चतर मात्रा का प्रयोग करने वाले राज्यों की उत्पादकता बेहतर है।

(ख) से (घ) किसानों को उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए सरकार पोषक तत्वों का जैव उर्वरकों के कार्बनिक स्रोतों के साथ उर्वरकों के मृदा परीक्षण पर आधारित संतुलित उपयोग की सलाह देते हुए समेकित पोषक तत्व प्रबन्धन (आई.एन.एम.) को बढ़ावा दे रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) भी मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण देने, कार्यशाला आयोजित करने एवं खेत प्रदर्शन करने संबंधी कार्य, इत्यादि कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

1190. श्री तथागत सत्पथी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश में नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित करने का एक प्रस्ताव योजना आयोग के "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए विचाराधीन है। योजना आयोग द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिए जाने पर प्रस्तावित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थापना-स्थल के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

मौलिक सिद्धांतों और काम का अधिकार संबंधी घोषणा

1191. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में "मौलिक सिद्धांतों और काम का अधिकार" संबंधी घोषणा को अंगीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) मौलिक सिद्धांतों और काम के अधिकार संबंधी घोषणा को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1998 में अंगीकृत किया।

(ख) घोषणा के तहत, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के किसी भी सदस्य राज्य का संगठन की सदस्यता के नाते स्वतंत्रता संघ संबंधी मौलिक परिपाटी के अंतर्गत मौलिक सिद्धांतों का संवर्द्धन करने, सम्मान देने एवं उसे मानने तथा समूहिक सौदेबाजी की प्रभावी मान्यता के अधिकार; समस्त प्रकार के जबरन अथवा अनिवार्य श्रम के उन्मूलन; बाल श्रम के प्रभावशाली उन्मूलन तथा रोजगार एवं व्यवसाय के संबंध में भेदभाव समाप्त करने का दायित्व है चाहे सदस्य राज्य द्वारा इनमें से एक अथवा अधिक परिपाटियों को समर्थन न दिया गया हो। संघ सरकार घोषणा में निहित भावना को मानती है जोकि देश में विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से परिलक्षित होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन वैश्विक रिपोर्टें भारत में प्रतिवर्ष सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।

[हिन्दी]

सैन्य अस्पतालों को आपस में जोड़ना

1192. श्री सुभाष महरिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी सैन्य अस्पतालों को आपस में जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है ताकि जरूरतमंद सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अस्पतालों में आम आदमी को भी विशेषज्ञों द्वारा उपचार की सुविधा प्राप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से कार्यान्वित चरण-I निम्नलिखित सैन्य अस्पतालों को सेना अस्पताल (अनुसंधान एवं परामर्श), दिल्ली छावनी के साथ जोड़ दिया गया है:

(i) कमान अस्पताल, उत्तरी कमान, उधमपुर।

(ii) 92 बेस अस्पताल, श्रीनगर।

(iii) 153 सामान्य अस्पताल, श्रीनगर।

(iv) 2121 फील्ड अस्पताल, कारगिल।

(v) 403 फील्ड अस्पताल, पर्तापुर।

(vi) आईएनएचएस, धनवन्तरी पोर्ट ब्लेयर (नौसेना)।

सैन्य अस्पतालों को जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) सैन्य अस्पतालों में सुविधाएं सैन्य कार्मिकों और अन्यों को निर्धारित अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

विश्व सैन्य खेल

1193. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद मे संपन्न हुए विश्व सैन्य खेलों में खेलों के शैकीन लोगों को सुरक्षा कारणों से प्रवेश नहीं करने दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक सुरक्षा उपायों के कारण इन खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को बाहर घूमने-फिरने और शापिंग के लिए नहीं जाने दिया गया था; और

(घ) क्या इन खेलों के दौरान की गई अत्यधिक सुरक्षा के कारण इनका प्रचार नहीं हो पाया था?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) 25 सितम्बर, 2007 को हैदराबाद में हुए बम धमाकों के मद्देनजर हैदाराबाद में आयोजित चौथे विश्व सैन्य खेलों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

(ग) चौथे विश्व सैन्य खेल आयोजन समिति द्वारा इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और एथलीटों के बाहर घूमने-फिरने और शॉपिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों सहित केन्द्रीयकृत रूप से व्यवस्था की गई थी।

(घ) इन खेलों के लिए प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पर्याप्त प्रचार किया गया था।

[हिन्दी]

कृषि लागत

1194. श्री संतोष गंगवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि सामग्रियों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसका किसानों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इसके परिणामत: किसानों की कृषि क्षेत्र में रूचि घट रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि निवेशों हेतु थोक मूल्यों का सूचकांक (आधार 1993-94=100) निम्न प्रकार है:

वर्ष	वार्षिक औसत (जुलाई-जून)									
	उर्वरक	विद्युत (सिंचाई)	कीटनाशक	गैर-विद्युत मशीनरी	ट्रेक्टर	लूब्रीकेंट	डीजल तेल (एच.एस. डी.ओ.)	डीजल तेल (एल.डी.ओ.)	चारा	पशुचारा
2003-04	169.2	270.0	130.0	164.0	162.8	171.9	307.4	298.2	196.1	188.6
2004-05	172.0	274.8	133.3	180.3	169.2	189.9	377.3	386.3	168.1	177.8
2005-06	175.1	300.8	150.2	189.6	179.4	203.2	446.8	464.0	198.8	176.1

स्रोत - आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

निवेश लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है जोकि बहुत से महत्त्वपूर्ण तथ्यों के साथ-साथ जिनमें उत्पादन की लागत, निवेश मूल्यों में बदलाव निवेश/उत्पादन मूल्य समानता, घरेलू तथा वैश्विक बाज़ार ताकतों में प्रवृत्तियों, अन्तर फसल मूल्य समानता, औद्योगिक मूल्य लागत ढाँचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, किसानों द्वारा भुगतान की गई कीमतों तथा प्राप्त की गई कीमतों पर आधारित होते हैं।

सरकार इनको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर निर्णय करती है। (i) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रकाश में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनानें के लिए तथा एक व्यापक उत्पादन पैटर्न विकसित करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता (ii) भूमि जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों के उचित मात्रा में उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता (iii) मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव, तथा (iv) कृषि क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के मध्य व्यापार की शर्तें।

सरकार ने कृषि वृद्धि तथा कृषि में निवेश पर प्राप्ति में सुधार हेतु बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं बुवाई, मौसम से पहले न्यूनतम, समर्थन मूल्यों की घोषणा, ऋण की आसान उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं, फसल विविधता, विपणन ढांचा तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से विभिन्न कृषि जिन्सों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार हेतु उपाय।

[अनुवाद]

प्रमाणीकृत बीजों व उर्वरकों की उपलब्धता

1195. श्री मिलिन्द देवरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौधरी चरण सिंह (सीसीएस) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि प्रमाणीकृत बीज व उर्वरक सूखे मौसम में उपलब्ध होते हैं किन्तु बुआई के महीने में उपलब्ध नहीं होते जिससे कृत्रिम कमी के कारण मूल्य वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों द्वारा इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा हरियाणा के तीन गांवों में किए गए अध्ययन से यह पता लगा है कि अधिकांश किसान बीज और उर्वरकों की उपलब्धता से संतुष्ट थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजभाषा संवर्ग

1196. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई राजभाषा संवर्ग बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संवर्ग में कितने अधिकारी शामिल किए गए हैं तथा इस संवर्ग में ये किस तिथि से पद धारण कर रहे हैं;

(ग) क्या इस परिषद ने हिन्दी अधिकारियों/सहायक निदेशकों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित समान वेतनमान अपनाया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या परिषद में हिन्दी अधिकारियों के लिए सरकार के हिन्दी अधिकारियों के समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या परिषद में कई हिन्दी अधिकारी एक ही पद धारण करते हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं;

(ज) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पदोन्नत हुए हिन्दी अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या निम्नलिखित है:

1.	सहायक निदेशक (रा.भा.) रु. 6,500–200–10,500	–	32
2.	उप-निदेशक (रा.भा) रु. 10,000–325–15,200	–	02
3.	निदेशक (रा.भा.) रु. 12000–375–16500	–	01

पदधारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। तथापि, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के अन्तर्गत सहायक निदेशकों के वेतनमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में नहीं अपनाए गए क्योंकि यह वेतनमान अधीनस्थ कार्यालयों सहित उन कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी स्टाफ के लिए अनुमोदित नहीं हैं जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रु. 6,500–200–10,500 के वेतनमान के स्थान पर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से संबंधित प्रतिस्थानियों के समान रु. 7,500–250–12,000 वेतनमान देने की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं दी गई। संशोधित वेतनमान न देने का कारण यह था कि रु. 7,500–250–12,000 का उच्च वेतनमान केवल केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशकों (राजभाषा) को ही दिया गया है तथा यह केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के लिए नहीं है।

(ङ) और (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजभाषा संवर्गों में विभिन्न पदों के लिए अपने भर्ती नियम बनाए हैं। संवर्ग

में वर्तमान उत्क्रम के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में रु. 6,500–200–10,500 के वेतनमान में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) इस ग्रेड में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा करने के बाद रु. 10,000–325–15,200 के वेतनमान में उप-निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में उप-निदेशक (राजभाषा) जिसका वेतनमान रु. 10,000–325–15,200 है, वह इस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा करने बाद रु. 12,000–375–16,500 के वेतनमान में निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र है।

(छ) और (ज) जी, नहीं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में केवल एक सहायक निदेशक (राजभाषा) इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं।

डा. बी.पी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) जिन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (एसीपी) स्कीम के अन्तर्गत रु. 10,000–325–15,200 का वेतनमान दिया गया था, वह 30 जून, 2007 को परिषद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

उप–निदेशक (राजभाषा) के पद को भरने के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय उप–निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए विचारार्थ जोन में डा. शर्मा का नाम नहीं आया था।

(झ) श्री श्याम लाल प्रसाद, सहायक निदेशक (राजभाषा) को दिनांक 7 जून, 2006 से उप–निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति दी गई।

विवरण

राजभाषा संबंधी पदों के पदधारियों की सूची

क्र.सं.	पदधारी का नाम	ग्रेड में नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1.	श्री एच.सी. जोशी	12.9.2005
	उपनिदेशक (राजभाषा)	
1.	रिक्त	
	सहायक निदेशक (राजभाषा)	
1.	श्रीमती मिथिलेश कुमारी सक्सेना	10.5.1983
2.	श्री जी.पी. साव	17.1.1985
3.	डा. (श्रीमती) जेस्सी जोसेफ सी.	3.1.1986
4.	श्री घनश्याम कलौंडिया	4.4.1986
5.	श्रीमती पी.जे. शीला	24.2.1988
6.	श्री एस.पी. उनियाल	14.4.1988
7.	श्री प्रवीण चांदला	10.7.1989
8.	श्री लक्ष्मी कांत	1.12.1989
9.	श्री आर.एस. गौतम	1.9.1990
10.	श्रीमती सुजाता जेठी	8.3.1991
11.	श्रीमती सीमा चोपड़ा	31.8.1991
12.	श्री राजेश्वर प्रसाद उनियाल	20.8.1993
13.	श्री पी.आर. राव	25.6.1994
14.	श्रीमती सुलोचना	18.7.1994
15.	डा. (श्रीमती) कुमुदिनी नौटियाल	31.10.1994
16.	श्री सीएच श्री रामा राव	6.11.1996 (अपराह्न)
17.	श्रीमती मधुबाला चारन	7.2.1997 (अपराह्न)
18.	श्री संतराम यादव	27.3.1997
19.	श्री केशव देव	12.6.1997
20.	श्रीमती अर्चना राघव	1.8.1997
21.	श्री एम.एल. गुप्ता	30.3.1998
22.	श्रीमती जे. रेणुका	15.7.1998
23.	श्री एस. प्रदीप सिंह	11.9.1998

[हिन्दी]

विगत युद्ध रिकार्डों को अवर्गीकृत किया जाना

1197. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सेना प्रमुख ने 1962 में चीन के विरुद्ध तथा 1965 और 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गये युद्धों से

संबंधित वर्गीकृत रिकार्डों को सशस्त्र बल योजना बनाने वालों तथा रणनीति तैयार करने वालों के अध्ययनार्थ सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार युद्ध नीति तैयार करने के उद्देश्य से सेना अधिकारियों के लिए इन रिकार्डों को उपलब्ध कराने का है; और

(ग) ऐसे रिकार्डों को कितने वर्षों के बाद सार्वजनिक किया जा सकता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने 27 सितंबर, 2007 को यह विचार व्यक्ति किया था कि चीन के साथ 1962 के संघर्ष और भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों के इतिहास को सैन्य युद्धनीतिज्ञों और अन्य स्टेकहोल्डरों को उपलब्ध कराया जाए जिससे उनसे समुचित शिक्षा ग्रहण की जा सके।

(ख) और (ग) सरकार ने युद्ध इतिहासों के प्रकाशन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं तथा इस मामले में अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए उन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सेना द्वारा भूमि कब्जे में लेना

1198. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने असम के तिनसुकिया जिले में काकापाथर कालेज का एक भूखंड कब्जे में ले लिया है और कालेज परिसर से सटे 11वें गोरखा रेजिमेंट का ट्रान्जिट कैम्प भी चला रही है जिससे गत तीन वर्षों से उक्त कालेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शिविर को कब तक बंद किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) असम के तिनसुकिया जिले में काकापाथर कालेज से लगे खाली भूखंड को कालेज के प्रिंसिपल की अनुमति से 7/11 गोरखा राइफल्स के एक हिस्से ने कब्जे में लिया है। 7/11 गोरखा राइफल्स के मुख्यालय की बटालियन की तैनाती संक्रियात्मक आवश्यकता के कारण है। सेना द्वारा उक्त भूखंड को खाली करने के संबंध में इस स्तर पर कोई सुनिश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व

1199. श्री मो. ताहिर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सच्चर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मियों की भर्ती की गयी है;

(घ) क्या चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं का धर्मनिपेक्ष तथा अराजनीतिक स्वरूप है। सेनाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर होती है तथा यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उनकी जाति, मत, धर्म या क्षेत्र के भेदभाव के बिना खुली है। सभी समुदायों तथा क्षेत्रों के सभी कार्मिक जाति, मत या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मिल-जुल कर कार्य करते हैं।

खुदरा व्यापार में निगम क्षेत्र

1200. श्री पुष्प जैन:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खुदरा क्षेत्र में बड़े निगम घराने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका असंगठित क्षेत्र के छोटे खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है जो रोजगार गंवाने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खुदरा क्षेत्र में बड़े निगम घरानों और अन्य घरेलू निवेशकों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार, जहाँ तक खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का संबंध है, 'सिंगल ब्रांड' खुदरा व्यापार के सिवाय खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है। संगठित खुदरा क्षेत्र उपभोक्ताओं और उत्पादकों/किसानों को मितव्ययता का लाभ देकर बीच की लागत को कम करेगा। यह प्रभावी आपूर्ति लागत शृंखला को स्थापित करने में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, संगठित खुदरा क्षेत्र आगे चलकर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करेगा और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करेगा। कुल खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार का हिस्सा बहुत कम है और इससे असंगठित क्षेत्र के खुदरा बिक्री केंद्रों पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए फिलहाल कोई कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

खाद्य सुरक्षा

1201. **श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री पंकज चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की हाल की रिपोर्ट ने दर्शाया है कि लगभग प्रत्येक पांच में से एक भारतीय भुखमरी का शिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उच्च आर्थिक विकास तथा देश में खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार के बावजूद गरीबों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने से सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) गरीबों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) ही, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1202. **श्री राजीव रंजन सिंह: "ललन"**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अमरीका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड इत्यादि जैसे अन्य देशों की तुलना में जनवरी से सितम्बर 2005, 2006 और 2007 के दौरान सभी महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर अधिक पायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलनात्मक दर क्या है; और

(ग) भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उच्च दर के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी हां।

(ख) अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, इंग्लैण्ड जैसे विभिन्न देशों के संबंध में जनवरी, 2005 से सितम्बर, 2007 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों और इन सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति की दरें संलग्न विवरण-I में दी गयी हैं। विभिन्न देशों के संबंध में पिछले वर्ष की अवधि के सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति की अंक दर अंक आधारित दरें (-) 0.2 से 4.3 के बीच हैं। जनवरी से दिसम्बर, 2005 तक आधार 1982=100 पर और जनवरी से दिसम्बर, 2006 से जनवरी से सितम्बर, 2007 तक नए आधार पर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) तथा मुद्रास्फीति की अंक दर अंक आधारित दर संलग्न विवरण-II में दी गयी है जो 3.3 से 7.3 के बीच है, जो संदर्भित देशों की मुद्रास्फीति की दरों की तुलना में अधिक हैं।

(ग) भारत में प्राय: आमतौर पर प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगारों से संबंधित होता है। भिन्न-भिन्न देशों के सूचकांकों में अंतरों की तुलना भिन्न-भिन्न भारण आरेखों अथवा

विविध उपभोग प्रतिरूपों, अंतर आधारित अवधियों, सूचकांकों की प्रयोग की गयी विधियों, प्रयुक्त कीमतों की अवधारणाओं तथा स्रोतों में अंतरों आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण ढांचागत विभिन्नताओं के चलते भिन्न-भिन्न देशों के सूचकांकों में अंतरों की तुलना भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) से नहीं की जा सकती है।

विवरण–I

यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा यू.के. जैसे विभिन्न देशों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संकलित तथा जारी किए जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

स्रोत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सभी शहरी उपभोक्ता) आधार: 1982-84=100 देश यू.एस.ए.

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
ww.bis.gov	2005	190.7	191.8	193.3	194.6	194.4	194.5	195.4	196.4	198.8	199.2	197.6	196.8
	2006	198.3	198.7	199.8	201.5	202.5	202.9	203.5	203.9	202.9	201.8	201.5	201.8
	2007	202.4	203.5	205.4	206.7	207.9	208.4	208.3	207.9	208.5	208.9		

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार पिछले वर्ष इसी माह=100 देश चीन

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
www.stas.gov.cn	2005	101.9	103.9	102.7	101.8	101.8	101.6	101.8	101.3	100.9	101.2	101.3	101.6
	2006	101.9	100.9	100.8	101.2	101.4	101.5	101.0	101.3	101.5	101.4	101.9	102.8
	2007	102.2	102.7	103.3	103.0	103.4	104.4	105.6	106.5	106.2			

सामान्य सूचकांक समय श्रृंखलाएं आधार : 2005=100 देश जापान

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
www.state.go.ip	2005	100.1	99.8	100.1	100.2	100.3	99.9	99.8	99.9	100.2	100.2	99.8	99.9
	2006	100.0	99.7	99.9	100.1	100.4	100.4	100.1	100.8	100.8	100.6	100.1	100.2
	2007	100.0	99.5	99.8	100.1	100.4	100.2	100.1	100.6	100.6			

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (असमायोजित मूल्य) आधार : 2001=100 देश जर्मनी

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
www.destatis.de	2005												
	2006	109.1	109.5	109.5	109.9	110.1	110.3	110.7	110.6	110.2	110.3	110.2	111.1
	2007	110.9	111.3	111.6	112.0	112.2	112.3	112.8	112.7	112.8	113.0		

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : 1998=100 देश फ्रांस

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
www.insee.fr	2005	110.7	111.3	112.0	112.2	112.3	112.5	112.3	112.7	113.2	113.1	112.9	113.0
	2006	112.94	113.36	113.69	114.16	114.66	114.65	114.46	114.85	114.59	114.31	114.47	114.73
	2007	114.34	114.55	115.04	115.6	115.89	116.03	115.74	116.20	116.33	116.62		

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : 2005=100 देश यू.के.

		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
www.statistics.gov.uk	2005	98.6	98.8	99.3	99.7	100.0	100.0	100.1	100.4	100.6	100.7	100.7	101.0
	2006	100.5	100.9	101.1	101.7	102.2	102.5	102.5	102.9	103.0	103.2	103.4	104.0
	2007	103.2	103.7	104.2	104.5	104.8	105.0	104.4	104.7	104.8	105.3		

भारत में प्रयोग किए जा रहे फार्मूले के आधार पर वर्णित यूएसए, चीन, जापान, फ्रांस तथा यू.के. जैसे विभिन्न देशों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संकलित तथा जारी किए जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर अंक दर अंक मुद्रास्फीति दर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सभी शहरी उपभोक्ता) आधार : 1982-81=100 देश यूएसए

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2005	3.0	3.0	3.1	3.5	2.8	2.5	3.2	3.6	4.7	4.3	3.5	3.4
2006	4.0	3.6	3.4	3.5	4.2	4.3	4.1	3.8	2.1	1.3	2.0	2.5
2007	2.1	2.4	2.8	2.6	2.7	2.7	2.4	2.0	2.8	3.5		

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : पिछले वर्ष इसी माह=100 देश चीन

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2005	1.9	3.9	2.7	1.8	1.8	1.6	1.8	1.3	0.9	1.2	1.3	1.6
2006	1.9	0.9	0.8	1.2	1.4	1.5	1.0	1.3	1.5	1.4	1.9	2.8
2007	2.2	2.7	3.3	3.0	3.4	4.4	5.6	6.5	6.2			

सामान्य सूचकांक समय श्रृंखलाएँ आधार : 2005=100 देश जापान

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2005												
2006	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.5	0.3	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3
2007	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.2			

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : 1998=100 देश फ्रांस

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2005	1.6	1.6	1.9	1.8	1.5	1.7	1.7	1.8	2.2	1.8	1.6	1.5
2006	2.0	1.9	1.5	1.7	2.1	1.9	1.9	1.9	1.2	1.1	1.4	1.5
2007	1.2	1.0	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.5	2.0		

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : 2005=100 देश यू.के.

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
2005	1.6	1.6	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	1.9
2006	1.9	2.1	1.8	2.0	2.2	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	3.0
2007	2.7	2.8	3.1	2.8	2.5	2.4	1.9	1.7	1.7	2.0		

विवरण II

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष/माह	आधार 1982=100	आधार 2001=100	
	2005	2006	2007
जनवरी	526	119	127
फरवरी	525	119	128
मार्च	525	119	127
अप्रैल	529	120	128
मई	527	121	129
जून	529	123	130
जुलाई	538	124	132
अगस्त	540	124	133
सितम्बर	524	125	133
अक्तूबर	548	127	
नवम्बर	553	127	
दिसम्बर	550	127	

मुद्रा स्फीति की बिन्दु-दर-बिन्दु दर

	1982 आधार पर = 100	1982 परिवर्तित सूचकांक पर = 100	आधार पर 2001=100
	2005	2006	2007
जनवरी	4.4	4.8	6.7
फरवरी	4.2	5.0	7.6
मार्च	4.2	5.0	6.7
अप्रैल	5.0	5.1	6.7
मई	3.7	6.3	6.6
जून	3.3	7.6	5.7
जुलाई	4.1	6.7	6.5
अगस्त	3.5	6.3	7.3
सितम्बर	3.6	6.8	6.4
अक्तूबर	4.2	7.3	
नवम्बर	5.3	6.3	
दिसम्बर	5.6	6.9	

नोट: 2001=100 श्रृंखला अखिल भारतीय सूचकांक को 1982=100 श्रृंखला सूचकांक में परिवर्तित करने के लिए लिंकिंग कारक 4.63 है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी

1203. **श्री पंकज चौधरी:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री टेकलाल महतो:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ध्यान गत छह महीनों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य नियंत्रण हेतु कोई ठोस नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार को देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिति की जानकारी है।

20.11.2007 और 20.5.2007 (छह माह पूर्व) की स्थिति के अनुसार दिल्ली में खुदरा मूल्यों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:

वस्तुएं	खुदरा मूल्य (20.11.07)	खुदरा मूल्य (20.05.07)	उतार-चढ़ाव (रु. में)
1	2	3	4
चावल	16.00	15.00	1.00
गेहूं	12.00	12.00	0.00
आटा	13.00	13.00	0.00
चना	35.00	33.00	2.00
तूर	40.00	38.00	2.00
चीनी	17.00	17.00	0.00
मूंगफली का तेल*	121.00	102.00	19.00
सरसों का तेल*	64.00	56.00	8.00
वनस्पति	62.00	57.00	5.00
चाय (खुली)	108.00	105.50	2.50
दूध@	20.00	18.00	2.00
आलू	11.00	9.00	2.00
प्याज	14.00	10.00	4.00
नमक (पैक)	10.00	8.00	2.00

*रिफाइण्ड तेल
@ रुपए प्रति लीटर

(ग) और (घ) सरकार को गेहूं, दालें और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानकारी है और उसने शुल्क की घटी दरों पर आयात करके, दालों और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर तथा खाद्य तेलों के सीमा-शुल्क में कमी करके गेहूं और दालों की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक उपाय करके कार्रवाई की है।

सरकार द्वारा किए गए ठोस नीतिगत उपाय नीचे दिए गए हैं:

(1) चालू वर्ष के दौरान गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राज्य व्यापार निगम 13.06 लाख मीट्रिक टन (+/-5%) का आयात कर रहा है। अब तक 14.11.2007 की स्थिति के अनुसार 4.35 लाख टन गेहूं भारत में पहुंच चुका है। गेहूं की शेष मात्रा नवम्बर से दिसम्बर, 2007 तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएगी। शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की वैधता की अवधि 31.12.2006 से बढ़ाकर 28.2.2007 तक और फिर 31.12.2007 कर दिया गया है।

(2) गेहूं के निर्यात पर 09.02.2007 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 31.12.2007 तक लागू रहेगा।

(3) गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने के लिए सरकार पिछले पाँच सालों से बोनस की घोषणा कर ही है।

सरकार ने 9.10.2007 को फसल वर्ष 2007-08 (रबी विपणन मौसम 2008-09 में विपणन के लिए) गेहूं का अधिकतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसने खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में चावल के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस भी अनुमोदित किया। इसी प्रकार सरकार द्वारा 25.10.2007 को उस गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसका न्यूनतम निर्यात मूल्य 425 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है।

(4) सरकार ने इन वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करके मूल्य वृद्धि से समाज के कमजोर वर्ग को राहत देने हेतु कदम उठाए हैं। साल दर साल खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाती है।

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्यान्नों का उठान				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अगस्त 07 तक)
	239.31	293.55	311.05	313.70	138.02

(5) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य क्षमता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केंद्रों तक उनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें लाभभोगियों का पता लगाने, उनको राशनकार्ड जारी करने तथा देश भर में फैले 4.91 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।

(6) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आबंटित किया जाता है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत गेहूं और चावल का उठान बढ़ता जा रहा है। जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली		अन्य कल्याणकारी स्कीमें	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2002-03	97.77	105.64	10.67	17.12
2003-04	108.07	133.85	53.39	82.24
2004-05	130.31	166.21	41.24	64.85
2005-06	121.91	191.96	39.30	58.66
2006-07	103.90	212.49	12.69	38.91

(7) विभिन्न श्रेणियों के चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं। केंद्रीय निर्गम मूल्य 1.7.2002 से संशोधित नहीं किए गए हैं।

(रुपए प्रति क्विंटल में)

	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
चावल	830 'ए' ग्रेड व 795 (सामान्य)	565	300
गेहूं	610	415	200

(8) 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटा कर शून्य कर दिया गया था और शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता की अवधि को 31.3.2007 से बढ़ा कर 1.8.2007 तक और फिर 31.3.2009 कर दिया गया है।

(9) 22 जून, 2006 से दालों (7.3.2007 से काबुली चने के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध प्रारंभ में 31.3.2007 तक था और उसको विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9.3.2007 की अधिसूचना के द्वारा 31.3.2008 तक आगे बढ़ा दिया गया।

(10) नेफेड, पीईसी लि., एमएमटीसी और एसटीसी वर्ष 2007-08 के दौरान 1.5 मिलियन मीट्रिक टन दालों का

आयात करने का लक्ष्य रखेंगे। इन एजेंसियों द्वारा किए गए 10.40 लाख टन दाल की कुल संविदा में 31.7.2007 तक 2.43 लाख टन पहले ही आ चुकी है।

(11) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात और रेपो दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में धन की अधिकता को कम करने के लिए कदम उठाए गए।

(12) 23.07.2007 से कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को घटाकर 50% से 40% और रिफाइण्ड सूरजमुखी तेल पर 60% से 50% किया गया। सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को पहले जनवरी, 2007 में 10% प्वाइंट कम किया गया और मार्च, 2007 में 15% प्वाइंट और कम किया गया।

(13) 23.07.2007 में पॉम तेल समूह पर आयात शुल्क को और 5% प्वाइंट कम किया गया है जिससे कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क 45% और रिफाइण्ड तेल पर 52.5% हो गया। इसके परिणामस्वरूप कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को 11.8.2006 से पहले से 80% के स्तर से घटाकर 45% तक लाया गया है।

(14) 23.07.2007 से सोयाबीन तेलों पर आयात शुल्क को 45% से कम करके 40% कर किया गया।

(15) निर्यात को रोकने के लिए नेफेड ने निरंतर मूल्य निगरानी की और तदनुसार न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किए। प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेफेड ने न्यूनतम निर्यात मूल्य मार्च/अप्रैल, 2007 के 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर अक्तूबर, 2007 में 495 अमीरकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिए। प्याज के निर्यात को दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 22 (आ ई 2007)/2004-09 के द्वारा निर्दिष्ट मार्गीकरण एजेंसियों के जरिए लाइसेंस के तहत भी रखा गया। खरीफ की फसल में प्याज की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबंध को अब 16.11.2007 से हटा लिया गया है।

सरकार ने दिल्ली सरकार, नेफेड, केंद्रीय भण्डार तथा मदर डेयरी द्वारा संचालित मोबाइल केंद्रों के जरिए भी प्याज की बिक्री की। लगभग 375 केंद्रों ने 17-18 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्याज बेचा जबकि बाहर 22-24 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से बिक रहा था।

सरकार के उपर्युक्त प्रयासों के कारण आज (21.11.2007) प्याज का मूल्य लासल गांव में 775 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे आ गया है जो 1 अक्तूबर, 2007 को 1851 रुपए प्रति क्विंटल था। ऐसे ही आजादपुर मण्डी में 2035 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 760 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य अब 20.11.2007 को 14 रुपए प्रति कि.ग्रा. पर स्थिर है।

(16) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके प्रणाली में नकदी को कम करने हेतु कदम उठाए गए। यह अनुपात पहले 6 अगस्त, 2007 को 7 प्रतिशत और फिर 30 अक्तूबर, 2007 को 7.5 प्रतिशत किया गया। इससे बाजार में 30 हजार करोड़ रुपए की नकदी आ गई।

(17) वायदा बाजार आयोग ने 23.1.2007 को तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों अर्थात (क) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.) (ख) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि.; (ग) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. को तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटाने तथा तूर और उड़द की सभी संविदाओं में सभी बकाया पोजीशनों को 23.1.2007 को बंद मूल्य पर समाप्त करने का निदेश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना आगे कोई संविदा नहीं की जाएगी और उड़द व तूर में संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति आहरित मानी जाएगी।

(18) वायदा बाजार आयोग ने 27.2.2007 को सभी राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निदेश दिया है कि गेहूं और चावल की कोई संविदा शुरू न की जाए। एक्सचेंजों को लिखे गए पत्र में वायदा बाजार आयोग ने बताया है कि अभी शुरू की जाने वाली संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति रद्द समझी जाए और इन वस्तुओं में चल रही संविदाओं के संबंध में कोई नई पोजीशन लेने की अनुमति नहीं दी जाए। केवल पोजीशनों को निपटाने की अनुमति दी जाए।

(19) गेहूं, चीनी और दालों के भावी मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए वायदा बाजार आयोग ने ओपन पोजिसन पर सीमा का निर्धारण, मूल्य के दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा कम करने और अतिरिक्त/विशेष मार्जिन लगाने जैसे अपेक्षित विनियामक उपाय किए हैं।

(20) योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो वस्तुओं के मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हो, का अध्ययन करेगी।

(21) प्रचलित मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था

ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों की स्टॉक सीमा को छः महीने की अवधि तक लागू कर सकें। इस आदेश के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन मदों के जमा स्टॉक को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि उचित मूल्यों पर आम जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। गेहूं और दालों के संबंध में स्टॉक सीमाएं निर्धारित करने वाले केंद्रीय आदेश की अवधि को 1.3.2007 (दिनांक 27.2.2007 की अधिसूचना के तहत) छः महीने के लिए और फिर 1.9.2007 (दिनांक 31.8.2007 की अधिसूचना के तहत) अगले छः महीने के लिए बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन में गिरावट

1204. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) कार्यों में कृषि मजदूरों के लग जाने के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में होने वाली गिरावट के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं। देश में प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों 2005-06 से वृद्धि दर्शाते हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(मिलियन टन)

फसल	2005-06	2006-2007*
खाद्यान्न	208.60	216.13
तिलहन	27.98	23.88@
गन्ना	281.17	345.31
कपास#	18.50	22.70

19.7.2007 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

#170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गाँठें।

@ उत्पादन में गिरावट क्षेत्र आच्छादन में कमी के कारण हुई।

(ग) इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जोकि फरवरी, 2006 से चल रहा है, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में दुग्ध उत्पादक

1205. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:
श्री पुष्प जैन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्येक वर्ष दुग्ध उत्पादन घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष दुग्ध उत्पादन की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार की देश में विशेषत: दिल्ली में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:

(1) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

(2) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी)

(3) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म।

(4) बोवाईन संख्या के विकास के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना।

तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, शहरी क्षेत्रों में डेयरी फार्म चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण एनपीसीबीबी में भाग नहीं ले रही है। इसके अतिरिक्त शहरीकरण होने के कारण, दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है।

विवरण

सारणी 1: राज्यों द्वारा दुग्ध उत्पादन

अनुमानित दुग्ध उत्पाद - राज्यवार (000 टन)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6959	7257	7624
अरूणाचल प्रदेश	46	48	48
असम	727	739	747
बिहार	3180	4743	5060
छत्तीसगढ़	812	831	839
गोवा	49	57	56
गुजरात	6421	6745	6960
हरियाणा	5221	5222	5299
हिमाचल प्रदेश	786	870	869
जम्मू-कश्मीर	1414	1422	1400
झारखंड	954	1330	1335
कर्नाटक	3857	3917	4022
केरल	2111	2025	2063
मध्य प्रदेश	5388	5506	6283
महाराष्ट्र	6379	6567	6869
मणिपुर	71	75	77
मेघालय	69	71	73
मिजोरम	15	16	15
नागालैंड	63	69	74
उड़ीसा	997	1283	1342
पंजाब	8391	8554	8909
राजस्थान	8054	8310	8713
सिक्किम	48	46	48
तमिलनाडु	4752	4784	5474
त्रिपुरा	84	86	87
उत्तर प्रदेश	15943	16512	17356
उत्तराखंड	1188	1195	1206
पश्चिम बंगाल	3686	3790	3891
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	24	20
चंडीगढ़	44	43	46
दादरा व नगर हवेली	8	4	5
दमन एवं दीव	1	1	1
दिल्ली	299	303	310
लक्षद्वीप	1	1	2
पुडुचेरी	40	41	43
अखिल भारत	88082	92484	97066

कृषि क्षेत्र में सुधार

1206. श्री टेक लाल महतो: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कृषि क्षेत्र की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर कुल

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्र का योगदान 2004-05 में 20.2 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 19.7 प्रतिशत तथा पुन: 2006-07 में 18.5 प्रतिशत हो गया। इसका कारण मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वृद्धि थी जो 2004-05 में 52.7 प्रतिशत से सुधरकर 2005-06 में 54.1 प्रतिशत तथा पुन: 2006-07 में 54.9 प्रतिशत हो गयी।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 26 मई, 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया तथा संकल्प लिया कि कृषि विकास की नीतियां किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हों तथा इसने कृषि को सशक्त बनाने हेतु नीति का विकास करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि में सुधार हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

* 11वीं योजना अवधि हेतु 4880 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक चावल का अतिरिक्त उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूँ का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाना है।

* 25000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक राज्य योजना स्कीम है, का उद्देश्य कृषि तथा क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।

* हाल ही में गठित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिककरण वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में राज्यों की सहायता करेगा।

* सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।

* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

[अनुवाद]

रोजगार सूचना सेवा

1207. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े जिलों में रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने की नई पहल को समर्थन देने के लिए बनाए गए आवश्यक ई-गवर्नेन्स में रोजगार सूचना सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पहले से ही अपनी वेबसाईट "http://rural.nic.in" पर उपलब्ध करा दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के तहत रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) आरंभ की है, जिसके अंतर्गत सभी रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है और उन्हें सारे देश में रोजगार सूचना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय वेब पोर्टल के साथ जोड़ा जाना है।

नारियल उत्पादन

1208. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री पी.सी. थामस:
श्री अनन्त नायक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान नारियल का राज्यवार कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(ख) क्या घरेलू उपयोग के लिए नारियल उत्पादन पर्याप्त है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण देश में नारियल उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नारियल के पुनर्रोपण के लिए घोषित राशि वितरित की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसा वितरण नहीं किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में नारियल का कुल उत्पादन 2003-04 के दौरान 12,178.2 मिलियन गरियां 2004-05 के दौरान

12,832.9 मिलियन गिरियाँ तथा 2005-06 के दौरान 14,811.19 मिलियन गिरियाँ था। नारियल का उत्पादन घरेलू प्रयोग हेतु पर्याप्त है। नवीनतम तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आँकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नारियल के बाजार मूल्य 2005 की तीसरी तिमाही से गिरावट की प्रवृति दर्शाते रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए नारियल उत्पादक अपने उत्पादन का प्रोत्साहनात्मक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, भारत सरकार केन्द्रीय एजेंन्सी नामत: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लि. (नैफेड) माध्यम से वार्षिक आधार पर मिलिंग तथा बाल खोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा उनके प्रापण की व्यवस्था करती रही है। 2007 मौसम के दौरान, उचित औसत गुणवत्ता मिलिंग तथा बाल खोपरा हेतु निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 3,620 रुपए तथा 3,870 रुपए रहा है, तथा नैफड अब तक 21,733 मिलियन टन मिलिंग खोपरा तथा 19,159 मिलियन टन बाल खोपरा का प्रापण कर चुका है।

(ङ) से (छ) नारियल के पुन: रोपण हेतु निधियों के वितरण संबंधी मामलों पर विचार सरकार द्वारा "भारत के पारम्परिक राज्यों में नारियल बागानों के पुनरोपण तथा नवीकरण" हेतु स्कीम के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

विवरण

गत तीन वर्षों में भारत में नारियल का राज्यवार उत्पादन

(मिलियन गिरियों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04 संशोधित	2004-05 संशोधित	2005-06 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1,195.0	1,199.3	892.0
असम	154.3	154.3	204.9
गोवा	122.2	123.5	125.3
गुजरात	111.7	138.3	138.3
कर्नाटक	1,529.1	1,209.6	1,209.8
केरल	5484.0	5,727.0	6326.0
महाराष्ट्र	273.4	273.4	273.4
नागालैंड	1.2	1.2	1.2
उड़ीसा	243.4	274.8	274.6
तमिलनाडु	2,560.5	3,243.5	4,867.1
त्रिपुरा	7.0	7.0	7.0
पश्चिम बंगाल	317.5	310.9	323.5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95.2	87.1	87.1
लक्षद्वीप	53.0	53.0	53.0
पांडिचेरी	30.7	30.0	27.9
अखिल भारत	12,178.2	12,832.9	14.811.1

स्रोत - आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की स्थिति

1209. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राज्यों में इन योजनाओं की अंतिम समीक्षा किस तिथि को की गयीं थी;

(ग) समीक्षा के दौरान इन योजनाओं में क्या खामियां पायी गयीं; और

(घ) इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें लागू की जा रही हैं: (i) वृहत कृषि प्रबंधन, (ii) तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का की समेकित स्कीम, (iii) राष्ट्रीय आगवानी मिशन, (iv) सूक्ष्म सिंचाई, (v) विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, (vi) कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन, तथा (vii) राष्ट्रीय बांस मिशन। इसके साथ ही, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभी हाल में शुरू किया गया है। वर्ष 2007-08 में तमिलनाडु राज्य में विभिन्न स्कीमों पर किए गए परिव्यय एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत किए गए कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा तमिलनाडु में सितम्बर, 2006 के दौरान एक संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा की गई थी।

(ग) और (घ) ऐसी समीक्षाओं के आधार पर स्कीमों के कार्यान्वयन में नोटिस की गई कमियों को दूर करने के लिए सुधार कार्य किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में यह पाया गया कि किसान कला की सिर्फ 'पुवन' नामक पारम्परिक किस्म उगाते हैं। मधुमक्खी पालन एवं जल संसाधनों जैसे घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों को चिन्हित करने के अलावा कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई। राज्य सरकार को समीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए स्मरण कराया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत तमिलनाडु के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग का आबंटन और निर्मुक्त राशि

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आबंटन 2007-08	निर्मुक्त राशि 2007-08 (अब तक)
1.	वृहद कृषि प्रबंधन	60.55	27.25
2.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी-एमएम-II)	3.60	2.88
3.	तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आईसोपाम)	12.00	9.00
4.	सूक्ष्म सिंचाई	133.85	#
5.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	203.05	50.76
6.	विस्तार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	11.24	6.79
7.	राष्ट्रीय बांस मिशन	2.63	0.70
	योग	426.92	97.38

नोट: # कोई निर्मुक्ति नहीं

गेहूँ का उत्पादन

1210. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन करना होगा और क्या इसका पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) हाँ श्रीमान, निम्नलिखित सारणी वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान देश में गेहूँ की प्रक्षेपित माँग प्रस्तुत करती है:

(मिलियन टन)

वर्ष	प्रक्षेपित माँग
2007-08	71.19
2008-09	72.12
2009-10	74.24
2010-11	75.80
2011-12	77.36

नोट: प्रक्षेपित माँग व्यवहार एप्रोच अर्थात प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, माँग की लोच तथा जनसंख्या वृद्धि दर पर आधारित है। प्रति व्यक्ति निपटान आय की वृद्धि दर 4.8% है। माँग में बीज, चारा तथा कुल माँग 12.5% अवशिष्ट शामिल है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन इकाई की स्थापना

1211. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय तथा ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में किसी रक्षा उत्पादन इकाई की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर जिले के कोरवा में एक लघु शस्त्र निर्माणी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बी.एस.एन.एल. के टावर

1212. श्री घुरन राम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (सेल वन) का नेटवर्क झारखण्ड राज्य विशेषरूप से पलामु मंडल में काम नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में बीएसएनएल के टावर स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) डाल्टनगंज गौण स्विचन क्षेत्र के कुछ स्थानों अर्थात मंझिआँव, सुल्तानी, पंकी, पाटन, लेसलीगंज और महुआडंड जहां पहले चरण में बेस ट्रांसीवर स्टेशन संस्थापित किए गए थे, में समय-समय पर कुछ खराबियाँ उत्पन्न होती रहती हैं जिनके कारण बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। बीएसएनएल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इन स्थानों पर वर्धित क्षमता और विशेषताओं वाले उपकरणों का प्रयोग करके मोबाइल उपकरण को बदलने का कार्य शुरू किया है।

(ग) से (ङ) डाल्टनगंज एसएसए में मेरल और करकाटा में सेलफोन टावर (बीटीएस) संस्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बीएसएनएल अन्य बातों के साथ, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर जीएसएम आधारित मोबाइल नेटवर्क के रॉल आउट का निर्णय लेता है और वर्तमान में उक्त दो स्थानों में से केवल मेरल को जीएसएम आधारित मोबाइल नेटवर्क संवर्धन योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

ढुलाई भाड़े का भुगतान

1213. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल मिल मालिकों को ढुलाई भाड़े के भुगतान हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों अथवा रेल स्टेशनों तथा चावल की मिलों के बीच न्यूनतम दूरी नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2007 की रिपोर्ट सं. 11 में यह खुलासा किया गया है कि मिल मालिकों को नियत नियमों का उल्लंघन करके अनियमित तथा अनुपयुक्त भुगतान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे अनुपयुक्त भुगतान की वसूली करने तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 2003-04 से पहले 8 किलोमीटर की दूरी तक मिल मालिकों द्वारा चावल की सुपुर्दगी करने के लिए अग्रेषण और परिवहन प्रभारों की मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती थी। तथापि, खरीफ विपणन मौसम 2003-04 से टैरिफ आयोग द्वारा हिसाब लगाए गए मिलिंग प्रभारों की अनुमति दी गई जिनमें मिल के परिसर से 8 किलोमीटर तक धान/चावल के ढुलाई और अग्रेषण प्रभार शामिल थे।

(ग) जी हां।

(घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कहा है कि कस्टम मिल्ड चावल के लिए अंतिम दर निर्धारित करते समय चावल मिल मालिकों को अनंतिम दर के साथ अदा किए गए ढुलाई प्रभारों के घटक पर विचार किए बिना ढुलाई प्रभारों की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 1998-99 से 2002-03 तक राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को 406.21 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। इस मामले की भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ङ) टैरिफ आयोग से 9 किलोमीटर से बाहर मिल मालिकों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल और लेवी चावल की सुपुर्दगी करने के लिए मानकीय ढुलाई प्रभारों का निर्धारण करने हेतु गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

डाक विभाग का आधुनिकीकरण

1214. श्री काशीराम राणा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग का नवीनतम तथा आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाकर आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे एक लाभ अर्जन करने वाला संगठन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) डाक विभाग ने ग्यारहवीं योजना में योजना आयोग को निम्नलिखित के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:

(i) 17598 विभागीय डाकघरों एवं 64000 शाखा डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण और सभी कम्प्यूटीकृत डाकघरों की नेटवर्किंग।

(ii) स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों की व्यवस्था।

(iii) रिमोट से प्रबंधन की जा सकने वाली फ्रेंकिंग मशीनें एवं कैश काउटिंग मशीनों की व्यवस्था करवाना।

(iv) कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।

(ग) संगठन की राजस्व अर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) डाक विभाग में व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य नये उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करना तथा डाक विभाग को व्यावसायिक दृष्टिकोण वाला एक ग्राहकोन्मुखी संगठन बनाना है।

(ii) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट तथा व्यवसाय डाक जैसे अनेक व्यावसायिक उत्पाद प्रारंभ किये गए हैं।

(iii) ग्राहकों के घरों से डाक सामग्री एकत्र करने जैसे मूल्यवर्द्धित सेवाएं, ऋण सुविधाएं, मात्रा आधारित छूट, घर द्वार पर सुपुर्दगी, ऑन लाइन ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली, प्री-मेलिंग इत्यादि सेवाएं प्रारंभ की गई हैं।

(iv) नई सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए डाक विभाग के रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया गया है।

(v) विभाग ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में डाकतंत्र के विस्तार के लिए सरकारी एवं निजी निगमों के साथ विभिन्न व्यावसायिक भागीदारियों एवं गठबंधनों के लिए पहल की है।

[अनुवाद]

स्पैक्ट्रम आबंटन संबंधी रिपोर्ट

1215. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पैक्ट्रम आबंटन के संबंध में टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेन्टर (टीईसी) की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सेन्टर द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने टीईसी की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लेने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ "स्पैक्ट्रल क्षमता" पर दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) की रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। टीईसी की रिपोर्ट के अनुसार स्पैक्ट्रल क्षमता पर जीएसएम उपभोक्ता आधार मापदंड संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 07.11.2007 को वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार पर स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु उपभोक्ता आधारित स्पैक्ट्रम आबंटन संबंधी संशोधित मापदंड की सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सरकार इस बारे में यथा-समय निर्णय लेगी।

विवरण

स्पैक्ट्रल क्षमता पर दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) की रिपोर्ट के अनुसार जीएसएम उपभोक्ता आधार मापदंड

(उपभोक्ता लाख में)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	श्रेणी	निम्न स्पैक्ट्रम द्वारा समर्थित कुल मोबाइल उपभोक्ता				
			4.4+4.4 मेगाहर्ट्ज	6.2+6.2 मेगाहर्ट्ज	8.0+8.0 मेगाहर्ट्ज	10.0+10.0 मेगाहर्ट्ज	12.4+12.4 मेगाहर्ट्ज
1.	आंध्र प्रदेश	क	13	42	73	103	133
2.	गुजरात	क	12	39	68	96	124
3.	कर्नाटक	क	9	30	52	73	95
4.	महाराष्ट्र	क	14	42	74	105	136
5.	तमिलनाडु	क	11	36	64	90	116
6.	हरियाणा	ख	4	12	21	30	39
7.	केरल	ख	8	25	44	62	80
8.	मध्य प्रदेश	ख	13	39	69	97	126
9.	पंजाब	ख	8	25	45	63	82
10.	राजस्थान	ख	10	32	56	79	102
11.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	ख	13	41	72	101	130
12.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	ख	10	32	57	80	104
13	पश्चिम बंगाल	ख	10	31	54	77	99
14.	असम	ग	10	33	58	81	105
15.	बिहार	ग	12	36	64	90	116
16.	हिमाचल प्रदेश	ग	2	7	12	17	22
17.	जम्मू-कश्मीर	ग	2	7	13	19	25
18.	पूर्वोत्तर	ग	6	19	34	48	63
19.	उड़ीसा	ग	10	31	55	77	100
20.	दिल्ली	क	6	19	34	48	63
21.	मुंबई	क	7	23	41	58	75
22.	कोलकाता	क	6	20	36	50	65
23.	चेन्नै	क	5	17	31	43	56

मोबाइल उपभोक्ता संबंधी सभी आंकड़े लाख में हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार प्रशुल्क पर रियायत

1216. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रमुख त्योहारों के अवसर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए रियायतों की घोषणा नहीं की है जबकि निजी मोबाइल आपरेटरों ने अपने उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में आज की तारीख तक महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी प्रमुख त्योहारों के अवसरों पर अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतों की घोषणा की है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा त्यौहारों के दौरान मोबाइल रीचार्ज कूपनों के लिए फुल टाक वैल्यू व एक्स्ट्रा टाक वैल्यू, नए लैंड फोन कनेक्शनों के लिए संस्थापना/पंजीकरण प्रभारों की छूट, पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के लिए प्रयोग प्रभारों पर छूट इत्यादि जैसी कुछ प्रोत्साहन संबंधी पेशकशें/रियायतें दी जाती हैं।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान, आज तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसरों पर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की गई रियायतों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दिया गया है।

विवरण I

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न त्योहारों के अवसर पर दी गई प्रोत्साहन स्कीमें

1. चेन्नई

वर्ष	उपलक्ष्य/ऑफर की अवधि	ऑफर/रियायत/योजनाओं के विवरण
1	2	3
2004-05	होली त्योहार ऑफर 10-3-2005 से 31-3-2005	500 रु. के फुल टॉक वैल्यू रिचार्ज कूपन
	फ्री एक्टिवेशन ऑफर 1.1.2005 से 31.1.2005	5000/- रु. से 1000/- रु. के एफ/टी/वी के फ्री एक्टिवेशन रिचार्ज कूपन
2005-08	त्योहार ऑफर	पोस्टपेड: 15-10-2005 तक प्लान 225, 325 और 525 के अंतर्गत बुक किए गए नए कनेक्शनों पर से एक्टिवेशन प्रभार हटा दिए जाएंगे। प्रीपेड: 15-9-2005 तक एक्टीवेट किए गए 1000 रु. मूल्य के रिचार्ज कूपन पर फुल टॉक टाईम
	होली त्योहार के उपलक्ष्य में प्रोत्साहन ऑफर (14-3-2006 से 31-3-2006)	पोस्टपेड: जो पोस्टपेड उपभोक्ता प्लान 225, 325 और 525 के अंतर्गत अपने कनेक्शन बुक करवाते हैं उन्हें 6 महीने के स्थान पर एक्टिवेशन की तारीख से ही लॉयल्टी डिस्काउन्ट दिया जाएगा। सभी पोस्टपेड ग्राहकों के लिए उनके नेटवर्क में एलएसए के अंतर्गत 0.10 प्रति एसएमएस की दर से एसएमएस करने की अनुमति होगी। प्रीपेड: (क) 300 और 500 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाईम

1	2	3
		(ख) 2000 और 3000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक टाईम।
		(ग) 500 रु. मूल्य के टॉप अप कार्ड पर 25% अतिरिक्त टॉक टाईम
	फुल टॉक वैल्यू 27-12-2005 से 26-1-2006	रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू
	फुल टॉक वैल्यू 16-12-2004 से 31-1-2006	1000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू
2006-07	फुल टॉक टाईम बोनेन्जा 18-8-2006 से 17-9-2006	• 500 और 1000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाईम। • 2000 और 3000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक टाईम • 5000 रु. के रिचार्ज कूपन जिनमें पहले ही 6000 रु. का टॉक टाईम है उन्हें 7500 रु. का टॉक टाईम दिया जाएगा।
	पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ऑफर 1-9-2006 से 31-10-2006	सभी पोस्टपेड योजनाओं के एक्टिवेशन चार्जेस हटा दिए गए हैं।
2007-08	एक्सेल ग्राहकों के लिए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ऑफर 25-10-2007 से 90 दिनों के लिए	सिल्वर: मासिक किराया - 50 रु. चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर आउटगोइंग लोकल एसएमएस-मुफ्त आउटगोइंग राष्ट्रीय और रोमिंग एसएमएस-30 पैसे न्यूनतम अपेक्षित अधिशेष-75रु.
		गोल्ड: मासिक किराया-70रु. चेन्नई और तमिलनाडु के अदंर लोकल कॉलें बीएसएनएल नेटवर्क (फिक्स्ड, डब्ल्यूएसएल और मोबाइल)-0.40 पैसे प्रति 60 सेकण्ड अन्य मोबाइल-0.50 पैसे प्रति 60 सेकण्ड अन्य फिक्स्ड लाईन/डब्ल्यूएलएल-0.70 पैसे प्रति 60 सेकण्ड न्यूनतम अपेक्षित अधिशेष-100 रु.
		प्लेटिनम : मासिक किराया-111 रु. चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर स्थानीय कॉलें बीएसएनएल नेटवर्क (फिक्स्ड, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल)-0.40 पैसे प्रति 60 सेकण्ड अन्य मोबाइल-0.50 पैसे प्रति 60 सेकण्ड अन्य फिक्स्ड लाइन/डब्ल्यूएलएल 0.70 पैसे प्रति 60 सेकेण्ड चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर आउट गोइंग लोकल एसएमएस-मुफ्त आउटगोइंग राष्ट्रीय एवं रोमिंग एसएमएस-30 पैसे न्यूनतम अपेक्षित अधिशेष-125 रु.
2007-08	फुल टॉक वैल्यू 16-10-2006 से 14-11-2006	300, 500 और 1000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू
	फ्रीडम ऑफर 13-8-2007 से 11-9-2007	• 200 रु. मूल्य के रिचार्ज कूपन पर 100% अतिरिक्त टॉक वैल्यू • इसमें 2000 रु. के रिचार्ज कूपन पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू • 200 और 500 रु. के टाप अप कूपनों पर 20% अतिरिक्त टॉक वैल्यू • 300, 500 और 1000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू

1	2	3
	एक्सेल प्रीपेड रिचार्ज कूपनों के लिए अतिरिक्त टॉक वैल्यू और फुल टॉक वैल्यू 17-5-2007 से 15-3-2007	• 3000 और 5000 रु. के रिचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू • 500, 1000 और 2500 रु. के रिचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू

2. हरियाणा

वित्तीय वर्ष 2006-07

प्रीपेड सेलुलर मोबाइल सेवाओं के अंतर्गत 16-10-2006 से 14-11-2006 तक दिवाली बोनान्जा, जिसे 29-11-2006 तक बढ़ाया गया

क्र.सं.	रिचार्ज कूपन का मूल्य (सेवा कर	विद्यमान टॉक टाईम	विद्यमान वैधता	प्रस्तावित टॉक टाईम	प्रस्तावित वैधता
1.	2000/- रु.	2000/- रु.	180 दिन	2200/- रु.	365 दिन
2.	3000/- रु.	3000/- रु.	365 दिन	3750/- रु.	365 दिन
3.	5000/- रु.	6000/- रु.	365 दिन	7500/- रु.	365 दिन
4.	500/- रु. टीयू	500/- रु.	शून्य	625/- रु.	शून्य
5.	200/- रु. टीयू	200/- रु.	शून्य	250/- रु.	शून्य

3. झारखंड

2004-05	(i) रक्षा बंधन ऑफर (26-8-2004 से 6-9-2004)	बहन के नाम पर बेसिक फोन–कोई रजिस्ट्रेशन, संस्थापन चार्जेस नहीं
	(ii) 3+1 आरसीवी ऑफर (22-10-2004 से 15-11-2004)	3 आरसीवी खरीदने पर 1 आरसीवी मुफ्त
	(iii) नव वर्ष ऑफर (31-1-2005 तक)	500 और 1000 आरसीवी पर फुल टॉक टाईम, पोस्टपेड मोबाइल का मुफ्त एक्टिवेशन। बेसिक फोन पर कोई संस्थापन चार्ज नहीं।
2005-06	(i) रक्षा बंधन/जन्माष्टमी ऑफर 19-8-2005 से 26-8-2005	बहन के नाम पर बेसिक फोन-कोई रजिस्ट्रेशन, संस्थापन चार्जेस नहीं
2006-07	(i) बीएसएनएल-दशहरा, ईद, गुरुनानक जयंति एवं बड़ा दिन ऑफर, 4 महीनों की अवधि के लिए 1-10-2006 से 31-3-2007 तक ऑफर में विस्तार	100 रु. पर लैण्डलाइन बुकिंग ऑफर में एक्सेल या आईटीसी 100 रु. मुफ्त
	(ii) 15 अगस्त से 3 महीनों तक स्वतंत्रता दिवस ऑफर	300, 500 और 1000 रु. के आरसीवी पर फुल टॉक टाईम
	(iii) क्रिसमस और नववर्ष 17-12-2006 से 19-3-2007	500 और 1000, 2000, 3000 और 5000 रु. पर अतिरिक्त टॉक टाईम

1	2	3
2007-08	स्वतंत्रता दिवस ऑफर-90 दिनों के लिए 10-8-2007 से	बेसिक+डब्ल्यूएलएल के लिए प्रोत्साहन योजना-बेसिक और डब्ल्यूएलएल के साथ मुफ्त आईटीसी प्रत्येक बीफोन और डब्ल्यूएल एल कनेक्शन की बुकिंग पर 100 रु. मूल्य का आईटीसी कार्ड मुफ्त दिया जाएगा।
	स्वतंत्रता दिवस ऑफर 10 अगस्त से 4 सितंबर, 2007	2000, 3000 और 5000 रु. के आरसीवी पर 35% अतिरिक्त टॉक टाईम
	जम्माष्टमी ऑफर-17 अगस्त, 2007 से 16 सितंबर, 2007	200, 300, 500 और 1000 रु. के आईसीवी पर फुल टॉक टाईम
	स्वतंत्रता दिवस ऑफर-2-10-2007 से 30-12-2007 तक 90 दिनों के लिए	प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए 500 बैलेंस योजना। यदि एक सामान्य प्रीपेड ग्राहक अधिशेष आधारित टैरिफ के अंतर्गत न्यूनतम 500 रु. का अधिशेष रखता है। तो वह घटे हुए कॉल रेट पर अंतरापरिमंडल कॉल कर सकता है। 60 पैसे प्रति मिनट अपने नेटवर्क के लिए 90 पैसे प्रति मिनट अन्य नेटवर्क के लिए।
	क्रिसमस ऑफर-19 नवंबर, 2007 से 31 दिसंबर, 2007	प्रीपेड मोबाइल के लिए स्टुडेंट डिलाइट 1. 249 रु. दर के सिमकार्ड (सेवा कर सहित) की वैधता 31-12-2008 तक है और प्रारंभिक टॉक वैल्यू 30 रु. है। 2. ग्राहक के लिए प्रतिमाह (एलएसए के अंदर) 30 लोकल एसएमएस मुफ्त होंगे। एक माह के लिए प्रयुक्त न हुए मुफ्त एसएमएस अगले महीने में नहीं जुड़ेंगे। 3. वैधता अविध में फ्री यूसेज के बाद एसएमएस चार्जेस (रोमिंग सहित) 25 पैसा प्रति एसएमएस की दर से होंगे। 4. सभी लोकल कॉलें वैधता के भीतर 99 पैसा प्रति मिनट की दर से प्रभारित की जाएंगी। रात्रि के समय कॉल चार्ज 50 पैसा प्रति मिनट होगा। 5. झारखंड और बिहार के दो बीएसएनएल नंबरों पर 50 पैसा प्रति कॉल लागू होगा। इनमें से एक नंबर झारखंड या बिहार का लैण्डलाइन नंबर होना चाहिए। 6. 31-12-2008 के बाद यह प्लान सामान्य प्रीपेड प्लान में बदल जाएगा जिसका नाम एक्सेल पॉवर होगा। 7. वैल्यू वाउचर को ''स्टुडेंट डिलाइट'' योजना के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 8. रिचार्ज वाउचर और टॉप-अप कार्ड सामान्य एक्सेल प्लान के रूप में कार्य करेंगे। 9. अन्य सुविधाएं एक्सेल पावर की तरह होंगी।

1	2	3
4. केरल		
2004-05	रक्षा बंधन, जन्माष्टमी 29-8-2004 से 6-9-2004	मौजूदा लैंडफोन ग्राहक की बहन के नाम पर नया टेलीफोन कनेक्शन-कोई रजिस्ट्रेशन, संस्थापन चार्जेस नहीं
	दीपावली 22-10-2004 ये 15-11-2004	मोबाइल प्रीपेड के लिए 3+1 रिचार्ज कूपन (3 आरसीसी की खरीद पर उसी मूल्य का एक आरसीसी मुफ्त)
2005-06	राखी 19-8-2005 से 26-8-2005	बहन के नाम पर नया बेसिक फोन-कोई रजिस्ट्रेशन, संस्थापन चार्जेस नहीं
	एक्समस, नव वर्ष	100 रु. के रिचार्ज कूपन पर फुल टॉक वैल्यू (16-12-2005 से 31-1-2006) 2000 और 3000 के आरसीसी के लिए 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू (27-12-2005 से 26-1-2006)
	14-3-2006 से 31-3-2006	300/500 के आरसीसी पर फुल टॉक वैल्यू आरसीसी 2000/आरसीसी 3000 और टाप अप 500 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू पात्रता प्राप्त पोस्टपेड प्लान के लिए एक्टिवेशन की तारीख से लॉयल्टी बोनस
	22-3-2006 से 31-3-2006	अनंत (लाइफ टाइम प्रीपेड) के लिए डबल प्रारंभिक टॉक टाइम ऑफर
2006-07	ओणम ऑफर (17-8-2006 से 16-9-2006)	आरसीसी 500 और आरसीसी 1000 पर फुल टॉक वैल्यू आरसीसी 2000/आरसीसी 3000 और आरसीसी 5000 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू पोस्टपेड के लिए मुफ्त एक्टिवेशन एक्टिवेशन की तारीख से लायल्टी बोनस
	दिवाली ऑफर (19-10-2006 से 18-11-2006)	आरसीसी 300, आरसीसी 500, आरसीसी 1000 और आरसीसी 2500 पर फुल टॉक टाईम टाप अप 500 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू
	एक्समस, नववर्ष (20-12-2006 से 30 दिन)	आरसीसी 500 पर फुल टॉक वैल्यू आरसीसी 2500, 3000, 5000 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू
2007-08	विश्व दूरसंचार दिवस (17-5-2007 से 15-6-2007)	आरसीसी 500, 1000 और 2500 पर फुल टॉक वैल्यू आरसीसी 3000 और आरसीसी 5000 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू पोस्टपेड के लिए 15-3-2007 से 12-6-2007 तक बीएसएनएल के अंदर की जाने वाली लोकल और एसटीडी कॉलों पर 50% रियायत। अग्रिम भुगतान पर प्लान 100 के लिए) 15-7-2007 तक) जीरो रेण्टल' स्कीम
	ओणम (17-8-2007 से 30 दिन)	आरसीसी 300, 1000 और 2500 तक फुल टॉक वैल्यू आरसीसी 3000 और आरसीसी 5000 पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू 100, 200 और 500 रु. के टाप अप पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू पोस्टपेड प्लान 100/140 ग्राहकों के लिए 13-11-2007 तक यूसेज चार्जेस पर 25% छूट

1	2	3
5. कर्नाटक		
2006-07	नव वर्ष ऑफर 1-1-2007 से 31-1-2007	300, 500 और 1000 रु. के रिचार्ज कूपन पर फुल टॉक टाइम
	नववर्ष ऑफर 1-1-2007 से 31-1-2007, 14-3-2007 तक बढ़ाया गया।	2000, 3000 और 5000 रु. के रिचार्ज कूपन पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम
	नववर्ष ऑफर 20-1-2007 से 90 दिन	ब्रॉडबैण्ड ग्राहकों के लिए पोस्टपेड कनेक्शन ऑफर (क) मुफ्त एक्टिवेशन (ख) सभी पोस्टपेड प्लान में किसी भी नेटवर्क पर 200 लोकल एसएमएस प्रति माह मुफ्त
	महाशिव रात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, होली-2-2-2007 से 31-3-2007	आरएच डीईएन के लिए एआरडी प्रभारों से मुक्ति
	महाशिव रात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, होली-15-2-2007 से 90 दिन	(i) जिन ग्राहकों ने 2000 रु. मूल्य के रिचार्ज कूपन लिए हैं उन्हें एक फ्री सिम कार्ड दिया गया। (ii) जिन ग्राहकों ने 3000 रु. मूल्य के रिचार्ज कूपन के लिए उन्हें 2 फ्री सिम कार्ड दिए गए। (iii) जिन ग्राहकों ने 5000 रु. मूल्य के रिचार्ज कूपन लिए उन्हें 3 फ्री सिम कार्ड दिए गए।
2007-08	स्वतंत्रता दिवस और अन्य त्योहार 16.7.2008 से 90 दिन	कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल के सभी डिमाण्ड क्षेत्रों में बीफोन्स के संस्थापन प्रभार हटाए गए
	स्वतंत्रता दिवस और अन्य त्योहार 8.8.2007 से 90 दिन	आरसी कूपनों पर फुल/अतिरिक्त टॉक टाइम
	दीपावली-नवंबर, 2007 के दौरान	वे ग्राहक जो 225 रु. और उससे कम के पोस्टपेड प्लान ले रहे हैं वे अक्टूबर 2007 की तुलना में नवंबर 2007 माह के दौरान की गई अतिरिक्त कॉलों के समतुल्य फ्री टॉक टाइम के पात्र होंगे, जो 100 रु. के अधिकतम विस्तार टॉक मूल्य तक सीमित हैं। इसी प्रकार से जो ग्राहक 225 और उससे अधिक मूल्य के पोस्टपेड प्लान लेते हैं वे अक्टूबर, 2007 की तुलना में नवंबर, 2007 के दौरान की गई अतिरिक्त कॉलों के समतुल्य 200 रु. के अधिकतम सीमा तक टॉक मूल्य प्राप्त करेंगे। बीएसएनएल नेटवर्क (लैण्डलाइन और मोबाइल नेटवर्क दोनों) के लिए फ्री टॉक टाइम होगा।
2007-08	दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान-15-9-2007 से 13-12-2007	खुशी-जोड़ी: पोस्टपेड प्लान 225, 229, 325, 525 और 725 के लिए मुफ्त सिम ऑफर। महा एसएमएस-कर्नाटक में किसी भी नेटवर्क में 5000 मुफ्त एसएमएस जिनके लिए 50 रु. का अतिरिक्त मासिक भुगतान करना होगा। आंद्रे गुदिना हक्कीगलु-राज्य सरकार/संगठन/बिजनेस हाऊस/अभिकरणों आदि के लिए 249 रु. प्रति सीयूजी कनेक्शन।

1	2	3
6. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित (समान एलएसए)		
2004-05	स्वतंत्रता दिवस योजना: यह योजना 15-8-2004 से 14-9-2004 तक एक महीना चली	1. आईसी सुविधा सहित सुलभ प्लान- केवल आईसी सुविधा सहित सुलभ प्लान के अंतर्गत प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 100 रु. मूल्य का आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया। 2. आउटगोइंग सुविधा सहित गैर-एसटीडी-एनटीसी कनेक्शन, सामान्य प्लान और सुलभ प्लान के अंतर्गत प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 200 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा। 3. किसी भी योजना के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी एनटीसी प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 500 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा। 4. 1+1 योजना: यदि किसी व्यक्ति के पास बीएसएनएल टेलीफोन है जिसके लिए उसने "निर्धारित सुरक्षा जमा राशि दी है तो उसे दूसरा टेलीफोन बिना किसी रजिस्ट्रेशन राशि के दिया जाएगा और सुरक्षा जमा राशि उसी नाम और शहर के नाम पर होगी। 5. आईएसडीएन कनेक्शन- आईएसडीएन कनेक्शन की बुकिंग पर 500 रु. का एक आईटीसी मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा। 6. डीएनपी योजना- डीएनपी रिकनेक्शन के मामले में बीच की अवधि के किराए को माफ किया जा सकता है यदि ग्राहक बकाया राशि का भुगतान करता है।
	क्रिसमस और नववर्ष योजना	यह योजना 15-8-2004 को लागू की गई थी जिसे क्रिसमस के लक्ष्य में 24-12-2004 से एक माह के लिए पुन: जारी कर दिया गया।
2005-06	स्वतंत्रता दिवस-2005 के अवसर पर प्रोत्साहन योजना	1. केवल आईसी सुविधा सहित सुलभ प्लान प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया।
	योजना अवधि 15-08-2005 से 14-09-2005	2. सुलभ (आईसी) प्लान के अंतर्गत 10 महीने तक भुगतान करें और 12 महीनों तक सेवा का आनंद लें। यदि सुलभ प्लान का ग्राहक एनटीसी बुक करता है और यदि वह 10 महीने का किराया अग्रिम भुगतान करता है तो 11 और 12वें महीने के लिए वह किराया मुफ्त होगा (ग्राहक को एक वर्ष की सेवा के लिए 10 महीने के किराए का भुगतान करना होगा) प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा।

1	2	3
		3. आउटगोइंग सुविधा सहित सामान्य प्लान और सुलभ प्लान के अंतर्गत गैर-एसटीडी एनटीसी कनेक्शन (i) प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग (यदि ग्राहक संचार नेट कार्ड नहीं चाहता है तो उसे 100 रु. के आईटीसी कार्ड से बदला जा सकता है अर्थात् कुल 200 रु. का आईटीसी कार्ड दिया जा सकता है; पर उपहार के रूप में 25 घंटे का संचारनेट कार्ड और मुफ्त उपहार के रूप में 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड दिया जाएगा। 4. किसी भी प्लान के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी एनटीसी प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग पर उपहार के रूप में 25 घंटे का संचारनेट कार्ड और मुफ्त उपहार के रूप में 200 रु. का एक आईटीसी कार्ड दिया जाएगा (यदि ग्राहक संचारनेट कार्ड के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे 100 रु. मूल्य के आईटीसी कार्ड से बदला जा सकता है। अर्थात् कुल 300 रु. का आईटीसी कार्ड दिया जा सकता है।) 5. 1+1 स्कीम: यदि किसी व्यक्ति के पास बीएसएनएल टेलीफोन है और उसने निर्धारित सुरक्षा धन जमा करा दिया है तो उसे उसी नाम और उसी शहर में बिना पंजीकरण राशि और सुरक्षा धन जमा कराए एक अतिरिक्ति गैर-एसटीडी टेलीफोन दिया जा सकता है। 6. एसटीडी पीसीओ के लिए (i) नए एसटीडी पीसीओ (लैण्डलाइन) की बुकिंग पर एक लोकल पीसीओ बिना किसी सुरक्षा जमा राशि और पंजीकरण प्रभार (केवल लोकल पीसीओ के लिए) के बिना उसी नाम और पते पर दिया जाएगा। (ii) प्रत्येक नए एसटीडी पीसीओ की बुकिंग पर 500 रु. का एक आईटीसी मुफ्त दिया जाएगा। (iii) न्यूनतम् गारंटी 800 रु. को केवल एक वर्ष के लिए घटाकर 500 रु. कर दिया जाएगा। एक वर्ष के बाद सामान्य न्यूनतम गारंटी राशि 800 रु. होगी। कमीशन सहित अन्य सभी शर्तें वर्तमान अनुदेशों के अनुसार रहेंगी। 7. डीएनपी योजना (सभी एसएसए के लिए) (i) डीएनपी रिकनेकशन के मामले में बीच की अवधि के किराए को हटाया जा सकता है यदि ग्राहक बकाया राशि का 50% भुगतान कर देता है। शेष 50% दूसरे महीने में देना होगा। कनेक्शन 50% के भुगतान के बाद 24 घंटे के अंदर पुन: जोड़ दिया जाएगा। (ii) सीसीबी/एसटीडी-पीसीओ कनेक्शन के लिए डिस्कनेक्टेड अवधि हेतु न्यूनतम गारंटी छोड़ दी जाएगी यदि ग्राहक बकाया राशि को जमा कर देता है।

1	2	3
2005-06	(ख) रक्षा बंधन-जन्माष्टमी योजना 2005, योजना अवधि 19 अगस्त से 26 अगस्त, 2005	बी-फोन के लिए (क) काई पंजीकरण शुल्क नहीं (ख) कोई संस्थापन शुल्क नहीं
	(ग) दीवाली के अवसर पर प्रोत्साहन योजना-2005 योजना अवधि 31-10-2005 से 30-11-2005	1. केवल आईसी सुविधा सहित सुलभ प्लान प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया गया। 2. सुलभ (आईसी) प्लान के अंतर्गत 10 महीने तक भुगतान करें और 12 महीने तक सेवा का आनंद लें। (i) यदि सुलभ प्लान का ग्राहक एनटीसी बुक करता है और यदि वह 10 महीने का किराया अग्रिम भुगतान करता है तो 11 और 12वें महीने के लिए वह किराया मुफ्त होगा (ग्राहक को एक वर्ष की सेवा के लिए 10 महीने के किराए का भुगतान करना होगा)। (ii) प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा। 3. आउटगोइंग सुविधा सहित सामान्य प्लान और सुलभ प्लान के अंतर्गत गैर-एसटीडी एनटीसी कनेक्शन (i) प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग (यदि ग्राहक संचार नेट कार्ड नहीं चाहता है तो 100 रु. के आईटीसी कार्ड से बदला जा सकता है अर्थात् कुल 200 रु. का आईटीसी कार्ड दिया जा सकता है) पर उपहार के रूप में 25 घंटे का संचारनेट कार्ड और मुफ्त उपहार के रुप में 100 रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड दिया जाएगा। (ii) इस एनटीसी पर प्रथम दो महीने के बिल पर किराए में छूट अथवा 500/- रु. जो भी कम हो, दिया जाएगा। 4. किसी भी प्लान के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी एनटीसी (i) इस एनटीसी पर प्रथम दो महीने के बिल पर किराए में छूट अथवा 500/- रु. जो भी कम हो, दिया जाएगा। (ii) प्रत्येक एनटीसी की बुकिंग के साथ 500/- रु. मूल्य का एक आईटीसी कार्ड उपहार के रुप में दिया जाएगा। 5. 1+1 स्कीम: यदि किसी व्यक्ति के पास बीएसएनएल टेलीफोन है और उसने निर्धारित सुरक्षा धन जमा करा दिया है तो उसे उसी नाम और उसी शहर में बिना पंजीकरण राशि और सुरक्षा धन जमा कराए एक अतिरिक्त टेलीफोन दिया जा सकता है। 6. एसटीडी पीसीओ के लिए (i) नए एसटीडी पीसीओ (लैण्ड लाईन) की बुकिंग पर एक लोकल पीसीओ बिना किसी सुरक्षा जमा राशि और पंजीकरण प्रभार (केवल लोकल पीसीओ के लिए) के बिना उसी नाम और पते पर दिया जाएगा।

1	2	3
		(ii) प्रत्येक नए एसटीडी पीसीओ की बुकिंग पर 500 रु. का एक आईटीसी मुफ्त दिया जाएगा। (iii) न्यूनतम गारंटी राशि 800 रु. को केवल एक वर्ष के लिए घटाकर 500 रु. कर दिया जाएगा। एक वर्ष के बाद सामान्य न्यूनतम गारंटी राशि 800 रु. होगी। 7. एसएसए के शीर्ष 10 एसटीडी पीसीओ के लिए उपहार 500 रु. के आईटीसी कार्ड शीर्ष 10 एसटीडी पीसीओ को प्रत्येक एसएसएवार एक मुफ्त आईएन पीसीओ सहित उपहार स्वरूप दिए जाएंगे (बीएसएनएल के लिए अक्टूबर 2004 से सितंबर 2005 तक किए गए बिजनेस के लिए)। 8. डीएनजी योजना (सभी एसएसए के लिए) (i) डीएनपी रिकनेक्शन के मामले में बीच की अवधि के किराए को हटाया जा सकता है, यदि ग्राहक बकाया राशि का भुगतान कर देता है। (ii) सीसीबी/एसटीडी-पीसीओ कनेक्शन के लिए डिस्कनेक्टेड अवधि हेतु न्यूनतम गारंटी।
2006-07	(क) विश्व दूरसंचार दिवस योजना 17.5.2006 से 60 दिनों के लिए शुरू की गई	(i) मुफ्त संस्थापना (ii) पंजीकरण राशि केवल 200 रु.
	(ख) फ्रीमेन फोन योजना स्वतंत्रता दिवस 2006 को 60 दिनों के लिए शुरू की गई।	1. ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए 100 रु. में लैण्डलाइन कनेक्शन की बुकिंग और 100 रु. का आईटीसी मुफ्त उपहार के रूप में। 2. शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए 200 रु. में लैण्ड लाईन कनेक्शन की बुकिंग और 200 रु. का आईटीसी मुफ्त उपहार के रूप में।
	(ग) राखी योजना 9-8-2006 से 30 दिनों के लिए शरू की गई।	1. वर्तमान बीएसएनएल बी-फोन ग्राहक अपनी बहन को फोन उपहार स्वरूप दे सकते हैं। 2. मुफ्त पंजीकरण 3. मुफ्त संस्थापना
2007-08	(क) लैण्डलाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए विश्व दूरसंचार दिवस 07 पर प्रोत्साहन योजनाएं। 17-5-2007 से 30 दिनों के लिए शुरू की गई।	(क) लाडली बेटी योजना महिला ग्राहकों द्वारा नया प्रीपेड सिम खरीदने पर 112 रु. के टॉप-अप वाउचर मुफ्त दिए जाएंगे। (ख) डबल धमाका स्कीम 1. बुकिंग के समय नया प्रीपेड सिम कनेक्शन मुफ्त उपहार के रूप में दिया जाएगा। 2. संस्थापना चार्जेस में 400 रु. की छूट दी जाएगी। ग. पोस्टपेड मोबाइल प्लान-325, 525 और 725 के अंतर्गत 1+1 योजना

1	2	3
		इस योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त रेण्ट फ्री लिंक्ड पोस्टपेड कनेक्शन प्लान 325, प्लान 525 और प्लान 725 के अंतर्गत नए कनेक्शन (मुख्य कनेक्शन) के साथ दिया जाएगा और इसके अलावा इन कनेक्शनों से कॉलें मुफ्त होंगी।
	(ख) स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य त्योहार 14-8-2007 से 60 दिनों के लिए शुरू किए गए।	कैश बैक ऑफर: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुकिंग राशि-100 रु. शहरी क्षेत्रों के लिए-200 रु. सुरक्षा जमा राशि 6 समान किश्तों में, पहले 6 बिलों में कुल छूट 500 रु. कैश बैक के रूप में।
	स्वतंत्रता दिवस 15-8-2007 से शुरू	लो कर लो बात: लो कर लो बात एड ऑन पैक-मध्य प्रदेश परिमंडल में किसी भी 2 अंक से शुरू होने वाले नंबर पर असीमित मुफ्त कॉल करें और पूरे महीने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ परिमंडल में बीएसएनएल मोबाइल नंबर (94 से शुरू होने वाले) पर असीमित कॉल करें। स्पेशल प्लान के ग्राहकों के लिए इस एड ऑन पैक का किराया 99 रु. प्रतिमाह और स्पेशल प्लस के ग्राहकों के लिए 49 रु. प्रतिमाह, सामान्य प्लान के ग्राहकों के लिए सुपर और प्रीमियम प्लान 149 रु. प्रतिमाह, प्लान 150, वन इंडिया, 250 और प्लान 330
	स्वतंत्रता दिवस और अन्य त्योहार 14.8.2007 से 30 दिनों के लिए शुरु	1. शहरी क्षेत्रों के लिए बुकिंग राशि 200 रु. और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 रु. जिसे सुरक्षा जमा राशि में से समायोजित किया जाएगा। 2. योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एनटीसी बुकिंग पर कोई संस्थापना चार्ज नहीं लिया जाएगा।
7. उड़ीसा		
2006-07	रथ यात्रा उत्सव (16-6-2006 से 15-7-2006 तक)	(क) नए सिम के एक्टीवेशन पर 50/- रुपये के स्थान पर 200/- रुपये की फुल टॉक वैल्यू। (ख) 500/- रुपये के आरसीवी पर फुल टॉक टाइम तथा 2000/- रुपये व 2000/- रुपये के आरसीवी पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम।
2006-07	रक्षा बंधन 06 आफर (09-08-2006 से 8-9-2006 तक)	(क) प्रीपेड सिम की कीमत 100/- रुपये कर दी गई (ख) निष्क्रिय प्रीपेड सिम कार्डों का एक्टीवेशन
	दुर्गा पूजा ऑफर 15-09-2006 से 13-12-2006 तक	अनंत सिम 949/- रुपये के स्थान पर 699/- रुपये में उपलब्ध
	दुर्गा पूजा ऑफर 01-10-2006 से 24-12-2006 तक	300/-, 500/- तथा 1000/- रुपये के आरसीवी पर फुल टॉक टाइम तथा 2000/-, 3000/- तथा 5000/- रुपये के आरसीवी पर 25% अधिक टॉक टाइम
	होली उत्सव (02-03-2007 से 30-05-2007)	1000/- रुपये की पेपर आरसीवी पर फुल टॉक टाइम तथा 2000/-, 3000/- तथा 5000/- रुपये पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू
2007-2008	राजा व कार उत्सव (13-06-2007 से 10-09-2007)	200/-, 300/- व 500/- रुपये पर आरसीवी फुल टॉक वैल्यू

1	2	3
	राजा व कार उत्सव (16-06-2007 से 13-09-2007)	100/- रुपये के स्थान पर 30/- रुपये के प्री-पेड सिम एक्टीवेशन पर फुल टॉक वैल्यू
	बरहमपुर एसएसए के लिए लैंडलाइन पर रथायात्रा ऑफर	250/- रुपये की मूल कीमत के बजाय 100/- रुपये में पंजीकरण 500/- रुपये के संस्थापन शुल्क की छूट
	राउरकेला एसएसए के लैंडलाइन पर	पंजीकरण 100 रु., मूल कीमत 250 की जगह 500/- रु. के संस्थापन शुल्क की छूट
	रक्षाबंधन, 2007 आफर (28-08-2007 से 27-10-2007)	पिछले 6 महीने के भीतर निष्क्रिय करवाए गए प्रीपेड सिम का 200/- रुपये के आरसीवी पर एक्टीवेशन
	दुर्गा पूजा ऑफर (01-10-2007 से 29-12-2007 तक)	1000/- रुपये के आरसीवी पर फुल टॉक टाइम तथा 2000/-, 3000/- व 5000/- के आरसीवी पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम
	पावर प्लस पैकेज प्रमोशनल योजना (बीएसएनएल दिवस ऑफर) (01-10-2007 से 29-12-2007)	पावर प्लस पैकेज प्रमोशनल योजना का आरम्भ, सामान्य प्रीपेड तथा पोस्ट पेड के लिए रात्री एसटीडी काल्स आधे मूल्य पर
	दीवाली 2007 ऑफर (09-11-2007 से 06-02-2008)	पॉवर प्लस पैकेज प्रमोशनल योजना का लाइफ टाइम, वन-इंडिया, बंडलिंग योजना प्रीपेड में विस्तार मोबाइल पोस्ट पेड प्लॉन 725 योजना के तहत लैंडलाइन पर अनलिमिटेड कॉल्स
8. पंजाब		
2005-06	होली (15-03-2006 से 22-3-2006 तक)	1000 रुपये तथा 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर प्रमोशन योजना, 1000 रुपये तथा 2000 रुपये के कूपनों पर क्रमश: 180 दिन तथा 365 दिन बढ़ा दी गई है।
2006-07	बैशाखी (13-4-2006 से 27-4-2006 तक)	200 रुपये, 300 रुपये तथा 500 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर प्रमोशनल योजना 200 रुपये, 300 रुपये व 500 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू दी गई।
	बैशाखी (13-4-2006 से 19-4-2006 तक)	1000 रुपये, तथा 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर प्रमोशनल योजना अर्थात् वैधता बढ़ाई गई। 1000 रुपये तथा 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर वैधता क्रमश: 180 दिन तथा 365 दिन बढ़ा दी गई।
	दीपावली (2-10-2006 से 15-11-2006 तक)	300 रुपये व 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर प्रमोशनल योजना 300 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 300 रुपये फुल टॉक वैल्यू। 2000 रुपये के रीचार्ज कूपन पर 2200 रुपये की टॉक वैल्यू तथा 365 दिनों की वैधता।
	नव वर्ष 2007 (1-1-2007 से 31-3-2007 तक)	लैंडलाइन/डब्ल्यूएसएल नियत उपभोक्ताओं के लिए नव वर्ष बोनान्जा। प्लान 150 तथा 200 नाम के दो नए प्लान क्रमश: 150 रुपये तथा 200 रुपये नि:शुल्क मासिक उपयोग के साथ शुरू किए गए।
	नव वर्ष 2007 (1-1-2007 से 31-3-2007 तक)	सेलुलर पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के लिए नव वर्ष बोनान्जा। दो नए प्लान अर्थात् "गवर्नमेंट प्लान" तथा "प्लान 199" शरू किए गए। 30 रुपये में 2000 एसएमएस का नया एसएमएस पैक भी शुरू किया गया।

1	2	3
2006-07	नव वर्ष 2007 (1-1-2007 से 31-3-2007 तक)	सेलुलर प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नव वर्ष बानान्जा। एक्सेल सामान्य सिम पर 100 रुपये की फुल टाक वैल्यू। 200 रुपये के रीचार्ज कूपन पर 199 रुपये की टाक टाइम। 1000 रुपये के रीचार्ज कूपन पर 1000 रुपये की टाक वैल्यू तथा 300 दिनों की वैधता। 2500 रुपये के रिचार्ज कूपन पर 3000 रुपये की वैल्यू।
2007-08	जन्माष्टमी (1-9-2007 से 21-9-2007 तक)	150 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर प्रमोशनल योजना। 150 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 150 रुपये की फुल टॉक वैल्यू दी गई।
	दीपावली (6-10-2007 से 10-11-2007 तक)	लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल नियत उपभोक्ताओं के लिए प्रमोशनल योजना। लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल नियत उपभोक्ताओं के लिए दो नए टैरिफ प्लान शुरू किए गए। 1. पंचवर्षीय प्लान 3000 रुपये के एक समय के भुगतान पर एक नया लैंडलाइन/ डब्ल्यूएलएल फिक्सड कनेक्शन पाँच वर्षों के लिए (ओ/जी केवल एफएलपीपी/आईटीसी/कॉलनाउ के माध्यम से, कोई मासिक बिल नहीं। 2. चक-दे पंजाब प्लान: 666 रुपये का नियत मासिक शुल्क, अंतरा परिमंडल भारत संचार निगम लिमिटेड, एनडब्ल्यू, में असीमित नि:शुल्क कालें, पल्स दर वन इंडिया के अनुसार।
	दीपावली (6-10-2007 से 10-11-2007 तक)	सेलुलर प्रीपेड ग्राहकों के प्रमोशनल योजना सेलुलर प्रीपेड ग्राहकों को 650 रुपये के नियत मासिक शुल्क के साथ एक नया प्लान-650 दिया गया, जिसमें 699 रुपये का नि:शुल्क उपयोग था (रोमिंग के दौरान 325 रुपये विकल्प-1 के अनुसार होम एलएसए तथा एसएमबी जीपीआरएस में 325 रुपये)
9. तमिलनाडु		
2004-05	रक्षाबंधन/जन्माष्टमी (29-08-2004 से 06-09-2004 तक)	बी-फोन का पंजीकरण एक ग्राहक द्वारा अपनी बहन के नाम पर करवाने में 10 किश्तों में एआरडी, कोई पंजीकरण तथा संस्थापन शुल्क नहीं।
	उत्सव काल दशहरा/दीवाली	(22-10-2004 से 15-11-2004 तक) किश्तों में एआरडी की वसूली नये लैंडलाइन फोन के साथ 50 घंटों का नि:शुल्क इंटरनेट कोर्ड। 3 रीचार्ज कूपनों की खरीद पर समान मूल्य का एक रीचार्ज कूपन मुफ्त (01-10-2004 से 31-10-2004 तक) मध्यवर्ती अवधि के लिए किराए के भुगतान के बिना बीफोन का रीकनेक्शन दिया जाना। सेलुलर सेवा के लिए विलम्बर शुल्क की छूट। वायरलाइन सेवा के लिए देय की निकासी तिथि का अधिभार की छूट। दो पोस्टपेड कनेक्शनों के बीच 31-12-2004 तक नि:शुल्क टॉक (1-11-2004 से 30-11-2004 तक) बिलों के भुगतान पर नि:शुल्क आईटीसी कार्ड (22-10-2004 से 30-11-2004 तक)

1	2	3
	नव वर्ष 2005	एक नये फोन बुकिंग पर फ्री आईटीसी कार्ड तथा संस्थापन शुल्क में छूट। पोस्टपेड कनेक्शनों का नि:शुल्क एक्टिवेशन 500 रुपये तथा 1000 रुपये के एक्सेल रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू (1-1-2005 से 31-1-2005 तक)
2004-06	रक्षाबंधन/जन्माष्टमी	बीफोन के लिए एक ग्राहक द्वारा अपनी बहन के नाम पर बुकिंग करवाने पर एआरडी 10 किश्तों में, कोई पंजीकरण तथा संस्थापन शुल्क नहीं। (19-8-2005 से 26-8-2005 तक)
	दशहरा	प्लान 225/325/525 के तहत पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन बुक करवाने वालों के लिए सिमकार्ड फ्री (23-8-2005 से 15-10-2005 तक) 1000 रुपये के रीचार्ज कूपन पर फुल टाक वैल्यू (23-8-2005 से 30-9-2005 तक)
	दुर्गा पूजा	2000 रुपये, 5000 रुपये मूल्य के आईटीसी कार्ड खरीदने वालों को फ्री आईटीसी कार्ड (3-10-2005 से 4-11-2005 तक)
	दीवाली	500 रुपये कार्ड 1000 रुपये मूल्य के रीचाज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू (1-11-2005 से 15-11-2005 तक)
	क्रिसमस तथा नव वर्ष	1000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू (16-12-2005 से 31-1-2006 तक) 2000 रुपये तथा 3000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू (27-12-2005 से 26-1-2006 तक)
2005-06	होली	प्लान 225, 325 तथा 525 के तहत पोस्टपेड कनेक्शनों के एक्टिवेशन की तिथि से पोस्टपेड ग्राहकों को लॉयल्टी डिसकाउन्ट तथा 10 पैसे पर स्थानीय एसएमएस (14-3-2006 से 31-3-2006 तक) 300 रुपये तथा 500 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक वैल्यू, 2000 रुपये के रीचार्ज कूपन तथा आईटीसी कार्ड पर 25% अतिरिक्त टॉक वैल्यू, 500 रुपये तक के टाप-अप कार्डस 25% अतिरिक्त वैल्यू (14-3-2006 से 31-3-2006 तक)
2006-07	क्रिसमस तथा नव वर्ष	15-12-2006 से 15-1-2007 के बीच बुक राये गए लैंडलाइन कनेक्शनों पर संस्थापन शुल्क की छूट।
	क्रिसमस तथा नव वर्ष	300 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 5000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर तथा 500 रुपये के टाप-अप कार्डस पर अतिरिक्त टॉक वैल्यू (20-12-2006 से 18-1-2007 तक)
2007-08	विश्व दूरसंचार दिवस	लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल बुकिंग पर संस्थापन शुल्क की छूट। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर अतिरिक्त टॉक वैल्यू (14-5-2007 से 10-8-2007 तक)

1	2	3
	स्वतंत्रता दिवस	300/500/1000/200/2000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर अतिरिक्त टॉक वैल्यू (13-8-2007 से 11-9-2007 तक)
	दीपावली/क्रिसमस/नववर्ष/पोंगल	लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल बुकिंग पर संस्थापन शुल्क की छूट। (1-11-2007 से 29-7-2008 तक) नये लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल/पोस्ट पेड कनेक्शन बुक करने वाले सभी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क एक्सेल प्रीपेड आरम्भक पैक सिम सभी मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नि:शुल्क एक्सेल प्रीपेड आरम्भक पैक सिम। (20-10-2007 से अगले 100 दिनों के लिए) बीएसएनएल फिक्सलाइन/डब्ल्यूएलएल से की गई सभी एसटीडी/आईएलडी कॉलों की दर पर छूट। सभी पोस्टपेड तथा प्रीपेड सामान्य ग्राहकों के लिए अव्यस्ततम क्षणों के दौरान (प्रशुल्क में 50% छूट) रात्रि वार्तालाप सुविधा (1-11-2007 से अगले 90 दिनों तक)
10. जम्मू-कश्मीर		
2005-2006	क्रिसमस तथा नव वर्ष 27-12-2005 से 26-01-2006	1. 2000 तथा 3000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 225 रुपये का अतिरिक्त टॉक टाइम दिया गया।
	होली 14-03-2006 से 31-03-2006 तक	1. 300 तथा 500 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टाक टाइम। 2. 2000 तथा 3000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर तथा 500 रुपये के टॉप-अप वाउचर पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम
2006-2007	श्री अमरनाथ जी यात्रा 21-06-2006 से 20-08-2006 तक)	1. 500 तथा 1000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाइम 2. 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम 3. 500 रुपये के टॉप-अप वाउचर पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम
	नवरात्रि 23.09.2006 से 22.10.2006	प्रमोशन योजना के दौरान जिनका अभिदान समाप्त हो चुका था उनके सामान्य/अनंत/वन इंडिया सिम पर एक्टिवेशन शुल्क नहीं लगा।
	दशहरा/ईदउल-फितर/दिवाली 1-10-2006 से 30-11-2006	1. 500 तथा 1000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाइम। 2. 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 15% अतिरिक्त टॉक टाइम तथा 8 महीने की वैधता। 3. 3000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम 4. 5000 रुपये के टॉप-अप वाउचर पर 10% अतिरिक्त टॉक टाइम
	संशोधित सिम एक्टिवेशन योजना 12-9-2006 तथा उसके आगे	नये प्री-पेड कनेक्शन एक्टिवेशन शुल्क=200 रुपये, टॉक टाइम - 130 रुपये, वैधता 7 दिन
	क्रिसमस तथा नववर्ष 20-12-2006 से 19-12-2007 तक	1. 1000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाइम 2. 2000 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 15% अतिरिक्त तथा 8 महीने की वैधता 3. 3000 रुपये के रीचार्ज कूपन पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम 4. के टॉप-अप वाउचर पर 20% अतिरिक्त टॉक टाइम 5. 5000 रुपये के रीचार्ज कूपन पर 6000 रुपये का टॉक टाइम तथा 3 वर्ष की वैधता।

1	2	3
	नवरात्रि तथा ईद-ए-मिलाद 15-3-2007 से 1-4-2007 तक	प्रमोशनल अवधि के दौरान बेचे गए तथा चालू किए गए सिमों पर टॉक टाइम 130 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया।
2007-2008	टूरिस्ट/उत्सव काल प्रमोशनल योजना 1-6-2007 से 31-8-2007 तक	रीचार्ज / टॉक टाइम / वैधता 500 / 500 / 45 दिन 1000 / 1100 / 4 महीने 2000 / 2300 / 8 महीने 3000 / 3600 / 1 वर्ष 5000 / 6250 / 1 वर्ष टॉप अप वाउचर 200 / 250 / लागू नहीं 500 / 600 / लागू नहीं
	बीएसएनएल दिवस/उत्सव काल 01-10-2007 से 31-12-2007	रीचार्ज / टॉक टाइम / वैधता 500 / 500 / 60 दिन 1000 / 1100 / 6 महीने 2000 / 2300 / 1 वर्ष 3000 / 3600 / 2 वर्ष 5000 / 6250 / 3 वर्ष टॉप अप वाउचर 200 / 250 / लागू नहीं 500 / 600 / लागू नहीं

11. कोलकाता टेलीफोन्स

2004-05	पूजा पूर्व योजना	बी-फोन 1. नये फोन के लिए निवेदन करते समय कोई डाउन पेमेंट नहीं। 2. संस्थापन और प्रतिभूति जमा 12 महीने में वापस ले लिया गया। 3. इस योजना के तहत प्रत्येक आवेदक को 108 रुपये का आईटीसी कार्ड नि:शुल्क दिया गया।
	दशहरा-दिवाली	1. नि:शुल्क बी-फोन फोन योजना 2. बी-फोन के लिए बिल के भुगतान पर नि:शुल्क आईटीसी कार्ड। 3. बीएसएनएल के किसी भी ग्राहक सेवा केन्द्र से एक समय में एक ही मूल्य के तीन रीचार्ज कूपनों की खरीद पर एक रीचार्ज कूपन फ्री। 4. पोस्टपेड सेलुलर (सेलवन) योजना: (क) नवम्बर 2004 के दौरान लिए गए प्लान 525 के तहत दो पोस्टपेड कनेक्शनों के बीच नि:शुल्क टॉक। (ख) पोस्टपेड कनेक्शनों के लिए नि:शुल्क एक्टिवेशन 5. निकासी तिथि तक के लिए निम्नलिखित शुल्कों में छूट दी गई: (क) सेलुलर सेवाओं के लिए विलम्ब शुल्क (ख) वायरलाइन सेवाओं के लिए अधिभार

1	2	3
	विशेष योजना-नव वर्ष 2005	1. सभी नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए संस्थापना शुल्क की छूट 2. एनटीसी की बुकिंग के लिए 500 रुपये का नि:शुल्क आईटीसी कार्ड 3. पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कोई एक्टिवेशन शुल्क नहीं। 4. 1102 तथा 551 रुपये के रीचार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाइम।
2005-06	विशेष पूजा आफर	(i) संशोधित पल्स और समय निम्नानुसार है:

जिससे की गयी कालें	दिन का समय (सेकेण्ड में)	21.00 बजे से 23.00 बजे तक और 5.00 बजे से 8.00 बजे तक	23.00 बजे से 5.00 बजे तक	रविवार/छुट्टी अवकाशपूर्व
बेसिक से बेसिक पर	180	360	600	सभी दिनों के लिए 600
बेसिक से डब्ल्यूएलएल मोबाइल पर	90	90	300	300
बेसिक से सेलवन पर	60	60	180	180

(ii) कोई संस्थापना और पंजीकरण प्रभार नहीं

(iii) प्लान 140 शुरू की गयी

(iv) प्लान 100 शुरू की गयी

	दुर्गा पूजा ऑफर	2000/- रुपये व 3000/- रुपये क्रमश: के आईटीसी कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों को 200 रु. तथा 300/- रु. के फ्री आईटीसी कार्ड।
	दीवाली-बोनान्जा	सभी इंटरनेट डायल उपभोक्ताओं के लिए दीवाली बोनान्जा (फ्री अपग्रेड) दो महीने के लिए 250/- रुपये के ब्रॉडबैंड मासिक किराया शुल्क की छूट।
2006-07	रक्षा बंधन	200/- रुपये, 300/- रुपये तथा 1000/- रुपये के रीचार्ज कूपन पर अधिक टॉक टाइम।
	दशहरा	500/- रुपये के रीचार्ज कूपन पर फुल टॉक टाइम।
2007-08	दशहरा	500/- रु. तथा 1000/- रुपये के रीचार्ज कूपनों पर 500/- रुपये तथा 1000/- रुपये का फुल टॉक टाइम दिया गया।
	पूजा	एक्सेल अनंत सिम की कीमत 495/- रुपये (सेवाकर सहित) से घटाकर 250/- रुपये (सेवा कर सहित) से घटाकर 250/- रुपये (सेवा कर सहित) कर दी गई है।
12. एनई-I		
2006-07	क्रिसमस व नव वर्ष 15-12-2006 से 15-1-2007	अवधि के दौरान किए गए रीचार्ज पर फुल टॉक टाइम/अधिक टॉक टाइम ऑफर 4000/- के रीचार्ज पर, 5000/- रुपये की टॉक वैल्यू 5000/- के रीचार्ज पर, 7000/-रुपये की टॉक वैल्यू।

1	2	3
	होली 15-03-2007 से 31-3-2007	लैंड-लाइन के लिए संस्थापन शुल्क में छूट ऑफर शहरी क्षेत्र में संस्थापन शुल्क में 500/- रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 300/- रुपये की छूट लैंड लाइन कनेक्शन पर आईटीसी कार्ड फ्री ऑफर उत्सव काल में नए फोन कनेक्शनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये के आईटीसी तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये के आईटीसी कार्ड
	रामनवमी तथा महावीर जयंती 25-03-2007 से 31-03-2007	सभी मौजूदा बैंड लाइन ग्राहकों के लिए फ्री एक्सेल सिम 100 रुपये का फ्री सिम एक्टिवेशन शुल्क
2007-08	दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी व ईद-उल-फितर 01-09-2007 से 31-10-2007	फ्री एसएमएस ऑफर 200 रुपये के आरसी पर 50 नि:शुल्क एसएमएस 500 रुपये के आरसी पर 150 फ्री एसएमएस टीयू 200 टॉप अप पर 500 फ्री एसएमएस टीयू 200 तथा उससे अधिक पर 150 फ्री एसएमएस, उत्सव काल में अभी पोस्ट पेड योजनाओं पर 100 फ्री एसएमएस फ्री सिम एक्टिवेशन ऑफर उत्सव काल के दौरान सभी पोस्ट/प्री पेड पर 100 रुपये तथा सामान्य सिम एक्टिवेशन फ्री
	दूर्गा पूजा, जन्माष्टमी, ईद-उल-फितर व दीपावली 01-10-2007 से 31-12-2007	लैंडलाइन कनैक्शन के साथ आईटीसी फ्री ऑफर उत्सव काल के दौरान नए पुराने कनैक्शनों की बुकिंग पर ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीसी 200 व शहरी क्षेत्रों में आईटीसी 500 फ्री
13. एनई-II		
2006-07	क्रिसमस व नव वर्ष (25-12-2006 से 24-01-2007)	3000/- से 4000/- रुपये के रीचार्ज वाउचर पर व 5000/- से 7000/- रुपये के रीचार्ज वाउचर पर बढ़ा हुआ टॉक टाइम
14. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
2006-07	डब्ल्यूएलएल के लिए दीपावली ऑफर	कोई पंजीकरण शुल्क नहीं कोई प्रतिभूति जमा नहीं कोई संस्थापन शुल्क नहीं सुलभ किराया क्रमश: 120/- रुपये से घटाकर 80/- रुपये तथा 50/- रुपये से 30/- रुपये कर दिया गया।
15. बिहार		
2006-07	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2006 से 15 नवम्बर 2006)	पोस्ट पेड (सेल-वन) तथा प्री पेड (एक्सेल) (क) प्लान 225/325/525 के तहत पहले दिन से ही अर्थात् एक्टिवेशन तारीख से ही पोस्ट-पेड सेलवन) मोबाइल कनेक्शन पर क्रमश: 250/- रुपये/-, 75/- रुपये 175/- का लायल्टी डिसकाउंट (ख) 300/- रुपये, 500/- रुपये तथा 1000/- रुपये कीमत के रीचार्ज कूपनों पर रीचार्ज वाउचर (आईसीवी) की कीमत के बराबर फुल टॉक टाइम।

1	2	3
	नवरात्रि, 23 सितम्बर, 2006-6 नवम्बर 2006	इन अवधि के दौरान नये बेसिक फोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण शुल्क 250/- रुपये कर दिया गया। (प्रतिभूति जमा तथा संस्थापन शुल्क आने वाले बिलों में 6 किश्तों में अदा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण के समय ग्राहक को निम्न ऑफर दिए जाएगा: (क) एक प्रीपेड सिम कार्ड मुफ्त (ख) 100 रुपये का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त
	विशेष पूजा ऑफर, 5 अक्तूबर, 2006 से 4 दिसम्बर, 2006	रीचार्ज न करवाने के कारण बंद हुए एक्सेज प्रीपेड कनेक्शन निर्धारित अतिरिक्त अनुकम्पा अवधि के दौरान रीचार्ज न करवाने के कारण काटे गए एक्सेल प्रीपेड कनेक्शन को ग्राहक के अनुरोध पर पुन: कनेक्शन दिया जाए। (एक निर्धारित आवश्यक फार्म में) ग्राहक को 300 रुपये या उससे अधिक का रीचार्ज खरीदना होगा जिस पर वह 30 रुपये टॉक टाइम का एक मुफ्त सिम पाएगा।
	विशेष ऑफर	प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा (क) 500 रुपये व 1000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर रीचार्ज वाउचर (आरसीवी) के मूल्य के बराबर का फुल टॉक टाइम दिया जाएगा।
	क्रिसमस व बकरीद ऑफर 20 दिसम्बर, 2006 से 18 जनवरी, 2007	(ख) 2000 तथा 3000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपनों पर रीचार्ज वाउचर (आरसीवी) के मूल्य का 15% अधिक टॉक टाइम तथा 5000 रुपये मूल्य के रीचार्ज कूपन पर रीचार्ज वाउचर (आरसीवी) के मूल्य का 35% अधिक टॉक टाइम दिया जाएगा।
2006-07	होली 19 जनवरी, 2007-19 मार्च, 2007	प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा क्रम संख्या 4 प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा के लिए प्रमोशनल योजना का विस्तार
	होली व रामनवमी 15 फरवरी, 2007 से 31 मार्च, 2007	जीएसएम पीसीओ के लिए 1800 रुपये में जीएसएम पीसीओ का टर्मिनल के साथ संबंधीकरण
	होली व रामनवमी 1 मार्च, 2007 से 31 अगस्त, 2007	बिहार में बी-फोन (एलकेएलबी योजना) 121 रुपये प्रत्येक महीने (कर रहित) पर हमारे स्वयं के नेटवर्क में बिहार परिमंडल के भीतर असीमित कालें।
2007-08	स्वतंत्रता दिवस व अन्य उत्सव 6 अगस्त, 2007 से 4 सितम्बर, 2007	"बीएसएनएल मानसून धमाका ऑफर प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा" रीचार्ज कूपनों पर 2000, 3000 व 5000 मूल्य के रीचार्ज वाउचरों (आरसीवी) पर मूल्य का 35% अतिरिक्त टॉक टाइम दिया जाएगा।
	स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2007 से 13 सितम्बर, 2007	प्रीप्रेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा रीचार्ज कूपनों पर 200 रुपये 300 रुपये, 500 रुपये, व 1000 रुपये मूल्य के रीचार्ज वाउचर (आरसीवी) पर फुल टॉक टाइम
	गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, 2007 से 30 दिसम्बर, 2007	प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा: बकाया राशि आधारित टैरिफ के तहत यदि एक सामान्य प्रीपेड उपभोक्ता कम से कम 500 रुपये शेष रखता है तो वह कम कॉल दर पर अंतरा परिमंडल कालें कर सकता है।

1	2	3
	बीएसएनएल उत्सव ऑफर 1 नवम्बर, 2007 से 29 जनवरी, 2008	प्रीपेड (एक्सेल) मोबाइल सेवा, "मैजिक वाउचर"। यह एक विशेष टैरिफ वाउचर है जो 30 दिनों के लिए कॉल दरों को कम कर देता है। इसमें रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 7 बजे तक एलएसए के भीतर (बिहार व झारखंड) मोबाइल तथा फिक्स्ड बीएसएनएल नेटवर्क पर मुफ्त कालें की जा सकती हैं।
	बीएसएनएल उत्सव ऑफर 12-10-2007 से 31-12-2007	जीएसएम पीसीओ 100 रुपये के कार्ड की वैधता 15 दिन से 30 दिन बढ़ा दी गई।
	बीएसएनएल उत्सव ऑफर 12-10-2007 से 31-12-2007	बेसिक फोन के लिए (क) आरिम्भक पंजीकरण शुल्क 500 रुपये के स्थान पर 100 रुपये निर्धारित की गई (ख) बकाया शुल्क तथा एआरडी आने वाले बिलों में 3 द्विमासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।
16. आंध्र प्रदेश		
2004-05	दशहरा व दीवाली के लिए विशेष योजनाएं	एक रुपये में बिना किसी शुल्क के नया टेलीफोन कनेक्शन विभिन्न बिल राशियों के अदा करने पर अलग-अलग मूल्य के आईटीसी कार्ड मुफ्त प्रीपेड व पोस्टपेड सेलुलर योजनाएं भी शामिल
	रक्षाबंधन, जन्माष्टमी योजना	बहन के नाम पर बिना किसी पंजीकरण व संस्थापन शुल्क के फोन बुक किया जा सकता है।
	नव वर्ष के लिए विशेष योजनाएं	नये फोन कनेक्शनों के साथ संस्थापन शुल्क की छूट तथा 500 रुपये के आईटीसी कार्ड मुफ्त
	हज यात्रियों के लिए छूट	हज यात्रियों के लिए हज टर्मिनलों पर 95 सुविधा के साथ फ्री स्थानीय कॉलों का प्रावधान
	होली के लिए विशेष योजनाएं	(क) उच्चतर मूल्य के आईटसी कार्ड की खरीद पर एक आईटीसी कार्ड मुफ्त (ख) नए टेलीफोन कनेक्शन की बुकिंग पर 500/- रुपये मूल्य का एक आईटीसी कार्ड मुफ्त
	प्रत्येक प्रमुख त्यौहार पर प्रोत्साहन योजना	तीन रिचार्ज कूपन की प्रत्येक खरीद पर एक रिचार्ज कूपन मुफ्त।
2005-06	रक्षाबंधन, जन्माष्टमी योजना	बिना पंजीकरण एवं स्थापन प्रभार के भुगतान के बहन के नाम पर फोन बुक किए जा सकते हैं। एआरडी 10 किस्तों में
	दुर्गा पूजा त्यौहार	2000/- रु. मूल्य के आईटीसी कार्ड की खरीद पर एक 200/- रु. आईटीसी कार्ड मुफ्त। 5000/- रु. मूल्य के आईटीसी कार्ड की खरीद पर एक 500/- रु. आईटीसी कार्ड मुफ्त।
	हज तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष योजनाएं।	हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज टर्मिनल पर 95 सुविधा वाले दो नि:शुल्क स्थानीय का प्रावधान।

1	2	3
	प्रत्येक प्रमुख त्योहार पर प्रोत्साहन योजना	रिचार्ज कूपन पर पूरा टॉक टाइम।
2006-07	रक्षाबंधन योजना	500/- रु. मूल्य की एनपीसी की बुकिंग पर मुफ्त आईटीसी
	दशहरा, दिवाली और रमजान योजना	एनपीसी के लिए पहले और छठे महीनों के किरायों में छूट।
	क्रिसमस, नया साल एवं संक्रांति	5 वैकल्पिक महीनों में 100/- रु. की छूट
	युगादी योजना	क. प्लान-249 के बी-फोन कनेक्शन के लिए (इंटरनेट उपयोग में लगातार दो महीनों के मासिक बिल में 250/- रु. की छूट। ख. नये बी-फोन कनेक्शन के साथ मुफ्त सिम कार्ड।
	हज तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष योजनाएं।	हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज टर्मिनल पर 95 सुविधा वाले दो निःशुल्क स्थानीय का प्रावधान।
	प्रत्येक प्रमुख त्योहार पर प्रोत्साहन योजना	रिचार्ज कूपन पर पूरी टॉक वैल्यू और उच्चतर मूल्यों के कार्ड पर 25% अतिरिक्त टॉक टाइम (वर्ष में दो बार)।
2007-08	विश्व दूरसंचार दिवस पर असीमित योजनाओं का आरंभ	प्लान 399, 599 और 899 आरंभ जिसमें बीएसएनएल नेटवर्क में असीमित मुफ्त कॉलें।
	त्योहार माह के दौरान बीएसएनएल फिक्स्ड/ डब्ल्यूएलएल से शुरू हुई कॉलों के आईएलडी टैरिफ में कटौती का प्रोत्साहन टैरिफ।	क. यूएसए, कनाडा की कॉल दरें 7.20 रु. से 6.00 रु. प्रति मिनट। ख. साऊदी अरब, इराक और यमन की कॉल दरें 12 रु. से 9.60 रु. प्रति मिनट।
	त्योहार माह के दौरान अंतरा परिमंडल कॉल प्रभार में परिशोधन का प्रोत्साहन टैरिफ	फिक्स्ड टू फिक्स्ड और फिक्स्ड टू सेलुलर (अपने नेटवर्क में) अंतरा परिमंडल कॉल में कटौती-1.20 रु. प्रति मिनट से 0.80 रु. प्रति 90 सेकॅंड।
	रक्षा बंधन योजना	एनपीसी के लिए संस्थापन प्रभार में छूट
	दशहरा, दिवाली और रमजान योजना	एनपीसी के लिए संस्थापन प्रभार में छूट
	क्रिसमस, नया साल एवं संक्रांति	एनपीसी के लिए संस्थापन प्रभार में छूट
17. गुजरात		
2004-05	स्वतंत्रता दिवस	500/ रु. किराया 455 मुफ्त कॉलें
2006-07	स्वतंत्रता दिवस	100/-- रु. किराया 200 मुफ्त कॉलें 225/- रु. किराया 225 मुफ्त कॉलें 325/- रु. किराया 325 मुफ्त कॉलें 525/- रु. किराया 525 मुफ्त कॉलें
	होली	525 एवं 325 पोस्ट पेड प्लान के साथ एक सिम कार्ड मुफ्त। गुजरात में किराया 125 रु. बीएसएनएल मोबाइल पर कॉल दर 0.30 और अन्य पर 0.60

1	2	3
2007-08	स्वतंत्रता दिवस	1400 रु. का रिचार्ज कूपन वैलिडिटी 120 दिन, टॉप अप 1000 रु. वैलिडिटी 90 दिन 300 रु. का रिचार्ज कूपन वैलिडिटी 30 दिन।
18. असम		
2004-05	बिहु त्योहार	डिस्कनेक्शन के बाद बिना किसी बकाया किराए के भुगतान के लैंडलाइन कनेक्शन का रिकनेक्शन। डाटा वन ब्राडबैंड सेवा के लिए कोई अतिरिक्त डाउन लोड प्रभार नहीं।
	दुर्गा पूजा त्योहार एवं दिवाली	सेलवन प्लान 100
2005-06	दिवाली और नये साल के अवसर पर 16-12-05 से 31-01-06	1102/- रु. के मूल्य के रिचार्ज कूपन पर 1000 रु. का पूरा टॉक टाइम। केवल 99 रु. में 1000 मैसेज मुफ्त। बिहु आफर के दौरान वन इंडिया अवसर
2006-07	पूजा, दिवाली और नए साल	लंबी अवधि से बकाया राशि का भुगतान न होने पर डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल और लैंडलाइन का रिकनेक्शन। पूजा और दिवाली ऑफर पर सेलवन प्लान 725 में असम में बीएसएनएल मोबाइल को की गई सभी कॉलें एवं एसएमएस मुफ्त।
	30 अप्रैल, 2007 तक बिहु त्योहार	ऑफर अवधि के दौरान डिस्कनेक्ट किए गए सेलवन कनेक्शन का बिना किसी बकाया किराए के भुगतान का रिकनेक्शन। सभी बीएसएनएल लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त एक्सल कनेक्शन।
19. हिमाचल प्रदेश		
2006-07	स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, दशहरा, दिपावली 15-8-2006 से 20-11-2006	सामान्य प्री-पेड सिम लागत 200 रु. + कर, टॉक टाइम 50 रु0 के स्थान 200 रु. वैलिडटी 30 दिन, मौजूदा 7 दिनों की अतिरिक्त ग्रेस अवधि के दौरान पर 15 दिन के साथ अर्थात 30+15 दिन।
	रक्षा बंधन, गणेश चतुर्थी 21-8-2006 से 20-9-2006	500 रु., 1000 रु. के रिचार्ज वाउचर पर योजन-मौजूद 361 रु. और 822 रु. के टॉक टाइम के स्थान पर 500 रु. 1000 रु. की बढ़ी हुई टॉक टाइम।
	गांधी जयंती, दशहरा 1-10-2006 से 30-11-2006	1-6-2006 से डिस्कनेक्ट किए गए प्री पेड सिम कार्ड का रिएक्टिवेशन।
	गांधी जयंती, दशहरा 16-10-2006 से 20-11-2006	300 रु., 500 रु. के रिचार्ज वाउचर पर योना-मौजूदा 175 रु. और 361 रु. के टॉक टाइम के स्थार पर 300 रु. 500 रु. की बढ़ी हुई टॉक टाइम। वैलिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं।
	गुरु गोविंद सिंह जन्म दिन, राम नवमी, होली 5-2-2007 से 27-3-2007	सामान्य प्री-पेड सिम लागत 100 रु. टॉक टाइम 100 रु. वैलिडिटी 200 दिन।
	गुरु गोविंद सिंह जन्म दिन, राम नवमी, होली 5-2-2007 से 16-4-2007	आरसी-300 वैलिडिटी 30 दिन से बढ़ कर 365 दिन आरसी-500 वैलिडिटी 45 दिन से बढ़ कर 365 दिन और टॉक टाइम 361 से बढ़ कर 500/-

1	2	3
		आरसी-1000 वैलिडिटी 120 दिन से बढ़ कर 456 दिन और टॉक टाइम 822 से बढ़ कर 1000/- आरसी-2000 वैलिडिटी 180 दिन से बढ़ कर 560 दिन आरसी-3000 वैलिडिटी 365 दिन से बढ़ कर 600 दिन।
2007-08	बुद्ध पूर्णिमा (9-5-2007 से 29-5-2007)	सामान्य प्री पेड और एक्सेज अनंत 300, 2000, 3000 के रिचार्ज वाउचर पर बढ़ी टॉक टाइम।
	जन्माष्टमी 30-8-2007 से 13-9-2007 तक	संपूर्ण परिमंडल में सामान्य प्रीपेड पर ट्रिपल 100 योजना सोलन और शिमला एसएसए ग्रामीण क्षेत्र में वैलिडिटी 7 दिनों से बढ़कर 100 दिन और टॉक टाइम 30 रु. से बढ़ कर 100 रु.।
	जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और गांधी जयंती 01-9-2007 से 15-9-2007 तक और 20-9-2007 से 04-10-2007 तक	सामान्य प्रीपेड और एक्सेल अनंत की आरसी-1000 और आरसी-3000 पर योजना वेलिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं टॉक टाइम क्रमश: 822 रु. से 1000 रु. और 3000 रु. से 3500 रु. की वृद्धि।
		सामान्य प्रीपेड और एक्सेल की आरसी-200 पर योजना, टॉक टाइम में कोई परिवर्तन नहीं, वैलिडिटी 30 दिन से बढ़ कर 45 दिन।
	जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और गांधी जयंती, दशहरा 01-9-2007 से 30-10-2007 तक	नया वैलिडिटी कूपन (केवल इलेक्ट्रानिक रिचार्ज द्वारा) मूल्य आरसी-30, आरसी-50, आरसी-100 शून्य टॉक टाइम और क्रमश: 21 दिन, 45 दिन और 120 दिन की वैलिडिटी के साथ।
	गांधी जयंती दशहरा 01.10.2007 से 30.10.2007 तक	पोस्ट पेड प्लान 2999 पर नई योजना
	दीपावली (07-11-2007 से 21-11-2007 तक)	रिचार्ज कूपन पर योजना-आरसी-1000, आरसी-500, आरसी-200 के रिचार्ज कूपन मूल्य में 1200 रु., 500 रु. एवं 200 रु. की बढ़ हुई टॉक टाइम।
	दीपावली और क्रिसमस (07-11-2007 से 25-12-2007 तक)	नया ब्राडबैंड कनेक्शन 6 महीने के उपयोग के बाद 500 रु. की छूट
20. राजस्थान		
2006-07	प्रोत्साहन योजना (26-01-07 से 25-04-07)	नये सिम कार्ड के एक्टीवेशन पर 30 रु. की टॉक वैल्यू और 7 दिनों की वैलिडिटी के स्थान पर 50 रु. की टॉक वैल्यू और 60 दिनों की वैलिडिटी।
	क्रिसमस और नए साल की प्रोत्साहन योजना (16-12-2006 से 10-03-2007)	1. 5000 रु. की आरसी और एक वर्ष के स्थान पर 2 वर्षों की वैलिडिटी। 2. 500 रु. की आरसी और 45 दिनों के स्थान पर 90 दिनों की वैलिडिटी। 3. अनंत सिम 199 रु. के स्थान पर 399 रु. का प्रारंभिक टॉक मूल्य।
	दशहरा त्योहार (14-10-2006 से 15-11-2006)	500 रु. की आरसी और 6000 रु. के स्थान पर 6500 रु.।

1	2	3
		3000 रु. की आरसी 3000 के टॉक टाइम और 12 महीनों की वैलिडिटी के स्थान पर 3300 रु. का टॉक टाइम और 15 महीनों की वैलिडिटी। 2000 रु. की आरसी 6 महीनों के स्थान पर 9 महीनों की वैलिडिटी। टाप अप 500 रु. टॉक वैल्यू 500 रु. के स्थान 550 रु.।
	गांधी जयंती, गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी 21-9-2006 से 26-10-2006 तक	500 रु., 1000 रु., 2500 रु. की आरसी क्रमश: 361 रु. 822 रु. और 2000 रु. के स्थान पर पूरा टॉक टाइम।
2007-08	दिवाली धमाका प्रतियोगिता (15-10-2007 से 24-11-2007)	टोन के लिए रजिस्टर करने वाले नए उपभोक्ताओं के लिए 20 रु. के मासिक नियत प्रभार में छूट।
	पूरा पैसा वसूल (दशहरा त्योहार) (01-09-2007 से 24-10-2007)	2500 रु. 2000 के स्थान. पर 2809 रु. का टॉक टाइम।
	दशहरा त्योहार प्रोत्साहन योजना (17-8-2007 से 12-11-2007)	नये सिम कार्ड के एक्टीवेशन पर 30 रु. की टॉक वैल्यू और 7 दिनों की वैलिडिटी के स्थान पर 50 रु. की टॉक वैल्यू और 30 दिनों की वैलिडिटी।
21. महाराष्ट्र		
2004-05	स्वतंत्रता दिवस एवं 28-07-2004	बी फोन के लिए नए टैरिफ पैकेज-बी फोन उपभोक्ताओं के लिए प्लान, 240, प्लान 490, प्लान 990, 1490 की शुरुआत।
2006-07	होली और 15-03-2007	बीमा राशि, संस्थापन प्रभार और प्रतिभूति जमा में छूट
2007-08	स्वतंत्रता दिवस एवं 13-08-2007	1000 रु., 300 रु, के रिचार्ज कूपन और 500 रु. के टॉप अप पर प्रोत्साहन योजना। आरसी-300 रु.-टॉक टाइम 1400 रु. आरसी-1000 रु.-टॉक टाइम 300 रु. टॉप अप-500 रु.-टॉक टाइम 1000 रु.
	रक्षा बंधन और 25-08-2007	एक्सेल अनंत लाइफ टाइम प्री पेड कार्ड पर प्रोत्साहन योजना रक्षा बंधन विशेष आफर। एक्सेल अनंत के 495 रु. के कार्ड के एक्टीवेशन पर अतिरिक्त टॉक टाइम। 28-08-2007 से 31-08-2007-251 रु. - टॉक टाइम। 01-09-2007 से 03-09-2007-151 रु. - टॉक टाइम।
	रक्षा बंधन और 03-09-2007	एक्सेल अनंत लाइफ टाइम प्री पेड कार्ड पर प्रोत्साहन योजना रक्षा बंधन विशेष आफर। एक्सेल अनंत के 495 रु. के कार्ड के एक्टीवेशन पर अतिरिक्त टॉक टाइम। 04-09-2007 से 07-09-2007–151 रु. - टॉक टाइम।
	बीएसएनएल दिवस और 29-09-2007	एक ही टेलीफोन नंबर पर वाईएनए और एमजीयू की ऐडऑन सुविधा का साथ में प्रावधान

1	2	3
	बीएसएनएल दिवस और 10-10-2007	महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल में जीपीआरएस और एमएमएस की प्रोत्साहन योजना। एलएसए के अंदर मात्रा आधारित उपयोगिता प्रभार 2 पैसे प्रति के वी से घटाकर एक पैसा प्रति के बी एमएमएस सुविधा नि:शुल्क कर दी गई है।
	दशहरा और 19-10-2007	एक्सेन लाइफ टाम प्री पेड अनंत 495 रु. योजना की पुन: शुरुआत। एक्सेल अनंत 495 रु. योजना हर छमाही में न्यूनतम 50 रु. के रिचार्ज के साथ। बीएसएनएल मोबाइल से बीएसएनएल मोबाइल में 0.60 रु. प्रति मिनट की कॉल।
	दशहरा और 19-10-2007	बीएसएनएल प्री पेड मोबाइल स्टार्टर पैक में प्रोत्साहन योजना की पुन: शुरुआत। एक्सेल प्री पेड मोबाइल स्टार्टर पैक में 7 दिनों से 30 दिनों तक वैलिडिटी में वृद्धि।
22. पश्चिम बंगाल		
2006-07	स्वतंत्रता दिवस 15-08-2006 से 31-08-2006 तक	स्वतंत्रता उत्सव-225, 325 और 525 की पोस्ट पेड योजनाओं में 175 रु. की विशेष नि:शुल्क कॉलें।
	पूजा ऑफर 25-08-2006 से 13-10-2006 तक	500 रु. के आर बी में पूरी टॉक वैल्यू।
	पूजा ऑफर 01-09-2006 से	निगम कार्यालय से तीन ऑफर 1. पोस्ट पेड प्लान 725 2. एक्टिवेशन चार्ज में कटौती 3. बढ़ी हुई नि:शुल्क कॉलें
	पूजा आफर 26-09-2006 से 13-10-2003 तक	200 रु., 300 रु. और 1000 रु. की आरवी पर बढ़ी हुई टॉक वैल्यू
	पूजा ऑफर 16-10-06 से 14-11-2007 तक	325 और 525 की पोस्ट पेड योजना के साथ नि:शुल्क टॉक टाइम
	पूजा आफर 18-10-2006 से 16-11-2006	नया प्री पेड कनेक्शन, 500 रु. के आरवी के मुफ्त एक्टिवेशन के साथ
	क्रिसमस और नया साल 18-12-2006 से 01-01-2007	300 रु., 2500 रु. और 5000 रु. की आरवी पर बढ़ी हुई टॉक वैल्यू
2007-08	पूजा ऑफर (29-08-07 से 26-11-07)	समर एक्सेल 500 रु. की आरवी पर बढ़ी हुई टॉक वैल्यू समर एक्सेल एक्सेल सामान्य पर घटी हुए कॉल प्रभार अर्थात 0.90 के स्थान 0.70 पैसा प्रति मिनट।

1	2	3
		500 रु. + अन्य प्रभार के आरवी की खरीद पर पुराने एक्सेल सामान्य कनेक्शन की प्राप्ति। सभी एवं नए सेलवन प्लान 100 कनेक्शन के लिए 1 रु. के स्थान पर 0.70 पैसे के घटे हुए लोक कॉल प्रभार, 3 नंबरों के लिए एक्सेल पावर सुविधा (न्यूनतम 2 फिक्स्ड लाइनें)।
2007-08	पूजा ऑफर (1-9-07 से 29-11-07)	स्थान आधारित सेवाओं पर प्रोत्साहन योजनाएं : विज्ञापन पर : 300 रु. का किराया माफ, 600 मुफ्त एमएमएस और अन्य एसएमएस 0.50 पैसा प्रति पुश की दर से प्रभारित किया जाएगा। चैटिंग (डेटिंग सेवा): 1 रु. प्रति एसएमएस के स्थान पर 0.30 पैसा प्रति एमएमएस की दर से एसएमएस प्रभारित किए जाएंगे।
	त्योहार ऑफर 1-11-07 से	• प्लान 525:500 रु. की बढ़ी हुई टॉक वैल्यू (300 रु. के स्थान पर) • प्लान 325:225 रु. की बढ़ी हुई टॉक वैल्यू (100 रु. के स्थान पर) • प्लान 100 लोकल कॉल प्रभार (अन्य नेटवर्क) 1.40 रु. के स्थान पर 1.20 रु. कम कर दिए गए हैं। • एक्सेल-पी 3 नंबरों के लिए, न्यूनतम 2 एल/एल, पोस्ट पेड प्लान 100 योजना के लिए।
	त्यौहार ऑफर 13-10-07 से	• 49 रु. और 89 रु. मूल्य के मैजिक वाउचर, सभी कर सहित, घटे हुए कॉल प्रभारों पर। • 55 रु. के रीवाइवल वाउचर।
23. उत्तर प्रदेश (पूर्व)		
2006-07	दीपावली/दशहरा	ऑफर की गई टॉक वैल्यू में राशि 300-फुल 500-फल 2000-2500 3000-3750 5000-7500 सभी पोस्ट पेड योजनाओं पर सीयूजी ग्राहकों के लिए 19 अक्टूबर, 2006 से 90 दिनों के लिए एक्टिवेशन प्रभार माफ कर दिए गए हैं। 19 अक्टूबर, 2006 से 90 दिनों की अवधि के लिए वैनिटी नंबर नि:शुल्क दिए जाएंगे।
	होली	ऑफर की गई टॉक वैल्यू में राशि 200-फुल 300-फुल 500-525 1000-1100 2000-2200 3000-3300 5000-6600

1	2	3
	होली	(राशि रु. में) 200-200 300-320 500-550 1000-1150 2000-2500 2500-2500 3000-3750 5000-7500
24. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उत्तरांचल सहित (उसी एलएसए में)		
2004-05	रक्षाबंधन और जन्माष्टमी दीपावली उपहार	बहन को मुफ्त में फोन कनेक्शन सेलवन कनेक्शन पर 100 रु. प्रति माह, स्टूडेंट पावर स्कीम 99 रु. प्रतिमाह
2005-06	स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन और जन्माष्टमी दीपावली नए वर्ष तोहफा	ब्राडबैंड इंटरनेट योजना बी फोन ऑफर सरकारी कर्मचारी के लिए 100 रु. प्रति माह में सेलवन कनेक्शन 1000 से 3000 रु. के रिचार्ज कूपन पर 100% टॉक टाइम, 5000 रु. के नए कूपनों पर 1000 रु. का अतिरिक्त टॉक टाइम
2006-07	स्वतंत्रता दिवस दशहरा दीपावली नव वर्ष 2007 होल स्पेशल	कॉल रेट 10 पैसा प्रति मिनट रिचार्ज कूपन और बंद हुए मोबाइल के री-एक्टीवेशन पर अतिरिक्त टॉक टाइम बेसिक फोन, एक्सेल स्टूडेंट पावर, पोस्ट प्लान 140 किराया योजना टेरिफ वाउचर अतिरिक्त टॉक टाइम और वैधता योजना
2007-08 (20.11.07 तक)	विश्व दूरसंचार दिवस (17-5-2007) स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन ईद मुबारक दीपावली ऑफर	ट्रिपल 100 ऑफर और भिन्न आरसी पर 100% टॉक टाइम। लैंड लाइन पर । पोस्ट पेड/प्री पेड कनेक्शन एक्सेल स्टूडेंट पावर प्लान रीचार्ज कूपनों पर 50% अतिरिक्त टॉक टाइम और बढ़ी हुई वैधता। 25% अतिरिक्त टॉक टाइम 10 और 20 रु. के नाए टॉप अप वाउचर एसएमएस वाउचर और समय वैधता अतिरिक्त टॉक टाइम और बढ़ी हुई वैधता एसटीडी वाउचर मैजिक वाउचर अधिशेष आधारित टैरिफ योजना नए कनेक्शन पर पहले री चार्ज पर अतिरिक्त टॉक टाइम

1	2	3
25. निगम कार्यालय प्रोत्साहन योजनाएं		
	विभिन्न परिमंडलों द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजनाओं के अतिरिक्त निगम कार्यालय ने भी त्योहारों के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन योजनाओं के विवरण निम्नानुसार हैं:	
2003-04	हज्ज तीर्थ यात्रा 6-1-2004- से 10-3-2004	सउदी अरब के लिए आईएलडी कॉल प्रभार में 24 रु. प्रति मिनट से 18 रु. प्रति मिनट
2004-05	नव वर्ष 1-1-05 से 31-01-05	– नए टेलीफोन कनेक्शन (एनटीसी) की बुकिंग पर मुफ्त आईटीसी, संस्थापना प्रभारों में मुक्ति। – सेलवन पर मुफ्त एक्टिवेशन और अतिरिक्त क्षमता के क्षेत्रों में 1102 और 551 रु. के एक्सेल री चार्ज कूपनों पर फुल टॉक टाइम।
2004-05-06	हज्ज-2004 में 2005 और 2006	– हज्ज यात्रियों को भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय हवाई अड्डों के हज्ज टर्मिनलों पर 95 सुविधा सहित विशेष रियायती मुफ्त टेलीफोन कॉलें-आने और जाने दोनों के लिए। – 2 मुफ्त लोकल टेलीफोन 95 सुविधा सहित दुबारा दिए गए हैं।
2004-05	होली 10-3-05 से 31-3-05	– 5000 और 2000 रु. मूल्य के आईटीसी कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों को क्रमश: 500 और 200 रु. मूल्य के मुफ्त आईटीसी कार्ड दिए जाते हैं। – उपर्युक्त अवधि के दौरान सुलभ कनेक्शनों के लिए भी 500 रु. के मुफ्त आईटीसी दिए गए थे।
2004-05	दशहरा और दीपावली 22-10-2004 से 30-11-2004	– बी फोन की बुकिंग पर कोई संस्थापना प्रभार नहीं (लोकल/ एसटीडी/सुलभ) और प्रत्येक नए कनेक्शन के साथ 50 घंटे के मुफ्त इंटरनेट कार्ड। – जो ग्राहक बिलों का समय पर भुगतान करते हैं उनके लिए विभिन्न मूल्यों के आईटीसी कार्ड – 3+1 मुफ्त एक्सेल त्यौहार ऑफर । अवधि के दौरान बुक किए गए 2 सेलवन कनेक्शनों के बीच की गई कॉलों पर मुफ्त टॉक टाइम। – अवधि के दौरान बुक किए गए सेलवन पर कोई एक्टिवेशन प्रभार नहीं।
2004-05	तीर्थाटन	– भारत में विभिन्न मजारों पर भ्रमण करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 100 रु. और 200 रु. के समान दर पर होने वाली कॉलों के लिए श्रद्धालु कालिंग कार्ड (पीसीसी) 30-6-2004 तक लागू। – वर्ष में दो बार पीसीसी शुरू करने के लिए मुख्य महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो अधिकतम 6 महीनों तक लागू रहती है।
2004-05	पश्चिम बंगाल ऑफर दुर्गा पूजा 1.9.2004 से 22.11.2005	– कोलकाता/पश्चिम बंगाल में पूजा से पहले बी फोन के लिए विशेष योजना शुरू की गई।
2005-06	पश्चिम बंगाल ऑफर दुर्गा पूजा 3.10.2005 से 4.11.2005	2000 और 5000 रु. मूल्य के आईटीसी की खरीद पर क्रमश: 200 और 500 रु. मूल्य के मुफ्त आईटीसी का ऑफर।

1	2	3
2005-06	रक्षाबंधन/दशहरा 23-08-2005 से 15-10-2005	प्लान 225, 325 और 525 के अंतर्गत नया कनेक्शन एक्टिवेट करने वाले उपभोक्ता को एक नि:शुल्क पोस्ट पेड सिम कार्ड प्रदान किया जाएगा। प्री पेड-7-10-2005 तक एक्टिवेट किए गए 1000 रु. के रीचार्ज पर 1000 रु. का पूरा टॉक टाइम उपलब्ध कराया जाएगा।
	रक्षाबंधन/दशहरा 30-08-2005 से 30-09-2005	प्री पेड-30-09-2005 तक एक्टिवेट किए गए 500 रु. के रीचार्ज पर 500 रु. का पूरा टॉक टाइम उपलब्ध कराया जाएगा।
	क्रिसमस/नया वर्ष 16-12-2005 से 31-01-2006	प्री पेड-16-12-2005 से 31-01-2006 तक एक्टिवेट किए गए 1000 रु. के रीचार्ज पर 1000 रु. का पूरा टॉक टाइम उपलब्ध कराया जाएगा।
	होली 14-03-2006 से 31-03-2006	पोस्ट पेड-14-03-2006 से 31-03-2006 तक की अवधि में प्लान 225, 325 और 525 के अंतर्गत नया कनेक्शन एक्टिवेट करने वाले उपभोक्ता को 6 महीने बाद के स्थान पर एक्टिवेशन तिथि से ही पूरी छूट प्रदान की जाएगी। 14-03-2006 से 31-03-2006 तक की अवधि में सभी पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को अपने ही नेटवर्क में एलएसए के अंदर 0.10 रु. प्रति एसएमएस की दर से एसएमएस। प्री पेड-04-03-2006 से 31-03-2006 तक एक्टिवेट किए गए 300 और 500 रु. के रीचार्ज पर पूरा टॉक टाइम उपलब्ध कराया जाएगा। ऑफर अवधि के दौरान प्री पेड सेवाएं एक्टिवेट करवा रहे उपभोक्ताओं को 25% अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाएगा। ऑफर अवधि के दौरान 500 रु. के टॉप-अप कार्ड पर उपभोक्ताओं को 25% अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाएगा।
2006-07	ग्रीष्म अवकाश 01-05-2006 से 30-06-2006 तक	ऑफर अवधि के दौरान प्लान 325, 525 और वन इंडिया के पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को अन्य एलएसए में रोमिंग के दौरान इन्कमिंग कॉलों पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा। प्लान 325, 525 और वन इंडिया के पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को एीएसएनएल नेटवर्क पर स्थानीय, राष्ट्रीय और रोमिंग एसएमएस को 0.10 रु. प्रति एसएमएस की दर से प्रभारित किया जाएगा।
2007-08	दीपावली और क्रिसमस 8-11-2007 से 06-01-2008 तक	पीक/ऑफ पीक घंटों के दौरान बीएसएनएल नेटवर्क में अंतरापरिमंडल कॉल प्रभार में पल्स दर में 60 सेकेंड से क्रमश: 120/90 सेकेंड की कटौती। यूएसए, कनाडा और सउदी अरब, इराक, यमन की आईएलडी कॉल प्रभार में 7.20 रु. और 12.00 रु. से क्रमश: 6.00 रु. और 9.60 रु. में कटौती।

विवरण–II

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न त्योहारों के पेशकश अवसर पर दी गई प्रोत्साहन स्कीमें

दिल्ली

2004 में

- दिनांक 13.09.2004 से 12.10.2004 तक दो महीने के लिए गरुड़ डब्ल्यूएलएल (एम) के मूल्य में कमी।

2005 में

- दिनांक 1.11.2005 से लैंडलाइन सेवा के लिए प्रमोशनल प्लान।

2006 में

- प्लान ट्राई बी 250 कोम्बो और ट्राई बी बी फोन कोम्बो प्लान की बुकिंग के लिए 16.10.2006 से 15.11.2006 तक मोडम जमानत प्रभार हटा दिये गये।
- 16.10.2006 से 3 महीने के लिए यानी 15.01.2007 तक गरुड/प्रमोशनल असीमित एमटीएनएल नेटवर्क योजना की शुरुआत।
- एमटीएनएल दिल्ली के गरुड़ मोबाइल से एमटीएनएल मुंबई की गरुड़ मोबाइल गरुड़ फिक्स्ड और लैंडलाइनों पर की जाने वाली कालों का शुल्क 1.20 रु. प्रति 3 मिनट की दर से प्रभारित किया जायेगा।
- बीबी-नए बीबी कनेक्शन की बुकिंग पर, शुरू में एक बार में लिया जाना 1300/- रु. का प्रभार समाप्त किया गया।
- डाल्फिन सक्रियण प्रभार के 500 रु. की छूट।
- गरुड़ सक्रियण प्रभार के 300 रु. की छूट।
- कटौती
- दिनांक 23.10.2006 से 15 दिन के लिए एफपीएस के लिए प्रत्याभूति जमा में कटौती।
- दिनांक 01.11.2006 से बेसिक प्लान-प्लान 99 की फिर से शुरुआत

2007 में

- 24.10.2007 से 01.11.2007 एक आईपीटीवी और वीओआईपी के लिए प्रोत्साहन पेशकश।
- 25.10.2007 से एमटीएनएल दिल्ली के भीतर असीमित (अपना नेटवर्क) कॉलिंग प्लान की शुरुआत।
- 25.10.2007 से एमटीएनएल (दिल्ली) में वन मिनट लैंडलाइन फोन प्लान की शुरुआत।
- 29.10.2007 से गरुड़ सेवा में एफडब्ल्यू सुपर इकोनमी पेशकश की शुरुआत।
- एमटीएनएल सीडीएमए दिल्ली नेटवर्क के लिए संशोधित इंटरनेट शुल्क।
- 01.11.2007 से सीडीएमए में प्रीपेड गरुड़ मोबाइल जीवन साथी (आजीवन) की शुरुआत।
- एमटीएनएल लैंडलाइन के हाई एंड प्रयोक्ताओं को निशुल्क ट्रम्प कनेक्शन की प्रोत्साहन पेशकश।

मुंबई

लैंडलाइन, ब्राडबैंड एवं सीडीएमए:

2004 में

- लैंडलाइन उपभोक्ताओं को 2004 में सीआईपी टैरिफ प्लान 1500 एवं 2000

2005 में

- वर्ष 2005 में ब्राडबैंड उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण प्रभार के 500 रु. समाप्त करना।
- वर्ष 2005 में लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए केवल इनकमिंग काल प्लान 150

2006 में

- 28.08.2006 को गरुड़ टैरिफ में कटौती।
- 28.08.2006 को आईपीटीवी (ट्राई बैंड) की शुरुआत।
- वन इंडिया प्लान का मासिक किराया दिनांक 01.11.2006 से 299 रु. से घटाकर 180 रु. कर दिया गया।
- लैंडलाइन की केवल इनकमिंग कॉल योजना 150 को नियमित आधार पर फिर से शुरू किया गया।
- सीडीएमए उपभोक्ताओं के लिए 20.10.2006 से असीमित इंटरनेट प्रयोग।
- लैंडलाइन एवं डब्ल्यूएलएल से एमटीएनएल के अपने नेटवर्क पर कॉलों को 1.20 रुपए/180 सेकेंड की दर से स्थानीय कॉल बना दिया गया।

- लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल से एमटीएनएल दिल्ली लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल पर की जाने वाली कालों की दर को 1.20 रु. प्रति 30 सेकेंड से घटाकर 1.20 रु. प्रति 180 सैकंड कर दिया गया।
- लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल के एसटीडी टैरिफ को 2.40 रु. प्रति मिनट से घटाकर 2 रु. प्रति मिनट कर दिया गया।
- सीडीएमए 2000 वन एक्स प्रणाली में अपनी ही प्रणाली पर की गई कालों को घटाकर 0.10 पैसे प्रति मिनट किया गया।
- 2000 वन एक्स नेटवर्क के उपभोक्ताओं को दिनांक 19.10.2006 से 299 रु. प्रतिमाह के भुगतान पर इंटरनेट के असीमित उपयोग की सुविधा प्रदान की गई।

2007 में

- दिनांक 12.09.2007 को केवल 699 के भुगतान पर आजीवन गरुड़ एफडब्ल्यू।
- 21.10.2007 से वन मिनट लैंडलाइन प्लान में संशोधन।
- 14.11.2007 तक आईपीटीवी की बुकिंग पर दो महीनों के लिए निशुल्क व्यू (देखने की सुविधा) + एक चांदी का सिक्का।

जीएसएम मोबाइल:

2005 में

- 19.10.2005 से ट्रम्प उपभोक्ता को सबसे सस्ता प्रीपेड रीचार्ज कूपन।

2006 में

- 29.08.2006 को गरुड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को नया टैरिफ प्लान।
- 20.10.2006 से 30 रु. के मासिक किराए पर एमटीएनएल के नेटवर्क पर असीमित एसएमएस।

2007 में

- प्रचलित बाजार अवस्था के आधार पर काल प्रभारों को नियमित रूप से घटाया जा रहा है। हाल ही में विभिन्न प्लानों के डाल्फिन काल प्रभार को घटाया गया। ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15.02.2007 से रोमिंग काल प्रभार को घटा दिया गया।
- 15.09.2007 से लैंडलाइन या गरुड़ की बुकिंग पर 150 रु. का ट्रम्प सिम कार्ड निशुल्क।
- 15.09.2007 से ट्रम्प के वर्तमान ट्रम्प कूपनों में 25% की टॉक वैल्यु बढ़ाई गई।
- 15.09.2007 से 499 रु. (कर सहित) प्रतिमाह भुगतान पर डाल्फिन उपभोक्ताओं को एमटीएनएल के नेटवर्क पर असीमित कालें।
- दिनांक 07.11.2007 से ट्रम्प से एमटीएनएल नेटवर्क पर 30 पैसे प्रति मिनट की दर से और अधिक बात करिये।

[अनुवाद]

बांधों की सुरक्षा

1217. श्री पी.सी. थामस: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसे पुराने बांधों, जो कि खतरनाक स्थिति में हैं, का पुन: निर्माण करने अथवा इनके पुन: निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के कुछ प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में बांध सुरक्षा की किसी प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतर-राज्य बांधों की जांच संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या केरल के एक बांध, जहां से केरल के इडुक्की जिले में तमिलनाडु के लिए पानी ले जाया जा रहा है, को असुरक्षित बताया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में तमिलनाडु तथा केरल के बीच विवाद, यदि कोई हो, को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार का पुराने बांधों के पुनर्निर्माण अथवा इनके पुनर्निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बांधों की सुरक्षा में सुधार और इष्टतम स्थाई निष्पादन के प्रयोजन से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) बनाई है। बांध सुरक्षा और पुनर्वास के लिए डीआरआईपी के तहत 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार द्वारा 31 बांधों के लिए आधारभूत बांध सुरक्षा सुविधाओं और सुधारात्मक उपायों संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। बांधों की सूची विवरण-I के रूप में दी गई है।

(ङ) और (च) राज्य अपने क्षेत्र में आने वाले बांधों के मालिक होते हैं और इस लिए बांध सुरक्षा और किसी भी प्रकार के सुधारात्मक उपायों के लिए राज्य उत्तरदायी होते हैं। तथापि, केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में 1979 में एक बांध सुरक्षा संगठन (डीएसओ) की स्थापना की गई है। डीएसओ का उद्देश्य राज्य सरकारों के लिए समन्वयक और सलाहकार की भूमिका निभाना और दिशानिर्देश तैयार करना, तकनीकी सहायता संकलित करना प्रशिक्षण आयोजित करना इत्यादि तथा सामान्य रूप से बांध सुरक्षा के संबंध में राज्यों में जागरूकता सृजित करने के लिए उपाय करना तथा उसके पश्चात इसके लिए अवसंरचना की स्थापना करने में सहायता करना है। आवधिक रूप से मिलने और बांध सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष 1982 में बांध सुरक्षा पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संगठनों में बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की निगरानी करने और इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नवीनतम प्रौद्योगिकी की तर्ज पर लाने के दृष्टिकोण से बांध सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए यह समिति नियमित रूप से बैठक करती है। इसके अतिरिक्त, यह समिति जुलाई, 1986 में प्रकाशित "बांध सुरक्षा प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट" की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी करती है।

(छ) और (ज) मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा और विवाद का समाधान करने के लिए किए गए उपायों पर एक टिप्पणी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

केरल सिंचाई विभाग (19 बांध)
डीआरआईपी के लिए प्रस्तावित बांधों के नाम

क्र.सं.	मूलभूत बांध सुरक्षा सुविधाएं एवं सुधारात्मक उपाय
1.	चिमनी परियोजना
2.	गायत्री परियोजना चरण-I मीनकारा
3.	गायत्री परियोजना चरण-II चुलियार
4.	कल्लादा सिंचाई परियोजना
5.	कंहीरापुझा सिंचाई परियोजना
6.	कुट्टियादी सिंचाई परियोजना
7.	मामलपुझा सिंचाई परियोजा
8.	मंगलम बांध
9.	मूलथरा रेग्यूलेटर (चित्तुरपुजा सिंचाई परियोजना)
10.	मुवाट्टपुझा सिंचाई परियोजना
11.	नैयर सिंचाई परियोजना
12.	पंपा सिंचाई परियोजना
13.	पझासी सिंचाई परियोजना
14.	पीची सिंचाई परियोजना
15.	पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना
16.	पोथुंडी सिंचाई परियोजना
17.	सिरूवानी
18.	वजानी सिंचाई परियोजना
19.	वलायार सिंचाई परियोजना

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (12 बांध)
डीआरआईपी के लिए प्रस्तावित बांधों के नाम

क्र.सं.	मूलभूत बांध सुरक्षा सुविधाएं एवं सुधारात्मक उपाय
1	2
1.	इदुकी जल विद्युत परियोजना
2.	साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना
3.	इदमलायर जल विद्युत परियोजना

1	2
4.	पल्लीवसल जल विद्युत परियोजना
5.	सेनगुलम जल विद्युत परियोजना
6.	पनियार जल विद्युत परियोजना
7.	नेरियामंगलम जल विद्युत परियोजना
8.	पोरिंगलकुथु जल विद्युत परियोजना
9.	शोलायार जल विद्युत परियोजना
10.	कुट्टीयादी जल विद्युत परियोजना
11.	निचली पेरियार जल विद्युत परियोजना
12.	कक्काद जल विद्युत परियोजना

विवरण-II

मुल्ला पेरियार बांध

केरल में टेक्काडी स्थित पेरियार नदी पर एक बांध जिसे मुल्ला पेरियार बांध के नाम से जाना जाता है, का निर्माण 1887-1895 के दौरान कराया गया था। ट्रावनकोर के महाराजा और मद्रास की तत्कालीन सरकार के बीच एक दीर्घकालिक (999 वर्ष) लीज डीड के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका प्रचालन किया जाता है।

वर्ष 1979 में बांध की सुरक्षा के बारे में केरल मुद्रणालय में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसके परिणामस्वरूप, केरल सरकार ने बांध को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा और साथ ही केन्द्र से बांध का निरीक्षण करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए केन्द्र की ओर से एक दल भेजने का अनुरोध किया। इस दल ने बांध का निरीक्षण किया और सुधारात्मक उपायों के सुझाव जिनका निष्पादन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया जिसमें 20 मी. के खंड के लिए 160 फीट ईएल तक मुख्य बांध की प्राकार दीवार को 2 फुट ऊँचा उठाना और केरल सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण दो फिल्टर और टो ड्रेन मुहैया कराते हुए मिट्टी के बांध सहित बेबी बांध को सुदृढ़ करना शामिल नहीं है। बांध की सुरक्षा दो राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गई है जिसके परिणामस्वरूप ईएल 152 फीट केएफआरएल की तुलना में जलाशय का स्तर ईएल 136 फुट तक प्रतिबंधित कर दिया गया।

मुल्ला पेरियार जलाशय में जल स्तर को ऊँचा उठाने और बांध की सुरक्षा विषय पर पक्ष और विपक्ष में केरल उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। वर्ष 1998 में श्री सुब्रमणियन स्वामी द्वारा हस्तांतरण याचिका दायर कर दिए जाने के पश्चात इन याचिकाओं को माननीय उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था।

27.2.2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय लिया है और वर्तमान में जलस्तर को ईएल 136 फुट से ईएल 142 फुट तक ऊँचा उठाने के लिए केरल सरकार को निदेश दिया है। सीडब्ल्यूसी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार उपायों को आगे सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु राज्य को अनुमति दी गई है। केरल सरकार ने एक याचिका दायर की जिसमें इस निर्णय की समीक्षा की मांग की गई है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27.7.2006 को खारिज कर दिया।

इसी बीच, केरल विधान सभा द्वारा एक बिल पारित किया गया जिस पर 18 मार्च, 2006 को राज्यपाल द्वारा सहमति प्रकट की गई और "केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006" केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुल्लापेरियार बांध को संकटग्रस्त बांध के रूप में घोषित किया गया है और पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) ईएल 136 फुट (41.45 मी.) पर निर्धारित किया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने मार्च, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वाद (2006 का मूल वाद सं. 3) दायर किया था जिसमें मुल्लापेरियार बांध पर इसके प्रयोग और प्रभाव के संबंध में केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2006 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.2.2006 के निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्य आरंभ किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26.9.2006 के अपने आदेश में यह निदेश दिया कि "दो राज्य सरकारें, स्वतंत्र रूप से अथवा भारत सरकार के हस्तक्षेप से, यदि संभव हो तो इस विवाद का हल निकाल सकती हैं।" तदनुसार, माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन) ने इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए दिनांक 29.11.2006 को केरल और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्रियों की एक बैठक और 18.12.2006 को केरल और तमिलनाडु के जल संसाधन/पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। इन बैठकों में दोनों राज्यों को स्वीकार्य किसी समाधान के संबंध में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादकों का उत्थान

1218. श्री राजनारायन बुधौलिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेशम उत्पादकों के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान रेशम उत्पादकों के उत्थान के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग में लाई गई है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) देश में गुणवत्ता रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने द्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती क्षेत्र के बाजार अभिमुखीकरण पर अधिक जोर देते हुए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से दसवीं योजना के दौरान सभी रेशम उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इस योजना को कतिपय संशोधनों और अतिरिक्त इनपुट्स के साथ 11वीं योजना के दौरान रखने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान देश में सीडीपी के तहत विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केंद्रीय शेयर के रूप में 661.62 करोड़ रु. के अंशदान के साथ उत्प्रेरक विकास योजना को जारी रखने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07 तक) के दौरान सीडीपी के तहत राज्यवार आवंटित/जारी निधियों की तुलना में राज्यों द्वारा खर्च/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2004-05 (**)		2005-06 (**)		2006-07 (**)	
		सीएसबी द्वारा आबंटित/जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा खर्च/उपयोग की गई निधियां	सीएसबी द्वारा आबंटित/जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा खर्च/उपयोग की गई निधियां	सीएसबी द्वारा आबंटित/जारी की गई निधियां	राज्यों द्वारा खर्च/उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कर्नाटक	825.38	825.38	1212.43	1212.43	1153.24	1044.93
2.	तमिलनाडु	166.58	166.58	269.42	269.42	594.67	538.42
3.	जम्मू-कश्मीर	262.84	262.84	594.79	523.85	297.32	274.47
4.	आंध्र प्रदेश	1203.59	1203.59	1658.04	1658.04	1315.31	1256.69
5.	पश्चिम बंगाल	112.63	112.63	133.97	118.47	154.45	17.58
6.	महाराष्ट्र	50.80	50.80	48.83	48.83	177.92	84.57
7.	मध्य प्रदेश	79.65	79.65	187.04	187.04	343.17	230.25
8.	उड़ीसा	24.32	24.32	154.49	123.17	133.26	52.94
9.	बिहार	88.99	88.99	161.79	161.79	14.88	1.42
10.	उत्तर प्रदेश	92.05	92.05	60.24	60.24	153.02	150.83

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	106.32	106.32	34.32	34.32	23.94	23.94
12.	पंजाब	0.39	0.39	0.00	0	17.25	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	308.41	308.41	17.91	17.91	49.47	10.44
14.	छत्तीसगढ़	156.35	156.35	128.55	128.55	154.69	81.19
15.	झारखंड			100.84	90.04	189.08	1.39
16.	उत्तरांचल	117.43	117.43	178.38	178.38	208.84	208.84
17.	सिक्किम	43.27	43.27	25.51	25.51	54.01	21.49
18.	असम	442.21	442.21	922.53	836.09	611.95	157.60
19.	अरुणाचल प्रदेश	88.63	88.63	54.19	54.19	61.58	26.76
20.	मणिपुर	67.24	67.24	80.25	80.25	62.89	62.89
21.	मेघालय	173.19	173.19	183.49	183.49	142.88	12.76
22.	मिजोरम	141.71	141.71	367.91	367.91	182.71	118.47
23.	नागालैंड	106.45	106.45	151.59	151.59	127.77	126.88
24.	त्रिपुरा	185.73	185.73	130.43	130.43	198.13	114.13
	कुल	4844.16	4844.16	6856.94	6641.94	6422.43	4618.88

(*)आवंटित/जारी की गई राशि में वह राशि भी शामिल है जो सीडीपी के कुछ संघटकों के तहत प्रत्यक्ष रूप से सीएसवी द्वारा खर्च की गई।

[अनुवाद]

किसानों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड

1219. श्री अधीर चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (ओई ओ सी) ने देश के किसानों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्रेडिट कार्डों का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी

1220. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के त्योहारों के मौसम के दौरान मूंगफली तथा सूरजमुखी के तेल के मूल्य तेजी से बढ़े हैं और इसका अन्य तेलों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन तेलों के मूल्यों में अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में चल रही कमी को पूरा करने तथा खाद्य तेलों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तेल की कितनी मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) हाल के त्योहार के मौसम के दौरान मूंगफली, तेल और सूरजमुखी तेल के मूल्यों में पिछले एक माह में लगभग 4% की मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले तीन माह में मूंगफली के तेल के मूल्यों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि सूरजमुखी के तेल के मूल्य में लगभग 15% की वृद्धि हुई है।

(ख) मूल्यों में यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि होना।

(ii) पिछले वर्षों के उत्पादन की तुलना में तेल वर्ष 2006-07 (नवम्बर-अक्तूबर) में तिलहनों का अनुमानित कम उत्पादन होना।

(ग) और (घ) सरकार की बड़े पैमाने पर खाद्य तेल आयात करने की कोई योजना नहीं है। कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमत किया गया है और देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता तथा स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयात शुल्क को समायोजित किया गया है।

[हिन्दी]

सब्जियों की खेती

1221. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों की दिलचस्पी न होने के कारण देश में सब्जियों का उत्पादन काफी कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सब्जियां उगाने के लिए किसानों को सहायता देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2005-06 के दौरान 7.05 मिलियन है. क्षेत्र से सब्जियों के कुल 108.20 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एन.ई.) एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य बागवानी फसलों, जिसमें सब्जियां भी शामिल हैं, का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है। इन स्कीमों के अंतर्गत किसानों को उत्कृष्ट कल्टीवरों की पौध रोपण सामग्री, नई तकनीकों को अपनाने, समेकित हानिकारक कीट एवं रोग प्रबंधन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और फार्म मशीनीकरण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ऐसी स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है जो टमाटर, शिमला मिर्च आदि जैसी सब्जियों के उत्पादन के लिए सहायता मुहैया करवाती है। केन्द्रीय प्रायोजित सूक्ष्म-सिंचाई स्कीम किसानों को पानी के कुशल उपयोग के लिए सहायता उपलब्ध करवाती है। इन उपायों से बागवानी फसलों, जिसमें सब्जियों की फसलें भी शामिल हैं, की उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है जिससे इनकी उत्पादन लागत कम हो सके एवं पूरे वर्ष इन खाद्य पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ सके। वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान सब्जी फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण

सब्जी फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्र (000 है.); उत्पादन (000 एम टी); उत्पादकता (टन/है.)

फसल	2003-04			2004-05			2005-06		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आलू	1484.7	27925.8	18.8	1523.9	2878.77	18.9	1550.2	29093.7	18.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्याज	553.8	6267.6	11.3	613.8	7760.6	12.7	695.1	9248.4	13.3
टमाटर	502.8	8125.6	16.2	497.6	8637.7	17.4	534.5	9361.8	17.5
मटर	285.2	1901.2	6.7	276.7	1971.8	7.1	314.0	2298.7	7.3
फूल गोभी	267.9	4940.2	18.5	238.2	4507.9	18.9	291.8	5260.1	18.0
पत्ता गोभी	255.1	5594.6	21.7	290.3	6147.7	21.2	267.4	5921.6	22.1
बैंगन	516.4	8477.3	16.4	530.3	8703.8	16.4	553.3	9136.3	16.5
भिण्डी	353.1	3631.4	10.3	358.3	3524.9	9.8	376.1	3684.0	9.8

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

चीनी के लिए पैकेज

1222. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चीनी के बड़े पैमाने पर उपयोग के मद्देनजर चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश से चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को 550 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान करने संबंधी योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जो चीनी के मामले के लिए प्रशासनिक विभाग है, को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 19.04.2007 को या उसके बाद 18.04.2008 तक चीनी के निर्यातों पर निर्यात प्रोत्साहनों के लिए चीनी मिलों के दावों के निपटान हेतु अपेक्षाओं/पात्रता की प्रक्रिया के लिए एक नया नियम 20(क) शामिल करते हुए चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 को अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 697(अ.) द्वारा संशोधित किया गया है।

[अनुवाद]

चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटाना

1223. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री किरेन रिजीजू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध से चावल व्यापारियों को उनके आर्डर रद्द होने के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक अधोगामी कदम होने के लिए इस प्रतिबंध की सभी ओर से निंदा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न वर्गों से इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण चावल व्यापारियों को घाटा होने की खबर है। सरकार ने इन घाटों का कोई आकलन नहीं किया है।

(ख) से (घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल की खरीद में वृद्धि करने हेतु गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इस वस्तु के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ विभिन्न पणधारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के चलते सरकार ने अब उस गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है जिसका न्यूनतम निर्यात मूल्य 425 अमरीकी डालर प्रति टन से अधिक है।

'नाबार्ड' द्वारा ऋण

1224. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) में बढ़ोतरी के बावजूद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बिहार में ऋण वितरण में निरंतर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 'नाबार्ड' द्वारा बिहार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने पिछले कुछ समय में 'नाबार्ड' से ऋण/वित्तीय परियोजनाएं लेने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार सरकार को आर.आई.डी.एफ. के तहत ऋणों के वितरण में 2002-03 में 16.28 करोड़ रुपए से 2006-07 में 201.13 करोड़ रुपए की क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के तहत बिहार सरकार को मंजूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	मंजूर किए गए आर आई डी एफ ऋण की राशि	बैंकों को पुन: वित्तीय सहायता
1.	2004-05	290.91	176.45
2.	2005-06	459.41	117.21
3.	2006-07	589.80	168.06

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2007-08 के दौरान आर आई डी एफ-XIII में से ऋण का लाभ उठाने के लिए नाबार्ड ने बिहार सरकार को 584 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 233.47 करोड़ रुपए की राशि 6 परियोजना प्रस्तावों के लिए जिसमें बार्ज लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें, ग्रामीण सड़कें और बाढ़ संरक्षण परियोजनायें शामिल हैं, पहले ही मंजूर की गई हैं।

राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति

1225. डा. एम. जगन्नाथ: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.ज.) हेतु उन्नयन योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने तथा इसका अनुवीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति (एनएससी) गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विषय निर्वाचन समिति की संरचना क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय विषय-निर्वाचन समितियां (एनएससी) सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु निम्नलिखित दो योजनाओं के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन एवं प्रबोधन करने के लिए गठित की गई हैं।

(i) विश्व बैंक सहायता से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन; तथा

(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(ख) इन समितियों का संघटन एवं कार्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय विषय-निर्वाचन समितियों का ब्यौरा एवं संघटन

(i) विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने के लिए।

संघटन: राष्ट्रीय विषय-निर्वाचन समिति (एनएससी) में निम्नानुसार 09 सदस्य हैं।

- अध्यक्ष के रूप में सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय,
- सी आई आई, फिक्की तथा एसोचैम द्वारा नामित तीन सदस्य,
- भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण में संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा रुचि रखने वाले नामित तीन सदस्य,
- सदस्य के रूप में श्रम और रोजगार मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार (या उनके द्वारा नामित), और
- समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण।

कार्य:

- राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (एनपीआईयू) के कार्य का मार्गदर्शन करना।
- एनपीआईयू की वार्षिक कार्य योजना व बजट (एडब्ल्यूपीबी) की समीक्षा करना तथा अनुमोदन प्राप्त करना।
- कार्यान्वयन प्रगति की आवधिक समीक्षा करना।
- राज्य विषय-निर्वाचन समितियों की कार्यकरण गतिविधियों का अवलोकन करना।
- संस्थान विकास योजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों हेतु राज्य विषय-निर्वाचन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर विचार करना।
- प्रोत्साहन तथा नव प्रवर्तनों हेतु निधियों के लिए प्रस्तावों पर विचार करना तथा वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेना।
- नीतिगत विकास गतिविधियों हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा एन पी आई यू द्वारा किए जाने वाले नीतिगत विकास क्षेत्रों का सुझाव देना।
- विदेश में प्रशिक्षण तथा अध्ययन दौरों के लिए प्रस्तावों पर विचार व अनुमोदन प्रदान करना।

(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए।

संघटन: राष्ट्रीय विषय-निर्वाचन समिति (एनएससी) में निम्नानुसार 12 सदस्य हैं:

- अध्यक्ष के रूप में सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय,
- पदेन सदस्य सचिव के रूप में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय,
- सदस्य के रूप में वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय,
- उद्योग संघों नामत: सी आई आई, फिक्की तथा एसोचैम द्वारा नामित तीन प्रतिनिधि,
- केन्द्र सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिनिधि
- राज्य सरकार के तीन प्रतिनिधि।

कार्य:

- योजना के समग्र कार्यान्वयन एवं प्रबोधन का मार्गदर्शन करना,
- राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रकोष्ठ (एनआईसी) के कार्य का मार्गदर्शन करना,
- योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा सुधार हेतु उपचारात्मक उपाय करना,
- योजना के तहत ऋण की चुकौती में त्रुटि के मामलों की जांच करना तथा जुर्माना लगाना या यथोचित मानी जानी वाली अन्य कार्रवाई करना,
- राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा आरंभ किए जाने वाले नीतिगत विकास हेतु क्षेत्रों का सुझाव देना,
- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य मुद्दे।

[हिन्दी]

विदेशी सेनाओं को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण

1226. श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशी सेनाओं को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण कितने देशों में दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय सेना ने, अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ, विदेशी मित्र देशों के अलग-अलग अफसर तथा समूहों को प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध पद्धति (सीआईजेडब्ल्यू) स्कूल, वैरंगेट में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त प्रशिक्षण विदेश में दिए जाने हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध पद्धति (सीआईजेडब्ल्यू) स्कूल, वैरंगेट में विदेशी मित्र देशों द्वारा जिन रिक्तियों का लाभ उठाया है, उनकी संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) प्रशिक्षण वर्ष 2005-2006

(i)	भूटान	-	06
(ii)	नेपाल	-	05
(iii)	श्रीलंका	-	08
(iv)	तजाकिस्तान	-	01
(v)	कजाकिस्तान	-	01
(vi)	सिचलिस	-	01
(vii)	वियतनाम	-	01

(ख) प्रशिक्षण वर्ष 2006-2007

(i)	भूटान	-	03
(ii)	श्रीलंका	-	08
(iii)	नेपाल	-	02
(iv)	अफगानिस्तान	-	01
(v)	मारिशस	-	01

(ग) प्रशिक्षण वर्ष 2007-2008 (प्राप्त करना है)

(i)	नेपाल	-	04
(ii)	भूटान	-	10
(iii)	श्रीलंका	-	14
(iv)	तजाकिस्तान	-	01
(v)	कजाकिस्तान	-	01
(vi)	बोत्स्वाना	-	01
(vii)	अफगानिस्तान	-	01
(viii)	थाइलैंड	-	01
(ix)	इंडोनेशिया	-	01
(x)	तंजानिया	-	01
(xi)	म्यांमार	-	02

गत तीन वर्षों के दौरान सीआईजेडब्ल्यू स्कूल में निम्नलिखित मित्र देशों की सेनाओं को भी समूह प्रशिक्षण दिया गया है:

(1) उजबेकिस्तान: उजबेकिस्तान के 30 कार्मिकों ने 2 जनवरी से 14 फरवरी, 2006 तक प्रशिक्षण लिया।

(2) नाइजीरिया: नाइजीरिया के एक 30-सदस्यीय दल ने 22 जनवरी से 25 फरवरी, 2007 तक प्रतिविद्रोहिता/प्रति आतंकवाद संबंधी पहलुओं पर प्रशिक्षण लिया।

(3) इंडोनेशिया: इंडोनेशिया के 10 प्रशिक्षुओं को 6 मार्च से 27 मार्च, 2007 तक प्रशिक्षित किया गया। भारतीय सेना के दो सदस्यीय दल ने इंडोनेशिया में 18 फरवरी से 3 मार्च, 2007 तक इंडोनेशियाई स्टाफ कालेज के लिए प्रतिविद्रोहिता/प्रति आतंकवाद का डर भी संचालित किया था।

(4) मालदीव: मालदीव के 25-सदस्यीय दल हेतु 5 नवंबर, 2007 से 2 दिसंबर, 2007 तक प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है।

(5) कम्बोडिया: कंबोडियाई सेना के 13-सदस्यीय दल को 17 दिसंबर, 2007 से 12 जनवरी, 2008 तक सीआईजेडब्ल्यू स्कूल में प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना

1227. **श्री प्रकाश बी. जाधव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1984 में इसकी शुरूआत से परियोजना लागत में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना में विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भंडारा जिले की गोसीखुर्द परियोजना के लिए अब तक ऋण/अनुदान के रूप में 241.3157 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) गोसीखुर्द परियोजना को मार्च, 1983 में 372.22 करोड़ रुपये के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। योजना आयोग ने 2.11.1995 को परियोजना के लिए 461.19 करोड़ रुपये की निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी थी। परियोजना प्राधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 5659.097 करोड़ रुपये है।

(ङ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना के पूरा होने में देरी, राज्य सरकार के पास निधियों की कमी और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास की समस्याओं के कारण हुई।

स्थानीय बीज

1228. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री के.एस. राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फसलों और सब्जियों के उत्पादन में अनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों के अनुसंधान निष्कर्ष तथा प्रभाव क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों के किसानों की जीएम प्रौद्योगिकी के पक्ष में अथवा विरुद्ध क्या अभिक्रिया है तथा नई प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्त सावधानियों के साथ जीएम खाद्य तथा सब्जी उत्पादन के परीक्षणों को अनुमति देने तथा किसानों और उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर जीएम फसलों, खाद्य तथा सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के संबंध में आंकड़ों का अध्ययन करने तथा इन्हें सृजित करने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों को स्थानीय बीजों का प्रयोग करने तथा अन्य किसानों के साथ उनका आदान-प्रदान करने से हतोत्साहित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थानीय बीजों की सभी किस्मों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बीटी कपास, आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला बीज भारतीय किसानों को वर्ष 2002 से उपलब्ध कराया गया है। बीटी कपास में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इसमें लक्षित कीटों, नाशीजीवों और रोगों के प्रति सहज प्रतिरोधक क्षमता है तथा पोषण संबंधी अन्य विशेषताएं भी पाई गई हैं जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार कार्यक्रम में बीटी कपास संकरों की क्षमता का परीक्षण किया गया जिनके परिणाम गैर-बीटी कपास संकरों से बेहतर पाए गये।

(ख) देश में बीटी कपास का क्षेत्र इसके जारी होने के बाद खरीफ 2002 में जहां 29073 हैक्टर था, वह खरीफ 2006 में बढ़कर 34.67 लाख हैक्टर तक हो गया है, जिससे देश में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई। नई प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये:

(i) कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड को नौ राज्यों में जागरूकता संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान

की है जिससे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों से संबंधित मुद्दों पर बीटी कपास की पोस्ट रिलीज मानीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ii) पराजीनी कपास की बीज उत्पादक नई प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान जागरूकता शिविरों/दिवसों का आयोजन करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आनुवांशिक संशोधन समीक्षा समिति (आरसीजीएम)/ जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिशों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के खेत परीक्षण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी गई है:

(i) आवेदक द्वारा 200 एम के पृथक्करण अंतर को बनाए रखा जाए और जहां भारतीय न्यूनतम बीज मानक प्रमाणीकरण अधिदेश द्वारा उच्च अंतर निर्धारित किया जाएगा वहां उसका अनुपालन किया जाएगा।

(ii) आवेदक द्वारा परीक्षण आरम्भ करने से पहले एक वैधीकृत आयोजन विशिष्ट परीक्षण प्रोटोकोल प्रस्तुत किया जाए।

(iii) आवेदक द्वारा प्रमुख वैज्ञानिक का नाम प्रस्तुत किया जाएगा जो परीक्षण कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) नए कार्यक्रम के लिए बहु-स्थानिक अनुसंधान परीक्षण (एमएलआरटी) के खेतों में नहीं किए जाने चाहिए। एमएलआरटी को कम्पनी/संस्थाओं द्वारा या तो उनके अपने परिसरों, अनुसंधान फार्मों, लम्बी अवधि के लिए (कम से कम 3 वर्ष) पट्टे पर ली गई जमीन पर या राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में किए जाएं।

(ङ) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम 1968 तथा पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम, 2001 किसानों को बुवाई प्रयोजन से स्थानीय बीजों के उपयोग तथा आपस में इसके आदान-प्रदान को प्रतिबंधित नहीं करते। पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत नई पादप किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा इन्हें उपलब्ध कराने के लिए इनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए किसानों/किसान समुदायों को सम्मानित किया जाता है/किया जाए फसलों की सुधरी किस्मों/संकर किस्मों को किसान समुदाय के लाभ के लिए विभिन्न फसलों में उच्च पैदावार, बेहतर प्रतिरोधी गुणवत्ता हासिल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

(च) राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जीन बैंक में फसल पादपों के जननद्रव्य का संचयन, संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लैण्डरेसिस/किसानों की किस्में आदि भी शामिल हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जीन बैंक में 1200 से अधिक फसल/पादप प्रजातियों की 3.50 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां उपलब्ध हैं।

नेफेड

1229. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के बीज व्यापार में प्रवेश के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीज व्यापार के लिए नेफेड द्वारा स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में नेफेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नैफेड ने 1996 से बीज उत्पादन तथा विपणन क्रियाकलापों की प्रक्रिया के माध्यम से बीज व्यापार की पहल की है। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने 21.8.2007 से आइसोपाम के तहत बीज उत्पादन, विपणन तथा अन्य सब्सिडियों के लिए, पात्र अनुमोदित संस्थाओं में नैफेड को भी शामिल किया है।

(ग) नैफेड उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्यों में अनुबंध खेती प्रणाली के जरिये बीज उत्पादन का कार्य कर रहा है तथा इसे गुजरात और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में लागू करने की तैयारी कर रहा है। नैफेड के महाराष्ट्र और उत्तराखंड में प्रत्येक में एक-एक, अर्थात् 2 संयंत्र बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकिंग के लिए हैं तथा यह मध्य प्रदेश में 2 संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

(घ) नैफेड ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बीज व्यापार के लिए 69 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना

1230. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री किरेन रिजीजू:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जुर्माना अभी तक वसूल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(च) इसे कब तक वसूल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के कामगार

1231. **श्री रामदास आठवले:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली में बंद की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में उन सभी औद्योगिक इकाइयों को जो 01.08.1990 को या उसके बाद आवासीय/गैर-अनुमति वाले क्षेत्रों में लगाई गई हैं तथा गैर-अनुमति प्राप्त गृह आधारित उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की राज्य सरकार ने इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के हित की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) आवासीय/गैर-अनुमति वाले क्षेत्रों में चल रहे 22749 उद्योगों को दिल्ली सरकार द्वारा बवाना, नरेला, बादली और झिलमिल औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किए गए अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में वैकल्पिक औद्योगिक प्लाटों/फ्लैटों का आबंटन किया गया है।

(ii) अन्य पात्र औद्योगिक इकाइयों को पुन: स्थापित करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के विकास हेतु लगभग 475 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है।

(iii) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत औद्योगिक केन्द्रीकरण के समूह के अधिकतम 4 हेक्टेयर सटे हुए क्षेत्र पर, जिसमें समूहों के अंतर्गत 70 प्रतिशत प्लाटों से अधिक विनिर्माण और औद्योगिक कार्यकलापों के अधीन हो, सर्वेक्षणों के आधार पर पुनर्विकास हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे 19 समूहों के संबंध में जो पुनर्विकास हेतु योग्यता रखते हैं, अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(iv) दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अनुसार गृह आधारित उद्योगों की सूची में 51 और मदें जोड़ दी गयी हैं।

उपर्युक्त कदमों से उद्योगों और उनमें नियोजित श्रमिकों का कम से कम विस्थापन सुनिश्चित हो सकेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समुचित प्राधिकरण है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नए प्रचालकों को लाइसेंस

1232. डा. राजेश मिश्रा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मोबाइल टेलीफोन लाइसेंसों के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार किन-किन कंपनियों ने ऐसे लाइसेंसों के लिए आवेदन किए हैं;

(ग) नए प्रचालकों को ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने भी लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार को 22 सेवा क्षेत्रों के लिए नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसों हेतु अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 1 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस मौजूदा नीति के अनुसार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार नए यूएएस लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के नाम

क्र.सं.	आवेदक कंपनियों के नाम
1	2
1.	एसीएमई टेली पावर लिमिटेड
2.	एडोनिस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	एलाएंज इन्फ्राटेक (प्रा.) लिमिटेड
4.	अंजली लाएज प्रा. लिमिटेड
5.	आस्का प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
6.	एटी एंड टी ग्लोबल नेटवर्क सर्विसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड
7.	अवनिजा प्रोपर्टीज लिमिटेड
8.	अजारे प्रोपर्टीज लिमिटेड
9.	बालासोर एलोएज लिमिटेड
10.	भुवनेश्वर आईटी पार्क डेवलपर्स लिमिटेड
11.	बीपीटीपी लिमिटेड
12.	बाइसेल टेलीकाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13.	सेलीब्रम. कॉम प्राइवेट लिमिटेड
14.	चीता कारपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15.	डाटाकाम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	इलैक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड
17.	गोंटरमान-पीपर्स (इंडिया) लिमिटेड
18.	एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड
19.	एचटीएमटी टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड
20.	हडसन प्रोपर्टीज लिमिटेड
21.	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
22.	इस्पात इंडस्ट्री लिमिटेड
23.	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
24.	मेटा टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड
25.	मोजर बैयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
26.	नाहन प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
27.	नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रा.) लिमिटेड
28.	ओर्टेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
29.	पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड
30.	पृथ्वी इन्फोर्मेशन सोल्युशन्स लिमिटेड

1	2
31.	आरएसके एंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड
32.	एस टेल लिमिटेड
33.	सात्विक हाइटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
34.	सेलीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
35.	शिपिंगस्टाप डोट काम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
36.	श्याम टेलीकाम लिमिटेड
37.	सिलिकान इन्फोवेव्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	स्पाइस कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	स्टरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
40.	स्वान टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड
41.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड
42.	ट्यूलिप आईटी सर्विसेज लिमिटेड
43.	यूनिटेक बिल्डर्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
44.	यूनिटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
45.	विडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
46.	वोल्गा प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ

1233. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए नदियों और चैनलों के माध्यम से कोई कार्य पूरा किया गया है/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, निष्पादन की प्राथमिकता और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने संबंधी प्रस्तावों के आधार पर तथा लागू एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष श्रेणी राज्यों और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के सूखा प्रवण/ जनजातीय क्षेत्र की सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें एआईबीपी में शामिल की गई परियोजना लागत के 90% अनुदान के लिए पात्र हैं। सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी एआईबीपी में शामिल की गई परियोजना लागत के 90% तक के अनुदान के लिए पात्र हैं। प्रदान किए गए अनुदान की सीमा परियोजना से लाभान्वित सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्र और एआईबीपी में शामिल किए गए ऐसे ही क्षेत्र पर आधारित है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की कीमतें

1234. **श्री के.एस. राव:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक विद्यालय के लाखों बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ाए जाने में शामिल मुद्दे किस प्रकृति के हैं; और

(ख) विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की कीमत में सौ प्रतिशत वृद्धि करने वाले खाद्यान्नों के लिए 'इकोनोमिक रेट' प्रभारित करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति इस स्कीम के अधीन कवर किए गए स्कूली बच्चों को मुफ्त की जाती है। खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

खाद्य राजसहायता बिल के अधीन अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना सहित सभी कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन आर्थिक लागत पर किया जाए और

इस खर्च को खाद्य राजसहायता की बजाय संबंधित विभाग के बजट में दर्शाया जाए। इससे इस स्कीम के अधीन कवर किए गए स्कूली बच्चों के लिए कोई लागत नहीं आएगी।

वस्त्र क्षेत्र में पुरानी प्रौद्योगिकी

1235. **श्री मदन लाल शर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग पुरानी प्रौद्योगिकी की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग में पुरानी प्रौद्योगिकी को हटाने के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुरानी प्रौद्योगिकी को हटाने के लिए क्या योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) भारतीय वस्त्र उद्योग के पास विकसित देशों में वस्त्र उद्योग के समान प्रौद्योगिकी नहीं है। यह मुख्य रूप से वीविंग और प्रसंस्करण क्षेत्र में है। अप्रैल, 1999 से सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की, जिसमें आधुनिक मशीनरी की खरीद पर ब्याज और/अथवा पूंजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रचालन के आठ वर्षों से अब तक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार इस योजना में लगभग 86,000 करोड़ रु. का निवेश हुआ है। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 3225.06 करोड़ रु. जारी किए हैं। योजना आयोग ने 11वीं योजना अवधि के लिए कुल योजना आबंटन अभी सूचित नहीं किया है।

कपास का उत्पादन

1236. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 में भारत कपास के उत्पादन में अमरीका को पीछे छोड़कर विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007 के दौरान भारत विश्व में कपास उत्पादन में अपने दूसरे स्थान को बरकरार रखने की राह पर है;

(घ) इस संबंध में बीटी कपास ने किस सीमा तक योगदान दिया है;

(ङ) क्या वर्ष 2003 से कपास उत्पादन में 65% की वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) नवम्बर, 2007 के लिए "विश्व कृषि उत्पादन" की रिपोर्ट के अनुसार चोटी के तीन कपास उत्पादक देशों में कपास का उत्पादन 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 वर्षों के लिए निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

(मिलियन गांठें)

देश	2005-06	2006-07	2007-08 (प्रक्षेपित)
चीन	29.50	35.50	35.50
भारत	19.05	21.80	23.50
संयुक्त राज्य अमरीका	23.89	21.59	18.86

टिप्पणी : 480 पौंड अथवा 217.73 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठों से उत्पादन

स्रोत : "विश्व कृषि उत्पादन" (नवम्बर 2007) संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग द्वारा निकाली गई थी तथा 22.11.2007 को वेबसाइट पर डाल दी गई थी।

भारत में कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमरीका में 2006-07 की तुलना में मामूली अधिक था तथा 2007-08 में उत्पादन संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में काफी अधिक प्रक्षेपित था।

(घ) बी.टी. कपास के अन्तर्गत क्षेत्र 34.67 लाख हैक्टेयर था, जोकि देश में 2006-07 में कपास उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 38% है।

(ङ) और (च) भारत में कपास उत्पादन 2003-04 में

13.73 मिलियन गांठों से 2007-08 में 22.94 मिलियन गांठों तक लगभग 67% बढ़ा है। 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 वर्षों के दौरान उत्पादन के राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

(170 किलोग्राम प्रत्येक की 000 गांठें)

राज्य	2005-06	2006-07*	2007-08#
आन्ध्र प्रदेश	2108.0	2127.0	2097.0
असम	0.6	1.0	1.0
छत्तीसगढ़	0.4	0.0	0.0
गुजरात	6772.0	8787.0	9000.0
हरियाणा	1499.0	1814.0	1912.0
कर्नाटक	554.0	440.0	258.0
केरल	3.5	2.0	0.0
मध्य प्रदेश	745.1	829.0	425.0
महाराष्ट्र	3160.0	4950.0	5805.0
उड़ीसा	144.8	108.0	146.0
पंजाब	2395.0	2678.0	2440.0
राजस्थान	880.5	747.0	763.0
तमिलनाडु	213.3	174.0	82.0
उत्तर प्रदेश	5.2	1.0	0.0
पश्चिम बंगाल	6.0	23.0	0.0
अन्य	11.6	15.0	14.0
समस्त भारत	18499.0	22696.0	22943.0

* 19.07.2007 को जारी चौथा अग्रिम अनुमान
# 19.09.2007 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान
अन्य में मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पाण्डिचेरी शामिल हैं।

[हिन्दी]

लेवी चीनी का नहीं खरीदा जाना

1237. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में चीनी मिलों से अपने कोटे की लेवी चीनी खरीद पाने में फिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस खामी के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलों से लेवी चीनी नहीं खरीदती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(2)(च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मिलों से लेवी चीनी अधिग्रहीत की जाती है। इस प्रकार अधिग्रहीत की गई लेवी चीनी राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित लेवी कोटों के अनुसार आवंटित की जाती है। अत: कुछ राज्यों में चीनी मिलों से लेवी चीनी की खरीद में विफल रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीजों का उपलब्ध न होना

1238. **श्री निखिल कुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में किसानों को उचित कीमत पर प्रमाणित बीज और उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजारों में उपलब्ध बीज समुचित रूप से अंकुरित नहीं होते हैं, उनकी खराब गुणवत्ता है और अक्सर उनकी कीमतें अधिक होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों को वहन योग्य कीमतों पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) राज्यों द्वारा आंचलिक आदान सम्मेलन

में रिपोर्ट किये गये अनुसार 179.84 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 2007-08 में विभिन्न फसलों का 194.31 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है। देश में गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन 2006-07 में लगभग 46.13 लाख क्विंटल बढ़ गया है। बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में किसानों को घटिया बीज की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।

राज्य सरकारों, उद्योग तथा उर्वरक विभाग से परामर्श करते हुए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रबी 2007-08 के लिए यूरिया (131.66 लाख टन), डाई अमोनियम फास्फेट (40.08 लाख टन) तथा म्यूरियेट आफ पोटाश (18.62 लाख टन) की आवश्यकता/मांग का आकलन किया गया है। उर्वरक विभाग ने इन उर्वरकों की अपेक्षित आपूर्ति योजना तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये उर्वरक किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्राप्त हो सकें। राज्यों को इसके अनुसार सूचित किया गया है।

(ङ) किसानों को आसान मूल्यों पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन अनुमोदित सहायता का ब्यौरा

स्कीम/घटक	फसल	सहायता का पैमाना
1	2	3
बृहत कृषि प्रबंधन पद्धति-राज्य कार्य योजना	चावल व गेहूं, बाजरा ज्वार, रागी और जौ	(i) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 200/- रु. प्रति क्विंटल (ii) किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 400/- रु. प्रति क्विंटल (iii) बाजरा व ज्वार के संकर के प्रमाणित बीज वितरण हेतु 1000/- रु. प्रति क्विंटल
समेकित तिलहन दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम	सभी तिलहन दलहन और मक्का	(i) आधारी व प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 500/- रु. प्रति क्विंटल (ii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 800/- रु. प्रति क्विंटल या बीज लागत का 25% जो भी कम हो।
	अंकुरित आयलपाम	किसानों की पूरी भूमि जोत के लिए 7500 रु/है. की सीमा से लागत का 75%
पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन	पटसन एवं मेस्ता	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु 3000/- रु. प्रति क्विंटल सीमित लागत का 50% (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 700/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 25% (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 2000/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 50%
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु लागत का 50% या 50/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु लागत का 25% या 15/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 20/- रु. प्रति कि.ग्रा. (iv) बीजोपचार के लिए 40/- रु. प्रति कि.ग्रा. की सीमा तक लागत का 50%

1	2	3
बीज को सिक्किम हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को भेजे जाने पर परिवहन राजसहायता	आलू को छोड़कर सभी प्रमाणित बीज	(i) राज्य से बाहर उत्पादित बीज को अभिज्ञात राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय को भेजने के लिए कार्यान्वयक राज्यों/एजेंसियों को सड़क व रेल परिवहन भाड़े के बीच 100% अंतर को प्रतिपूर्तित किया जाता है। (ii) राज्य के भीतर राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय से विक्रय दुकानों/ विक्रय काउन्टरों को वाहित बीजों को ले जाने हेतु वास्तविक लागत अधिकतम 60/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
बीज ग्राम कार्यक्रम	सभी कृषि फसलें	(i) किसान द्वारा सुरक्षित रखे गए बीज की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन हेतु बीज की 50% लागत पर आधारी/प्रमाणित बीज के लिए वित्तीय सहायता। (ii) 50-150 किसानों के समूह को 15000/- रु. की दर पर बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायता।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	चावल	(i) प्रमाणित संकर चावल के बीज के उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (ii) प्रमाणित संकर चावल के बीज के वितरण के लिए 2000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50% जो भी कम हो। (iii) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iv) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मनीकिटों की पूर्ण लागत।
	गेहूं	(i) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (ii) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकिटों की पूर्ण लागत
	दलहन	(i) आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल (ii) प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 1200 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iii) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकिटों की पूर्ण लागत।

[हिन्दी]

टेलीकॉम सुविधा के लिए तकनीकी व्यवहार्यता

1239. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां तकनीकी व्यवहार्यता के कारण मांग के अनुरूप दूरसंचार सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में किन तकनीकों पर विचार किया है: और

(घ) इन तकनीकों को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) देश के अधिकांश क्षेत्र मांग पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कुछ जनजातीय और

ग्रामीण क्षेत्र दुर्गम भू-भाग के कारण तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं।

(ग) बीएसएनएल ने वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और उपग्रह तकनीकों का प्रयोग करके इन सभी क्षेत्रों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने की योजना बनाई है ताकि इनमें दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(घ) बीएसएनएल नेटवर्क के सभी कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल के न्यूनतम 3 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ताकि बीएसएनएल के प्रचालन क्षेत्रों में अखिल भारतीय आधार पर व्यापक कवरेज प्रदान किए जा सकें।

[अनुवाद]

मृदा अपरदन के कारण भूमि की हानि

1240. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने भूमि अपरदन के कारण प्रमुख कृषि भूमि की तीव्र हानि के खतरों को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। देश में कुल क्षेत्र के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से में 10 टन/है./वर्ष की अनुज्ञेय सीमा से ज्यादा दर से भूमि का अपरदन हो रहा है। तदनुसार, पानी से भूमि अपरदन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5.3 बिलियन टन से ज्यादा मृदा तथा लगभग 8.4 मिलियन टन पादप पोषक तत्वों की हानि होती है। मोटे तौर पर किए गए आकलन से यह पता लगा है कि कृषि में प्रतिवर्ष रु. 5200-8400 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

(ग) सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे विविध समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यमों से केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा विकसित स्थान विशिष्ट भूमि अपरदन नियंत्रण तरीकों को कार्यान्वित कर रही है।

खाद्यान्न नीति

1241. प्रो. महादेवराव शिवनकर
प्रो. एम. रामदास:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य भंडारण को विकेन्द्रीकृत करने के उपायों के रूप में हाई-टेक गोदामों की स्थापना के लिए व्यापक राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति (एनएफपी) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य सुरक्षा और बफर स्टाक के संपूर्ण पहलू पर ध्यान देने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनएफपी को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एसटीपीआई के निर्यात में कमी

1242. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपीआई) की इकाइयों के निर्यात में हाल ही में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) इकाइयों के जरिए किए जा रहे साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि हो रही है तथा पिछले चार वर्षों के दौरान हुआ निर्यात नीचे दिए अनुसार है:

वित्त वर्ष	करोड़ रुपए में
2003-04	51,458.00
2004-05	74,019.00
2005-06	1,00965.00
2006-07	1,44,214.00

रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग

1243. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रूपचन्द्र मुर्मू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से मृदा उर्वरक पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं:

(ख) क्या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि को नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जैविक खाद की अच्छी पोषक गुणवत्ता है;

(ङ) यदि हां, तो किसानों को पोषक खाद्य के उत्पादन के लिए जैविक पोषकों के प्रयोग के बारे में जागरूक करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा मृदा उर्वरता के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2005-06 के दौरान देश में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत 105 किग्रा. है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता में कमी आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

(ख) मात्र नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करने से अन्य पोषक तत्वों की कमी आ सकती है जिससे मृदा सुधार और फसल उत्पादकता प्रभावित होगी। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से पोषक तत्वों में असंतुलन आ सकता है। अत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वृहत स्तर पर 4 : 2 : 1 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के उपयोग की सिफारिश की है।

(ग) किसानों को रासायनिक उर्वरकों के युक्तिसंगत उपयोग के बारे में शिक्षित बनाने के लिए भा.कृ.अ.प. समेकित पोषक तत्व प्रबंध के संबंध में प्रशिक्षण दे रहा है, कार्यशालाओं और क्षेत्रीय प्रदर्शन आदि का आयोजन कर रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, फार्मयार्ड खाद, हरी खाद आदि जैसे पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों और जैव-उर्वरकों के साथ संयुक्त रूप से उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उपयोग का समर्थन करते हुए समेकित पोषक तत्व प्रबंध को बढ़ावा दे रही है।

(च) और (छ) भा.कृ.अ.प. (i) वृहत एवं द्वितीयक पोषक तत्व (ii) मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया, तथा (iii) दीर्घकालिक प्रयोग, संबंधी अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के जरिये मृदा उर्वरता से जुड़े हुए मुद्दों पर उचित ध्यान दे रहा है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोनों में बेसिक नंबर

1244. श्री गणेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल सेवाप्रदाता मोबाइल ग्राहकों को 100, 101 और 102 जैसे बेसिक नंबरों की सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सभी मोबाइल सेवा प्रदाता मोबाइल उपभोक्ताओं को 100, 101 और 102 जैसे बेसिक नंबरों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कमी

1245. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंगित प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह इंगित हुआ है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और उपभोग की तुलना में उत्पादन अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त के मद्देनजर गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों की कीमतें

1246. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए सरकार ने किसी बोर्ड/समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड/समिति में किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) हाल ही में ऐसा कोई बोर्ड/कमेटी गठित नहीं की गई है। कृषि मूल्य आयोग, वर्तमान कृषि लागत और मूल्य आयोग का पूर्ववर्ती 1965 में गठित किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग नीति पर सिफारिशें तैयार करते समय बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों जिनमें उत्पादन की लागत, निवेश मूल्यों में बदलाव, निवेश/उत्पादन समानता, घरेलू तथा वैश्विक बाजार ताकतों में प्रवृत्तियां, अन्तर फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, किसानों द्वारा भुगतान की गई कीमतों तथा प्राप्त की गई कीमतों के मध्य समानता शामिल हैं, पर विचार करता है।

खेती उत्पादन लागत में सभी चुकाई गई लागतों जैसे जो किराए के भवन पर श्रम पर हुई हों, बैल श्रम/मशीन श्रम (किराए का और निजी दोनों) और नकद के अलावा पट्टे की भूमि के लिए चुकाया गया किराया तथा सामान आदान के उपयोग पर व्यय जैसे बीज, उर्वरक खाद्य, पम्प सैट को चलाने के लिए डीजल/बिजली लागत सहित सिंचाई प्रभारों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत में पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। लागत में फार्म मशीनरी और भवन ह्रास को शामिल किया जाता है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग एक सात सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष एक सदस्य सचिव तथा 5 सदस्य (दो सरकारी तथा तीन गैर सरकारी) होते हैं। गैर सरकारी सदस्य किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1247. श्री मोहन रावले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) द्वारा पेशकश की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या पुनरुद्धार किए गए/आधुनिकीकृत एन.टी.सी. मिलों में रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों में नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बंद मिलों के छंटनीग्रस्त कामगारों के बच्चों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) 01.11.2007 की स्थिति के अनुसार कुल 55726 कर्मचारियों ने अल्प परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प लिया है और उनको मुआवजे के रूप में 1955.23 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अल्प परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वस्त्र अनुसंधान संघों के कार्यभार मानदंडों और वस्त्र उद्योग की मांग के अनुसार पुनरुद्धार किए गए/ आधुनिकीकृत मिलों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में बंद मिलों के छंटनी किये गये कामगारों के बच्चों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मिल औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम के तहत बंद किये गये हैं और एमवीआरएस के तहत गये कर्मचारियों को आकर्षक अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है।

विवरण

अल्प परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस)

1.0 योजना, कार्यक्षेत्र और पात्रता

योजना

1.1 दिनांक 19 जून, 2001 के पत्र सं. एनटीसी/वीआरएस/ 15/2000 द्वारा परिचालित संशोधित स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना, दिनांक 6 नवंबर, 2001 के डीपीई के का. ज्ञा.सं. 2(32)/97-डीपीई (डब्ल्यू सी)/जी एल/एल-VI द्वारा एक अल्प-परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना और दिनांक 14.2.2002 के पत्र सं. 18011/7/94 द्वारा वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन के प्रतिस्थापन में बेशी कार्मिकों के यौक्तिकरण और इसके घाटों को कम करने के लिए शुरू की गई है।

1.2 यह योजना अल्प-परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (एम वी आर एस) के रूप में श्रेणीगत की गई है। इसका कार्यक्षेत्र, पात्रता, लाभ आदि नीचे दिए गए हैं:

कार्यक्षेत्र

1.3 यह योजना चरण-I में उन सभी नियमित/स्थाई कर्मचारियों, बदली/स्थानपन/अस्थाई नैमितिक कामगारों के लिए लागू है जो स्वीकृत कर्मचारी संख्या में शामिल हैं और जिनका नाम अनुबंध-II के अनुसार 39 मिलों की नामावली तथा चरण-II में अनुबंध-III के अनुसार 21 मिलों की नामावली में है। तथापि, इस योजना का तत्काल विस्तार अनुबंध-I में दिए गए केवल 20 मिलों में किया जाएगा और अन्य मिलों में इसे लागू करने की तारीख को यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।

पात्रता

1.4 संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस)

स्वीकृत कर्मचारी संख्या में शामिल नियमित/स्थाई कर्मचारी, बदली/स्थानपन/अस्थाई/नैमित्तिक कामगार और जिनका नाम उपर्युक्त पैरा 1.3 में दर्शाए गए अनुसार एनटीसी मिलों की नामावली है, निर्धारित प्रपत्र में एनटीसी में धारित पद से त्यागपत्र देते हुए स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति के विकल्प को चुनने के लिए पात्र हैं। इस योजना के लाभ पैरा 3.1 में दिए गए हैं। किसी भी योजना के तहत प्रशिक्षार्थी एमवीआरएस के लिए पात्र नहीं हैं।

1.5 कंपनी द्वारा अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की आयु सत्यापित स्थापित स्थायी आदेशों/करारों/अधिनिर्णय में यथा लागू अथवा यथा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट 58 वर्ष मानी जाएगी जो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। कोई कर्मचारी अपने जन्म तिथि को एक बार घोषणा करने के बाद तथा सेवा/भविष्य निधि रिकार्ड में शामिल किए जाने के बाद परिवर्तित नहीं कर सकेगा। एनटीसी का प्रबंधन जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/ तर्क पर विचार नहीं करेगा। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना एवं भुगतान जन्म तिथि की मूल घोषणा/साक्ष्य के अनुसार अथवा मूल भविष्य निधि रिकार्ड में दिए गए अनुसार, इनमें जो भी पहले हो, के अनुसार किया जाएगा।

1.6 प्रबंधन बगैर कोई कारण बताये एमवीआरएस के आवेदन को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

1.6.1 और 1.6.2 के संबंध में एमवीआरएस के लिए और आवेदनों को विचार विमर्श के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जा सकता है।

1.6.1 जहां मुख्य शास्ति के अधिरोपण के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या तो लंबित हैं अथवा अधिसंभाव्य है।

1.6.2 जहां दंड न्यायालय में अभियोजन अधिसंभाव्य है अथवा किसी न्यायालय में पहले ही शुरू हो चुका है; और

1.6.3 कंपनी की सेवा से सामान्य तरीके से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एमवीआरएस के पात्र नहीं हैं।

2.0 सक्षम प्राधिकारी

2.1 यथालागू एमवीआरएस के लिए किसी कर्मचारी की पेशकश को स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। मिल में काम कर रहे कामगारों के मामले में मिल के महाप्रबंधक (महाप्रबंधक की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में मिल इकाई के प्रमुख) सक्षम प्राधिकारी होंगे। सिवाय ऊपर 1.6.1 और 1.6.2 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर जिनमें स्वीकृति अथवा अन्यथा निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

3.0 योजना के तहत लाभ

वह कर्मचारी जिसकी अन्य परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पेशकश को स्वीकार कर लिया जाता है, मुआवजे के हकदार होंगे जिनके ब्यौरे आगे के अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

अल्प परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस)

3.1.1 पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन तथा अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा के लिए 25 दिनों के समतुल्य अनुग्रह राशि की भुगतान। मुआवजा न्यूनतम 25000/- रु. अथवा 250 दिन का वेतन इनमें जो भी अधिक हैं, के अध्यधीन होगा। तथापि, यह मुआवजा उस वेतन जो कर्मचारी अधिवार्षिता के पहले बची शेष अवधि के लिए लागू स्तरों पर मिलता, के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.1.2 किसी कर्मचारी को देय अतिरिक्त अनुग्रह मुआवजा राशि इस प्रकार होगी:

(i) जहां 01.01.1987 के बाद मजदूरी संशोधन नहीं हुआ है पैरा 3.1.1 के अनुसार पात्र अनुग्रह राशि का 100% अतिरिक्त मुआवजा

(ii) जहां 01.01.1992 से मजदूरी में संशोधन नहीं हुआ है, पैरा 3.1.1 के अनुसार पात्र अनुग्रह राशि का 50% अतिरिक्त मुआवजा।

3.1.3 वीआरएस के उद्देश्य से वेतन में केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता+मकान किराया भत्ता शामिल होगा। इस प्रयोजनार्थ तदर्थ/पुरस्कार की किसी भी राशि को हिसाब में नहीं लगाया जाएगा।

3.1.4 संशोधन इत्यादि के कारण भुगतान किए गए वेतन/मजदूरी के बकाया को पात्र राशि की संगणना में शामिल किया जाएगा तथा अंतर का भुगतान किया जाएगा।

3.1.5 अधिनियम में प्रावधान के अनुसार बोनस का भुगतान।

3.1.6 अनुग्रह राशि की गणना करते समय एक माह की गणना के प्रयोजनार्थ एक माह में 30 दिन माने जायेंगे। इसके अलावा, अनुग्रह राशि की गणना के लिए आनुपातिक महीने के लिए मुआवजे को भी हिसाब में लिया जाएगा।

3.1.7 बदली कामगारों के मामले में मुआवजा पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिनों की दर से तथा बची सेवा के लिए 25 दिनों की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। वर्ष में 240 दिनों की न्यूनतम अपेक्षित सेवा (स्थायी कर्मचारी की स्थिति जैसा पर विचार किए बिना यदि एक बार उनका नाम नामावली में आ जाता है।

4.0 योजना के अधीन अन्य सेवान्त लाभ

4.1 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सामान्य निधि कोष खाते में शेष राशि देय है।

4.2 संबंधित मिलों/कार्यालयों की नियमावली के अनुसार संचित अर्जित अवकाश/सुविधा अवकाश के समतुल्य नकद।

4.3 उपदान भुगतान अधिनियम अथवा उपदान योजना यदि कोई हो के अनुसार उपदान।

5.0 प्रक्रिया

5.1 योजना के तहत पात्र कर्मचारी धारित पद से तथा एनटीसी की सेवा से त्यागपत्र देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अधीन कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पद सभी मामलों में इस्तीफा स्वीकार करते समय ही समाप्त हो जाएंगे तथा इस योजना के अधीन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ का संवितरण करने के साथ ही इस निमित आदेश जारी किए जाएंगे तथा उनके स्थान पर किसी व्यक्ति (स्थायी/बदली/एवजी/अस्थायी इत्यादि) को नहीं लगाया जाएगा।

5.2 रिक्त पदों के समापन को धारित पद की समाप्ति के लिए एवजी के रूप में नहीं माना जाएगा। अपवादस्वरूप मामलों में तथा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए रक्षित पद (रिक्त पद नहीं) को भी समाप्त किया जा सकता है। त्यागपत्र स्वीकार करने तथा सेवानिवृत्ति लाभों का संवितरण करने के पहले इस आशय के आदेश जारी किए जाएंगे।

5.3 इस योजना के अधीन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी एनटीसी समूह के किसी मिल/कार्यालय/खुदरा शोरूम इत्यादि में किसी भी हैसियत में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

5.4 मौजूदा स्थायीकरण के स्तर को नहीं बढ़ाया जाएगा तथा किसी बदली/अस्थायी/नैमित्तिक को स्थायी नहीं किया जाएगा।

5.5 इस योजना के अधीन सभी भुगतान सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के पक्ष में रेखांकित एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से ही किये जायेंगे। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को चैक तब ही सौंपा जाएगा जब वह इसे प्राप्त करने के आशय से अपने हस्ताक्षर/अंगूठा के निशान लगा दे और जिसे कम से कम दो गवाहों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। मिलों के कामगारों के मामलों में, संबंधित मिलों के श्रम कल्याण अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी भी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

5.6 कंपनी में सेवाकाल की गणना के लिए प्रशिक्षण के क्रम में नियमित श्रेणी में शामिल करने से पूर्व किसी प्रकार के प्रशिक्षण अर्थात प्रबंधन प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षार्थी पर्यवेक्षक अथवा कंपनी प्रशिक्षार्थी जैसे प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

5.7 खुदरा विपणन प्रभाग के शोरूम कर्मचारियों के मामले में मुआवजा/अनुग्रह राशि की गणना उनके वेतन जमा सर्वोत्तम पांच वर्षों की अवधि में प्राप्त प्रोत्साहन/कमीशन के औसत के आधार पर किया जाएगा।

5.8 अल्प परिवर्तित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एनटीसी मिल के नैमित्तिक/अस्थायी (उसे जो भी कहा जाए) कामगारों के लिए भी लागू है बशर्ते उन्होंने एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम किया हो।

5.9 इस योजना के अधीन भुगतान कर्मचारी द्वारा कंपनी के आवास को खाली करने, उनके पास उपलब्ध कंपनी की सभी संपत्तियों को लौटाने तथा कंपनी की सभी बकाया राशि के भुगतान के अध्यधीन है।

5.10 ऐसे किसी कर्मचारी को जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, उसे किसी दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त वीआरएस मुआवजा राशि लौटानी होगी। जहां मुआवजे का भुगतान सरकार के अनुदान से किया गया था, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यह राशि सरकार को लौटाएगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले से ही बंद हैं/विलय हो गया है, तो वीआरएस मुआवजे की राशि सीधे सरकार को लौटाई जायेगी।

6.0 उपदान की गणना करने की पद्धति

6.1 उपदान की गणना उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

7.0 संशोधन

7.1 एनटीसी (धारक कंपनी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस योजना में अल्प परिवर्तन/परिवर्तन/संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1248. श्री पी.सी. गद्दीगौडर:
श्री के. विरूपाक्षप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ग्यारह कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश के 589 ग्रामीण जिलों में से प्रत्येक में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक कर्नाटक के सभी 26 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से रामानगरम और चिक्काबल्लापुर जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए सिफारिश की है, जो क्रमश: बंगलौर ग्रामीण और कोलार जैसे दो जिलों से अलग होकर बने हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार पहले ही अपने राज्य कृषि विश्वविद्यालय के तहत आठ कृषि महाविद्यालयों की स्थापना कर चुकी है। नये महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है और न ही परिषद में राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

साइबर कैफे की स्थापना

1249. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दो वर्षों में गांवों में एक लाख साइबर कैफे की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कितने साइबर कैफे स्थापित किए गए हैं; और

(ग) ऐसे साइबर कैफे में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रोड बैण्ड, इंटरनेट समर्थित क्योस्क जिन्हें सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) कहा जाता है, स्थापित करने के लिए सहयोग देने की एक योजना अनुमोदित कीहै। ये केन्द्र किसी भी राज्य में प्रत्येक 6 आवासीय गांवों के लिए । सीएससी के अनुपात में खोले जायेंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस योजना से नागरिकों को द्वार पर ही ई-समर्थित सरकारी सेवाएं उपलब्ध होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, चूंकि ये केन्द्र निजी सेवाएं भी प्रदान करेंगे कृषि, बैंकिंग, बीमा, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में काफी मात्रा में निजी सेवाएं भी प्रचालकों द्वारा इन सामान्य सेवा केन्द्रों के जरिए प्रदान किए जाने की संभावना है। गांवों के लोग भी इन सामान्य सेवा केन्द्रों के जरिए इंटरनेट सर्फिंग कर पाएंगे। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जाएगी। योजना के पूर्ण ब्यौरे सीएससी दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं जो www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण

1250. श्री विजय कृष्ण: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत खाद्यान्नों की कमी है जबकि कुछ राज्यों में अधिशेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों में इष्टतम तथा पर्याप्त वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार एक निश्चित समान रूप से लागू मानदंडों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करती है। यह आबंटन करने के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियां करती हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियां खाद्यान्नों की खरीदी गई मात्रा का भंडारण करती हैं। आबंटनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और राज्य एजेंसियों के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के गोदामों से खाद्यान्नों के संचलन तथा उसे कार्य रूप देने की योजना उनके द्वारा बनाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक आबंटन समय से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहुंच जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसकी नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

चूंकि चावल और गेहूं की खरीदारी प्रमुख चावल और गेहूं उत्पादक राज्यों में की जाती है इसलिए उन राज्यों में भंडारण सुविधाओं में चावल और गेहूं की अधिक मात्रा का भंडारण किया जाता है। अत: किसी समय विशेष में प्रमुख खरीदारी राज्यों में चावल और गेहूं की भंडारित मात्रा अधिक होती है। इन खाद्यान्नों का किए गए आबंटनों के अनुसार कमी वाले राज्यों को आवश्यकता अनुसार संचलन किया जाता है। चूंकि खरीदारी वाले राज्यों में चावल और गेहूं की अधिक मात्रा की मौजूदगी भंडारण प्रबंधन का हिस्सा होती है इसलिए इसका तात्पर्य यह नहीं माना जा सकता है कि उन राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अधिक अथवा कम खाद्यान्न मौजूद है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता से संबंधित कानून

1251. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तीसरे पक्ष की सामग्रियों के संबंध में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से संबंधित कानूनों को अधिक सख्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को व्यक्तियों अथवा संस्थानों द्वारा सूचना के किसी गैर-कानूनी आदान-प्रदान के लिए सेवा प्रदाताओं को उत्तदायी बनाने के लिए किसी ऐसे संशोधन को नहीं करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कोई अनुरोध अथवा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए लोक सभा में दिनांक 15.12.2006 को एक विधेयक पेश किया था। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिस्थितियों में माध्यस्थों को देनदारियों से छूट देने के लिए एक प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव है, जो सरकार द्वारा विनिर्धारित ऐसे अन्य दिशा-निर्देशों की निर्धारित शर्तों एवं टिप्पणियों के तहत होगा। समिति ने विधेयक के उक्त प्रावधानों पर संस्तुतियां की हैं, जिन पर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएएमएआई) ने सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति की संस्तुतियों पर अपने विचार एवं जानकारी प्रस्तुत की है। आईएएमएआई ने संशोधनों को अपने वर्तमान रूप की तुलना में वैद्य सेवा प्रदाताओं के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार का समर्थन प्राप्त कर लिया है।

किसानों के लिए ऋण

1252. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें किसानों के लिए अधिक ऋण की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी मांग की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर किसानों के लिए और अधिक ऋणों की मांग होती रही है। और अधिक ऋण के अलावा मांग में प्रमुखतया निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसानों को अड़चनमुक्त तरीके से ऋण प्रदान करना;

(ii) और अधिक किसानों तक पहुंच बनाने के लिए औपचारिक ऋण प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करना और

(iii) फार्म ऋणों पर ब्याज दर को घटाना।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के परामर्श से किसानों को ऋण देने हेतु कई उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

किसानों को ऋण की राशि में वृद्धि करने के उपाय

भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के परामर्श से किसानों को ऋण देने हेतु कई उपाय शुरू किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण की राशि में वृद्धि करने हेतु सरकार ने 18 जून, 2004 को एक व्यापक फार्म ऋण पैकेज की घोषणा की थी जिसमें कृषि तथा संबंध क्षेत्रों की राशि में 30% वृद्धि करने तथा 2003-04 को आधार वर्ष मानते हुए तथा 2004-05 से शुरू करते हुए आगामी तीन वर्षों में ऋण की राशि को दो गुना करने की परिकल्पना की गई थी। ऋण पैकेज में आर आर बी सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 50 लाख नये किसानों को वित्त प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक के दौरान आधारभूत स्तर पर कृषि ऋण की राशि तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंकों और आर. आर. बी. द्वारा खोले गए कृषि खातों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

एजेंसी ऋण की	राशि 2003-04 (आधार वर्ष)	लक्ष्य 2004-05	31.3.05 को उपलब्धि	लक्ष्य 2005-06	31.3.06 को उपलब्धि	लक्ष्य 2006-07	31.3.07 को उपलब्धि	लक्ष्य 2007-08	30.9.07 को उपलब्धि
वाणिज्यिक बैंक	52441	57000	81481	87200	125477	119000	140382	150000	60700
सहकारी बैंक	26959	39000	31424	38600	39786	41000	42480	52000	27719
आरआरबी	7581	8500	12404	15200	15223	15000	20434	23000	12532
कुल	86981	104500	125309	141000	180486	175000	203296	225000	101021

स्रोत–नाबार्ड

वाणिज्यिक बैंकों सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा नए किसानों का कवरेज

(खाते लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	वित्त प्राप्त खातों की सं.
1.	2004-05	50	79
2.	2005-06	50	79
3.	2006-07	50	83

स्रोत–नाबार्ड

2. सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए उपायों का पैकेज जैसा कि वैद्यनाथन समिति द्वारा सुझाया गया है, क्रियान्वयन के अधीन है। अब तक 18 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र ने पैकेज की स्वीकृति की सूचना दी है। इस पैकेज में वित्तीय समर्थन, मानव संसाधन, दक्षता सुधार और वैधानिक सुधारों से जुड़ा हुआ प्रणाली उन्नयन शामिल है।

3. बैंकों को कृषि ऋण हेतु प्रलेखन की प्रक्रिया सरल बनाने का सुझाव दिया गया है।

4. 50,000 रु. तक के ऋण को संपार्श्विक और मार्जिन मुक्त बना दिया गया है।

5. खरीफ 2006-07 से प्रभावी, सरकार ने मूल धन पर 3.00 लाख रु. की उच्च सीमा के साथ फसल ऋण पर ब्याज दर घटाकर 7% कर दिया है। यह नीति वर्ष 2007-08 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

6. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड दें ताकि ऋण तक उनकी बाधा मुक्त पहुंच हो सके।

7. गरीब और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच सुधार करने के लिए खासकर 13 प्राथमिकता वाले राज्यों नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल जहां ग्रामीण गरीब की संख्या अधिक है, में स्वावलंबी समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम गहन बना दिया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि संयुक्त देयता समूहों और काश्तकार समूहों को वित्त पोषित करें।

8. वित्तीय समावेशन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपायों के भाग

के रूप में बैंकों को सलाह दी गई है कि वे "नोफ्रील्स" खाता खोलने और ऐसे खातों के लिए साधारण ओवर ड्राफ्ट सुविधा जारी करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रतिभूति और निधियों के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना 25,000 रु. तक सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करें।

9. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 जिले में पाइलट आधार पर 100% वित्तीय समावेशन शुरू करे। पाइलट स्कीम की सफलता के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राज्य के अन्य जिलों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करें।

10. वित्तीय पहुंच में सुधार करने के लिए बैंकिंग कोर्सपोंडेंट/बैंकिंग का फेसीलिटेटर हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बैंकों को दिए गए हैं।

11. सरकार ने केन्द्रीय बजट 2007-08 में दो कोष अर्थात वित्तीय समावेशन कोष और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष सृजन करने की घोषणा की है।

घटिया किस्म के बीज

1253. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को बार-बार घटिया किस्म के बीजों, कीटनाशकों, कृमिनाशकों तथा उर्वरकों की आपूर्ति के द्वारा ठगा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उच्च उत्पादन प्राप्त करने हेतु किसानों के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) क्षेत्रीय आदान सम्मेलन में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 179.84 लाख क्विंटल की आवश्यकता के मुकाबले वर्ष 2007-08 में विभिन्न फसलों के 194.31 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान देश में गुणवत्ताप्रद बीज का उत्पादन लगभग 46.13 लाख क्विंटल बढ़ा है। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकारों/उद्योगों और उर्वरक विभाग से परामर्श करके रबी 2007-08 के लिए यूरिया (131.66 लाख टन), डाइअमोनियम फास्फेट (डीएपी) (40.08 लाख टन) और मुरिएट आफ पोटाश (एमओपी) (18.62 लाख टन) की आवश्यकता/मांग का आकलन किया गया है। उर्वरक विभाग ने इन उर्वरकों की अपेक्षित आपूर्ति योजना तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनको भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाए। राज्यों के तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

बीजों, कृमिनाशियों, कीटनाशियों और उर्वरक की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, कीटनाशी अधिनियम, 1968 कीटनाशी नियमावली, 1971 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत तंत्र विद्यमान हैं। इन विधायी लिखतों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सौंपा गया है। इन विधायी लिखतों के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षकों को नमूने लेने, माल (स्टाक) जब्त करने, बिक्री रोक आदेश जारी करने का अधिकार है, यदि संदर्भाधीन जिंसे इन अधिनियमों, नियमावली और आदेशों का उल्लंघन करती हैं।

किसानों के लिए वहनीय मूल्य पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन अनुमोदित सहायता का ब्यौरा

स्कीम/घटक	फसल	सहायता का पैमाना
1	2	3
बृहत कृषि प्रबंधन पद्धति राज्य कार्य योजना	चावल व गेहूं, बाजरा ज्वार, रागी और जौ	(i) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 200/- रु. प्रति क्विंटल (ii) किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 400/- रु. प्रति क्विंटल (iii) बाजरा व ज्वार के संकर के प्रमाणित बीज वितरण हेतु 1000/- रु. प्रति क्विंटल

1	2	3
समेकित तिलहन दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम	सभी तिलहन दलहन और मक्का अंकुरित आयलपाम	(i) आधारी व प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 500/- रु. प्रति क्विंटल (ii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 800/- रु. प्रति क्विंटल या बीज लागत का 25% जो भी कम हो। किसानों की पूरी भूमि जोत के लिए 7500 रु/है. की सीमा से लागत का 75%
पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन	पटसन एवं मेस्ता	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु 3000/- रु. प्रति क्विंटल सीमित लागत का 50% (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 700/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 25% (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 2000/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 50%
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु लागत का 50% या 50/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु लागत का 25% या 15/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 20/- रु. प्रति कि.ग्रा. (iv) बीजोपचार के लिए 40/- रु. प्रति कि.ग्रा. की सीमा तक लागत का 50%
बीज को सिक्किम हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को भेजे जाने पर परिवहन राजसहायता	आलू को छोड़कर सभी प्रमाणित बीज	(i) राज्य से बाहर उत्पादित बीज को अभिज्ञात राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय को भेजने के लिए कार्यान्वयक राज्यों/एजेंसियों को सड़क व रेल परिवहन भाड़े के बीच 100% अंतर को प्रतिपूर्तित किया जाता है। (ii) राज्य के भीतर राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय से विक्रय दुकानों/ विक्रय काउन्टरों को वाहित बीजों को ले जाने हेतु वास्तविक लागत अधिकतम 60/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
बीज ग्राम कार्यक्रम	सभी कृषि फसलें	(i) किसान द्वारा सुरक्षित रखे गए बीज की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन हेतु बीज की 50% लागत पर आधारी/प्रमाणित बीज के लिए वित्तीय सहायता। (ii) 50-150 किसानों के समूह को 15000/- रु. की दर पर बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायता।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	चावल	(i) प्रमाणित संकर चावल के बीज के उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (ii) प्रमाणित संकर चावल के बीज के वितरण के लिए 2000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iii) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो।

1	2	3
		(iv) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मनीकिटों की पूर्ण लागत।
	गेहूं	(i) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो।
		(ii) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकटों की पूर्ण लागत
	दलहन	(i) आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल
		(ii) प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 1200 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो।
		(iii) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकटों की पूर्ण लागत।

जल क्षेत्र का निजीकरण

1254. श्री के. सुब्बारायण: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ जल निकायों/नदियों को निजी कंपनियों को बेचा गया है अथवा पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कितने जल निकायों को बेचा गया है/पट्टे पर दिया गया है;

(ग) क्या इस कदम का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जल की इस प्रकार की वाणिज्यिक बिक्री का लोगों पर, जैव-विविधता तथा एक्वीफर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके समाधान के बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों ने देश के जल निकायों अथवा नदियों को निजी क्षेत्र को बेचने या देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। हालांकि कुछ राज्यों ने जल विद्युत औद्योगिक उपयोग तथा पेयजल आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल संसाधन के उपयोग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लिया जाना

1255. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को वापस लेने का सुझाव दिया है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विश्व बैंक ने सिफारिश नहीं की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त किया जाए।

अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के लिए बजट

1256. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए. वाई.) के लिए राज्य-वार कितना बजट प्रदान किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में कौन-कौन से राज्य अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत प्रदान किए गए बजट का उपयोग करने में असफल रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के एक भाग के रूप में अंत्योदय अन्न योजना का क्रियान्वयन दिसम्बर, 2000 से किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर उनके द्वारा पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करती है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

अंत्योदय अन्न योजना के लिए बजट प्रावधान को खाद्यान्न संबंधी राजसहायता के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के लिए अलग से निधियों के रूप में बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

2004-05, 2005-06 और 2006-07 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन चावल और गेहूं का आबंटन और उठान संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन चावल और गेहूं का समूचा उठान 92-93 प्रतिशत है।

विवरण-I

सारणी: पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवार जिनके लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.380
3.	असम	7.040
4.	बिहार	24.285
5.	छत्तीसगढ़	7.189
6.	दिल्ली	0.985
7.	गोवा	0.145
8.	गुजरात	8.098
9.	हरियाणा	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	1.971
11.	जम्मू-कश्मीर	2.557
12.	झारखंड	9.179
13.	कर्नाटक	11.997
14.	केरल	5.998
15.	मध्य प्रदेश	15.816
16.	महाराष्ट्र	24.100
17.	मणिपुर	0.504
18.	मेघालय	0.702
19.	मिजोरम	0.261
20.	नागालैण्ड	0.475
21.	उड़ीसा	12.645
22.	पंजाब	1.794
23.	राजस्थान	9.321
24.	सिक्किम	0.165
25.	तमिलनाडु	18.646
26.	त्रिपुरा	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	40.945
28.	उत्तराखंड	1.512
29.	पश्चिम बंगाल	14.799
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.043
31.	चण्डीगढ़	0.021
32.	दादर व नगर हवेली	0.052
33.	दमन व दीव	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.012
35.	पांडिचेरी	0.322
	जोड़	241.567

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2004-2005 से 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक) के दौरान अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08 (सितम्बर, 2007)		
		आवंटन अअयो	उठान अअयो	% उठान अअयो	आवंटन अअयो	उठान अअयो	% उठान अअयो	आवंटन अअयो	उठान अअयो	% उठान अअयो	आवंटन अअयो	उठान अअयो	% उठान अअयो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	476.248	456.115	95.77	620.247	608.56	98.12	654.288	656.771	100.38	327.144	326.957	99.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.816	8.661	88.23	12.936	12.4	95.86	15.972	9.069	56.78	7.986	2.875	36.00
3.	असम	150.086	139.178	92.73	175.104	181.09	103.42	294.216	272.04	592.46	147.6	151.848	102.88
4.	बिहार	420	382.079	90.97	472.533	421.06	89.11	662.091	566.332	85.54	509.994	434.115	85.12
5.	छतीसगढ़	200.997	180.399	89.75	254.82	229.189	89.94	295.25	313.059	106.03	150.972	160.383	106.23
6.	दिल्ली	16.51	13.984	84.70	23.316	22.15	95.00	23.316	22.884	98.15	16.173	11.475	70.95
7.	गोवा	4.112	5.04	122.57	5.739	2.447	42.64	6.108	3.94	64.51	3.054	2.496	81.73
8.	गुजरात	167.081	114.301	68.41	258.785	192.34	74.32	310.848	259.993	83.64	170.04	147.695	86.86
9.	हरियाणा	71.532	65.097	91.00	86.056	76.89	89.35	109.394	102.921	94.08	61.41	58.254	94.86
10.	हिमाचल प्रदेश	44.116	41.755	94.65	62.284	55.6	89.27	76.806	77.244	100.57	41.37	37.803	91.38
11.	जम्मू-कश्मीर	66.076	43.508	65.85	88.749	73.09	82.36	104.007	98.433	94.64	53.694	53.678	99.97
12.	झारखंड	204.38	167.666	82.04	305.268	282.63	92.58	305.268	299.266	98.03	159.323	150.144	94.24
13.	कर्नाटक	326.463	300.882	92.16	407.752	378.35	92.79	491.35	465.2	94.68	251.946	241.121	95.70
14.	केरल	165.56	156.714	94.66	207.088	200.722	96.93	248.331	249.313	100.40	125.13	125.038	99.93
15.	मध्य प्रदेश	406.254	380.325	93.62	534.141	509.58	95.40	650.16	603.987	92.90	331.532	318.241	95.99
16.	महाराष्ट्र	674.467	598.26	88.70	829.836	736.41	88.74	833.22	698.753	83.86	506.118	417.561	82.50
17.	मणिपुर	11.93	8.631	72.35	21.864	13.96	63.85	21.18	18.411	86.93	10.59	11.462	108.23
18.	मेघालय	16.708	16.119	96.47	23.292	22.72	97.54	23.352	23.352	100.00	14.742	14.746	100.03
19.	मिजोरम	7.439	7.098	95.42	10.401	10.01	96.24	10.92	11.246	102.99	5.46	5.46	100.00
20.	नागालैण्ड	12.551	11.922	94.99	16.263	16.44	101.09	19.968	22.976	115.06	9.984	10.597	106.14
21.	उड़ीसा	260.604	240.04	92.11	434.785	450.493	103.61	530.716	433.288	81.64	265.56	210.654	79.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	पंजाब	30.12	22.766	75.58	32.469	18.24	56.18	58.308	33.563	57.56	29.154	14.861	50.97
23.	राजस्थान	251.672	230.951	91.77	340.018	300.57	88.40	385.714	348.024	90.23	195.744	180.735	92.33
24.	सिक्किम	4.164	4.058	97.45	4.164	4.32	103.75	6.474	6.474	100.00	3.468	3.472	100.12
25.	तमिलनाडु	434.011	424.791	97.88	644.679	657.63	102.01	783.144	775.366	99.01	391.572	394.003	100.62
26.	त्रिपुरा	22.971	21.376	93.06	28.536	28.53	99.98	28.536	25.458	89.21	22.178	19.302	87.03
27.	उत्तर प्रदेश	1,169.14	1126.056	96.32	1,539.69	1438.289	93.41	1,720.01	1692.331	98.39	859.74	846.155	98.42
28.	उत्तराखंड	32.052	41.62	129.85	46.759	34.615	74.03	59.661	47.404	79.46	31.758	30.24	95.22
29.	पश्चिम बंगाल	391.595	260.473	66.52	562.571	454.3	80.75	621.684	55.641	82.94	310.842	266.357	85.69
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.8	0	0.00	1.8	0.53	29.44	1.8	0.82	45.56	0.9	0.641	71.22
31.	चण्डीगढ़	0.888	0.191	21.51	0.888	0	0.00	0.888	0.07	7.88	0.444	0.954	214.86
32.	दादर और नगर हवेली	1.176	0	0.00	1.528	0.72	47.12	1.772	0.38	21.44	1.098	0.15	13.66
33.	दमन और दीव	0.252	0	0.00	0.444	0.22	49.55	0.636	0.37	58.18	0.318	0.04	12.58
34.	लक्षद्वीप	0.168	0	0.00	0.168	0.33	196.43	0.161	0.16	99.38	0.218	0.14	64.22
35.	पांडिचेरी	6.874	1.235	17.97	12.25	7.91	64.57	13.548	7.14	52.70	6.774	3.814	56.30
	जोड़	6,059.81	5,471.29	90.29	8,067.22	7,442.34	92.25	9,369.10	8,661.68	92.45	5,024.03	4,653.47	92.62

सोना मसूरी चावल

1257. श्री के. विरुपाक्षप्पा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष दूसरे देशों को कितनी मात्रा में सोना मसूरी (एस.एम.) चावल का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सोना मसूरी चावल के उत्पादन में प्रतिवर्ष 15,000/- रुपए का व्यय किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो चावल की इस किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित किए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंकड़े जिंस वर्गीकरण के लिए समन्वित प्रणाली (एचएस) संहिता पर आधारित हैं। चूंकि सोना मसूरी चावल के लिए कोई अलग संहिता नहीं है इसलिए सोना मसूरी चावल के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत का चावल का कुल निर्यात वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रमश: 4.088 मिलियन टन और 4.747 मिलियन टन था।

(ख) और (ग) सोना मसूरी चावल की खेती की लागत को अलग से एकत्र नहीं किया जाता है अत: यह उपलब्ध नहीं है।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केवल सामान्य धान तथा ग्रेड 'ए' धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस तरह से, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस्म-वार निर्धारित नहीं किया जाता है और इसलिए सोना मसूरी चावल के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी के लिए राष्ट्रीय आधार स्तर

1258. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री अनन्त नायक:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के लिए राष्ट्रीय आधार स्तर में वृद्धि किए जाने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुशंसित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को दिनांक 01.09.2007 से संशोधित कर 66/- रुपये से बढ़ाकर 80/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी का संशोधन एक गैर-सांविधिक उपाय है। अत: राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से न्यूनतम दरों को बढ़ाने के लिए संशोधन करने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी 80/- रुपये प्रतिदिन की राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी दर से कम न हो।

मानसरोवर यात्रा हेतु सड़कों का निर्माण

1259. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) मानसरोवर यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सड़क का निर्माण कब तक किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) उत्तराखंड में मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ घटियाबगढ़-लिपुलेख सड़क (75.54 कि.मी.) का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 2012 तक किया जाना है।

दूसरी हरित क्रांति

1260. श्री रनेन बर्मन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज आफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा संकलित पत्र में यह सिफारिश की गई है कि दलहनों के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि करने तथा उनकी बढ़ती मांग को पूरा करने और इस प्रकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिक पैदावार वाली दलहनों की किस्मों के लिए दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एसोचैम द्वारा सुझाई गई रणनीति का अध्ययन किया है;

(ग) दलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में दहलनों की अधिक पैदावार वाली किस्मों को विकसित करने के लिए क्या अनुसंधान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार को भारत के वाणिज्यिक और उद्योग के ऐसोसिएटिड चैम्बर्स द्वारा उजागर किए गए मामलों की जानकारी है। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता वृद्धि संसाधनों/आदानों की कुशलता में सुधार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन और जिनोमिक्स से सक्षम बनाया गया फसल सुधार क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर रणनीतिक अनुसंधान नेटवर्क परियोजनाएं और भारत अमेरिकी ज्ञान पहल के अधीन दलहन के विभिन्न पहलुओं पर मूल, रणनीतिक अनुप्रयुक्त और प्रत्याशित अनुसंधान को सुदृढ़ किया गया है।

भारत सरकार 14 मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम" क्रियान्वित कर रही है। साथ ही देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान अभिज्ञात राज्यों/जिलों में चावल, गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

चावल के परती पड़े खेत के उपयोग और अन्त:फसलन के जरिये 4.47 मिलियन है। का क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि लक्ष्य है।

दलहन की अधिक उपज देने वाले किस्मों का विकास करने के लिए उन्नत पादप प्रकार, विविध रोग प्रतिरोध, जैव और अजैव दबावों, लोबिया और अरहर में ग्राम पौध बोरक हेतु जिनोमिक्स से सक्षम बनाई गई दलहन विकास ट्रांसजिनिक्स, अरहर में साइटोप्लाज्मिक मेल एस्टेरिलिटी आधारित संकरों, वाइल्ड रिलेटिव्स से जिनों का प्रवेश और उन्नत किस्मों के जेनेटिक आधार के विस्तार पर अनुसंधान चल रहा है।

[हिन्दी]

खेसारी दाल

1261. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार खेसारी दाल का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खेसारी दाल के संबंध में गठित समिति से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) खेसारी दाल पर प्रतिबंध से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए कृषि आयुक्त, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अत: खेसारी दाल पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

आयुध निर्माणियों को बंद किया जाना

1262. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुराने तथा पुनरुद्धार नहीं किए जा सकने वाले आयुध निर्माणियों/संयंत्रों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आयुध निर्माणियों के मजदूरों/कामगारों को अन्य संयंत्रों में नियुक्त करने अथवा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) की पेशकश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास किसी भी आयुध निर्माणी को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत अमरीकी कृषि ज्ञान पहल

1263. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों, पर्यावरणीय तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने भारत-अमरीकी कृषि ज्ञान पहल की समीक्षा करने की मांग की है क्योंकि इसे किसान गंभीर रूप से प्रभावित होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके दृष्टिकोणों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) किसानों के हितों पर ध्यान देने के लिए अनेक स्रोतों से ए.के.आई. (भारत-अमरीकी कृषि ज्ञान पहल) की समीक्षा करने के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) ए.के.आई. (भारत-अमरीकी कृषि ज्ञान पहल) में मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा रहा है (i) शिक्षा, शिक्षण संसाधन, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण; (ii) खाद्य प्रसंस्करण और उपोत्पाद एवं जैव-ईंधन का उपयोग; (iii) जैव प्रौद्योगिकी, और (iv) जल प्रबंधन। ए.के.आई. (भारत-अमरीकी कृषि ज्ञान पहल) के तहत किए जा रहे कार्य वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण; संयुक्त कार्यशालाओं और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित हैं। मुख्य क्षेत्रों के तहत संयुक्त हस्तांतरण (डिलीवरेबल्स) को निर्धारित किया जाता है और भारत-अमरीका कृषि ज्ञान पहल बोर्ड द्वारा इसकी समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

समेकित डेयरी विकास योजना

1264. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित डेयरी विकास योजना के उद्देश्यों तथा उत्पति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) राजस्थान और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं, यह विभाग कोई समेकित डेयरी विकास योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों का शोषण

1265. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में बहुत से उद्योग अपने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कामकाजी लोगों के एक बड़े वर्ग को कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के लाभ नहीं मिल पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संगठित क्षेत्र में कामगारों को नियुक्ति पत्र जारी करना एक सुव्यवस्थित पद्धति है। परन्तु असंगठित क्षेत्र में बहुत से प्रतिष्ठान इस सुव्यवस्थित पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। फिर भी, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अंतर्गत ठेका श्रमिकों को रोजगार कार्ड जारी करना नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी है। जब भी उल्लंघनों का पता चलता है, अनियमितताओं में सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं जिनके असफल होने पर चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

जी.एस.एम. की उपभोक्ताओं की घटती संख्या

1266. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल संचार हेतु वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) उपभोक्ताओं की संख्या लगातार घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय जीएसएम उपभोक्ताओं की कंपनी-वार तथा राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के अनुपात में वर्तमान उपकरणों को अद्यतन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मोबाइल संचार हेतु वैश्विक सेवा (जीएसएम) के प्रयोक्ताओं की कुल संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने वर्ष 2007-08 के लिए 8.85 मिलियन उपभोक्ताओं का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्यों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

31.10.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जीएसएम मोबाइल कनेक्शनों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	जीएसएम मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या
1.	अंडमान और निकोबार (द्वीप समूह)	48,106
2.	असम	5,57,946
3.	बिहार	7,69,766
4.	झारखंड	4,82,199
5.	पूर्वोत्तर I (मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सहित)	2,09,728
6.	पूर्वोत्तर II (मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड सहित)	2,94,852
7.	उड़ीसा	8,56,967
8.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	18,55,204
9.	छत्तीसगढ़	4,42,690
10.	गुजरात	16,80,725
11.	मध्य प्रदेश	10,31,868
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	26,14,665
13.	हरियाणा	11,79,422
14.	हिमाचल प्रदेश	5,17,019
15.	जम्मू-कश्मीर	7,94,790
16.	पंजाब	14,90,886
17.	राजस्थान	21,71,884
18.	उत्तर प्रदेश	46,67,008
19.	उत्तरांचल	5,56,448
20.	आंध्र प्रदेश	20,66,121
21.	कर्नाटक	16,83,531
22.	केरल	20,86,142
23.	तमिलनाडु	29,76,361
	कुल (बीएसएनएल)	3,10,34,328
24.	दिल्ली	12,74,453
25.	मुंबई	15,51,406
	कुल (एमटीएनएल)	28,25,859
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल जीएसएम कनेक्शनों की संख्या	3,38,60,187

विवरण II

वर्ष 2007-08 के लिए सेल्युलर कनेक्शनों का समझौता ज्ञापन के तहत लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वित्तीय वर्ष 2007-08 के कनेक्शन लक्ष्य
1	2	3
	पूर्वी क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,000
2.	असम	2,43,000
3.	बिहार	2,70,000
4.	झारखंड	2,16,000
5.	पूर्वोत्तर I (मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सहित)	81,000
6.	पूर्वोत्तर II (मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड सहित)	81,000
7.	उड़ीसा	2,16,000
8.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	5,40,000
	उप-जोड़	16,60,000
	पश्चिम क्षेत्र	
1.	छत्तीसगढ़	2,70,000
2.	गुजरात	4,32,000
3.	मध्य प्रदेश	4,32,000
4.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	7,55,000
	उप-जोड़	18,89,000
	उत्तर क्षेत्र	
1.	हरियाणा	3,78,000
2.	हिमाचल प्रदेश	1,89,000
3.	जम्मू-कश्मीर	2,16,000
4.	पंजाब	5,94,000
5.	राजस्थान	6,47,000
6.	उत्तर प्रदेश	8,63,000
7.	उत्तरांचल	1,08,000
	उप-जोड़	29,95,000

1	2	3
	दक्षिण क्षेत्र	
1.	आंध्र प्रदेश	5,94,000
2.	कर्नाटक	5,39,000
3.	केरल	4,58,000
4.	तमिलनाडु	7,15,000
	उप-जोड़	23,06,000
	जोड़	88,50,000

दूरसंचार सेवाओं हेतु विस्तार एवं विकास योजना

1267. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:
श्री वी.के. ठुम्मर:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गुजरात और झारखण्ड तथा बंगलौर शहर में मोबाइल सेवा बहुत ही खराब तथा असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन स्थानों पर सेवा खराब है;

(ग) उक्त राज्यों में मोबाइल सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए विस्तार एवं विकास योजना क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में स्थान-वार कितने टॉवर लगाए गए;

(ङ) मोबाइल टेलीफोन सेवा द्वारा झारखण्ड की कितनी जनसंख्या तथा क्षेत्र को कवर किया गया है;

(च) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) गुजरात, झारखंड और कर्नाटक सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं आम तौर पर संतोषजनक हैं। 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल ने 5000 से अधिक आबादी वाले लगभग, 12,703 गांवों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, राजमार्गों/रेलवे रूट की मोबाइल प्रणालियां रास्ते में पड़ने वाले बहुत से क्षेत्रों को आकस्मिक कवरेज प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप, 2,13,749 गांव पहले ही मोबाइल संचार से सुविधायुक्त हो गए हैं। बीएसएनएल अब 5000 से अधिक आबादी वाले शेष गांवों को सुविधायुक्त करने हेतु उत्तरोत्तर रूप से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। बीएसएनएल ने आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सुविधायुक्त करने की भी परिकल्पना की है।

(ग) बीएसएनएल अपनी कवरेज, क्षमता और सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क में सुधार कर रहे है। वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित राज्यों में मोबाइल नेटवर्क में सुधार के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य
1.	गुजरात	432000
2.	झारखंड	216000
3.	कर्नाटक	539000

बीएसएनएल अपने कार्य निष्पादन के लिए सतत् रूप से अपने नेटवर्क का इष्टतम उपयोग कर रहा है और ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरीमीटरों के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की निगरानी को सुदृढ़ किया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल की जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा के लिए चालू की गई बीटीएस सेलसाइट्स की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने झारखंड में लगभग 10552 वर्ग कि. मी. में फैली लगभग 93.3 लाख आबादी को कवर करते हुए मोबाइल सेवाएं प्रदान की हैं।

(च) और (छ) बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों के सभी स्तरों पर कार्यकरण की नियमित समीक्षा की जाती है, और वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार, पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी लिखी जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा चालू किए गए ईसीएम आधारित सेल्यूलर मोबाइल सेवा के लिए बीटीएस सेल स्थलों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	नमम्बर 2004 से अक्तूबर, 2007 के बीच चालू किए गए बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार (द्वीप समूह)	41
2.	आंध्र प्रदेश	1185
3.	असम	453
4.	बिहार	628
5.	छत्तीसगढ़	373
6.	चेन्नै जिला मैट्रो सिटी सेवा क्षेत्र	502
7.	गुजरात	1599
8.	हरियाणा	774
9.	हिमाचल प्रदेश	384
10.	जम्मू-कश्मीर	399
11.	झारखंड	336
12.	कर्नाटक	986
13.	केरल	1300
14.	कोलकाता टेलिफोंस	610
15.	मध्य प्रदेश	1048
16.	गोवा सहित महाराष्ट्र	2061
17.	पूर्वोत्तर I और II पूर्वोत्तर	356
18.	उड़ीसा	652
19.	पंजाब	1052
20.	राजस्थान	1653
21.	तमिलनाडु	1310
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	2091
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	895
24.	उत्तराचंल	326
25.	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	864
	जोड़	21878

रक्षा भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग

1268. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई बोर्ड अथवा समिति है जो छावनी तथा अन्य संबंधित रक्षा प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण क्रियाकलापों का विवेकपूर्ण तरीके से निगरानी कर सके ताकि अधिग्रहीत भूमि बेकार न पड़ी रहे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जब भी रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिग्रहण के संबंध में विचार करने के लिए अधिकारी बोर्ड बिठाया जाता है।

रक्षा संस्थाओं हेतु प्रोत्साहन

1269. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा संस्थाओं में समयोपरि भत्ता रोक कर कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि यह योजना उत्पादन के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय सिद्ध हो?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीड़ी कामगारों हेतु सुविधाएं

1270. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में विशेषकर राजस्थान में बीडी कामगारों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बीड़ी कारखानों में कार्य करने वाली बीड़ी कामगारों का कारखाना मालिकों तथा ठेकेदारों द्वारा बुरी तरह शोषण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि सुविधा प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है। राजस्थान सरकार के सहयोग से बीड़ी कामगारों की पहचान करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) राजस्थान में बीड़ी कामगारों का सर्वेक्षण 20 अप्रैल, 2005 और 20 मई, 2005 के बीच किया गया था। सर्वेक्षण में 31736 बीड़ी कामगारों की पहचान की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2006 में पश्चिम बंगाल राज्य में बीड़ी कामगारों की पहचान की गई थी। जिसमें 13,91,510 कामगारों की पहचान की गई थी। बिहार और झारखण्ड में सर्वेक्षण कार्य माह अप्रैल, 2007 में आरम्भ किया गया था, और यह कार्य अभी तक चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में, बीड़ी कामगारों का सर्वेक्षण वर्ष 1994-95 में किया गया था। शेष राज्य सरकारों से बीड़ी कामगारों के नए सर्वेक्षण करवाने और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में से दिया गया है।

(घ) इस प्रकार की कोई घटना अभी तक सूचित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 बीड़ी कामगारों पर भी लागू होता है।

(छ) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत 24,57,330 बीड़ी कामगार हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

(रु. करोड़ में)

योजना	2004-05	2005-06	2006-07
स्वास्थ्य	33.59	33.32	32.74
शिक्षा	40.52	42.08	42.01
आवास	12.15	54.40	56.72

[अनुवाद]

चावल पर राजसहायता

1271. श्री एल. राजगोपाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों को चावल पर दी जा रही राजसहायता को घटाने का अनुरोध कर रही है क्योंकि राज्य इसे वहन नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार राज्य को दिए जा रहे चावल की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध भी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के इस अनुरोध को मानने में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय

1272. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे की तर्ज पर उड़ीसा में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे की तर्ज पर उड़ीसा में सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

द्विपक्षीय सहयोग

1273. **श्री अनन्त नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कनाडा के साथ कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ और इस्ताक्षरित अथवा हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव पर कनाडियन पक्ष के साथ अभी चर्चा चल रही है तथापि अनंतिम रूप से भारतीय पक्ष ने अनुप्रयोग अनुसंधान कृषि विपणन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, पशु विकास और संरक्षण तथा मात्स्यिकी आदि पर यदि आपस में सहमति हो जाती है तो पारस्परिक हित के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं हेतु कनाड़ा के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग को सहायता

1274. **श्री सुभाष महरिया:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कालीन उद्योग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कालीन उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु कालीन विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार का बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत सुविधा केंद्र स्थापित करने; डिजाइन प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के अंतर्गत उत्पाद विकास कार्यक्रम एवं समेकित डिजाइन विकास कार्यक्रम के लिए, विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम के अंतर्गत कालीन उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए कालीन उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने आदि के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कालीन उत्पादक/निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों, अध्ययन दौरों, प्रचार आदि में भाग लेने के लिए एम डी ए स्कीम के अंतर्गत निर्यातों पर ड्यूटी ड्राबैक के लाभ, अनुदान प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधियों के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया इसके अलावा, स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नए गोदाम

1275. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत खाद्यान्नों की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उड़ीसा में धान की बढ़ती खरीद के मद्देनजर केन्द्र सरकार से राज्य में धान हेतु भंडारण क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा कितनी अतिरिक्त क्षमता की मांग की गई है; और

(घ) कब तक अतिरिक्त क्षमता सृजित कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.11.2007 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास कुल भंडारण क्षमता निम्नानुसार है:–

(1) भारतीय खाद्य निगम – 6.01 लाख टन

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम – 3.40 लाख टन

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, उड़ीसा में धान की बढ़ती हुई खरीदारी के रूझान को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम का पर्याप्त निधि और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन निम्नलिखित केन्द्रों पर 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान राज्य में 57,500 टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है:–

मांचेश्वर	10,000 टन
जगन्नाथपुर	20,000 टन
डुंगरापल्ली	10,000 टन
देवगढ़	2,500 टन
चांदबल्ली	5,000 टन
बारीपदा	10,000 टन
जोड़	57,500 टन

उपर्युक्त केन्द्रों में से 3 केन्द्रों नामत: डुगरापल्ली, मांचेश्वर और बारीपदा में सरकार द्वारा योजना स्कीम की मंजूरी दिए जाने की शर्त के अध्यधीन वर्तमान वार्षिक योजना 2007-08 में काम शुरू करने का प्रस्ताव है।

भारतीय नौसेना हेतु वायुयान की खरीद

1276. **डा. के.एस. मनोज:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय नौसेना के सी-हेरियर वायुयान को चरणबद्ध तरीके से हटाने/उन्नत करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना ने रूस से नौसेना वायुयानों की मिग-29 श्रृंखला खरीदी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कोच्चि में नौसेना वायुमान यार्ड पर सुविधाओं के उन्नयन पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी): (क) और (ख) सी हैरियर विमान के सीमित उन्नयन के लिए मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मार्च, 2005 में संविदा की गई थी। यह सीमित उन्नयन सितंबर, 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) मिग-29 ओर मिग-29 के यू बी विमानों की अधिप्राप्ति के लिए एफ एस यू ई आर ए सी मिग, रूस के साथ जनवरी, 2004 में संविदा की गई थी। इन विमानों की नवंबर, 2008 तक सुपुर्दगी होने की संभावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु नई विकास योजनाएं

1277. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु चल रही योजनाओं के अतिरिक्त तैयार की जा रही नई विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रकृति/दायरा किस प्रकार का है तथा लक्षित समूह कौन-कौन से हैं;

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु योजना आयोग से कितनी धनराशि मांगी गई है/मांगे जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दसवीं योजना अवधि में इन योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि और सहकारिता विभाग की विकासात्मक स्कीमों का लक्ष्य अ.जा./अ.ज.जा. किसानों सहित देश में किसानों के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। कुल आबंटन का 16% अ.जा. किसानों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के

क्रियान्वयन हेतु और कुल आबंटन का 8% अ.ज.जा. किसानों के लिए जनजातीय उप योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किया गया है। कुछ स्कीमों में लाभानुभोगी उन्मुख घटकों के मामले में अ. जा./अ.ज.जा. किसानों के लिए उच्चतर राजसहायता/सहायता हेतु प्रावधान है। हाल में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा किसानों को आबंटन अभिज्ञात जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपातानुरूप किया जाएगा।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग हेतु 54.297 करोड़ रु. की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 16,093 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया, जिसमें से 14,947 करोड़ रु. (अनंतिम) का उपयोग किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों हेतु सहायता

1278. श्री मनोरंजन भक्त: क्या संचार प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को उनके उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के लिए उनके नवीन विचारों हेतु सहायता करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) "इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार संरक्षण का समर्थन" (एसआईपी-ईआईटी) शीर्षक की योजना इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लघु एवं मझौले उद्यमियों तथा नए प्रौद्योगिकीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार संरक्षण को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि स्वदेशी नवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा सके और वैश्विक आईपी के मूल्य और क्षमता को स्वीकार किया जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में विकास के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। ब्यौरे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

चारागाह का विकास

1279. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में समेकित चारागाह विकास संबंधी कार्यों से आजीविका अर्जित करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना क्रियान्वित कर रही है जिसमें चारागाह विकास संबंधी एक घटक शामिल है। तथापि, देश में एकीकृत चराई भूमि विकास से संबंधित कार्यों से जीविकोपार्जन के लिए किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) चारागाह भूमि विकास के लिए उक्त घटक में निम्न कोटि के चारागाह में सुधार लाने तथा समस्याग्रस्त भूमि पर वनस्पति कवर प्रदान करने की आवश्यकता है। 10 हैक्टेयर इकाई युक्त भूमि के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ग) छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैद्यनाथ पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत राजस्थान का हिस्सा

1280. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैद्यानाथन पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को देय हिस्सा अभी जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, 2006 में भारत सरकार और नाबार्ड के बीच हस्ताक्षर हेतु समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार राज्य सहकारी

समिति अधिनियम में संशोधन न करने के कारण उपयुक्त अंश की निर्मुक्ति लम्बित है।

(ग) ज्यों ही राज्य सरकार सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करती है और अपनी देयता निर्मुक्त करती है, त्यों ही निधि निर्मुक्त की जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व हस्तशिल्प बाजार में भारत का हिस्सा

1281. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व हस्तशिल्प वस्तुओं के कुल व्यापार में भारत का स्थान और हिस्सा कितना है;

(ख) क्या विश्व हस्तशिल्प वस्तुओं के व्यापार में भारत का हिस्सा देश में उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं के अनुपात की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व निर्यात में भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात का हिस्सा 2 प्रतिशत से भी कम है तथा विश्व बाजार में इसका सातवां स्थान है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात का कम हिस्सा होने का कारण यह है कि हस्तशिल्प उत्पाद मुख्यत: हाथ से बने है तथा जिनमें उच्च श्रेणी की शिल्पकारिता निहित है जिसके फलस्वरूप उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कमजोर हो जाता है। इससे जुड़े अन्य कारणों में लक्षित बाजारों में वितरण नेटवर्क का न होना, विदेशी बाजारों में अपर्याप्त शोरूम तथा विदेशों में प्रिंट एंव इलैक्ट्रनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार आदि न होना शामिल है।

(घ) सरकार द्वारा हस्तशिल्प के निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए उठाए गए कदमों में प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले आयोजित करना, थिमेटिक प्रदर्शनियां आयोजित करना, उत्पाद विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नवीन मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास, पैकेजिंग एवं निर्यात क्रियाविधि के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

बी.टी. चावल की खेती

1282. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी कंपनियों ने देश के कतिपय हिस्सों में जैव-प्रौद्योगिकी/बी.टी. चावल की खेती आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी निजी कंपनी ने देश के किन्हीं हिस्सों में जैव-प्रौद्योगिकी/बी.टी. चावल की खेती आरंभ करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सक्षम प्राधिकरण, जेनिटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा किसी भी निजी कंपनी को देश में बीटी चावल की वाणिज्यिक खेती शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि जीईएसी ने मेसर्स महाराष्ट्र संकर बीज कंपनी लिमिटेड (एमएएचवाईसीओ) को रबी 2007 के दौरान 11 स्थानों पर बीटी चावल पर प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षण करने की अनुमति दी है ताकि जैव-सुरक्षा और अन्य संबंधित आंकड़े और अन्य संबंधित आंकड़े तैयार किए जा सकें।

सैनिक विद्यालयों की स्थापना

1283. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में सैनिक विद्यालयों की स्थापना संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सैनिक विद्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सैनिक स्कूलों की स्थापना किसी राज्य सरकार से राज्य के कैडेटों के लिए छात्रवृत्ति के अलावा आधारभूत ढांचा, उपस्कर और सुविधाओं के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए धन के साथ भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु उसकी सहमति से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त किए जाने पर की जाती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकिंग और बीमा कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण

1284. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू, विदेशी बैंक और बीमा कंपनियां बिना किसी करार के लोगों को किराए पर रख रही हैं और इस प्रकार उनका शोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कंपनियों के उत्पादों के विपणन कार्य में लगे ऐसे कर्मचारी श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का शोषण करने की दोषी पाई गई बैंकिंग और बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) वित्त मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, एजेन्ट और ब्रोकर जैसे लाइसेंसधारक मध्यस्थ ही बीमा उत्पादों के प्रचार और बिक्री संबंधी कार्य कर सकते हैं। कुछ बैंकों को भी कॉरपोरेट (बीमा) एजेन्टों के तौर पर लाइसेंस दिए गए हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) गैर-लाइसेंसधारक मध्यस्थों का उपयोग करने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत का संज्ञान लेता है और समुचित कार्रवाई करता है। अभी तक आई आर डी ए से लाइसेंस प्राप्त किसी बीमा कंपनी को गैर लाइसेंसधारक मध्यस्थों का उपयोग करके ग्राहकों का शोषण करते हुए पाए जाने का कोई प्रमाणित दृष्टांत नहीं रहा है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी हेतु कोष

1285. श्री टेक लाल महतो: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ने ग्यारहवीं पचवर्षीय योजना के दौरान अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) इस एजेंसी द्वारा पेश की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एनडब्ल्यूडीए द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनडब्ल्यूडीए के लिए 241 करोड़ रुपये की राशि जारी रखने की मांग की गई है। इसमें से 50 करोड़ रुपये नए संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए 42.80 करोड़ रुपये अन्त: राज्य सपंर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट/व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट (एफआरएस/पी एफआरएस) तथा केन-बेतवा संपर्क के डीपीआर और 45.20 करोड़ रुपये भूमि, भवन एवं टी एण्ड पी के लिए रखे गए हैं। शेष राशि संस्थापन लागत के लिए रखी गई है। योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यदल ने केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण के लिए तथा एनडब्ल्यूडीए द्वारा अन्तर्बेसिन जल अंतरण के अध्ययन के लिए 290 करोड़ रुपये की सिफारिश की है।

(ग) एनडब्ल्यूडीए ने विभिन्न अध्ययनों के पश्चात राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (16 प्रायद्वीपीय तथा 14 हिमालयी) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के तहत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडब्ल्यूडीए को जारी सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	एनडब्ल्यूडीए को जारी सहायता अनुदान (करोड़ रुपये)	एनडब्ल्यूडीए द्वारा किया गया व्यय (करोड़ रुपये)*
2004-05	21.00	21.30
2005-06	17.00	17.00
2006-07	18.77	19.11

*बैंक से ब्याज तथा अन्य राजस्वों से विविध प्राप्तियों के कारण अन्तर आया है।

विवरण

एनडब्ल्यूडीए द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिज्ञात जल अंतरण संपर्कों की सूची

प्रायद्वीप नदी विकास घटक

1. महानदी (मनीभद्रा)-गोदावरी (दोलाइस्वरम) संपर्क #
2. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयावाड़ा) संपर्क *#
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुंलीचिंतला) संपर्क #
4. गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नार्गाजुन सागर) संपर्क #
5. कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला) संपर्क #
6. कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार संपर्क #
7. कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार संपर्क #
8. पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रेंड अनिकटा) संपर्क #
9. कावेरी (कट्टालाई)-वेघई-गुंडार संपर्क #
10. पारबती-कालीसिंध-चंबल संपर्क *#
11. दमनगंगा पिंजाल संपर्क *#
12. पार-तापी-नर्मदा संपर्क *#
13. केन-बतवा संपर्क *#
14. पंबा-अचनकोविल-वेधार संपर्क #
15. नेत्रावती-हेमवती संपर्क
16. बेदती-वर्धा संपर्क

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी-मेची संपर्क
2. कोसी-घाघरा संपर्क
3. गंडक-गंगा संपर्क
4. घाघरा-यमुना संपर्क # (भारतीय भाग)
5. सारदा-यमुना संपर्क # (भारतीय भाग)
6. यमुना-राजस्थान संपर्क
7. राजस्थान-साबरमती संपर्क
8. चुनार-सोन बैंराज संपर्क
9. सोन बांध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां संपर्क
10. मानस-सनकोषी-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) संपर्क
11. जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एम-एस-टी-जी का विकल्प) संपर्क
12. फरक्का-सुन्दरबन संपर्क
13. गंगा-दामोदर-सुबर्नरेखा संपर्क
14. सुबर्नरेखा-महानदी संपर्क

*प्राथमिकता वाले संपर्क
#व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलाव

1286. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार आज की तिथि के अनुसार कितने इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है;

(ख) देशभर में राज्य-वार आज की तिथि के अनुसार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाना प्रस्तावित है; और

(ग) इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार

देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा स्थापित किए गए इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 38478 है। इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.10.2007 की स्थिति के अनुसार इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार (द्वीप समूह)	49
2.	आंध्र प्रदेश	3795
3.	असम	597
4.	बिहार	1209
5.	छत्तीसगढ़	617
6.	गुजरात	3220
7.	हरियाणा	1231
8.	हिमाचल प्रदेश	1036
9.	जम्मू-कश्मीर	370
10.	झारखंड	478
11.	कर्नाटक	2719
12.	केरल	1238
13.	मध्य प्रदेश	2776
14.	महाराष्ट्र	4944
15.	पूर्वोत्तर I	328
16.	पूर्वोत्तर II	221
17.	उड़ीसा	1157
18.	पंजाब	1547
19.	राजस्थान	2337
20.	तमिलनाडु	2085
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2298
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	972
23.	उत्तरांचल	455
24.	पश्चिम बंगाल	1385
25.	कोलकाता	551
26.	चेन्नै	321
27.	दिल्ली	339
28.	मुंबई	203
	जोड़	38478

[हिन्दी]

टेलिफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1287. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार और परिमंडल-वार टेलिफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार का विचार आवेदकों को कब तक कनेक्शन प्रदान करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार देश भर (बीएसएनएल/एमटीएनएल) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में राज्य-वार/सर्किल-वार आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मोबाइल के लिए केवल भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पूर्वोत्तर सर्किल II में प्रतीक्षा सूची लंबित है जिसे जनवरी, 2008, तक निपटाए जाने की संभावना है। बीएसएनएल

द्वारा डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) सहित फिक्सड लाइन टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में से अधिकांश के उपस्कर की उपलब्धता के अध्यधीन उत्तरोत्तर रूप से सितंबर, 2008 के अंत तक निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल/एमटीएनएल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लैंड लाइन	डब्ल्यूएलएल	जीएसएम	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार (द्वीप समूह)	347	0	0	347
2.	आंध्र प्रदेश	10,355	10,311	0	20,666
3.	असम	2,328	3,543	0	5,871
4.	बिहार	61,317	0	0	61,317
5.	छत्तीसगढ़	154	4,026	0	4,180
6.	गुजरात	29,208	0	0	29,208
7.	हरियाणा	3,780	0	0	3,780
8.	हिमाचल प्रदेश	17,203	0	0	17,203
9.	जम्मू-कश्मीर	12,069	0	0	12,069
10.	झारखंड	1,736	0	0	1,736
11.	कर्नाटक	32,679	15,532	0	48,211
12.	केरल	100,238	3,400	0	103,771
13.	मध्य प्रदेश	10,388	62,840	0	73,228
14.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	46,945	84,826	0	131,771
15.	पूर्वोत्तर I	566	130	0	696
16.	पूर्वोत्तर II	1,077	0	4,694	5,771
17.	उड़ीसा	7,954	16,822	0	24,776
18.	पंजाब	232	1,022	0	1,254
19.	राजस्थान	35,087	0	0	35,087
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नई	20,094	0	0	20,094
21.	उत्तराखंड	208	7,481	0	7,689
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	18,934	4	0	18,938

1	2	3	4	5	6
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2,767	0	0	2,767
24.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	64,637	2,939	0	67,576
25.	कोलकाता	0	0	0	0
26.	चेन्नई	803	0	0	803
27.	दिल्ली	0	0	0	0
28.	मुंबई	0	0	0	0
	जोड़	481,106	212,876	4,694	698,676

[अनुवाद]

असंगठित कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

1288. **श्री रवि प्रकाश शर्मा:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) संगठित क्षेत्र के कामगारों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई.एस.आई.सी. सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ई.एस.आई.सी. को जारी किए गए दिशा निर्देश क्या हैं;

(घ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है

(ङ) क्या सरकार को ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषद्यालयों में उपलब्ध अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधाओं संबंधी कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, संगठित क्षेत्र में 10,000/- रुपये प्रति माह तक मजदूरी प्राप्त करने वाले कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 11.10.2007 को आयोजित अपनी 140वीं बैठक में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहभागिता तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 59(1) में संशोधन का अनुमोदन कर दिया है, ताकि उपायोगकर्ता प्रभारों के भुगतान पर गैर बीमित व्यक्तियों को अस्पतालों में सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पूरे देश में 90 अस्पतालों को चिह्नित किया है (जहां क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता), जिन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। स्कीम को कार्यान्वित करने वाली तथा उसके क्षेत्र में आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करवाने की इच्छुक राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) से (छ) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कुछ शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए की गयी कार्रवाई निम्नानुसार है:-

(i) नैदानिक तथा क्लिनिकल सेवाओं के लिए आधुनिक उपस्कर उपलब्ध करवाकर अस्पतालों का आधुनिकीकरण

तथा उन्नयन/अस्पतालों हेतु उपस्करों की शीघ्र संस्वीकृति को सुगम बनाने के लिए, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों को राज्य स्तर पर ही प्रति इकाई 15 लाख रुपये तक के उपस्करों की संस्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गयी है।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 01.04.2007 से प्रति बीमित व्यक्ति प्रति परिवार इकाई को चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने की अधिकतम सीमा 900/-रुपये से बढ़ाकर 1000/-रुपये प्रतिवर्ष कर दी है जिससे राज्य सरकारों की कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने हेतु और अधिक निधियों की प्राप्ति आसानी से हो सके। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को चिकित्सा योजना में सुधार लाने संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रति बीमित व्यक्ति प्रति परिवार इकाई 50/- रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी स्वयं की लागत पर अस्पताल की इमारतों के निर्माण/मरम्मत तथा रख-रखाव संबंधी पूर्ण व्यय तथा अधिकतम सीमा से आगे प्रति इकाई 25000/- रुपये से अधिक के उपस्करों की लागत संबंधी व्यय को अंशभागिता के आधार पर वहन कर रहा है।

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उच्च विशेषज्ञता/विशेषज्ञता वाले उपचार, उपस्करों की खरीद एवं मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु अग्रिम/प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय निधि योजना प्रारम्भ की है।

(v) जो उच्च विशेषज्ञता सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अन्य प्रसिद्ध सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाएं की गयी हैं।

(vi) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने व्यावसायिक एजेन्सियों से सात कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को श्रेणीकृत करा लिया है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्य अस्पतालों को श्रेणीकृत कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अस्पताल की आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय को पहले ही आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है।

(viii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कम्प्यूटीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है तथा वह कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की कम्प्यूटर व्यवस्था संबंधी पूरा व्यय वहन करता है।

अधिक मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करना

1289. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने वास्तविक नामांकन के बजाय दर्ज किए नामांकन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त किया है जिसकी वजह से पिछले पांच वर्षों के दौरान करोड़ों रुपयों का अतिरेक खाद्यान्न प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 2007 की रिपोर्ट संख्या 11 में आंध्र प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अधिक खाद्यान्न जारी किए जाने की रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट पर मध्याह्न भोजन योजना के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा है।

आई.सी.ए.आर. द्वारा पशुधन और मछलियों संबंधी अनुसंधान

1290. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि क्षेत्र पर हो रहे चिन्ताजनक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए फसलों, पशुधन और मछलियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान में तीव्रता लाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो आईसीएआर द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीएआर ने सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में फसलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई सी ए आर की सिफारिशों पर सरकार द्वारा तैयार की गई भावी रणनीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई:

1. फील्ड और नियंत्रित पर्यावरणीय सुविधाओं और अनुरूपण (सिमुलेशन) मॉडलों का इस्तेमाल करते हुए फसलों, पशुधन, मात्स्यिकी तथा माईक्रोब्स पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आकलन पर अनुसंधान कार्यों का सुदृढ़ीकरण करना।

2. जैविक और अजैविक दबावों के प्रति नए सहिष्णु जीनाटाइपों को विकसित करना।

3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ विकास तंत्र के लिए लागत-प्रभावी मिटिगेशन नीतियों की पहचान करना।

(ग) और (घ) जी, हां। प्राथमिक अध्ययनों से यह पता लगा है कि तापमान में वृद्धि तथा वर्षा में कमी का कारण मौसम परिवर्तन है जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए 10वीं योजना के दौरान "भारतीय कृषि का जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अनुकूलन तथा संवेदनशीलता" विषय पर नेटवर्क परियोजना प्रारम्भ की है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना द्वारा भी जलवायु परिवर्तन की पहचान अनुसंधान के प्रबलित क्षेत्र के रूप में की गई है।

[हिन्दी]

सिम कार्ड जारी न करना

1291. श्री संतोष गंगवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को उपभोक्ताओं को पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्री-एक्टिवेटेड सिम न देने के संबंध में जारी निर्देशों के बाद कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और वापस लिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सेवा प्रदाता ने अधिकतम कनेक्शन देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्राई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ट्राई द्वारा इस संबंध में ऐसे कोई निर्देश नहीं जारी किए गए थे। तथापि, सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया है कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा समुचित सत्यापन किए बिना कुछ उपभोक्ताओं का नामांकन किया गया है।

लाइसेंस शर्तों के रूप में विस्तृत अनुदेश, सम्मिलित किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक ग्राहक का उपभोक्ता के रूप में नामांकन करने से पूर्व उसका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। इसमें उपभोक्ता की पहचान तथा पते के प्रमाण हेतु उसका फोटो तथा निर्धारित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना शामिल है।

दूरसंचार विभाग के सतर्कता दूरसंचार मानीटरिंग (वीटीएम) प्रकोष्ठों द्वारा अप्रैल 2006 में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और हैदराबाद में एक विशेष अभियान चलाया गया था ताकि इस बात की जांच की जा सके कि सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के सत्यापन से संबंधित अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं। यह पाया गया कि इन शहरों में सभी प्रचालक उपभोक्ताओं के सत्यापन के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं कर रहे हैं। विशेष अभियान के अवलोकन के आधार पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश जारी किए गए थे कि जो कनेक्शन समुचित सत्यापन किए बिना प्रदान किए गए हैं उन कनेक्शनों को काट दिया जाए।

दिनांक 11.11.2006 के अनुदेशों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा मार्च 2007 तक अपने मौजूदा उपभोक्ता आधार का पुन: सत्यापन किया जाना अपेक्षित था और 31.03.2007 के बाद लाइसेंसधारक के नेटवर्क में उपभोक्ता से संबंधित जानकारी का विधिवत सत्यापन किए बिना कोई कनेक्शन कार्य नहीं करेगा। मोबाइल सेवा प्रदाताओं और उनके संघों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इसकी वजह से 9.46 लाख (लगभग) टेलीफोनों के कनेक्शन काट दिए गए हैं।

मोबाइल प्रचालकों द्वारा किए गए उपभोक्ता सत्यापन की स्थिति की संपरीक्षा करने के लिए अप्रैल और मई 2007 में नमूना आधार पर विशेष अभियान चलाए गए थे। उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की संपरीक्षा किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा अपने सतर्कता दूरसंचार मानीटरिंग (वीटीएम) प्रकोष्ठों के माध्यम से, सभी सेवा क्षेत्रों में नेमी जांच कार्य किया जाता है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर जहां कहीं भी विसंगतियों/कमियां पाई गई, विगत छह महीनों में संबंधित सेवा प्रदाताओं को, उन पर दंड अधिरोपित करने के लिए जो कि विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद लगाया जाना होता है, 133 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा योजना

1292. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विशेष राहत के उद्देश्य से कुछ जिलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत केरल के किसी भी जिले को केन्द्रीय सहायता का पात्र नहीं पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केरल सरकार ने इस बारे में विशेष विचारार्थ कुछ जिलों को शामिल करने के लिए विशेष अनुरोध किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना के अंत (2011-12) तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से रबी 2007-08 से 16 राज्यों के 305 अभिज्ञात जिलों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' शुरू की गई है।

(ग) और (घ) केरल में केवल एक जिला अर्थात पलक्काड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल के अधीन शामिल करने के लिए पात्र पाया गया था। तथापि, प्रशासनिक कारणों से उन राज्यों जिनमें पांच से कम जिले मानदंडों के अधीन अर्हता प्राप्त नहीं कर रहे थे, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए स्वायत्त एजेंसी के सृजन/पहचान, परियोजना प्रबंधन दल और संबंधित औपचारिकताओं की जरूरत होगी।

(ङ) और (च) केरल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन इस राज्य को शामिल करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

जलाशयों का उपयोग

1293. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई जलाशयों का पिछले दशक से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान इन जलाशयों के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) अधिकांशत: जलाशयों का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है तथा जलाशयों का रखरखाव और प्रचालन राज्य सरकार/जलाशय मालिकों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, केन्द्रीय जल आयोग देश में 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की भण्डारण स्थिति की साप्ताहिक आधार पर मानीटरिंग करता है।

पिछले कई वर्षों से विभिन्न कारणों से कई छोटे जल निकाय जैसे झील, तालाब और इसी प्रकार की संरचनाएं अनुपयोगी हो गई हैं। इन छोटे जल निकायों के पुनरूद्धार के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने Xवीं योजना के शेष भाग में कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2005 में 'कृषि से सीधे रूप में जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' नामक प्रायोगिक स्कीम का अनुमोदन किया। इस स्कीम के तहत 299.92 करोड़ रुपये की लागत से 15 राज्यों के 26 जिलों के लिए 1098 जल निकायों में कार्य आरंभ किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कमी

1294. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के निष्कर्षों की जानकारी है कि वर्ष 2008 में खाद्यान्नों के कम उत्पादन की वजह से विश्व को खाद्यान्नों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नवम्बर, 2007 के प्रारम्भ में प्रकाशित खाद्य दृष्टिकोण में खाद्य तथा कृषि संगठन ने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वानुमान लगाया है कि 2008 मौसम समाप्ति तक वैश्विक अनाज स्टाक 427 मिलियन टन रहने की सम्भावना है। भारत के संबंध में खाद्य एवं कृषि संगठन का कथन है कि विभिन्न देशों के बीच, गेहूं का स्टाक कुछ मामलों में बढ़ने की सम्भावना है, उल्लेखनीय रूप से भारत में। इसका कारण इस वर्ष के उत्पादन में वृद्धि तथा मौसम के प्रारम्भ से पूर्व बड़े आयात है। धान के संबंध में, खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत जैसे देशों में उत्पादन में बड़ी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है।

(ग) चावल, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने हेतु, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ कर कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत, 2011-12 तक धान, गेहूं तथा दालों का उत्पादन क्रमश: 10 मिलियन, 8 मिलियन तथा 2 मिलियन टन तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

जल का अभाव

1295. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विशेषकर नागपुर जिले के 500 से ज्यादा गांवों में जल का बहुत अभाव है;

(ख) क्या आगामी ग्रीष्मकाल में जलाभाव की यह समस्या और भी अधिक विकराल हो जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जलापूर्ति की स्थिति में युद्ध स्तर पर सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानीटर किए जा रहे जलाशयों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार विदर्भ क्षेत्र में स्थित दो जलाशयों नामत: येलदारी और पेंच (तोतलादोह) में दिनांक 15.11.2007 की स्थिति के अनुसार इन दोनों जलाशयों की कुल भण्डारण लगभग 1.12 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है जो कि पिछले दस वर्षों के औसत का लगभग 92.56% है। जल राज्य का विषय होने के कारण जल प्रबंधन संबंधी उपयुक्त उपाय संबंधित राज्य सरकार अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं।

जवानों के लिए खाद्य उत्पादों पर अनुसंधान

1296. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश के दूरस्थ हिस्सों में तैनात जवानों के लिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ के उत्पादन के संबंध में अनुसंधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 2006-07 से अब तक डीआरडीओ द्वारा कितने प्रकार के खाद्य उत्पाद विकसित किय गए हैं;

(ग) देश में विभिन्न हिस्सों में आज की तिथि के अनुसार मौजूद विभिन्न खाद्य उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान डीआरडीओ को इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। मैसूर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) ने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं।

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा वर्ष 2006-07 से अब तक विकसित विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों की किस्में इस प्रकार हैं:–

* प्रोटीन से भरपूर तत्काल तैयार पुलाव (17.2% प्रोटीन)
* प्रोटीन से भरपूर तत्काल तैयार खिचड़ी (18.8% प्रोटीन)
* प्रोटीन से भरपूर तत्काल तैयार उपमा (16% प्रोटीन)
* प्रोटीन से भरपूर तत्काल तैयार सूजी हलवा (8.5% प्रोटीन)

(ग) प्रोटीन से भरपूर उत्पाद "न्यूट्री फूड बार" (प्रोटीन 16%) के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मैसर्स यमुना रोलर फ्लोर, त्रिचूर, केरल और मैसर्स इंडिया स्वीट कंपनी, चेन्नई को, जबकि "अंडा प्रोटीन से भरपूर बिस्किट्स" (प्रोटीन 20%) के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मैसर्स ओस्टर फूड्स प्रा. लि. त्रिचूर, केरल को हस्तांतरित की गई है।

(घ) प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर अनुसंधान कार्य के लिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कुल 15 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

[हिन्दी]

मवेशियों का सर्वेक्षण

1297. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नियमित रूप से मवेशियों की संख्या की गणना करती है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम बार किस वर्ष में मवेशियों की गणना की गई;

(ग) देश में राज्य-वार मवेशियों विशेषकर दूध देने वाले और संकर प्रजाति के पशुओं की संख्या कितनी है;

(घ) मवेशियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी प्रजाति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) अगली गणना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) पिछली पशुधन गणना 15 अक्तूबर, 2007 की संदर्भित तारीख के साथ वर्ष 2007 में आयोजित की गई थी।

(ग) पशुधन संगणना 2007 के आंकड़ों का समेकन कार्य प्रगति पर है। इस संगणना से तथापि, 2003 में आयोजित संगणना के अनुसार देश में गोपशु, वर्ण संकरित और दुधारू पशुओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुधन संख्या को बढ़ाने और उनके नस्लों को भी बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रहा है:–

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना।
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम।
3. पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
4. पशुधन बीमा योजना।
5. संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण।

(ङ) अगली संगणना वर्ष 2012 के दौरान आयोजित किए जाने की संभावना है।

विवरण

संगणना 2003 के अनुसार गोपशु, वर्णसंकरित और दुधारू पशुओं की कुल संख्या-राज्यवार

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु		
		कुल	वर्ण संकरित	दुधारू
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9300	1107	2409
2.	अरूणाचल प्रदेश	458	13	116

1	2	3	4	5
3.	असम	8440	440	2195
4.	बिहार	10729	1274	3408
5.	छत्तीसगढ़	8882	253	2379
6.	गोवा	76	12	23
7.	गुजरात	7424	639	2437
8.	हरियाणा	1540	573	572
9.	हिमाचल प्रदेश	2236	677	812
10.	जम्मू-कश्मीर	3084	1320	1141
11.	झारखंड	7659	145	1899
12.	कर्नाटक	9539	1602	3404
13.	केरल	2122	1735	943
14.	मध्य प्रदेश	18913	317	5840
15.	महाराष्ट्र	16303	2776	4921
16.	मणिपुर	418	69	101
17.	मेघालय	767	23	229
18.	मिजोरम	36	9	11
19.	नागालैंड	451	243	137
20.	उड़ीसा	13903	1063	3621
21.	पंजाब	2039	1531	864
22.	राजस्थान	10854	464	4483
23.	सिक्किम	159	80	60
24.	तमिलनाडु	9141	5140	3694
25.	त्रिपुरा	759	57	240
26.	उत्तर प्रदेश	18551	1634	5544
27.	उत्तरांचल	2188	228	694
28.	पश्चिम बंगाल	18913	1119	5782
29.	अंडमान एवं निकोबार	64	13	21
30.	चंडीगढ़	6	5	4
31.	दादरा और नगर हवेली	50	1	11
32.	दमन और दीव	4	0	1
33.	दिल्ली	92	58	54

1	2	3	4	5
34.	लक्षद्वीप	4	2	2
35.	पांडिचेरी	78	63	35
	अखिल भारत	185181	24686	58087

नोट-। आंकड़ों को हजार में पूर्णांकित करने के कारण कुल योग में अंतर हो सकता है।
स्रोत-राज्य सरकारों से संगणना परिणाम प्राप्त हुए हैं।

बुनकरों को ऋण

1298. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बुनकरों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद बुनकरों को राज्यवार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या लक्षित लाभार्थी इन ऋणों को प्राप्त करने में असुविधा का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान बुनकरों को ऋण प्रदान करने में भेदभाव संबंधी कोई शिकायत भी प्राप्त की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) हथकरघा बुनकरों और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों से बकाया सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यशील पूंजी ऋणों एवं आवधिक ऋणों का ब्यौरा (राज्यवार) क्रमश: संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

(घ) से (च) ऋणों की उपलब्धता में हथकरघा सहकारी समितियों को दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम, ऋण का ब्याज अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरे, ऋण के बोझ के कारण हथकरघा सहकारी समितियों को ऋण मिलना बंद हो गया है। हथकरघा क्षेत्र को जीवित रखने के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तदनुसार एक प्रारूप सी एन ई नोट तैयार किया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

विवरण I

कार्यशील पूंजी तथा आवधिक ऋण (बकाया) सहकारी बैंक (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा बुनकर			प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां		
		31.3.2007 को बकाया आवधिक ऋण	31.3.2007 को बकाया कार्यशील पूंजी ऋण	कुल	31.3.2007 को बकाया आवधिक ऋण	31.3.2007 को बकाया कार्यशील पूंजी ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र	10.58	0.00	10.68	859.82	1.28	861.10
2.	छत्तीसगढ़	158.78	0.00	158.78	1052.96	0.00	1052.96

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हरियाणा		165.87	165.87	0.00		0.00
4.	गुजरात	72.57	0.19	72.76	156.43	16.45	172.88
5.	मिजोरम	0.00	100.12	100.12	0.00		0.00
6.	केरल			0.00	15581.64	359.69	15941.33
7.	जम्मू-कश्मीर		16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
8.	नई दिल्ली			0.00	356.25	0.51	56.76
9.	उड़ीसा	0.00	167.70	167.00	12302.74	0.00	12302.74
10.	तमिलनाडु		-	-	26837.23	430.93	27268.16
11.	पांडिचेरी			-	307.08	22.24	329.32
12.	पश्चिम बंगाल			-	7693.69	158.32	7852.01
13.	असम	-	-	0.00	62.50	-	62.50
14.	बिहार	-	-	0.00	208.51	-	208.51
15.	पंजाब	11.02	-	11.02	33.51	5.45	38.96
16.	नागालैंड	0.94	15.42	16.36	8.72	29.00	37.72
17.	मेघालय	-	12.11	12.11	-	-	0.00
18.	मणिपुर	-	31.35	31.35	49.88	-	49.88
19.	उत्तरांचल	0.04	-	0.04	-	-	0.00
20.	कर्नाटक	522.12	0.59	522.71	172.19	-	172.19
21.	आंध्र प्रदेश	-	-	0.00	18679.77	-	18679.77
22.	त्रिपुरा	-	-	0.00	15.09	-	15.09
23.	मध्य प्रदेश	-	-	0.00	251.88	-	251.88
24.	हिमाचल प्रदेश	18.00	-	18.00	461.64	17.80	479.44
25.	राजस्थान	6.90	-	6.90	11.71	0.07	11.78
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	0.00	2847.82	-	2847.82
	कुल	801.05	509.91	1310.96	87951.06	1041.74	88992.80

विवरण II

कार्यशील पूंजी ऋण तथा आवधिक ऋण (बकाया) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा बुनकर			प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां		
		31.3.2007 को बकाया कार्यशील पूंजी ऋण	31.3.2007 को बकाया आवधिक ऋण	कुल	31.3.2007 को बकाया कार्यशील पूंजी ऋण	31.3.2007 को बकाया आवधिक ऋण	कुल
1.	गुजरात	7.91	17.66	25.57	-	-	शून्य
2.	केरल	9.11	1.41	10.52	-	-	शून्य
3.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.41	0.41	-	-	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	12.39	67.08	79.47	-	-	शून्य
5.	असम	76.98	419.67	496.65	-	-	शून्य
6.	कर्नाटक	413.52	698.12	1111.64	-	-	शून्य
7.	उड़ीसा	16.69	9.85	26.54	-	-	शून्य
8.	पश्चिम बंगाल	234.78	165.45	400.23	-	-	शून्य
9.	छत्तीसगढ़	16.57	0.22	16.79	-	-	शून्य
10.	बिहार	46.86	93.06	139.92	-	-	शून्य
11.	पंजाब	-	35.14	35.14	-	-	शून्य
12.	नागालैंड	2.27	3.41	5.68	-	-	शून्य
13.	मणिपुर	14.60	-	14.60	-	-	शून्य
14.	उत्तरांचल	-	2.98	2.98	-	-	शून्य
15.	हिमाचल प्रदेश	-	90.83	90.83	-	-	शून्य
16.	राजस्थान	32.75	191.44	224.19	-	-	शून्य
17.	मिजोरम	6.73	356.54	42.27	-	-	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	-	1.27	1.27	-	-	शून्य
	कुल	891.16	1833.54	2724.70	-	-	शून्य

#ये आंकड़े 31.3.2006 से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ. शेयर का अंतरण

1299. श्री मदन लाल शर्मा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने वाले कर्मचारी को अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) के अंश को पहली कंपनी द्वारा सहयोग न करने के कारण दूसरे खाते में अंतरित कराने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों के निवारण हेतु क्या तंत्र उपलब्ध हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) (क) और (ख) किसी सदस्य की भविष्य निधि राशि का अंतरण कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

नए प्रतिष्ठान में कार्य ग्रहण करने पर, सदस्य को भविष्य निधि की बकाया राशि के अंतरण कराने हेतु वर्तमान नियोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अपेक्षित है जो उसे क्षेत्रीय आयुक्त, जिसके कार्यक्षेत्र में पूर्व प्रतिष्ठान आता हो, को भेजेगा। दूसरे शब्दों में, अंतरण आवेदन प्रपत्र अंतरण करने वाले आयुक्त को अग्रेषण किए जाने हेतु वर्तमान नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाना है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लोक शिकायत निपटान तंत्र कार्य करता है। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, उसके निपटान हेतु समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि

1300. श्री महावीर भगोरा:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री राकेश सिंह:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औसत कृषि भूमि धारिता में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ते शहरीकरण से देश में कृषि भूमि उपलब्ध न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(घ) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते वाणिज्यिक कार्यकलापों के कारण किसानों के लिए भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि-योग्य भूमि को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश में प्रचालनात्मक भू-जोत का औसत आकार वर्ष 1995-96 में 1.41 है. से कम होकर वर्ष 2000-01 में 1.32 है. हो गया है। कृषि भूमि की उपलब्धता मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि और कृषि के शहरीकरण, सड़कों, उद्योगों आदि जैसे गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग के कारण कम हो रही है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। खेती योग्य भूमि पर बढ़ते वाणिज्यिक कार्यकलापों के कारण किसानों के लिए उत्पन्न हो रही भुखमरी जैसी स्थिति के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष रूप से यह सूचित किया है कि खेती योग्य भूमि पर बढ़ रहे वाणिज्यिक कार्यकलापों के कारण किसानों के लिए उत्पन्न हो रही भुखमरी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

(च) भारत सरकार वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के माध्यम से राज्य भू-उपयोग बोर्डों (एसएलयूबी) का एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अधीन, प्रत्येक राज्य में एसएलयूबी का गठन किया गया है तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे भूमि के वैज्ञानिक उपयोग के लिए समुचित कदम उठाएं और साथ ही कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग को रोकना सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल के मामले में, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के अधीन कृषि भूमि के परिवर्तित उपयोग पर प्रतिबंध है।

देश में अवक्रमित भूमि के विकास के लिए भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। वे कार्यक्रम हैं (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी व एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा का सुधार (आरएएस), (iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं (डब्ल्यूडीपीएससीए), (v) सूखा प्रवण

क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (vi) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (ओडीपी), (vii) समेकित पनधारा विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), (viii) पनधारा विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ), और (ix) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)। इन कार्यक्रमों के अधीन, Xवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से, अवक्रमित भूमियों का लगभग 50.83 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र विकसित किया गया है। विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में संतुलन बनाने के लिए ऐसी विकसित भूमियों के कुछ भागों को भी खेती के अधीन लाया जाता है।

[अनुवाद]

आउटसोर्सिंग में वृद्धि

1301. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हैदराबाद से किन क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग होती है;

(ग) क्या सरकार हैदराबाद से आउटसोर्सिंग होने को और बढ़ावा दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के अनुसार हैदराबाद सर्वाधिक आकर्षक आउटसोर्सिंग स्थानों में से एक माना गया है। आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में ये शामिल हैं: सूचना प्रौद्योगिकी अपतटीय विकास, बीपीओ, केपीओ, एनीमेशन गेमिंग तथा इंजीनियरी डिजाइन।

(ग) और (घ) देश में आउटसोर्सिंग से होने वाली आय को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार एसटीपी योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें ये शामिल हैं: कर में छूट, पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए शुल्क में छूट, केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति।

टेलीघनत्व में वृद्धि

1302. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के अन्य शहरों की तुलना में भारत के चार बड़े शहरों में से प्रत्येक का टेलीघनत्व कितना है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ देशों में स्थानीय कॉलों के लिए प्रभार नहीं लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा टेलीघनत्व में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, भारत और इसके चार बड़े शहरों का टेलीघनत्व निम्नानुसार है:

अखिल भारत	22.52%
दिल्ली	100.73%
मुम्बई	74.65%
चेन्नै	91.13%
कोलकाता	54.77%

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) शहर-स्तर के टेलीघनत्व के आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, आईटीयू की दिसंबर, 2006 की सांख्यिकीय रिपोर्ट (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार विश्व के कुछ देशों का टेलीघनत्व नीचे दिया गया है:

पाकिस्तान	25.32%
श्रीलंका	34.89%
चीन	62.62%
दक्षिण अफ्रीका	81.57%
ब्राजील	67.63%
बंगलादेश	14.03%
मालदीव	98.76%
इंडोनेशिया	34.87%
मिस्र	38.19%
रूस	111.57%

(ख) और (ग) ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है।

(घ) टेलीघनत्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक अव्यवगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई है। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के लाइसेंसधारक यह सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ii) 27 राज्यों में 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना और प्रबंधन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यूएसओ निधि द्वारा हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत लगभग 2 लाख गांवों को कवर किए जाने की संभावना है।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा देश में व्यापक स्तर पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(iv) अब बीएसएनएल केबल बिछाने हेतु एक्सचैंज से 2.5 कि. मी. के पूर्ववर्ती मानदंड के बजाए एक्सचेंज से 5 कि. मी. की दूरी तक केबलें बिछा रहा है।

(v) सेल्युलर कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल अपने जीएसएम नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

(vi) इसके अतिरिक्त, निजी प्रचालक भी देश में टेलीफोन प्रदान कर रहे हैं।

सूती उत्पादों की लागत

1303. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूती उत्पादों की लागत को घटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके; और

(ख) विभिन्न देशों के विश्व उत्पादकों की तुलना में यार्न, वस्त्र और परिधानों जैसे विभिन्न सूती उत्पादों की लागत कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार द्वारा कपास उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उनकी लागत कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार यह सूचना नहीं रखती है।

विवरण

कपास उत्पादों की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई थी।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी।

(6) कोटा पश्चात व्यवस्था में भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अत्याधुनिक मशीनरी के आयात को सुकर बनाने के लिए बजट 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क घटा कर 10% कर दिया गया था। तथापि, इसमें सूची 49 में दर्शायी गयी

23 मदें शामिल हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) लगता है। 5% का यह रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर जारी है।

(7) बजट 2005-06 में, निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार के आधुनिकीकरण एककों की स्थापना करना सुविधाजनक होगा।

(8) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की।

(9) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(10) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय बांस मिशन

1304. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विशेष संदर्भ में देश में राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यान्वयन स्थिति कैसी है; और

(ख) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान असम में इसके कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा मिशन के कार्यक्रम के निष्पादन हेतु स्थान वार किन-किन गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और सरकारी एजेंसियों का चयन किया गया है, उन्हें क्या-क्या कार्य सौंपा गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) ग्यारहवीं योजना अवधि के वर्ष 2007-08 के दौरान असम में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन के अधीन अनुमोदित वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र में अपनी वन विकास एजेंसियों (एफडीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जबकि बांस विकास एजेंसियां (बीडीए) गैर-वन क्षेत्र में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेंगी।

इसके अतिरिक्त, किसानों/फील्ड कर्मियों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, पौध रोपण सामग्री का प्रमाणीकरण, व्यापार मेलों में भागीदारी तथा बागान/दस्तकारी क्षेत्र में अभिनव हस्तक्षेप जैसे मिशन के कार्यकलापों को करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के अधीन एक गैर-सरकारी संगठन (बांस तकनीकी समर्थन दल) बेंत और प्रौद्योगिकी केन्द्र, गुवाहाटी के लिए 149.38 लाख रु. की धनराशि अनुमोदित की गई है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन के अधीन असम राज्य के लिए अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

(लाख रु. में)

क्र.सं.	घटक	दर (रु./है./सं.)	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1		2	3	4
1.	सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रित नर्सरियां (संख्या मे)	27.3	4	10.92
2.	निजी क्षेत्र में केन्द्रित नर्सरियां (संख्या में)	0.68	2	1.36
3.	सार्वजनिक क्षेत्र में किसान नर्सरियां (संख्या में)	0.065	-	-
4.	निजी क्षेत्र में किसान नर्सरियां (संख्या में)	0.065	10	0.65

1		2	3	4
5.	सार्वजनिक क्षेत्र में महिला नर्सरियां (संख्या में)	0.065	-	-
6.	निजी क्षेत्र में महिला नर्सरियां (संख्या में)	0.065	10	0.65
7.	सार्वजनिक क्षेत्र में कल्चरल यूनिटें (संख्या में)	21.00	-	-
8.	निजी क्षेत्र में कल्चरल यूनिटें (संख्या में)	10.50	-	-
9.	पौध रोपण सामग्री प्रमाणीकरण (संख्या में)	पीबी	-	-
10.	वन क्षेत्र में पौध रोपण (हेक्टे. में)	0.25	2200	275.00 (50%)
11.	गैर-वन क्षेत्र में पौध रोपण (हैक्टे में)	0.08	1000	40.00 (50%)
12.	विद्यमान स्टॉक का सुधार (हैक्टै में)	0.08	1580	126.40
13.	राज्यों के भीतर किसानों का प्रशिक्षण (संख्या में)	0.0152	1200	18.75
14.	राज्यों के बाहर किसानों का प्रशिक्षणं (संख्या में)	0.025	400	10.00
15.	फील्ड कर्मियों का प्रशिक्षण (संख्या में)	0.08	350	28.00
16.	प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन (संख्या में)	0.10	80	8.00
17.	राष्ट्रीय स्तर (संख्या में)	5.00	-	-
18.	राज्य स्तरीय (संख्या में)	3	1	3.00
19.	जिला स्तरीय (संख्या में)	1.0	27	27.00
20.	कीट एवं रोग प्रबंधन (हैक्टे. में)	0.002	500	0.92
21.	लघु सिंचाई (हैक्टे. में)	0.20	-	-
22.	कटाई पश्चात भंडारण एवं उपचार सुविधाएं (संख्या में)	पीबी*	1	20.00**
23.	घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी (संख्या में)	पीबी	2	7.50
24.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी (संख्या में)	7.5	-	-
25.	अभिनव हस्तक्षेप (संख्या में)	पीबी	-	-
26.	मंडी सर्वेक्षण	-	-	-
27.	बांस थोक एवं खुदरा मंडियां	पीबी*	1	5.33**
28.	मूल्यांकन	पीबी*	-	9.00**
	उप-योग			592.48
29	परामर्शी सेवाएं	1.5%		8.88
	कुल			601.36
				(-)** 34.84
				566.52

*विस्तृत प्रस्तावों के प्रस्ताव करने की शर्त पर अनुमोदित

**राज्य के अपने प्रस्तावों की प्रगति पर धनराशि निर्मुक्त की जाएगी

कृषि वृद्धि में बढ़ोतरी

1305. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में सकल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि में कृषि का योगदान नकारात्मक या लगभग शून्य रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी राज्यों में कृषि वृद्धि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों के प्रतिशत अंश की वृद्धि दर के साथ साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों के राज्यवार प्रतिशत अंश संलग्न विवरण में दिया गया है:

विवरण

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों का राज्यवार प्रतिशत अंश तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्रों के अंश में वृद्धि

स्थिर मूल्यों पर (1999-2000 के मूल्यों पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	सकल राज्य-घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत अंश			सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के अंश में प्रतिशत वृद्धि		
		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26.76	26.11	25.80	5.37	-2.41	-1.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	26.99	23.42	22.96	-6.22	-13.23	-1.96
3.	असम	29.70	28.92	29.21	-4.25	-2.62	0.98
4.	बिहार	32.09	32.82	29.38	-12.61	2.27	-10.47
5.	झारखंड	16.94	15.60	15.33	-4.04	-7.91	-1.71
6.	गोवा	10.67	9.61	9.53	4.16	-9.96	-0.80
7.	गुजरात	18.96	16.19	18.27	21.88	-14.65	12.87
8.	हरियाणा	26.62	25.32	22.88	-0.55	-4.85	-9.64
9.	हिमाचल प्रदेश	25.68	25.28	23.91	3.17	-1.58	-5.43
10.	जम्मू-कश्मीर	31.56	30.36	एन.ए.	3.52	-3.79	एन.ए.
11.	कर्नाटक	18.37	19.88	19.48	-15.51	8.26	-2.03
12.	केरल	17.56	16.94	15.81	-7.30	-3.50	-6.69
13.	मध्य प्रदेश	28.26	26.21	26.23	22.73	-7.27	0.09
14.	छत्तीसगढ़	23.46	20.49	22.74	20.03	-12.66	10.98
15.	महाराष्ट्र	14.91	13.02	12.71	-1.12	-12.64	-2.38

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	29.22	25.70	23.78	3.723	-12.03	-7.48
17.	मेघालय	21.41	20.55	21.00	-4.84	-4.01	2.22
18.	मिजोरम	16.96	16.99	एन.ए.	-4.38	0.19	एन.ए.
19.	नागालैंड	32.59	एन.ए.	एन.ए.	-0.60	एन.ए.	एन.ए.
20.	उड़ीसा	27.84	25.54	एन.ए.	7.05	-8.27	एन.ए.
21.	पंजाब	34.85	33.93	33.02	0.57	-2.65	-2.67
22.	राजस्थान	33.74	29.83	26.12	40.94	-11.58	-12.45
23.	सिक्किम	21.21	20.71	20.13	-0.11	-2.35	-2.83
24.	तमिलनाडु	12.25	12.80	13.26	-7.42	4.51	3.52
25.	त्रिपुरा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
26.	उत्तर प्रदेश	32.11	30.90	29.93	-1.64	-3.78	-3.13
27.	उत्तरांचल	23.33	22.65	20.86	-1.95	-2.91	-7.92
28.	पश्चिम बंगाल	27.23	26.08	24.66	-2.09	-4.20	-5.46
29.	अंडमान/निका. द्वीप समूह	26.80	21.71	20.15	-9.50	-18.96	-7.23
30.	चंडीगढ़	0.91	0.76	0.71	-4.99	-16.41	-6.41
31.	दिल्ली	1.11	1.01	0.83	-5.16	-8.75	-17.50
32.	पांडिचेरी	5.18	5.38	5.09	-0.80	3.82	-5.45

एन.ए.-उपलब्ध नहीं

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई, 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया तथा संकल्प लिया कि कृषि विकास की नीतियां किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हो तथा इसने कृषि को सशक्त बनाने हेतु नीति का विकास करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि में सुधार हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

* 11वीं योजना अवधि हेतु 4880 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक चावल का अतिरिक्त उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाना है।

* 25000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक राज्य योजना स्कीम है, का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।

* हाल ही में गठित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण वर्षा सिंचित क्षेत्रों क लिए योजना बनाने में राज्यों की सहायता करेगा।

* सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।

* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

धनादेश सेवा

1306. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कितने व्यक्तियों ने धनादेश सेवा का प्रयोग किया है;

(ख) क्या समय पर धनादेश न मिलने के बारे में शिकायतों की संख्या बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो 1 जुलाई, 2001 से 31 दिसम्बर, 2002 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा समस्त धनादेश सेवा को उपग्रह के माध्यम से चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) महोदय, धनादेश सेवा के प्रयोक्ताओं की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जारी धनादेशों की संख्या के बारे में आंकड़े नीचे तालिका में दिये गए हैं:-

	2004-05	2005-06	2006-07
जारी धनादेशों की संख्या	101597840	95790257	99099859

(ख) जी नहीं। समय पर धनादेशों की सुपुर्दगी न किये जाने के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	2006-07	2005-06	2004-05
विलंब से संबंधित धनादेश शिकायतों की कुल संख्या	129876	176239	171073
कुल धनादेश परियात (लाख रुपये में)	1586	1377	1016

(ग) 1 जुलाई, 2001 से 31 दिसंबर, 2002 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:-

तिमाही	प्राप्त धनादेश की शिकायतों की संख्या
1 जुलाई-30 सितम्बर, 2001	128101
1 अक्तूबर-31 दिसम्बर, 2001	146773
1 जनवरी-31 मार्च, 2002	139789
1 अप्रैल-30 जून, 2002	103658
1 जुलाई-30 सितम्बर, 2002	229807
1 अक्तूबर-31 दिसम्बर, 2002	179266
कुल	927394

(घ) समय पर धनादेशों की सुपुर्दगी न किये जाने के संबंध में सभी शिकायतों पर विभाग द्वारा सभी स्तरों पर कार्रवाई की जाती है। विनिर्दिष्ट मामलों का अलग-अलग निपटान कर दिया जाता है लेकिन यदि प्रणालीगत त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं तो ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रणाली में सुधार किया जाता है। धनादेश की सुपुर्दगी न किये जाने के बारे में शिकायत मिलते ही जांच प्रारम्भ की जाती है तथा इसके भुगतान के प्राप्त होने की यदि कोई पुष्टि नहीं होती है, तो एक डुप्लीकेट धनादेश जारी किया जाता है और तुरंत भुगतान करवाया जाता है। जांच से पता चला है कि समय पर धनादेश जारी न किये जा सकने के कारणों में ट्रेनों/वायुयानों/बसों का विलंब से चलना/रद्द होना, धनादेशों पर अधूरा एवं गलत पता लिखा होना, पोस्टल इंडैक्स नम्बर (पिन) कोड का न लिखा होना, कुछ इलाकों में अनियोजित कॉलोनियों में बढ़ोत्तरी, मजूदरी/वेतन अवधि एवं त्यौहारों के समय भारी मौसमी कार्य-भार होना, प्रेषितियों की अनुपलब्धता, संबंधित पोस्टमास्टर को सूचित किये बिना पते में बदलाव करना आदि हैं। यदि किसी कर्मचारी के अनुचित आचरण के कारण भुगतान में विलम्ब होता है तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। शिकायतों की जांच एवं उनका निपटान करना एक सतत प्रक्रिया है। समय पर भुगतान हेतु दक्षता में सुधार लाने के लिए धनादेश सेवा की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा की जाती है।

(ङ) धनादेश सेवा को उपग्रह के जरिये करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं; तथापि 20.1.2006 से तत्काल धनादेश सेवा प्रारम्भ की गई है जोकि वेब आधारित सेवा है।

मोबाइल फोन के प्रयोग से स्वास्थ्य को हानि

1307. **श्री उदय सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि सेलफोन का ज्यादा समय तक प्रयोग करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य को खतरा होने के मद्देनजर मोबाइन फोन के प्रयोग को हतोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मई, 2006 के नवीनतम तथ्यात्मक दस्तावेज सं. 304 में बताया गया है कि मोबाइल बेस स्टेशनों और वायरलेस नेटवर्क से निकलने वाले विकिरण अनुमत स्तरों से काफी कम हैं तथा अब तक संकलित शोध परिणामों से भी पुष्टि होती है कि इस बात का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बेस स्टेशनों और वायरलेस नेटवर्कों से निकलने वाले कमजोर आरएफ सिग्नलों के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन टावरों से निकलने वाले विकिरणों के प्रभावों और सम्बन्धित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (आईसीएमआर) के अधीन एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि "कुल मिलाकर यह प्रदर्शित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि मोबाइल बेस स्टेशनों से निकलने वाले आरएफ सिग्नलों से स्वास्थ्य की कोई प्रत्यक्ष खतरा है।"

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

1308. **श्री गणेश सिंह:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों मे राज्यवार कुल कितने बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके बाद देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राज्यवार कितने बंधुआ मजदूर मुक्त कराए गए और उनका पुनर्वास किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पृथक-पृथक कितनी राशि आबंटित की गई, जारी की गई और प्रयोग में लाई गई;

(घ) क्या बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास हेतु कोई नई स्कीम/योजना बनाई गई/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास हेतु कोई समिति गठित की गई है/गठित किए जाने का प्रस्ताव है अथवा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जनजातीय क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति तथा पुनर्वास के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं। पहचान किए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की आदिनांक, राज्यवार, कुल संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या	
	पहचान किए गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	37,988	31,534
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992
बिहार	13,792	12,974
छत्तीसगढ़	124	124
गुजरात	64	64
हरियाणा	582	80
झारखण्ड	196	196

1	2	3
कर्नाटक	63,437	57,185
केरल	823	710
मध्य प्रदेश	13,125	12,200
महाराष्ट्र	1,404	1,325
उड़ीसा	50,029	46,901
पंजाब	69	46,901
राजस्थान	7488	6,331
तमिलनाडु	65,573	65,573
उत्तर प्रदेश	28,489	28,489
उत्तरांचल	5	5
पश्चिम बंगाल	213	213
कुल	2,86,927*	2,66,965

*19962 बंधुआ मजूदर पुनर्वास हेतु उपलब्ध नहीं है या तो उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने अपने पते सूचित किए बिना स्थान को छोड़ दिया है।

(ख) और (ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद, राज्यवार, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित मजदूरों की संख्या तथा प्रदान की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य का नाम	मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या	प्रदान की गई राशि
1	2	3	4
2004-05	बिहार	281	28.10
	झारखण्ड	196	19.60
	कर्नाटक	64	6.40
	मध्य प्रदेश	265	16.91
	उड़ीसा	19	1.90
	उत्तर प्रदेश	41	4.05
2005-06	बिहार	141	14.10
	हरियाणा	31	3.10
	मध्य प्रदेश	38	1.23
	महाराष्ट्र	6	0.55
	उत्तर प्रदेश	149	15.00
	पश्चिम बंगाल	32	3.20
2006-07	उत्तर प्रदेश	104	10.40
	पश्चिम बंगाल	93	3.01
2007-08 (31.10.2007 तक)	पश्चिम बंगाल	88	8.80

संबंधित राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने और राशि का बराबर हिस्सा प्रदान किए जाने पर, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को सहायता राशि प्रदान की जाती है।

(घ) से (छ) बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, मुक्त कराने और पुनर्वासित करने हेतु कोई नई स्कीम बनाने या समिति/अध्ययन दल गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

मछुआरों के कल्याण हेतु जम्मू-कश्मीर से प्रस्ताव

1309. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में मछुआरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा मकानों के निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" (एन एस डब्ल्यू एफ) को प्रभावी रूप से लागू करने का है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एन एस डब्ल्यू एफ योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने मकान बनाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के आदर्श मछुआरा

गांव का विकास घटक के अंतर्गत, मछुआरों के घरों के निर्माण करने के लिए एक प्रावधान है। आवास की प्रति यूनिट की लागत 40,000 रुपए है जो केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर, और संघ शासित प्रदेश के मामले में, 100% केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में चालू है। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने के कारण, इसे राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए घरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के अंतर्गत देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसडब्ल्यूएफ योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए घरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05 से 2006-07 घर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1000
2.	अरूणाचल प्रदेश	480
3.	असम	113
4.	बिहार	754
5.	छत्तीसगढ़	338
6.	दमन एवं दीव	75
7.	जम्मू-कश्मीर	500
8.	झारखंड	3300
9.	कर्नाटक	5000
10.	केरल	1485
11.	मणिपुर	239
12.	महाराष्ट्र	546
13.	मध्य प्रदेश	180
14.	नागालैंड	800
15.	उड़ीसा	1526
16.	पांडिचेरी	1000
17.	राजस्थान	300
18.	तमिलनाडु	4000
19.	त्रिपुरा	150
20.	उत्तर प्रदेश	12130
21.	उत्तरांचल	60
22.	पश्चिम बंगाल	2968
	कुल	36944

संयुक्त उद्यम के अंतर्गत एन.टी.सी. मिलें

1310. श्री मोहन रावले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ मिलों को चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किन-किन साझीदारों को शामिल किया गया है;

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की परिकल्पित निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) सरकार और निजी उद्यमियों द्वारा क्रमश: कितने-कितने प्रतिशत हिस्सा रखना है; और

(ङ) संयुक्त उद्यम के अंतर्गत चलाई जाने वाली राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पास कितनी और कितने मूल्य की भूमि है तथा इसके मूल्य निर्धारण की शर्त क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के कुछ

मिलों को संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए चलाने का निर्णय लिया है। संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव का अनुमोदन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) और मंत्री समूह द्वारा एनटीसी के लिए पुनरुद्धार योजना के एक अंग के रूप में किया गया है। संयुक्त उद्यम मार्ग के तहत आधुनिकीकृत किये जाने वाले मिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। इन मिलों से 5 को चलाने के लिए शामिल किये गये निजी भागीदारों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) संयुक्त उद्यम के लिए व्यापक निबंधनों और शर्तों के अनुसार एनटीसी की 51% शेयर धारिता की तुलना में निजी साझीदारी की शेयर धारिता 49% होगी। इन मिलों के सभी कर्मचारियों को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) की पेशकश की जाएगी और इच्छुक कर्मचारियों को इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी नयी कंपनी में कार्य करने का इच्छुक है तो संयुक्त उद्यम कंपनी मौजूदा कर्मचारियों को पहले प्राथमिकता आधार पर नई रोजगार शर्तों पर रोजगार की पेशकश करेगी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के निदेशक मंडल में 5 निदेशक एनटीसी के तथा 3 संयुक्त उद्यम साझीदार के होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संयुक्त उद्यम साझेदार द्वारा नामित होंगे लेकिन उन्हें बोर्ड में वोट का अधिकार नहीं होगा। मिलों की समस्त भूमि संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी जाएगी और उन्हें प्रारंभ में 33 वर्षों की अवधि के लिए मुख्य वस्त्र एकक के अलावा मुख्य रूप से वस्त्र से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भूमि और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार होगा। संयुक्त उद्यम के निजी साझेदार मिलों के आधुनिकीकरण के लिए समग्र निवेश करेंगे तथा एनटीसी को अपनी 49% शेयरधारिता छोड़ने के लिए अपफ्रंट भुगतान करेंगे। मिल को चलाने के लिए दी गई भूमि एवं परिसंपत्तियां एनटीसी का 51% शेयर साझेदारों को शामिल किया गया है, की भूमि एवं मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

संयुक्त उद्यम मार्ग के तहत आधुनिकीकरण किये जाने वाले एनटीसी मिलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिल का नाम	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति मिल्स	रिनंगुटा
2.	केरल	पार्वती मिल्स	क्विलोन
3.	महाराष्ट्र	इंदु मिल नं. I	मुंबई
4.		आरबीबीए मिल्स	हिंगनघाट
5.		सेवतराम, अकोला	अकोला
6.		अपोलो मिल्स	मुंबई
7.		धूले मिल्स	धूले
8.		नांदेड मिल्स	नांदेड
9.		गोल्ड मोहर मिल्स	मुंबई
10.		न्यू सिटी मिल्स	मुंबई
11.		औरंगाबाद मिल्स	औरंगाबाद
12.		चालिसगांव मिल्स	चालिसगांव
13.	उत्तर प्रदेश	स्वदेशी मिल्स, मऊ	मऊनाथभंजन

1	2	3	4
14.	उड़ीसा	उड़ीसा काटन मिल्स	भगतपुर
15.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मी नारायण	रिसरा
16.		सोदेपुर मिल्स	सोदेपुर
17.	तमिलनाडु	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर
18.		कोयम्बटूर बुनाई एवं कताई मिल्स	कोयम्बटूर

विवरण II

संयुक्त उद्यम में एनटीसी के पांच मिलों को चलाने के लिए शामिल किये गये निजी साझेदार

मिल का नाम	चुने गए निजी साझेदार
इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 1	भास्कर इंड. लि. (कन्सोर्टियम)
न्यू सिटी आफ बॉम्बे मैन्यू. मिल्स	मैसर्स आलोक इंड. लि.
औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	मैसर्स आलोक इंड. लि.
गोल्डमोहर टेक्सटाइल मिल्स	मैसर्स पैंटालून रिटेल (इंडिया) लि. (कन्सोर्टियम)
अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	मैसर्स पैंटालून रिटेल (इंडिया) लि. (कन्सोर्टियम)

विवरण III

उन पांच एनटीसी मिलों जिनके लिए निजी भागीदार शामिल किये गये, की भूमि और मूल्य का ब्यौरा

क्र.सं.	एकक का नाम	आरएफपी के अनुसार कुल उपलब्ध क्षेत्र (एकड़ में)	तुलन पत्र के अनुसार बुक वेल्यू (करोड़ रु.)	पीआर 581(1) के साथ पठित डीसीआर 58(2) को लेते हुए परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार (करोड़ रु.)*
1.	इंडिया यूनाइटेड नं. 1	21.28	2.83	321.92
2.	न्यू सिटी आफ बॉम्बे मैन्यू. मिल्स	6.70	0.01	128.7
3.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	26.38	0.0001	101.59
4.	गोल्डमोहर टेक्सटाइल मिल्स	7.05	0.01	78.80
5.	अपोलो टेक्साटाइल मिल्स	5.19	0.02	123.82

*मिल भूमि-औद्योगिक दर
अधिशेष भूमि-वाणिज्यिक दर

हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना

1311. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर:**
श्री के. विरूपाक्षप्पा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प परिसरों की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कर्नाटक का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) देश में हस्तशिल्प, काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, शहरी हाटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। शहरी हाटों की स्थापना की योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में कर्नाटक राज्य सहित विभिन्न राज्य एजेंसियों को निम्न ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	संगठन का नाम	शहरी हाट	निर्मुक्त राशि
1.	कर्नाटक	जे.एस.एस. महा विद्यापीठ, मैसूर	मैसूर	17,15,000/-
2.	मध्य प्रदेश	एम.पी.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, भोपाल	इन्दौर	35,00,000/-
3.	राजस्थान	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	जोधपुर	17,50,000/-

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

1312. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किन-किन कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित करती है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है उनके मूल्य स्थिर रहें;

(ग) क्या किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; ओर

(ङ) प्रत्येक फसल पर किसान को इस समय कितना मूल्य मिलता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सरकार 25 फसलों नामत: धान, ज्वार बाजरा, मक्का, रागी, अरहर (तूर) मूंग, उड़द, कपास, छिलका सहित मूंगफली, सूरजमूखी के बीज, सोयाबीन, तिल, रामतिल, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों, कुसुम्भ, सूरजमुखी, तोरिया, खोपरा, जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने हेतु वैधानिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये कृषि तथा बागवानी जिन्सों के प्रापण हेतु राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर बाजार मध्यस्थता योजना का कार्यान्वयन करती है। बाजार मध्यस्थता योजना इन जिन्सों के उत्पादकों को बम्पर फसल होने की स्थिति में जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन की लागत से नीचे गिरने लगते हैं अनुचित बिक्री करने से सुरक्षा देने हेतु कार्यान्वित की जाती है। प्रापण की जाने वाली एजेन्सियों द्वारा यदि कोई हानियां उठायी जाती हैं तो उसे केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 75:75) पर वहन की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार तथा बंधित राज्य सरकार के बीच वहन की जाने

वाली हानि की राशि प्रापण के मूल्य की 25% तक सीमित है। प्रापण की जाने वाली एजेन्सियों के द्वारा यदि कोई लाभ अर्जित किया जाता है तो उसे उनके द्वारा रखा जाता है।

विभिन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद क्रय करने हेतु नामित एजेन्सियों द्वारा उपर्युक्त प्रापण व्यवस्थाएं की जाती है। पुनः कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन के साथ, अब किसानों के पास संभावित क्रेताओं को अपने उत्पाद बेचने हेतु कई विकल्प हैं। यदि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है तो किसान खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेचने हेतु स्वतंत्र हैं।

हाल के वर्षों में घोषित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य को दर्शाता हुआ एक वितरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपए प्रति क्विंटल)

	जिन्स	किस्म	2006-07	2007-08
	1	2	3	4
	खरीफ फसलें			
1.	धान	सामान्य	580^	645$$
		ग्रेड ए	610^	675$$
2.	ज्वार	हाईब्रीड	540	600
		मलदांदी	555	620
3.	बाजरा	-	540	600
4.	मक्का	-	540	620
5.	रागी	-	540	600
6.	तूर (अरहर)	-	1410	1550 ^^
7.	मूंग	-	1520	1700 ^^
8.	उड़द	-	1520	1700 ^^
9.	कपास	एफ- 414/एच-77/जे-34	1770*	1800*
		एच-4	1990**	2030**
10.	मूंगफली छिलके सहित		1520	1550
11.	सूरजमुखी बीज		1500	1510
12.	सोयाबीन	काली	900	910
		पीली	1020	1050
13.	तिल	"	1560	1580
14.	रामतिल		1220	1240

1	2		3	4
	रबी फसलें			
15.	गेहूं		750 $$	1000
16.	जौ		565	650
17.	चना		1445	1600
18.	मसूर (लेन्टिल)		1545	1700
19.	रेपसीड/सरसों		1715	1800
20.	कुसुम्भ		1565	1650
21.	तोरिया		1680	
	अन्य फसलें			
22.	खोपरा (पंचाग वर्ष)	मिलिंग	3590	3620
		बाल	3840	3870
23.	पटसन		1000	1055
24.	गन्ना @		80.25	81.18
25.	तंबाकू (बी.एफ.सी) (रुपए प्रति किलो)	काली मिट्टी (एफ 2 जी आर)	32.00	32.00
		हल्की मिट्टी (एल 2 जी आर)	34.00	34.00

@वैधानिक न्यूनतम मूल्य 9.0% मूल वसूली से संबंधित है।

$$100 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देय है।

^40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 1.10.2006 से 31.3.2007 के बीच देय था।

बिहार तथा केरल के मामलें में अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 31.5.2007 तक बढ़ा दिया गया तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के मामले में अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 30.9.2007 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

*मध्यम स्टेपल

**लम्बे स्टेपल

^^40 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस न्यूनाधिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देय है।

प्याज उत्पादकों की दुर्दशा

1313. श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में विशेषकर कर्नाटक में प्याज उत्पादक प्याज के थोक मूल्य में गिरावट के कारण भीषण संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संबंधित राज्यों से प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्याज की खुदरा कीमत को कम करने के लिए एक उपाय के रूप में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप प्याज के थोक मूल्यों में और गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) देश में प्याज के मूल्यों में, जो थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापे गए हैं। 3 नवम्बर के साप्ताहांत में गत सप्ताह पर 1.19% की गिरावट आई थी परन्तु यह गत माह की तुलना में 2.72% अधिक तथा 3 नवम्बर 2007 से एक वर्ष की अवधि पर 19.43% अधिक था। कर्नाटक में मैसूर तथा रेलबेबूर पर बाजार में स्थानीय प्याज के मासान्त थोक मूल्य जो सितम्बर, 2006 में 300 रुपए 425 रुपए की रेंज में थे सितम्बर 2007 में 650-950 रुपए की रेंज में रहे जो प्याज के मूल्यों में उत्प्लावकता दर्शाती है।

(ख) नहीं। सरकार ने प्याज के मूल्यों में वृद्धि हेतु राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया हैं

(ग) से (ङ) पूर्व में हाल ही में प्याज का बाजार मूल्य बहुत अधिक होने के कारण सरकार ने सीमित अवधि हेतु प्याज को निर्यात, मदों की निषेध सूची में लाकर घरेलू बाजारों में प्याज की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए। इस प्रकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

समान मजदूरी

1314. श्री के. सुब्बारायण: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र-वार संगठित और असंगठित क्षेत्र में कितने पुरूष और महिला कामगार काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में पुरूष और महिला कामगारों के बीच मजदूरी में समानता है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा समान मजूदरी से संबंधित नियम/कानून का अनुपालन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में महिला संबंधी श्रम कानूनों का ब्यौरा क्या है और उक्त कानूनों को किस स्तर पर लागू किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्रों में कार्यरत पुरूषों और महिलाओं की कुल संख्या क्रमश: 2,64,58,400 और 43,30,00,000 है। संगठित क्षेत्र में श्रम बल का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। असंगठित क्षेत्र में नियोजित पुरूषों और महिलाओं का क्षेत्र तथा राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। जहां तक संगठित क्षेत्रों का संबंध है पुरूष और महिला कामगारों की मजदूरी में समानता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में मजदूरी और अन्य सुविधाओं के संबंध में पुरूष और महिला कामगारों के बीच विभेद किए बिना समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है।

(घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 देश के विशिष्ट लैंगिक आधारित श्रम कानून हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकार द्वारा और केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा लागू किया जा रहा है। जब कभी भी संबंधित प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा उल्लंघनों की सूचना दी जाती है तब अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत महिला कर्मचारी प्रसव के कारण 12 सप्ताह तक की उनकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि हेतु औसत दैनिक मजदूरी की दर से प्रसूति लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।

अन्य विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत, महिला कामगारों के लिए संरक्षणकारी उपबंध उपलब्ध हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 इत्यादि शामिल हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों के लाभार्थ क्रेच सुविधाएं, कार्य के घंटों के दौरान बच्चों को खिलाने-पिलाने के लिए कार्य से अवकाश, प्रसूति छुट्टी का प्रावधान तथा कार्य स्थल के पास महिला और पुरूष कामगारों को अलग-अलग टॉयलेट्स और धुलायी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन कानूनों के प्रवर्तन हेतु विभिन्न राज्य सरकारें समुचित एजेंसियां हैं।

विवरण

31.03.2005 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में राज्यवार नियोजन

(हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन	निजी क्षेत्र में नियोजन	कुल
1	2	3	4	5
1.	असम	531.5	580.6	1112.2
2.	आंध्र प्रदेश	1395.8	647.0	2042.8

1	2	3	4	5
3.	अंडमान एवं निकोबार	35.0	2.7	37.7
4.	बिहार	494.7	32.5	527.1
5.	चंडीगढ़	60.50	28.50	89.00
6.	छत्तीसगढ़	307.30	31.70	339.00
7.	दिल्ली	614.90	216.20	831.20
8.	दमन एवं दीव	2.0	12.5	14.5
9.	गोवा	70.0	41.9	111.9
10.	गुजरात	832.1	861.4	1693.6
11.	हरियाणा	389.90	258.00	647.90
12.	हिमाचल प्रदेश	258.40	58.90	317.30
13.	जम्मू-कश्मीर	199.6	10.5	210.1
14.	झारखण्ड	891.7	150.3	1042.0
15.	कर्नाटक	1059.3	802.8	1862.1
16.	केरल	614.9	524.9	1139.8
17.	मेघालय	72.6	9.3	81.9
18.	मणिपुर	77.9	2.7	80.6
19.	मिजोरम	40.1	1.4	41.5
20.	महाराष्ट्र	2137.6	1403.3	3540.9
21.	मध्य प्रदेश	915.3	155.7	1071.1
22.	नागालैंड	68.2	4.1	72.3
23.	उड़ीसा	659.9	90.2	750.1
24.	पंजाब	520.0	253.1	773.10
25.	राजस्थान	932.8	247.7	1180.5
26.	त्रिपुरा	110.4	12.9	123.3
27.	पांडिचेरी	40.4	17.6	58.0
28.	तमिलनाडु	1512.8	765.9	2278.7
29.	उत्तर प्रदेश	1650.4	437.5	2087.9
30.	उत्तरांचल	224.0	37.30	261.3
31.	पश्चिम बंगाल	1286.4	752.4	2038.8
	कुल	18006.6	8451.8	26458.4

माझगांव डॉक लिमिटेड में परियोजनाओं में विलंब

1315. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माझगांव डॉक लिमिटेड में स्टील्थ फ्रीगेट्स और मिसाइल विध्वसंकों का निर्माण करने संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो माझगांव डॉक में फ्रीगेट्स के निर्माण को कब स्वीकृति दी गई थी और परियोजना की वास्तविक समय-सीमा क्या है;

(ग) स्टील्थ फ्रीगेट्स और मिसाइल विध्वसंकों का निर्माण करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) माझगांव डाक लिमिटेड में तीन स्टील्थ फ्रिगेटों के निर्माण के लिए परियोजना 1998 में मंजूर की गयी थी तथा तीनों पोतों के लिए निर्धारित सुपुर्दगी क्रमश: दिसंबर, 2005, दिसंबर, 2006 और दिसंबर, 2007 थी। तथापि, स्टील्थ फ्रिगेटों और प्रक्षेपास्त्र विध्वसंकों किसी देरी के संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

(ग) विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:–

(i) युद्धपोतों का सहवर्ती अभिकल्पना और निर्माण;

(ii) प्रणाली और विकासात्मक उपस्कर के लिए प्रणाली इंटरफेसों को अंतिम रूप देने में विलंब;

(iii) कुछेक शस्त्र प्रणालियों के आर्डर देने में विलंब;

(iv) कुछेक स्वदेशी विक्रेताओं द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया जाना।

(घ) सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में सचिव (रक्षा उत्पादन) के अधीन सर्वोच्च संचालन समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर कड़ा अनुवीक्षण और युद्धपोत उत्पादन और अर्जन नियंत्रक द्वारा तिमाही आधार पर पुनरीक्षा, रूसी उपस्करों के लिए अंतर सरकारी स्तर पर अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा तथा माझगांव डाक लिमिटेड को वर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल हैं।

सेना के फील्ड अस्पताल

1316. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के फील्ड अस्पताल डाक्टरों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अभियान क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने हेतु फील्ड इकाइयों में कमान अस्पतालों से अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों/डाक्टरों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) फील्ड चिकित्सा यूनिटों में डाक्टरों की मौजूदा प्राधिकृत संख्या की तुलना में उनकी कोई अत्यधिक कमी नहीं है।

(ग) कमान अस्पतालों में तैनाती इन अस्पतालों में कार्यभार के अनुरूप है। संक्रियात्मक क्षेत्रों में सैनिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सेनाओं द्वारा सदैव समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना

1317. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सम्मिलित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना को बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है कर्नाटक राज्य में दो जिले नामत: धारवाड़ और रायचूर हैं।

(ख) और (ग) योजना जुलाई, 2001 में तीन वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी और फरवरी, 2004 में बंद की दी गई थी। योजना के तहत पंजीकृत हो चुके श्रमिकों को योजना के लाभ मिलते रहेंगे। योजना नौ वर्षों की अवधि या सभी पंजीकृत श्रमिकों के पेंशन के लिए पात्र होने, जो प्रवेश के 10 वर्ष बाद शुरू होता है, तक के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही है।

विवरण

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत कवर जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चयनित जिला की संख्या	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	गुन्टूर
			पूर्वी गोदावरी
			पश्चिम गोदावरी
			कृष्ण
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	पूर्वी सियांग
3.	असम	1	नौगांव
4.	बिहार	3	मधेपुरा
			गया
			सहरसा
5.	छत्तीसगढ़	2	रायपुर
			बिलासपुर
6.	गुजरात	2	खेड़ा
			सूरत
7.	हरियाणा	1	हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश	1	कांगड़ा
9.	जम्मू-कश्मीर	1	जम्मू
10.	झारखण्ड	2	पलामू
			पश्चिम बंगाल
11.	कर्नाटक	2	धारवाड़
			रायचूर
12.	केरल	1	पलाक्कड़
13.	मध्य प्रदेश	3	पश्चिम निमार
			जबलपुर
			उज्जैन
14.	महाराष्ट्र	4	जलगांव
			यवतमाल
			सोलापुर
			धुले
15.	मणिपुर	1	इम्फाल
16.	मेघालय	1	पश्चिम खासी हिल्स
17.	नागालैंड	1	कोहिमा
18.	उड़ीसा	2	कोरापुट
			संबलपुर
19.	पंजाब	1	अमृतसर
20.	राजस्थान	2	श्रीगंगानगर
			उदयपुर
21.	सिक्किम	1	पश्चिम सिक्किम
22.	तमिलनाडु	4	कुड्डालूर
			तंजावूर
			तिरूचिरापल्ली
			मदुरै
23.	त्रिपुरा	1	पश्चिम त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश	2	इलाहाबाद
			बदायूं
25.	उत्तरांचल	2	नैनीताल
			देहरादून
26.	पश्चिम बंगाल	2	मेदिनिपुर
			बर्दवान
27.	गोवा	1	दक्षिण गोवा
28.	मिजोरम	1	आईजॉल
	कुल	50	

[अनुवाद]

साइबर अपराध मामलों से निपटने हेतु प्रशिक्षण

1318. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपराधों के मामलों से निपटने हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए सीबीआई, पुलिस आदि जैसी सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में वर्तमान कानूनों को संशोधित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य अपराधों की जांच में बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ''साइबर/उच्च प्रौद्योगिकीय अपराध अन्वेषण और प्रशिक्षण'' शीर्षक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका वित्तपोषण सीबीआई/सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद द्वारा साइबर अपराध अन्वेषण के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 363 लाख रुपए के परिव्यय से अन्वेषण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान है;

अपराध के नए रूप जैसाकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक चेष्टाओं वाली सामग्रियों की प्रकाशन, वीडियो दृश्यरतिकता, सेवा प्रदाताओं द्वारा गोपनीयता भंग करना तथा आंकड़ें प्रकट करना, प्रतिरूपण के जरिए ई-वाणिज्य धोखाधड़ी, जिस आमतौर पर फिशिंग के रूप में जाना जाता है, पहचान की चोरी तथा संचार सेवा के जरिए अप्रिय संदेश भेजना।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना

1319. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया (एस टी पी आई) की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एस टी पी आई राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पार्कों को किन-किन राज्यों में स्थापित किया गया है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश ने सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है अथवा ऐसे पार्कों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त पार्क को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(छ) क्या सरकार का विचार सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हेतु राज्य की अनुकूल जलवायु और परिस्थितियों के मद्देनजर हिमाचल-प्रदेश में एक और सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के देश में 48 केन्द्र हैं। केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (ज) एसटीपीआई के अनुसार विभिन्न राज्यों में 11 स्थानों पर एसटीटीआई सुविधा की स्थापना करना विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश में नया केन्द्र स्थापित करने के लिए एसटीपीआई को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि एसटीपीआई का एक केन्द्र शिमला में है।

नया एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार एसटीपीआई को 3 एकड़ भूमि 10,000 वर्ग

फुट निर्मित स्थल और 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराएगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 लाख रुपए की आरम्भिक राशि प्रदान करेगा। प्रस्ताव की निर्यात की क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एसटीपीआई को राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन करना होगा।

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआईकेन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरूपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरूवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नै
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरूनावेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तरांचल	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़कपुर
48.		सिलीगुड़ी

[अनुवाद]

रक्षा सेवाओं में गतिरोध

1320. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में गतिरोध बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सशस्त्र सेना में बैकलॉक समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेनाओं मं पदों के सृजन और संवर्गों के पुनर्गठन की समीक्षा किया जाना एक सतत और निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। गतिरोध के मुद्दों का हल करने के लिए सभी तीनों सेनाओं में तंत्र मौजूद हैं।

सेना मुख्यालय ने बटालियनों/ब्रिगेड कमांडरों की आयु प्रोफाइल को कम करके और अफसरों की कॅरियर संबंधी अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए इष्टतम युद्धक प्रभावकारिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अफसर संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में मौजूद कतिपय और असंतुलनों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को मई, 200। में एक पेपर भेजा था।

रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए तत्कालीन विशेष सचिव, श्री अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके 16 जुलाई, 200। को एक समिति गठित की थी। इस समिति (ए वी एस सी) ने जनवरी 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रक्षा मंत्री ने समिति की सिफारिश को जनवरी 2003 में 'सैद्धान्तिक' मंजूरी प्रदान की। समिति ने दो सम्बद्ध मामलों अर्थात् अधिक आयु प्रोफाइल तथा कॅरियर गतिरोध को चिन्हित किया। समिति ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों दोनों को शामिल करते हुए सिफारिशें की। गैर-चयन रैंकों से सम्बद्ध कतिपय सिफारिशों को पहले ही दिसम्बर 2004 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

अजय विक्रम सिंह समिति ने 'पुल एंड पील' कारकों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की है, जिसमें एक स्थायी समाधान के जरिए आयु प्रोफाइल को घटाने की रणनीति और तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए अल्पकालिक उपाय भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी में अनुसंधान केन्द्र

1321. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन कैरज निर्माणी, जबलपुर में आधुनिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) आधुनिक हथियारों के विनिर्माण में इस केन्द्र द्वारा क्या भूमिका अदा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस केन्द्र की स्थापना से इस निर्माणी के उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में नये उत्पादों का विकास करने, मौजूदा उत्पादों के स्तरोन्नयन और प्रौद्योगिकी के सहज विलयन के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में अनुसंधान और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है और इस प्रयोजन के लिए यह प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। नये उत्पादों के विकास उन्नयनों में काफी समय लगता है, इस प्रकार विकसित किए जाने वाले उत्पादों के ब्यौरे बताना अथवा उत्पादन लक्ष्यों को बढ़ाने की संभावना के बारे में बताना इस चरण में संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

2जी स्पेक्ट्रम का आंबटन

1322. श्री एल. राजगोपाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) 2जी स्पेक्ट्रम के आंबटन में अब तक अपनाई जा रही प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 2जी स्पेक्ट्रम के आंबटन हेतु संशोधित उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आबंटन मानदंडों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, यह मामला दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण में निर्णयाधीन है।

(ग) मोबाइल दूरसंचार प्रचालकों को उनके सेवा लाइसेंस करार के संगत प्रावधानों के अनुसार 2जी के लिए प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है। सेवा में संवृद्धि एवं उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने की वजह से, उन्हें उनके अनुरोध के आधार पर और उपभोक्ता आधारित पात्रता मानदंड के मद्देनजर तथा दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है।

झींगा मछली पालन

1323. **श्री अनन्त नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में झींगा मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झींगा मछली पालन करने वाले व्यक्तियों को इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता अथवा राजसहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् "अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास" के तहत सभी राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यवार जारी धनराशि का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। इसमें ताजा जल प्रॉन पालन तथा खारा जल झींगा पालन के अलावा विभिन्न अन्य घटकों के लिए प्रदान की गई धनराशि भी शामिल है।

(ग) और (घ) देश में गठित मत्स्य किसान विकास एजेंसियां (एफएफडीए) तथा खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियां (बीएफडीए) ताजा जल प्रॉन (स्केप्पी) के साथ-साथ खारा जल झींगा के उत्पादन के लिए प्रॉन/झींगा किसानों के लिए तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता पैकेज प्रदान करती हैं। तालाबों के निर्माण, आदानों की लागत तथा प्रॉन/झींगा पालन गतिविधियों को करने के लिए ताजा जल प्रॉन बीज हैचरियों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को इन एजेंसियों के जरिए राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि तथा जलकृषि का विकास के तहत 2004-05 से 2006-07 के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र	40.00	20.00	363
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	43.19	24
3.	असम	86.00	0.00	40
4.	बिहार	25.00	0.00	40
5.	छत्तीसगढ़	95.00	70.00	80
6.	गोवा	0.00	5.27	0.00

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	30.00	57.34	0.00
8.	हरियाणा	123.03	143.50	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	86.31	58.50	20.00
10.	जम्मू-कश्मीर	189.00	225.13	0.00
11.	झारखंड	45.70	74.35	0.00
12.	कर्नाटक	52.50	52.82	165.60
13.	केरल	0.00	319.08	50.00
14.	मध्य प्रदेश	250.00	150.00	160.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	23
16.	मणिपुर	83.85	0.00	75
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	37.50	139.00	61
19.	नागालैंड	113.25	166.06	90
20.	उड़ीसा	165.99	134.47	200
21.	पांडिचेरी	0.00	0.00	5
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	6.75	3.75	44.05
24.	सिक्किम	4.50	4.50	30
25.	तमिलनाडु	0.00	20.00	50
26.	त्रिपुरा	41.80	58.75	40
27.	उत्तर प्रदेश	240.85	400.945	250
28.	उत्तरांचल	80.00	28.275	20
29.	पश्चिम बंगाल	315.67	390.22	225
	कुल	2111.90	2565.50	2075.65

[हिन्दी]

पंचायती स्तर पर पीसीओ कनेक्शन

1324. श्री सुभाष महरिया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन लेने और पंचायती स्तर पर पीसीओ कनेक्शन लने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या नए कनेक्शन के साथ दिए जा रहे टेलीफोन सेट घटिया गुणवत्ता वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दूर-दराज के क्षेत्रों में केवल पेयरों की अनुपलब्धता तथा डब्ल्यूएलएल संकेत उपलब्ध न होना/कमजोर संकेत उपलब्ध होना इसके कारण हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन तथा पीसीओ प्रदान करने के लिए भूमिगत केवल बिछाने, सिरोपरि लाइनें लगाने और बीटीएस की संस्थापना करने आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायुसेना के बेड़े में एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स (एजेटी) को सम्मिलित किया जाना

1325. श्री सुग्रीव सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने रूकी पायलटों को प्रशिक्षित करने हेतु एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स को अपने बेड़े में सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दो सीटों वाले एजेटों हॉक्स की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(घ) एजेटी को बेड़े में सम्मिलित किए जाने के बाद भारतीय वायुसेना को कितना लाभ होगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार ने ब्रिटेन के मैसर्स बी ए ई सिस्टम्स से 66 हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक (ए जे टी) विमान शामिल करने की अनुमति दे दी है। बी ए ई सिस्टम्स द्वारा ऐसे चौबीस वायुयानों की विमान उड़ान स्थिति में आपूर्ति की जाएगी और शेष 42 विमान लाइसेंस के आधार पर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाएंगे। मैसर्स बी ए ई सिस्टम्स द्वारा ब्रिटेन में चार विमानों की सुपुर्दगी की गई है। इनमें से दो विमान दिनांक 12.11.2007 को वायुसेना स्टेशन बीदर पहुंच गए हैं।

(ग) दो सीटों वाला हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान एक पारध्वनिक और ग्राउंड अटैक/प्रशिक्षण विमान है जिस पर एक एकल रोल्स रॉयर एडौर एम के 871 टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है। यह प्राथमिक, उन्नत और शस्त्र प्रशिक्षण मुहैया कराता है। यह विमान आधुनिक वैमानिकियों से सुसज्जित है।

(घ) उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान को शामिल करने से भारतीय वायुसेना को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि युवा प्रशिक्षु पायलट अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू स्क्वाड्रनों के उच्च कार्य-निष्पादन/प्रौद्योगिकी विमानों तक सुरक्षित और निर्बाध रूप से पारगमन कर सकें।

बीज बीमा

1326. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज उत्पादक कंपनियों ने केन्द्र सरकार से बीज बीमा सुरक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान और हरियाणा द्वारा नदी के जल का बंटवारा

1327. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार रावी और व्यास नदी के जल से सिंचित भाखड़ा मेन लाइन से अपने हिस्से के जल की कुछ मात्रा ले रही है और भाखड़ा नांगल समझौता की शर्तों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को भाखड़ा मेन लाइन से रावी-ब्यास जल का हिस्सा लेने से रोकने के कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) दिनांक 13.1.1959 को तत्कालीन पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के राज्यपालों ने भाखड़ा नांगल समझौता, 1959 किया जिसके तहत समझौते में दिए गए अनुबंधों और शर्तों के अनुसार भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत सतलुज नदी पर एक बांध के निर्माण तथा अन्य सहायक कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहयोग किया जाना है। समझौते के अनुसार, परियोजना की लागत को वहन करने के अनुसार लाभों को साझेदार राज्यों द्वारा बांटा जाना था और तदनुसार भण्डारित जल आपूर्ति को तत्कालीन पंजाब और राजस्थान राज्यों के मध्य वितरित किया जाना था। तदनन्तर में 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य के पुनर्गठन के पश्चात, सतलुज के जल का तत्कालीन पंजाब राज्य का हिस्सा दिनांक 19.12.1966 को हुई बैठक में पंजाब और हरियाणा को बांट दिया गया।

रावी तथा ब्यास नदियां माधोपुर ब्यास संपर्क द्वारा जुड़ी हुई हैं। भाखड़ा जलाशय पर सतलज नदी के जल के अतिरिक्त ब्यास सतलज संपर्क द्वारा ब्यास नदी से सतलज नदी को विपथित जल भी उपलब्ध हो गया। रावी-ब्यास के अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में 1981 में हस्ताक्षरित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच किए गए समझौते के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), जिसमें तीनों राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ने रावी-ब्यास जल का आवधिक आबंटन भी किया। बीबीएमबी द्वारा साझा राज्यों के बीच इस जल का वितरण दिनांक 13.12.1982 को बीबीएमबी की 105वीं बैठक में अनुमोदित तदर्थ अंतरिम प्रबंध के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार तदर्थ प्रबंध के अनुसार अधिशेष रावी-ब्यास जल की कुछ मात्रा हरियाणा द्वारा प्राप्त की जा रही है, जिसके लिए सभी साझा राज्य सहमत हैं।

पंजाब और राजस्थान ने हरियाणा द्वारा राज्य के भीतर जल के समान वितरण के लिए "भाखड़ा मुख्य लाइन-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देश्यीय संपर्क चैनल", जिसके द्वारा बीएमएल से प्रारंभ किए जाने और बीएमएल ने एक अन्य मौजूदा निस्सरण स्थल बीएमएल से लिए जा रहे रावी-ब्यास जल के एक हिस्से का उपयोग करने का प्रस्ताव है, के निर्माण के संबंध में हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए हैं। अपने वाद में राजस्थान राज्य ने उल्लेख किया है कि हरियाणा बीएमएल के द्वारा रावी-ब्यास जल लेने का पात्र नहीं है। हरियाणा के प्रस्तावित चैनल के लिए बीएमएल के द्वारा रावी-ब्यास जलों को लेना एक अन्तर्राज्यीय मामला है और इसके लिए भाखड़ा-नांगल समझौते के अनुसार साझा राज्यों की सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बीएमएल के द्वारा रावी-ब्यास का केवल 0.17 एमएएफ जल राजस्थान की नोहर सिद्धमुख परियोजना के लिए लिया जा सकता है। पंजाब राज्य ने अपने वाद में उल्लेख किया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण सतलज नदी के जल के उपयोग हेतु किया गया है। हरियाणा ने पड़ौसी यमुना बेसिन के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए परियोजना को स्वत: शुरू कर दिया है, तथा ये क्षेत्र भाखड़ा नांगल परियोजना रिपोर्ट सहित भाखड़ा नांगल समझौते में सिंचाई के लिए पहचाने गए क्षेत्रों का हिस्सा नहीं हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। बी बी एम बी से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी साझा राज्यों की सहमति से हरियाणा को वर्तमान में रावी-ब्यास जल मिल रहा है।

[अनुवाद]

रेशम कीट पालन के लिए विशेष पैकेज/राजसहायता

1328. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेशम कीट पालन क्षेत्र के लिए पैकेज/सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष पैकेज/राजसहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए तीन योजनाएं नामत: 46.50 करोड़ रु. के परिव्यय से बीज संगठन और एचआरडी, 13.66 करोड़ रु. के

परिव्यय से गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, 94.71 करोड़ रु. के परिव्यय से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अनुमोदित की हैं। सरकार, रेशम उत्पादन के प्रमुख कार्यक्रम, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को ।।वीं योजना के दौरान जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ।।वीं योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन सेवा क्षेत्र द्वारा सहायित मुख्यत: तीन क्षेत्रों अर्थात बीज, कोया और कोया पश्चात क्षेत्रों के तहत पैकेज के रूप में परियोजना पद्धति में केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) से (ङ) रेशम उत्पादन करने वाले सभी राज्य सरकारों से संशोधित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है और अनुमोदन होने के पश्चात यह योजना कार्यान्वित की जाएगी।

नए फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थानों को खोला जाना

1329. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नए फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थानों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर उड़ीसा से ऐसे संस्थानों को खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए केंद्रों की स्थापना इन शर्तों के अध्यधीन की जा रही है कि राज्य सरकार जमीन और वित्तीय सहायता प्रदान करे और व्यवहार्य स्थितियों को पूरा करे। नए केंद्रों के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निफ्ट बोर्ड, जो वस्त्र मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार और केरल सरकार ने उनके राज्यों में निफ्ट के केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं

(ङ) निफ्ट बोर्ड द्वारा, बिहार में निफ्ट का केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और जमीन के आबंटन तथा वित्तीय सहायता के लिए मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

कन्नूर, केरल में निफ्ट के केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इसकी अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

विदर्भ में कृषि

1330. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदर्भ के सभी जिलों में मिट्टी का परीक्षण कराने का है ताकि इस विशेष क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो विदर्भ क्षेत्र में यह परीक्षण कब तक कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विदर्भ के सभी जिलों में मृदा परीक्षण किए जाते हैं। मृदा नमूनों के विश्लेषण के अनुसार किसानों की अपनी-अपनी फसलों हेतु खाद और उर्वरक डालने की सलाह दी जाती है। साथ ही, मृदा सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने के लिए किसी खास क्षेत्र की मृदा के गुणों के अनुसार फसल उगाने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

गेहूं का स्टॉक

1331. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का कुल कितना स्टॉक है;

(ख) खाद्यान्न आधारित विभिन्न योजनाओं हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा हर महीने कुल कितनी मात्रा में गेहूं का आबंटन किया गया; और

(ग) मार्च, 2008 तक अनुमानत: गेहूं की कितनी अतिरिक्त मांग होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.11.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टाक 90.25 लाख टन है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत गेहूं का मासिक आबंटन 10.12 लाख टन (नवम्बर, 2007) है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं की प्रारंभिक अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 140 लाख टन है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से और अन्य कल्याण योजनाओं हेतु नोडल मंत्रालयों से प्रति माह 7.16 लाख टन गेहूं के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जल की उपलब्धता के संबंध में श्वेत पत्र

1332. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम परिवर्तन के कारण जल चक्र में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर सरकार ने श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक सलाहकार परिषद बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सलाहकार परिषद के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या इस परिषद ने आज की तिथि तक कोई टिप्पणी/सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जलवायवीय परिवर्तन के कारण जल चक्र में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने सलाहकार परिषद नहीं बनाई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी

1333. **श्री टेक लाल महतो:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के आयात में तीन गुना वृद्धि हुई है जिससे बेरोजगारी दर अधिक हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि कार्य को छोड़ने वाले किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार कृषि उत्पादों का आयात 2002-03 में 16063.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 28062.94 करोड़ रुपये हो गया। तथापि, इस वृद्धि से बेरोजगारी की दर में अधिक वृद्धि नहीं हुई। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की हाल ही के दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति के आधार पर 1999-2000 (55वां दौर) में 239.73 मिलियन व्यक्ति था जो 2004-05 (61वां दौर) में बढ़कर 258.59 मिलियन व्यक्ति हो गया।

(ग) कृषि छोड़ने वाले किसानों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, नवीनतम उपलब्ध कृषि गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कार्यात्मक जोतो की संख्या में 1995-96 तथा 2000-01 के बीच 4.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो कृषि कार्यों में वृद्धि दर्शाती है। कुछ राज्यों में, इस अवधि के दौरान जोतों की संख्या में गिरावट आयी। वर्तमान जोतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्तमान जोतों की राज्यवार कुल संख्या

(*000 में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-01	1995-96	% भिन्नता*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11532	10603	8.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	107	104	2.94
3.	असम	2603	2683	-2.97
4.	बिहार #	11574	14155	उपलब्ध नहीं
5.	छत्तीसगढ़	3255	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	64	70	-9.00
7.	गुजरात	4134	3781	9.34
8.	हरियाणा	1528	1728	-11.59
9.	हिमाचल प्रदेश	914	863	5.91
10.	जम्मू-कश्मीर	1443	1336	8.02
11.	झारखण्ड ##	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	7079	6221	13.80
13.	केरल	6657	6298	5.69
14.	मध्य प्रदेश	7360	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	मध्यप्रदेश+छत्तीसगढ़	10615	9603	10.54
15.	महाराष्ट्र	13258	10653	24.46
16.	मणिपुर	149	143	4.60
17.	मेघालय	214	160	33.53
18.	मिजोरम	76	66	14.57
19.	नागालैण्ड	144	149	-3.61
20.	उड़ीसा	4067	3966	2.54
21.	पंजाब	997	1093	-8.76
22.	राजस्थान	5819	5364	8.50

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	51	44	15.80
24.	तमिलनाडु	7859	8012	-1.91
25.	त्रिपुरा	479	301	59.26
26.	उत्तरांचल	891	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	21668	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल	22559	21529	4.78
28.	पश्चिम बंगाल	6790	6547	3.71
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11	10	12.70
30.	चण्डीगढ़	1	2	-32.37
31.	दादर और नगर हवेली	14	14	0.00
32.	दमन और दीव	6	3	81.79
33.	दिल्ली	28	35	-20.93
34.	लक्षदीप	10	9	9.24
35.	पाण्डिचेरी	38	34	11.59
	जोड़	12,08,22	11,55,80	4.54

*वास्तविक आंकड़ों पर आधारित # 1995-96 हेतु आंकड़ों की संख्या में झारखण्ड भी शामिल है।
वर्ष 2000-01 के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गये।

[अनुवाद]

गेहूं की जमाखोरी

1334. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा गेहूं की व्यापक स्तर पर जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गेहूं के आटे पर प्रशुल्क में कमी कर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारी मात्रा में जमाखोरी की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्र सरकार के दिनांक 29.08.2006 के आदेश द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को गेहूं के संबंध में स्टॉक सीमाएं लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जमा स्टॉक, यदि कोई हों, को खुले बाजार में लाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रभावी कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई है।

केंद्र सरकार ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी कई अन्य कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) राज्य एजेंसियों द्वारा आयात;

(ii) शून्य शुल्क पर निजी आयातों की अनुमति देना;

(iii) निर्यात पर प्रतिबंध लगाना;

(iv) खरीद को बढ़ाने के लिए उच्चतर अधिकतम समर्थन मूल्य तय करना।

[हिन्दी]

खुरपका तथा मुंहपका रोग

1335. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खुरपका तथा मुंहपका रोग से विभिन्न राज्यों में बहुत सारे मवेशी मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रोगों से मवेशियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई अनुसंधान करवा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खुरपका तथा मुंहपका रोग की देश में कभी-कभार सूचना मिलती है और इस रोग से मृत्यु नगण्य है। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान इस रोग के कारण मृत्यु की संख्या क्रमश: 294, 2797 तथा 428 है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पशुओं को खुरपका तथा मुंहपका रोग से बचाने के लिए, केन्द्र सरकार देश के 54 विशिष्ट जिलों में गहन मुंहपका तथा खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ एम डी-सी पी) का क्रियान्वयन कर रही है। शेष क्षेत्रों में एफ एम डी के लिए टीकाकरण राज्यों द्वारा पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए एस सी ए डी) नामक अन्य कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश में विभिन्न पशुधन में आणुविक मरकविज्ञान, एंटीजैनिक विश्लेषण तथा रोग प्रतिरोधन स्थिति के मूल्यांकन सहित मरकविज्ञान के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसके परिणाम का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

* इसके प्रकार की पहचान के लिए सेंडविच एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो-सौरबैंट एस्से (एलिसा) का प्रयोग करते हुए एफएमडी के एक निदान ने इस रोग की विशिष्टता, विश्वसनीयता तथा समरूपता के अनुसार परिणाम दिए हैं।

* आणुविक मरकविज्ञान अध्ययन से विभिन्न एंटिजैनिक सीरो टाइप के वितरण की स्थानिकता तथा एंटिजैनिसिटी का भी पता चलता है।

* एलिसा तथा आर टी-पी सी आर को अलग करने के लिए जीनोटाइप को विकसित किया गया है जिससे कि सीरो टाइप ए के जीनोटाइप VI तथा VII के बीच अंतर पता लग सके।

विवरण

वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान भारत में खुरपका तथा मुंहपका रोग के कारण राज्यवार मृत्यु

क्र.सं.	राज्य	प्रजाति	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	बोवाईन	95	1954	112
		भैंस	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	2	45	5
		स्वाईन	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	बोवाईन	33	0	0
		भैंस	0	0	0
		ओवाइन/कैपराईन	0	0	0
		स्वाईन	0	0	0
3.	असम	बोवाईन	0	0	0
4.	बिहार	बोवाईन	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	बोवाईन	0	0	0
6.	गोवा	बोवाईन	0	0	0
7.	गुजरात	बोवाईन	0	17	0
		भैंस	10	3	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
8.	हरियाणा	बोवाईन	6	18	1
		भैंस	10	0	32
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
		स्वाईन	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	बोवाइन	0	11	6
		भैंस	0	0	2
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	बोवाईन	0	7	11
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
11.	झारखंड	बोवाईन	0	0	0
12.	कर्नाटक	बोवाईन	42	151	116
		भैंस	12	14	25
		ओवाईन/कैपराईन	16	293	15
		स्वाईन	0	0	0
13.	केरल	बोवाईन	0	3	0
		स्वाईन	0	59	0
14.	मध्य प्रदेश	बोवाईन	1	0	0

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	बोवाईन	0	2	0
16.	मणिपुर	बोवाईन	0	10	1
		भैंस	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
		स्वाईन	0	0	0
17.	मेघालय	बोवाईन	0	0	0
18.	मिजोरम	बोवाईन	1	0	8
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
		स्वाईन	22	6	1
19.	नागालैंड	बोवाईन	1	0	0
20.	उड़ीसा	बोवाईन	1	5	13
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
21.	पंजाब	बोवाईन	5	0	0
		भैंस	0	0	0
22.	राजस्थान	बोवाईन	26	23	0
		भैंस	5	66	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	75	68
		स्वाईन	0	1	0
23.	सिक्किम	बोवाईन	0	0	0
24.	तमिलनाडु	बोवाईन	2	7	6
		ओवाईन/कैपराईन	0	3	0
25.	त्रिपुरा	बोवाईन	4	0	0
		स्वाईन	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	बोवाईन	0	0	0
27.	उत्तरांचल	बोवाईन	0	0	0
		भैंस	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	बोवाईन	0	24	6

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान व निको. द्वीपसमूह	बोवाईन	0	0	0
30.	चंडीगढ़	बोवाईन	0	0	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	बोवाईन	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	बोवाईन	0	0	0
33.	दिल्ली	बोवाईन	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	बोवाईन	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
35.	पांडिचेरी	बोवाईन	0	0	0
		ओवाईन/कैपराईन	0	0	0
		स्वाईन	0	0	0
	कुल	बोवाईन	227	2232	280
		मैंस	27	83	59
		ओवाईन/कैपराईन	18	416	88
		स्वाईन	22	66	1
	सकल योग		294	2797	4287

बोवाईन: बोवाईन (गोपशु)
मैंस: मैंस
ओवाईन/कैपराईन: ओवाईन/कैपराईन
स्वाईन: स्वाईन

हाइड्रोलॉजी परियोजना

1336. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक हाइड्रोलॉजी परियोजना II के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सहायता के लिए क्या निबंधन एवं शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) आज की तिथि में परियोजना की स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जलविज्ञान परियोजना चरण II (एच पी II) पूर्व में जल विज्ञान परियोजना चरण I (एच पी I) का विस्तार है और यह 5 अप्रैल, 2006 से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। एच पी II की अवधि छः वर्षों की है। कर, ड्यूटी, वास्तविक एवं मूल्य आकस्मिकताओं सहित परियोजना की कुल लागत 631.83 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक से बातचीत करने के पश्चात विश्व बैंक द्वारा आई बी आर डी ऋण के रूप में 104.98 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया गया। शेष राशि का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। विश्व बैंक वित्तपोषण की सामान्य शर्तों के आधार पर विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को स्वीकृत कर लिया गया है और ऋण की मूल

राशि की अदायगी ऋण समझौते के अनुरूप की जानी है। इस परियोजना का उद्देश्य 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल विज्ञान सूचना प्रणाली (एचआईएस) के स्थायी और प्रभावी उपयोग का विस्तार एवं प्रोत्साहन करना है। यह परियोजना राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब एवं तमिलनाडु और केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात जल संसाधन मंत्रालय (एम ओ डब्ल्यू आर), केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यूसी), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) परियोजना का प्रभावी ढ़ंग से प्रबंधन और मानीटरी करने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों ने संचालन समितियों और समन्वय समितियों का गठन किया है जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण के हिस्से के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन में जुटे विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के कई अधिकारियों को जलवैज्ञानिक सूचना प्रणाली के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन में तकनीकी, वित्तीय और खरीद पहलुओं पर कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात एमओडब्ल्यूआर, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच एवं बीबीएमबी द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय और प्रशिक्षण उपस्करों, कम्प्यूटरों और सहायक सामग्री के उन्नयन और खरीद जैसी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्यान्वयन अभिकरणों ने कदम उठाये हैं। नये राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में जलवैज्ञानिक प्रेक्षण तंत्रों की स्थापना के लिए कार्रवाई प्रगति पर है। तीन मुख्य परामर्शी सेवाएं कार्यान्वयन समर्थन (तकनीकी एवं प्रबंधन), निर्णय समर्थन प्रणाली (वास्तविक समय) और निर्णय समर्थन प्रणाली (आयोजन) की खरीद का कार्य अंतिम अवस्था में हैं क्योंकि छंटनी किए गए फर्मों को प्रस्ताव संबंधी अनुरोध (आरएफपी) जारी कर दिए गए हैं।

सरदार सरोवर परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ

1337. श्री जीवाभाई, ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना से कई राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में बिना किसी कारण विलंब हो रहा है जिसके कारण इस परियोजना की लागत में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत कितनी थी तथा वर्तमान में इसकी लागत कितनी है; और

(ङ) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किन-किन राज्यों में अनुरोध किया है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सरदार सरोवर परियोजना से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

(ग) परियोजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 319/1994 के निर्णयाधीन होने के दौरान 1995 से 2000 तक कार्य रूका होने तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की धीमी प्रगति के कारण विलंबित हुआ है।

(घ) अक्तूबर, 1988 में योजना आयोग द्वारा दी गई निवेश स्वीकृति के अनुसार 1986-87 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की प्राथमिक अनुमानित लागत 6406.04 करोड़ रुपये थी। हाल ही में, गुजरात सरकार ने 2005-06 के मूल्य स्तर पर सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना का संशोधित आकलन 35045.75 करोड़ रुपये स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया।

(ङ) सिंचाई राज्य का विषय है तथा परियोजना की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन तथा साथ ही साथ परियोजना निष्पादन की प्राथमिकता का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

गांवों में दूरसंचार सुविधाएं

1338. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने गांवों में वायरलेस इन लोकल लूप सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ख) देश में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां दूरसंचार सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में 5,55,532 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक (वीपीटी) की सुविधा प्रदान की गई है, इनमें से 3,19,970 गांवों को वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) के माध्यम से वीपीटी प्रदान किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में 36,918 गांवों को वीपीटी की सुविधा प्रदान की गई है, जिनमें से 14,218 गांवों में यह सुविधा डब्ल्यूएलएल के माध्यम से दी गई है।

(ख) और (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश में शेष सुविधा रहित 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के प्रावधान के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार किया है। नई गांवों में 100 से कम जनसंख्या वाले, धन वन क्षेत्रों में/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले इत्यादि गांव शामिल नहीं हैं। 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार देश में 50,520 वीपीटी प्रदान किए गए हैं, इनमें महाराष्ट्र के 5,612 गांव शामिल हैं। कवर न किए गए शेष 16,302 गांवों को उत्तरोत्तर रूप से जून, 2008 तक वीपीटी सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों द्वारा ऋण

1339. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी निरंतर कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आसान ऋण उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कुल कृषि ऋण प्रवाह सहकारी बैंकों का शेयर वर्ष 2002-03 के 33.97% से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 20.90% हो गया है।

वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी द्वारा प्राप्त ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि के कारण सहकारी बैंकों का शेयर घट रहा है। साथ ही, हाल ही के वर्षों में सहकारी समितियों में कई संरचनात्मक, संगठनात्मक प्रबंधकीय और वित्तीय कमजोरियां आई हैं, जिसने निचले स्तर पर ऋण देने की उसकी क्षमता को बाधित किया है। कुछ कारण इस प्रकार हैं–

(i) 31 मार्च, 2007 के अनुसार 7 एससीबी तथा 127 डीसीसीबी बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 11 (i) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे और वर्ष 2004-05 में 8 एससीएआरडीबी और 458 पीएसीआरडीबी नुकसान में चल रहे थे।

(ii) सहकारी बैंकों के पास उनके अपने संसाधन नहीं हैं और वे अपने संसाधन पूर्ति करने के लिए नाबार्ड सहित उच्चतर टीयर पर निर्भर करते हैं।

(iii) अतिदेयों का उच्च स्तर निधियों के पुन: चक्रण को प्रभावित करता है और इस प्रकार, उनके पास उधार देने के लिए कम मात्रा उपलब्ध है। राज्य सरकारों द्वारा ऋणों/ब्याज की माफी, वसूली वातावरण को बाधित करती है और सहकारी समितियों को ऋणों की वसूली और ऋण के पुन:चक्रण से रोकती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि हेतु उपलब्ध ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है–

एजेंसी	2004-05	2005-06	2006-07
वाणिज्यिक बैंक	81481	125477	140382
सहकारी बैंक	31424	39786	42480
आरआरबी	12404	15223	20434
कुल	125309	180486	203296

(घ) और (ङ) जी, हां। कृषि हेतु वर्धित ऋण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कृषि के लिए ऋण संवितरण बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

कदम सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के परामर्श से किसानों को ऋण देने हेतु कई उपाय शुरू किए है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं–

1. 18 जून, 2004 को भारत सरकार ने व्यापक फार्म क्रेडिट पैकेज की घोषणा की जिसमें विपदाग्रस्त और बकायादार किसानों हेतु ऋण राहत उपाय शामिल हैं। छोटे और सीमांत किसानों हेतु एकबारगी निपटान स्कीम तथा संस्थागत उधारदाताओं जैसे साहूकारों से ऋणग्रस्त किसानों से राहत शामिल थे।

2. वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी को वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषण करने की सलाह दी गई है।

3. सहकारी समितियों की समीक्षा करने के लिए उपायों का पैकेज जैसा कि वैद्यनाथन समिति द्वारा सुझाया गया है, क्रियान्वयन के अधीन है। अब तक 18 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में पैकेज की स्वीकृति की सूचना दी है जिसमें वित्तीय समर्थन, मानव संसाधन, दक्षता सुधार और वैधानिक सुधारों से जुड़ा हुआ प्रणाली उन्नयन शामिल हैं।

4. बैंकों को कृषि ऋण हेतु प्रलेखन की प्रक्रिया सरल बनाने का सुझाव दिया गया है।

5. खरीफ 2006-07 से प्रभावी, सरकार ने मूल धन पर 3.00 लाख रु. की उच्च सीमा के साथ फसल ऋण पर ब्याज दर घटाकर 7% कर दिया है। यह नीति वर्ष 2007-08 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

6. 50,000 रु. तक के ऋण को संपार्श्विक और मार्जिन मुक्त बना दिया गया है।

7. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड दें ताकि ऋण तक उनकी बाधा मुक्त पहुंच हो सके।

8. एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनिस केंद्र स्कीम के अधीन प्रोजेक्ट की पूंजी लागत के 25% की दर से ऋण से जुड़ी हुई राजसहायता बैंकों द्वारा दी जाती है। भुगतान आधार किसानों को विस्तार और अन्य सेवाएं देने के उद्देश्य से इस स्कीम की परिकल्पना की गई है। अ.जा./अ.ज.जा, महिला, और सुविधा वंचित अन्य वर्गों तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों के संबंध में राजसहायता 33.33% होगी।

9. गरीब और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच सुधार करने के लिए खासकर 13 प्राथमिकता वाले राज्यों नामत: असम बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल जहां ग्रामीण गरीब की संख्या अधिक है, में स्वावलंबी समूह–बैंक संपर्क कार्यक्रम गहन बना दिया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि संयुक्त देयता समूहों और काश्तकारों समूहों को वित्त पोषित करें।

10. वित्तीय समावेशन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपायों के भाग के रूप में बैंकों को सलाह दी गई है कि वे "नोफ्रील्स" खाता खोलने और ऐसे खातों के लिए साधारण ओवर ड्राफ्ट सुविधा जारी करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रतिभूति और निधियों के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना 25,000 रु. तक सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करें।

11. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 जिले में पाइलट आधार पर 100% वित्तीय समावेशन शुरू करे। पायलट स्कीम की सफलता के आधार पर राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राज्य के अन्य जिलों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करें।

12. वित्तीय पहुंच में सुधार करने के लिए बैंकिंग कोर्सपोंडेंट/बैंकिंग का फेसीलिटेटर हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बैंकों को दिए गए हैं।

13. वित्तीय बर्हिवेशन के मामले की गहराई से जांच करना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने डा. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर एक समिति की

नियुक्ति की। समिति की अंतरिम सिफारिश के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय बजट 2007-08 में दो कोष अर्थात वित्तीय समावेशन कोष और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष सृजन करने की घोषणा की है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों के लिए सहायता

1340. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहायता की मांग करते हुए हाल ही में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा कृषि और सहकारिता विभाग, जो क्रमश: चीनी और शर्करा से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग हैं, को उड़ीसा सरकार से हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कृषि के मैक्रो प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई और कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के आधार पर 2007-08 के दौरान क्रियान्वित की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने गन्ना आधारित प्रणाली के स्थायी विकास के तहत 23.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है और इसे बीज गन्ना गुणन, अंतर फसल प्रदर्शनों, प्रदर्शनों/प्रशिक्षण के लिए और गन्ने पर किसानों का फील्ड स्कूल चलाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पशुधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

1341. श्री रामदास आठवले:. क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र तथा देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) इस मिशन को कब तक प्रशासनिक अनुमोदन दे दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी नहीं। तथापि, सरकार जनजातीय क्षेत्रों सहित भाग लेने वाले राज्यों के सभी जिलों में बोवाइन संख्या के विकास के लिए राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) को क्रियान्वित कर रही है। महाराष्ट्र 2003-2004 से योजना के अंतर्गत भाग ले रहा है और राज्य को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1360.00 लाख रुपए तक केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुदरा तथा थोक मूल्यों में अंतर

1342. श्री मदन लाल शर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैट्रोपोलिटन शहरों में आवश्यक वस्तुओं के प्रति किलोग्राम खुदरा तथा थोक मूल्यों में कितना अंतर है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों में अधिकतम अनुमल्य अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार, कीमतों, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर किस प्रकार से निगरानी रखती हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के मौजूदा थोक और खुदरा मूल्यों के बीच प्रति किलोग्राम अन्तर नीचे तालिका में दिया गया है:-

(रुपये प्रति किलोग्राम)

वस्तु	खुदरा मूल्य	थोक मूल्य	अन्तर	वस्तु	खुदरा मुल्य	थोक मूल्य	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्र	14.11.07	14.11.07		केंद्र	14.11.07	14.11.07	
चावल				मूंगफली तेल			
चैन्ने	14.00	12.00	2.00	चैन्ने	70.00	60.50	9.50
दिल्ली	16.00	13.90	2.10	दिल्ली	120.00	113.55	6.45
कोलकाता	13.00	12.00	1.00	कोलकाता	86.00	83.50	2.50
मुंबई	14.25	12.75	1.50	मुंबई	95.00	90.00	5.00
गेहूं				सरसों तेल			
चैन्ने	16.00	15.50	0.50	चैन्ने	व्या.न.	व्या.न.	–
दिल्ली	12.00	10.30	1.70	दिल्ली	64.00	57.50	6.50
कोलकाता	व्या.न.			कोलकाता	60.00	57.50	2.50
मुंबई	14.50	12.75	1.75	मुंबई	64.00	62.66	1.34
आटा				वनस्पति			
चैन्ने	18.00	17.00	1.00	चैन्ने	66.00	65.00	1.00
दिल्ली	13.00	11.65	1.35	दिल्ली	62.00	56.04	5.96
कोलकाता	14.00	12.20	1.80	कोलकाता	55.00	52.50	2.50
मुंबई	15.50	14.00	1.50	मुंबई	64.00	60.00	3.34
चना				चाय (खुली)			
चैन्ने	36.00	32.80	3.20	चैन्ने	सू.न.	सू.न.	–
दिल्ली	35.00	30.25	4.75	दिल्ली	108.00	92.85	15.15
कोलकाता	32.00	30.00	2.00	कोलकाता	100.00	80.00	20.00
मुंबई	34.00	33.00	1.00	मुंबई	144.00	65.00	79.00
तुर				दूध @			
चैन्ने	44.00	42.00	2.00	चैन्ने	15.50	*	–
दिल्ली	40.00	35.75	4.25	दिल्ली	20.00	*	–
कोलकाता	38.00	36.00	2.00	कोलकाता	29.00	*	–
मुंबई	44.00	39.00	5.00	मुंबई	18.00	*	–

1	2	3	4	5	6	7	8
चीनी				आलू			
चैन्ने	14.00	13.50	0.50	चैन्ने	15.00	12.00	3.00
दिल्ली	17.00	14.15	2.85	दिल्ली	13.00	6.25	-6.75
कोलकाता	16.00	15.10	0.90	कोलकाता	9.00	8.00	1.00
मुंबई	17.50	14.48	3.02	मुंबई	13.00	10.50	2.50
गुड				प्याज			
चैन्ने	14.00	12.50	1.50	चैन्ने	14.00	10.00	4.00
दिल्ली	18.00	15.75	2.25	दिल्ली	15.00	7.75	7.25
कोलकाता	16.00	12.50	3.50	कोलकाता	18.00	15.00	3.00
मुंबई	20.00	16.50	3.50	मुंबई	16.50	10.00	6.50

स्त्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग ।
सू.न.-सूचित नहीं ।
व्या.न.-व्यापारित नहीं
*दूध का कोई थोक मूल्य नहीं होता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। थोक और खुदरा मूल्य मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अनुमेय अधिकतम अन्तर के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। तथापि, जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए की जाती है, उनके निर्गम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य निगरानी कक्ष 14 आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, आटा, चना, तुर/अरहर, चाय, दूध, चीनी, वनस्पति, सरसों तेल, मूंगफली तेल, आलू, प्याज और नमक के खुदरा मूल्यों की नियमित रूप से दैनिक आधार पर निगरानी करता हैं। मूल्यों की निगरानी के लिए देश भर में फैले 18 केंद्रों से 14 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्यों और 37 केंद्रों से साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य पर सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नागरिक आपूर्ति विभागों से एकत्रित की जाती है। आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट http://fcamin.nic.in में रोजाना अद्यतन किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए मानदण्ड

1343. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या उक्त मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) ऋणी और गैर-ऋणी सभी किसानों के लिए उनकी जोतों के आकार को ध्यान में रख बिना उपलब्ध है। अधिसूचित फसलें उगा रहे और वित्तीय संस्थाओं से मौसमीय कृषि प्रचालन (एसएओ) ऋण ले रहे सभी किसानों (अर्थात ऋणी किसानों) को इस स्कीम के अधीन आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। जबकि यह स्कीम अन्य किसानों (अर्थात गैर-ऋणी किसानों) के लिए स्वैच्छिक है।

इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन), तिलहनों तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर किया जा सकता है:

(i) शामिल की जाने वाली फसलें वार्षिक प्रकृति की होनी चाहिए।

(ii) फसल बीमा हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति को मौसम के दौरान राज्य में स्कीम के अधीन कवर किए जाने वाली फसलों तथा क्षेत्रों का चयन और अधिसूचित करना चाहिए।

(iii) फसल के अधीन पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए जिससे कि स्कीम के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित संख्या में सफल कटाई प्रयोग (सीसीई) आयोजित किए जा सकें। सीसीई सामान्य फसल अनुमानन सर्वेक्षण (जीसीईएस) का हिस्सा होना चाहिए।

(iv) राज्य सरकार को सीसीई पर आधारित 10 वर्ष के उपज आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्कीम के अधीन राज्य-वार निधियां निर्मुक्त नहीं की जाती हैं। निधियों को कार्यान्वयक एजेंसी अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. को निर्मुक्त किया जाता है। यह कम्पनी बाद में किसानों के स्वीकार्य दावों का निपटान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां
2005-06	749.55
2006-07	634.37
2007-08	500.00*

*22.11.2007 तक

[अनुवाद]

कुक्कुट पालन फार्मों को सहायता

1344. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य कुक्कुट पालन फार्मों को सहायता योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरंभ से आन्ध्र प्रदेश की "हैचरियों" में प्रजनन तथा पालन केन्द्रों, पोषाहार मिलों, इन हाउस रोग नैदानिक सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए "हैचरियों" को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय कुक्कुट पालन विकास संगठन (सीपीडीओ) ने आन्ध्र प्रदेश के किसानों, महिलाओं तथा कुक्कुट इकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सीपीडीओ द्वारा किए गए प्रशिक्षण का वर्ष-वार तथा जिले-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश सरकार को "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता "नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमश: 47.92 लाख रुपए 54.20 लाख रुपए तथा 34.00 लाख रुपए की सहायता जारी की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। सीपीडीओ, बंगलौर द्वारा प्रदेश राज्य के किसानों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	अवधि	महिला	पुरुष	कुल
2004-05	–	–	–	शून्य
2005-06	11.07.05-16.07.05	30	–	30
2006-07	04.09.06-09.09.06	90	–	90
	30.10.06-04.11.06	10	22	32
	06.11.06-11.11.06	08	05	33
कुल		158	27	185

अमेरिका के साथ रेड फ्लैग अभ्यास

1345. श्री रेवती रमन सिंह:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना ने अमेरिका के साथ रेड फ्लैग अभ्यास करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभ्यास के क्या प्रभाव पड़ेंगे;

(ग) ऐसे अभ्यासों का महत्व तथा उपयोगिता क्या है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा कितनी धनराशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमेरिका में अगस्त 2008 में नेलीस वासुसेना बेस में रेड फ्लैग अभ्यास आयोजित किया जाना हैं इस अभ्यास में विभिन्न देशों की वायु सेनाएं अपने वायुयानो के साथ भाग लेती हैं। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, ग्राउन्ड हैंडलिंग और संभारिकी सहायता के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मुहैया कराएगा। इसके अलावा, इससे भारतीय वायुसेना को विश्व की अन्य वायु सेनाओं में व्यवहार में लाई जा रही सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को देखने का अनुभव भी प्राप्त होगा।

(घ) इस अभ्यास में भाग लेने पर लगभग 80 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का विकास

1346. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रक्षा मंत्री असम के डिब्रूगढ़ विमानपत्तन रनवे विस्तार कार्यक्रम के बारे में 1 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ विमानपत्तन के विकास के लिए आवश्यक रक्षा भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके सौंपे जाने की प्रभावी तिथि क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसके प्रारंभ की तिथि से इसकी प्रत्येक औपचारिकता को पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत होगी;

(घ) क्या मंत्रालय ने रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 2007 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में असम सरकार से वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) जी, नहीं। डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का विकास करने के लिए आवश्यक रक्षा भूमि भारतीय विमानपत्तन को नहीं सौंपी गई है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन के साथ भूमि अंतरण की सेवा शर्तों से सम्बद्ध करार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उक्त रक्षा भूमि के बदले में वैकल्पिक रक्षा भूमि देने के लिए असम की राज्य सरकार से अभी कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

नदी विकास के संबंध में विश्व बैंक का अध्ययन

1347. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्ययन में हिमालय से निकलने वाली नदियों में गाद जमने की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए नदी बेसिन विकास प्राधिकरण की स्थापना करने तथा जल का अपस्ट्रीम भंडारण करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा नदी बेसिन विकास इष्टतमीकरण अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के मसौदा सुझावों में भारत में जलविद्युत विकास को नदी बेसिन स्तरीय आयोजना डिजाइन प्रचालन की ओर अग्रसर करने मे सक्षम बनाने के लिए कई सिफारिशों और सुझावों को शामिल किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों ने रिपोर्ट पर अपने विचार जल संसाधन मंत्रालय को नहीं भेजे हैं।

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

1348. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर रक्षा भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस भूमि को खाली कराने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

1349. श्री गणेश सिंह
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् कारीगरों, शिल्पकारों तथा बुनकरों के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत-राज्य-वार कितनी राशि आबंटित, जारी व उपयोग की गयी,

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने कारीगर, शिल्पकार व बुनकर लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान के माध्यम से कारीगरों, शिल्पकारों तथा बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कारीगरों, शिल्पकारों तथा बुनकरों के विकास तथा कल्याण हेतु तैयार की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं,

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कारीगरों एवं बुनकरों के लिए स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड नाम की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आर्टिजन क्रेडिट कार्ड (ए सी सी) नामक एक स्कीम है जिसका कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है ताकि हस्तशिल्प कारीगरों को आसानी से ऋण मिल सके। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) नामक एक अन्य स्कीम का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हथकरघा बुनकर भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन स्कीमों के लिए निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में एसीसी के अंतर्गत लाभान्वित कारीगरों की संख्या 1,03842 हैं जहां तक हथकरघा बुनकरों का संबंध है, एससीसी स्कीम में अन्य व्यवसाय भी शामिल हैं तथा लाभान्वित बुनकरों की संख्या के अलग-अलग आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, ग्यारहवीं योजना के दौरान हस्तशिल्प कारीगरों को 1,36,000 कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बुनकरों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) हस्तशिल्प कारीगरों के विकास एवं कल्याण के लिए प्रस्तावित स्कीमों में शामिल है: चुनिंदा शिल्प समूहों के समेकित विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); मानव संसाधन विकास; विपणन एवं सहायता सेवाएं; डिजाइन एंव प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास, कल्याण स्कीम एवं समेकित हथकरघा विकास स्कीम; विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम; हथकरघा बनुकर व्यापक कल्याण स्कीम; बुनकरों के लिए मिल गेट प्राइस स्कीम एवं विविधिकृत हथकरघा विकास स्कीम।

[अनुवाद]

नेपाल से प्राप्त अतिरिक्त जल का उपयोग

1350. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने पता लगाया है कि नेपाल से बह कर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आने वाली नदियों के अतिरिक्त जल का ईष्टतम उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इस स्रोत से उक्त अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव/योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने कोसी, सारदा (पूर्णागिरी पर), घाघरा (चिसापानी पर) और गंडक (नेपाल में प्रस्तावित बांध पर) के प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन करने के बाद यह पहचान की है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बहने वाली इन नदियों में अधिशेष जल है जिसका इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए ने नेपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बहने वाली नदियों के अधिशेष जल के उपयोग के लिए पांच संपर्क नहर प्रस्तावों नामत: (i) सारदा-यमुना, (ii) घाघरा-यमुना, (iii) गंडक-गंगा, (iv) कोसी-घाघरा, (v) कोसी-मेची की पहचान की हैं भारतीय क्षेत्र में सारदा-यमुना एवं घाघरा-यमुना संपर्क प्रस्तावों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है।

इन संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों के सहयोग एवं सहमति और पड़ोसी देशों के साथ अनुबंधों पर निर्भर करता है।

बीजों पर राजसहायता

1351. श्री विजय कृष्ण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजना तैयार करने का है कि बीजों पर राजसहायता का लाभ किसानों को मिले, उद्योग अथवा बिचौलियों को नहीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) किसानों के लाभ के लिए विद्यमान स्कीमों के अधीन बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन अनुमोदित सहायता का ब्यौरा

स्कीम/घटक	फसल	सहायता का पैमाना
1	2	3
बृहत कृषि प्रबंधन पद्धति-राज्य कार्य योजना	चावल व गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ	(i) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 200/- रु. प्रति क्विंटल (ii) किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 400/- रु. प्रति क्विंटल (iii) बाजरा व ज्वार के संकर के प्रमाणित बीज वितरण हेतु 1000/- रु. प्रति क्विंटल
समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम एवं मक्का स्कीम	सभी तिलहन, दलहन और मक्का	(i) आधारी व प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 500/- रु. प्रति क्विंटल (ii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 800/- रु. प्रति क्विंटल या बीज लागत का 25% जो भी कम हो।
	अंकुरित आयलपाम	किसानों की पूरी भूमि जोत के लिए 7500/- रु./है. की सीमा से लागत का 75%
पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन	पटसन एवं मेस्ता	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु 3000/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 50% (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 700/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमति लागत का 25% (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 2000/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित लागत का 50%
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु लागत का 50% या 50/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु लागत का 25% या 15/- रु. प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो (iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 20/- रु. प्रति कि.ग्रा. (iv) बीजोपचार के लिए 40/- रु. प्रति कि.ग्रा. की सीमा तक लागत का 50%

1	2	3
बीज को सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को भेजे जाने पर परिवहन राजसहायता	आलू को छोड़कर सभी प्रमाणित बीज	(i) राज्य से बाहर उत्पादित बीज को अभिज्ञात राज्य राजधानी जिला मुख्यालय को भेजने के लिए कार्यान्वयक राज्यों/एजेंसियों को सड़क व रेल परिवहन भाड़े के बीज 100% अंतर को प्रतिपूर्तित किया जाता है। (ii) राज्य के भीतर राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय से विक्रय दुकानों/विक्रय काउन्टरों को वाहित बीजों को ले जाने हेतु वास्तविक लागत अधिकतम 60/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
बीज ग्राम कार्यक्रम	सभी कृषि फसलें	(i) किसान द्वारा सुरक्षित रखे गए बीज की गुणत्ता में वृद्धि करने के लिए गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन हेतु बीज की 50% लागत पर आधारी/प्रमाणित बीज के लिए वित्तीय सहायता। (ii) 50-150 किसानों के समूह को 15000/- रु. की दर पर बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायता।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	चावल	(i) प्रमाणित संकर चावल के बीज के उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो कम हो। (ii) प्रमाणित संकर चावल के बीज के वितरण के लिए 2000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iii) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iv) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकिटों की पूर्ण लागत।
	गेहूं	(i) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 5 रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत को 50%, जो भी कम हो। (ii) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज मिनीकिटों की पूर्ण लागत।
	दलहन	(i) आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल (ii) प्रमाणित बीज के वितरण के लिए 1200 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो। (iii) अधिक उपज देने वाली उपज किस्मों की बीज मिनीकिटों की पूर्ण लागत।

किसान परिचय संबंधी सर्वेक्षण

1352. श्री के. सुब्बारायण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने किसानों की आयु और लिंग संबंधी परिचय का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि विद्यालय को स्थापित करने और कृषि विद्यालयों को स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार किसानों को अपनी उपलब्धियों हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को शुरुआत करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने किसानों की आयु और लिंग की जानकारी का आंकलन करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया है। तथापि भारतीय किसानों की स्थिति आंकलन सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के 59वें दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2003) में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रति हजार किसानों पर किसानों का आयु तथा लिंगवार संरचना निम्न प्रकार है:

किसानो का अखिल भारतीय आयु लिंगवार वितरण

आयु वर्ग	प्रति हजार किसानों संख्या		
	पुरुष	स्त्री	सभी
1	2	3	4
0-4	0	0	0
5-9	1	1	2
9-14	13	11	24
15-19	56	31	88
20-24	69	44	113
25-29	68	61	119
30-34	64	53	117
35-39	67	53	120
40-44	58	45	102
45-49	54	37	91
50-54	43	28	71
55-59	33	21	55
60 तथा उससे अधिक	70	28	98
सभी	598	402	1000

(ग) और (घ) इस बारे में कोई आंकड़े रिपोर्ट में वर्णन नहीं किए गए हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि विद्यालयों का गठन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ए.टी.एम.ए) नमूने पर आधारित "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" स्कीम के अंतर्गत 2007-08 में एक योग्य कार्य हुआ हैं कृषि विद्यालय विशिष्ट किसानों द्वारा गठित किए जा सकते हैं तथा इनके भागीदार सामान्यत: उसी कृषि जिन्स का उत्पादन करने वाले किसान समूहों के मुखिया होंगे।

(छ) और (ज) "कृषक अवार्ड" ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तरों पर 2007-08 में "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" स्कीम के अतंर्गत एक योग्य कार्य के रूप में जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम के अंतर्गत "कृषक दलों" तथा "उत्तम निष्पादन ए.टी.एम.ए. जिला" को भी एवार्ड दिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

संकटापन्न प्रजातियों संबंधी सर्वेक्षण

1353. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा से संबंधित योजना के कार्यान्वयन के चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी पशुओं (पशुधन) की संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में अब तक कोई प्रामाणिक डाटाबेस तैयार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत क्या कार्य किया गया है, और

(घ) पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में समयबद्ध सर्वेक्षण कराकर इस संबंध में प्रामाणिक डाटाबेस तैयार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) "जुगाली करने वाले छोटे पशुओ, सुअरों, भारवाही पशु एवं अश्वों की विलुप्तप्राय नस्लों का संरक्षण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों के डाटा बेस संकलन का प्रावधान नहीं है।

(ग) विगत चार वर्षों में इस योजना के तहत पशुधन की उक्त श्रेणियों की विलुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए कुल 22 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा उसी अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए 1226.10 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) इस समय 18वीं पंचवर्षीय पशुधन गणना का कार्य चल रहा है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पशुधन का नस्लवार डाटा रखने पर भी विचार किया गया है।

[अनुवाद]

योजनाओं के लिए धनराशि

1354. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों, विशेष रूप से कर्नाटक द्वारा केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्याउक्त धनराशियों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए ये राज्य सरकारों को प्रदान की गई थी: और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) उपभोक्ता मामले विभाग कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रशासित नहीं करता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ब्रह्मोस मिसाइल

1355. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मोस मिसाइल को लड़ाकू विमान नहीं लगाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मिसाइल को विमान के अनुरूप बनाने के लिए इसमें सुधार करने/इसे पुन: अभिकल्पित करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परीक्षण की समय-सारणी क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना तथा भारतीय सेना के लिए रूस के साथ एक संयुक्त प्रयास के रूप में विकास किया गया है। वायु रूपांतरण के विकास की भी मंजूरी दी जा चुकी है तथा इसे भारतीय वायुसेना के लिए सुखाई-30 एमके I के साथ एकीकृत करने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) मिसाइल के एयर लॉन्च्ड संस्करण का पुनअर्भिकल्पन तथा विकास कार्य पूरा कर लिया गया है तथा मिसाइल परीक्षण हेतु तैयार है। विभिन्न किस्मों के विमानों के लिए समुचित यूनिवर्सल लांचर का भी अभिकल्पन किया गया है। परीक्षण वर्ष 2009 में किए जाएंगे।

दूरसंचार सुविधा

1356. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लाहोल स्पीति, पांगी तथा चम्बा के भरमौर मंडल में विद्यमान दूरसंचार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई विशेष परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल के पास पहले ही "जनजातीय उप-योजना" शीर्ष के अंतर्गत एक विशेष योजना है, जो वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाई गई मुख्य योजना का घटक है। पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बीएसएनएल के वास्तविक लक्ष्य तथा इस संबंध में 30.9.2007 तक की स्थिति संलग्न विवरण I में दी गई है।

हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल में विशेषकर किन्नौर लाहोल स्पीति जिलों तथा चम्बा के पांगी और भरमौर मंडलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2007-08 के लिए जनजातीय क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	विकास पैरामीटर	वर्ष 2007-08 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2007-08 के दौरान उपलब्धि (30.09.2007 तक)	30.09.2007 को स्थिति
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं.)	6	10	3,847
2.	स्विचन क्षमता (लाइनें)	10,00,000	369,476	6,527,906
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (सं.)	6,00,000	252,163	5,147,747
4.	ब्रॉडबैंड कनेक्शन (सं.)	113,500	8,922	36,951
5.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (सं.)	3,000	2,332	99,927
6.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.)	1,000	178	37,714

विवरण II

उन स्थानों के नाम जहां 2007-08 के दौरान डब्ल्यूएलएल और जीएसएस बीटीएस स्थापित करने की योजना है तथा उन शहरों के नाम जहां ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की योजना है।

क्र.सं.	जिले का नाम	उन स्थानों के नाम जहां डब्ल्यूएलएल बीटीएस स्थापित करने की योजना है	उन स्थानों के नाम जहां जीएसएम बीटीएस स्थापित करने की योजना है	उन शहरों/ स्थानों के नाम जहां ब्रॉडबैंड की योजना बनाई गई है
1	2	3	4	5
1.	किन्नौर	कटगांव	असरांग	बारंग
		किल्बा	अकपा	भावनगर
		निचार	डबलिंग	चोवलिंग
		राल्ली	थांगी	कल्पा
		कल्पा	चांसभार	कारछम
		सांगला	लिप्पा	कटगांव
		कानम	पांगी	निचार
		मूरांग	पोवाड़ी	पांगी
		पूह	रक्षाम	रेकोंगपेओ
		सरंग	रुनाग	सांगला
			सापनी	टापरी
				चांगो
				गियाबोंग
				मूरांग
				पूह
				रारंग
				रिब्बा
				स्पिल्लो
2.	चम्बा	गरोल्ला	होली	भरमौर
		छतरारी	खारानुख	

1	2	3	4	5
		रूहनु कोठी	गरोल्ला	
		कोडला	कोडला	
		किल्लार	थाल्ला	
		चलोली	टिंडी	
		कोठी	पुरथी	
		कुठाल	डरवास	
		लियो		
		मिंडल		
		राई		
		साल्चु		
		ठडिन		
3.	लाहोल स्पीति	रांगरिक	दरचा	काजा
		केलांग	करदांग	केलांग
		शांशा	बारिंग	उदयपुर
		गोंदला	टिंगरिट	
		चमरेट	त्रिलोकनाथ	
		टिंगरिट	काजा	
			ताबो	

सैन्य डेयरी फार्म को बंद किया जाना

1357. **श्री राकेश सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर स्थित सैन्य डेयरी फार्म को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सैन्य डेयरी फार्म, जबलपुर को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए लक्ष्य

1358. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 250 मिलियन टेलीफोन उपभोक्ताओं का लक्ष्य दिसंबर, 2007 की लक्ष्य तिथि के काफी पहले प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में यथा अभिकल्पित वर्ष 2010 तक 500 मिलियन टेलीफोन उपभोक्ताओं का लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नहीं है तथा इसे समय से काफी पहले हासिल किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अक्तूबर, 2007 के अनुसार समग्र टेली-घनत्व कितना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी प्रगति हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ताओं की संख्या 256.55 मिलियन है।

(ग) और (घ) मौजूदा मासिक वृद्धि को देखते हुए 2010 तक 500 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) 31 अक्तूबर 2007 की स्थिति के अनुसार समग्र टेलीघनत्व 22.52% है।

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों की वर्ष-वार एवं राज्य-वार टेलीघनत्व संबंधी प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व की वर्ष-वार एवं राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	31.0.3.2005 की स्थिति के अनुसार	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार #	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार*	30.09.2007 की स्थिति के अनुसार
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.07	8.80	14.17	13.45
2.	आंध्र प्रदेश	2.39	2.34	6.84	8.50
3.	असम	0.63	0.73	2.36	2.61
4.	बिहार	0.57	0.66	2.05	2.45
5.	छत्तीसगढ़	0.54	0.51	0.99	1.08
6.	गुजरात	2.63	2.69	10.43	13.17
7.	हरियाणा	2.80	3.10	10.74	13.64
8.	हिमाचल प्रदेश	6.79	7.25	22.30	26.90
9.	जम्मू-कश्मीर	0.76	0.85	5.08	6.29
10.	झारखंड	0.50	0.58	1.08	1.07
11.	कर्नाटक	2.49	2.63	7.46	9.30
12.	केरल	9.74	10.65	21.11	22.71
13.	मध्य प्रदेश	0.66	0.79	3.28	3.69
14.	महाराष्ट (-) मुंबई	2.56	2.80	7.16	9.58
15.	उत्तर-पूर्व-I	1.22	1.29	4.63	5.38
16.	उत्तर-पूर्व-II	1.20	1.26	2.89	2.80
17.	उड़ीसा	1.04	1.16	4.20	5.48
18.	पंजाब	5.33	5.29	16.16	17.98
19.	राजस्थान	1.44	1.67	6.75	9.37
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नई	2.79	2.99	9.65	12.82
21.	उत्तराखंड	1.63	1.84	4.36	4.58
22.	उत्तर प्रदेश	0.52	0.55	3.10	4.29
23.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	1.04	1.13	4.69	5.63
24.	कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	मुंबई	0.00	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारतीय कुल	1.73	1.86	5.88	7.30

टिप्पणी : * फरवरी, 2007 तक, स्थिर टेलीफोन लाइन + डब्ल्यूएलएल को ग्रामीण टेलीघनत्व की गणना में शामिल किया गया क्योंकि ग्रामीण मोबाइल उपभोक्ताओं संबंधी पृथक आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। मार्च, 2007 से मोबाइल टेलीफोन + स्थिर लाइन + डब्ल्यूएलएल को ग्रामीण टेलीघनत्व की गणना में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि इसमें 31 मार्च, 2007 तथा इससे आगे की स्थिति के अनुसार अकस्मात वृद्धि हुई है।

वर्ष 2006 में कुछ राज्यों का ग्रामीण टेलीघनत्व काफी कम हुआ है जो कि इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर लाइनों में कमी होने की वजह से है। फरवरी, 2007 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण टेलीघनत्व में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या को शामिल नहीं किया गया है।

मुल्ला पेरियार बांध

1359. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण हल के लिए तमिलनाडु तथा केरल सरकार के साथ हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो परिणाम का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थित क्या है; और

(घ) दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे के हल के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार ने 31.3.2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय में 2006 याचिका सं. 3-तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य एवं संघ सरकार के माध्यम से प्रार्थना की है-

(i) केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 को मुल्ला पेरियार बांध पर इसके अनुप्रयोग एवं प्रभाव के संबंध में असंवैधानिक घोषित करना।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27 फरवरी, 2006 के निर्णय के अनुसार तमिलनाडु को 142 फीट तक जल स्तर में वृद्धि करने और मरम्मत कार्य करने की कार्रवाई को लागू अथवा रोकते हुए केरल को अपेक्षित कानून को लागू करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री पास करना।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25.9.2006 को एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार "दोनों राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अथवा संघ सरकार के हस्तक्षेप द्वारा यदि संभव हो, विवाद का निपटारा करने का प्रयास करें"। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन) ने दिनांक 29.11.2006 को मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे पर तमिलनाडु एवं केरल राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक अन्तर्राज्यीय बैठक बुलाई तथा दिनांक 18.12.2006 को दोनों राज्यों के संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाई। इन बैठकों में दोनों राज्यों को स्वीकार्य कोई हल नहीं निकाला।

थ्री-जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी

1360. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार थ्री-जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भी थ्री-जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामियों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) थ्री-जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के मुद्दे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने 3जी सेवाओं के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है, जिसके तहत 3जी लाइसेंस नियंत्रित, समकालिक आरोही ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जायेंगे ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भी अन्य के साथ-साथ, 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामो की सिफारिश की है।

घरेलू तकनीक वस्त्र क्षेत्र

1361. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू तकनीक वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में जिन वस्त्र क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अवसंरचना सहायता दी जानी है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना से ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान रोजगार के अवसरों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुमान लगाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। तकनीकी वस्त्र संबंधी विशेषज्ञ समिति (ईसीटीटी) की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 48.00 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान से 'तकनीकी वस्त्र विकास योजना' (एसजीडीटीटी) के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। इस योजना के तीन संघटक हैं: (i) बेसलाइन सर्वेक्षण करना, (ii) 4 (चार) उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना, एग्रोटेक, बिल्डटैक, जियोटैक और मैडीटेक प्रत्येक के लिए एक, और (iii) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(घ) और (ङ) रोजगार सृजन का आकलन केवल योजना के कार्यान्वयन के बाद ही किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे श्रम कल्याण उपाय

1362. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी श्रम कल्याण उपायों के लागू न होने के कारण कठिनाई और प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आईटी क्षेत्र में श्रम कल्याण उपाय लागू करने को सुनिश्चित करने तथा उसे विनियमित करने हेतु निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों की कठिनाइयों और उनके उत्पीड़न के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य सरकार को की जाती है क्योंकि श्रम कानूनों के तहत वही "समुचित सरकार" है तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन से निपटने की विधिक शक्ति उसी में निहित है। इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर मामला समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

(ख) और (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 31.10.2005 को सूचना प्रौद्योगिकी चालित क्षेत्र, जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अंग है, के श्रमिकों के बारे में लिखा कि श्रम कानूनों के तहत राज्य सरकारों "समुचित सरकार" है और श्रम कानूनों के उल्लंघन से निपटने की शक्ति उन्हीं में निहित है।

नाइजीरिया के साथ रक्षा समझौता

1363. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नाइजीरिया के साथ किसी नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रक्षा समझौते से दोनों देशों को कितना लाभ होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) नाइजीरिया संघीय गणतंत्र के साथ रक्षा सहयोग से संबंधित एक समझौता-ज्ञापन पर 15 अक्टूबर 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। इससे दोनों देशों के आपसी हित के लिए अनुभव तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा सहयोग सुकर बनेगा। यह समझौता-ज्ञापन जिसमें सैन्य प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किए जाने के प्रावधान निहित है, आपसी हित के लिए रक्षा सहयोग के अन्य क्षेत्रों में रक्षा से जुड़ी एजेंसियों, संस्थाओं और उद्योगों के बीच संपर्क और सहयोग, कार्मिकों की यात्राओं, पोतों, वायुयानों, संयुक्त अभ्यास एवं प्रशिक्षण के आदान-प्रदान को सुकर बनाता है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में रिक्त पद

1364. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान श्रम न्यायालयों में विशेषकर देश के जन जातीय क्षेत्रों में पीठासीन अधिकारियों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार राज्यवार इन पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु समुचित सरकार श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। देश के विभिन्न भागों में 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्यों के श्रम न्यायालयों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थिति का निर्णय मुख्यत: केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति के आधार लिया जाता है। वर्तमान में 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में से, निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के 7 पद रिक्त हैं:

1. अहमदाबाद
2. जयपुर
3. हैदराबाद
4. नई दिल्ली-1
5. धनबाद-1
6. मुम्बई-1
7. चंडीगढ़-1

पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है जो कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता

1365. **श्री सुभाष महरिया:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को विशेषकर राजस्थान को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्र से प्रायोजित योजना दिसम्बर, 2004 में शिक्षण के माध्यमिक चरण में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के लिए साझेदारी के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए शुरू की गई। वर्ष 2007-08 में राज्यों को जारी किया गया अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक राजस्थान का संबंध है, वर्ष 2007-08 में 2500 स्कूलों में कार्यान्वयन के लिए परियोजना की लागत की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधान की राज्य सरकार से पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी।

(ख) से (घ) यह कार्यक्रम आरंभिक अवस्था में है क्योंकि अधिकांश अनुमोदन वर्ष 2007-08 में दिए गए हैं। इसके वास्तविक प्रचालन एवं प्रभाव का मूल्यांकन आगामी वर्षों में ही किया जा सकता है।

विवरण

स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान पीएम एवं ईजी द्वारा अनुमोदित स्कूल एवं राशि

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट में किया गया प्रावधान	बूट मॉडल के अंतर्गत पीएम एवं ईजी द्वारा अनुमोदित स्कूल एवं राशि (क)					पूर्ण क्रय मॉडल के अंतर्गत पीएम एवं ईजी द्वारा अनुमोदित स्कूल एवं राशि (ख)				
			स्कूल	राशि	अंश		जारी की गई राशि	स्कूल	राशि	अंश		जारी की गई राशि
					केन्द्र	राज्य				केन्द्र	राज्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	गैर एनईआर राज्य											
1.	आन्ध्र प्रदेश	1405.00	5000	10000.00	7500.00	2500.00	3750.00	–	–	–	–	–
2.	बिहार	–	1000	1333.33	1000.00	333.33	–	–	–	–	–	–
3.	छत्तीसगढ़	300.00	–	–	–	–	–	200	1340.00	1000.00	340.00	–
4.	गोवा	600.00	432	576.00	432.00	144.00	–	–	–	–	–	
5.	गुजरात	–	1150	1533.33	1150.00	383.33	247.15	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	हरियाणा	1360.00	–	–	–	–	–	500	3350.00	2500.00	850.00	1250.00
7.	हिमाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–				
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	200	1340.00	1206.00	134.00	–
9.	झारखण्ड	1200.00	1074	1432.00	1074.00	358.00	1074.00	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	4700.00	1571	4189.33	3142.00	1047.33	3142.00	–	–	–	–	–
		1000.00	708	1808.00	1416.00	472.00	–	–	–	–	–	–
11.	केरल	–	1016	1354.66	1016.00	338.66	–	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	1200.00	–	–	–	–	–	320	2144.00	1600.00	544.00	7.50
13.	महाराष्ट्र	–	500	666.66	500	166.66	–	–	–	–	–	–
14.	उड़ीसा	–	1500	2010.00	1500.00	510.00	–	–	–	–	–	–
15.	पंजाब*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	राजस्थान	1000.00	2500	3333.3	2500.00	833.33	–	–	–	–	–	–
17.	तमिलनाडु	2680.00	–	–	–	–	–	400	2680.00	2000.00	680.00	1312.50
18.	उत्तराखंड	200.00	–	–	–	–	–	100	670.00	603.00	67.00	377.25
19.	उत्तर प्रदेश	6700.00	2500	5000.00	3750.00	1250.00	3115.47	–	–	–	–	–
20.	पश्चिम बंगाल	400.00	–	–	–	–	–	343	2298.10	1715.00	583.10	964.33
	कुल	22745.00	18951	33316.64	24980.00	8336.97	11328.62	2063	13822.10	10624.00	3198.10	3911.56
	एनईआर राज्य											
21.	अरूणाचल प्रदेश	50.00	–	–	–	–	–	35	234.50	211.05	23.45	–
22.	असम	1000.00	641	1445.81	1301.23	144.58	–	–	–	–	–	–
23.	मणिपुर	42.50	–	–	–	–	–	65	435.50	391.95	43.55	–
24.	मेघालय	50.00	–	–	–	–	–	75	502.50	452.25	50.25	–
25.	मिजोरम	सीईपी अस्थगित										
26.	नागालैण्ड	1340.00	–	–	–	–	–	284	1902.80	1712.52	190.28	443.20
27.	सिक्किम	500.00	–	–	–	–	–	2	13.40	12.06	1.34	–
28.	त्रिपुरा	–	400	902.22	812.00	90.22	–	–	–	–	–	–
	कुल	2982.50	1041	2348.03	2113.23	234.80	-	461	3088.70	2779.83	308.87	443.20
	विधायिका सहित संघ शासित क्षेत्र											
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	53	355.10	265.00	90.10	–
30.	पांडिचेरी	–	169	225.33	169.00	56.33	–	–	–	–	–	–
	कुल	–	169	225.33	169.00	56.33	–	53	355.10	265.00	90.10	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	विधायिका के बिना संघ शासित क्षेत्र											
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	67	448.90	335	113.90	–
33.	दादरा और नगर हवेली	10.20	–	–	–	–	–	6	40.20	30.00	10.20	–
34.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	22	147.40	110.00	37.40	–
35.	लक्षद्वीप*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	10.20	–	–	–	–	–	95	636.50	475.00	161.50	–
	कुल योग	25737.70	20161	35890.00	27262.23	8628.10	11445.22	2672	17902.40	14143.83	3758.57	4354.78

कुल स्कूल (क+ख) : 22833

पीएम एवं ईजी द्वारा अनुमोदित कुल राशि (क+ख) : 53792.40

जारी की गई कुल राशि (क+ख) : 15683.40

*सीईपी पर अभी विचार किया जाना है

संस्थान का नाम	पीएम एवं ईजी द्वारा अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि
एसआईईटी, तिरुवनन्तपुरम, केरल	103.00	51.50
एसआईईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	73.50	3675
एसआईईटी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	58.00	
निम्नलिखित एसआईईटी को भी चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान धनराशि जारी की गई		
एसआईईटी, पुणे, महाराष्ट्र		113.09
एसआईईटी, तिरुवनन्तपुरम, केरल		100.00
एसआईईटी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश		45.00
आईसीटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान जारी की गई कुल राशि		16029.74 रुपए

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

1366. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी कामगारों के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम और ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् राज्य-वार और योजना-वार इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली है कि बीड़ी कामगारों को इनका पूरा लाभ मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश के 9 क्षेत्रों के कल्याण आयुक्त बीड़ी श्रमिकों संबंधी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु उत्तरदायी हैं। इन क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन बीड़ी श्रमिक बहुल इलाकों में स्थित श्रम कल्याण संगठनों के विभिन्न औषधालयों द्वारा किया जाता है। साथ ही, केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार समिति और विभिन्न राज्यों में राज्य सलाहकार समितियों का गठन निधि के अनुप्रयोग संबंधी मामलों सहित बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रशासन से उत्पन्न मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजनाओं के नाम और ब्यौरे

क्र.सं.	योजनाओं के नाम और ब्यौरे
1	2
I.	**कैंसर उपचार योजना** मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल में बीड़ी श्रमिक या उसके आश्रित के कैंसर उपचार संबंधी दवाओं पर हुए वास्तविक व्यय और आहार प्रभारों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित होने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
II.	**हृदय रोग पीड़ित श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति योजना** वित्तीय सहायता वास्तविक व्यय या 1.30 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित।
III.	**गुर्दा प्रत्यारोपण और संबंध उपचार हेतु श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति योजना** उपचार प्रभार के रूप में वास्तविक लागत या 2 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अनधिक की वित्तीय सहायता।
IV.	**हार्निया, अल्सर, अपेंडेक्टोमी, पैरेंटल और स्त्री रोगों जैसी छोटी बीमारियों के उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति** वास्तविक व्यय या 30,000/- रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
V.	**महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ योजना** महिला बीड़ी श्रमिकों को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रति प्रसव 1000/- रुपये की वित्तीय सहायता।
VI.	**श्रमिक/श्रमिक के जीवन साथी को बंध्याकरण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति भुगतान योजना** प्रति व्यक्ति 500/- रुपये की दर से आर्थिक प्रोत्साहन जो अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए आर्थिक प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है।
VII.	**तपेदिक पीड़ित श्रमिक के घरेलू उपचार की योजना** दवाओं की लागत के मद में प्रति श्रमिक प्रतिमाह 50/- रुपये तक के उपचार प्रभार की प्रतिपूर्ति।
VIII.	**चश्मों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता** फ्रेम और शीशे की लागत के तौर पर 300/- रुपये तक की या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता।
IX.	**बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (बीमा)** मृतक श्रमिक परिवार को, सहज मृत्यु के मामले में 10,000/- रुपये और दुर्घटना जनित मृत्यु के मामले में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता।
X.	**बीड़ी श्रमिक की विधवा/उसके विधुर तथा विधवा/विधुर बीड़ी श्रमिक को उनकी पुत्रियों के विवाह व्यय के तौर पर 5000 रुपये की वित्तीय सहायता योजना** बीड़ी श्रमिक की विधवा/उसके विधुर तथा विधवा/विधुर बीड़ी श्रमिक को उनकी पुत्रियों के विवाह व्यय के तौर पर 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
XI.	**बीड़ी श्रमिकों के अंतिम संस्कार के लिए 1500/- रुपये की वित्तीय सहायता योजना** मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्यों को 1500/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
XII.	**शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान** बीड़ी श्रमिको के कक्षा-I से पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत बच्चों के लिए प्रति संतान प्रतिवर्ष 250/- रुपये से 8000/- रुपये तक की शैक्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
XIII.	**टेलीविजन की आपूर्ति** समूह आवास योजना के सामुदायिक भवन में रंगीन टेलिविजन के लिए अधिकतम 10000/- रुपये और श्याम-श्वेत टेलीविजन के लिए 4000/- रुपये की राशि दी जाती है।
XIV.	**बीड़ी श्रमिकों आदि के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना** प्रति मकान प्रति श्रमिक 40000/- रुपये की केन्द्रीय सहायता आवास निर्माण हेतु दी जाती है।

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत आबंटित, जारी और प्रयुक्त निधि

(हजार रुपये में)

क्षेत्र	योजना	2004-45		2005-06		2006-07	
		आबंटित और जारी बजट	व्यय	आबंटित और जारी बजट	व्यय	आबंटित और जारी बजट	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
अजमेर	स्वास्थ्य	15045	14799	17827	17782	18533	18512
	मनोरंजन	394	350	455	433	420	415
	आवास	0	0	524	524	6174	6173
इलाहाबाद	स्वास्थ्य	27083	24618	25253	23597	30352	29859
	शिक्षा	11750	11722	15800	15774	14600	14600
	मनोरंजन	0	0	0	0	0	0
	आवास	2452	2450	1601	1589	1100	1092
बंगलौर	स्वास्थ्य	55446	55315	54278	53599	52450	52442
	शिक्षा	82000	81999	86000	85999	85800	85800
	मनोरंजन	0	0	0	0	0	0
	आवास	30648	30646	14625	14623	10857	10856
भुवनेश्वर	स्वास्थ्य	22927	23537	23889	22085	25658	25434
	शिक्षा	16800	16774	20300	20270	7400	7383
	मनोरंजन	600	600	309	305	340	339
	आवास	33700	33700	40000	40000	10000	10000
हैदराबाद	स्वास्थ्य	68022	68055	64832	64761	57579	56103
	शिक्षा	143828	143750	150800	150623	140300	140288
	मनोरंजन	0	0	0	0	0	0
	आवास	11600	3202	22636	2636	3972	3972

1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	स्वास्थ्य	52080	50702	48446	47496	48423	47934
	शिक्षा	30550	30530	29550	29869	29750	29748
	मनोरंजन	0	0	0	0	0	0
	आवास	2200	2196	3000	2998	9000	8999
कर्मा	स्वास्थ्य	44295	43548	41703	39655	35183	33218
	शिक्षा	12452	12434	13509	13493	13015	12997
	मनोरंजन	305	154	225	174	215	184
	आवास	1000	998	600	331	0	0
कोलकाता	स्वास्थ्य	31611	30342	44622	43409	42053	40909
	शिक्षा	45223	45223	50200	50144	55655	55636
	मनोरंजन	300	128	130	125	150	147
	आवास	10000	9987	11939	11928	4957	4957
नागपुर	स्वास्थ्य	25015	24967	20889	20842	23003	22999
	शिक्षा	52225	52227	43025	43022	56025	55023
	मनोरंजन	30	30	25	25	25	24
	आवास	30000	38378	56122	34900	21145	21145

सूती धागे की मांग और इसका उत्पादन

1367. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् देश में राज्य-वार सूती धागे की कितनी मांग थी और इसकी कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है, एवं उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सूती धागों के मूल्यों में वृद्धि के कारण बुनकरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बुनकरों को राजसहायता प्राप्त दरों पर सूती धागा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉटन यार्न की कुल मांग 2004-05 में 1826.69 मिलियन कि.ग्रा. 2005-06 में 1973.4 मिलियन कि.ग्रा. और 2006-07 में 2215.36 मिलियन कि.

ग्रा. थी। कॉटन यार्न का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल्य-वार उत्पादन आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि कॉटन यार्न के मूल्य में गुणवत्ता और मौसमी मांग के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉटन हैंक यार्न और कोन यार्न के तिमाही गुणवत्ता-वार मूल्यों में संतुलित परिवर्तन दिखाई देता रहा है।

(ग) हैंक यार्न संबंधी हैंक यार्न दायित्व योजना, मिल गेट मूल्य योजना और सेनवेट की प्रतिपूर्ति योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार बुनकरों को उचित मूल्य पर हैंक यार्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

विवरण

कॉटन यार्न का राज्यवार उत्पादन

(000 कि.ग्रा.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कॉटन यार्न उत्पादन		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	100301	104844	116941
असम	87	95	81
गुजरात	179235	178963	185132
हरियाणा	88308	100067	108075
हिमाचल प्रदेश	43515	51992	71867
जम्मू व कश्मीर	1339	5209	5470
झारखंड	1134	1391	1428
कर्नाटक	70589	73022	72781
केरल	26537	30804	31937
मध्य प्रदेश	104611	112553	124258
महाराष्ट्र	218363	233459	266346
उड़ीसा	2002	3690	2459
पंजाब	233809	280295	344317
राजस्थान	74184	90529	96801
तमिलनाडु	1029375	1148608	1276572
उत्तरांचल	217	2793	16686
उत्तर प्रदेश	43745	51009	50532
पश्चिम बंगाल	13428	14211	14415
संघ शासित प्रदेश			
दादरा और नगर हवेली	28810	26775	29208
दमन व दीव	317	376	380
पांडिचेरी	12352	10189	7903
कुल	2272258	2520874	2823589

बाल मजदूरों के लिए आवासीय विद्यालय

1368. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल मजदूरों के पुनर्वास और उन्हें शिक्षित करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में राज्य-वार ऐसे कितने विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे विद्यालयों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रवासी बाल श्रमिकों के लिए महानगरों और बड़े शहरों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। तथापि यह आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) की मौजूदा योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओ का

कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, ग्यारहवीं योजना के अनुमोदन के पश्चात आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव माँगे जाएंगे।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

1369. **श्री मदन लाल शर्मा:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास का उत्पादन करने वाले देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन काफी कम है;

(ख) यदि हां तो भारत में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या देश में कपास का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से काफी कम है; और

(ङ) यदि हां, तो कपास उगाने वाले किसानों को कपास की उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) निम्नलिखित सारणी 2006 में भारत के साथ-साथ अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों में कपास लिन्ट पैदावार (प्रति हैक्टेयर उत्पादन) तथा उत्पादन प्रस्तुत करती है:

देश	कपास लिन्ट की पैदावार (कि.ग्रा. / हैक्टेयर)	कपास लिन्ट का उत्पादन (लाख टन)
भारत	400	35.64
चीन	1243	67.30
संयुक्त राज्य अमरीका	805	44.98
पाकिस्तान	705	21.87
ब्राजील	958	12.10
उजेबेकिस्तान	795	11.71

स्रोत: 22.11.2007 को देखी गई खाद्य एवं कृषि संगठन की वेबसाइट

भारत में कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों से बहुत कम है जबकि 2006 में भारत का कपास के उत्पादन में तीसरा स्थान था।

कपास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन कपास बीजों की बढ़ती हुई उपलब्धता, हाइब्रिड के अंतर्गत और अधिक समाश्रित क्षेत्र, क्षेत्र विशेष प्रौद्योगिकी विकास हेतु दबाव, एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रसार, सिंचाई जल के कुशलतापूर्वक प्रयोग में वृद्धि, किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु क्षेत्र प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण पर बल देकर कपास की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 2000-01 से देश के कपास उत्पादक राज्यों में कार्यान्वयन में है।

केन्द्रीय कपास अनुसंधान केन्द्र तथा अखिल भारतीय समन्वयित कपास सुधार परियोजना केन्द्र देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु उच्च पैदावार वाली किस्मों/हाइब्रीड का विकास कर रहे हैं। ये संगठन कपास उगाने वो किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हेतु बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा पुन: गुणनवृद्धि हेतु किस्मों की ब्रीडर बीज तथा हाइब्रिड की पैरन्टललाइन्स भी उत्पादित करते हैं।

चावल निर्यात नीति

1370. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल निर्यात नीति में हाल ही में संशोधन किया गया है:

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतएं क्या हैं;

(ग) निर्यात किए जाने वाले चावल में कितने प्रतिशत टूटे हुए चावल की मात्रा की अनुमति है; और

(घ) भारतीय चावल को निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 की अपनी अधिसूचना सं. 38 (आरई-2007)/2004-2009 के द्वारा 9 अक्टूबर, 2007 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है।

बाद में डीजीएफटी में दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की अपनी अन्य अधिसूचना सं. 45 (आरई-2007)/2004-2009 के द्वारा यह निर्धारित किया है कि इस अधिसूचना द्वारा लगाई गई रोक गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लागू नहीं होगी यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमईपी) 425 अमरीकी डालर प्रति टन एफओबी से अधिक है।

बासमती चावल के निर्यात के लिए नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ग) चावल के निर्यात में टूटे हुए चावल के प्रतिशत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि चावल के निर्यात में टूटे हुए चावल का प्रतिशत आयातकों की आवश्यकता पर निर्भर है।

(घ) चावल उद्योग वैश्विक बाजार की गुणवत्ता की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी मिलों का उन्नयन कर रहा है। वे विभिन्न प्रणालियां भी क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने चावल की उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। इस प्रयासों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक नई स्कीम शुरू करना, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और विपणन अवसंरचना का विकास आदि शामिल है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1371. **श्री विजय कृष्ण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात से उपकर हटाने तथा उन्हें विश्व बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्णयों से कृषि आय में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार ने "कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940" और "उत्पाद उपकर अधिनियम 1966" को निरस्त करने का निर्णय लिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि ने कृषि आय बढ़ाने में मदद की है। निर्यात पर उपकर लगाने से कृषि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है।

वाटर ऑडिट

1372. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों, होटलों तथा आवास समितियों में वाटर ऑडिट शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की विशेषताएं क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। अत: जल प्रबंधन, संरक्षण एवं वॉटर आडिंटिग सहित जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना तथा डिजाइनिंग, कार्यान्वयन तथा प्रचालन और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों पर है।

[हिन्दी]

फसल सुधार तथा प्रबंधन

1373. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा फसल सुधार तथा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) प्रमुख फसलों जैसे खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, गन्ना तथा कपास के संबंध में किए गए प्रयासों का वर्ष-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई; और

(घ) इस संबंध में भविष्य में तैयार की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) खाद्यान्न, दलहन, गन्ना और कपास

का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है:

(1) कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II

(2) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपोम)

(3) गेहूं/चावल/मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-गेहूं, आईसीडीपी-चावल, आईसीडीपी-मोटे अनाज) तथा गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का संधारणीय विकास (एसयूबीएसीएस) मिलाकर बृहत् कृषि प्रबंधन पद्धति।

इस स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे बीजों, कृषि उपकरणों, जल बचत साधनों, समेकित कृमि प्रबंधन, किसानों और विस्तार कामगारों के प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के जरिए फसल उत्पादन तथा पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों अर्थात कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II, आईसोपोम और आईसीडीपी-गेहूं, आईसीडीपी-चावल तथा आईसीडीपी-मोटे अनाज और एसयूबीएसीएस की स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमों के साथ समग्र रूप में बृहत कृषि प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत राज्यवार आबंटन और व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त के अलावा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (एनएफएसएम) शुरू की हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तीन घटक है, अर्थात एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन। यह स्कीम रबी 2007-08 से लागू हो गई है। यह देश के 16 राज्यों के 305 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। एनएफएसएम-चावल 12 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 133 जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं एनएफएसएम-गेहूं 9 राज्यों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के 138 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। एनएफएसएम-दलहन 14 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 168 अभिज्ञात जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। एनएफएसएम के अंतर्गत सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है-उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकरों के गुणवत्ताप्रद बीजों का वितरण, नव निर्मुक्त किस्मों का लोकप्रियकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम, जीरो टिलेज, रोटावेटर्स, बीडर्स और अन्य फार्म उपकरणों के लिए समर्थन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, वाटर लिफ्टिंग और नमी बचत साधनों, सर्वोत्तम कार्य निष्पादन करने वाले जिलों के लिए पुरस्कारों सहित प्रशिक्षण और मास मीडिया अभियान आदि।

विवरण

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक राज्यवार आबंटन तथा व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	आबंटन	7766.62	8340.00	10072.00
		व्यय	8131.27	8003.75	11089.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	आबंटन	500.00	1420.00	2200.00
		व्यय	716.00	1880.69	2126.55
3.	असम	आबंटन	808.00	1735.00	2030.00
		व्यय	834.94	928.28	0.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	आबंटन	2090.00	1945.00	2555.00
		व्यय	1717.45	1264.06	2611.92
5.	झारखण्ड	आबंटन	1400.00	1300.00	1660.00
		व्यय	1116.19	1874.02	0.00
6.	गोवा	आबंटन	220.00	216.00	263.00
		व्यय	265.87	290.52	421.09
7.	गुजरात	आबंटन	4933.00	4800.00	4985.00
		व्यय	6371.02	6275.99	8297.95
8.	हरियाणा	आबंटन	2384.00	2314.00	2751.00
		व्यय	2354.50	2298.70	3385.52
9.	हिमाचल प्रदेश	आबंटन	1640.00	1675.15	2115.00
		व्यय	1521.54	1761.00	2713.28
10.	जम्मू-कश्मीर	आबंटन	1770.00	3142.50	4000.00
		व्यय	2245.23	2762.82	0.00
11.	कर्नाटक	आबंटन	8341.03	7000.00	9250.00
		व्यय	8453.23	10679.41	8787.24
12.	केरल	आबंटन	2910.00	2407.50	3075.50
		व्यय	3541.81	3605.37	3463.54
13.	मध्य प्रदेश	आबंटन	8032.59	6700.00	9180.00
		व्यय	7111.31	6875.04	7621.49
14.	छत्तीसगढ़	आबंटन	2425.00	2200.00	2975.00
		व्यय	3044.62	4551.20	3223.03
15.	महाराष्ट्र	आबंटन	10024.79	10375.30	10655.00
		व्यय	17915.97	12960.92	15177.04
16.	मणिपुर	आबंटन	700.00	1600.00	2200.00
		व्यय	758.10	2039.25	2200.00
17.	मिजोरम	आबंटन	807.00	1890.00	2680.00
		व्यय	1784.00	1080.00	652.57

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	आबंटन	900.00	1600.00	1800.00
		व्यय	575.95	1233.55	991.96
19.	नागालैण्ड	आबंटन	900.00	1800.00	2500.00
		व्यय	1412.50	1800.00	1893.50
20.	उड़ीसा	आबंटन	2835.00	2578.00	3200.00
		व्यय	5137.52	2606.94	2131.11
21.	पंजाब	आबंटन	1606.00	1188.50	10.00
		व्यय	26.96	1609.06	1516.41
22.	राजस्थान	आबंटन	9519.21	9140.00	10904.50
		व्यय	10396.66	11302.97	5307.40
23.	सिक्किम	आबंटन	600.00	1422.00	1900.00
		व्यय	833.28	1372.94	1823.57
24.	तमिलनाडु	आबंटन	5629.41	5195.00	6180.00
		व्यय	5163.55	6070.14	8162.72
25	त्रिपुरा	आबंटन	835.00	1770.00	2240.00
		व्यय	789.26	1920.39	1860.75
26.	उत्तर प्रदेश	आबंटन	7865.00	6930.00	8595.00
		व्यय	9032.24	7435.75	8285.11
27.	उत्तरांचल	आबंटन	1600.00	1700.00	2170.00
		व्यय	2114.82	1944.77	2878.70
28.	पश्चिम बंगाल	आबंटन	2710.00	3025.00	3944.50
		व्यय	2855.55	3907.30	3320.52
29.	दिल्ली	आबंटन	100.00	50.00	0.00
		व्यय	15.82	19.62	0.00
30.	पांडिचेरी	आबंटन	100.00	100.00	0.00
		व्यय	56.27	23.42	7.25
31.	अं. और नि. द्वीपसमूह	आबंटन	100.00	280.00	28.00
		व्यय	0.00	33.32	12.50

1	2	3	4	5	6
32.	चण्डीगढ़	आबंटन	25.00	0.00	0.00
		व्यय	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और न. हवेली	आबंटन	50.00	20.00	10.00
		व्यय	0.00	4.85	0.00
34	दमन और दीव	आबंटन	25.00	0.00	0.00
		व्यय	0.00	0.00	3.13
35.	लक्षद्वीप	आबंटन	100.00	200.00	25.00
		व्यय	50.00	23.25	11.46

औषधीय पौधे

1374. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि देश के कौन-कौन से राज्यों और क्षेत्रों में औषधीय पौधों की उत्कृष्ट किस्म का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में सरकार का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं का पुनरूज्जीवन प्रतिष्ठान (एफआरएलएचटी), बंगलौर के जरिए औषधीय पौधों की मांग और आपूर्ति के आकलन के लिए अध्ययन किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(i) राज्य नामत: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा, उत्तरांचल, मणिपुर के वन अधिक मात्रा में औषधीय पौधों का कच्चा माल प्रदान करते हैं।

(ii) औषधीय पौधों (जंगली/कृष्ट) की व्यापक रूप से व्याप्त 117 प्रजातियों की कुल खपत 1,41,337 एमटी आकलित की गई है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना में संशोधन

1375. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
डा. एम. जगन्नाथ:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सुरेश अंगडि:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के संबंध में सचिव स्तर की समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या है;

(ङ) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी राजसहायता में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के बारे में सचिव स्तरीय समिति की कोई सिफारिश नहीं थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) टीयूएफएस का उद्देश्य भारतीय वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना है। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) इस योजना का अनुमोदन कर दिया गया है।

(च) संशाधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में, सरकार ने परिधान और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों के लिए बढ़ी हुई पूंजीगत सब्सिडी का अनुमोदन कर दिया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की प्रमुख विशेषताएं

(i) स्पिनिंग मशीनरी पर ब्याज प्रतिपूर्ति की दर को घटाकर 4% कर दिया है। इस योजना के तहत आने वाले शेष सभी उप क्षेत्रों को 5% की दर से सहायता जारी रहेगी।

(ii) योजना के तहत विदेशी मुद्रा विनियम दर के 5% तक के उतार-चढ़ाव को कवर करना जारी रहेगा। तथापि, स्पिनिंग मशीनरी के लिए कवरेज 4% होगा।

(iii) इस योजना में विद्युतकरघा इकाइयों को 100 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 20 लाख रु. की अधिकतम पूंजी सब्सिडी तक टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 15% मार्जिन मनी सब्सिडी अब दिया जाएगा। लाभग्राहियों से न्यूनतम 15% इक्विटी अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) इस योजना में वस्त्र लघु उद्योग और पटसन क्षेत्र को 100 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 15 लाख रु. की अधिकतम पूंजी सब्सिडी तक टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 15% मार्जिन मनी सब्सिडी अब दिया जाएगा। लाभग्राहियों से न्यूनतम 15% इक्विटी अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) योजना में, विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए 10% पूंजी सब्सिडी जमा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जारी रहेगी।

(vi) योजना में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी, तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीनरी और परिधान मशीनरियों के लिए 10% पूंजी सब्सिडी जमा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vii) इस योजना के तहत करों पर सब्सिडी न देने के निर्णय के मद्देनजर आंकलन के लिए कर संघटक को छोड़कर मशीनरी के आधारगत मूल्य पर ब्याज सब्सिडी/पंजी सब्सिडी/मार्जिन मनी सब्सिडी अब दी जाएगी।

(viii) इस योजना में करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रचालनों, हथकरघा उत्पादन एककों के लिए हथकरघा/हथकरघों के उन्नयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों के वास्ते नई मशीनरी एवं उपस्कर की खरीद पर 25% पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।

(ix) योजना के तहत 8 लाख रु. की लागत वाली और 10 वर्ष पुरानी मशीन एवं न्यूनतम 10 वर्ष की शेष आयु वाले स्वचलित करघों को छोड़कर किसी भी लाभ के लिए आयातित पुरानी मशीनरी की समग्र श्रेणी को अब अपात्र माना गया है।

(x) ऊर्जा बचत उपकरण, निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र, इन हाउस आरएंडडी, ईआरपी सहित सूचना प्रौद्योगिकी, आईएसओ/बीआईएस मानकों की पालना सहित टीक्यूएम, सीपीपी आदि जैसे अन्य निवेश योजना के तहत मशीनरी लागत का अब केवल 25% तक वित्तीय सीमा तक लाभ पाने के पात्र होंगे।

(xi) भूमि, फैक्ट्री भवन, प्रचालन पूर्व व्ययों और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी जैसे निवेश अब वर्तमान 50% अर्थात मशीनरी और उपस्कर की लागत का 50% सीमा वाली अपैरल क्षेत्र और हथकरघा को छोड़कर योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लाभ के लिए अब पात्र नहीं होंगे।

(xii) 01.4.1999 और 31.03.2007 के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों पर उस समय मौजूद मानदंड एवं दिशा निर्देश लागू होंगे।

सैन्य परिवहन वायुयान

1376. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैन्य परिवहन वायुयान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी खरीद का स्रोत क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार वायुसेना के लिए सी-130जे परिवहन विमान खरीदने के लिए एक प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रही है। इसकी खरीद के लिए अभी तक कोई संविदा नहीं की गई है। भारत और रूस द्वारा एक मझोले परिवहन विमान का संयुक्त रूप से विकास करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का कार्यकरण

1377. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ चल रहे हैं;

(ख) क्या उक्त बूथ सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद किए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का सही तथा संतोषजनक कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों [सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों (पीसीओ)] के आंकडों का रखरखाव ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों को छोड़कर सर्किल-वार किया जाता है न कि राज्यवार। दिनांक 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार सभी सर्किलों में कार्यरत पीसीओ की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सामान्यत: ये पीसओ समुचित ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कभी-कभी कुछ पीसीओ कुछ नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे अन्य एजेन्सियों द्वारा सड़कों की खुदाई तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूमिगत केबलों को होने वाली क्षति के चलते लम्बी अवधि तक दोषपूर्ण रहते हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए पीसीओ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पीसीओ बन्द किए जाने के अनेक कारण हैं। कुछ कारण इस प्रकार हैं, (i) फ्रैंचाइजी कोई अन्य रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, (ii) फ्रैंचाइजी कुछ अन्य शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, (iii) फ्रैंचाइजी की मृत्यु, (iv) भुगतान नहीं किए जाने के कारण बन्द किया जाना, (v) अन्य प्रचालकों को अपना लेना, (vi) एसटीडी/आईएसडी प्रशुल्क में कटौती, आदि।

(ङ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पीसीओ के समुचित तथा संतोषजनक संचालन के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा किए गए उपायों में, चोरी हो जाने पर नए सीसीबी पीसीओ उपकरणों की संस्थापना करना, क्षतिग्रस्त हो जाने पर बदलना, उपकरण खराब होने के मामले में मरम्मत में प्राथमिकता, केबल में खराबी की स्थिति में केबल की शीघ्र मरम्मत करना, खंभारहित नेटवर्क (तार गिरने संबंधी दोष को कम करने हेतु) का सृजन करना, समय-समय पर जांच करना, आदि शामिल हैं।

विवरण

बीएसएनएल/एमटीएनएल में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को छोड़कर पीसीओ की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा बन्द किए गए पीसीओ की सर्किल-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बीएसएनएल/एमटीएनएल में वीपीटी को छोड़कर पीसीओ की संख्या (30.9.2007 की स्थिति के अनुसार)	पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा बन्द किए गए पीसीओ की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1176	297
2.	आंध्र प्रदेश	257605	168069
3.	असम	33777	1091
4.	बिहार	66888	9348
5.	छत्तीसगढ़	9484	2646

1	2	3	4
6.	गुजरात	113809	53270
7.	हरियाणा	27755	13478
8.	हिमाचल प्रदेश	11869	1170
9.	जम्मू और कश्मीर	15498	3259
10.	झारखंड	23534	1552
11.	कर्नाटक	254305	84177
12.	केरल	127015	21246
13.	मध्य प्रदेश	51646	16319
14.	महाराष्ट्र	316674	129835
15.	पूर्वोत्तर-I	8627	440
16.	पूर्वोत्तर-II	7657	425
17.	उड़ीसा	29647	9253
18.	पंजाब	29438	22074
19.	राजस्थान	64846	20606
20.	तमिलनाडु	206626	56753
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	115083	20454
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	45219	21064
23.	उत्तरांचल	13293	1231
24.	पश्चिम बंगाल	65611	8389
25.	कोलकाता	58269	19355
26.	चेन्नई	83781	30739
27.	दिल्ली	83139	34413
28.	मुंबई	161961	32338
	जोड़	2284232	783291

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

1378. श्री सुभाष महरिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में इस समय राज्य-वार कितनी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां (पीडब्ल्यूसीएस) कार्य कर रही है;

(ख) इन समितियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् राज्य-वार निर्मित हथकरघा वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों तथा शीर्षस्थ निकायों में उपरोक्त वस्तुओं का कोई भंडार इकट्ठा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर के साथ ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	(क) राज्य में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की वर्तमान संख्या	(ख) इन समितियों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान विनिर्मित हथकरघा वस्तुओं का राज्यवार ब्यौरा	(ग) क्या इन समितियों तथा शीर्षस्थ निकायों में उपरोक्त वस्तुओं का कोई भंडार इकट्ठा हो रखा है।	(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1218	लुंगी, धोतियां, तौलिए, ड्रेस मटेरियल तथा बिछावन	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता

1	2	3	4	5	6
2.	असम	3637	शाल, चादर, ड्रेस मेटेरियल	जी नहीं	12.34 करोड़ रुपये
3.	अरूणाचल प्रदेश	40	पारम्परिक स्थानीय वस्त्र, सजावटी मदें, घरेलू मदें आदि	जी नहीं	प्रश्न नही उठता
4.	छत्तीसगढ़	228	सूती बिछावन, सजावटी कपड़ा, शर्टिंग, लुंगी, तौलिया, टसर साड़ियां शर्टिंग, सजावटी कपड़ा आदि	जी नहीं	शून्य
5.	दिल्ली	399	बिछावन, बेड कवर, सजावटी कपड़ा, कम्बल, प्लेस, दरी, पोंछा	जी हां	8.26 करोड़ रुपये
6.	जम्मू-कश्मीर	462	पश्मीना, कानी जामवार तथा रफल शॉलें, लोइयां, ऊनी कम्बल, टिवड, गुलूबंद, दुपट्टे आदि	जी हां	24.12 करोड़ रुपये
7.	कर्नाटक	405	रेशमी/सूती साड़ियां, धोतियां, बिछावन, ड्रेस मेटेरियल आदि	जी हां	(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां-4.41 करोड़ रुपये (ii) शीर्षस्थ निकाय 23.25 करोड़ रुपये
8.	केरल	750	साड़िया, सेत मण्डू, ड्रेस मेटेरियल, कमीजें, धोतियां, मेजपोश, बिछावन, तौलिए, परदे आदि	जी हां	शीर्षस्थ निकाय 20.00 करोड़ रुपये
9.	मध्य प्रदेश	228	टसर तथा सूती साड़ियां, ड्रेस मेटेरियल पोलिस्टर सूटिंग, कॉटन सूटिंग बिछावन आदि	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
10.	नागालैंड	1450	टसर तथा सूती साड़ियां, ड्रेस मेटेरियल पोलिस्टर सूटिंग, कॉटन, शर्टिंग, बिछावन आदि	जी हां	(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां 11.41 करोड़ रुपये (ii) शीर्षस्थ निकाय 0.42 करोड़ रुपये
11.	नागालैंड	1450	शॉल, मेखला, बिछावन टी वी कवर, स्कूल बैग, यूनिफार्म, मेजपोश, स्कार्फ, जैकेट, परदे आदि	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
12.	उड़ीसा	1288	सूती धोती, साड़ियां, नैपकिन, बिछावन, ड्रेस मेटेरियल, रेशमी साड़ियां धोती (जोड़ा) चदर, सजावटी वस्तुएं आदि	जी हां	(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां 32.93 करोड़ रुपये (ii) शीर्षस्थ निकाय 11.75 करोड़ रुपये कुल 44.68 करोड़ रुपये

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	944	कम्बल, शाल, बिछावन, शर्टिंग, सूटिंग, लोइयां, खद्दर, तौलिए, पोंछे, दरियां तथा खेस आदि	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
14.	राजस्थान	821	कोटा डोरिया साड़ी/कपड़ा, ऊनी शॉलें, तौलिया, कम्बल आदि	जी हां	4.90 करोड़ रुपये
15.	सिक्किम	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता
16.	तमिलनाडु	1087	बिछावन, बेड स्प्रेड, रेशमी साड़ियां, धोतियां, लुंगीयां आदि	जी हां	(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां 200.83 करोड़ रुपये (ii) शीर्षस्थ निकाय 74.10 करोड़ रुपये
17.	त्रिपुरा	29	घर सजाने का कपड़ा, साड़ी, एक्रिलिक उत्पाद, नैपकिन, बैण्डेज आदि	जी हां	(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां 0.41 करोड़ रुपये (ii) शीर्षस्थ निकाय 34.00 करोड़ रुपये
18.	उत्तर प्रदेश	1927	रेशमी साड़ियां, सूटिंग, शर्टिंग, दरी, बिछावन, लुंगी, तौलिए, ड्रेस मटेरियल आदि	जी नहीं	प्रश्न नहीं उठता

चोरी किए गए खाद्यान्न की लागत की वसूली

1379. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न की चोरी होने की स्थिति में इसकी लागत वसूली जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की वसूली की गई तथा जिन अधिकारियों से इसकी वसूली की गई उनके नाम और पदनाम क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की इस प्रकार की चोरी में संलिप्त होने के लिए दंडित किए गए अधिकारियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन

1380. श्री सुग्रीव सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अक्तूबर 2006 और सितम्बर 2007 के बीच चीनी के उत्पादन और उपभोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने सरकार से उक्त अवधि के दौरान देश में चीनी के फालतू उत्पादन से लाभ उठाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) देश में अक्तूबर 2006-सितम्बर, 2007 के बीच अनंतिम तौर पर 280 लाख टन चीनी का उत्पादन तथा 190 लाख टन चीनी की खपत होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

कृषि के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1381. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि कृषि विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत न करने वाली राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है. और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राज्यों को निधियां केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं/प्रस्तावों/राज्य विस्तार कार्य योजनाओं के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। भारत सरकार की साधारण वित्तीय नियमावली के अनुसार निधियों की और निर्मुक्तियां उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के बाद ही राज्यों/क्रियान्वयक एजेन्सियों को की जाती हैं।

(ग) विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए राज्य विस्तार कार्य योजनाएं जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय और दिल्ली से प्राप्त होनी हैं। वर्ष 2005-06 के लिए लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, असम, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा से प्राप्त होना है।

बृहत् कृषि प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत असम राज्य ने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) संबंधित राज्यों को अपनी कार्य योजनाएं/उपयोग प्रमाण-पत्रों को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए स्मरण कराया गया है।

भारत-इज़रायल रक्षा सौदा

1382. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सशस्त्र सेनाओं की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने इज़रायल के साथ रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इज़रायल के सहयोग से उन्नत मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदों की अधिप्राप्ति/अर्जन विभिन्न स्वदेशी तथा इज़रायल सहित विदेशी स्रोतों से की जाती है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाए रखने हेतु शुरू की गई यह एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

कृषि विकास हेतु नई प्रौद्योगिकियां

1383. श्री नरहरि महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई प्रौद्योगिकियों विशेषकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा भारतीय कृषि को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने हाल ही में खेती के लिए अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकियां जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन, ग्लोबल पोजीशन प्रणाली, अनुरूपण मॉडलिंग के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे फसल पूर्वानुमान, भूमि उपयोग नियोजन, बाढ़ एवं सूखे की निगरानी के लिए किया जाता है। इसके अलावा, अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकियां जैसे बायोसेंसर, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी आदि में भी भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्षमतावान उपयोग हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विकिरण उत्परिवर्तन तथा संकर-प्रजनन का इस्तेमाल करते हुए बीएआरसी द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए 29 सुधरी किस्मों को जारी एवं अधिसूचित किया गया। इनमें शामिल हैं: तिलहन की 16 किस्में (मूंगफली की 12, सोयाबीन की 2 तथा सरसों की 2)) दलहन की 11 किस्में (उड़द की 4, मूंग की 5 तथा अरहर की 2) तथा चावल और जूट प्रत्येक में 1 किस्म। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जारी की गई तथा व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित की गई किस्में-बीएआरसी

फसल	किस्म	जारी करने का वर्ष	एम: परिपक्वता अवधि (दिन) वाई: उपज (कि.ग्रा./हे.) वाई आई: उपज वृद्धि (%)	राज्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
मूंगफली	टीएलजी–45	2007	एम: 114 वाई: 1506 वाई आई: 28	महाराष्ट्र	खरीफ मौसम के लिए बड़े आकार के बीच
	टीजी–38	2006	एम: 115 वाई: 2500 वाई आई: 20	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम/पूर्वोत्तर राज्य	अवशिष्ट नमी की स्थिति से अधिक उपज क्षमता रबी/ग्रीष्म
	टीजी–37 ए	2004	एम: 110 वाई: खरीफ 1993 वाई आई: 26–38	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम/पूर्वोत्तर राज्य	नए बीज की प्रसुप्ति
	टीजी–41	2004	एम: 120 वाई: ग्रीष्म 2407 वाई आई: 26	समस्त भारत	बड़े आकार (70 ग्राम/100 बीज) नए बीज की प्रसुप्ति
	टीजी–26	1995	एम: 100-120 वाई: ग्रीष्म 2500 वाई आई: 23–39	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	अर्ध बौनी, अगेती, उच्च फसल सूचकांक, उच्च विभक्तता की दक्षता, नए बीज की प्रसुप्ति व्यापक अनुकूलनीय
	टीकेजी–19ए	1994	एम: 120–125 वाई: 2000–2500 वाई आई: 12–13	महाराष्ट्र	बड़े आकार के बीज, नए बीज की प्रसुप्ति

1	2	3	4	5	6
	टीजी–22	1992	एम: खरीफ 115–120 वाई: खरीफ 1677 वाई आई: 30	बिहार	मध्यम–बड़े आकार के बीज, ताजे बीज की प्रसुप्ति
	टीएजी–24	1991	एम: खरीफ 100–105 ग्रीष्म 112–117 वाई: खरीफ 1300 ग्रीष्म 2500 वाई आई: खरीफ 24 ग्रीष्म 50	महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, राजस्थान कर्नाटक	मूंगफली उगाने वाली सभी राज्यों में अत्यधिक लोकप्रिय अर्ध बौरी अगेती, उच्च फसल सूचकांक, उच्च विभक्तता की दक्षता, राष्ट्रीय चेक किस्म के रूप में व्यापक अनुकूलनीय
	सोमनाथ (टीजीएस–1)	1989	एम: 100–125 वाई: खरीफ 2000 वाई आई: 23	गुजरात	बड़े बीज वाली फैलाव वाली
	टीजी–3	1987	एम: 110 वाई: 2000–2500	केरल	अधिक शाखाएं
	टीजी–17	1985	एम: 115–120 वाई: 1700–2000 वाई आई: 15–20	महाराष्ट्र	कम शाखाएं
	टीजी–1	1973	एम: 130–135 वाई: 2400–2500 वाई आई: 15–20	महाराष्ट्र, गुजरात	बड़े आकार के बीज
सोयाबीन	टीएएमएस 98–21	2007	एम: 103 वाई: 2318 वाई आई: 20	महाराष्ट्र	उच्च पैदावार वाली जीवाणिवक पूयस्फोटिका, माईरोथेसियम पत्ती धब्बा तथा सोयाबीन मोजेक विषाणु रोग की प्रतिरोधी
	टीएएमएस–38	2005	एम: 90–95 वाई: 1800–2000 वाई आई: 20	महाराष्ट्र	अगेती, परिपक्व, जीवाणिवक पूयस्फोटिका, माईरोथेसियम पत्ती धब्बा रोग की प्रतिरोधी
सरसों	टीएम–2	1987	एम: 90 वाई: 1370 वाई आई: 25	असम	ऐप्रैस्ड पोड
	टीएम–4	1987	एम: 95 वाई: 1470 वाई आई: 35	असम	पीला बीज
मूंग	टीएमबी–37	2005	एम: 64 वाई: 1100 वाई आई: 20	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल	पीला मोजेक विषाणु की प्रतिरोधी

1	2	3	4	5	6
	टीएआरएम–18	1995	एम: 65–70 वाई 1051	महाराष्ट्र	चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधी
	टीएआरएम–1	1995	एम: 80 वाई: 765 वाई आई: 45	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा	चूर्णी फफूंद की प्रतिराधी
	टीएआरएम–2	1992	एम: रबी: 90 वाई: 1000–1100 वाई आई: 80	महाराष्ट्र	चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधी
	टीएपी–7	1983	एम: 60 वाई: 700–800 वाई आई: 23	महाराष्ट्र, कर्नाटक	चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधी
उड़द	टीयू 94–2	1999	एम: 70 वाई: 900–1000 वाई आई: 19–17	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	पीला मोजेक विषाणु की प्रतिरोधी
	टीएयू–2	1992	एम: 70–75 वाई: 900–1000 वाई आई: 18	महाराष्ट्र	उच्च पैदावार
	टीएयू–4	1992	एम: 70–75 वाई: 900–1000 वाई आई: 22	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	बड़ा बीज
	टीएयू–1	1985	एम: 70–75 वाई: 800–1000 वाई आई: 24	महाराष्ट्र	बड़ी बीज महाराष्ट्र में अत्याधिक लोकप्रिय किस्म
अरहर	टीएटी–10	1985	एम: 100–115 वाई: 900–1000	महाराष्ट्र	अगेती परिपक्व
	टीटी–6	1983	एम: 135–140 वाई: 1200–1300 वाई आई: 15	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल	बड़ा बीज
चावल	हरि	1988	एम: 135–140 वाई: 6000 वाई आई: 20	आन्ध्र प्रदेश	स्लेंडर ग्रेन टाईप
जूट	टीकेजे–40	1983	एम: 125–130 वाई: 2800–3100 वाई आई: 10–13	उड़ीसा	उच्च पैदावार

कृषि विकास

1384. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि विकास की वर्ष-वार दर कितनी है;

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमानित विकास दर कितनी हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में उच्च विकास दर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर 1999-2000) निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर (%)
2004-05	0.0
2005-06	6.0
2006-07	2.7

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2007-08 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान जारी नहीं किए हैं। तथापि, 2007-08 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8% अनुमानित है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई, 2007 की आयोजित अपनी 53वीं बैठक में 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया तथा संकल्प लिया कि कृषि विकास की नीतियां किसानों की आश्यकताओं को पूरा करने वाली हों तथा इसने कृषि को सशक्त बनाने हेतु नीति का विकास करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि में सुधार हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

* 11वीं योजना अवधि हेतु 4880 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ खाद्य मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक चावल का अतिरिक्त उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूँ का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाना है। 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक राज्य योजना स्कीम है, का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।
* हाल ही में गठित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण वर्षा क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में राज्यों की सहायता करेगा।
* सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।
* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

बंधुआ बाल मजदूर

1385. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से झारखण्ड में बंधुआ बाल मजदूरों से स्टोन क्रशिंग उद्योग में काम करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे बंधुआ बाल मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या बंधुआ बाल मजदूरों को काम पर रखने वाले स्टोन क्रशर्स मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् राज्य-वार कितने बाल मजदूरों को छुड़ाया गया तथा इनका पुनर्वास किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में वयस्क बंधुआ मजदूरों और बाल बंधुआ मजदूरों में कोई विभेद नहीं किया। बंधुआ श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित, मुक्त और पुनर्वासित किया जाता है तथा केन्द्र सरकार बंधुआ मजूदरों के पुनर्वास के लिए प्रति बंधुआ मजदूर

20,000/- रुपये की अनुदान सहायता देती है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 आधार पर होती है। चिह्नित, मुक्त और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या तथा दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार (झारखण्ड को छोड़कर) अद्यतन ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों के व्यवसाय-वार पुनर्वास संबंधी विवरण नहीं रखा जाता।

विवरण

31.10.2007 तक केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के तहत चिह्नित, मुक्त और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या		
	चिह्नित और जारी	पुनर्वासित	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	37988	31534	850.00
अरूणाचल प्रदेश	3,526	2992	568.48
बिहार	12,792	12974	403.38
छत्तीसगढ़	124	124	12.40
गुजरात	64	64	1.01
हरियाणा	582	80	4.03
झारखण्ड	196	196	19.60
कर्नाटक	64,437	57,185	1578.18
केरल	823	710	15.56
मध्य प्रदेश	13,125	12,200	164.49
महाराष्ट्र	1,404	1,325	10.10
उड़ीसा	50,029	46901	903.34
पंजाब	69	69	6.90
राजस्थान	7488	6331	72.42
तमिलनाडु	65,573	65.573	1661.94
उत्तर प्रदेश	28,489	28489	603.72
उत्तरांचल	5	5	0.50
प. बंगाल	213	213	15.01
योग	2,86927*	2,66,965	6891.06

नोट

*19962 बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि या तो उनका देहांत हो गया है या उन्होंने अपना पता दिए बगैर स्थान छोड़ दिया है।

*बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के अंशदान के तौर पर 6891.06 लाख रुपये के बराबर का पुनर्वास अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।

*अरूणाचल प्रदेश के मामले में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के तौर पर 568.48 लाख रुपये दिए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के मामले में, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान (राज्य अंशदान से अप्रभावित रहते हुए) दिया जाता है।

[अनुवाद]

कीमतों में वृद्धि संबंधी समिति

1386. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कीमतों में वृद्धि के बारे में दिनांक 13 अगस्त 2007 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर वायदा कारोबार के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु गठित अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट अब तक प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य राजसहायता में कमी

1387. श्री महावीर भगोरा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों हेतु खाद्य राजसहायता में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों को खाद्य राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में उनकी मांग के अनुसार खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम तथा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के लिए विकल्प देने वाली राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर वितरित खाद्यान्नों की मात्रा के लिए खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है।

(ङ) और (च) अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए तथा आबंटन को पिछले वर्षों के उठान के साथ सम्बद्ध करके आबंटन किया जाता है।

वर्षा पर निर्भरता

1388. श्री वी.के. थुम्मर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि भूमि का एक बड़ा भाग अब भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि की सिंचाई करने हेतु क्या योजना है;

(ग) क्या सरकार ने सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि, किए गए खर्च और प्राप्त परिणामों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यों हेतु शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित वर्ष 2003-04 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में निवल बुवाई क्षेत्र का

आकलन 140.9 मिलियन हेक्टेयर के रूप में किया गया है तथा निवल सिंचाई क्षेत्र (एनआईए) 55.1 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 39.10% है।

(ख) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। हालांकि, भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता मुहैया कराती है। इस कार्यक्रम के तहत और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के उद्देश्य से एआईबीपी मानदंडों में छूट दी गई है तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान (रुपये करोड़ में)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	87.5470	311.3815	843.4220
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.000	18.0000	27.0000
3.	असम	16.9300	34.9332	310.2685
4.	बिहार	37.2150	169.2380	3.2300
5.	छत्तीसगढ़	2.9250	7.6645	10.7050
6.	गोवा	0.6500	–	1.9100
7.	गुजरात	530.5000	339.6000	121.8885
8.	हरियाणा	11.1350	6.0000	3.1700
9.	हिमाचल प्रदेश	3.6900	30.0785	3.9300
10.	जम्मू-कश्मीर	12.7445	36.6878	37.7716
11.	झारखंड	21.2850	5.0370	1.2900
12.	कर्नाटक	396.2952	140.7759	160.3729
13.	केरल	49.4400	9.3591	16.6468
14.	मध्य प्रदेश	516.7010	168.0966	48.3100
15.	महाराष्ट्र	529.2860	167.3822	465.5213
16.	मणिपुर	13.0000	75.7035	156.3042
17.	मेघालय	1.7438	1.5750	0.7500
18.	मिजोरम	5.0000	9.3150	14.2354

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	4.0000	7.9987	10.5995
20.	उड़ीसा	24.2230	151.3742	133.8846
21.	पंजाब	–	26.3166	–
22.	राजस्थान	352.9040	90.2952	11.6000
23.	सिक्किम	0.7500	0.9113	3.3236
24.	त्रिपुरा	11.0000	31.9950	22.5131
25.	उत्तर प्रदेश	175.9200	133.1280	81.8954
26.	उत्तरांचल	38.9917	80.4387	84.7298
27.	पश्चिम बंगाल	13.4610	0.0287	6.7000
	कुल	2867.3372	1900.3142	2301.9722

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग हेतु योजनाएं

1389. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग विशेष वस्त्र कामगारों के कल्याणार्थ राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार आबंटित, जारी और प्रयुक्त धनराशि कितनी है; और

(ग) वस्त्र उद्योग द्वारा वैश्वीकरण का सामना करने के लिए सहायता देने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में वस्त्र क्षेत्र विशेषकर वस्त्र कामगारों के कल्याणार्थ आबंटित और जारी की गई राशि को नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

	क्षेत्र/योजना का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		आबंटन	जारी/उपयोग	आबंटन	जारी/उपयोग	आबंटन	जारी/उपयोग
	1	2	3	4	5	6	7
हथकरघा							
(1)	कार्यस्थल सह आवास योजना	20.00	10.00	12.00	14.44	12.50	17.95
(2)	बुनकर कल्याण योजना	10.00	8.09	8.00	8.80	10.00	9.86
(3)	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	47.67	83.96	82.10	93.15	90.88	75.31
(4)	हथकरघा निर्यात विकास योजना	6.50	4.15	5.50	4.55	5.510	4.50
(5)	मिल गेट कीमत योजना	9.00	11.50	8.00	7.39	7.00	12.00

	1	2	3	4	5	6	7
(6)	विपणन संवर्धन कार्यक्रम	12.50	9.09	9.50	11.47	15.50	15.19
(7)	डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.41	4.00	9.70	4.51	5.12	4.13
(8)	बुनकर सेवा केंद्र	0.63	0.30	0.70	0.42	0.50	0.36
(9)	बुनकर बीमा योजना	5.50	1.95	5.50	0.31		
(10)	एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.35	16.06	15.00	12.96	13.00	10.90
(11)	स्वास्थ्य बीमा योजना	–	–	0.00	26.73	17.00	37.00
(12)	समूह विकास योजना	–	–	0.00	5.00	5.00	5.47
(13)	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	–	–	0.00	3.15	3.00	3.00
	कुल (हथकरघा)	154.56	154.10	156.00	192.88	185.00	195.67
विद्युतकरघा							
	समूह बीमा योजना	0.50	0.52	1.50	0.60	1.00	0.07
	समूह कार्यस्थल योजना	6.00	0.00	0.50	0.00	0.83	0.04
	कुल (विद्युतकरघा)	6.50	0.52	2.00	0.60	1.83	0.11

वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए योजनागत कार्यक्रमों के तहत निधियां योजनावार आबंटित और जारी की जाती हैं न कि राज्यवार।

(ग) वैश्वीकरण का सामना करने के लिए वस्त्र क्षेत्र की सहायता के वास्ते तैयार एवं कार्यान्वित कार्यक्रम-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, कपास प्रौद्योगिकी मिशन और पटसन प्रौद्योगकी मिशन है। नए योजनाबद्ध कार्यक्रम-टैक्स्टीपोलिस, ब्रांड संवर्धन योजना, मानव संसाधन विकास और फैशन हब की स्थापना है। इनका उद्देश्य आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी सुकर बनाना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

(एक) महिला तीरंदाज सुश्री डोला बनर्जी के विश्व चैंपियनशिप जीतने पर तथा भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के विरुद्ध उसकी जीत पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगणं, यह अति गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारी एक महिला तीरंदाज सुश्री डोला बनर्जी ने 24 नवंबर, 2007 को दुबई में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीत ली है। उनकी विजय ने देश को सम्मान दिलाया है।

माननीय सदस्यगण, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ चल रही टेस्ट श्रृंखला में आज दिल्ली में आयोजित पहला क्रिकेट मैच जीत लिया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इन उपलब्धियों पर सुश्री डोला बनर्जी तथा श्री अनिल कुंबले और उनकी टीम के सदस्यों को बधाई देने में मेरे साथ है और चूंकि मैं इस श्रेय का दावा कर सकता हूं क्योंकि हमारे दो विशिष्ट सहयोगी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा श्री शरद पवार इन खेलों से जुड़े हैं। मैं उन सभी को इस विजय के लिए बधाई देता हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): वे अच्छा खेले हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसका श्रेय प्रमुख रूप से उन्हें ही है और मैं यह पाहले ही बता चुका हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, फुटबाल के बारे में क्या है?

अध्यक्ष महोदय: जब वे सफलता हासिल करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई दूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हमारी फुटबाल टीम ने सऊदी अरब लेबनान तथा अन्य सभी को हराया है। उन्होंने यमन, स्टटगार्ट, म्यूनिख को भी हराया है, वे दोबारा तैयार हो गए हैं और बड़ी विजय की तैयारी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको इतना प्रचार नहीं मिला है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारे पास इतना धन नहीं है जितना श्री शरद पवार के पास है।

अध्यक्ष महोदय: मैं टीम को और आपको भी बधाई देता हूं। कम से कम हमारे युवा लड़कों तथा लड़कियों ने हमें गौरव प्रदान किया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7304/2007]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7305/2007]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) आल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7306/2007]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) शिक्षु (पांचवां संशोधन) नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 6 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7307/2007]

(2) वर्ष 2007-2008 के लिये वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7308/2007]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 20 सिम्तबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7309/2007]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) डायरेक्ट टू होम ब्रोडकास्टिंग सर्विसेज (सेवा के मानदंड अथवा गुणवत्ता और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4-55/2007-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केवल सेवाएं) अंतर्संबंध (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4-54/2007-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट्स विनियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 404-1/2007-एफएन में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के रजिस्ट्रीकरण तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ बातचीत के लिये दिशानिर्देशों का विनियमन (दूसरा संशोधन), 2007 जो 1 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 330-2/2007 सीए में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7310/2007]

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ सं. 101-60/2006 एमएन जो 3 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 6 जून, 2007 के टेलीकॉम अनसोलीसाइटिड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स विनियम, 2007 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7311/2007]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7312/2007]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोओपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या सल.टी. 7313/2007]

(2) (एक) नेशनल कोओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7314/2007]

(3) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7315/07]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2001-02 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2001-02 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7316/2007]

(6) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7317/2007]

(8) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7318/2007]

(10) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7319/2007]

(12) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7320/2007]

(14) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7321/2007]

(16) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7322/2007]

(18) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के वर्ष 2000-01 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7323/2007]

(20) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7324/2007]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अलिखेश प्रसाद सिंह): महोदय, अपने साथी श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर से (लाइसेंस की आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2007, जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1488(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7325/2007]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7326/2007]

(2) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयन टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7327/2007]

(3) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलार के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7328/2007]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्जजनिक विवरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7329/2007]

(2) डेवलपमेंट काउंसिल फॉर शुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7330/2007]

(4) डेवलपमेंट काउंसिल फॉर शुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7331/2007]

(5) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7332/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं सदन को यह सूचित करते हुए खुश हूं कि सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 अनुमोदित कर दी है, यह नीति मुख्यतया प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्रमुख कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और सततता बढ़ाने की पद्धतियां और कृषि में शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के उपाय सुझाना तथा खाद्य और पोषणिक सुरक्षा के लिए व्यापक मध्यम अवधि की कार्यनीति तैयार करना शामिल थे।

आयोग द्वारा प्रस्तावित नीति के प्रारूप और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 निरूपित और अनुमोदित की गई है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता, लाभप्रदता, भूमि, जल और समर्थन सेवाएं सुधारने के अलावा किसानों की निवत आय पर्याप्त रूप से बढ़ाकर कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारने और उपयुक्त मूल्य नीति, जोखिम प्रबंधन उपायों की व्यवस्था करने आदि का लक्ष्य है। नीति को लागू करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अंतर्मंत्रालयी समिति गठित करेगा।

मैं एतद् द्वारा सभा पटल पर राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 रखता हूं और आशा करता हूं कि नई नीति हमारे कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार करने और किसानों की आर्थिक दशा में स्थायी सुधार लाने में सहायक होगी।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7333/2007

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो इसके लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य नोटिस अवश्य देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने तो कहा कि मैं चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उसके लिए नोटिस तो दीजिए।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोकसभा समाचार भाग-दो द्वारा जारी किए गए निदेश 73क के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित था।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7334/2007

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

स्थायी समिति उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पण दिनांक 8 अगस्त, 2007 को समिति को भेज दिये गए थे। उक्त प्रतिवेदन में सिफारिश संबंधी 20 पैराग्राफ थे जिनमें समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियाँ अंतर्विष्ट थीं, जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। ये सिफारिशें/टिप्पणियां प्रमुख रूप से और अधिक वास्तविक संदर्भों में परिवयय का अनुमान, केन-बेतवा लिंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र तैयार करने, जल संसाधन और परियोजना आयोजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की ऋण सहायता का अन्यत्र उपयोग/दुरुपयोग संबंधी लेखा परीक्षा आपत्तियों के निपटान, समुद्र में जाथर बर्बाद होने वाले उपयुक्त जल के उपयोग हेतु बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास, ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में चली गई चालू परियोजनाओं को पूरा करना, सृजित सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम करने, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों, लघु सिंचाई के लिए आबंटन में वृद्धि करना, कुंए खोदकर कृत्रिम रूप से भूजल स्तर को बढ़ाने, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम में संशोधन एवं इस कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदारी सिंचाई प्रबंधन विधान अधिनियमित करना, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की व्यावहारिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कृतिक बल की रिपोर्ट को समयबद्ध ढंग से लागू करने, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट पर जल्दी कार्रवाई शुरू करने, राज्य सरकारों द्वारा, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और प्रत्यावर्तन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने, भंडारण क्षमता में वृद्धि करने करने हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में संशोधन, "राष्ट्रीय परियोजनाओं" इत्यादि संबंधी नीतियों को तैयार करने जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे विवरण के अनुबंध में दर्शाया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं उस अनुबंध की सामग्री को पढ़कर इस सभा के अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.05 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई—*जारी*

(दो) संसदीय एकादश क्रिकेट टीम को हरियाणा के मुख्यमंत्री की एकादश क्रिकेट टीम के विरुद्ध मैच जीतने पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, संसदीय एकादश ने शनिवार को हुए एक क्रिकेट मैच में हरियाणा के मुख्यमंत्री की क्रिकेट एकादश टीम को हराया है। संसद की टीम के कप्तान श्री मोहन रावले थे। मैं आपको और सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। आपके कप्तान होते हुए टीम ने विजय प्राप्त की।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बहुत प्रिय हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): हमने हैट्रिक लगातार तीन साल जीतकर की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो फिर हमें अन्य मुख्यमंत्री की टीम के साथ भी खेलना चाहिए। हरियाणा पर आपने आसानी से जीत दर्ज की है। यह एक बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को बधाई।

सभा के अंदर भी खेल भावना होनी चाहिए।

अपराह्न 12.06 बजे

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(तीन) उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी और फैजाबाद में बम विस्फोट

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वे एक महत्वपूर्ण मामले पर वक्तव्य देने को राजी हुए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड 2, दिनांक 26.11.2007 में प्रकाशित।

यह मामला उठाया गया था और मैंने आपको अवगत कराया था कि माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

माननीय गृह मंत्री, मैं आपके इस प्रत्युत्तर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): यह वक्तव्य उत्तर प्रदेश में घटी घटनाओं के संबंध में है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सहमति हुई थी कि इसे अब उठाया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, इसकी कोई प्रति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कृपया आप इसे समझिए, मैंने उनसे अनुरोध किया और वे मान गए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यधिक खेद के साथ इस सम्माननीय सदन को 23.11.2007 को वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ न्यायालय परिसर में हुई आतंकवादी हिंसा की दुःखद घटनाओं से अवगत करा रहा हूं।

नवीनतम सूचना के अनुसार इन तीनों शहरों में 20 मिनट के अंतराल में पांच बम धमाके हुए। छः धमाके नहीं हुए थे बल्कि पांच धमाके हुए थे।

वाराणसी न्यायालय परिसर में दो बम विस्फोट हुए जिनमें तीन वकीलों और बारह वर्ष के एक बच्चे सहित 9 व्यक्ति मारे गए तथा 56 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जाती है। मेरे साथी श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, गृह राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ वाराणसी न्यायालय परिसर के विस्फोट वाले स्थान का दौरा किया और वे इस विस्फोट में घायल उन व्यक्तियों से भी मिले जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, सिंह नर्सिंग होम एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती हैं। न्यायलय परिसर फैजाबाद में 2 विस्फोट हुए जिनमें एक वकील सहित चार व्यक्तियों की जानें गई और 24 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। लखनऊ में एक बम विस्फोट हुआ लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ।

इन विस्फोटों में अपनाई गई कार्य प्रणाली यह थी कि एक थैले में बैटरीचालित एक टाइमर डिवाइस तथा कुछ विस्फोटक, साईकिल स्टैंड पर एक ऐसी जगह खड़ी एक साईकिल पर टांगे गए थे जहां वकील/वादी लोग बैठते हैं। विस्फोटों के पश्चात इनकी जांच-पड़ताल करने के लिए एनएसजी कार्मिकों के एक दल ने विस्फोट स्थल का दौरा किया है।

राज्य सरकार ने इन विस्फोटों की जांच का विवरण विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को दे दिया है। इस संबंध में केन्द्रीय एजेंसियां भी राज्य पुलिस की सहायता कर रही है। उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने मृतकों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश ने खासकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ सहित सभी जिला न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने और सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

सरकार इन अविवेकपूर्ण आतंकवादी हिंसा की घटनाओं की जोरदार ढंग से निंदा करती है और अपने इस संकल्प को पुनः दोहराती है कि वह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे उग्रवादी और आतंकवादी तत्वों से निवारणात्मक उपायों के जरिए निपटने एवं उन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां सतत रूप से प्रयासरत हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई विभिन्न स्तरों से लड़ी जानी हैं। सरकार के अतिरिक्त राजनीतिक दल, सभ्य समाज, मीडिया और जनता, सभी को इन शक्तियों से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हम इन देशद्रोही तत्वों को अपने देश की शांति भंग करने और साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे।

हम निर्दोष नागरिकों के अमूल्य जीवन को हुई क्षति पर अपना खेद व्यक्त करते हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना जताते हैं। *...(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7335/2007]

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): असम की घटना के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट ठहरिए। मैं आप सभी से गंभीरतापूर्वक अपील करता हूं कि कृपया बैठ जाएं। श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए।

अब, विपक्ष के माननीय नेता बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अनुचित है, जबकि मैंने इस चर्चा के लिए पूर्ण सहमति जताई है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महादेय मैं एक बात कह रहा हूं। असम में एक भयावह घटना घटी, जिसमें आदिवासियों पर हमला किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। एक के बाद एक सभी विषयों को उठाया जाएगा। मैं सुबह इसका उल्लेख कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, कृपया बैठ जाइए। यह तरीका ठीक नहीं है। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। असम मामला भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री महोदय: श्री आचार्य, यह ठीक नहीं है। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि गृहमंत्री महोदय असम की स्थिति के बारे में भी एक वक्तव्य दें।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गृहमंत्री महोदय, आप जितना जल्दी संभव हो, असम की स्थिति के बारे मे भी एक वक्तव्य दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे वक्तव्य देंगे। आप खड़े क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तुरन्त प्रत्युत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सिम्तलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। मैं सुबह आपसे सहमत था। आप यह क्यों कर रहे हैं? यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे सहयोग दें। यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। मैंने माननीय नेताओं को आज सुबह सुझाव दिया था और वे इस पर चर्चा करने के लिए सहमत थे। अब माननीय विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं। अन्यथा मैं उन सदस्यों को बुलाना चाह रहा था जिन्होंने इस मुद्दे पर नोटिस दिया है।

अब माननीय विपक्ष के नेता बोलें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): जहां तक इस वक्तव्य विशेष पर चर्चा का सवाल है मेरे अन्य साथी इसमें भाग लेंगे। मैं केवल उस बात को दोहरा रहा हूं जो मैंने शुक्रवार को कही थी। ये विस्फोट उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग स्थानों पर शुक्रवार को अपराह्न में हुए थे और मैंने इस मामले को तब उठाया था जब गृह मंत्री यहां थे क्योंकि वह इन विस्फोटों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी देने के लिए यहां आए थे। मैंने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में हुए इन तीन विस्फोटों के बारे में ही केवल एक वक्तव्य दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने आतंकवादी हमलों का एक पैटर्न देखा है तथा यह पैटर्न देखा गया है कि लगभग हर बार सिलसिलेवार विस्फोट हुए हैं। चाहे यह दिल्ली में हो या मुम्बई की लोकल ट्रेनों में या हैदराबाद हो, केवल एक विस्फोट नहीं हुआ बल्कि विस्फोटों की श्रृंखला थी। मैंने उस दिन यह भी कहा था कि इन मामलों में एक ही स्थान पर विस्फोट हुआ किन्तु उत्तर प्रदेश में तीन अलग-अलग स्थानों पर विस्फोट न्यायालयों में हुए थे। इसकी योजना कुछ समय पहले से बनाई गई होगी। इसकी योजना बनाकर इसे अंजाम देना इतना आसान नहीं है कि कोई भी गया और बम रख दिया। इसलिए मैंने उस दिन माननीय गृहमंत्री से अनुरोध किया था कि वह सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही पर एक वक्तव्य दें और उनके द्वारा शुरू मामलों की स्थिति क्या है तथा यह भी बताने का अनुरोध किया था कि इन विस्फोटों के संबंध में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था। मैंने उनसे पिछले दो वर्षों में घटित ऐसे सभी मामलों की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध किया था। उस दिन माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि वह यह पूरी जानकारी सभा में लाएंगे। परन्तु आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए तीन विस्फोटों तक ही स्वयं को सीमित रखा।

मैं पुन: यह बात दोहराऊंगा कि सभा को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि पिछले दो वर्षों में सभी मामलों में क्या हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हम इस बात पर पहले ही सहमत हो चुके हैं कि आतंरिक सुरक्षा पर इस सत्र में ही चर्चा होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमें तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। आज गृहमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हुए विस्फोटों के बारे में वक्तव्य दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे बारी-बारी से बुलाने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, जहां तक असम की घटना का संबंध है मेरे पास कुछ जानकारी है और मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं। मैं सभा में वापस आऊंगा और सभा को यह जानकारी सम्भवत: दोपहर में दे दूंगा।

अब जहां तक विभिन्न न्यायालयों में दायर मामलों का संबंध है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बम ब्लास्ट के बारे में बताएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप बैठिए। यह ठीक नहीं है, आपके लीडर ने अभी बोला है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक विभिन्न न्यायालयों में दायर मामलों का संबंध है, ऐसे मामले भी हैं जिनकी राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। मेरे पास यह जानकारी है कि इन सभी मामलों में राज्य सरकारों द्वारा क्या किया गया है। मैं यह जानकारी माननीय सदस्यों से अलग नहीं रखना चाहूंगा। परन्तु चर्चा उचित रूप से होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री शिवराज वि. पाटील: उत्तर प्रदेश में हुए विस्फोटों के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते समय मैं उन सभी मामलों की जानकारी नहीं दे पाऊंगा जो अभी तक घटित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आज यह इसी तक सीमित है। परन्तु इनकी चर्चा करने के लिए जल्द ही एक दिन निश्चित करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: जब भी यह निर्धारित होगा मैं सभा के समक्ष आ जाऊंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, हम समय निर्धारित करेंगे।

आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। इसका निर्णय हम वहां ले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मुझे बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी एक साथ कैसे बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। यहां मेरे पास नाम हैं। मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। यह कैसे संभव होगा कि सभी एक साथ बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, रामजीलाल सुमन आपकी पार्टी के मैमबर हैं और उन्होंने पहले नाटिस दिया है।

[अनुवाद]

क्या आप बोलना चाहते हैं? ठीक है, श्री रामजीलाल सुमन के स्थान पर श्री मोहन सिंह बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 23 नवम्बर को तीन प्रमुख स्थानों पर एक साथ जो बड़े विस्फोट हुए, उस पर आज गृह मंत्री जी ने एक सीमित वक्तव्य, जिसमें सम्पूर्ण विवरण नहीं है, इस सदन के सामने रखा। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान एक धर्म के मानने वालों के लिए विशेष महत्व का स्नान माना जाता है और अयोध्या उसका प्रमुख स्थान है जो फैजाबाद के निकट है। उसी तरह वाराणसी में भी जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वहां

[श्री मोहन सिंह]

कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुप्त दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। उसकी पूर्व संध्या में जब बड़ी संख्या मे तीर्थ यात्री इन दो स्थानों पर इकट्ठे होते हैं, तीनों जगह की जिला कचहरियों में विस्फोट करके आने वालों को रोकने के लिए, दहशत पैदा करने की एक भावना थी।

दूसरी भावना ऐसी मानी जा रही है कि वहां की अदालत में पहले से गिरफ्तार आतंकवादी गुट के मुजरिमों की अदालतों में पेशी होती है। लखनऊ शहर में दो घटनाएं हुई। एक घटना ऐसी हुई कि पुलिस ने 15 दिन पहले कहा कि यह एक आतंकवादी का शूटर था और उसे जेल से कचहरी में ले जाने की कोशिश हुई। सुना गया कि रास्ते में ही पुलिस ने उसे उतारकर सारे रास्ते रोककर दिन के बारह बजे शूट कर दिया और दूसरे दिन पुलिस ने अखबारों को बताया कि यह गाड़ी से निकलकर भाग रहा था तो मुठभेड़ हुई और उसमें इस अपराधी को मारना पुलिस की मजबूरी हो गई। उसके बाद कुछ अपराधी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि यह पाकिस्तान से चले और जब उत्तर प्रदेश की सरहद सहारनपुर में प्रवेश किया, तब पुलिस को पता चला और वहां से साढ़े पांच सौ किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जब वे एक गाड़ी खरीदकर राजधानी लखनऊ की सरहद पर पहुंचे तब उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे मिली गुप्त सूचनाओं का उत्तर प्रदेश पुलिस ने सार्वजनिक किया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप जब अदालतों में उनकी पेशी हुई, तब उनके साथ उस अदालत के अधिवक्तागण की ओर से कुछ बदसलूकी हुई। एक धारणा यह है कि आतंकवादियों ने वकीलों की ओर से उन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया था। उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसकी प्रतिक्रियास्वरूप आतंक पैदा करने के लिए लखनऊ कचहरी में ऐसा विस्फोट हुआ। लेकिन बनारस और फैजाबाद की कचहरी का विस्फोट ज्यादा भयानक था क्योंकि लखनऊ कचहरी का विस्फोट अकेला था। बनारस की कचहरी में तीन और चार विस्फोट हुए थे और फैजाबाद की कचहरी में दो विस्फोट हुए थे। इन दोनों घटनाओं में 13 लोग जिसमें 9 अधिवक्ता थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गयी और 150 के करीब लोग बुरी तरह से घायल हैं।

एक बहुत ही चिन्ता का विषय है कि ऐसी घटनाओं से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे आतंकवाद का हब बनता जा रहा है, एक गोदाम बनता जा रहा है। उसके बावजूद हमेशा से एक मान्य परम्परा रही है कि आतंकवाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए न राज्य सरकार जिम्मेदार है और न अकेले केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। यह दोनों का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि वे आपस में मिलजुल कर और पार्टी भावना से ऊपर उठकर देश की जनता और सभी राजनैतिक दल इस बड़ी राष्ट्रीय चुनौती का मुकाबला करें। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई कि वहां के मुख्यमंत्री ने तत्काल वक्तव्य दिया कि इस घटना की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और भारत सरकार के खुफिया तंत्र ने हमको इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि एक सूबे की मुख्यमंत्री इस घटना की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर थोपने का काम करें। समाचार-पत्रों के जरिये भारत सरकार के खुफिया तंत्र ने भी एक सार्वजनिक बयान दिया और कहा कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को हफ्ते भर पहले कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उस बारे में सचेत किया था, सावधान किया था और जिन-जिन जिलों का हमने नाम लिया था, उसमें अभी केवल तीन जिलों में विस्फोट हुए हैं। बाकी तीन-चार जगह और विस्फोट हो सकते हैं, उस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या तैयारी है, इस बारे में हम लोगों से कभी वार्तालाप नहीं किया गया।

यह बहत ही दुख की बात है कि एक बड़ा सूबा जिसमें लगातार विस्फोट हो रहे हों और वहां की सरकार निश्चिंत रहे और भारत सरकार का जो खुफिया तंत्र है, उससे उसका कोई मैकेनिजम न हो, कोई वार्तालाप न हो, एक आश्चर्य का विषय है। इसलिए यह विस्फोट दर्दनाक, दुखद और निंदनीय है और भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। उसके साथ-साथ भारत सरकार और हमारे संविधान की ज्यूडिशियरी की अलग से एक स्वायत्तता है, उसके ऊपर आक्रमण है। उसके बावजूद वक्तव्य जारी करना शुरू करें, तो एक निराशा होती है और इस तरह के कृकृत्य करने वालों के मनोबल ऊंचे होते हैं।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा वातावरण बना है जिससे पिछले छः महीने में उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल बुरी तरह गिर गया है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको उसकी बात करने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं स्वयं इसकी बात कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह सही नहीं होगा।

[अनुवाद]

कृपया वह बात न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे अनुमति दीजिए। आपके कुछ कहने से पहले मैंने कहा है कि पुलिस के बारे में विस्तार से कुछ मत कहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि आप एक बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): यह गलत आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इनके जमाने में ज्यादा निर्दोषों की हत्या हुई हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने खुद ही उनको ऐसा न कहने के लिए बोला है। हम देखेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाये। केवल श्री मोहन सिंह के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में रखा जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने खुद ही उनको ऐसा न कहने के लिए बोला है। आजमी साहब, आप बैठिये। यह इम्पोर्टेंट डिस्कशन है इसलिए इनको बोलना चाहिए। हम जानते हैं कि मोहन सिंह बहुत आचारशील हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, आईपीएस अफसर भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं और भारत सरकार को संज्ञान में लिये बिना निरपराध ढंग से यदि पुलिस प्रशासन का बंटवारा राजनैतिक ढंग से किया जायेगा, तो हम जो अपेक्षा करते हैं, उस अपेक्षा के अनुसार पुलिस प्रशासन आतंकवाद से निपट नहीं सकता। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार में एक समन्वय होना चाहिए। जब तक भारत सरकार और प्रदेश सरकार का समन्वय नहीं होगा, हम इस तरह की गतिविधियों पर नियन्त्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं।

यह घटना होने के बाद शासन चलाने वालों का जो व्यवहार था, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। भारत सरकार को इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन्स दी जानी चाहिए कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन्स हैं, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम करें। जहां कहीं भी इस तरह की घटना हुई, जो मृतक पाए गए, खास तौर से अधिवक्ताओं को दस लाख रुपए मुआवजा मिलता था। उत्तर प्रदेश में पहले दो-दो लाख रूपए, फिर तीन-तीन लाख रुपए देने की घोषणा हुई। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की ओर से कुछ कोशिश हुई होगी इसलिए अब पांच-पांच लाख रुपए चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई जेल परिसर के अन्दर होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): इसके बारे में आदेश जारी हो चुका है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: इसकी जानकारी आपको होगी, मैं तो इस माननीय सदन में यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई जेल परिसर में होनी चाहिए।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी अधिवक्ता इस अभियोजन से सम्बन्धित हैं, उनकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए और भारत सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस का माडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, वहां पुलिस में संख्या-बल बढ़ाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसके बारे में उल्लेख मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे डिलीट कर दिया है।

श्री मोहन सिंह: इससे पुलिस बल का मनोबल ऊंचा नहीं होगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया राज्य की पुलिस के बारे में उल्लेख मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए, मैंने इस बात को निकाल दिया है।

श्री मोहन सिंह: महोदय, भारत सरकर की गाइडलाइन्स पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर गौर फरमाऊँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। राज्य पुलिस प्रशासन पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। मैं आपसे सहमत हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्वयं यह कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: महोदय, यह जो कह रहे हैं, वह सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आजमी साहब, आप बहुत रेसपेक्टेड मेम्बर हैं, आप बैठिए।

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं सदन में नियमों से परिचित हूं लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां है, यदि उनमें तत्काल सुधार नहीं किया गया तो इन तात्कालिक घटनाओं में विस्तार हो सकता है और भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के तंत्र का वहां विस्तार होना चाहिए एवं उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की गुप्तचर एजेंसियों में सुधार किया जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले देश के सभी डी जी की बैठक हुई थी उसमें गृहमंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि सभी राज्यों में यह जो इंटेलिजेंस फेल्योर है और जिस तरह का आधुनिकीकरण इंटेलिजेंस का होना चाहिए, वह राज्यों के स्तर पर नहीं हुआ है। गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनके निशाने पर पूरे देश के सभी धर्मों के आस्था-केन्द्र हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए और खास तौर से आस्थाओं के जो केन्द्र नगर हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस दुर्भाग्यपूर्ण बात को कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं यह नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: यह एक आम पद्धति रही है कि किसी भी राज्य सरकार की विफलता को इस सदन में उठाया जाता रहा है. *..(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह: मैंने यह बातें आग्रह के तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्यवाही करने के लिए कही हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सभा का प्रत्येक सदस्य सहयोग करें। एक प्रकार से मैंने विषय की अविलंबनीयता के कारण अनुमति दी है।

मुख्य विपक्षी दल से दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि श्री संतोष गंगवार अथवा प्रो. मल्होत्रा में से कोई एक सदस्य ही बोले। कृपया इसका निर्णय आप कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): योगी जी को पहले बुला लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भी उत्तर प्रदेश से हैं ठीक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, योगी जी को भी बुलाएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने भी सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, क्या आप हमें अनुमति देंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह तो कोई बात नहीं हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप समुचित रूप से चर्चा कराने हेतु मेरे विनम्र प्रयासों में बाधा डालेंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जिन दो सदस्यों ने नोटिस दिया है, उन्हें तो अलग करें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है देखेंगे।

[अनुवाद]

केवल एक सदस्य बोल सकता है यह तात्कालिक चर्चा है। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस विषय पर लंबी चर्चा नहीं कर सकते। हम आंतरिक सुरक्षा पर समुचित चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर मामला है। ऐसे बीच-बीच में टीका-टिप्पणी मत कीजिए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा कराने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरी प्रत्येक सदस्य से अपील है कि वह कृपया इसकी अनुमति दें। यदि कुछ भी अनुचित कहा जायेगा तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल योगी आदित्यनाथ के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, 23 नवम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख जनपदों में जो बम विस्फोट हुए हैं, उस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी ने सदन में संक्षिप्त और अधूरा वक्तव्य प्रस्तुत किया है। गृह मंत्री जी के वक्तव्य से इस सम्पूर्ण घटनाक्रम पर भारत सरकार की गम्भीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ, इन तीनों जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार बम विस्फोट नहीं हुए हैं। इसके पहले 22 मई, 2007 को गोरखपुर में तीन बम विस्फोट हुए थे। उसके दो दिन बाद सीतापुर में और फिर इलाहाबाद में बम विस्फोट हुए। इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश इस्लामिक आतंकवाद का अड्डा सा बन गया है।...*(व्यवधान)* इन स्थितियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी: आतंकवाद न हिन्दू होता है और न इस्लामिक होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं अनुरोध करूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके आप बैठ जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योगी आदित्यनाथ: मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं। 22 मई 2007 को जब गोरखपुर में बम विस्फोट हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): वह बोल रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी टिप्पणी की प्रतीक्षा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: उस समय भी उत्तर प्रदेश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अन्यथा मैं चर्चा को बंद कर दूंगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: ये लोग सदन का समय ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

आप खड़े क्यों हैं, कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं तो कृपया अध्यक्षपीठ के शिष्टता दिखाएं।

[हिन्दी]

मेहरबानी करके बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। आप क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसी कारण मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आजमी साहब सुनिये।

[अनुवाद]

यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है अनेक माननीय सदस्यों का व्यग्र होना सही है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर सूचना दी है। स्वयं मैंने भी यह महसूस किया है और सुझाव दिया है कि चर्चा कराई जाए। परंतु सभा में उत्तर प्रदेश में जो आपात स्थिति आज है और जिस पर चर्चा की जा रही है वह विस्तृत चर्चा नहीं है। जब मैंने माननीय मंत्री जी से वक्तव्य का अनुरोध किया तो उन्होंने तत्काल बहुत उचित जवाब दिया ताकि आप थोड़ी चर्चा कर सकें तथा आप पूरे देश और साथ ही सरकार की सहायता करने हेतु विचार प्रस्तुत कर सकें। इसके बजाय आप यहाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना): किसी की धार्मिक आस्था पर चोट करना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रामकृपाल यादव जी, मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। अब मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप तत्काल नहीं बैठे तो मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं और आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव: मैं अध्यक्षपीठ का अपमान नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी पार्टियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया समुचित चर्चा करें जिससे कि इस समस्या के समाधान में सहायता मिल सके।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): इस्लामिक शब्द हटाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनावश्यक रूप से मुझे कड़ी कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। कृपया ऐसा न करें। मैं आप सभी से गंभीरतापूर्वक अपील कर रहा हूं। इसलिए कोई भी किसी के वक्तव्य से बंधा हुआ नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: इस्लामिक शब्द में क्या आपत्ति है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, यहाँ क्या चल रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं सभा को स्थगित कर देता हूं और यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो मैं चला जाता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब दूसरे सदस्य बोल रहे होते हैं तो आप ही उनके भाषण में खलल डालने का प्रयास करते हैं। यदि इसमें कुछ असंसदीय है और जिसकी यहाँ अनुमति नहीं दी जा सकती है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटवा दूंगा। जब श्री मोहन सिंह बोल रहे थे तो स्वयं मैंने भी दो बार हस्तक्षेप किया था। मैं सोचता हूँ–चाहे वह सही हो अथवा गलत–वह उचित नहीं था। इसलिए, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। हम एक सार्थक चर्चा कर सकते हैं जो इस सभा की गरिमा के अनुरूप हो।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक दूसरे की बातों में विघ्न न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज सभा से किसी को तो बाहर जाना ही होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे अनुसार जो भी या तो असंसदीय होगा अथवा ऐसे किसी मामले से सम्बद्ध होगा जिस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, 22 मई 2007 को जब गोरखपुर में सीरियल बम-ब्लास्ट हुए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अगर गंभीरता से लिया होता तो संभवत: इन घटनाओं को रोका जा सकता था। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले राजनीति करनी प्रारंभ की थी। उन्होंने कहा कि यह तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ब्लास्ट करवा रही है। उसी तर्ज पर पुन: तीनों स्थानों पर 23 नवम्बर को बम-ब्लास्ट हुए हैं। यह पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई भी विघ्न उत्पन्न करता हुआ दिखता है तो मैं उसे तत्काल ही सभा से बाहर जाने के लिए कह दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सबके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो सभा नहीं चलेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? यदि आप इसमें भागीदारी करना चाहते हैं तो ऐसा करने की समुचित प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: वर्ष 2006 में वाराणसी संकटमोचन मंदिर में इसी प्रकार का बम-ब्लास्ट हुआ था और लगातर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अत्यंत संवेदनशील हो चुका है। तमाम ऐसी संस्थाएं खुलेआम इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रही हैं, बेशर्मी के साथ संरक्षण दे रही हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा उनहें संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। हम सदन में इस पर चर्चा तो कर रहे हैं और मैं समाजवादी पार्टी के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ इस सदन में आवाज उठाई है। जिंदगी में पहली बार समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ यहां बोल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अन्यथा ये लोग स्वयं जब वाराणसी पर, अयोध्या पर हमला हुआ। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दिया जायेगा। मैं इसे हटवा दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): तब सारे आतंकवादी मौके पर ही मार दिये गये थे।*...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद के मूल में सिमी और हूजी संगठन है और कहीं न कहीं इन संगठनों के प्रेरणास्रोत *...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तो सभा स्थगित कर दी जाये। मैं सभा को स्थगित करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ बोली है, क्योंकि इन्हें लगा है कि वहां कुछ गलत हो रहा है। इसके बावजूद भी मैं नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी इस विषय के प्रति ईमानदार है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपत्तिजनक शब्द को डिलीट कर दिया है।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी *...(व्यवधान)** भारत सरकार जब तक इसे गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भय और आतंक का माहौल है। लोग दहशत में जी रहे हैं। इस स्थिति में मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी को निर्देशित करें कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर यह सदन चर्चा करे, विचार करे, जो घटनाएं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं, वे कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित भी हैं और जान-बूझ कर बहुसंख्यक समाज के अंदर भय और आतंक का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। इसे भारत सरकार गंभीरता से ले और आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ले। वहां बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन संगठनों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस भाषण से पार्टी का नाम हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं अगले वक्ता, श्री बसुदेव आचार्य को आमंत्रित करता हूं और केवल उनका वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसे हटा दिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं फैजाबाद में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट की कड़ी निन्दा करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री आचार्य के वक्तव्य को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के शहरों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की कडी निंदा करता हूँ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक राष्ट्रीय मुद्दा/समस्या है और हमें इससे उसी रूप में निपटना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बाराणसी और लखनऊ में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की कड़ी निंदा करता हूं। यह गम्भीर चिंता का विषय है कि आतंकवादियों ने यह देखते हुए कि न्यायालयों में हजारों लोग मौजूद होते हैं, अब उन्हें निशाना बनाना आरंभ कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हमें एक-दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आतंक की इस कायरतापूर्ण हरकत के पीछे षडयंत्र का पर्दाफाश करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए और दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

महोदय, इस सभा में जब भी बम विस्फोटों पर चर्चा हुई है तो सदैव ही कई सदस्यों ने आसूचना की विफलता पर उंगली उठाई है। इस घटना विशेष के बारे में भी, हमें विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि यह अचानक अथवा उसी समय किया गया हमला था अपितु यह पूर्ण योजनाबद्ध एवं सुनियोजित हमला था। यदि यह योजनाबद्ध एवं सुनियोजित हमला था तो केन्द्र सरकार के आसूचना विभाग को इन घटनाओं के घटित होने की जानकारी किस प्रकार नहीं थी।

महोदय, हम जानते हैं कि कई वर्षों पूर्व, 1994 में, 12 दिसम्बर, 1994 में विमानों के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशों से लाये गए अत्याधुनिक हथियारों को हमारे पुरूलिया जिले में गिराया गया था। भारत सरकार को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। हमने देखा है कि हाल ही में देश में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट होने लगे हैं। ये सब श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट योजनाबद्ध एवं सुनियोजित होते हैं। इसलिए, हमें अपने आसूचना विभाग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। निगरानी तन्त्र में सुधार किया जाना चाहिए।

संकट के समय पर वाराणसी की जनता ने बहुत साहस दिखाया और आतंकवादियों की मंशा का एकजुट होकर सामना किया। ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो हमेशा कुछ लोग ऐसी स्थिति को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास करते हैं। जनता को एकजुट करना आज समय की आवश्यकता है। चाहे यह अल्पसंख्यकों का कट्टरवाद हो अथवा बहुसंख्यकों का कट्टरवाद हो, दोनों ही देश के लिए खतरनाक है और दोनों ही देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं और हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। इन स्थितियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। इसलिए, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि गृह मंत्री सभा को यह बताए कि क्या पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान देश के किसी हिस्से में ऐसी घटनाओं की पूर्व सूचना भारत सरकार को मिली थी। उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यदि भारत सरकार को इन घटनाओं की जानकारी थी तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई? आज समय की यह मांग है कि उग्रवादी और कट्टरवादी दोनों ही प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सामना एकजुट होकर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय में बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं किया है। उन्होंने नोटिस दिया है। आप नोटिस भेजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: इन्होंने अभी-अभी नोटिस दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से संबंधित घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जानकारी इकट्ठी की थी, वह लिखित रूप में पढ़ कर सदन को दी। एक बिन्दु उन्होंने यह बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे न्यायपालिका परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंतिम पैरा में कहा कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं की कभी इजाजत नहीं दी जा सकती। हम को जानकारी नहीं है कि कभी ऐसी घटना करने के लिए किसी आतंकवादी संगठन ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी हो? अगर इजाजत नहीं मांगी थी तो इजाजत देने का सवाल कहां से उठता

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

है? आतंकवादी घटनाएं किसी इजाजत से नहीं होती हैं। ऐसी घटनाएं देश में न पहली है, न अंतिम है। घटनाएं घट रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी यह घटना पहली नहीं है। गोरखपुर में बम ब्लास्ट हुए, वाराणसी में हनुमान मंदिर के पास संकटमोचन के पास हुए और अयोध्या में घटना घटी। जब घटना घटती है तो सारा देश चिन्ता में पड़ता है, सदन भी चिंतित होता है, सरकार भी जानकारी हासिल करती है और वही लिखित उत्तर पढ़ कर सुना भी देती है। और हम लोग वह उत्तर बराबर सुनते भी रहते हैं। लेकिन इन घटनाओं पर हम बराबर प्रयास भी करते हैं। हम सरकार की नीयत पर शंका जाहिर नहीं कर रहे हैं। सरकार भी जरूर प्रयास करती होगी कि इस घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। परंतु हम इन घटनाओं पर नियंत्रण करने में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम यह मानकर चलते हैं कि सदन में जब आतंकवादियों और आतंकवाद की घटनाओं पर चर्चा होती है तो किसी एक शब्द को लेकर माननीय सदस्य इस तरह से दो भागों में बंट जाते हैं जैसे लगता हो कि ....* इस तरह का मैसेज यदि सदन से आतंकवादियों के बीच में दिया जायेगा तो इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं आप सबसे इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखने की अपील करता हूँ और हमें इससे इसी प्रकार निपटना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी हमें लगता है कि राजनीतिक कारणों से भी हम आतंकवादियों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा देते हैं। इस सदन पर हमला हुआ, जिसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी मारे गये। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित आतंकवादी को फांसी की सजा दी। लेकिन अभी तक उसे फांसी की सजा नहीं हो पाई है। आखिर इससे आतंकवादियों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है। इस देश के प्रजातंत्र के सबसे पवित्र मंदिर पर हमला करने वाला आतंकवादी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने के बाद सुरक्षित मौज से रहता हो, इसका आतंकवादियों में बहुत बुरा मैसेज जा रहा है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो इन्हें कसने के लिए और इन पर अंकुश लगाने के लिए एक पोटा कानून बनाया गया था। लेकिन उस कानून को यह कहकर समाप्त कर दिय गया कि यह कानून किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष धर्म के विरुद्ध बना है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: ...*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह: ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने तो नहीं बोला, उन्होंने बोला है, उन्हें इग्नोर कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो व्यवधान प्रासंगिक नहीं हैं उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। वस्तुत: उन्हें पहले ही निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

हमने एक्सपंज कर दिया, जब आप बोलिये।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास कई सहायक परामर्शदाता हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे थे कि इस तरह से हमारे कुछ राजनीतिक कारणों और कार्रवाइयों से आतंकवादी संगठनों का मनोबल बढ़ रहा है। अब एक साजिश के तहत अखबार में जैसा पढ़ने को मिल रहा है कि एक स्थानीय आतंकवादी संगठन का नाम देकर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो और लोग यह समझें कि यह देश से आतंकवाद हो रहा है। कहीं भी जब आतंकवाद की घटना घटती है तो उसका असर सिर्फ उस शहर तक सीमित नहीं होता है। देश के हर भाग में इसका असर पड़ता है। लोगों पर मानसिक रूप से इसका असर पड़ता है। लोगों ने ट्रेनों में आने-जाने में अब हिचकना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर अब बड़े-बड़े नेता पहले से पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हैं, उसके बाद शिलान्यास और उद्घाटन के लिए जाते हैं। उन्हें भी मन में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब भय लग रहा है कि हम जाएं कि नहीं जाए। यह देश अब पूरी तरह से आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुका है।

हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम न तो राज्य पर दोषारोपण कर रहे हैं और न केन्द्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। हम यह समझते हैं कि यह देश की समस्या है और अब तो यह दुनिया की समस्या बन गई है। इस पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर बात की जाए। चूंकि यह नहीं कहा जा सकता कि आज उत्तर प्रदेश में हुआ तो कल बंगाल में नहीं होगा, परसों बिहार में नहीं होगा। हर जगह ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस पर आवश्यक बैठक करें और हर राज्य में, हर जगह पर और सिर्फ न्यायालय की सुरक्षा कर देने से बात नहीं बनेगी, कल किसी शिक्षण संस्था पर हमला होगा तो शिक्षण संस्थाओं की सुरक्षा की जायेगी, किसी मंदिर पर हमला होगा तो मंदिर की सुरक्षा की जायेगी। हमारे एक-एक आम नागरिक और इस देश के हर स्थल की सुरक्षा हो, ऐसी व्यवस्था करके दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुँवर जितिन प्रसाद (शाहजहाँपुर): अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जो बम ब्लास्ट की घटनाएं घटी हैं, इसकी सबसे पहले हम सबको कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। यह बहुत चिंता का विषय है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में देखा जा रहा है कि यहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो हमने यह देखा कि हमारा प्रदेश एक समय में शांत था, हमने अयोध्या का देखा, गोरखपुर में हुआ, बनारस में हुआ और फिर कुछ दिन पहले जो बम ब्लास्ट हुए हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। असली चिंता यह है कि जो आतंकवादी हैं, उनके मंसूबों को पूरा करने में हम लोग भी उन्हें बढ़ावा देते हैं। हमने यह भी देखा कि इन बम ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद ही प्रदेश सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और उन्होंने यह कहा कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, खुफिया तंत्र उनके अंदर आता है, उन्होंने हमें सूचना नहीं दी। यह आतंकवाद का मुद्दा है, हम सबके एक साथ रहकर, एकजुट रहकर इसका सामना करना है। अगर हमें यह देखने को मिलेगा कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, प्रदेश सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है, कोई अपनी बात रख रहा है, इससे आतंकवादियों के मंसूबे पूरे होते हैं और उसका लक्ष्य पूरा होता है।

जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमने देखा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि कोर्ट में वकीलों को लक्ष्य बनाया गया। वे वकील जो लोगों को बचाने का काम करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। यह भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो सरकारें आई हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की हो, पुलिस फोर्स का जिस तरीके से डीमोरेलाइजेशन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग हर चंद दिनों में हो जाती है, इससे यह लगता है कि जो पुलिस का काम है, जो सूचना व कानून-व्यवस्था का काम है, वह पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में गिरावट आ रही है। आज की तारीख में 18000 ऐसी पोस्ट्स हैं जो वेकेंट हैं। ये भरी नहीं गई हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनको बढ़ावा मिल रहा है।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवाद से कम्प्रोमाइज किया गया हो। हम लोगों को एक साथ रहना होगा, एकजुट रहना होगा, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करनी होगी। यह नहीं कि जो हमने देखा कि अंडर प्रैशर होकर भजपा में एक समय में कंधार का जो मसला हुआ था, तभी सरेंडर कर दिया था। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग एकजुट होकर अपनी बात रखें और इस आतंकवाद का सामना करें।

जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, हमें इसमें भी जरूरत है कि जो हमारी इंटेलीजेंस एजेंसीज है, जो हमारा खुफिया विभाग है, हमें इसमें बैटरमेंट करना होगा, इसे थोड़ा और चुस्त करना होगा। देखा गया है कि खास तौर से कांगेस पार्टी में हमारे दो बड़े नेता पिछले कई सालों में जो हादसे हुए हैं, उनमें उनकी जानें गई हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमें अपनी इंटेलीजेंस एजेंसीज को भी चुस्त करना होगा। इसकी तरफ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा; केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का भाषण सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही-वृत्तांत में केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का भाषण सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। श्री स्वाईं मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा भाषण दिया: इसे खराब न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश व सबसे बड़ा प्रदेश है।...*(व्यवधान)* इस प्रदेश में तीन जनपदों-फैजाबाद, बनारस और लखनऊ में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है जहां सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस तरह के सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी ही कम है लेकिन ये बम विस्फोट राष्ट्रीय चिंता का विषय है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय ही नहीं यह एक चुनौती भी है। आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद से निपटने के लिए यह राष्ट्रीय चुनौती हमारे सामने है क्योंकि यह बात सही है कि बाहरी ताकतें, बाहरी हाथ हमारे देश के अंदर घुसकर उपद्रव मचा देते हैं। अभी इन बम ब्लास्ट में 13 जानें गई हैं और 56 लोग घायल हुए हैं, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

ये बाहरी ताकतें इतनी मजबूत कैसे हैं कि हमारे देश में घुसकर आतंक मचाकर, उपद्रव मचा देते है, इनसे हमारी जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है? हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खतरा डालने वाली बाहरी ताकतों को पकड़ने के लिये, क्या हमारा खुफिया तंत्र और राज्यों के खुफिया तंत्र सक्षम नहीं हैं? मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर अलग से चर्चा होनी चाहिये क्योंकि हमारी खुफिया पुलिस मे कहीं न कहीं खोट है, त्रुटि है। जो हमारे खुफियातंत्र क्रियाशील है, उनमें कहीं न कहीं ऐसी त्रुटि है जिससे ये घटनायें हो रही हैं। इसमें किसी दल या सम्प्रदाय का सवाल नहीं है। इसलिये आतंकवाद को किसी सम्प्रदाय विशेष से इस सवाल को जोड़ना गलत है, आतंकवाद का मुकाबला तभी हो सकता है जब देश के अंदर साम्प्रदायिक सद्भाव को मजबूती मिले जिससे हम राष्ट्र को बाहरी आतंकवाद के हाथ से बचा सकते हैं और तभी हम आतंकवाद से निपट सकते हैं, तभी यहां साम्प्रदायिक सद्भाव उभरेगा। जब देश की मजबूती को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कट्टरपंथी विचारधारा बनेगी तो देश आतंकवाद से निपटने में सफल नहीं होगा। इसलिये किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपनी कट्टरपंथी विचारधारा या संकीर्ण विचारधारा को आतंकवाद विषय पर बहस करते सयम इसे संलग्न करे। यह दुखद बात है। क्योंकि यह बम विस्फोटों की श्रृंखला न केवल फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में हुई है बल्कि मुम्बई और दिल्ली में लगातार चल रही है। पिछले दिनों हैदराबाद में हुआ। यह सम्पूर्ण देश का सवाल है। इसलिये, देश के अंदर जो आतंकवाद की गतिविधियां तेज हुई हैं, क्या हमारी देश की खुफिया एजेंसीज के पास इससे निपटने के लिये कोई सूचना तंत्र नहीं है? अगर केन्द्र और राज्यों की खुफिया एजेंसियों को पूर्व सूचना हो तो इन दोनों संबंधित कार्यों के लिये जाइंट ऑपरेशन होना चाहिये, को-आर्डिनेशन मजबूत होना चाहिये ताकि समन्वित कार्यक्रम से एक विशेष अभियान चलाकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके। जो देश में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, उससे सारा देश प्रभावित होता है इस वातावरण में सम्पूर्ण राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता का चिन्ता का विषय है। हम सब लोगों को इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना चाहिये। आतंकवादियों के मंसूबों का डटकर मुकाबला करते हुये उन्हें चूर-चूर करने के लिये हमें जनता से अपील करनी पड़ेगी। केवल पुलिस ही नहीं, खुफियातंत्र भी अपना काम करें। आम जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिये कि सम्प्रदायिक सद्भाव देश के अंदर मजबूत करके आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है, यही मेरा विचार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा आप जानते हैं, हम आंतरिक सुरक्षा पर एक समग्र चर्चा करने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा करें। हर कोई बहुत अधीर है। अतएव, इस खास दुखद और गंभीर घटना का संक्षिप्त हवाला दें। मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा में विचारों में एकरूपता है।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आज देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 23 नवम्बर को फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में यह घटना हुई। ये विभिन्न मंडलों के केन्द्र हैं और इन मंडलों का हैडक्वार्टर

लखनऊ है जहां आतंकवाद की यह घटना हुई है। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिये एक चैलेंज है। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी उत्तर प्रदेश में हमला होता है तो समझिये कि पूरे देश पर हमला हुआ है और यह देश के लिये चैलेंज है। हमारे विभिन्न राजनैतिक दलों के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस आतंकवाद से निपटने की बात कही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने राजनीतिक भावना से ओत-प्रोत होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करने की बात कही। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अगर हमारे मन में राजनीतिक द्वेष की भावना है तो आतंकवाद का मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद फैलता है तो राजनीति से ऊपर उठकर हर दल के नेता को यहां तक कि पूरे सदन के सदस्यों को राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देना चाहिए कि हम भी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं।

अभी हमारे साथियों ने कुछ सांसदों को यह कहकर इंगित किया कि ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: मैं कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों तरफ की बात कहता हूँ कि अगर इस सदन के अंदर हम इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप करेंगे तो यह सदन ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि आज ऐसे मुद्दे पर बहस हो रही है जहां राजनीति झलक रही है। आज मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब यह घटना घटी तो हमारी माननीया मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसे बड़ी गंभीरता से लिया। वे तत्काल तीनों घटनास्थल पर गईं। उन्होंने कतई इस प्रकार की चिन्ता नहीं की कि फिर कोई बम फट सकता है। वे फैजाबाद गईं, बनारस गईं, लखनऊ घटनास्थल पर गईं और रात के ।। बजे तक एक-एक मरीज से हालचाल लिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, यदि आप बाधा डालते रहेंगे तो मैं आपको बोलने के लिए नहीं बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: वह भी मैं बताऊंगा, मुम्बई भी हम आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। हमारे सत्ता पक्ष के युवा सांसद शाहजहांपुर के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में ला एंड आर्डर ध्वस्त हुआ है, लॉ एंड आर्डर ध्वस्त नहीं हुआ है। यह आपकी भूल है। ऐसे अधिकारियों का जल्दी-जल्दी स्थानांतरण करना और उनको तत्काल हटाना भी बहुत जरूरी है। जो शासन करना नहीं जानते हैं, उनकी जगह उनको बैठाया जाएगा जो शासन और सत्ता को चलाना जानते हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश की तरफ माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है। हमारी सरकार सत्ता में हैं, हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, हम 1999 में पहली बार सांसद बनकर इस लोक सभा में आए। 1999 में इसी लोक सभा में हम लोग बैठे थे जब आतंकवादियों का हमला हुआ था। पूरे सदन ने एकजुट होकर इसको कंडैम किया था। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दोष इनका है। दोष पूरे सदन का है, सारे दलों का है, सारे राष्ट्र का है और अगर हम आतंकवाद को नहीं रोक पाए तो हमें सरकार चलाने का हक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घुसे। मुंबई में या बिहार में अगर आतंकवादी घुसते हैं तो दायित्व केन्द्र में बैठी सरकार का होता है। मैं नहीं कहता कि आज यूपीए की सरकार है, कल किसकी सरकार होगी, लेकिन यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। आतंकवाद कहां से आता है? आतंकवाद सीमा पार से आता है। सीमा से अगर आतंकवादी घुस गए तो वे कहीं भी विस्फोट करेंगे, कहीं भी आतंक फैलाएंगे। आतंकवाद का कोई मकसद नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। आतंकवाद का मकसद सिर्फ आतंकवाद पैदा करना है। मैं कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद को रोकने के लिए समूचे सदन को एकजुट होना चाहिए। विभिन्न देशों में आतंकवाद फैला है, लेकिन आज जैसे हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा देश है, इस देश के अंदर जितनी हिन्दू-मुस्लिम एकता हमारे देश में है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है इसमें अगर आतंकवाद फैलेगा तो हिन्दू-मुस्लिम एकता पर कुठारघात होगा। माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अभी प्रभुनाथ सिंह जी भी कह रहे थे कि समस्त मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। केन्द्र में समस्त मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं कि आज मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, कल यह मुद्दा गुजरात का हो सकता है, परसों मध्य प्रदेश का हो सकता है। इसके लिए समस्त मुख्यमंत्रियों को सचेत करना होगा और अपनी आई.बी. को दुरुस्त करना होगा। सदन में यह कह देना कि इस तारीख को स्टेटमैंट दिया गया कि आई.बी. ने जानकारी दी थी। मैंने माननीया मुख्यमंत्री जी से बात की है। किसी भी प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री जी को नहीं थी और यह कहना कि सूचना थी, बिल्कुल निराधार है।

[श्री राजेश वर्मा]

आज मैं कहना चाहाता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लें। हमारी सरकार, हमारा दल पूर्ण रूप से आपको समर्थन देने के लिए तैयार है आतंकवाद से लड़ने के लिए। आज यह कह देना कि बजहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से फेल है, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बहुमत की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात करते हैं?

...(व्यवधान)

श्री राजेश वर्मा: उत्तर प्रदेश में 16 वर्ष के बाद, हमारे देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ...*(व्यवधान)* यह कह देना कि उनके साथ बहुमत नहीं है, आने वाले समय में पूरे देश के अंदर पता चलेगा, हम हर जगह घुस रहे हैं और हर जगह जाकर बहुजन समाज की बात को कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा दल, मेरी पार्टी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी कल ही पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सब की एक महत्त्वपूर्ण बैठक बुलाई है और यह निर्देश देने जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज के बाद आतंकवाद का नाम नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा और आप सबको यही कहना चाहूंगा कि पूरे सदन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब को एक-एक करके बुलाएंगे, नहीं तो आप गुस्सा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, आज ही की तरह उदार रहिएगा, क्योंकि आज आप बिना नोटिस के भी बुला रहे हैं। हमें भी कभी-कभी बिना नोटिस वाली सूची में रखिएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, सही बात बोलने से ऐसा होगा, गड़बड़ करने से नहीं होगा। चेयर के साथ थोड़ा सहयोग कीजिए, सब को मौका मिलेगा। सब इधर-उधर से बैठकर चिल्लाते हैं, किसी को ज्यादा टोका-टाकी न करें, थोड़ा-थोड़ा करना अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिस प्रकार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उससे मैं वास्तव में आहत हूं। सवाल यह है कि देश को अस्थिर किया जा रहा है, देश की राष्ट्रीय एकता खतरे में डाली जा रही है, विदेशी हाथ की आशंका वाली कई कट्टपंथी ताकतों द्वारा देश की राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सामने यह मुद्दा है।

केवल कुछ ही महीने पहले हैदराबाद में दो बार श्रृंखलाबद्ध बम धमाके जैसी घातक घटना हुई थी। इससे पहले मुम्बई और उससे पहले अजमेर को निशाना बनाया गया था। अत: इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर एक पूर्ण चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इस मुद्दे पर बात करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, बात यह है कि आतंकवाद देश को आघात पहुँचाना चाह रहा है। यदि ऐसा है तो हम इसे विवादास्पद क्यों बना रहे हैं? प्रश्न यह है कि यदि आतंकवाद एक खतरा है तो राष्ट्रीय एकता ही उसका एकमात्र उत्तर है। यदि संकीर्ण राजनीतिक टिप्पणी द्वारा, जिस प्रकार यह की जाती है, राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ती है तो मेरे विचार से हम वैसा ही लग रहे हैं जैसा आतंकवादी चाह रहे हैं कि हम करें। पूरी सभा को यह एहसास होना चाहिए। अत: मैं सता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे कोई वक्तव्य देने और आरोप लगाने तथा यह कहने से बचें कि उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है, देखा जाए तो इस देश में कौन सी सरकार विफल नहीं रही है। अतएत, स्थिति यह है कि राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर आसूचना प्रणाली की भारी विफलता रही है। यह विफलता उस समय भी देखने को मिली जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। यह विफलता, आज भी दिखाई दे रही है जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। यह एक सतत् और भारी विफलता है हर बार माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देते हैं, वह कहते हैं कि कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और जानकारी को अद्यतन बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। किन्तु मुझे लगता है कि वही स्थिति बरकरार है। देश के इस या उस हिस्से में क्या होने जा रहा है इसके बारे में हमारे आसूचना तंत्र को जानकारी नहीं है या वह जान नहीं पाती है या जानकारी के लिए उसके पास अवसंरचना नहीं है। अंत में मैं खासकर जानना चाहूँगा कि इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

यह एक प्रशासनिक कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री को देश को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक पहल करनी चाहिए।

प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक समग्र वाद-विवाद नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: राज्यों तथा प्रधानमंत्री द्वारा सभी स्तरों पर एकता बनाने के लिए राजनीतिक पहल की जानी चाहिए।

अंत में, मुझे विश्वास नहीं है कि इसका उत्तर पोटा है। मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर है आधुनिक आसूचना प्रणाली और राष्ट्रीय एकता सहित एक मजबूत देश। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। हम एक समग्र वाद-विवाद करेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में हमें चर्चा करने का अवसर मिला था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम उत्तर प्रदेश की घटना पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हमने देखा है कि यह सरकार पूरे देश में आतंकवाद का मुकाबला करने में पूर्णत: विफल रही है...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: वह कहते हैं, "यह सरकार विफल रही है" मानो कि पहले की सरकार सफल रही है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: समूचा देश 23 नवंबर, 2007 को उत्तर प्रदेश में घटित इस नृशंस घटना के समाचार से स्तब्ध है। यह केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की लाचारी प्रकट करता है। यह खुफिया तंत्र की विफलता है।

उत्तर प्रदेश अब देश में बड़ी संख्या में आई एस आई समर्थित जासूसी माड्यूल्स का केन्द्र बन गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर डेढ़ घंटे से ज्यादा समय से चर्चा कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में उल्लेख कर रहा हूं।

इस सरकार द्वारा पता लगाए गए 39 माड्यूल्स में से केवल उत्तर प्रदेश में 10 माड्यूल्स का पता लगाया गया है जो कि एक तिहाई है। मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य आईएसआई समर्पित जासूसी का अड्डा बन गया हैं उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर, 2007 की घटना से आतंकवादियों ने एक बार फिर याद दिलाया है कि वे इच्छानुसार हमला कर सकते हैं कई लोग मारे गए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने इसकी जानकारी दी है। पूरा ब्यौरा देना आवश्यक नहीं है। देश में आंतरिक सुरक्षा की समस्या काफी गंभीर और चिंताजनक है।

मैं सभा तथा माननीय मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से निम्नलिखित तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2004 से, भारत मे आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या इराक, अमरीका तथा यूरोप एवं यूरेशिया में मारे गए लोगों की संख्या को एक साथ मिलाने के बाद विश्व में सबसे अधिक है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आंतरिक सुरक्षा पर बहस होगी। आप उस समय यह सब उठा सकते हैं। अब हम केवल उत्तर प्रदेश में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके पश्चात् हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा हमेशा कहा जाता रहा है कि खुफिया तंत्र की विफलता इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार कारण हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि सरकार के पास इच्छाशक्ति का अभाव है।

स्पष्टत: इस सरकार के पास कोई इच्छाशक्ति नहीं है तथा कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। उससे भी बदतर राजनीतिक संरक्षण का संदेह है। आतंकवादियों के हमलों पर निवारणात्मक रूप में तथा मौत के सौदागरों पर कानूनी कार्रवाई करने में सरकार की अस्पष्ट प्रतिक्रिया ने समूचे देश को स्तब्ध किया है।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि आतंकवाद रोकने के लिए उनका क्या कारवाई करने का प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)* जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को कोई पूर्व सूचना नहीं थी, तो वास्तविक स्थिति क्या है तथा इस चीज के बारे में राज्य सरकार को क्यों नहीं बताया गया?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं, प्लीज कन्क्लूड।

[अनुवाद]

आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, 23 नवम्बर को उत्तर प्रदेश में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कोर्ट में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिस पर जानकारी देने वाला एक वक्तव्य गृह मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा। उस पर हो रही इस बहस में मोहन सिंह जी जब यहां पर बोल रहे थे, तब एक सत्य कथन उन्होंने इस सदन में किया है। उन्होंने कहा कि यू.पी. आतंकवादी का गोदाम बन चुका है। यदि आतंकवाद का गोदाम बन चुका है तो सबसे पहले हमें इस चीज की ओर देखने की आवश्यकता है कि इस आतंकवाद की जड़ें कहां पर हैं। जब डी.पी. यादव जी बोल रहे थे, तब उन्होंने पड़ौसी देश का का उल्लेख किया। राजेश वर्मा जी बोल रहे थे, तब उन्होंने भी पड़ौसी मुल्क का उल्लेख इस संदर्भ में किया। कई पूर्व सदस्यों ने पड़ौसी देश का उल्लेख किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आउटसाइड बोला है, किसी देश का नाम नहीं लिया।

श्री अनंत गंगराम गीते: हां, आउटसाइड मतलब पड़ौसी।

अध्यक्ष महोदय: पड़ौसी तो नेबर होता है, उन्होंने नेबर का नाम नहीं लिया। आप बाहर का देश बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: नाम लेने से ये लोग कतरा गये, लेकिन मुझे नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं हैं यह सारा आतंकवाद जो दशे में हुआ, इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। यदि हम यह साहस भी हमारी पार्लियामेंट में, हिन्दुस्तान की संसद में न कर सकें तो हम किस तरह आतंकवाद से लड़ेंगे, वह साहस भी यदि हम नहीं कर सकते। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस सदन में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, हर गृह मंत्री ने यह कहा है। ।।वीं लोक सभा से मैं इस सदन में हूं, चाहे सरकार एन.डी.ए. की हो, चाहे सरकार यू.पी.ए. की हो, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी हों, गुजराल जी हों, अटल जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले हर गृह मंत्री ने इस सदन मे कई बार यह एडमिट किया है कि जो भी आतंकवाद चल रहा है, इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह हमारा जो पाक आक्यूपाइड कश्मीर है (पी.ओ.के.), वहां दी जाती है, यह सदन में जवाब है और यह वास्तविकता है। उसे कहने में भी यदि हम कतराते हैं तो आतंकवाद से लड़ने की बात तो बहुत दूर है।

आज पाकिस्तान जल रहा है। वहां पर मिलिट्री राज है और यह हमारा जो दुश्मन देश है, वह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में शान्ति और अमन रहे, यहां के लोग शान्ति से जिएं यहां पर हिन्दू मुस्लिम भाईचारा हो, यह वे नहीं चाहते हैं वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में अशान्ति रहे, यहां पर दंगे हों, यहां पर दो धर्मों के बीच में विवाद हो और इसीलिए इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं।

अध्यक्ष जी, ये सीरियल बम ब्लास्ट हुए, एक के बाद बम ब्लास्ट होते जा रहे हैं और इस सदन में हम हमारी आई.बी. को यहां पर जिम्मेदार ठहराते हैं। हम स्टेट आई.बी. को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारे खुफिया विभाग ने जानकारी नहीं दी। क्या खुफिया विभाग करता है, क्या राज्य का खुफिया विभाग कर रहा है। सवाल यह उठता है कि जब हम किसी एजेंसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो पहले हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि जब हम सरकार में होते हैं तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी हिम्मत के साथ निभाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह मामला बिल्कुल साफ है। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने तो नोटिस भी नहीं दिया, तब भी हमने आपको बुलाया। अब आप पांच मिनट बोल रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसी प्रकार आपने कई सदस्यों को भी दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जिन लोगों ने नोटिस दिया था। आपने तो नोटिस भी नहीं किया था, तब भी आपको बुलाया।

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप चाहें तो मैं बैठ जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप तुरन्त खत्म कीजिए प्लीज।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब हम किसी खुफिया एजेंसी के ऊपर या हमारी काम करने वाली जो संस्था है, उनको जब हम दोषी ठहराते हैं, तो हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो चाहे सरकार एनडीए की हो, यूपीए की हो या

किसी दूसरे की हो, गृहमंत्री कोई भी हो, हमें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि क्या सरकार के तौर पर हम सचमुच आतंकवाद से मुकाबला करना चाहते हैं? इस बारे में प्रभुनाथ सिंह जी ने आवाज उठायी। इस संसद पर हमला हुआ। हम इस संसद में थे। इस संसद के हमले में सुप्रीम कोर्ट ने जिसे दोषी करार कर दिया, उस अफजल को आज तक फांसी नहीं दी जा सकी। उनका यह प्रपोजल जिसे दोषी करार कर दिया, उस अफजल को आज तक फांसी नहीं दी जा सकी। उनका वह प्रपोजल आज तक प्रेसीडेंट के पास पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री संतोष गंगवार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे?.. .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने पहले ही ऐसा कहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्य ने ऐसा उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमारे में वह साहस नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष गंगवार। केवल उनका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बहुत से साथियों ने बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुयी, उसके बारे में अपना रोष व्यक्त किया और वे वास्तव में दुभाग्यपूर्ण हैं। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि यह कोई तात्कालिक या आज की घटना नहीं है। अब अखबार में नाम आ गया कि इंडियन मुजाहिद्दीन नाम का कोई नया संगठन बन गया और उसके द्वारा घटना की गयी या उसके बाद यह आया कि यह हूजी का कारनामा है। हमारी समझ में यह बात आनी चाहिए और जैसा कि पहले भी कहा गया कि अगर हम जड़ में नहीं गए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी एक सप्ताह पहले सत्तादल के एक नेता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पकड़े गए। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्घटना करने का इरादा था। इसके बाद भी अगर केंद्र और प्रदेश की सरकार इस बात की लड़ाई लड़े कि हमें बताया था या नहीं बताया था, तो मुझे लगता है कि यह एक दूसरे पर टालने की बात है। खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दशक से जो घटनाएं हुयी हैं और खासतौर से अगर पांच वर्ष की घटनाओं का आम हिसाब-किताब लें, तो 247 आतंकवादी उत्तर प्रदेश मे पकड़े गए हैं या चाहे बहुत बड़ी तादाद में 165 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया हो, चाहे 265 ए.के.-47 पकड़ी गयी हो, चाहे एक करोड़ रुपया नकद पकड़ा गया हो, चाहे हैंड ग्रैनेड पकड़े गए हों या राकेट लांचर पकड़े गए हों, क्या इस बात को यह प्रदर्शित नहीं करता है कि जो सरकार आए उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि ये घटनाएं हमारे प्रदेश के अंदर हो रही हैं और हम इसकी चिंता करके इसका निस्तारण करें। यह बात तो समझ में आती है कि इस समय एक सरकार है और पहले दूसरी सरकार थी। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय, गैर-कानूनी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: संतोष जी, आप बहुत रिस्पांसिबल मेबर हैं।

[अनुवाद]

मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय, जहां तक जड़ की बात है, आजादी के पहले से उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय में इन घटनाओं की जड़ें पली हुयी थी। आज भी केंद्र का गुप्तचर विभाग यह कहता है कि उस विश्वविद्यालय के अंदर पड़ोसी देश के समर्थक काम कर रहे हैं और वहां कोई जा नहीं सकता है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे और हम चाहेंगे कि सारी बातें दुरुस्त हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि यह संभव है।...*(व्यवधान)* यह बातें सही हैं।...*(व्यवधान)* आज ...*(व्यवधान)** नई विभागों में कोई जा नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: ये भाषण देने से पहले आरोप लगाने लगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे पहले ही निकाल दिया है। श्री गंगवार, आप एक बहुत वरिष्ठ तथा सम्मानीय नेता हैं।

[हिंदी]

श्री संतोष गंगवार: हमारे उत्तर प्रदेश की करीब सौ किलोमीटर सीमा नेपाल से मिलती है। वहां पर इस तरह से आना-जाना रहता है कि अगर कोई आतंकवादी वहां से आ जाए, तो इसकी रोकथाम हम नहीं कर सकते। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि राजनीति से ऊपर उठकर, सपा और बसपा एक-दूसरे पर आरोप न लगाएं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों ही इन घटनाओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। यह तथ्य सामने है और सभी इस बात को जानते हैं...*(व्यवधान)* अगर वोटों की राजनीति करेंगे, ऐसे समुदाय का तुष्टीकरण करेंगे, जिसके वोट लेकर हम सरकार में आ जाएं, तो इन घटनाओं में कमी नहीं होगी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मानना यह है कि अगर आपने आतंकवादी को आतंकवादी नहीं माना, अगर पाकिस्तान हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है और हम उसकी आलोचना नहीं करते, उसकी भर्त्सना नहीं करते, तो हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ गलत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में माननीय गृहमंत्री जी गंभीरता से बैठकर यह तय करें कि उत्तर प्रदेश अब आतंकवाद का सक्रियता से क्षेत्र बनता जा रहा है। कई ऐसे संगठन यहां कार्यरत हैं जिनकी प्रतिक्रिया को रोकना बहुत आवश्यक है। यदि इस हिसाब से मिल-बैठकर काम करें तो ज्यादा सही रहेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री निखिल कुमार। आपको कृपया चार मिनट का योगदान करना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार: इस देश में आतंकवाद अजूबा नहीं है। इस गत 30 वर्षों से इसके भुक्तभोगी रहे हैं। यह सबसे पहले पंजाब में शुरू हुआ तथा हम सभी जानते हैं कि हम पंजाब में आतंकवाद के खतरे को तब तक काबू नहीं कर सके जब तक इसके खून की होली नहीं खेली। जानमाल का नुकसान हुआ। सभी प्रकार के क्रियाकलापों, लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। एक समय ऐसा लगा कि भारतीय समाज विशेषरूप से पंजाब टूट जायेगा। लेकिन साथ ही एक मूलभूत अंतर्निहित शक्ति थी जिसके बलबूते हमने पंजाब में आतंकवाद से लड़ाई की। यह एक उल्लेखनीय तथा इतिहास का मामला है कि हमने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती। हमने किसी विशेष कानून के बल पर लड़ाई नहीं जीती। आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम (टाडा) आया था। हमने 'टाडा' के बल पर लड़ाई नहीं जीती बल्कि पंजाब के लोगों तथा हमारे द्वारा जनतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के कारण हमने लड़ाई जीती। यह जनतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि हमने 1995 में पंजाब में चुनाव करवाया तथा एक लोकप्रिय सरकार को निर्वाचित किया। इस लोकप्रिय सरकार ने ऐसे कदम उठाए कि वास्तविक समस्याओं से दो-चार हो रहे लोगों की समस्या

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूर की गई तथा आतंकवाद के प्रभाव में आए समूहों की देखभाल की गई। या सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मदद से किया गया। यह प्रश्न नहीं था कि तत्कालीन पंजाब सरकार या कोई अन्य सरकार किसी विशेष कानून से लैस थी या नहीं। ऐसा नहीं है। विशेष कानून उद्देश्य में अवश्य सफल होते हैं लेकिन वे उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्राप्त करने की आदत डाल चुके हैं। यही वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिससे हम अंततः पंजाब में आतंकवाद से निपटे। लोकतंत्र तथा लोकप्रिय जन समर्थन की इसी प्रक्रिया का अनुसरण हम कश्मीर में कर रहे हैं। पंजाब के पश्चात् आतंकवाद का केंद्र कश्मीर में स्थानांतरित हो गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। इतिहास में नही जायें। हम वह सब जानते हैं।

श्री निखिल कुमार: हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती। प्रश्न यहां राज्यों से ज्यादा संबंध नहीं रखता है, चाहे जम्मू और कश्मीर हो या पंजाब या उत्तर प्रदेश या अन्य कोई राज्य हो। वे खुफिया सूचना पर पूरी तरह निर्भर हैं वास्तव में, खुफिया तंत्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि मैं विनम्रतापूर्वक अपने मित्र श्री राजेश जी का उल्लेख करूं कि प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक गाँव का खाकर केन्द्रीय खुफिया एजेंसी कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं भेजेगा, यह साधारण चेतावनी है। मूलभूत खुफिया संग्रहण स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन का दायित्व होता है। यह राज्यों तथा केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयास से होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए काफी खुशी है कि ऐसा किया जाता है। लेकिन साथ ही, माननीय गृह मंत्री के विचारार्थ यह निवेदन करूंगा कि इस पर गौर करने की अत्यंत आवश्यकता है कि खुफिया संग्रहण की हमारी तकनीकी क्षमता, इसका विश्लेषण तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। आप मुख्य वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं।

श्री निखिल कुमार: मुख्य बात सिर्फ यह है कि माननीय गृह मंत्री विचार करें कि क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां तकनीकी इंटेलिजेंस के लिहाज से पूरी तरह तैयार है क्योंकि आजकल पूरे विश्व में इस प्रयोजनार्थ इंटरनेट का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि इस पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं अन्यथा नहीं यह बात भारत सरकार बताएगी तथा साथ ही साथ ही साथ यह कार्य राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर एक विशिष्ट मुद्दा उठाना है। कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य सहमत होते हैं तो मैं विचार करूंगा।

श्री रामदास आठवले, कृपया संक्षेप में बोलें तथा अपना भाषण तीन मिनट के अंदर पूरा करें क्योंकि हम इस मामले पर पहले ही 1½ घंटा ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में 23 नवम्बर को बम धमाके हुए, उसका मैं यहां विरोध करता हूं। अब कोई भी आतंकवादी हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में हम सब लोगों को एक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, इस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में नहीं है जब बाबरी मस्जिद गिरायी गयी, उसमें यह जड़ है। मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं बोल रहा हूं। इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सबको, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो एक साथ आने की आवश्यकता है चाहे वह सरकार मायावती जी की जो या मुलायम सिंह जी की हो। मुलायम सिंह जी, पहले यू.पी. के मुख्यमंत्री थे। इसी तरह केन्द्र में पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जब श्री मनमोहन सिंह जी की है। इसके बाद हम भी आने वाले हैं। हमारा कहना है कि कोई भी सरकार हो लेकिन आतंकवाद का निषेध और विरोध सबको करना चाहिए। श्री शिवराज पाटिल जी हमें एक मजबूत होम मिनिस्टर मिले हैं उत्तर प्रदेश में मायावती जी दलित समाज की एक मुख्यमंत्री बनी हैं। 23 तारीख को उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट हुआ और 25 तारीख को वे हमारे मुम्बई में आयी थीं वहां बीएसपी के नेता ने बोला कि वे सब स्टेट्स में भी जा रहे हैं। ठीक है, आपको मुम्बई आने का अधिकार है। मैं भी लखनऊ आने वाला हूं। इसी तरह हर पार्टी को किसी भी स्टेट में जाने का अधिकार है। इस घटना की हम रिपब्लिकन पार्टी की ओर से विरोध करते हैं और इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए बम धमाकों की निंदा

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

करता हूं। इससे मुझे अपेक्षाकृत अधिक दु:ख पहुंचा है क्योंकि मैं वकालत के पेशे से जुड़ा हूं और इन श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में मारे गए 14 लोगों में से अनेक वकील थे। समय की कमी की वजह से, मैं यहां मात्र कतिपय बातों को रखना चाहूंगा।

मैं अन्य माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस समस्या का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एक होना होगा। इन बम धमाकों से यह बहुत स्पष्ट है कि जनता राजनीतिक दलों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व है और इसका कारण यह है कि वह साम्प्रदायिक चंगुल में नहीं फंस रही है जो कि आतंकवादियों का मनूसबा है।

दूसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इन चीजों को रोकना चाहते हैं तो पहली बात जो हमें करने की आवश्यकता है वह यह है कि हमारी मानसिक सोच स्पष्ट हो ये चंद शब्द कहना बहुत अच्छा है कि हमें इस समुदाय या उस समुदाय पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, परंतु सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच एजेंसियों की सोच पूर्वाग्रहग्रस्त है कि जब कभी कोई बम धमाका होता है तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की ओर उंगली उठाई जाती है। हम दिन-रात यही कहते रहते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों का कोई धर्म नहीं होता है वस्तुत: आतंकवाद अब एक नया धर्म है। हमें यह बात समझनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि राज्य जाँच एजेंसियों यथा स्पेशल ब्रांच का उपयोग मात्र राजनीतिक दलों के कार्यों की जाँच हेतु किया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच का उपयोग इन असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी तत्वों की छानबीन करने हेतु नहीं किया जा रहा है। जहां तक इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहूंगा कि आई.बी. में मात्र दो मुस्लिम अधिकारी हैं। ऐसा क्यों है? आप इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मुझे तर्क दें। यदि आप कहते हैं कि कोई खास समस्या है, तो आप उस समस्या से कैसे निपटेंगे। जब तक आपके पास वैसे लोग नहीं होंगे जो आतंकवादियों का मनोविज्ञान व विचार समझ सकें तब तक आप आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होंगे।

अंतिम बात यह है कि दिल्ली के जामा मस्जिद, अजमेर, हैदराबाद, मालेगाँव और अन्य स्थानों पर बम धमाके हुए हैं परन्तु इन चारों स्थानों की पहचान एक विशेष धर्म, इस्लाम धर्म से है। आप अब तक वास्तविक अभियुक्तों को नहीं पकड़ पाए हैं इस प्रकार पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है? अन्य स्थानों पर हुए बम धमाकों के मामले में या तो तत्काल कोई एनकाउन्टर किया गया है अथवा आपने दोषियों को पकड़ा है। इस प्रकार मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि हमारी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप आतंकवादी हमलों को रोकना चाहते हैं, जिस पर हम सभी की एक राय है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक सनुदाय की ओर उंगलियां न उठायी जाएं। ऐसा किए जाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब, यदि आपके पास विशिष्ट प्रश्न है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। अब विशेष मामले के रूप में एक प्रश्न।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं देश में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित समाचार से जुड़े एक मामले की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में नई-नई बातें सामने आ रही है। श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हो रहे हैं तथा जेहादी आतंकवाद नई ऊंचाइयां छू रहा है।

पहले यह सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद था, अब यह देश में उत्पन्न आतंकवादी गतिविध है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उन्हें उसी रूप में नहीं लिया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश की इस घटना को बदले में की गयी आतंकवादी कार्रवाई कहा जा रहा है। बदले में की जाने वाली आतंकवादी गतिविधि का अभिप्राय यह है कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया और जब उनको पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तो उनके साथ हाथापाई की गयी और ये क्लिपिंग टी.वी. पर दिखाई गई।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मीडिया को यह बताएं कि ऐसी घटनाओं का प्रसारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उनकी परिणति ऐसी घटनाओं के रूप में न हो।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, यह काफी महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब इस अनौपचारिक चर्चा में 18 माननीय सदस्य भाग ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है, माफ कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए। मैं आप सभी का आभारी हूं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं कतिपय पहलुओं के बारे में बताना चाहूंगा जो कि स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप व्यापक चर्चा में पूरी तरह से भाग लीजिए जहां आपको बोलने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। हां माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब और चर्चा मत कीजिए। मैं आपसे माफी चाहूंगा। कृपया मुझे माफ कीजिए। हमने इस विषय के लिए एक घंटा तथा चालीस मिनट का समय लिया है। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि इस पर व्यापक चर्चा होगी। मैंने इसकी अनुमति इसलिए दी है क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। मैं उन सभी से निवेदन करता रहा हूं तथा इन्होंने अपनी बहुत ही सटीक टिप्पणियां दी हैं। माननीय मंत्री जी को सहमत होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जैसे ही मैंने सुझाव दिया, वे तुरन्त सहमत हो गए। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। हमें अपना कार्य जारी रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर नहीं सुना चाहते हैं तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर चर्चा करेंगे। डा. शर्मा आप यह क्यों कह रहे हैं? आप इस सभा में एक जिम्मेदार सदस्य हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मैं असम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: असम के बारे में बोलेंगे, आप पूरी चर्चा कर लीजिएगा। उस समय मैं आपको पूरा समय दूंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं असम के बारे में भी एक वक्तव्य देना चाहूंगा। लेकिन मुश्किल यह है कि मुझे इस चर्चा का यहां उत्तर देना है तथा उसके बाद कर्नाटक के बारे में बोलना है। मुझे राज्य सभा में जाना है तथा वापस आना है। इसलिए, यदि मुझे वक्तव्य देने ही अनुमति दे दी जाती है तो हम चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, असम के बारे में कल वक्तव्य होगा तथा उसके बाद चर्चा के बारे में बाद में निर्णय लेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यू.पी. में हुई रीसेंट इंसीडेंट के बारे में बताइए।

[अनुवाद]

हम व्यापक चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि उन सुझावों को ध्यान में रखकर दोनों सरकारों को कार्यवाही करनी होगी। यह काम मिल-जुलकर करने की जरूरत है। एक दूसरे के खिलाफ बोलकर हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वाराणसी में संकटमोचन मंदिर पर हमला हुआ था, उस समय हम लोग वहां गए थे। वहां पर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछा गया था कि क्या यह घटना इस प्रान्त की सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है? उन्होंने उसी वक्त कहा था कि ऐसे समय में इसकी लापरवाही है या उसकी लापरवाही है, यह कहना दुरुस्त नहीं है। हम लोगों को मिलकर काम करना होगा और मिलकर ऐसे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। यही दृष्टिकोण हम सब लोगों को लेकर चलना है और यही दृष्टिकोण हमेशा के लिए होना चाहिए।

सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है? श्रीमन्, आपने अभी कहा कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। उस चर्चा में कई सुझाव आएंगे। उन्हें ध्यान में रखकर हम कार्य करेंगे और सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, उस पर भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं अभी संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। वे क्या हो सकते हैं, यह मैं बताना

[श्री शिवराज वि. पाटील]

चाहता हूं। एक कदम यह है कि हम पुलिसिंग के लिए, पुलिस कार्यवाही के लिए बजट से धनराशि देते हैं, उसे बढ़ाना पड़ेगा। यह काम केन्द्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों को करना होगा। विकास पर काफी पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं और विकास हो भी रहा है। पुलिस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। इस बारे में हमने कई राज्य सरकारों से चर्चा की है। उन्होंने भी माना है कि पैसा बढ़ाना चाहिए और कुछ ने बढ़ाया भी है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को यह काम करना होगा।

दूसरी बात यह है कि स्पेशल ब्रांचेज को मजबूत करना होगा। यहां पर चर्चा के दौरान कहा गया कि इंटैलिजेंस एजेंसीज ने सूचना दी या नहीं दी। मै सदन में इस बात को बड़ी विनम्रता से रखना चाहता हूं कि हमारी जो इंटैलिजेंस एजेंसी है, वह डिफेंस की हैं इसलिए यह डिफेंस की जानकारी देती हैं दूसरी रॉ है, जों इंटरनेशनल इंफार्मेशंस इकट्ठा करके हमें देती है। तीसरी आई.बी. है, जो पूरे देश की सूचनाओं का इकट्ठा करके हमें जानकारी देती है। इसके अलावा हर प्रांत में एक स्पेशल ब्रांच होती है, जिसे हम सीआईडी भी कहते हैं। उसका काम होता है कि अपने राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करके राज्य सरकार को दे। डिफेंस इंटैलिजेंस, रॉ और आई.बी. के लिए यह मुश्किल है कि वह हर गली में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी दे। ये एजेंसीज बड़े पैमाने पर देश में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी देती हैं और अभी नहीं भी दे पाती हैं। वे यह जानकारी कितनी बार देती हैं, इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता कि इससे यह न लगे कि उन्होंने जानकारी दी और वह काम नहीं आई। हम इस तरह से दोष लगा सकते हैं, लेकिन यह दोष लगाने का नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की बात है। इसलिए हर राज्य की स्पेशल ब्रांच को मजबूत करना जरूरी है। हमने आई.बी. को मजबूत करने के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक गजेट्स देने जैसे कई कदम उठाए हैं। उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं। मगर उससे भी पूरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। सिर्फ आई.बी. पर हम निर्भर रहेंगे कि वह जानकारी देगी, उससे सारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हर राज्य को अपनी स्पेशल ब्रांच को मजबूत करना जरूरी है।

हैदराबाद में हादसा हुआ। मैं वहां गया था। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि आप स्पेशल ब्रांच को मजबूत करें। हमें बाद में बताया गया कि उन्होंने पुलिस की संख्या 38,000 से बढ़ाई है और स्पेशल ब्रांच के लिए भी विशेष कदम उठा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कदम उठाए गए हैं। अन्य कई राज्यों में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं हमारी इस सम्बंध में दीर्घकालीन योजना है। उस दृष्टि से देखा जाए तो स्पेशल ब्रांच को मजबूत करना जरूरी है। यह भी देखा गया है कि उसमें पुलिस अधिकारी नहीं आते, क्योंकि उनके काम को रिकोग्नाइज नहीं करते और उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है, उसका नाम नहीं होता, सब गोपनीय रहता है। इसलिए मुश्किल आती है।

तीसरी बात यह है कि पुलिस की संख्या बढ़ानी होगी। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, जब इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी, उस वक्त आंकड़े देकर बताऊंगा कि दूसरे देशों में पुलिस पॉपुलेशन रेशों क्या है और हमारे देश में क्या है? हमारा इतना बड़ा देश है लेकिन पुलिस की संख्या कम है। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दश के शहरों, नगरों और गांवों की संख्या साढ़े 6 लाख है और देश में पुलिस स्टेशन केवल 14 हजार हैं। इन्हीं 14 हजार पुलिस स्टेशनों से सब काम करना पड़ता है। इसलिए पुलिस स्टेशनों, पुलिस और पुलिस अधिकारियों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही पुलिस स्टेशनों में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी मजबूत करना पड़ेगा और उसे मजबूत करने के लिए केन्द्र की तरफ से हमने पैसा भी दिया है। हमने एक तंत्र बनाकर उन्हें दिया है और पैसा भी दिया है। कुछ स्टेट्स ने उसका उपयोग किया है कुछ स्टैट्स ने उपयोग नहीं किया है। यहां पर कुछ साथियों ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि केवल पुलिस के ऊपर निर्भर होकर काम नहीं चलेगा, हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा।

मान लें कि कोई अपनी दुकान में बैठा है और उसकी दुकान के सामने किसी ने थैली लाकर रखी और उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव है, उसके बारे में उनके मन में कोई शंका आ जाए और वह पुलिस को इत्तिला दे दे तो पुलिस की बहुत बड़ी मदद हो जाती है। थोड़ी सी जागरूकता हमारे लिए बड़ा काम करेगी।

हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है। यह फ्रैटरनिटी, भाई-चारे का इश्यू है। मैं बोलूं कि प्रांत की सरकार ने ऐसा नहीं किया, प्रांत की सरकार कहे कि हमने किया है तो ऐसा नहीं होता है। चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, वैस्ट बंगाल की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, बिहार की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, वहां हादसे हुए हैं और यहां पर उनके बारे में चर्चाएं हुई हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमने यहां या बाहर किसी को दोष लगाया है, क्योंकि दोष लगाने से काम नहीं चलता है। सवाल आज पैदा हो रहा है कि जब कभी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि आपने क्या किया, यह बताएं? हम अपनी पुलिस को वहां भेज नहीं सकते हैं, इंवैस्टीगेशन करवा नहीं सकते हैं, बिना बुलाए वहां जा नहीं सकते हैं और यहां पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? इसमें हमें और आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों की एक नहीं अनेक बैठकें बुलाई गयी हैं और एक अभी और

हम बुलाने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक बैठक बुलाकर इसके ऊपर विचार किया जाए। इसलिए, आपके कहने के मुताबिक, 15-20 दिनों के अंदर यहां पर मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जा रही है। एक सूचना पहले की सरकार और इस सरकार ने भी रखी है कि फैडरल क्राइम और फैडरल इंवैस्टीगेशन सिस्टम के संबंध में आपको सोचना पड़ेगा। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह जो कल्पना है यह प्रांतों को मान्य नहीं है। वे कहते हैं कि फैडरल क्राइम और फैडरल इंवैस्टीगेशन की कल्पना मान्य करेंगे तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। लेकिन अगर यह नहीं होगा तो हम वहां जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें क्या रास्ता निकल सकता है, हमें बैठकर सोचना है। मैंने कहा कि आज के जमाने में जब सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक प्रांत में अगर कोई गुनाह होता है, दूसरे या तीसरे प्रांत में होता है या पूरे देश में होता है तो कोई सिस्टम इसके बारे में निकालना बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी हम सोचेंगे। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहूंगा कि जब तक इस पर एक राय नहीं होगी जब तक हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। एक राय का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है और इसे कोई धक्का नहीं लगना चाहिए। यहां पर न्यूज-पेपर कवरेज की बात कही गयी। यह बात सच है और इसके बारे में हमारे जो न्यूज-पेपर्स के साथी हैं वे हमें मदद करते हैं। लेकिन कभी-कभी इस प्रकार से न्यूज जाती है कि मामला भड़क जाता है। जैसे किसी ने कहा कि बम-ब्लास्ट हो गया और उसमें 10 आदमी मारे गये, लेकिन कहा गया कि 100 आदमी मारे गये हैं या असम के अंदर 200 आदमी मारे गये, तो दूसरे लोगों के मन में एक रोष पैदा हो जाता है और उससे मामला भड़क जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे भी हमें देखना चाहिए। उससे मामला भड़क जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं, सभी के बारे में नहीं कहा है। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उन्हें हम ध्यान में रखेंगे। जब दोबारा चर्चा होगी, तब मैं लिखित रूप से किसी राज्य की क्या परिस्थिति है, आपको बता दूंगा। किस राज्य को कितना पैसा दिया गया, किस राज्य के पास कितनी पुलिस है, किस राज्य में पुलिस के कितने पद खाली हैं, किस राज्य में गुनाहों की संख्या बढ़ गई हैं और कहां गुनाहों की संख्या कम हुई है, किस राज्य में आतंकवाद बढ़ा है और कहां कम हुआ है, यह सारी जानकारी मैं लिखित में उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मेरी एक ही विनती आपसे है कि आप पढ़ कर जरूर आएं, पढ़ें या नहीं, लेकिन देख कर अवश्य आएं। मैं आपको ग्राफ दूंगा, जिसमें ऊपर-नीचे दर्शाया होगा। उससे पता चलेगा कि किस राज्य की क्या स्थिति है। मैं जानता हूं कि अगर आप ग्राफ देख कर आएंगे, तो दूसरे तरीके से राय देंगे। अगर पढ़ कर या देख कर नहीं आएंगे तो फिर यही बात कहेंगे। कुछ साथियों ने जो बातें कहीं, उनका उत्तर सुनने के लिए वे यहां उपस्थित नहीं हैं, वे जब आएंगे तो फिर यही बात कहेंगे। ऐसा न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ग्राफ को जरूर देख कर आएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्रीजी तथा सभा के सभी वर्गों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने एक गंभीर विषय, जो हमारे अपने राज्यों, राजधानी के बहत ही नजदीक, में हुआ है, पर पर्याप्त सहयोग दिया तथा सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। तथा ऐसे मामलों की एकता तथा अखण्डता के तरीके से निपटना चाहिए। मैं आप सभी के प्रति आभारी हूं। हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): अध्यक्ष महोदय, क्या 'जीरो ऑवर' होगा?

अध्यक्ष महोदय: आज 'जीरो ऑवर' नहीं होगा।

अपराह्न 1.57 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्य सूची में नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) कर्नाटक में नई रेल परियोजनाओं को संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक सरकार ने फ्रीडम सर्किट स्कीम के अन्तर्गत/लगभग 802.52 लाख रुपये की अनुमानित लागत से श्रीरंगपट्टनम, शिवपुरा, रामास्वामी सर्किल (मैसूर) के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

1. 1,50,14,940 रुपये की लागत से होटल मौर्य होयसला, मैसूर का प्रस्तावित विस्तार तथा अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएं।

---

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

2. 95,46,296 रुपये की लागत से यात्री निवास मैसूर में प्रस्तावित अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएं तथा इसकी प्रथम मंजिल का निर्माण।

3. 60,61,731 की लागत से हौटल मौर्य रिवरव्यू, श्रीरंगपट्टनम में एक शयनागार खण्ड का प्रस्तावित निर्माण।

4. 5,68,20,702 रुपये की लागत से हौटल मौर्य रिवरव्यू, श्रीरंगपट्टनम में कॉटेजों का प्रस्तावित निर्माण।

5. 52,26,007 की लागत से शिवापुर (मद्दुर) में प्रस्तावित इन्टरप्रटेशन सेन्टर का निर्माण।

6. 1,20,03,468 रुपये की लागत से निन्जागुण्ड में प्रस्तावित इन्टरप्रटेशन सेन्टर का निर्माण।

7. 24,96,411 रुपये की लागत से चामुण्डी मैसूर में प्रस्तावित प्रकाश दीप का कार्य।

8. 59,98,613 की लागत से होटल मौर्य, कृष्णराजसागर का प्रस्तावित उन्नयन।

9. 60,11,132 रुपये की लागत से कृष्णाराजसागर में मौर्य होटल की प्रथम मंजिल का प्रस्तावित निर्माण।

10. 45,31,105 रुपये की लागत से वेलकम गेट, मैसूर में प्रस्तावित पर्यटन सूचना केन्द्र।

11. 56,40,780 रुपये की लागत से फ्रीडम हेरीटेज सर्किल, मैसूर का प्रस्तावित सुधार।

12. 20,00,000 रुपये की लागत से साइनेजग।

ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित हैं मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है इन्हें शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

(दो) राजस्थान के बहरोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के बहरोड़ कस्बे में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 तथा भरतपुर-अलवर-नारनौल राजमार्ग आपस में क्रॉस करते हैं, यातायात सदैव अव्यवस्थित एवं बाधित रहता है। दोनों मार्गों की भारी व्यस्तता के कारण व ट्रैफिक सिगनल लाइटस नहीं होने के कारण सदैव जाम लगा रहता है तथा इस चौराहे के आसपास दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक होती हैं। अत: तत्काल आवश्यकता है कि वहां ट्रैफिक सिगनल लगे तथा शीघ्र ही यहां रोड ओवरब्रिज का निर्माण हो ताकि एन.एच.-8 का ट्रैफिक द्रुतगति से चल सके। मैं राजमार्ग मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी को इस बारे में शीघ्र निर्देश दें।

(तीन) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, सदन के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में बीएसएनएल की मोबाईल टेलीफोन सेवा बहुत ही खराब है लोगों के मोबाईल से कनैकशन नहीं मिलते हैं, मिल भी गये तो बीच में बात करते हुए कट जाते हैं और गांव का तो नेटवर्क ठीक तरह से काम नहीं करता है। जबकि दूसरी ओर यहां के प्राइवेट मोबाईल कम्पनियों के नेटवर्क बहुत ही अच्छे हैं जिसके कारण लोग बीएसएनए के कार्ड को वापिस करके प्राईवेट मोबाईल कम्पनियों के कार्ड ले रहे हैं। बीएसएनएल की सेवा में सुधार हेतु यहां मोबाईल टॉवरों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बीएसएनएल की मोबाईल सेवा के कार्यों की समीक्षा की जाये और मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में मोबाईल टेलीफोन सेवा दुरुस्त की जाये।

(चार) राजस्थान के हिम्मतनगर-विजयपुर-मेहसाना-राधनपुर राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा से निकलने वाला राजमार्ग हिम्मतनगर-विजयापुर-मेहसाणा-राधानपुर को राज्य राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करना अति आवश्यक है क्योंकि यह राजमार्ग उत्तर गुजरात के कई बड़े-बड़े शहरों को जोड़ता हैं और उत्तर गुजरात के आर्थिक विकास में यह सड़क बहुत ही मायने रखती है। अगर इस राजमार्ग को राष्ट्रीय रामार्ग में घोषित कर दिया जाये तो इस क्षेत्र के पिछड़े इलाकों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इन क्षेत्रों में रेलवे एवं वायु सेवा का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरे राज्यों को आने-जाने वाले बड़े परिवहन एवं यातायात इस राजमार्ग से होकर गुजरता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करने की कृपा करें।

(पांच) भारत-बांगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने में एनबीसीसी द्वारा किए गए काम की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे (धनबाद): मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व जब आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त है ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। चाहे उत्तर पूर्व हो या पश्चिमी भारत, देश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है, इसका जीवन्त उदाहरण मैं सदन में कह रहा हूं कि किस तरह एन.वी.सी.सी. ने भारत के अभिन्न अंग असम राज्य की अति उपजाऊ भूमि को बॉर्डर फेन्सिंग की शून्य रेखा के अन्दर 137 से 900 मीटर के कार्य करते हुए बांग्लादेश को दी है जिसका विवरण इस प्रकार है-धुबरी और करीमगंज के उपजाऊ हिस्से वाली जमीन को छोड़ते हुए तीसरे चरण की बॉर्डर फैन्सिंग करते हुए यह गंभीर अनियमितता की गई है। उपायुक्त धुबरी एवं करीमगंज द्वारा दिनांक मार्च 13, 2007 को गृह मंत्रालय को सूचित करने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आज जब भारत सरकार चीन द्वारा भारतीय भूमि का कब्जा नहीं ले पाया है, एन.वी.सी.सी. के अधिकारियों ने भारत सरकार के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। इससे न केवल असम के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि अपने पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश से संबंध खराब होंगे इसके अलावा समय-समय पर कार्य करने के गुणवत्ता, सरकारी नियमों के विरुद्ध कार्यों का आबंटन आदि में की गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में समाचारपत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी कुछ लिख एवं दिखा चुकी है।

अत: निवेदन करता हूं कि इसकी गंभीरता को देखते हुए, सदन इसे संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही कराई जाएं।

(छह) पालनपुर और गांधी-धाम के बीच स्थानीय रेल सेवा फिर से शुरू किए जाने तथा पालनपुर और अहमदाबाद के बीच स्थानीय डीएमयू रेल सेवा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के पालनपुर से गांधीधाम के बीच मीटर गेज से ब्रॉडगेज लाइन में बदलने से पहले कई लोकल रेल सेवा चलती थी, परन्तु ब्रॉडगेज लाईन बनने के बाद इस रेलवे खंड पर कोई लोकल रेल सेवा वर्तमान समय में नहीं चल रही है जिसके कारण इस रेलवे प्रखंड के आसपास के गांव के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। वर्तमान समय में मुम्बई से अहमदाबाद के बीच गुजरात मेल चलती है, वह पन्द्रह घंटे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बेकार में खड़ी रहती है। अगर इस रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ा दिया जाये तो उत्तर गुजरात से मुम्बई जाने वाले रास्ते के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और रेलवे को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। साथ ही सदन के माध्यस से यह भी निवेदन है कि पालनपुर से अहमदाबाद के बीच एक डेमू रेल सेवा चलती है। लोगों की मांग के अनुसार दो डेमू रेल सेवा अहमदाबाद और पालनपुर तक चलायी जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर से गांधीधाम तक के बीच पूर्व की भांति लोकल रेल सेवा चलाई जाये। मुम्बई से अहमदाबाद चलने वाली रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ाया जाये एवं पालनपुर से अहमदाबाद के बीच एक और डेमू रेल सेवा चलाई जाये।

(सात) आगरा से मुम्बई तक और मध्य प्रदेश के शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदौर से बैतूल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार क्षेत्रों का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री बावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुम्बई और इन्दौर-बैतूल की हालत मक्सी से देवास और डबल चौकी से चामड़ा तक बहुत खराब है। जिसे ठीक करवाने की शीघ्र आवश्यकता है। जनता लम्बे समय से मांग कर रही है। मैंने व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की है किंतु कार्यवाही नहीं हो रही है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करवाने का कष्ट करें।

(आठ) सिंचाई के लिए जल के अत्यंत अभाव का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नलकूप लगाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में गत तीन वर्षों से वर्षा न होने के कारण जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे टयूबवैल हॉटिंग करके पानी देना बंद कर रहे हैं एवं बांधों में पानी न होने के कारण किसान को पलेवा हेतु अभी तक जल नहीं मिला जिससे किसान अपनी फसल बो सकते। फसल न बोने की स्थिति में किसान एवं मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं। बुंदेलखंड के लोग आत्महत्या एवं पलायन करने को मजबूर हैं।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि बुंदेलखंड के किसानों एवं जनता के कर्जे माफ कर सिंचाई के पर्याप्त साधन हेतु 2000 टयूबवैल स्वीकृत कर वर्षों से लम्बित पड़ी पचनदा बांध परियोजना प्रारंभ की जाये जिससे किसानों एवं जनता को आत्महत्या से बचाया जा सके।

(नौ) बंगलौर और बेलगाम के बीच "रानी चेनम्मा एक्सप्रेस" की समय-सारणी पुन: निर्धारित करने तथा यात्रा का समय कम किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): कर्नाटक में बंगलौर और बेलगाम के बीच "रानी चेनम्मा एक्सप्रेस" नामक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है। बंगलौर से यह रात 9 बजे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 9.30 बजे अथवा 10 बजे बेलगाम पहुंचती है, जिसमें 12 घंटे अथवा उससे अधिक समय लगता है।

बंगलौर और बेलगाम के बीच पहले यह रेल लाइन छोटी थी और इसे बाद में बड़ा कर दिया गया था। हालांकि, जब यह लाइन छोटी थी, तब भी यात्रा में यही 12 घंटे अथवा उससे ज्यादा समय लगता था, जिससे आमान परिवर्तन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। बेलगाम के लोगों को बहुत आशा थी कि इस आमान परिवर्तन से बंगलौर ओर बेलगाम के बीच यात्रा की अवधि कम हो जायेगी।

यह रेलगाड़ी सुबह 9.30 अथवा 10 बजे जब बेलगाम पहुंचती है तो सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान, कार्यालय पहले ही खुल चुके होते हैं। इसके समय की वजह से कारोबारी लोगों, कार्यालय जाने वालों तथा छात्रों को बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए रेलगाड़ी के रात 9 बजे बंगलौर से आरंभ होने तथा सुबह 6 बजे बेलगाम पहुंचने का सयम पुनर्निर्धारित करने से बेलगाम के लोगों को बहुत फायदा होगा।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से जनहित में रानी "चेनम्मा एक्सप्रेस" के यात्रा समय को कम करने तथा रेलगाड़ी के समय को पुन: निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) महाराष्ट्र और गोवा में 4.4.2000 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय व्याख्याताओं को नेट/सेट परीक्षा की अनिवार्य शर्त से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ जावले (जलगांव): महाराष्ट्र और गोवा के विश्वविद्यालय अध्यापक विभिन्न कॉजेलों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को पिछले 15-16 वर्षों से शिक्षा प्रदान कर महान सेवा कर रहे हैं, वे अब राष्ट्रीय अहर्ता परीक्षा (नेट) राज्य अहर्ता परीक्षा (सैट) के लिए चिंतित हैं क्योंकि उन्हें यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर पास करनी है अथवा विश्वविद्यालय अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्तियां वैध नहीं रहेंगी। अधिकांश विश्वविद्यालय प्राध्यापक सेवानिवृत्ति की आयु के निकट हैं तथा उनके लिए इस परीक्षा में बैठना तथा इसमें उत्तीर्ण होना संभव नहीं है।

सभी राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई दिनांक 04.4.2000 की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम अर्हता संबंधी दूसरे खण्ड में लिखा है कि "ये विनियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां चयनित उम्मीदवारों में वह अपेक्षित न्यूनतम अर्हता है जो उस समय शिक्षक के पदों पर नियुक्तियों हेतु विधि रूप से गठित चयन समितियों द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व निर्धारित की गई थी।" यद्यपि, इस अधिसूचना के अनुसार यूजीसी ने प्रवेश के समय विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के लिए नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित न्यूनतम अर्हता के रूप में अनिवार्य कर दिया है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी कॉलेजों को नोटिस भेज दिए गए हैं।

आयोग, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय संविधियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किए जाने के बाद शिक्षकों को उनकी गलती के बिना, 15 से 16 वर्ष की सेवा अवधि के बाद नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने को कहकर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्मानीय सभा के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से 04-04-2000 के पूर्व की गई नियुक्तियों के मामले में नेट/सेट की प्रवेश उर्हता को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं ताकि विश्वविद्यालय के इन शिक्षकों को राहत मिल सके।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र अनेक वर्षों से अविकसित रहा है, विकास के मुख्य धारा से दूर लोगों को विकास का लाभ दिलाने में राज्य सरकार की उपेक्षा और कोताही को देखते हुए यहां की स्थिति भीषण बन गई है। भौगोलिक क्षेत्र में वनों की अधिकता और विभिन्न खनन सामग्रियों की बहुतायत होते हुए भी यहां पर रोजगार का अभाव बना हुआ है। राज्य के कुल साक्षरता प्रतिशत से यहां प्रतिशत बहुत कम है, पूर्वी विदर्भ में आदिवासियों की बहुसंख्या होने के कारण साक्षरता दर की कमी के कारण यह क्षेत्र लगातार पिछड़ रहा है।

राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जनजातीय लोगों की भारी संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक जैसे जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। जनजातीय सभ्यता और इसके संवर्धन, अध्यापन एवं विकास हेतु पूर्वी विदर्भ के अंतिम छोर के गडचिरोली जनजातीय जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

ज्ञात हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश में विभिन्न क्षेत्रों में खोलने जा रहा है। इसका ध्यान रखते हुए गडचिरोली जिले का केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु चयन किया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यहां के आदिवासी और जनजातीय लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु शिक्षा का बल आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्राथमिकता से विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा इसी सत्रावधि के दरम्यान घोषण करने की पुरजोर मांग करता हूं।

(बारह) पूर्व रेलवे के सियालदाह और हावड़ा मंडलों में एक्सप्रेस/मेल रेल गाड़ियों के चालकों की सेवा-शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान देश के विभिन्न भागों में ड्राइवरों द्वारा अतिरिक्त घंटे की ड्यूटी करने के कारण हुई रेल दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं 03.08.2007 को रेल राज्य मंत्री को विशेषकर पूर्वी रेलवे के सियालदाह तथा हावड़ा मंडल में एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों के ड्राइवरों के सामने आ रही समस्या के बारे में पहले ही लिख चुका हूं।

उदाहरण के लिए 3111/12 अप/डाउन, 5047/5049/5051 अप तथा 5048/5050/5052 डाऊन सियालदाह का चालक दल कोलकाता से जान्जहा तक कार्य करता है। परन्तु सभी 6 रेलगाड़ियों का चालक दल हावड़ा से आसनसोल तथा दूसरा चालक दल आसनसोल से जान्जहा तक कार्य कार्य करता हैं। इसके पिरणामस्वरूप सियालदाह के चालक दल तथा हावड़ा, आसनसोल के चालक दल के बीच असमानताएं हैं। इन असमानताओं के कारण अधिक घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ती है, लोको पायलट पैसेंजर से लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस बनने की अनिच्छा उत्पन्न होती है, यातायात में अवरोध आता है, अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक दबाव रहता है। आसनसोल के स्थान पर पर कार्यमुक्त होने पर लोको पायलटों मेल एक्सप्रेस में बड़े पैमाने पर असंतोष पनप रहा है।

इसके अतिरिक्त आवास की कमी के कारण उन्हें जान्जहा में विश्राम के बजाय तकलीफ उठानी पड़ती है। इसके बावजूद यदि दुर्घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी चलाकों पर डाली जाती है तथा उन्हें दंडित किया जाता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हावड़ा और आसनसोल लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस के साम्मन सियालदाह मंडल/हावड़ा मंडल लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस के साथ न्याय किया जाए।

(तेरह) केरल में पालक्कड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.एन. कृष्णदास (पालघाट): केरल राज्य में उच्च साक्षरता दर है और सामान्यत: राज्य वैसे भी बेहतर है तथा उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी बेहतर है। हांलाकि, आज की तारीख तक केरल में राष्ट्रीय महत्व का काई केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था नहीं है। केरल के लोगों का यह काफी पुराना ख्वाब है कि उनके राज्य में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हो। केरल आने वाले संसद सदस्यों तथा केरल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इस बारे मे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ कई बार विचार-विमर्श किया है। लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु केरल का चयन नहीं किया है। केरल सरकार ने पहले ही उक्त प्रयोजनार्थ राज्य के पालक्कड में 300 हेक्टेयर भूमि चिन्हित किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 15.08.07 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाल किले से इस बात की घोषण की थी कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। उक्त घोषणा के आलोक में मैं सरकार से 7 प्रस्तावित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से केरल के पालक्कड़ में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के लखनऊ-बरेली मंडल में रेल फाटक संख्या 122-सी पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत पड़ने वाले लखनऊ-बरेली प्रखण्ड पर क्रासिंग 122-सी, भंसरिया पर यातायात की खस्ता हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर यातायात को नियमित करने की आवश्यकता है। इसी लाइन पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग, कुनेठिया, फरधान तथा राजापुर पर भारी यातायात के चलते वाहनों का भारी जमावड़ा लगा रहता है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन क्रासिंग पर फ्लाई ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इन क्रासिंगों पर फ्लाई ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था की जाये।

(पन्द्रह) देश के किसानों को बीज और रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, केन्द्र सरकार दावा कर रही है कि देश में रासायनिक खाद एवं बीज की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ लोगों को खाद एवं बीज के लिए लम्बी लाईन में लगना पड़ रहा है और लाईन में लगने के बाद भी उन्हें रासायनिक खाद नहीं मिल पा रही है। किसान लोग एक महीने से ज्यादा समय से खाद एवं बीच के लिए सरकारी एवं सहकारी एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकांश किसान मजबूरी में ऊंचे दाम पर बाजार से बीच एवं रासायनिक खाद खरीद रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड में सरकारी खाद एजेन्सियों पर हुई भगदड़ में एक किसान की कुचल जाने से मौत हो गई है। एक तरफ तो सरकार विदेशों से गेहूं का आयात कर रही है दूसरी ओर किसानों को सुविधा नहीं दे रही है तो कैसे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश में बीज एवं रासायनिक खाद की आपूर्ति किसानों को सुनिश्चित करे और उन्हें आसानी से उपलब्ध करवाये।

(सोलह) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु तीन फेज विद्युत आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री घुरन राम (पलामू): महोदय, 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के अतंर्गत हो रहे विद्युतीकरण को सिंचाई के लिए दो फेज लाइन उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त दो फेज लाइन को बढ़ाकर तीन फेज लाइन किया जाये।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला स्थित ऐतिहासिक स्थल' गोपामऊ के पुनरुद्धार हेतु सर्वेक्षण करने और उपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): महोदय, मेरे क्षेत्र में एक प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा गोपामऊ जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश है। इस प्राचीन कस्बे में लखौरी ईंट की बहुत सारी हवेलियां चालू तथा वीरान हालत में हैं। कर्नाटक का मशहूर नवाब मोहम्मद अली वाला जगह इसी कस्बे का रहने वाला था। गोपामऊ एक टाऊन एरिया है परंतु उसकी हालत इतनी खराब है कि सभी ऐतिहासिक धरोहरें जीण-शीर्ण अवस्था में पहुंचकर समाप्त हो गई है। कुछ समय बाद हम अपने इतिहास के कुछ बचे-खुचे सबूतों से भी महरूम हो जायेंगे।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि गोपामऊ कस्बे की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए वहां की गलियों व नालियों व निर्माण के अन्य कार्यों के लिए एक केन्द्रीय टीम भेजकर सर्वेक्षण कराए और वहां गलियों व नालियों के पुन: निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार फंड उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

(अठारह) तमिलनाडु में मंदिरों के शहर, तिरूवन्नामलाई की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तुर): तमिलनाडु में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध तिरूवन्नामलाई कस्बा आध्यमिकता और तीर्थ यात्राओं का केन्द्र है। यहां पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक आते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले कार्तिकई पूर्णिमा दीपर्ण समारोह में लाखों लोग आते हैं। यहां पर प्रत्येक माह की पूर्णिमा की रात को आयोजित होने वाली ''गिरीवलम' नामक भक्ति परिक्रमा में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और वे तिरूवन्नामलाई की पहाड़ियों की परिक्रमा करते हैं। सथनूर बांध के निकट होने के कारण यह पर्यटन स्थल विभिन्न मत मतान्तरों के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। लेकिन तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से तिरूवन्नामलाई पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधाएं काफी कम है जिनमें बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है। परिवहन सुविधाओं में वृद्धि और रेल संपर्क का विकास एवं राजमार्गों तथा सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अभी भी तमिलनाडु के बड़े शहरों से और पड़ोसी राज्यों, बंगलौर, हैदराबाद और पॉडिचेरी जैसे राजधानी शहरों से तिरूवन्नामलाई पहुंचने में काफी समय लगता है। अत: तिरूवन्नामलाई को बड़े शहरों के साथ जोड़ने के लिए तत्काल हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इससे पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के प्रयासों में मदद मिलेगी और अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए मैं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय से अवसंरचना की सुविधाएं और तिरूवन्नामलाई में तथा इसके आस-पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) तमिलनाडु के सत्तुर और कोविलपट्टी में रेलगाड़ी संख्या 2665/2666 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): कन्याकुमारी और हावड़ा के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली ट्रेन संख्या (2665, 2666) चल रही है जो तमिलनाडु में अधिकतर रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। लेकिन यह ट्रेन सत्तुर स्टेशन पर नहीं ठहरती। सत्तुर स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर स्थित है और यहां पर माचिस बनाने वाली हजारों इकाईयां हैं तथा सत्तुर में और इसके आस-पास पटाखे बनाने वाली सैकड़ों कारखाने भी हैं इसलिए इस ट्रेन सत्तुर में और इसके आस-पास पटाखे बनाने वाली सैकड़ों कारखानों भी हैं। इसलिए इस ट्रेन के सत्तुर के साथ-साथ कोविल पट्टी में ठहराव की आवश्यकता है जोकि दक्षिण तमिलनाडु का एक तेजी से उभरता हुआ कस्बा है। बहुत से यात्री अपनी यात्रा के लिए ट्रेन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। कन्याकुमारी और चेन्नई के बीच चल रही ट्रेन संख्या (2634, 2633) कोविलपट्टी में ठहरती है। मैं सरकार से इन दो अनुरोधों पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 1.58 बजे

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 14-कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 10 नवम्बर 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प पर विचार करेंगी जिसके लिए हमें समय आबंटित करना है। मेरे विचार से हम इस मद के लिए डेढ़ घंटे का समय आबंटित कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 20 नवम्बर 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि अप्रैल 2004 में कर्नाटक की विधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। चुनाव के परिणाम में राज्य में त्रिशंकु विधान सभा अस्तित्व में आयी। 28 मई 2004 को जनता दल (एस) और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन जनवरी 2006 में श्री एच. डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व मे जनता दल (एस) के 39 विधायकों के समूह ने गठबन्धन से नाता तोड़ लिया तथा भा.ज.पा. के समर्थन से सरकार का गठन किया जिसके मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी बने।

अपराह्न 1.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच यह समझ बनी थी कि प्रथम 20 माह के लिए जे.डी. (एस) का मुख्यमंत्री होगा और बाद के 20 महीनों के लिए भा.ज.पा. मुख्यमंत्री बनेगा। जे.डी.(एस) का 20 महीने का सयम 3 अक्टूबर 2007 को पूरा हो गया। भा.ज.पा. के 79 विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होकर 6 अक्टूबर, 2007 को गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 8 अक्टूबर, 2007 को कांग्रेस के नेताओं ने भी राज्यपाल को यह ज्ञापन प्रस्तुत किया कि श्री एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल अल्पमत में आ गया है तथा राज्यपाल से इसकी बर्खास्तगी की मांग की। तत्पश्चात् 8 अक्टूबर 2007 को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना त्यागपत्र सौंप दिया।

राज्यपाल ने 8 अक्टूबर, 2007 की अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की क्योंकि विधान सभा में कोई भी व्यक्ति अथवा दल बहुमत के समर्थन से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया तथा राज्य विधान सभा को आस्थगित रखते हुए संविधान की धारा 356(1) के अंतर्गत 9 अक्टूबर, 2007 को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषण कर दी गयी।

राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद राज्य में राजनैतिक घटनाक्रम को देखते हुए राज्यपाल ने केन्द्र सरकार को सूचना दी कि 27 अक्टूबर 2007 को जे.डी.(एस) और भा.ज.पा. के नेता राज्यपाल से मिले तथा भ.ज.पा. नेता श्री बी.एस. येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया।

अपराह्न 2.00 बजे

29 अक्टूबर 2007 को जे.डी.(एस) तथा भा.ज.पा. गठबंधन ने राज्यपाल को व्यक्तिगत समर्थन के 129 पत्र (79 भा.ज.पा., 41 जे.डी. (एस), 3 जे.डी. एस(यू) और 6 निर्दलीय) दिए और राज भवन के रजिस्टर में भी हस्ताक्षर किए। राज्यपाल ने यह भी दर्शाया कि कुछ विधायकों तथा नेताओं जैसे श्री एम.पी. प्रकाश, श्री डी.जी.आर सिंधिया तथा कई शिक्षाविदों और प्रख्यात व्यक्तियों ने उनसे गठबंधन व्यवस्था को स्वीकार न करने का अनुरोध किया

[श्री शिवराज वि. पाटील]

था और फिर से चुनाव करवाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि जेडी(एस) के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें सभा को भंग करने का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने एक समझौता ज्ञापन का मसौदा भी संलग्न किया, जोकि एच.डी. देवगौड़ा ने भा.ज.पा. के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह को भेजा था जिसमें गठबंधन की शर्तें लगाई गई हैं जो कि गठबंधन को 129 विधायकों द्वारा उन्हें पहले दिए गए बिना शर्त समर्थन के विपरीत था। राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अस्थिरता के बारे में उनकी आपत्तियों के बावजूद संख्याओं के संदर्भ के लोकतांत्रिक विकल्प के प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए श्री बी.एस. येदुरप्पा को अवसर दिए जाने तथा राष्ट्रपति उद्घोषणा को निरस्त करने के बारे में विचार करें। तदनुसार केन्द्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया तथा 12 नवम्बर 2007 को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा दिया।

श्री बी.एस. येदुरप्पा ने 12 नवम्बर 2007 को शपथ ली और भा.ज.पा. के चार मंत्रियों को शामिल किया। राज्यपाल ने 19 नवम्बर 2007 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री के पद संभालने की तिथि से 8 दिन के अन्दर सभा में अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया गया था। तदनुसार 19 नवम्बर 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे कर्नाटक विधानसभा बुलाई गई। 19 नवम्बर, 2007 के विश्वासमत से पूर्व ही जे.डी.(एस) ने अपने विधायकों को विश्वास मत के विरुद्ध मत देने का सचेतक जारी कर दिया। विधानसभा के प्रात:कालीन सत्र निधन संबंधी उल्लेख पढ़ने के साथ शुरू हुआ। तत्पश्चात सभा स्थागित कर दी गई। अपराह्न 3.05 बजे सभा पुन: समवेत हुई और विश्वास प्रस्ताव सभा पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री पिछले 20 महीनों के दौरान भा.ज.पा. द्वारा जेडी(एस) को दिए गए सहयोग के बारे में विस्तापूर्वक बोले और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। तथापि, श्री धरम सिंह और श्री मल्लिकार्जुना खार्गे विश्वास प्रस्ताव रखने वाली सरकार के बारे में उपहास पूर्वक बोले, जब स्वयं गठबंधन सहयोगी ने ही उसके विरुद्ध सचेतक जारी किया था। तत्पश्चात् श्री बी.एस. येदुरप्पा बोलने के लिए खड़े हुए और बीच में ही यह कह कर चले गए कि वह अपना त्यागपत्र देने के लिए राजभवन जा रहे हैं और वह विश्वास प्रस्ताव पर आगे कोई चर्चा नहीं चाहते। अध्यक्ष ने अपराह्न 4.40 बजे सभा स्थगित कर दी क्योंकि विश्वास प्रस्ताव असफल रहा।

[अनुवाद]

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में सूचना दी कि उन्होंने 19 नवंबर 2007 को अहराह्न 4.45 बजे श्री बी.एस येदुरप्पा द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। उनका मानना था कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति बहुमत के समर्थन से कर्नाटक राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और वह इस बात से संतुष्ट थे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती थी। उसलिए, राज्यपाल ने सिफारिश की कि कर्नाटक राज्य की विधानसभा को भंग अथवा निलंबित करने के तत्काल बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया और विधानसभा को निलंबित स्थिति में रखकर 20 नवंबर, 2007 के संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अनुशंसा करता हूं कि कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 20 नवंबर 2007 को जारी उद्घोषणा का इस सभा द्वारा समर्थन किया जाए। जैसा कि संविधान में वर्णित है उद्घोषणा की एक प्रति को परिणामी आदेश के साथ दिनांक 21 नवंबर, 2007 को सभा पटल पर रखा गया है अभिसमय के मद्देनजर उद्घोषण जारी करने की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रति को भी सभा पटल पर रखा गया है।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि कर्नाटक राज्य में किसी सरकार के गठन की संभावना नहीं है। सभा उद्घोषणा को स्वीकृति दे दे तो सरकार की मंशा कर्नाटक राज्य में विधान सभा को भंग करने की है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 20 नवंबर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषण का अनुमोदन करती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री अनंत कुमार बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): राज्यपाल ने किस कारण से विधान सभा को निलंबित रखा।...*(व्यवधान)* इससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी पार्टी की बारी आएगी, आप तब बोलिएगा।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसका क्या उद्देश्य था? इसका एकमात्र उद्देश्य सदस्यों की खरीद फरोख्त है। वास्तव में, यही सब हो रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी पार्टी का टाइम आयेगा, आप तब बोलियेगा।

[अनुवाद]

आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा*

श्री वरकला राधाकृष्णन: कई वर्षों पूर्व 1959 में केरल विधानसभा भंग कर दी गई थी, सिर्फ विधानसभा भंग की गई थी बल्कि अध्यक्ष का पद भी भंग कर दिया गया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: श्री राधाकृष्णन, कृपया मेरी बात सुनिए।

महोदय, ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण हो रहा है। जैसे ही इस सभा द्वारा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया जाता है तभी हम विधानसभा को भंग कर देंगे। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम तत्काल विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं। ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री अनंत कुमार बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। श्री अनंत कुमार के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि उन्होंने इस सभा को यह भी अश्वासन दिया है कि जैसे ही यह दिन 20 नवंबर, 2007 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करता है तभी कर्नाटक विधानसभा भंग कर दी जाएगी और चुनाव कराए जाएंगे। आरंभ में मैं यह भी आग्रह कर रहा हूं कि कर्नाटक के लोग चाहते है कि विधानसभा को भंग करके तत्काल चुनाव कराएं जाएं क्योंकि हमे यह महसूस होता है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति का केवल यही समाधान है।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले डेढ़ महीने में 2 अक्टूबर के बाद से जनता दल (एस) विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा जी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार स्वामी तथा उनके दल के व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की राजनीति द्वारा कर्नाटक के नाम और विरासत की बदनामी हुई है।

वास्तव में, मैं इस सदन को कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि माननीय गृहमंत्री ने पहले ही बताया है, वर्ष 2004 में विधान सभा के चुनाव हुए थे जिसमें जनता, कर्नाटक के मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को अस्वीकार किया गया था और भाजपा तथा जनता दल(यू) को 224 सदस्यों वाली विधानसभा में 84 सीटें प्राप्त हुई। पिछली विधानसभा में 150 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सीटें घटकर केवल 65 और जनता दल (एस) की 58 सीटें रह गई। वर्ष 2004 में कर्नाटक के लोगों का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था और वे भाजपा के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी सरकार चाहते थे परंतु दुर्भाग्यवश श्री देवगौड़ा और जनता दल(एस) ने कर्नाटक की जनता के साथ पहला धोखा किया। उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया क्योंकि वर्ष 2004 के विधानसभा चुनावों के दौरान श्री देवगौड़ा और जनता दल ने लगातार कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया और कांग्रेस विरोधी मतों के आधार पर 58 सीटें प्राप्त की। परंतु भाजपा के साथ न आकर और गैर-कांग्रेसी गठबंधन का गठन नहीं करते हुए छदम-धर्मनिरपेक्षवाद के नाम पर श्री देवगौड़ा कांग्रेस से जुड़ गए और कांग्रेस का समर्थन किया।

इस समय पर मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि 1983 में भाजपा विधानसभा के 18 सदस्यों ने श्री रामकृष्ण हेगड़े की तत्कालीन जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसमें श्री देवेगौड़ा भी शामिल थे और वे न केवल इसमें शामिल थे अपितु वे लोक निर्माण विभाग मंत्री भी थे। इस सम्माननीय सभा और आपके माध्यम से मैं श्री देवेगौड़ा से यह जानना चाहता हूं कि 1983 में उन्होंने अपने धर्म निरपेक्ष सिद्धांत को जानबूझकर इस तरह क्यों पेश किया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत कुमार]

हम यह भी जानना चाहते हैं कि 1989 में क्या हुआ जब श्री वी.पी. सिंह ने केन्द्र में सरकार बनाई जिसे हम सबने समर्थन दिया और भाजपा ने भी समर्थन दिया। उस समय श्री देवेगौड़ा कहां थे और कहां थे उनके तथाकथित धर्म-निरपेक्ष सिद्धांत? मैं समझता हूं, 2004 में कूट धर्म निरपेक्ष का झण्डा उठाकर श्री देवेगौड़ा और जनता दल (एस) ने कर्नाटक की जनता के प्रति पहला विश्वासघात किया है।

अब हम 2006 में आते हैं। 2006 में सम्पूर्ण जनता दल(एस), जनता दल (एस), के 39 विधायकों ने, जैसा कि माननीय गृहमंत्री ने बताया है, भाजपा समर्थित श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। भाजपा और जनता दल(एस) ने मिलकर सरकार बनाई, मेरे विचार में यह कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं और जनादेश के अनुसार था। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति जी का भेजे गये सरकार के प्रथम अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति क्या थी। मैं उद्धृत करता हूँ:

> "जनवरी 2006 में, जनता दल (एस) के 39 विधायकों ने श्री धर्म सिंह की गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और श्री एच.डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में गठबंधन सरकार बनाने का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। राज्य में पार्टी के नेताओं और विधान सभा सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल जी को पत्र दिए। समर्थन वापसी के संकल्प की एक प्रति भी तत्कालीन राज्यपाल को सौंपी गई।
>
> भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने मेरे पूर्ववर्ती वक्ता श्री टी.एन. चक्रवर्ती को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि जे.डी.(एस) के अलग हुए इस समूह को पृथक न माना जाए और श्री धर्म सिंह को ही मुख्यमंत्री माना जाए। बाद में, तथापि, श्री एच.डी. देवगौड़ा ने अपने पुत्र एवं मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमार स्वामी के साथ तालमेल बिठा लिया और अब वे उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।"

माननीय राज्यपाल द्वारा यह रिपोर्ट दी गई। इसका यह अर्थ है कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ इस बात के लिए सहमत थे कि पहले 20 माह श्री एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहेंगे और तब हमारे नेता श्री बी.एस. येदुरप्पा नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। वे तो विभागों के विभाजन और विभागों की अदला बदली के लिए भी सहमत हो गए थे।

दुर्भाग्यवश, 2 अक्टूबर, 2007 को श्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके जनता दल (एस) ने एक बार फिर कर्नाटक की जनता के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वे समझौते और वादे के अनुसार सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में, मुझे तुलसी रामायण से एक दोहा याद आ रहा है :

[हिन्दी]

"रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाई।"

[अनुवाद]

इस देश की यह संस्कृति है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): यह रघुवीर के बारे में नहीं, देवगौड़ा जी के बारे में है?

श्री अनंत कुमार: यह देवेगौड़ा जी की प्रशंसा की सिचुएशन नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बीजेडी के साथ, बिहार में जेडी(यू) के साथ, महाराष्ट्र मे शिवसेना के साथ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारे गठबंधन हैं और ये सब गठबंधन पिछले 10-20 वर्षों से मजबूती से चल रहे हैं। किन्तु एक वरिष्ठ राजनेता और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने जनता और भाजपा से किये गए वादे को केवल मात्र अवसरवादिता की वजह से और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने पुत्र को बनाए रखने और सत्ता के मद में इस वादे को तोड़ दिया। मैं 2 अक्टूबर पर ही क्यों जोर दे रहा हूँ? 2 अक्टूबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है।

सम्पूर्ण देश में कई कार्टून और कई चीजें परिचालित हो रही थी। वास्तव में, मैं उस अवधि के दौरान टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित कार्टून के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें एक हजार रुपये के नोट पर महात्मा गांधी के स्थान पर श्री देवेगौड़ा का चित्र छपा दिखाया गया है, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर सेंट्रल बैंक ऑफ जे.डी.(एस) का उल्लेख, और जिसमें यह कहा गया: "मैं धारक को एक हजार रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।" के स्थान पर "मैं धारक को एक हजार रुपये अदा न करने का वचन देता हूँ।" यह कार्टून श्री देवगौड़ा के बारे में था और यह तीसरा विश्वासघात था।

तत्पश्चात् हमने सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में 'धर्मयात्रा' निकाली और हमने सदन को भंग करने की भी मांग की। किन्तु 27 तारीख को श्री देवेगौड़ा और उनके पुत्र श्री एच.डी. कुमारस्वामी वापस आए और कहने लगे कि वे भाजपा को समर्थन देंगे। जनता दल(एस) विधान सभा पार्टी के नेता श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि:

"जनता दल (एस) पार्टी कर्नाटक में सरकार के गठन में समर्थन दे रही है जेडी(एस) और भजपा दो दलों का मिलकर विधान सभा में पूर्ण बहुमत है। इसलिए हम भाजपा के नेता श्री बी.एस. येद्दुरप्पा को राज्य में सरकार के गठन के लिए तत्काल बुलाने का अनुरोध करते हैं, तत्पश्चात् राज्य की विधान सभा में बहुमत परीक्षण किया जाए..."

वे विधान सभा में जैसा कि एस.आर. बोम्मई मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना बहुमत परीक्षण के लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। कर्नाटक के जे.डी.(एस) के राज्यीय अध्यक्ष श्री एन. मिराजुद्दीन पटेल ने भी इसी प्रकार का एक पत्र राज्यपाल को लिखा। तत्पश्चात् 27 तारीख को ही हमने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।

श्री येद्दुरप्पा को 124 विधायकों वाली दोनों पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और जे.डी.(एस) ने संयुक्त विधान सभा पार्टी का नेता चुन लिया। सभी 129 विधायक 29 तारीख को दोपहर में राजभवन गए। यहाँ, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जे.डी.(एस), सम्पूर्ण जे.डी.(एस) विधान सभा पार्टी के प्रत्येक विधायक ने कर्नाटक के राज्यपाल को एक शपथ-पत्र पर, व्यक्तिगत रूप से यह पत्र दिया कि वे सरकार के गठन के लिए बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। यह सब 29 तारीख को हुआ।

बाद में, मैं यह पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, श्री देवेगौड़ा ने कई शर्तें रखीं पहले 12 शर्तें रखी, फिर वे कहने लगे कि ये शर्तें नहीं सुझाव थे, फिर उन्होंने 21 शर्तें रखी, बाद में वे कहने लगे कि इन शर्तों को कागजी जामा पहनाया जाए, फिर वे कहने लगे कि ये शर्तें न केवल कागज पर लिखी जाएं अपितु स्टाम्प पेपर पर होनी चाहिए जैसे कि यह रीयल स्टेट प्रोपर्टीज का लेन-देन हो, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

महोदय, यह वह पत्र है जो कर्नाटक विधान सभा की विधायी पार्टी जे.डी.(एस) के नेता श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने लिखा था। उन्होंने यह पत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखा था, यह पत्र भारत के राष्ट्रपति को दिया गया था।

महोदय, मैं थोड़ा-सा समय और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हमने इस वाद-विवाद के लिए डेढ़ घंटा दिया है।

[हिन्दी]

अनंत कुमार जी, आपकी पार्टी के चार मेम्बर और बोलने वाले हैं और मेरे पास 21 मिनट आपकी पार्टी के हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: हमारे सभी साथी इससे सहमत हैं कि उनकी ओर से मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री अनंत कुमार: महोदय, उन्होंने भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र सौंपा जिसमे यह घोषणा करते हुए उल्लेख किया गया था। कि जेडी(एस) विधायी पार्टी के 49 विधायक श्री बी.एस. येद्दुरप्पा की अध्यक्षता में गठबंधन सरकार बनाने के लिए भाजपा और जनता दल को शपथ-पत्र बिना शर्त समर्थन देंगे। नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित दिये गये। यदि कोई शपथ-पत्र का उल्लंघन करेगा और झूठा शपथ-पत्र देगा तो यह स्वयं ही एक अपराध होगा ये। शपथ-पत्र न केवल नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित नोटरी तक ही सीमित नहीं अपितु इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल को भी दिया गया और इन्हें राष्ट्रपति जी को भेजा गया।

श्री येद्दुरप्पा को बिना शर्त समर्थन देने की घोषण करने वाले शपथ-पत्रों को दायर करने के बाद इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी अनदेखी कर दी और सदन में बहुत परीक्षण के दिन ह्विप जारी कर दिया कि वे मुख्यमंत्री के पद पर श्री येद्दुरप्पा को अब समर्थन नहीं दे रहे हैं।

वास्तव में, 27 अक्टूबर को जब जे.डी.(एस) के प्रतिनिधि हमारे पास आए तो हमारे सामने तीन प्रश्न थे। पहला, क्या श्री देवगौड़ा इसके लिए सहमत हैं और क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए जनता दल (एस), कर्नाटक को अधिकृत कर दिया है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह समर्थन बिना शर्त का था क्योंकि 20 महीने पहले हमारे बीच समझौता हुआ था कि-मुख्य मंत्री जेडी(एस) का होगा तथा अगले 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। यहां तक कि मंत्रिपद मंत्रालय का आबंटन और अन्य प्रत्येक बातों का स्पष्ट उल्लेख था। इस बात की जानकारी कर्नाटक की साढ़े पांच करोड़ जनता को थी। इसलिए, हमने जेडी(एस) के पास दूसरा प्रश्न रखा कि क्या समर्थन बिना शर्त का था। तीसरा प्रश्न यह था कि क्या वे फरवरी, 2006 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते से पूरी तरह से बंधे हैं। 27 तारीख को श्री कुमारस्वामी, श्री मिराजुद्दीन पटेल

[श्री अनंत कुमार]

और श्री देवेगौड़ा का उत्तर स्पष्टत: हाँ था। उन्होंने कहा कि जेडी(एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री देवगौड़ा ने बिना शर्त समर्थन देने को कहा तथा श्री कुमारस्वामी और श्री मिराजुद्दीन पटेल ने इसको माना।

सिर्फ इतना ही नहीं, बंगलोर के कुमारकृपा गेस्टहाउस में उन्होंने कहा कि वे लोग वहाँ बैठेंगे ओर बाहर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वार्त्ता को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता तथा हम नेताओं के समर्थन पत्र के साथ एक साथ राज्यपाल के पास पहुंचे। उन्होंने कारण यह बताया कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। जब स्वयं मिराजुद्दीन पटेल और कुमारस्वामी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र दे रहे थे, जब जेडी(एस) के सभी 49 विधायक और उनके समर्थक श्री येद्दुरप्पा के समर्थन में शपथ-पत्र, और कर्नाटक के राज्यपाल को सम्बोधित पत्र दे रहे थे तो हमने सोचा कि हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श कर लेना चाहिए और उन्हें स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। वस्तुत: स्वयं श्री देवगौड़ा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। तथा वे लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं।

तीन घंटे के पश्चात् हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने इस मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी। 29 अक्टूबर को, श्री येद्दुरप्पा को संयुक्त विधायी दल का नेता चुनने के पश्चात् सभी 129 विधायक विशेषकर श्री कुमारस्वामी के नेतृत्व वाले 49 विधायक कर्नाटक के माननीय राज्यपाल से मिले और उन्हें बिना शर्त समर्थन का पत्र सौंपा। तत्पश्चात् विलम्ब हुआ–मैं इस बात को सम्माननीय सभा के समक्ष रखता हूं। बिहार विधान सभा के विघटन संबंधी मामले में सम्माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार जहां विधायकों को समर्थन हासिल हो वहाँ कोई भी केंद्र सरकार विधानमंडल को भंग नहीं कर सकती है तथा जिस नेता को सर्वाधिक सदस्यों का समर्थन हासिल हो उसे सरकार बनाने का न्यौता दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे राष्ट्रपति शासन और कर्नाटक विधानसभा के अस्थगन की स्थिति को हटाने का अनुरोध किया तथा कर्नाटक में सरकार बनाने हेतु येद्दुरप्पा को आमंत्रित करने की अपील की। श्री आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह, श्री वैंकया नायडु और कर्नाटक से भाजपा के सभी संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से मुलाकात की।

7 नवम्बर को हम लोग राष्ट्रपति भवन में सभी 122 विधायकों के साथ गए थे जिसमें जनता दल(एस) विधायी दल के नेता कुमारस्वामी भी थे और उन्होंने राष्ट्रपति जी को यह कहते हुए एक पत्र सौंपा था कि वे भाजपा को और श्री बी.एस. येद्दुरप्पा को विधायी दल के नेता के रूप में बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हम इन सभी कागजातों के साथ महामहिम राष्ट्रपति से मिले। यह सब करने के पश्चात 12 नवम्बर को राष्ट्रपति की उद्घोषणा वापस ले ली गई और शपथ ग्रहण का निर्णय किया गया तथा श्री बी.एस. येद्दुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई और शक्ति परीक्षण के लिए 19 तारीख की तिथि निर्धारित की गई।

आश्चर्य इस बात का है कि इसी बीच दोनों श्री कुमारस्वामी और श्री देवगौड़ा विशेषकर श्री देवगौड़ा ने अपनी 12-सूत्री मांग रख डाली जो बाद में बढ़कर 21 हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा करना श्री देवगौड़ा के व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक अनुभव के अनुरूप नहीं है। कर्नाटक और देश में आम लोग श्री देवगौड़ा और उनके जनता दल(एस) के आचरण के कारण रजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता के प्रति संशक्ति हो गए हैं। वे सभी इसे वादाखिलाफी मान रहे हैं उन्होंने कर्नाटक की जनता के साथ विश्वासघात किया है, वे अपनी बात से मुकर गए हैं।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग, विद्युत, खान और भूगर्भविज्ञान, शहरी विकास और बंगलोर विकास प्राधिकरण मंत्रालयों को अपने पास बनाए रखने की जिद की। यह स्पष्ट है कि वे इन्हें अपने पास क्यों बनाए रखना चाहते थे। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। सर्वप्रथम, 2004 में उन्होंने छद्म धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कर्नाटक की जनता को दिए गए अपने वचन को तोड़ा। दूसरी बार, उन्होंने अपने पुत्र श्री कुमारस्वामी को 20 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने के पश्चात् महात्मा गांधी के जनमदिन, 2 अक्टूबर को अपना वचन तोड़ा।

तीसरी बार हम काफी सतर्क रहे। माननीय विधि मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। हमने देवगौड़ा जी और कुमारस्वामी जी के 49 विधायकों के लिखित शपथ पत्रों पर भरोसा किया, परन्तु उन्होंने एक बार फिर से हमारे साथ विश्वासघात किया। मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जेडी(एस) पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। यह विश्वास करने योग्य बिल्कुल नहीं है। जे.डी.(एस) और देवगौड़ा जी सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं...*(व्यवधान)* में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने प्रजातंत्र और कर्नाटक की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। कुमारस्वामी के 20 महीने के शासनकाल के दौरान, देवगौड़ा जी ने अनेक विचित्र वक्तव्य दिए। वस्तुत: कुमारस्वामी जी ने एक वक्तव्य दिया था कि वह 3 अक्टूबर को पद छोड़ देंगे। देवगौड़ा जी ने का: "10 महीनों से भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए मीडिया जिम्मेदार है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि सत्ता हस्तांतरण असंभव है।" पूर्व प्रधानमंत्री और जनता(एस)

के अध्यक्ष, श्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने पत्र से इस पद पर बने रहने के लिए कहा है। श्री देवगौड़ा ने रविवार को यहां प्रेस के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों से मीडिया इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहा है। उन्होंने मीडिया द्वारा उनके कार्यक्रम की कवरेज करने के तरीके की आलोचना की। उन्होंने कहा: "मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को सत्ता का हस्तांतरण करना असंभव हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसके बारे में सोचने के लिए अभी समय बाकी है।" यह ऊहापोह की स्थिति क्यों है? एक दिन वह कहते हैं कि सत्ता का हस्तांरण होगा और अगले ही दिन वह अपनी बात से मुकर जाते हैं। वह ऐसा ही करते रहे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि "भाजपा के साथ गठजोड़ करने की वजह से लेफ्ट के साथ मेरे संबंध में तनाव आ गया है। मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव, श्री प्रकाश करात के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने सोनिया जी के सामने कहा कि वह देवगौड़ा जी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए अगली बात यह कही गयी कि "देवगौड़ा जी अवसरवादी हैं।" श्री येचुरी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अवसरवादी कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता श्री येचुरी ने हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए जेडी(एस) की कड़ी आलोचना की है। ये सब बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवगौड़ा जी और जेडी(एस) ने कर्नाटक की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने प्रजातंत्र के साथ विश्वासघात किया है उन्होंने देश के सम्पूर्ण राजनीतिक तंत्र के साथ विश्वासघात किया है।

इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि अब हमें जनता के बीच जाना चाहिए। स्वागत करता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने 20 तारीख को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अनुसमर्थन हेतु यह सांविधिक संकल्प रखा है तथा उन्होंने सभा को आश्वस्त भी किया है कि कर्नाटक की विधान सभा को शीघ्र ही विघटित कर दिया जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री और केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि चुनाव तत्काल कराए जाएं। जनता अपना मत देगी: वह जेडी(एस) को सिरे से नकार देगी। जनता कांग्रेस को आजमा चुकी है, वह इस बार कर्नाटक में एक स्थायी बढ़िया सरकार हेतु भाजपा को पूर्ण बहुमत देने जा रही है।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। में यहां से बोलने के लिए आपसे अनुमति मांग रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आपने कितना समय आबंटित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे पास सूची में कई वक्ता हैं। इसलिए, कृपया अपना भाषण संक्षेप में दें।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: इस सम्माननीय सभा में खड़े होकर इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करना एक दुखद क्षण हैं हम कर्नाटक में एक लोकतांत्रिक सरकार का अन्त करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, जिन्होंने कर्नाटक भी इस लोकप्रिय सरकार या विधानसभा के सदस्यों को चुना है। गठबन्धन राजनीति से हमारे समझ में चाहे वह केन्द्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, से बचा नहीं जा सकता है।

अब हम गठबंधन राजनीति के आदी हो चुके हैं। हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धान्तों, हमारे धर्म-निरपेक्ष मूल्यों में आधार पर इसी राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक समूह चुनने का अधिकार है। पूर्व में इस प्रकार के गठबंधन से राजग ने देश में शासन किया तथा अब संप्रग देश को चला रहा है।

इतिहास से पता चलता है कर्नाटक तथा कर्नाटक सरकार ने हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सरंक्षण किया है। इस बार कर्नाटक के लोग सरकार बनाने के लिए एक अकेले लोकतांत्रिक दल का चुनाव करने में असफल रहे। इसी कारण हमें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। पूर्व में जनता दल(एस) के समर्थन से कांग्रेस के धरम सिंह ने 20 माह तक कर्नाटक में शासन किया।

यहां खडा होकर, भारी मन से कर्नाटक सरकार का अंत करने का अर्थ है कि हम कर्नाटक की विधानसभा को भंग करने के लिए कह रहे हैं। यह किसका दोष है? कठोर परिणाम से कई युवा सदस्य विधान सभा के लिए चुने गए, ये सदस्य गरीब घरों से आए थे। ऐसे कई लोगों ने चुनाव लड़ा तथा वे जीते।

आज लोग उत्साह नहीं बढ़ा रहे थे, लोग आदर नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत कठिन समय का हम सामना कर रहे हैं। हम यह नहीं कह पा रहे हैं कि हम भारत देश के राजनेता हैं। यहां बार-बार चुनाव होते हैं। हम इस देश के राजकोष को क्यों हानि पहुंचा रहे हैं जबकि हमें बहुत से मुद्दों का समाधान करना है तथा हम बार-बार चुनावों पर धन खर्च क्यों करें? लोग इस बात से खुश नहीं हैं। यह बात हर राजनीतिक दल पर लागू है। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए।

आप गत एक माह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाई बातें देख सकते हैं। हमारा स्तर इतना गिर चुका है कि हर आदमी राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों का माजक उड़ा रहे हैं इस प्रकार की राजनीति को कौन बढ़ावा देता है? जब कर्नाटक में धमर सिंह की सरकार गिरी तो 'नाइट टाइम गेस्ट हाउस रानजीति किसने की? लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश किसने की। श्री कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष सकार का अंत कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीतिक समर्थन किसने दिया?

भाजपा के मेरे साथियों के नैतिकता आधार क्या हैं? जनता दल धर्मनिरपेक्ष के मेरे साथियों के पास आज कांग्रेस की आलोचना करने का नैतिक आधार क्या है? कई बार इन्होंने श्रीमती गांधी

[श्रीमती तेजस्विनी गौडा]

का नाम आगे किया। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए हमने उन्हें हर सम्भव अवसर दिया, लेकिन उसी समय उन्होंने कई प्रकार के विरोध किए, उन्होंने हर राजनेता की आलोचना की। जब हमारी नेता चीन में किसी कार्यक्रम में थीं तो भी वे उनकी आलोचना करने से नहीं चूके। हमने महान नेता श्री वाजपेयी जी का नाम नहीं लिया, हमने अन्य माननीय नेता श्री एल.के. आडवाणी का नाम नहीं किया। लेकिन उन्होंने यह काम किया। इसके लिए कर्नाटक की जनता तथा भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी तथा किसी भी राजनीतिज्ञ को इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए।

मैं कर्नाटक से हूं, मैं मूलत: राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। व्यक्तिगत तौर मैं श्री देवगौडा का बहुत सम्मान करती हूं। वह एक किसान हैं जो दश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे जब श्री देवगौड़ा ने अपने पुत्र श्री कुमारस्वामी को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने दिया, यदि वह वास्तव में ही प्रतिबद्ध होते, यदि वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति वास्तव में ही प्रतिबद्ध होते, यदि वे आज भजपा को सरकार बनारे से रोक सकते हैं तो उस समय भाजपा के समर्थन से कुमास्वामी वे नेतृत्व में सरकार बनने को क्यों नहीं रोक सके? हम यह पूछना चाहते हैं। मैं असमंजस में हूं, हरेक मीडिया में बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं तथा बहुत सारे वक्तव्य दिए गए हैं, वे गुमराह क्यों कर रहे थे? यदि मैं असमंजस में हूं तथा मुझे गुमराह किया जाता है, तो इस देश की युवा पीढ़ी का नेतृत्व कैसे होगा, किसानों का नेतृत्व कैसे होगा, इस देश के भोले-भाले लोगों का नेतृत्व कैसे होगा? कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक दल इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसे कैसे ठीक किया जाए? राज्यों तथा केन्द्र में किस प्रकार से स्थाई सरकारें बनाई जाए?

जब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समर्थन करने के लिए खड़ी होती हूं तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों को जानती है।

कांग्रेस पार्टी ने पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना का हमेशा ही समर्थन किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में हम श्री जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं भूला सकते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम लोकतंत्र के मूल्यों को जानते हैं। आज, हमें दोषियों को सामने लाना चाहिए। मेरे विचार से, भाजपा तथा जनता दल (एस.) ने अपने मुखौटे हटा दिए हैं। उन्हें पूरा अवसर दिया गया। किसी ने भी उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहा लेकिन वे यहां आ गए। माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें पूरा अवसर दिया। इस संबंध में मैं संप्रग सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगी। मैं राष्ट्रपति जी के प्रति भी आभारी हूं।

जिस प्रकार का वृत्तचित्र 'ईटीवी' पर दिखाया गया था, मैं उसे भूल नहीं सकती हूं। कर्नाटक में एक टीवी चैनल 'सरकार' में 'झलक' नाम से राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिदिन गाना बजाया जाता था। यह एक लोकप्रिय मजाक बन गया। हमारे लिए विधानसभा के सदस्यों को इसका उत्तर देना मुश्किल हो गया है कि किस अपराध के लिए उन्हें दुबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं जल्दी चुनाव के पक्ष में हूं क्योंकि इसका कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है। लेकिन मार्च-अप्रैल में बच्चों की परीक्षाएं होती हैं महोदय, वे इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि नई सरकार बनने में कितना धन, उर्जा तथा संघर्ष की जरूरत होती है।

मैं यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गत तीन महीनों के दौरान लिए गए सभी निर्णयों पर पुन: गौर किया जाए क्योंकि भाजपा तथा जनता दल धर्मनिरपेक्ष में कोई आपसी विश्वास नहीं था। कर्नाटक के लोगों के हित में कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले तीन महीने में लिए गए सभी प्रशासनिक निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी....*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी गौडा: मैं भी कर्नाटक के राज्यपाल से व्यवस्था दुरुस्त करने का आग्रह करती हूं। कई विकास कार्य बंद हो गए हैं। हमें कर्नाटक के लोगों की शिकायतों को दूर करना है। लोकतंत्र में कर्नाटक के लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। हालांकि, ऐसा करते समय हमें किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचना चाहिए। हमें इस प्रकार की जुंगलबंदी अथवा राजनीतिक नाटक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें उच्चतम कार्यालय की हमेशा गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

मेरे बड़े भई श्री अनन्त कुमार एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं। हमने दो प्रकार से अपने मित्रों का पर्दाफाश किया है। उन्हें हमारी शक्ति में विश्वास नहीं है। उनके पास 80 सीटे हैं। उन्हें सत्ता से बाहर होते देख मुझे आश्चर्य हुआ। वे चुनाव कराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? दूसरे, वे राम के परम भक्त हैं। इसलिए मुझे लगा कि वे छह महीने के लिए सत्ता का त्याग करेंगे, चुनाव का सामना करेंगे और फिर सत्ता में वापस आ जाएंगे। उन्होंने सत्ता के लिए अपनी भूख दर्शाई है। जब भी जरूरत पड़ी है जनता दल (एस) ने अपनी सुविधा के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरा मानना है कि वे कर्नाटक के लोगों को और गुमराह नहीं कर सकते। हम उन सभी विधायकों की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्हें बिना किसी गलती के अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। हम सभी इस अपराध में भागीदार हैं क्योंकि हम कर्नाटक के लोगों पर चुनाव थोप रहे हैं, परन्तु

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी के समक्ष कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, सबसे अच्छा यही होगा कि स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात् स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं।

कर्नाटक में और एक संकट उत्पन्न करना ठीक नहीं होगा। कृपया जितना जल्द संभव हो, उचित तरीके से चुनाव कराए जाएं।

इन शब्दों के साथ ही यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं ऐसी चर्चा में भाग ले रहा हूं, जहां संकल्प का अनुमोदन करने के अतिरिक्त मेने पास कोई विकल्प नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह आपकी सीट है? आपकी सीट का नंबर क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी सीट पर वापस जाऊं?

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आपको अपनी सीट पर जाकर वहां से बोलना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ठीक है। हमारे संविधान में आपातकालीन शक्तियों से संबंधित एक उपबंध है। राज्य में आपात स्थिति के लिए संविधान में अनुच्छेद 356 है। संविधान के निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जहां देश में केवल एक दलीय व्यवस्था होगी। चूंकि शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए उन्हें लगता था कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक ही पार्टी का वर्चस्व रहेगा। इसलिए, जब भी कभी संवैधानिक व्यवस्था विफल होती है, केन्द्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, मंत्रिमंडल भंग कर सकती है तथा राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यह स्थिति है। अब हमारा संसदीय लोकतंत्र उस स्तर पर पहुंच गया है जहां बहु-दलीय प्रणाली और गठबंधन सरकार केन्द्र स्तर पर भी समय की आवश्यकता है राज्यों में भी यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि देश में एकदलीय व्यवस्था नहीं हो सकती। जब संसदीय लोकतंत्र में बहुदलीय प्राणाली फल-फूल रही हो हमें कतिपय ऐसे सिद्धांत बनाने होंगे जिनसे संघीय प्रणाली भी सुदृढ़ हो। हम सरकार की संघीय प्रणाली का पालन कर रहे हैं अत: तो क्या बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र में संघीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में यह अनुच्छेद 356 कारगर होगा, यही विचार का विषय है।

मैं अब बताना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग द्वारा इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने बहुत से साक्ष्य भी लिए हैं। पिछले 60 वर्ष में केन्द्र सरकार ने राज्यों में बहुत सी सरकारों को बर्खास्त किया है। सरकारिया आयोग को इसकी जानकारी है तथा उसने अपनी राय व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। राज्य सरकारों के विरुद्ध सैंकड़ों बार इसका दुरुपयोग किया गया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती रही है। यही हमारे देश का इतिहास है। सरकारिया आयोग की भी यही राय है। तो हमें क्या करना चाहिए? उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में दखल दे चुका है। उनका यह भी सुझाव था कि बहुदलीय प्रणाली अथवा ऐसे देश में जहां संघीय व्यवस्था हो, वहां इस प्रकार की प्रणाली युक्तिसंगत नहीं है। हाल ही में, हमारे यहां संघीय व्यवस्था पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। मुझे उस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इस संसद का सदस्य होने के नाते मैंने सम्मेलन में भाग लिया। विश्वभर से संघीय देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। संघीय व्यवस्था के इस पक्ष के बारे में चर्चा हुई थी। हमारे दश में इस समय किस प्रकार का संघीय ढांचा विद्यमान है?

हमें इस पर विचार करना होगा। मेरा संबंध उस राज्य से है, जहां अनुच्छेद 356 के उपबंधों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था जब केन्द्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। केरल विधानसभा भंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। उस समय कोई संवैधानिक संकट नहीं था। संवैधानिक तंत्र की विफलता का अर्थ होता है कि विधानसभा के माध्यम से सरकार के कार्य कलाप का संचालन किया जा सकता। जब स्कल पार्टी का विधानसभा में बहुमत है तो इस अनुच्छेद 356 का इसतेमाल नहीं किया जा सकता। परन्तु उस समय-जब पार्टी का सभा में पूर्ण बहुमत था और ईएमएस नंबूदरीपाद संविधान के उपबंधों के तहत राज्य का प्रशारान संभाल रहे थे, कानून और व्यवस्था की विफलता के बहाने केन्द्र ने हस्तक्षेप किया और अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया। भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में यह एक बुरे अध्याय के रूप में याद किया जायेगा। वह दिन था 31 जुलाई, 1959 यह काला अध्याय ही रहेगा और कोई भी इसे उचित नहीं ठहरा सकता। अब यदि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति विफल हो गई थी तो राज्य की सहायता करने के लिए आगे आना केन्द्र सरकार का अनिवार्य कर्त्तव्य था। संघीय ढांचे का यही मतलब है।

महोदय, हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की घटनाओं के बारे में सभा में चर्चा की थी। उस क्षेत्र में दो बार गोलीबारी हुई और लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति विफल हो गई है। नहीं, वह सही मांग नहीं थी क्योंकि केन्द्र सरकार केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जब सभा में सत्ता पक्ष का बहुमत है, तो कोई भी प्राधिकारी इसके मामलों में दखल नहीं दे सकता।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

लेकिन उन्होंने क्या किया? राजनैतिक स्वार्थसिद्धि के कारणस्वरूप जब भी नंदीग्राम में गड़बड़ी हो, तो केन्द्र को दखल देना चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसा किस प्रकार कर सकती है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ है। वर्ष 1959 में, जब अनुच्छेद 356 के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, ईएमएस मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया तब भी संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ था। दलील की खातिर ऐसा कहा जा सकता है कि कानून और व्यवस्था की विफलता है। लेकिन यदि राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, तो केन्द्र सरकार का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है : वह राज्य सरकार का बचाव करे। यह संघवाद की सच्ची भावना है। पिछले सप्ताह हम इस सभा में इसी पर चर्चा कर रह थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश भारत में हम राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इसका दुरूपयोग कर रहे हैं। हमें उस घटना की त्रासदी का आभास करना चाहिए जब वर्ष 1959 में केरल मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया था। वर्ष 1959 में विधान सभा के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया था और विधान सभा अध्यक्ष के पद के बिना कार्य नहीं कर सके। अब हम इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि हमने एक नया नामकरण कर दिया है अर्थात् अब हम कहते हैं कि विधान सभा तब से अस्थागित है। संविधान में कहीं भी ऐसा उपबंध नहीं है जिसके तहत एक राज्य की विधानसभा को आस्थगित रखा जा सके। यह एक व्याख्या मात्र है इसमें कोई बंदिश भी नहीं है। केन्द्र सरकार ने विधानसभा को आस्थगित रखने का निर्णय लिया। ऐसा कौन प्रयोजन के लिए किया गया था? ऐसा केवल विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए मौका देने हेतु किया गया था। ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था।

जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार गिर गई केन्द्र सरकार के लिए वास्तविक मार्ग क्या था? उन्होंने विधानसभा को भंग करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि कर्नाटक विधानसभा के विधायकों को खरीद फरोख्त करने का अवसर दिया। जनता दल (एस.) ने सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचा। भाजपा इस दक्षिणी राज्य में सत्ता में भागीदार बनने के अवसर से अति प्रफुल्लित थी। दोनों ही दलों के अपने-अपने प्रयोजन थे। मुझे इससे सरोकार नहीं है और मुझे यह भी नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ? भाजपा ने समर्थन वापिस ले लिया। श्री कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे परिदृश्य में केन्द्र सरकार क्या कर सकती थी। उसे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने की बजाय केन्द्र सरकार ने विधानसभा को आस्थगित रखा। जनता दल (एस.) के विधायकों ने यह बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि वे इस स्थिति में चुनाव का सामना नहीं कर सकते इसलिए विधानसभा को पुन: बहाल किया जाना चाहिए।

वे ऐसी स्थिति में आ पहुंचे। कर्नाटक राज्य में हाल ही के संसदीय अनुभव बहुत ही बदतर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग अपने-अपने प्रयोजनों के लिए सत्ता में भागीदारी हेतु हाथ मिलाते हैं। उस राज्य में ससंदीय लोकतंत्र के नाम पर इस प्रकार का बहुत ही भद्दा नाटक रचा गया। उसका आधार क्या था? यह इसलिए था क्योंकि केन्द्र सरकार ने विधानसभा को आस्थगित रखने का निर्णय लिया। यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसी भी विधान सभा का आस्थगित रखे जाने का अर्थ है खरीद-फरोख्त के लिए अवसर देना, विधायकों को विरोधी पक्ष में जा मिलने का मौका देना। ऐसा करके कुछ और हासिल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में ऐसा ही हुआ।

अब जब हम की गई चर्चा पर विचार करें, तो हम एक चीज पर स्पष्ट रूप से पहुंच सकते हैं। यह वास्तव में घटना हो जाने के पश्चात् विश्लेषण किए जाने का मामला है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने विनिर्णय दिया था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संविधान में भी इस आशय का संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद की स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन मेरा मत यह है कि संविधान से अनुच्छेद 356 को ही हटा दिया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष रूप से इसे रखे जाने के पक्ष में हो, तो इसे इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 356 लागू करके किसी भी सरकार की बर्खास्त किए जाने से पहले संसद की पूर्वानुमति हासिल की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को एक सांविधिक संकल्प लाना चाहिए, जिसके तहत किसी भी सरकार को बर्खास्त करने से पहले संसद की पूर्वानुमति मांगी जाए। इसमें केवल अनुमति नहीं मांगी जानी चाहिए। उन्हें ही निर्णय नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए संसद की पूर्वानुमति अनिवार्य होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी यह विनिर्णय दिया है। लेकिन क्या हम इसे कार्यान्वित कर सकते हैं? क्या यह आवश्यक नहीं है? मेरा पक्ष यह है कि किसी भी सरकार को भंग करने के लिए अनुच्छेद 356 के उपबंध लागू करने से पहले संसद की पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। यही सही प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ किया यह जा रहा है कि पहले सरकार बर्खास्त की जा रही है, फिर उसे आस्थगित रखा जा रहा है और फिर उसे बहाल किया जा रहा है इत्यादि। संसद की अनुमति पाकर ऐसा आसानी से किया जा सकता था। जब श्री कुमास्वामी ने इस्तीफा दिया था, तब संसद का सत्र चल रहा था। हमारे माननीय गृहमंत्री सभा की अनुमति लेने के लिए इस आशय का एक सांविधिक संकल्प ला सकते थे कि सरकार कर्नाटक में अनुच्छेद 356 के उपबंध लागू करना चाहती है। इसमें क्या मुश्किल थी? इस प्रकार की कार्रवाई के पीछे एक लोक तांत्रिक समर्थन भी मौजूद रहता। वे सभा में इस प्रकार का संकल्प ला सकते थे। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने और सब प्रकार की बेतुकी चीजों के घट जाने के पश्चात् वे इस

सभा में एक सांविधिक संकल्प लेकर आए हैं, जिसमें यह मांग की गई है कि इस कार्रवाई पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएं। यह बहुत ही अनुचित और अशोभनीय है तथा मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके पश्चात् से केन्द्र सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जब कभी भी अनुच्छेद 356 के उपबंध लागू करके किसी सरकार को बर्खास्त करना चाहे तो, उसे पहले सभा के समक्ष आना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

आपको एक सांविधिक संकल्प लाना चाहिए...*(व्यवधान)* आपको सभा में आना चाहिए और किसी मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए विशेष कर जब केन्द्र और राज्यों में गठबंधन की सरकार हो तो सभा की अनुमति के लिए सांविधिक संकल्प लाना चाहिए। वर्तमान में हमारे सामने केवल यही उपाय उपलब्ध है।

इसलिए, मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि ऐसी स्थिति में सभा में नहीं आना चाहिए। आपको पहले हमारी अनुमति लेनी चाहिए। प्रत्येक मामले के मौजूदा हालातों के अनुसार हम अनुमति देंगे अथवा इसे खारिज कर देंगे। इसलिए, मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का संकल्प लाया जाए। माननीय विधि मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। आपको संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक लाना चाहिए जिसके द्वारा संसद की सहमति के आधार पर ही अनुच्छेद 356 को लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन जी हमारे सम्मानित साथी हैं और देवेगौड़ा जी की तरह इनका भी किसी से एग्रीमेंट रहता है। हमारा इस सरकार से एग्रीमेंट है, क्योंकि गृहमंत्री जी ने, इस सदन के सामने जो दस्तावेज पेश किया है, वह भारतीय राजनीति के अवसरवाद का एक खूबसूरत काव्यात्मक दस्तावेज है। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिस्थिति पैदा होने पर केन्द्रीय हस्तक्षेप आवश्यक मानकर अनुच्छेद 356 का प्रावधान भारत के संविधान में किया था। इसलिए गृह मंत्री जी द्वारा रखे गया प्रस्ताव का न केवल में समर्थन करता हूं बल्कि इनसे आग्रह भी करता हूं कि कर्नाटक की विधान सभा को शीघ्रातिशीघ्र भंग कर वहां नयी निर्वाचित सरकार गठित कराने के प्रयास भारत सरकार की ओर से होने चाहिए।

कर्नाटक ऐसा खूबसूरत राज्य है, जिसमें कला, साहित्य, संगीत के साथ-साथ भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली, एक समृद्ध राजनैतिक परम्परा रही है। जिस राज्य ने निजलिंगप्पा जैसा महान व्यक्ति पैदा किया, बीडी जत्ती और रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोग जहां हुए, देवराज अर्स जैसे महान नेता जहां हुए, एसआर बोम्मई और न जाने कितने महान व्यक्ति हुए, लेकिन देवेगौड़ा जी का नाम भी बाद में स्मरण करना ही पड़ेगा। इस राज्य ने लंबे समय तक भारत की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित किया। देवेगौड़ा जी को मैं 1977 से जानता हूं, जब वे कर्नाटक जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और मुझे उत्तर प्रदेश जनता पार्टी का महामंत्री, बहुत कम उम्र में, माननीय चन्द्रशेखर जी ने बनाया था। मुझे जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेलीफोन आया कि माननीय देवेगौडा जी कर्नाटक पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये लखनऊ जा रहे हैं इन्हें आपको प्रयागराज में स्नान कराना है और उत्तर प्रदेश के जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन कराने हैं। मैं उनको लेकर वाराणसी, काशी-विश्वनाथ के दर्शन और त्रिवेणी संगम पर स्नान कराने ले गया। हनुमान जी को उन्होंने साष्टांग दंडवत इतनी जोर से किया जितनी जोर से दंडवत करते मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। लेकिन इधर जो कर्नाटक में घटनाएं हुईं, उनसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस धरती के राजनैतिक प्राणियों में केवल देवेगौडा जी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें हनुमान जी में विश्वास होने के बावजूद भगवान से डर नहीं लगता। सारी चीजों की एक पराकाष्ठा होती है और उनके द्वारा उस पराकाष्ठा पर वहां की राजनीति को पहुंचा दिया गया। उनकी पार्टी का नाम है जद(एस)। ये एक पार्टी पर लगातार आरोपित करते रहे, हमला करते रहे कि वह नॉन-सेक्युलर पार्टी है।

हमारा सैक्यूलरिज्म के प्रति किसी से भी ज्यादा कंफर्म कमिटमेंट है, जो इस देश में किसी और का नहीं है, और इसी पार्टी के साथ सौदा कर लेना कि तुम्हारे साथ रहना है, गले मिलना है, इस पार्टी को बहुत शीघ्रता थी कि दक्षिण के एक राज्य में हमारी पार्टी का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है कि बीस महीने किसके साथ रहे, किसके दरबार में रहे और किसके साथ समझौता करना चाहते थे। बस इतना पता था कि अगर हमें किन्हीं परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनके इतिहास को जानते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी ने बाद में कहना शुरू किया कि हमारे साथ धोखा हुआ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमने बयान जब अखबार में पढ़ा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो मैं बहुत चिंतित हुआ कि राजनीति में दूर की दृष्टि न रखने वाले लोग राजनीतिक दलों में कितने बड़े-बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और जानते हुए भी कि इस व्यक्ति का इतिहास ही धोखा देने वाला है, आप समझते हो कि यह धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करता है और फिर भी समझौता कर लें तथा धोखा होने पर कहें कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो मैं उस व्यक्ति को उलाहना देने के बजाय ऐसे लोगों को चिंतन पर ही अफसोस करता हूं, क्यों इस तरह के लोगों के ऊपर वे विश्वास कर लेते हैं।

पिछले ढाई-वर्षों से कर्नाटक जो घटनाएं हुई हैं, मैं उनसे बहुत व्यथित हुआ, बहुत चिंतित हुआ कि इस देश की जनता किस

[श्री मोहन सिंह]

राजनीतिक दल और किस राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करे। एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व, नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रति जब जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा, तब मुशर्रफ साहब इमरजेंसी हमारे पड़ोस में लगा ही रहे हैं, हमारे आस-पास किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं है। इस पूरे टापू में, हिंदुस्तान एक पौधा जिंदा करके, इसके पुष्प की सुगंध सारे देशों में फैला कर, इस भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोकतंत्र का पुष्प पैदा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारा आचरण इस तरह का होगा, तो लोकतंत्र के प्रति सचमुच श्रद्धा अपने आस-पास के देशों में ही नहीं, बल्कि अपने देश में भी होनी नामुमकिन है। इसलिए यह प्रश्न केवल एक राज्य का नहीं है।

भारत की राजनीति किस तरह से विचलित हो रही है, इसके बारे में चिंता करने का सबसे बड़ा अवसर पिछले ढाई महीनों की कर्नाटक की राजनीति ने हमें दिया है। सही समय पर गृह मंत्री ने सही निर्णय लिया। जब इन्होंने पहले उसे निलम्बित किया था, तो विधानसभा भंग करने का फैसला इन्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। आप शायद इस बात के इंतजार में थे कि कुछ लोग जाएं और कहें कि हम सरकार बनाना चाहते हैं तथा लम्बी दूर तय करनी है। इस विश्वास में आकर भारत सरकार ने नए सिरे से वहां की विधान सभा को जिंदा किया। आज की तारीख में जब कभी भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है, तो वर्ष 1991 से अब तक, एक बार ऐसी घटना हुई थी, जब मैंने राष्ट्रपति शासन का पुरजोर समर्थन किया था, बारी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जब चार राज्यों की सरकारें हटी थीं। तब के बाद आज मैं फिर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करने का न केवल सदन से आग्रह करता हूं, बल्कि गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि दो कदम और आगे बढ़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कई निर्णय हैं। बोम्मई साहब के मामले में कर्नाटक की सरकार को भारत सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इस निर्णय को लैण्ड-मार्क डिसीजन के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसमें जो कुछ कमियां थी, उनको बिहार के केस में पूरा कर दिया था। अब भारत सरकार के पास बहुत सीमित ऑप्शन रह गए हैं, जैसा हमारे एक मित्र कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 का केवल दुरूपयोग होता है और इसको संविधान से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं इसका इतना बड़ा समर्थक नहीं हूं क्योंकि उनके अंदर तो रोष है वर्ष 1959 का, जब पहली बार इस देश में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि वह दुरूपयोग था, लेकिन उसी दुरूपयोग को पेट में रखना और बाद में जो घटनाएं हुई, जिनमें अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कई सवालों पर आवश्यक था, उनको इग्नोर करना सही नहीं है। एक संबंधित लिस्ट हमें रखनी चाहिए। कर्नाटक की आज की जो घटना है, वह इस बात को सिद्ध करती है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में जायज होता है और उसकी उपस्थिति को जायज ठहराने के लिए वहां की एसेम्बली को भंग कर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, हम कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 20 नवम्बर, 2007 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा से संबंधित संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं।

मैं अपनी बात अपने पूर्व वक्ता द्वारा संबंधित राज्य सरकारों पर लागू किए गए अनुच्छेद 356 के बारे में किये गए उल्लेख से आरंभ करूंगा। अनुच्छेद 356 पिछले 30 से 35 वर्षों से विवाद का विषय रहा है और अब तक 1959 के प्रथम प्रकरण का भी उल्लेख किया जाने लगा है। किन्तु 1960 के दशक के मध्य से और 1970 के दशक के आरंभ से अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है और सीपीआई(एस) सहित अधिकतर क्षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया है। अकाली दल अनुच्छेद 356 को रद्द करने वाले प्रस्तावकों में से एक है और इसी प्रकार डीएमके एवं अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इसकी मांग की है। हमारी पार्टी भी एक क्षेत्रीय दल है किन्तु हमारा दृष्टिकोण अलग है। इसका उपयोग यदा-कदा ही किया जाना चाहिए। उपलब्ध संशोधनों और अनुदेशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इसे तत्काल ही संसद से अभिपुष्ट कराया जाए। मैं समझता हूं कि यह केन्द्र सरकार को स्पष्ट अनुदेश देता है कि इसका उपयोग यदा-कदा किया जाए।

महोदय, जब कर्नाटक की बात आती है तो हमें अपने देश में मौजूद लोकतांत्रिक प्रणाली का भी उल्लेख करना चाहिए। यह संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली होती है। यही प्रणाली हमने अपनाई है। 'द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली में, कुछ स्थितियाँ ऐसी होंगी जहां पूर्ण जनादेश नहीं मिलेगा और अपूर्ण जनादेश में गठबंधन ही होंगे। राजनैतिक देलों के लिए चुनावों से पहले इस प्रकार की व्यवस्था हमेशा सम्भव नहीं होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहां आप परिणाम आने के बाद व्यवस्था करते हैं इस प्रकार की चीजें केवल हमारे देश में ही नहीं होती हैं अपितु अन्य देशों में भी होती हैं जहां संसदीय लोकतंत्र प्रचलन में हैं।

इस प्रकार, जब हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो सर्वोत्तम उपाय क्या है जो हमें करना चाहिए? यहाँ मुझे देश के राष्ट्रपति के रूप में डा. शंकर दयाल शर्मा के लेखों और उनके निर्णयों की याद आती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है

कि विधान सभा अथवा लोक सभा में बहुमत वाली पार्टी सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी के नेता को सरकार के गठन के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहिए। इसके निर्धारण के लिए बहुत अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए जिससे कि गठबंधन के लिए अनैतिक कार्य न किये जा सकें। इस प्रकार, बहुमत वाली पार्टी के नेता अथवा सभा में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उसके नेता को निर्धारित समय में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए।

कर्नाटक में क्या हुआ? विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी। इसमें जेडी(यू) के 5 सदस्यों के समर्थन सहित लगभग 79 सदस्य थे। एक प्रकार से यह कर्नाटक विधान सभा में सबसे बड़ा राजनैतिक दल था। किन्तु कुछ समय के बाद कांग्रेस और जेडी(एस) नामक दो राजनैतिक दल एक साथ मिल गए और सरकार बना ली और विधान सभा में उन्होंने बहुमत सिद्ध कर दिया।

मुझे नहीं लगता है कि जेडी(एस) ने कर्नाटक की जनता को कोई स्पष्टीकरण दिया है जब उन्होंने गठबंधन से समर्थन वापिस लिया। कांग्रेस नेतृत्व वाले गइबंधन से वे क्यों अलग हुए? मैं अभी भी किसी भी मीडिया से यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने समर्थन वापिस क्यों लिया और वे भाजपा से क्यों जुड़े जिसे बाद में नेतृत्व करना था।

हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां भी रही हैं जब यहां अल्पमत सरकार बनानी पड़ी थी। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती गांधी की अल्पमत सरकार को सीपीआई ने बाहर से समर्थन दिया था। श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय हमारी सरकार थी। यह एक अल्पमत सरकार थी और अल्पमत सरकार के रूप में चार वर्षों से ज्यादा चल पाई। हमारे पास केन्द्र में वर्तमान सरकार है। मुझे राज्यों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र के कई ऐसे दृष्टांत हैं जहां सरकारें बनती हैं और उन्हें बाहर से समर्थन दिया जाता है।

हमारे देश के लिए यह नई बात नहीं है। विभिन्न संसदीय लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की सरकारें बनती हैं और सदन चलते रहते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? एक गठबंधन की सरकार बनी किन्तु उसमें अविश्वास है, उसमें बुरी भावना है। मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दायर कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है और इससे लोगों के बीच, राजनैतिक दलों के बीच विद्वेष की भावना पैदा होती हैं। एक वर्ग द्वारा सुबह कुछ कहा जाता है और शाम को एक अन्य वर्ग द्वारा कुछ और कहा जाता है। मेरे विचार से इस तरीके से एक राजनैतिक तंत्र नहीं चल सकता।

मैं यहां केवल यह उल्लेख करूंगा कि बाहरी सहायता एक तेज धार की तरह है जिस पर वास्तव में सरकार चलती है। यह काफी मुश्किल है और कई बार मैंने राज्यपालों को सम्बद्ध राजनैतिक दलों से लिखित सहमति मांगते हुए देखा है ताकि उन्हें यह आश्वासन मिले कि सरकार बरकरार रहेगी। आज स्थिरता की आवश्यकता है। परन्तु स्थिरता तभी आ सकती है जब किसी नेता को सभा में उतना सम्मान मिले। अन्य देशों में हमने ऐसा देखा है जहां एक ही नेता को सभा का इतना सम्मान मिलता है जितना कुल मिलाकर सारे राजनैतिक दलों को मिलता है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में अनिश्चितता है और राजनैतिक दलों में वैमनस्य है। आज तीन अलग-अलग राजनैतिक दल विद्यमान हैं। परन्तु इस विधान सभा को भंग करने का यह उचित समय है और कर्नाटक के लोगों को अपनी खुद की सरकार बनाने का एक अवसर मिलना चाहिए। 20-20 माह में सत्ता के बंटवारे का एक विशेष तरीका है जो हमें कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के लोग निकट भविष्य में एक लोकप्रिय सरकार का चुनाव करेंगे। परन्तु साथ ही मैं यह कहूंगा कि विभिन्न वर्गों में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जैसे स्पष्ट बहुमत न देने के लिए लोगों का कसूर है।

अपराह्न 3.19 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

स्पष्ट बहुमत न होना कोई नई बात नहीं है। मैं यह पुन: दोहरा रहा हूं स्पष्ट बहुमत न होना संसदीय लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है और संसदीय लोकतंत्र में जब जनादेश किसी राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देता, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां गठबंधन सरकारें बेरोकटोक चल सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं ऐसा पंजाब में हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ है। ऐसा उड़ीसा में हुआ है जहां पिछले सात साल से गठबंधन सरकार सत्ता में है क्योंकि दोनों गठबंधन के भागीदारों में आपसी भी विश्वास है।

गठबंधन के साथ ऐसा ही है यदि भरोसा है तो सरकार चलती है। यह भरोसा सदस्यों भागीदारों के बीच, सभा में तथा लोगों का भरोसा होता है। एक बार यह भरोसा खत्म हो जाए तो सरकार गिर जाती है। यहां सरकार गिर गई है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभा को भंग करके फिर से जनादेश मांगा जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर के लिए ही कुछ कहना चाहूंगा। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बीच घंटी न बजाएं।

महोदय, हम कर्नाटक में चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के साक्षी हैं। यह मात्र दो दलों के बीच एक अपवित्र सिद्धांतहीन और अनैतिक गठबंधन है। भाजपा और जनता दल (एस) के बीच यह

[श्री अजय चक्रवर्ती]

गठबंधन टूट गया है। मुझे नहीं पता कि यह स्थायी रूप से टूट गया है या कर्नाटक में सत्ता में आने के लिए इसे किसी भी समय पुन: जोड़ा जा सकता है।

कर्नाटक हमारे देश का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है। मेरे विद्वान साथी श्री मोहन सिंह कर्नाटक की विरासत और संस्कृति पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। राज्य में इस प्रकार की अस्थिर सरकार लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी तथा राज्य की औद्योगिक नीति और उभरते उद्योगों में बाधा पैदा करेगी।

मुझे देवेगौडा जी का नाम लेना होगा। वह इस सम्मानित सभा के एक माननीय सदस्य हैं। इतना ही नहीं वह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। वह हमारे देश में सर्वोत्तम स्थान पर थे। वह संयुक्त मोर्चा सरकार में भारत के प्रधानमंत्री थे। वह हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों के पक्ष में लड़े...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चक्रवर्ती अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती: वह धर्मनिरपेक्ष दलों से प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भाजपा का विरोध किया। हम याद कर सकते हैं कि भाजपा ने जोर-शोर से देवेगौड़ा सरकार का विरोध किया। यह केवल सत्ता में आने के लिए है क्योंकि उनके पुत्र कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसीजिए उन्होंने भाजपा से समर्थन लिया। सरकार बनाने के लिये उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया। मैं देवेगौडा जी का काफी आदर करता हूं परन्तु इस बार मुझे यह पूछते हुए खेद हो रहा है "धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम अपने भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी का कहां तक आदर करेंगे?" ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक नया दल बना लिया है और इस दल का नाम जनता दल (सेकुलर) है। वह धर्मनिपेक्षता को कहां तक जारी रखेंगे? इस संबंध मे मुझे शत प्रतिशत संदेह है। उन्होंने एक दल से गठबंधन बनाया है जो धर्म निरपेक्षता का थोड़ा भी आदर नहीं करता। यही कारण है सवाल यह नहीं है कि यह गठबंधन मुख्यमंत्री येद्दुरप्पा ने बनाया: सवाल सरकार की स्थिरता का है। दोनों दलों ने लोगों के हित पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्थिर सरकार के नाम पर लोगों से वोट लिए। अन्तत: उन्होंने कर्नाटक के लोगों के साथ विश्वासघात किया। अत: हमारी पार्टी सीपीआई, अन्य वाम दल तथा अन्य लोकतांत्रिक दल अनुच्छेद 356 लगाए जाने को समर्थन न देते: परन्तु इस मामले में अनुच्छेद 356 लगाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसीलिए हम कर्नाटक में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का समर्थन करते हैं। परंतु यह एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए विधान सभा को भंग करके लोगों से पुन: जनादेश लेना चाहिए। लोकतंत्र के हित के लिए बिना और देरी किए तत्काल मध्यावधि चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। हालांकि चुनाव से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा फिर भी लोकतंत्र के हित के लिए, कर्नाटक के लोगों के हित के लिए, कर्नाटक में एक स्थिर सरकार के लिए, विधान सभा भंग करके कर्नाटक के लोगों से पुन: जनादेश लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़, उत्तर): सभापति महोदय, वर्ष 2004 में संसद और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए थे। निस्संदेह यह एक खंडित जनादेश था। परंतु जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया था। भाजपा को 79 सीटें मिली थीं। इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया गया था और अब मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। कांग्रेस और जद (एस) दोनों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर साथ मिलकर सरकार गठित की। उस समय भी हमने कोई शोर-शराबा नहीं किया। हमने श्री बी.एस. येद्युरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। परंतु मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। मेरे विचार से श्री देवगौड़ा इस बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं। अचानक, श्री कुमारस्वामी आए और कहा: "अपने दल को बचाने के लिए हम भाजपा के साथ जा रहे हैं और नया गठबंधन बना रहे हैं।" दोनों दलों के बीच समझौता हुआ था कि पहले बीस महीनों तक जद(एस) के नेतृत्व वाली सरकार होगी और अगले बीस महीनों तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार होगी। उस समय श्री देवेगौडा ने कहा था "मैं अपने जीते जी श्री कुमारस्वामी को भाजपा के साथ जाने की अनुमति नहीं दूंगा" परंतु क्या हुआ? जद(एस) के नेतृत्व वाली सरकार 20 महीनों तक चली। बीस महीनों तक श्री देवेगौड़ा और उनके परिवार ने सत्ता सुख भोगा और अंतत: जब सत्ता को हस्तांतरित करने का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा: "हम सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते।" वे पुन: धर्मनिरपेक्ष बन गए। वे पुन: धर्मनिरपेक्ष क्यों बन गए। इसका कारण यह था कि वह अपने एक पुत्र को मुख्यमंत्री बना चुके थे और अपने दूसरे पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा: "मैं सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहता।"

अंतत: जब श्री एम.पी. प्रकाश और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने देवेगौड़ा के आदेशों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया तो जनता ने एक अन्य नाटक देखा और उन्होंने कहा कि "हम पुन: भाजपा के साथ जाना चाहते हैं"। राज्यपाल के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत किए। सिर्फ राज्यपाल ही नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भी इन शपथ-पत्रों की सारी प्रतियों को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद, जब विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव का सामना करने का प्रश्न आया तो शर्तें थोपने का सिलसिला शुरू हो गया। ये शर्तें क्या थीं। आप अन्य शर्तों को छोड़ दीजिए। उनकी मुख्य शर्त विभागों के आबंटन के बारे में थीं। वे खान, प्राणी विज्ञान, गृह

और वित्त विभाग चाहते थे। हमने 20 महीनों पूर्व जो भी समझौता किया था उसका सम्मान किया जाना चाहिए था और हम देवेगौड़ा जी या उनके पुत्र के पास वापस नहीं गए। हम श्री बी.एस. येदुपरप्पा और श्री अनंत कुमार जी के नेतृत्व में धर्म यात्रा में जा रहे थे। परंतु माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क किया और कहा "जो कुछ हुआ हम उसे भूल जाएंगे और असामयिक चुनाव को टालने हेतु कर्नाटक में सरकार गठित करेंगे। परन्तु वे महत्वपूर्ण विभाग चाहते थे और मैं नहीं चाहता...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री प्रहलाद जोशी: मैं कारण नहीं जानता। मेरे विचार से वरिष्ठ व्यक्ति वहां हैं। वे खान जैसे विभाग चाहते थे। हर कोई खान के बारे में जानता है कि कर्नाटक में क्या चल रहा था। अत: श्री देवेगौड़ा खान, लोक निर्माण विभाग, गृह और वित्त, विद्युत, बीडीए के विभाग अपने पुत्र के लिए चाहते थे। शेष विभाग अपने कुछ अन्य विधायकों के लिए चाहते थे और वे चाहते थे कि भाजपा मुख्यमंत्री का पद लेकर शांत रहे।

जद(एस) अब जद(सन्स) बन चुका है और यह एक कंपनी बन चुका है। अब मैं श्री देवेगौड़ा से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दल जद(एस) का नाम बदल दें। इसका नाम जद(एस) नहीं रहना चाहिए। इसका नाम बदलकर जद(बी) कर दिया जाना चाहिए। जद(बी) का अर्थ जद(बिट्रेयल) है क्योंकि बिट्रेयल (विश्वासघात) इनके खून में था। इन्होंने कर्नाटक के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता और जनता दल के संस्थापक श्री रामकृष्ण हेगड़े के साथ विश्वासघात किया था। उनके साथ विश्वासघात किया गया था जब श्री देवेगौडा प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला कर्त्तव्य श्री रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से बाहर निकालना था।

यह मामला आगे भी चला। वह कांग्रेस के साथ गए। हम उनके पास नहीं गए, हमने उनसे भीख नहीं मांगी कि हम सरकार गठित करना चाहते हैं। उनके पुत्र 39 विधायकों के साथ हमारे पास आए और कहा कि हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। तब अंतत: उन्होंने कहा कि वह उनका पुत्र अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने उस सरकार की सराहना की और तब पुन: उन्होंने भाजपा के साथ विश्वासघात किया। हम धर्म यात्रा पर जा रहे थे और पुन: हमें बुला लिया गया था, पुन: वही नाटक हुआ।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नाटक में राजनीति का स्तर गिर रहा है। स्वतंत्रता मे पहले की स्थिति अलग थी। स्वतंत्रता से पहले, राज नेताओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनका बहुत सम्मान होता था। परंतु स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों बाद राजनेताओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। पुराने समय में, जब कोई राजनेता रास्ते से गुजरता था तो लोग कहा करते थे कि: "हां कोई नेता जा रहा है।" वे अपने पुत्रों और पुत्रियों से कहा करते थे: "वह हमारे राज्य का नेता है, वह हमारे शहर का नेता है, आप उन्हें नमस्कार कीजिए। परंतु अब क्या हुआ है।

[हिन्दी]

लोग आगे से पोलिटिशयन को नमस्कार करते हैं और पीछे से बोलते हैं कि किसी को ड्यूप करने के लिए जा रहे हैं, किसी को डूबाने के लिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आज, राजनेताओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह श्रेय श्री देवेगौड़ा को जाता है।

महोदय, इस स्थिति में कर्नाटक विधानसभा को भंग करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं इस सभा के माध्यम से कर्नाटक की जनता से अपील करता हूं कि वह स्थिर सरकार के गठन हेतु अगले चुनावों में स्पष्ट जनादेश दे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा (चित्रदुर्ग): माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय का अनुमोदन करने हेतु माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन अथवा विरोध में कुछ शब्द कहने की अनुमति देने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भी कर्नाटक से हूं। यद्यपि, राजनीति में मैं नया आया हूँ, तथापि नैतिकताएं मेरे लिए नई नहीं है।

मैं भी कुछ बातें कहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2004 में कर्नाटक में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त हुआ कांग्रेस को 65 सीटें मिली और जद(एस) से हमारे मित्र यह कहकर आगे आए कि वे सरकार गठित करने में हमारा समर्थन करेंगे। हमने सोचा कि यह समझौता उचित और अनुकूल होगा और इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। उन्होंने हम पर धर्म सिंह को राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनाकर राज्य का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की। नि:संदेह विभागों का वितरण हुआ था कांग्रेस तथा जद(एस) के बीच कोई शिकायत नहीं थी।

[श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा]

जब यह गाड़ी खुश-खुशी और आराम से चल रही थी, किसी प्रकार भाजपा द्वारा जद(एस) का दिमाग खराब कर दिया जाय। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सौभाग्य से हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता श्री अनंत कुमार जी ने कांग्रेस के विरूद्ध कड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया है परंतु इन्होंने उन्हें राजी किया। मेरी समझ में आया है कि भाजपा को जद(एस) को कांग्रेस के गठबंधन से अलग हटने के लिए और जद(एस) और भाजपा के बीच नया गठबंधन करने के लिए राजी किया। और वे रिजार्ट में ले जाए कुछ विधायकों को दिखाकर कुमार स्वामी को राजी करने में सफल रहे थे क्योंकि कर्नाटक में इसे रिजार्ट कल्चर कहा जाता है। जब हमें पता चला कि जद(एस) से हमारा गठबंधन टूट गया है तो हमने सहजता से इस समझौते को तोड़ दिया और सत्ता सौंप दी। यह गठबंधन, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि यह मेरे मित्र द्वारा प्रयोग किए गए कड़े शब्दों के अनुसार जद(एस) और भाजपा के बीच अपवित्र और अनैतिक गठबंध न था। नि:संदेह 20 महीनों तक वे भी सही चल रहे थे क्योंकि उनके बीच सत्ता और अन्य कार्यों के बंटवारे का भी समझौता हो गया था।

मुझे नहीं पता कि भाजपा और जनता दल (एस) के बीच अचानक कलह क्यों शुरू हो गई है।

वे कहते हैं कि 20-20 माह में लिए समझौता हुआ था और जब 20 माह का समय पूरा होने वाला था, तो भाजपा ने कहना शुरू कर दिया कि आपको 3 अक्टूबर तक भाजपा को सत्ता सौंपनी होगी। भाजपा पूरे राज्य में धरना यात्रा पर चली गई। उन्होंने जनता दल (एस) के विरुद्ध सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे शब्द किसी भी भाषा के किसी भी शब्दकोश में नहीं मिल सकते। जनता दल (एस) और इसके नेता के विरुद्ध ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया था।

उन्होंने लोगो को इस तरह समझाने का प्रयास किया कि वे सत्ता के व्यापारी नहीं हैं; उन्हें गठबंधन के साथ और अधिक सत्ता नहीं चाहिए और वे धरना देने के लिए ही हैं, और वे राज्य में धरने को इस प्रकार प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, मानों राज्य में केवल वहीं धरना देने के लिए पैदा हुए हैं और मानो यह उनका एकाधिकार हो। किंतु अचानक, उन्होंने क्या किया कि जब धरना यात्रा चल रही थी, ऐसा लगा कि जनता दल (एस) से बुलावा आया, हां, आप वापस आ सकते हैं, हम आपको समर्थन देने जा रहे हैं। रास्ते के बीच में ही उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की और वे बंगलौर शहर दौड़ते हुए आए और श्री येदयुरप्पा ने कहा कि ये हमारे चार आदमी है। मैं मुख्यमंत्री हूं और ये चार व्यक्ति हैं। मैं अन्य लोगों के साथ सरकार बनाने जा रहा हूं।

वे राज्यपाल के पास गए। उसके बारे में हमारे पास अन्य मित्रों तथा हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा भी बताया गया था। मुझे उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। शपथ ले ली गई थी और वे मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हो गए थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्योंकि हमने कभी इस मामले में ध्यान केन्द्रित नहीं किया। कांग्रेस बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। इसने अपने सहयोगियों के विरुद्ध मुँह नहीं खोला क्योंकि ये उनका समाझौता था और हम अपनी टांग किस तरह अड़ा सकते थे। हमें आलोचना का अधिकार मिला है और हम आलोचना कर रहे हैं। बस इसे छोड़कर। हमने यह नहीं कहा कि आप गठबंधन और ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अत: सात दिन तक ऐसा चला और अचानक श्री येदयुरप्पा ने कहा कि अब मैं जनता दल (एस) के साथ नहीं चल सकता। यह कई तरह की अड़चने पैदा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या थी क्योंकि हम जनता दल (एस) और भाजपा के मध्य जो समझौता हुआ था, उसके बीच हम कहीं नहीं थे।

मैंने अभी अपने सुधी बंधु श्री प्रहलाद जोशी से सुना कि जनता दल (एस) कुछ महत्वपूर्ण विभाग चाहता है। मुझे नहीं पता कि वे महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण किस दृष्टि से हैं। इसकी व्याख्या वे ही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विभागों के आवंटन पर मतभेद शुरू हो गए थे। तभी, अचानक जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, राज्य के तथाकथित नेता ने विधान सभा छोड़ दी और राज्यपाल के कार्यालय दौड़े और त्यागपत्र सौंप दिया। इस तरह यह गठबंधन तीसरी बार टूट गया।

मेरे मित्र यहां बता रहे थे कि मानो राज्य में भाजपा ही ऐसा दल है, जो सभी बुराइयों से मुक्त है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भाजपा के कारण ही राज्य में सारे झगड़े शुरू हुए। यदि भाजपा ने श्री कुमारस्वामी से अपने विधायकों को कांग्रेस छोड़ने के लिए नहीं उकसाया होता तो निश्चित तौर पर कांगेस और जनता दल (एस) पूरे पांच वर्ष की अवधि तक चलते तो कि राज्य की जनता चाहती थी, और उनका उस प्रणाली में विश्वास था। परंतु उन्होंने उस विश्वास को तोड़ा। पहली बार उन्होंने श्री एच.डी. कुमारस्वामी को उकसाया। सभापति महोदय भी उकसाने के प्रभावों से भली भाँति परिचित हैं और दोषी भी परिचित है।

उन्होंने उकसाया और जनता दल (एस) दोषी बन गया। अत: दोनों मुकदमा चलाए जाने और दंड दिये जाने के लिए उत्तरदायी हैं और अगले चुनावों में जनता यही करने जा रही हैं ...(*व्यवधान*) मैं उस मुद्दे पर आता हूँ ...(*व्यवधान*)

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): आप कांग्रेस पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ...(*व्यवधान*) आपने समस्या खुद मोल ली है ...(*व्यवधान*)

श्री प्रह्लाद जोशी: 2004 में आपका उनके साथ गठबंधन था। ...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: कृपया व्यवधान मत डालिए ...(*व्यवधान*)

श्री एस.के. खारवेनथन: आप सत्ता के व्यापारी हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: हमने उनके द्वारा बनाए गए इस अपवित्र गठबंधन के प्रति रत्ती भर भी क्रोध व्यक्त नहीं किया। वास्तव में, हम खुश थे। यद्यपि उनके दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। वे किसी भी प्रकार गठबंधन बनाने और राज्य का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों स्तरों पर विफल रहे।

श्री अनंत कुमार बता रहे थे कि जनता दल (एस) ने जनता से विश्वासघात किया था। मुझे यह कहना है कि जनता दल (एस) अकेले नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जे.डी. (एस) एक बहुत अच्छा दल है और उसके लोग बहुत अच्छे हैं। किन्तु, साथ ही बीजेपी भी उतनी बुरी है जितना जे.डी. (एस)। दोनों ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी (चिक्कोड़ी): अपनी पार्टी के जालप्पा जी से पूछिए।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: वह भी बोलेंगे।

[अनुवाद]

सभी लोगों को उम्मीद थी कि सरकार पाँच वर्ष चलेगी और वे लोगों को पाँच वर्ष की अवधि से पहले मतदान केंद्रों पर दोबारा जाने के लिए कहकर परेशानी में नहीं डालेंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश, इन दोनों ग्रुपों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, श्री हनुमनथप्पा पूर्व मुख्य न्यायधीश हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री एस.के. खारवेनथन: वे न्याय कर रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: 2004 के चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया था। उनके पिछली विधान सभा में 150 सदस्य थे और वे 65 रह गए। लोगों ने उन्हें नकार दिया। वे पिछले दरवाजे से सत्ता में क्यों आना चाहते थे। ...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ।... (*व्यवधान*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): श्री अनंत कुमार के पास चुनावी आँकड़ों को छोड़कर सारी जानकारी है। इस चुनाव में, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जनादेश मिला था। कृपया प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। निष्कर्षों पर पहुँचने का प्रयास मत कीजिए। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: जनता दल (एस) ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जनता दल (एस) ने उस दिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया था। आप सत्ता को खुपा रहे हैं और इधर उधर की हाँकने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि आपको सत्ता मिली, आप बरकरार नहीं रख सके...(*व्यवधान*) आपको इसकी तकनीक भी पता नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: यह कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जनादेश था ...(*व्यवधान*) यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जनादेश था कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं था। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: केवल श्री हनुमनथप्पा बोल सकते हैं। कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: जी, महोदय। मैं सभापति को संबोधित करुंगा। वस्तुत: गठबंधन बना क्यों था? ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिले थे, किन्तु हमारे अन्य मित्र, जनता दल (एस), उस समय जो हमारी ही तरह सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध थे, ने भी लगभग 55 सीटें प्राप्त की। हमारी 65 सीटें जोड़ देने पर यह 120 होती हैं। यह उनकी आशाओं से भी अधिक था। ...(*व्यवधान*) वस्तुत: लोगों ने भाजपा को यह सबक सिखाया था कि वे राज्य में शासन करने के काबिल नहीं है। जनादेश भाजपा के विरुद्ध था हमारे विरुद्ध नहीं। लोगों ने कांग्रेस और जनता दल (एस) दोनों को पसंद किया और इसीलिए उन्होंने हमें चुना और उन्होंने चाहा कि धर्मनिरपेक्ष लोग वहां हों। इसीलिए उन्होंने हमें सत्ता में बिठाया।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा]

दुर्भाग्यवश, भाजपा ने जनता दल (एस) को फुसलाया कि वह उनके साथ हो जाए और लोगों को निराशा और ठगा सा महसूस कराया और अब वे सबको कर्नाटक राज्य की स्थिति के बारे में बेहद उदासीन और हताश बना रहे है। उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति कभी कोई आदर नहीं दिखाया। इन ढ़ाई वर्षों के दौरान वे ऐसा कभी नहीं थे और वे हमेशा अपनी विचारधारा क्रियान्वित करना चाहते थे जो लोगों को पसंद नहीं थी। सौभाग्यवश, अब यह समाप्त हो गया है। अब लोग निश्चय ही बताएँगे कि उन्हें किस प्रकार की सरकार चाहिए। श्री महताब भी कुछ कह रहे थे कि आजकल साझा सरकारें होना आम बात है। निश्चय ही, हमने भी उसका आदर किया कि जनता दल (एस) और भाजपा के बीच गठबंधन हो। किन्तु दुर्भाग्यवश भाजपा और जनता दल (एस) के बीच टकराव हुआ था। वे टकराए और गिरे भी।

ऐसी चीजों को रोकने के लिए प्रख्यापन आया है। कुछ हद तक मेरे मित्र श्री वरकला राधाकृष्णन को छोड़कर अब सभी ने अनुच्छेद 356 के प्रयोगो को समर्थन दिया है। अब कोई अनुच्छेद 356 को मिटा नहीं सकता। यह वहाँ रहना चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति के हाथों में सबसे बड़ा चाबुक और तलवार है। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

इस प्रकार के सरकार संचालन या सरकार गिरने को रोकने के लिए इस सम्मानीय सभा द्वारा एक उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए।

कानून बनाया जाना चाहिए कि एक बार गठबंधन द्वारा सरकार बनाया गया तो वह पांच साल तक चलनी चाहिए चाहें वे सही चला रहें हो या गलत, जो दल भी गठबंधन सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार हो उसे भविष्य में होने वाले चुनाव का पूरा खर्चा उठाना चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए दूसरे, एकबार गठबंधन बन गया तो दोनों को वचन देना चाहिए कि वे इसे पांच वर्ष की अवधि तक रखेंगे। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। अन्यथा इसका कोई अंत नहीं होगा और जो फ्रांस में हुआ वह भारत में भी होगा। आज एक सरकार बनती है और कल दूसरी सरकार बनेगी। वस्तुत: यह लोगों को मूर्ख बनाना और उनकी आकांक्षाओं को चोट पहुंचाना है।

जहाँ तक जनता दल (एस) और भाजपा का प्रश्न है, मैं उनके लिए कोई अपशब्द प्रयोग करना नहीं चाहता बल्कि हल्के शब्दों में कहना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में* कर्नाटक के समस्त मतदाताओं को...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, यह शब्द असंसदीय है। ...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: श्री जोशी, मुझे अफसोस है कि मैंने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। वास्तव में उन्होंने ....क्योंकि अब उन्हें...(*व्यवधान*) उन्होंने लोगो से वादा किया कि वे उन्हें ...(*व्यवधान*) ठीक है, मैं 'निराश' शब्द का प्रयोग करता हूँ। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अब आपकी बारी है। आप बोल सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: हिन्दी में हमने कहा-वज्रपात हो गया ...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: यदि मेरे मित्र शब्द से प्रसन्न नहीं है तो...मैं कहता हूँ कि इन्होंने लोगों को छला, लोगों को निराश किया ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: उन्हें पूरा करने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, पूरे देश को जानने दीजिए कि यह शब्द असंसदीय है अथवा नहीं। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि कुछ असंसदीय है तो भाषण के अंत में उसे हटाने का आपको अधिकार है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मैं इसे देखूंगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: यदि कोई असंसदीय शब्द प्रयोग हो तो उसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप इसे समाप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह असंसदीय है। मैंने अब दूसरा अच्छा शब्द प्रयोग किया है। वास्तव में इन्होंने कर्नाटक राज्य के मतदाताओं का धोखा दिया है और निराश किया है। वस्तुत: चुनाव के समय तथा सरकार बनाने के बाद इन्होंने जो भी वायदे किये थे, इन्होंने उन वायदों को तोड़ दिया है। इन्हें अपने वायदों को तोड़ने के लिए सजा दी जानी चाहिए मेरे इन्हें सबक सिखाएंगे और चुनाव के समय उन पर भारी जुर्माना लगाएंगे।

जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस के सभा में 65 सदस्य हैं। हम भी सरकार बना सकते थे किन्तु हम कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते। हमने कहा था कि हम सरकार बनाना नहीं चाहते और ऐसे ही रहना चाहते हैं जैसे आज है। हम जब तक सरकार नहीं चाहते जब तक हमारे पास सदन में पूर्ण बहुमत नहीं हो। अन्यथा हम भी खरीद फरोख्त करते अथवा जनता दल (एस) को रिझाते। उनके लोग हमारे पास आने और हाथ मिलाने को तैयार थे। हमने कहा; कृपया हमारे पास मत आइए और जहाँ हैं वहाँ रहिए लगभग 30 लोग हम में शामिल होना चाहते थे क्योंकि वे जानते हैं। ...(*व्यवधान*) वे कैसे जान सकते हैं? हम जानते हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि श्री अनंत कुमार मुख्यमंत्री बन जाते तो इस सभा ने इतना समय नहीं लिया होता...(*व्यवधान*) चूंकि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि यह सरकार चल नहीं सके। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इज्जत से उनका नाम ले रहा हूँ।

[अनुवाद]

वह इसके पात्र हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, माननीय संसदीय कार्य मत्री बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कर्नाटक में भाजपा पूर्णत: एकजुट है। हमने 20 महीने पहले निर्णय किया था कि श्री येदुयरप्पा हमारे उपमुख्यमंत्री बनेंगे और 20 महीने के बाद वे हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अत:, हम चट्टान की तरह अडिग रहे और पूरी भाजपा-केंद्रीय संसदीय बोर्ड, हमारी राष्ट्रीय परिषद, हमारी राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका सभा और सभी ने इसका समर्थन किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी तथा जनता दल (एस), भारतीय जनता पार्टी में विभाजन के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं।

ऐसा कोई विभाजन नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना चाहती थी क्योंकि 8 तारीख को हमारे द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद 27 तारीख तक सरकार ने राष्ट्रपति शासन वापस नहीं लिया तथा श्री बी.एस. येदुरप्पा को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। वे श्री एम.पी. प्रकाश के माध्यम से जनता दल (एस) के साथ मेलजोल कर रहे थे। ...(*व्यवधान*)

श्रीमती तेजस्विनी गौडा: महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: यह एक गंभीर समस्या थी कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। यह उनकी समस्या थी। जब 12 नवम्बर को श्री बी.एस. येदुरप्पा के नेतृत्व में हमने सरकार का गठन किया था तब हमने श्री देवगौड़ा तथा श्री कुमार स्वामी से यह कहा था कि कृपया आएं तथा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लें। लेकिन श्री कुमारस्वामी तथा श्री रवेन्ना के बीच निरंतर लड़ाई चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। अत: वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी तथा जनता दल (एस) दोनों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्री बी.एस. येदुरप्पा के नेतृत्व में एक थी, क्योंकि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तथा वहां हमारे नेता हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, ईमानदार एवं सच्चरित्र पार्टी जो चट्टान की तरह स्थिर थी, यह कहते हुए राज्यपाल के पास गई कि वे जनता दल (एस) से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिस दिन राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस दिन वे सबसे पहले प्रेस गए और यह कहा कि वे चाहते हैं कि जनादेश लिया जाए तथा विधानसभा भंग की जाए। लेकिन पुन:, जब उम्मीद की किरण दिखाई दी अर्थात् जब श्री देवगौड़ा के पुत्र उन्हें समर्थन देने के लए तैयार हो गए, वे पुन: आए और यह कहा कि वे मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इसलिए, कृपया चट्टान, मिट्टी तथा इस तरह की बातें मत कीजिए। कृपया गंभीरता पूर्वक तथा ईमानदारी पूर्वक यह बताएं कि आपकी प्रतिबद्धता ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: जो भी निर्णय लिया गया था वह पार्टी ने एक मत होकर लिया था...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप कर्नाटक की जनता के पास जाकर यह बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से स्वीकार किया जाए...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: चुनाव के बाद आप इससे अवगत हो जाएंगे। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री हनुमनथप्पा, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर दी है?

...(*व्यवधान*)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। यह हमारा काम नहीं है कि हम दूसरों के आंतरिक मामलों में दोष निकालें, हमने यह उनके लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया है। मैं इस शब्द का उपयोग जोर देकर करुंगा। वे जे.डी. (एस) के साथ रहकर खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों लोगों के बीच दूरी थी तथा वे पारिवारिक मामले को जारी रखकर खुश नहीं थे। अत: वे अलग होना चाहते थे, तथा दोनों खुशी-खुशी अलग हो गए हैं।

अगर वे लोगों से यह कहना चाहते थे कि वे इसे चलाना चाहते थे, लेकिन इसे लोगों ने इसकी अनुमति नहीं दी, तो माननीय श्री येदुरप्पा के लिए कोई कारण नहीं था कि वे सदन से निकलकर सीधे राज्यपाल के आवास पर जाएं और अपना इस्तीफा सौंप दें। उन्हें विश्वास मत का सामना करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के यहां सब कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कुछ कहा है पूर्णतया गलत है। यह कुछ नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने दोष निकाला है, जो कि सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा की गई कार्रवाई उचित है तथा माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह और सौ प्रतिशत सही है तथा यह कानून के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अनुज्ञेय है। अत:, भारत के राष्ट्रपति की कार्रवाई की अनुमोदन करने तथा विधानसभा को मांग किए जाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: माननीय सभापति महोदय तथा सभा को धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी (चिक्कोडी): धन्यवाद, महोदय। मैं इस स्थान से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

[हिन्दी]

होम मिनिस्टर जी, तो बिल यहां लाए हैं, उसका सपोर्ट करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कर्नाटक का नाम जितना ऊंचा हुआ था उतना ही नीचे गिर गया। इसका कारण क्या है, इसकी जानकारी के लिए मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा जेडी(एस) की वजह से हुआ हैं यह देखकर बहुत दुख होता है। मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि एंटी डिफेक्शन बिल जो देश में लाया गया है, उसकी मौनीटरिंग के लिए एक स्टटुयटरी बॉडी की बहुत आवश्यकता है। जेडी (एस) की पार्टी जब स्पिलिट हुई तब अध्यक्ष देवेगौड़ा जी ने स्पीकर को एक लैटर दिया कि हमारी पार्टी के जितने लोग स्पिलिट होकर गये, उनको एक्सपेल करो...(*व्यवधान*) 39 मैम्बर्स को एक्सपैल करने के लिए लैटर दिया गया, लेकिन उस लैटर पर 20 महीनों तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया हमारे अध्यक्ष महोदय के कारण 20 महीने तक उस लैटर का कोई जवाब नहीं दिया। यह बहुत दुख की बात है कि एक घण्टे में होने वाले काम के लिए 20 महीने लगे। उसी बीच में एक एमएलए श्री नागराज ने भी एक पत्र लिखा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया। यह सब जो घटनाएं कर्नाटक में हुई, उनको एवाइड करने के लिए एक स्टेटयुटरी बॉडी की जरुरत है।

[अनुवाद]

मैं इस सभा से दल विरोधी कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संविधि व निकाय बनाने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

मेरे दोस्त और पार्टी के नेताओं ने यहां अपनी बातें कही हैं, लेकिन देवगौड़ा जी का निज रूप हमें पहले मालूम नहीं था। देवगौड़ा जी जब तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक ठीक थे। रामकृष्ण हेगड़े जी ने कर्नाटक में एक पक्ष बनाया था, लेकिन उसी आदमी को प्रधानमंत्री बनने के बाद देवगौड़ा जी ने उस पक्ष से बाहर निकाल दिया। मैं हेगड़े जी और देवगौड़ा जी के साथ था। देवगौड़ा जी के कारण मुझे तीन चुनाव पार्टियों से लड़ना पड़ा। पहले मैं जनता दल में था, हेगड़े साहब को जनता दल से बाहर निकाला गया, तो मैं भी हेगड़े साहब के साथ गया। फिर लोकशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा। फिर दूसरी बार हेगड़े जी को देवगौड़ा जी के पक्ष में लाए, फिर मुझे दूसरा चुनाव जनता दल से लड़ना पड़ा। देवगौड़ा साहब पार्टी छोड़कर गए और उसके कुछ समय बाद हेगड़े साहब का देहांत हो गया। फिर तीसरी बार तीसरी पार्टी से चुनकर इस सदन में आया। आप समझ सकते हैं कि इससे मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। आज जनता दल के बारे में कर्नाटक में लोग बोलते हैं कि यह ...(*व्यवधान*)* राजनेताओं की पार्टी नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जनता दल ने जो कांग्रेस के साथ किया, बीजेपी के साथ किया, उसके लिए लोग अगले चुनाव में उनको पाठ सिखाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि देवगौड़ा जी और उनकी पार्टी ने राज्य का जितना ख्याल रखा है, उससे ज्यादा ख्याल उनकी फैमिली का रखा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मैं इतना ही बोलकर इस रिजोल्युशन का सपोर्ट करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आपने बिल्कुल सही कहा है, कर्नाटक की यही पिक्चर है जैसा आपने बताया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री आर.एल. जालप्पा से कर्नाटक से संबंधित मुद्दे पर बोलने का अनुरोध करता हूँ।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): महोदय, मै सत्ता पक्ष के तथा विरोधी पक्ष के अपने सभी मित्रों के भाषण सुन रहा था। हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि कर्नाटक सांस्कृतिक रूप से एक काफी परिपक्व राज्य है, पहले यहां का प्रशासन काफी अच्छा था, और दुर्भाग्यवश इन दो दलों भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल (एस) ने इसे बर्बाद कर दिया।

महोदय, जब हम 2004 के चुनाव में पराजित हुए थे तो मैंने अपने सभी मित्रों से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के लिए कहा था क्योंकि लोगों ने हमें अस्वीकार कर दिया था। लेकिन केवल सत्ता के लिए हमारी पार्टी के कुछ नेता इस गैर-भरोसेमंद जनता दल (एस) के साथ हो गये...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: वे सच बोल रहे हैं।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: माननीय सदस्य ने सप्रयोजन कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया है, पार्टी का नहीं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री आर.एल. जालप्पा: कृपया सुनें, मैं आपके पास भी आऊँगा।

उन्होंने किसी तरह से बीस महीनों तक व्यवस्था की। सरकार श्री देवेगौड़ा चला रहे थे, न कि श्री धर्म सिंह। वे इस प्रकार से बोलते हैं मानो वे स्वर्ग से आएं हों। उन्हें दिल से बोलने दीजिए। उने अंतर्गत सरकार का संचालन श्री देवगौड़ा एवं उनके पुत्र द्वारा किया जा रहा था। सुबह छः बजे श्री देवेगौड़ा श्री धर्म सिंह को फोन किया करते थे। जब भी श्री धर्म सिंह के पास श्री देवेगौड़ा का फोन आता था, वे तत्काल अपनी सीट से खड़े हो जाते थे तथा उन्हें 'नमस्कार, सर' कहते और फिर काम करते थे। मैंने कई बार इसकी आलोचना की थी। श्री देवेगौड़ा के पुत्र श्री कुमारस्वामी वहां छः अथवा साढ़े छः बजे आया करते थे, श्री देवेगौड़ा से बात करते थे तथा सभी काम स्वीकृत कराकर जाया करते थे। हम कुछ भी नहीं करवा सके। कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धर्मसिंह से अथवा उस गठबंधन सरकार से कुछ भी नहीं पा सका। यह सभी सही है।

अचानक उन्होनें अपना स्थान बदल लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्री कुमारस्वामी के पास गई और उन्हें यह कहकर लुभाया कि "हां, आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपका समर्थन करेंगे।" श्री कुमारस्वामी सत्तालोलुप थे और इसलिए वे मान गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी को बचाने के लिए भाजपा से हाथ मिला रहे थे। वस्तुतः उनकी पार्टी को कोई खतरा नहीं था। हमने उनकी पार्टी को तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। पार्टी तोड़ने के बारे में केवल जनता दल (एस) जानती है, कोई और नहीं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बावजूद यह कारण बताया गया था। वे पैसा और सत्ता चाहते थे कुछ और नहीं।

अतः भाजपा ने श्री कुमारस्वामी को लुभाया, उन्हें फुसलाया और उन्हें समर्थन दिया। इन्होंने विभाग आपस में बांट लिया। एक विधान परिषद सदस्य द्वारा हिमायत की गयी थी कि घूस के तौर पर श्री कुमारस्वामी को लगभग 150 करोड़ रु॰ का भुगतान किया गया था। दुर्भाग्यवश, मुझे बताया गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। मुझे पता नहीं कि न्यायपालिका में कहाँ खामी है और उसने इस मामले पर निर्णय क्यों नहीं दिया। बाद में इसे सीबीआई को सौंपा गया। उन्हें इसमें महीनों और वर्षों का समय नहीं लेना चाहिए। इसके बावजूद वे जारी रखे हुए थे और वे अलग हो गये।

वे तुमकुर संत के पास गये, उनका आशीर्वाद लिया और धर्म यात्रा करने जा रहे थे। उसी शाम येदुरप्पा के पास संदेश भेजा गया। वे धर्मयात्रा बीच में छोड़कर दौड़े आए। वे वहाँ आए, इन दोनों लोगों के बीच कुछ सहमति बनी। किन्तु सौभाग्यवश श्री येदुरप्पा के लिए केन्द्र के भाजपा नेताओं ने उनके साथ एक बार और जुड़ने की अनुमति नहीं दी। फिर उन्होंने यात्रा जारी की। वह शिमोगा गए। वहाँ भी जनता दल (एस) के लोगों ने उन्हें कहा, "आइए, हम कुछ करेंगे।" अतः वे दौड़ कर गए। उस समय भी वह नहीं पा सके। श्री येदुरप्पा तीसरी बार जाल में फंसे।

महोदय कर्नाटक में दोनों दल धोखेबाज दल हैं। मैं केन्द्र में भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, श्री जालप्पा यह शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। यह असंसदीय अभिव्यक्ति है। यदि इसे अनुमति दी जाती है तो कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। श्री जालप्पा देवेगौड़ा की सरकार में वस्त्र मंत्री थे। उन्हें यह तथ्य स्मरण रहना चाहिए। उनका राजनीतिक जीवन श्री रामकृष्ण हेगड़े की देन है। वह उसी जनता दल परिवार से है। ...(*व्यवधान*) वह संत नहीं हैं। अतः वे, अन्य दलों को धोखेबाज दल नहीं कह सकते हैं अन्य दलों

[श्री अनंत कुमार]

को धोखेबाज दल कहने से पहले उन्हें जानना चाहिए कि कांग्रेस एक धोखेबाज दल है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री अनंत कुमार आपके दल के लोग बाद में बोल सकते हैं। इन्हें बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं श्री जालप्पा का आदर करता हूँ। किन्तु वे देवेगौड़ा सरकार में वस्त्र मंत्री थे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए।...(*व्यवधान*) यदि उनके विचार में जे.डी.(एस) एक धोखेबाज पार्टी थी तो उन्होंने वस्त्र मंत्री के रूप में देवेगौड़ा की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होना क्यों स्वीकार किया था ...(*व्यवधान*) वह कर्नाटक के गृह मंत्री थे। आप कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हुए? आपने दल क्यों बदला और कांग्रेस में क्यों शामिल हुए? आप धोखेबाज हैं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सब बोल चुके हैं तथा आपको पर्याप्त समय दिया गया है। आपने इन सब मुद्दों पर बोला है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपकी बारी आएगी और तब आप इस बारे में बोल सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा: क्या मैं बोल सकता हूँ?

सभापति महोदय: केवल आप ही बोल सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा: श्री अनंत कुमार, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं जनता दल में था। पहले मैं कांग्रेस में था। जब श्री देवराज उर्स को कांग्रेस से निकाल दिया गया तो मैं उनके साथ चला गया था क्योंकि वह गरीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति बहुत कृपालु थे। मैं उनके साथ रहा। मैंने कर्नाटक क्रांति रंगा पार्टी से 1983 में चुनाव लड़ा। कृपया इसे समझिए। दुर्भाग्यवश, मैं उनके साथ था। मैंने वह पार्टी छोड़ दी। मैंने श्री देवेगौड़ा के साथ चुनाव लड़ा और दल के नेताओं के सामने उनसे कहा कि वे विश्वास योग्य नहीं हैं और उन्होंने मुझे कई बार धोखा दिया है और मैं उनकी पार्टी में बना रहना नहीं चाहता हूँ। मैं उनसे लड़कर बाहर नहीं आया। मैंने उनके मुंह पर यह बात कही और बाहर आ गया। श्री सीताराम केशरी ने हमें एक संदेश भेजा। फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कांग्रेस की टिकट पर क्यों नही लड़ता। मैंने उनसे कुछ कहा कि मैं अब 72 साल को हो गया हूँ तथा मैं अब और चुनाव लड़ना नहीं चाहता एवं मैं रिटायर हो रहा हूँ। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं स्वयं 78 साल का हूँ।" आप क्यों नहीं लड़ते? फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैंने तीन बार सफलता पूर्वक चुनाव लड़ा। यह कहानी है।

मैं अब बताऊँगा कि मैंने 'धोखेबाज' शब्द का क्यों प्रयोग किया। यदि यह धोखापूर्वक नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री श्री कुमार स्वामी के पास क्यों गये? आपने ऐसा क्यों किया। ...(*व्यवधान*) मुझे बोलने दीजिए।

श्री अनंत कुमार: जब कर्नाटक की जनता द्वारा आपको नकारा गया, तो वे गए और जनता दल (एस) से हाथ मिलाया, जो धोखाधड़ी है...(*व्यवधान*) आपने कर्नाटक के लोगों के साथ धोखा किया है। यह कर्नाटक के लोगों के साथ धोखा है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री जालप्पा, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं। विपक्ष को संबोधित न करें।

श्री आर.एल. जालप्पा: यदि इन्होंने धोखे से ऐसा नहीं किया है तो आप आधी रात में श्री कुमार स्वामी के पास क्यों गये और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का प्रलोभन क्यों दिया और फिर उन्हें समर्थन दिया। वह आवश्यक नहीं था। मैंने यह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि बाद में दोनों दल साथ आ गये और इन्होंने हमें धोखा दिया। क्या आप सज्जन व्यक्ति है? क्या आप अपने को सज्जन व्यक्ति कहते हैं? इसीलिए मैंने कड़े शब्द का प्रयोग किया। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: आज हमें धोखा दिया गया है। वे जनमत खो बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: यह असंसदीय शब्द नहीं है। मैं संसदीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: आपने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया ...(*व्यवधान*) कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: केवल श्री जालप्पा का भाषण कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: आपने जनता दल (एस) से हाथ मिलाया है। आपने एक युवा तथा भोले लड़के श्री कुमार स्वामी को बिगाड़ा है। आपने उन्हें खलनायक बना डाला है। आप जिम्मेदार हैं। भाजपा जिम्मेदार है। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री आर.एल. जालप्पा: क्या मैं आगे बोल सकता हूँ?

श्री अनंत कुमार: टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। मुझे बोलने की आजादी है। आप जो चाहते हैं वह बोल सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। यह एक संसदीय चर्चा है। आप मुझे मुंह बन्द करने के लिए नहीं बोल सकते है...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, उन्होंने इस शब्द का कैसे प्रयोग किया? हम इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देंगे...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: 'धोखेबाज' शब्द असंसदीय नहीं है। इसका प्रयोग किया जा सकता है।

...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, दूसरे दोनों दलों ने एक साथ मिलकर हमें धोखा दिया। यह ठीक था और कोई समस्या नहीं थी किन्तु अब वे अलग क्यों हुए? जैसा कि उधर बैठे मेरे एक मित्र यह बता रहे थे कि वे ऐसे विभाग चाहते थे जिसमें खूब पैसा बनाया जा सके। वे हैं खान और भूगर्भविज्ञान, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग आदि। ...(*व्यवधान*) अब आप जोर-जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? आप चुप बैठिए। हम जानते हैं कि आप क्या मांग रहे थे। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, बहुत हो चुका; हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: यह किसी व्यक्ति को बचाने का तरीका नहीं है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: उन्हें भी सहयोग करना चाहिए; उन्हें सच बोलना चाहिए; उन्हें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए; और श्री जालप्पा को भी ...(*व्यवधान*) यह जानना चाहिए कि उनका क्या रुख है। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: मैं अपना रुख जानता हूँ। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि वे शीशे के घर में रह रहे हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री जालप्पा, आप बोलना जारी रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: मैं शीशे के घर में नहीं रहता हूँ। मेरे हाथ साफ हैं। कोई भी मुझ पर किसी बात के लिए आरोप नहीं लगा सकता है। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। ..(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है; कोई भी मुझ पर किसी बात के लिए आरोप नहीं लगा सकता है। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: हाँ, ये तो 'सत्यवादी हरीशचन्द्र' हैं और अन्य धोखेबाज हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: वे उस विभाग विशेष के लिए क्यों लड़ रहे थे? ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे। इस पर पहले ही समझौता हो चुका था। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: फिर, आपने उस मांग को छोड़ा क्यों नहीं? ...(*व्यवधान*) आपने विभाग उन्हें क्यों नहीं दिए क्योंकि आप पैसा चाहते थे। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: नहीं, यह समझौते के आधार पर था। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: आप देश और जनता की कीमत पर पैसा चाहते थे। आप पैसा कमाने के लिए ऐसे विभाग चाहते थे और कुछ नहीं। यह लोगों के हित में नहीं था। ...(*व्यवधान*) लोगो को धोखा देने का प्रयत्न मत करों। मैंने भी सब चीज देखी है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है। श्री अनंत कुमार, मैं आपका आदर करता हूँ। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: आप झूठ बोल रहे हैं। आप कपटपूर्वक बोल रहे हैं। आप संसद में बोलने वाले अकेले वक्ता नहीं हैं। हम आपको बोलने की अनुमति नहीं देंगे। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: आप भारत की संसद में झूठ नहीं बोल सकते हैं। वे कपटपूर्वक कैसे बोल सकते हैं?...(*व्यवधान*) वे जो कह रहे हैं वह झूठ है। ...(*व्यवधान*) वे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अब मैं अपनी बात कहूँगा। कृपया बैठिए।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मंत्रालय का मामला समझौते में था। वे इसमें एक कमीशन एजेंट की तरह क्यों आ रहे हैं? उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: विपक्ष के मेरे मित्रों आप सभी को बोलने का अवसर मिला और आप सभी अच्छी प्रकार बोले। आपने मंत्रालय के मसले पर विस्तार से बात कही। ये सारी बातें रिकार्ड में हैं। श्री जालप्पा भी मंत्रालय के बारे में बोल रहे हैं। श्री पलानी मनिक्कम भी बोलने के इच्छुक हैं। हम सभी इच्छुक हैं; किंतु इसके साथ-साथ इसी मुद्दे तक सीमित रहें और संसदीय प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।

...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: श्री प्रहलाद जोशी भी विभाग (पोर्टफोलियो) के बारे में बोले। श्री अनंत कुमार जी उस समय क्या कर रहे थे? ...(*व्यवधान*) श्री अनंत कुमार अब तर्क-वितर्क क्या कर रहे हैं? ...(*व्यवधान*) वे एक गलत मामले पर तर्क-वितर्क कर रहे हैं? ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है और मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता है। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विभाग बंटवारा संबंधी समझौता 20 महीने पहले हुआ था। हमारे बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि विभाग भी बदले जाएंगे। श्री जालप्पा भी यह बात जानते हैं। हमारी श्री जालप्पा से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं हैं। वे कर्नाटक के सम्मानित नेता हैं। वे श्री देवेगौड़ा के विरुद्ध लड़े हैं। किंतु उन्हें भाजपा के प्रति आरोप नहीं लगाना चाहिए। भाजपा और जनता दल (एस) के बीच यह समझौता हुआ था ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: यदि आपको सत्ता की भूख नहीं होती तो आप इस लड़के, श्री कुमारास्वामी का पीछा नहीं करते ... (*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: 20 महीने के पहले यह समझौता हुआ था कि उन लोगों के पास कौन-कौन से मंत्रालय होंगे तथा जब सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा तो दोनों पक्षों के संबंधित मंत्रालय भी आपस में बदले जाएंगे। इसी बात पर समझौता हुआ था ...(*व्यवधान*) हम इसी बात की मांग कर रहे थे।

हम इस बात की मांग कर रहे हैं। वह मंत्रालयों के बारे में नहीं झगड़ रहे हैं। हम केवल एक सम्मानजनक समझौते के लिए लड़ रहे थे। हमने जे.डी. (एस), श्री देवेगौड़ा, श्री कुमारास्वामी से कहा कि वे विश्वासघाती न बनें। समझौते का आदर करें। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री अनंत कुमार, आपने अपने भाषण के समय में सब बातें कही थी। भाजपा और जे.डी. (एस) के बीच हुए समझौते पर चर्चा हो चुकी है। इसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है।

जालप्पा जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: पिछले 20 महीनों से ये दोनों इस सत्ता में थे। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: सत्ता में भागीदारी महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, जब वे सत्ता में थे तो करदाताओं का अधिकांश धन राम नगरम, हसन, शिकारीपुरा आदि पर खर्च किया गया। मैंने स्वयं तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री को कुछ सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु अनेक पत्र लिखे थे परन्तु वह उनकी मरम्मत नहीं करवा सके। मैंने अपने घर को जाने वाली सड़क को मरम्मत के लिए तो नहीं कहा था। मेरे संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अथवा जहाँ से कांग्रेस के सदस्य चुने गए हैं वहां एक पैसे का भी फर्क नहीं किया गया। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप 20 मिनट समय ले चुके हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा: श्री अनंत कुमार, कृपया आप मेरे साथ आएं, मैं आपको दिखाऊँगा कि सड़कों का आभास तक नहीं हैं हम काफी व्यथित हैं। भारत सरकार सेवा कर और वैट प्रणाली लायी थी। वे देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की वजह से काफी धन अर्जित कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा कर्नाटक को जा रहा है। परंतु क्या इस धन को मात्र इन लोगो के तीन अथवा चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही खर्च किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केंद्र की सत्ता में आसीन हमारी सरकार के पास यदि कोई शक्ति है तो वह पिछले 20 महीनों में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों की भूलचूक का पता लगाने हेतु एक आयोग गठित करे। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: इस आयोग का दायरा पिछले 40 महीनों का होना चाहिए।

श्री आर.एल. जालप्पा: आप इसके लिए बहस कर सकते हैं।

सभापति महोदय: आपने 20-25 मिनट का समय ले लिया।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट के अंदर समाप्त करुंगा।

केन्द्र में हमारी सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। पहली बार विधान सभा को निलम्बित रखा गया है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि वे यह जानना चाहते थे कि क्या कोई एक साथ मिलकर सरकार का गठन करेगा। ये दो अनैतिक, धोखेबाज दल एक साथ आए और हमारी सरकार ने उन्हें सरकार गठन की अनुमति दी। हम बाध्य नहीं बने। हमने विधानमंडल को भंग करने हेतु वहाँ जाकर किसी से मुलाकात नहीं की। अब जो कुछ भी घटित हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार और राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूँ। विधान सभा को भंग कर देने से समस्या नहीं सुलझेगी। केन्द्र सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि पिछले 20 महीनों की भूलचूक का ब्यौरा जानने हेतु एक समिति का गठन होना चाहिएं

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे खेद है यदि मेरी बातों से मेरे मित्र श्री अनंत कुमार को चोट पहुंची हो। हम मित्र हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: हम हमेशा से मित्र हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा: श्री अनंत कुमार, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है। श्री कुमारस्वामी ने कहा है कि आप श्री येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं देकर बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने यह बात खुलेआम कही है। ...(*व्यवधान*) उन्होंने यह भी कहा है कि आप काफी उल्लासित मन से उनकी ओर देख रहे हैं। ...(*व्यवधान*) उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही है। ये सब बातें श्री कुमारस्वामी ने कही हैं जो आप ही के सहयोगी हैं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री करुणाकर रेड्डी बोलेंगे।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप सभी क्यों बोल रहे हैं? वह कर्नाटक में घटी घटनाओं के बारे में बोल सकते हैं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: हाँ, आप बोल सकते हैं।

***श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** सभापति महोदय, हमारा राष्ट्र जे.डी.(एस) द्वारा किए गए विश्वासघात पर हो रही चर्चा को देख रहा है। वर्ष 2004 में आम चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यापि तब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, जो जे.डी.(एस) और कांग्रेस ने मिलकर साझा सरकार बनायी थी। परंतु अब वे भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन को अनुचित गठबंधन कह रहे हैं। उस समय के जेडी(एस)-कांग्रेस गठबंधन के बारे में क्या कहना है? क्या यह अनुचित गठबंधन नहीं था। जब उन्होंने 20 महीने तब सत्ता का भोग किया तो उसके बाद जेडी(एस) नेता कुमारास्वामी ने भाजपा नेताओं से सम्पर्क किया था और कांग्रेस से अपने दल को बचाने हेतु हमारा समर्थन मांगा था। यहाँ तक कि उस समय भी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री एच.डी. देवगौड़ा जी ने हमारे दल, भाजपा से हाथ मिलाने के मामले में अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कर्नाटक के माननीय राज्यपाल के पास पत्र लिखकर इस संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर की थी। परंतु सिर्फ मध्यावधि चुनाव तथा सरकारी खजाने पर पड़ने वाले करीब 500 करोड़ रुपये का अनावश्यक भार टालने हेतु, हमारे दल ने जेडी(एस) को सरकार हेतु समर्थन किया और श्री एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। यह बात फरवरी 2006 में घटित हुई तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि पहले 20 महीनों के लिए जेडी(एस) नेता, श्री एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने होंगे और भाजपा नेता श्री बी.एस. येदुरप्पा उपमुख्यमंत्री होंगे तथा अगले 20 महीनों के लिए श्री बी.एस. येदुरप्पा मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री का पद जेडी(एस) के पास रहेगा। भाजपा इस समझौते से जुड़ी रही तथा इसका अनुपालन करत हुए जेडी(एस) की नेतृत्व वाली सरकार में कोई बाधा उपस्थित नहीं की।

परंतु जब जेडी(एस) द्वारा भाजपा को सत्ता सौंपने का वक्त आया तो जेडी(एस) पार्टी ने भाजपा पर अनावश्यक टिप्पणी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भाजपा को सत्ता हस्तांतरित करने की इच्छा मीडिया और कर्नाटक में मठों के कुछ संतो के समक्ष जाहिर की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह यह नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता उन्हें विश्वासघाती समझे। लेकिन 2 अक्टूबर 2007 को सत्ता का हस्तांतरण करने का अपना वादा नहीं निभा सके। हमारे वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिंहा जी जो कर्नाटक भाजपा इकाई के प्रभारी थे, ने कर्नाटक आकर जनता दल (एस) तथा भाजपा नेताओं के साथ इस मुद्दे पर अनेक बार विचार विमर्श किया परंतु जनता दल (एस) के नेता भाजपा को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए सहमत नहीं हुए।

---

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

मेरे मित्र और सहयोगी तथा सभा के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति वाई हनुमनथप्पा जी तथा श्रीमती तेजस्विनी गौडा जी ने भाजपा पर सत्ता लोलुप होने का आरोप लगाया। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि भाजपा को सत्ता की भूख होती तो उप-मुख्यमंत्री बी.एस. येदुरप्पा सहित भाजपा के सभी 18 मंत्रियो ने 5 अक्टूबर 2007 को इस्तीफा नहीं दिया होता मैं यह कह सकता हूँ कि भाजपा को सत्ता की भूख नहीं है। वस्तुत: कांग्रेस को सत्ता की भूख है। यही कारण है कि जैसे ही भाजपा ने सरकार छोड़ी कांग्रेस ने जनता दल(एस) के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया। इसी कारण से कर्नाटक विधानसभा को आस्थागित रखा गया। लेकिन सरकार नहीं बना सकी।

दूसरी बार जनता दल(एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा तथा उनके पुत्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी आए तथा उन्होंने हमारे पार्टी नेताओं को बताया कि भाजपा को सत्ता का हस्तांतरण न करे उन्होंने गलती की है। उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा को बिना किसी शर्त के अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भाजपा तथा जनता दल (एल) दोनों के विधायकों ने बी.एस. येदुरप्पा तथा श्री एच.डी.कुमारस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक के माननीय राज्यपाल के नोटरी के समक्ष समर्थन देने वे बंध-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विधानसभा के भाजपा तथा जनता दल(एस) के सभी सदस्यों ने राजभवन में रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इन सभी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। तत्पश्चात विधानसभा के सभी 125 सदस्य दिल्ली आए तथा महामाहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि कर्नाटक में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए निर्देश जारी करें। वहां पर जनता दल(एस) के नेताओं ने कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए लिखित पत्र भी दिया। उसके बाद वहां से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए हमारे नेता भी बी.एस. येदुरप्पा को आमंत्रित किया। तदनुसार श्री बी.एस. येदुरप्पा को दक्षिण भारत में पहली बार भाजपा के चार मंत्रियों सहित कर्नाटक में भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 12 अक्टूबर 2007 को शपथ दिलाई गई। उसी दिन जनता दल(एल) के विश्वासघात को हम समझ गए थे क्योंकि उसने उप मुख्यमंत्री के रुप में शपथ नहीं ली थी जबकि यह उसे पहले दिन से ही दिया गया था। उसके बाद में केबिनेट की बैठक में 23 नवम्बर, को शक्ति परीक्षण देने का निर्णय लिया। लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल के निदेशानुसार 19 नवम्बर, 2007 को पहले करवाया गया। तदनुसार हमारे नेता कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री येदुरप्पा ने 19 अक्टूबर, 2007 को शक्ति परीक्षण देने का निर्णय लिया। परन्तु कर्नाटक में अप्रत्याशित घटनाएं घटी जो कि देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए थी।

जनता दल (एस) इस बात के लिए हम पर जोर दे रही थी कि यह बंध पत्र पर लिख कर दिया जाए कि कतिपय विभाग उन्हें दिए जाए। इस में 21 शर्तें थी जिनकी संख्या पहले 12 थी जिनमें अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के संबंध में जनता दल (एस) के साथ सलाह करना शामिल था। लेकिन हमारा भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व तथा राज्य ईकाई इन शर्तों को मानने के लिए सहमत नहीं हुई। हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्नाटक किसी राजनीतिक दल या किसी की संपत्ति नहीं है। यह कर्नाटक के लोगों की सम्पत्ति है अत: हमने बंध पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

महोदय, आज कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भाजपा को सत्ता की भूख है। लेकिन मैं दृढ़तापूर्वक इस बात से इन्कार करता हूँ कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। केवल मध्यवाधि चुनाव से बचने तथा राजकोष पर अनावश्यक भार न डालने के कारण भाजपा ने जनता दल (एस) के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास किया था। ऐसा सत्ता की भूख के लिए नहीं किया गया था। हमारी पार्टी ने सदैव ही राजनीतिक मूल्य को बनाए रखा है। ...(*व्यवधान*)

तेजस्विनी जी, आप अपनी पार्टी की बारी आने पर बोल सकती हैं। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। आपकी पार्टी के कई नेताओं श्री धर्म सिंह जी, एस.के. पाटिल जी दिल्ली आए थे तथा सत्ता में आने के लिए जनता दल (एस) के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया था। मैं श्रीमती तेजस्विनी जी से सहमत नहीं हूँ। मैं असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। पूरा देश जानता है कि श्री धर्म सिंह जी तथा श्री एच.के. पाटिल जी ने कांग्रेस, जनता दल (एस) सरकार बनाने का प्रयास किया था। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: इन सभी मुद्दों पर बहस हो चुकी है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: जब आपकी बारी आए, आप तब बोलिए, कृपया बीच में व्यवधान पैदा मत कीजिए।

महोदय, भाजपा पार्टी के मूल्यों के बारे में बात कर रहा हूं। कर्नाटक के लोगों की खातिर हमने बंध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हमने जनता दल (एस) के साथ चलने से मना कर दिया।

महोदय, मेरा विचार है कि आज हमें 'विश्वास तोड़ने' तथा 'विश्वासघात' के लिए नोबेल पुरस्कार देने के लिए एक विधान

लागू करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा तथा कर्नाटक के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी को संयुक्त रूप से मिलेगा।

अंत में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कर्नाटक में नये सिरे से चुनाव कराने के लिए कर्नाटक विधानसभा को भंग करने के लिए तत्काल कदम उठाए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि दो से तीन माह के भीतर, कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा हेतु कर्नाटक में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में चुनाव कराए जाएं। अत: मैं एक बार पुन: इस सम्मानीय सभा के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में तत्काल तथा सभी आवश्यक कदम उठाए।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्य में जो कुछ भी हुआ है उसे पहले के प्रबुद्ध वक्ताओं ने लोकतंत्र के साथ धोखा करार दिया है। यह उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है। जनता दल (एस) ने यह धोखा दिया है और उन्होंने पूरे देश के सामने बचकाना खेल खेला है। केन्द्र सरकार का विचार अब विधानसभा भंग करने तथा राज्य में चुनाव कराने का है। मैं इस कदम का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपने भी कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं इस राय का समर्थन करता हूँ और सुझाव देता हूं कि अनुच्छेद 356 को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए।

9 अक्टूबर 2007 को पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। इस मामले में 19 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया? विधानसभा को आस्थगित रखा गया था। इस महीने की 20 तारीख (नवम्बर) को इसकी उद्घोषणा की गई। अत: इस अनुच्छेद को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस देश के प्रशासकों को यह आसानी से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस सरकार से एक अनुरोध करता हूँ।

इस देश में, बहुत से राजनीतिक दल हैं। कर्नाटक में केवल तीन राजनीतिक दल हैं। 2004 के चुनाव में, भाजपा को बहुमत मिला था। पार्टी के 79 सदस्य चुने गए थे तथा एक निर्दलीय सदस्य ने उसका समर्थन किया था। इसलिए यह संख्या बढ़कर 80 हो गई थी। इसके अतिरिक्त जनता दल(यू) के पांच विधायकों ने भी उसका समर्थन किया था। 224 सदस्यों में से भाजपा के 85 सदस्य थे। कांग्रेस के 65 सदस्य थे। जनता दल(एस) के 59 सदस्य थे। उन परिस्थितियों में सरकार बनाने का खेल किसने खेला? कौन सत्ता के लिए भूखा था। यह नोट किया जाना चाहिए। कौन राजनीति कर रहा था? ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: इस संबंध में, एक बार विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: इस संबंध में, एक बार फिर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ, भाजपा के साथ धोखा हुआ और वादे को तोड़ा गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

महोदय, हमारे लोकतंत्र को इस देश में दो-दलीय प्रणाली की आवश्यकता है। आप यह भी जानते हैं कि 1996-2004 के दौरान इस सम्मानीय संसद के लिए चार बार चुनाव हुए। पहले केवल 13 महीने तक केन्द्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार रही। उस समय क्या हुआ था।

अपराह्न 4.32 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठसीन हुए*]

इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है जिसकी भरपाई लोकतंत्र के दुश्मन नहीं कर सकते। राजकोष को नुकसान हो रहा है उन 106 करोड़ लोगों के पूरे देश को नुकसान हो रहा है, जो सरकार को करों का भुगतान करते हैं। यदि बार-बार चुनाव होते रहे तो राजकोष को भारी नुकसान होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि यह सम्मानीय संसद इस पर विचार करे। सभी नेताओं को साथ बैठकर इस देश में दो-दलीय प्रणाली लाने का प्रयास करना चाहिए।

इन परिस्थितियों में कर्नाटक में जनता दल (एस) और कांग्रेस दोनों दलों ने माननीय श्री येदुरप्पा की सरकार को हटाने के लिए दांव-पेच आजमाए जबकि श्री येदुरप्पा वहां सरकार चलाना चाहते थे? परंतु राजनीति के खेल के कारण ऐसा नहीं हो सका। मैं बार-बार कहूंगा कि जनता दल (एस) ने कर्नाटक के लोगों तथा पूरे देश के सामने बचकाना खेल खेला है। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मैं कर्नाटक के लोगो से भविष्य में स्थायी सरकार देने की अपील करता हूँ। मैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी उद्घोषणा को हार्दिक रुप से स्वीकार करता हूँ। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में तत्काल चुनाव होने चाहिए तथा किसी भी कीमत पर चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी सीट बदलने के लिए पहले आपको पत्र लिख चुका हूँ। आज मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यहां आ सकते हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं यहां खड़ा होकर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यहां आइए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आज मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि "पीछे की बेंच पर बैठने वाला देवेगौड़ा अब धोखेबाज बन गया है।" वह लेख किसने लिखा था? ...(*व्यवधान*) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक अध्यक्षपीठ का संबंध है यदि आप यहां आकर बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, कृपया मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: वह आपकी इच्छा है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप यहां से आकर बोलें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: विपक्ष के नेता के एक कट्टर समर्थक ने एक लेख लिखा था। इसमें कहा गया है कि "पीछे की बेंच पर बैठने वाला धोखेबाज बन गया है।" मैंने यह लेख पढ़ा है। यह यहीं से शुरू होता है।

वर्ष 2004 में खंडित जनादेश मिला था। अब तक मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने किसी माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं डाला है। इसलिए उन सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, जो पहले बोल चुके हैं कि "कृपया बिना किसी व्यवधान के मुझे बोलने दीजिए।"

हर बात पर पूरा ध्यान देना मेरी आदत है। साथ ही साथ मैं जनता दल(एस) तथा विशेषकर देवेगौड़ा तथा उसके परिवार पर उनके द्वारा किए गए हमले का जवाब देना चाहता हूं। महोदय, 2004 में खंडित जनादेश था। मैं सरकार बनाने के लिए किसी के द्वार पर नहीं गया था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं इस सभा में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री अपने दामाद के साथ 5, सफदरजंग लेन स्थित मेरे निवास पर आए थे। मैंने कहा "नहीं"। आप कांग्रेस को 159 सीटों से 64 सीटों पर ले आए है। 65 नहीं। हमारे अपने नेता, उपमुख्यमंत्री त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब यह संख्या 257 मतों के साथ 65 हो गई थी। आपने एक उम्मीदवार खड़ा किया था जिसे उत्तर ब्राह्मण कहा गया था। मैं इन सब बातों को जानता हूं। एक उत्तर ब्राह्मण को ब्राह्मणों के सभी मत मिलने चाहिए थे। मैं जातिगत मुद्दें नहीं उठा रहा हूं। महोदय, 2004 से पहले, 1999 में जेडी(एस) की स्थापना हुई थी। उनमें से कुछ मित्र जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाहते थे वे उसमें शामिल हुए और उनका राजनीतिक निर्णय चाहे जो भी रहा हो, मै अब उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वर्गीय मधु दंडवते सहित कुछ मित्रों ने इस पार्टी को जनता दल (सेक्युलर) के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों पार्टियों से समान दूरी बनाकर इन से चुनाव लड़ा जाए। 1999 में मैं भी पराजित हुआ था। मेरी पार्टी के राज्य के नेता भी पराजित हुए थे।

मैं 1998 में वापस जाता हूँ। श्री वाजपेयी की सरकार द्वारा पूर्ण रूप से बहुमत सिद्ध न किए जाने के बाद लोक सभा के चुनाव हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हासन आए थे। उन्होंने बेलूर और हासन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि "देवेगौड़ा" को पराजित करो और जिसे आप चाहते हो उसे चुनो" वाजपेयी जी और आडवाणी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह कहा था। मैं चुनाव हार गया। 1999 में मैं पुन: चुनाव हार गया क्योंकि इस दौरान चुनाव से 15 दिन पहले पार्टी में विभाजन हो गया था। एक ग्रुप भारतीय जनता पार्टी का था। और दूसरा ग्रुप ने जेडी(एस) का गठन किया। मेरी पार्टी को 224 मे से 10 सीटे मिली। कांग्रेस को ये दस सीटे भी बर्दाश्त नहीं हुई। 10 में से 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा अपने दल में शामिल कर लिया गया। वैचारिक प्रतिबद्धता वाले सदस्य हमारे साथ ही रहे। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में काफी बोल सकता हूं। मेरा अंतिम भाषण 20 अगस्त को बजट पर हुआ था। उसके बाद मैं इस सभा में नहीं आया। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी परवाह न करें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, जब मेरी आलोचना हो रही थी तो मैंने उस आलोचना को बड़े आराम से सुना था। इसलिए अब मुझे इसका समुचित जवाब देना चाहिए। वर्ष 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे बुलाया था। हमारी पांच बैठकें हुई थी और तत्पश्चात हम महाराष्ट्र की तर्ज पर सत्ता के बंटवारे के साथ सरकार बनाने पर सहमत हुए थे। मैडम गांधी द्वारा मुझे बुलाए जाने तक मैंने कांग्रेस पार्टी में किसी से कोई बात नहीं की। कांग्रेस से कई लोग मेरे पास आए मुझ से मिले लेकिन मैंने उनसे सरकार बनाने के बारे में कोई बात नहीं की। जब उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था उस रात उन्होंने मुझे बुलाया था और

वहां पांच दौर की चर्चा हुई थी तथा उन बैठकों में क्या हुआ था मैं उस बारे में बतना नहीं चाहता मैं उस चर्चा के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। चुनाव के दौरान उन सब बातों की चर्चा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है। जिस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया था वह शख्स कोई और नहीं अपितु कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जेडी(एस) की सरकार को अस्थिर करने की कवायद शुरू कर दी थी।

महोदय, श्री जालप्पा पिछले 20 महीनों के कुशासन के संबंध में जांच कराना चाहते हैं। लेकिन केवल 20 महीने ही क्यों इस जांच में उन्हें पूर्व के पांच वर्षों के शासन को भी सम्मिलित करना चाहिए। तब मैं उनका तहेदिल से समर्थन करुंगा।

महोदय माननीय गृह मंत्री यहां है। ये कर्नाटक में कितनी बार आए हैं? क्या इनका आसूचना तंत्र असफल हो गया था। ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, श्री जालप्पा ने जो कुछ भी कहा, मैंने उसे सहज रूप से लिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी सीमाएं पता है। कितनी बार* .....कर्नाटक का दौरा किया है? गृह मंत्री के पास सारी आसूचनाएं रिपोर्ट होती है। ...(*व्यवधान*)

श्री एम. शिवन्ना (चामराज नगर): अध्यक्ष महोदय, ये हमारे नेता को परेशान क्यों कर रहे है? जब ये बोले थे तो हमने टोका-टोकी नहीं की थी। ...(*व्यवधान*)।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद का विषय है और वाद-विवाद के लिए हमें एक-दूसरे को सुनना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना, आपके नेता को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे चुप रहने का अनुरोध कर रहे है। कम से कम उनका अनादर तो नहीं कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं अपने सहयोगी के व्यवहार के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम राज्यपाल अथवा प्रधानमंत्री के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। उनके बारे में यहां कोई चर्चा मत कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं राज्यपाल का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कर्नाटक की राजनीति कैसे चल रही थी? श्री धरम सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने 23 विभाग अपने पास रखे। मैंने इसकी शिकायत नहीं की। मैं अब जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, यदि उसमें एक शब्द भी झूठ हो तो श्री जालप्पा इस सभा में मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। लगभग छः महीनो तक कर्नाटक का विस्तार नहीं किया गया। अतः आखिरकार जेडी(एस) विधायकों ने अलग से एक बैठक की वे समर्थन वापस लेना चाहते थे। उस समय *..... मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे इसकी अनुमति ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: क्या वे सभा में उपस्थित हैं?

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वे दूसरे सदन में हो सकते हैं। इसीलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वे दूसरी सभा के सदस्य हैं। दूसरी सभा के सदस्य का नाम लेने और चर्चा करने का नियम है। इसीलिए मैंने स्वयं को उस स्थिति तक सीमित रखा है। उन्होंने छह महीनों के बाद मुझे बुलाया और कहा कि महोदया ने हमें मंत्रिमंडल के विस्तार की अनुमति दे दी है। जहां तक उनके मंत्रालय के मुद्दे का संबंध था, उनके पास पूरी संख्या नहीं थी अथवा वे और सभी मंत्रालयों को नहीं भर पाएंगे और वे दो को लम्बित रखेंगे। यह निर्णय कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया गया था। इसलिए उस समय मैंने इसे छोड़ दिया था।

यह प्रचार होता रहा कि धर्मसिंह एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं और देवेगौड़ा कांग्रेस (आई) को लील जाएंगे। धर्मसिंह के शासनकाल के दौरान बीदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के चुनाव हुए। पिछले पांच संसदीय चुनावों में कांग्रेस की भाजपा से हार हुई। जब पहली बार उपचुनाव हुए, तो कांग्रेस उपचुनाव के माध्यम से उस समय जीतकर संसद में आई, जब धर्मसिंह मुख्यमंत्री थे। वे एक कमजोर मुख्यमंत्री थे। वे सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और 25 वर्ष के पश्चात पहली बार कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य जीतकर इस सभा में आए।

एक अन्य उप-चुनाव भी हुआ था। श्री बंगारप्पा यहाँ नहीं है। वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और उनकी पृष्ठभूमि या समर्थन से उसे 79 सीटें मिली। मुझे कर्नाटक के बारे में पता है, मुझे कर्नाटक के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के बारे में मालूम है। मैं नया व्यक्ति नहीं हूं। वर्ष 1999 में भाजपा को 39 सीटे मिली।

श्री अनंत कुमार: भाजपा को 44 सीटें मिली।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: ठीक हैं ये 44 हो सकती है, जैसा कि वे कह रहे हैं। मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगा। वर्ष 2004 में, उन्हें 79 सीटें प्राप्त हुई। एन.डी.ए. को देश में हार नसीब हुई और भाजपा को कुछ सीटे मिली। जब श्री बंगारप्पा ने संसद से इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव हुआ और श्री बंगारप्पा एक बार फिर 15000 मतों से निर्वाचित हुए। धर्म सिंह एक कमजोर मुख्यमंत्री थे। वस्तुत: एक बार फिर हम सभी ने कांग्रेस (आई), जेडी (एस) और भाजपा ने चुनाव लड़ा। अब यह चुनाव में जीत के लिए लड़ाई का प्रश्न था लेकिन हम सत्ता में भागीदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उस संसदीय क्षेत्र में, सभी तीनों दलों ने चुनाव लड़ा और जेडी (एस) उम्मीदवार निर्वाचित हुआ। अब वे चुनाव में लड़ने के मुद्दे पर समझौता कर रहे हैं।

तत्पश्चात, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। स्थानीय निकाय के चुनावों में किस प्रकार मेरा दल सत्ताच्युत हुआ, मैं यहां सारी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। यदि देवेगौड़ा विश्वासघाती है, तो लोगों को निर्णय करने दे। श्री अनंत कुमार ने जो कुछ भी कहा है, कर्नाटक के लोग इसका जवाब देंगे कि देवेगौड़ा विश्वासघाती है या नहीं अथवा किसने किसके साथ विश्वासघात किया। यह दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए खुला है, हम लोगों का फैसला स्वीकार करें। तब हम अपनी विश्सनीयता का प्रमाण पत्र आपस में दे सकते हैं।

महोदय, मैं किसी को भी आहत नहीं करना चाहता। स्थानीय निकाय के चुनाव में हम यह देखना चाहते थे कि दल पूरी तरह से सत्ताच्युत हो जाए। उस समय, मुझे अभी भी याद है कि मैंने 7 जनवरी को विधायी दल की एक बैठक बुलाई थी। जिसमें मैंने कहा कि इस गठबंधन के साथ जुड़े रहने में कोई मजा नहीं है। शिवराज पाटील जी मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। आपके पास समस्त रिपोर्ट मौजूद है और सारी जानकारी है। मैंने चुनाव का निर्णय लिया; गठबंधन नहीं करने का फैसला किया। मैं दिल्ली भी आया। मैंने 8 से 13 तक पांच जिला स्तर की बैठकें की। 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन मैं, दिल्ली पहुंचा।

मैं उस एक मुद्दे पर आता हूं, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मैं उस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यह मुद्दा 18 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। जालप्पा जी ने एक सच्ची बात कही। कुमारास्वामी के घर पर कौन गया था? ...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: मैंने हमेशा ही सच्ची बात कही है। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: तभी तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। भाजपा दल के नेता ने एक व्यक्ति को लोक अभियोजक बनाया है। उसने सारी कहानी बयान की है। येदुरप्पा जी और दो अन्य व्यक्ति उसके घर गए। उसने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लए राजी किया, जब मैं दिल्ली में था। मैं यहाँ किसी अन्य प्रयोजनार्थ मौजूद था। क्यों?...(*व्यवधान*)

श्री आर.एल. जालप्पा: यह खुले तौर पर नही था, बल्कि पर्दे के पीछे था। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यदि मुझे मालूम होता, तो यह दूसरा मामला होता। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताना चाहत हूं कि जो कुछ भी हुआ, वह मेरी जानकारी में नहीं था। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा है कि देवेगौड़ा तीर्थ स्थलों पर जाते हैं; मैं उनकी बात स्वीकार करता हूँ और भगवान से सभी डरते हैं। मैं इसे एकदम स्वीकार करता हूँ।

उन पांच दिनों के दौरान, क्या हुआ? मैं श्री अनंत कुमार जी, जो कि आपकी पार्टी में एक वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, आपके संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, आपके महासचिव हैं, से यह पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि क्या हुआ। कर्नाटक से एक अन्य राज्यसभा सदस्य वहां मौजूद थे। ये सभी चीजें साजिश के तहत थीं 18 तारीख को मेरे बंगलौर जाने से पहले, दोनों गुट बंगलौर से जा चुके थे। इसकी कहाँ आवश्यकता थी? आप सीधे तौर पर मेरे साथ चर्चा कर सकते थे। वे भारतीय जनाता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। उस समय वे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे। इसलिए, उन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। मुझे नहीं पता कि क्या आपकी समझदारी थी; समझौता क्यों किया गया। इन सभी चीजों पर पर्दा रखा गया है।

उस दिन जब कुमारास्वामी ने शपथ ली, तो परिवार का कोई भी सदस्य शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। मैं बड़े दुख के साथ इसके बारे में बता रहा हूं। इसके पहले, येदुरप्पा जी स्वयं बता चुके हैं। "मैं कुमारास्वामी के पास गया, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। आप मुझे मंत्री बना दें।" उन्होंने इसे न केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया में, बल्कि प्रिंट मीडिया में भी खुले तौर पर स्वीकार किया है।

महोदय, भाजपा में बड़ा अन्तर्द्वन्द चल रहा था। चूंकि हमने केन्द्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया, इस सबका उल्लेख किया गया और मेरे पास प्रेस की कतरनें भी हैं...(*व्यवधान*) मैं बोलना नहीं

चाहता। मैंने ये सभी बातें कही है। मुझे मालूम है कि कैसे जवाब देना है। मेरे पास वे सभी कतरने मौजूद हैं। जिसमें उन्होंने इसके बारे में कहा है। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, श्री येदुयरप्पा ने स्वयं इसका खंडन किया था। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया मेरी बात सुनिए। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: वे यहाँ नहीं हैं। आप इस संबंध में नहीं बोल सकते।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आप लोगों ने जो कहा है मैं केवल उसी का उत्तर दे रहा हूं। केन्द्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और तब युद्धविराम हुआ कि श्री येदुरप्पा कर्नाटक तक ही सीमित रहेंगे और अनंत कुमार को राष्ट्रीय पार्टी तक ही सीमित रखा जाए।

महोदय, उन्होंने 'विश्वासघात' और 'सत्ता का मोह' के बारे में कहा। मैंने मंत्री पद से तीन बार इस्तीफा दिया है और एक बार कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। क्या यह 'सत्ता का मोह' है? 10 माह और 20 दिनों में, जब मेरी सरकार को हटाया गया, आपके वरिष्ठ नेता मेरी सरकार को समर्थन देना चाहते थे। कांग्रेस के पास 144 सीट, एनडीए के पास 165 अथवा 168 सीटें थीं मैंने मना कर दिया। मैंने यह इसी सभा में कहा था और हमने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और बाहर हो गए। महोदय, मैं उस भाषण को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने उस समय पर दिया था।

महोदय, वे कहते हैं 'सत्ता का मोह'। समझौता किसने किया था। मेरे पास पेपर हैं। बीस माह पहले, आपने अपने आप देवेगौड़ा की अनदेखी करते हुए सरकार का गठन कर लिया था। इन्होंने कहा "देवेगौड़ा कौन है? यह मेरे ऊपर कटाक्ष था। यह राज्य सभा में कर्नाटक से आए राष्ट्रीय स्तर के तथाकथित नेताओं द्वारा श्री कुमारास्वामी के साथ समझ-बूझ थी।

महोदय, आपने दो सत्र देख लिए हैं। मैं संसद के परिसर में नहीं आया हूँ। और तो और मैं केंद्रीय सभागार में भी नहीं आया। इस सभा में आने की मेरी हिम्मत नहीं थी, और मुझे कितनी पीड़ा और आक्रोश है। केवल भगवान ही यह बता सकता है। मेरे मित्र ने यह बोला है।

महोदय, इन 20 माह के दौरान क्या हुआ? उन्होंने आपस में ही एक समझौता कर लिया जिसे 'कर्नाटक विकास मोर्चा' कहा उस समझौते के अनुसार यदि उसका विकास प्रयोजनों के लिए कड़ाई से अनुपालन किया जाता तो सत्ता हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, मैं प्रत्येक दृष्टांत का उल्लेख नहीं करूँगा। मैंगलौर में दो अल्पसंख्यक व्यक्ति मारे गए। एक नौकरी के लिए दुबई जा रहा था। उस समय गृहमंत्री मेरी पार्टी से थे। हमने दोषियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। मैंने कहा:

> "चाहे जो भी परिणाम निकले, आपको इन दोषियों से निपटना होगा। चाहे सरकार भी चली जाए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए"

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, दूसरी बात विराट हिन्दू समावेश के बारे में है। मैं इसे देख रहा था। मैंने अपने मित्रों से कुछ नहीं कहा अथवा उनसे कोई बात की। विराट हिन्दू समावेश 45 दिनों तक चला। बैंगलौर में जब उन्होंने यह समावेश आरम्भ किया तो सात मुस्लिम घायल हुए और एक मारा गया। ...(*व्यवधान*)

श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी): महोदय, वे सब जानते हैं और कहते हैं कि वे अंजान हैं!...(*व्यवधान*) वह कह रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्री को अनुदेश दिया। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने का मौका दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेगौड़ा, आप जारी रखें।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, महोदय ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप सबने अपने वक्तव्य दे दिये हैं। आप में से जो भी अपनी ओर से बोलना चाहता था, उन्हें बोलने का अवसर दिया गया। अब उन्हें बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अन्ततः, वे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे देश के सम्मानित नेता हैं। उनकी कुछ व्यथाऐं हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: वे कहते हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है इसलिए वे कुछ मुद्दों पर बोलना चाहते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यही कारण है कि उन्होंने मुझ पर इस प्रकार का आक्रमण किया है, चाहे यह संबंधित हो अथवा असंबंधित, आपको सुनना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, हमें वह बैठक करने का अधिकार था। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, वह बैठक करने का अधिकार आपके पास था।

श्री अनंत कुमार: महोदय, यह एक बहुत शांतिपूर्ण बैठक थी। किन्तु यदि वे सभा को गुमराह करते हैं तो इससे हमें दु:ख होता है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कानूनी ढंग से बैठक करने का अधिकार सबको है। अब इस बात को समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, जब उन्होंने दे दिया, मैंने इसे ले लिया। मैंने इसे धैर्यपूर्वक धारण किया। क्यों?

श्री करुणानिधि इस देश में वर्तमान संदर्भ में वरिष्ठतम नेता है। वे किसी राज्य के पांच बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी बेटी कर्नाटक में रह रही है। जब राम सेतु का यह मुद्दा उठा तो कर्नाटक में उनके घर पर आक्रमण किया गया। क्योंकि गृह मंत्रालय हमारे पास था, राज्य के हमारे गृह मंत्री ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया। ...(*व्यवधान*)*

श्री अनंत कुमार: जी, नहीं महोदय। वे इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे इस प्रकार नहीं बोल सकते ...(*व्यवधान*) इसमें संलिप्तता का कोई प्रश्न नहीं। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यह पुलिस महानिदेशक ने कहा है। वे अब सलाखों के पीछे हैं। यही सब ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, वे सभा को गुमराह नहीं कर सकते। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह ली है। रिकार्ड की जा री हैं

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मुझे पता है यह सब कैसे हुआ। ...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब आप बोल रहे थे, वे चुपचाप बैठे थे और हमने सबको धैर्य पूर्वक सुना। अब उनकी बात सुनिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, जब वे बोल रहे थे, मैं मौन था। और तो और जब कांग्रेस के साथी भी बोल रहे थे, तो भी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, यह मेरा अंतिम भाषण हो सकता है, मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यहाँ निरुद्ध रखूंगा। मैं आपको बाहर जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: क्योंकि अब देश इसे पक्षपातपूर्ण तरीके से देखेगा और इस सभा की कार्यवाही से पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि देवेगौड़ा विश्वासघाती है और वे सत्ता के भूखें हैं। मैं इन सब आक्षेपों को स्वीकार करता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ।

दूसरी बात एक औद्योगिक घराने या कंपनी से संबंधित है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। किन्तु मैं व्यक्तियों का नाम लूंगा। बंगलौर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरीडोर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं।

उनमें से एक व्यक्ति श्री राम जोयस हैं जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने एक लेख भी लिखा है।

महोदय, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में मामला हारने के बाद इस करार को रद्द करने के लिए एक विधेयक तैयार किया। विधेयक को मंत्रिमंडल में सूचीबद्ध किया गया। छह घंटे तक भाजपा के मंत्रियों और राज्य के अध्यक्ष ने कैबिनेट कक्ष में प्रवेश नहीं किया। वे सब इंतजार कर रहे थे। ...(*व्यवधान*) कृपया मेरी बात सुनिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपने वहां क्या शर्त रखी थी? मैं वह भी बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: आपकी पार्टी के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ था।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब तक अध्यक्ष महोदय उन्हें बोलने की अनुमति दें, उन्हें बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: हाँ।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यह 27 अक्टूबर, 2007 का दिन है।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी जानता हूँ कि आप यह चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण चर्चा हो।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वास्तव में, यह आघात काफी बड़ा था। उसमें उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम है। उन्होंने तथाकथित स्टांप लगे करार में इसका उल्लेख किया है। मैं अन्य बातें भी बता सकता हूँ।

बेल्लारी के लिए, भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि आगे और शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जेडी (एस) मंत्रालय चुनने की भाजपा की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह उनका करार था। अपने 50 साल के सार्वजनिक जीवन, चाहे वह राज्य की राजनीति का हो या राष्ट्रीय राजनीति का, मैंने कुछ अनुभव पाया है। जब ये लोग यह कहते हुए सड़कों पर आए कि देवेगौड़ा के पुत्र ने सत्ता हस्तांतरण न करके विश्वासघात किया है तो यह हम पर हमला था। पहली बार प्रतिनिधियों में से एक और भाजपा की ओर से कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले-मैं आपकी अनुमति से उनका नाम लेता हूं-श्री यशवंत सिन्हा जी रात का 10.30 बजे मेरे पास आए। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व पहली बार इस मामले में शामिल हुआ। जैसे ही वे हवाई अड्डे पर उतरे उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि वे मुझसे अलग से मिलना चाहते हैं और किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। तत्पश्चात् अपने मित्र के कार में वे एक विशेष स्थान पर आए और हमने सुबह के 1.15 बजे तक चर्चा की। मैंने किस मुद्दे पर चर्चा की थी। मुद्दा यह था। ...(*व्यवधान*) हाँ, इसी पर चर्चा हुई थी। सत्ता हस्तांतरण कोई समस्या नहीं है। किंतु गत 20 महीनों में कर्नाटक में जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। मैंने उनके द्वारा मंत्रिमंडल का बहिष्कार करने से लेकर सारी घटनाओं और इससे पहले दिन श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में 28 विधायकों की एक पांच सितारा होटल में बैठक के बारे में बताया है। ये सारी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं।

हमारे पास है कई बातें हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदय, वे 28 विधायकों के एक पांच सितारा होटल में मिलने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने समाचार-पत्र से नहीं पढ़ा है।

श्री अनंत कुमार: उन्होंने अभी कहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं किसी को बोलने से नहीं रोकना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने सचिवालय से यह पता करें कि भाजपा नेता ने कितना समय लिया और उन्होंने हमारे नेता के बारे में क्या-क्या कहा ? उन्हें अपना बचाव करने का अधिकार है। उन्हें उत्तर देने का अधिकार है। क्यों नहीं?

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, यह सही है। अध्यक्ष महोदय, आप यह पढ़िए। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: शिवन्ना जी, कृपया आप बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: वे यह कैसे कह सकते हैं कि कुछ विधायक पांच सितारा होटल में मिले थे। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता है कि दूसरा सदस्य किस प्रकार बोलेगा? आप यह नहीं कर सकते है। यदि कुछ असंसदीय या गैर-अनुमत्य होगा तो मैं उसे हटा दूंगा।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: महोदय, हमने श्री अनंत कुमार की बात सुनी। हम इसका दूसरा पक्ष भी सुनना चाहते हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: देवेगौड़ा साहब, आप और कितना समय लेंगे? मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा हूँ।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। जैसा कि मैंने कहा है यह मेरा अंतिम भाषण हो सकता है...(*व्यवधान*) कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा हूँ। आप बोलिए। आपकी व्यथा है। मुझे पता है

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आठ महीने पहले, सत्ता बंटवारे पर चर्चा शुरु हुई थी। प्रिंट मीडिया में स्तंभ लेखकों ने यह लिखा था कि सत्ता-बंटवारा होगा अथवा नहीं? मैं गठबंधन सरकारों की स्थिति के बारे में नहीं जानता हूँ जिसमें सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार चला रही है, मैं नहीं समझता कि वहां पर इस प्रकार की चर्चा हुई हो। 3 अक्टूबर से आठ महीने पहले, यह बात इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आई थी। मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

महोदय, केवल यही नहीं हुआ। श्री यशवंत सिंह जी ने श्री राजनाथ सिंह जी को जो कुछ कहा, उसके बारे में लिखा था। ...(*व्यवधान*)

यही पत्र है। यह एक ऐसे पत्र के बारें में है जो कि बांड पेपर पर लिखा जाना था। मैंने उनसे कभी भी किसी बांड पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा था। पिछले बीस महीनों में जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए मैं इसे केवल समझौता ज्ञापन कहूँगा। यह दो पार्टियों के बीच आंतरिक समझौता है। इसका प्रयोजन क्या है? मेरा यह दृढ़ विचार है कि दोनों पार्टियों के विजन तथा परिपक्वता के लाभ वाले इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने से न सिर्फ सरकार के गठन का तथा पारस्परिक सहमति तथा सद्भाव का कार्य सुविधाजनक होगा, बल्कि इससे उन विपथनों से बचते हुए राज्य में आदर्श सरकार की व्यवस्था के लिए गठबंधन के सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी, जो कि श्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में बीस महीनों के दौरान गठबंधन के कार्यकरण में हुआ था, क्योंकि दोनों पार्टियों ने गठबंधन के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया था तथा युवा मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार को कष्ट उठाना पड़ा।

यह पत्र 1 नवम्बर, 2007 को लिखा गया था। मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं करुँगा। मैं बेल्लारी का उल्लेख नहीं करुँगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रखूँगा।

महोदय, वे 27 अक्टूबर को राजभवन गए थे। इसमें उन्होंने एक स्टाम्प पेपर पर समझौता किया है जिस पर श्री बी.एस. येदुरप्पा तथा श्री एच.डी.कुमारस्वामी के हस्ताक्षर होने थे। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: यह सच नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया सुनिए। यही कारण था कि उस व्यक्ति जिसने इसका प्रारूप तैयार किया था-मैं अन्य दो व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा-ने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा यह स्पष्टीकरण दिया कि उसे किस प्रकार नीचा दिखाया गया एवं धोखा दिया गया। यही कारण था कि वे इस्तीफा देने जा रहे थे। यही वक्तव्य है जो मुझे भी मिला है। ...(*व्यवधान*) मैंने नहीं पूछा है। हां, सरकार के गठन के लिए मेरी सहमति दिए जाने का क्या कारण था? क्या कारण था?

कर्नाटक के वर्तमान विधानसभा सदन की 213 की कुल सदस्य संख्या में केवल तीन मुख्य राजनीतिक दल हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 64 भारतीय जनता पार्टी के पास 79 तथा जे.डी. (एस) के पास 58 सीटें है। जब जे.डी. (एस) ने चुनाव में जाने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया तथा विधानसभा को भंग किए जाने की मांग कि तो स्वीकृत सांविधिक ढांचे तथा मानदण्डों के अंतर्गत राज्य में किसी गठबंधन के गठन की संभावना पूर्णतया समाप्त हो गई थी। अत:, इन परिस्थितियों में विधानसभा को भंग किया जाना एकमात्र सही संवैधानिक विकल्प था, क्योंकि कोई अन्य वैकल्पिक दल केवल चुनावी जनादेश को तथा संवैधानिक मानदण्डों एवं मर्यादा को उलटने के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करता।

यह पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को 24 तारीख को लिखा। इस पत्र में और अधिक गंभीर चिंताओं की चेतावनी दी गई है तथा यह कहा था कि राज्य कांग्रेस के वही तत्व जो दूर होकर जे.डी. (एस) आ गए है, पुन: कार्य कर रही हैं। यह अपवित्र प्रयास है जिसका राज्य के दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ सकता है, जहां धर्मनिरपेक्ष दलों में मतभेद के कारण चुनाव होने पर भी राज्य में केवल सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होंगी, जिसका वास्तव में राष्ट्रीय राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ सकता है। महोदय, मैंने न सिर्फ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, बल्कि उन्हें टेलीफोन भी किया है मैंने उनसे अनुरोध किया-यह शब्द "शर्म" नहीं कहना चाहूँगा-कि विधानसभा को भंग किया जाए तथा उनसे कहा कि वही व्यक्ति जिन्होंने धरम सिंह सरकार को अस्थिर किया था, अभी भी सक्रिय है।

महोदय, कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय ने कम से कम केन्द्रीय मंत्रिमंडल को और भी रिपोर्टें भेजी है जिसमें यह अवगत कराया गया है कि निहित स्वार्थों द्वारा चुनावी जनादेश को उलटने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसमें विधान सभा भंग किए जाने की सिफारिश की गई, विशेषकर तब जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य शाखा ने भी भंग किए जाने की मांग की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि जे.डी. (एस) के विधायकों को अलग कर खरीद-फरोख्त के सभी प्रयासों ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है जिन्होंने कांग्रेस की मंशा पर संदेह करना आरम्भ कर दिया है। मैंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। मैंने यह पत्र मैडम सोनिया गांधी तथा गृह मंत्री को भी भेजा है। उस समय किसी ने भी यह दावा नहीं किया था-जे.डी. (एस) ने दावा नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने दावा नहीं किया-फिर इसे भंग क्यों नहीं किया गया। अनुच्छेद 356 सही है। अगर विधान सभा को भंग किया जाता है और दो महीने के अंदर संसद इसका

अनुमोदन करती है, फिर उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के संबंध में कोई समस्या नहीं है।

महोदय, मैंने स्वयं गुजरात सरकार के बारे में निर्णय लिया था। मेरे मंत्रिमंडल में सी.पी.आई नेता गृह मंत्री थे तथा टी.डी.पी. के सदस्य तथा डी.एम.के. सदस्य सख्त निर्णय लिए जाने का पूरी तरह विरोध कर रहे थे। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बताऊँगा कि मैंने वह निर्णय क्यों लिया। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्धृत कर मैंने उनसे विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया। मेरी पार्टी को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करे। 2005 में जो हुआ, वहीं पुनः नहीं होना चाहिए। मुझे चोट नहीं पहुंचाएं। मैंने यह कहा। मैं न प्रधानमंत्री जी अथवा मैडम गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस प्रयोजनार्थ मैडम गांधी से संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने कांग्रेस आला कमान में कर्नाटक के प्रतिनिधि से भी अपनी भावानाओं को मैंडम गांधी तक पहुंचाने का अनुरोध किया कि सदन को भंग किया जाए।

जी हां, मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया जब हमारे स्वयं के मित्रों द्वारा लगभग 31 अथवा 32 सदस्यों की सूची दी गई, जिन्होंने सदन को निलंबित अवस्था में रखा। मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूँ। वे मुम्बई में थे। उन्होंने सभी शीर्ष नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने अपनी सहमति दी। तीन बजकर पंद्रह मिनट पर ये मित्र हमारी पार्टी के 40 अथवा 50 सदस्यों के साथ राजभवन गए। मैं इसके बारे में नहीं जानता था। क्योंकि मैं दिल्ली में था। उन्होंने एक पत्र दिया। मेरी पार्टी के लोगों ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। यह केवल पत्र है। मेरे पास सब कुछ है। यह लेटरहेड पर लिखा हुआ था। जिसमें उन्होंने कहा कि वे बिना शर्त समर्थन देने जा रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह स्टाम्प पेपर है। यह राजभवन में है और मैंने इसे देखा है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें इस तरह परेशान न करें।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: अगर आप इसे प्रस्तुत करेंगे तो मैं इसी सदन में राष्ट्र से क्षमा याचना करुँगा। मैं और वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

श्री यशवंत सिन्हा से मेरी लंबी वार्ता हुई जब यह मामला 30 सितम्बर को आया। इसके बाद उन्होंने कहा कि "हम इसे अंतिम रूप किस प्रकार दे सकते हैं?" उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे सीधे दिल्ली जा रहे है और मुझे इस सभी सूचना का सा नहीं करना चाहिए। वे दिल्ली जाएंगे और अपने पार्टी अ को सब कुछ स्पष्ट करेंगे और यह कि मैं दिल्ली आ सकता हूँ और चर्चा कर सकता हूँ। मैंने यह श्री यशवंत सिन्हा को ये सभी मुद्दे बताने को कहा था। मैने यह सभी इस पत्र में लिखा है तथा इसमें कुछ भी नहीं छिपा है।

श्री राजनाथ सिंह ने मुझसे फोन पर पूछा कि मैं दिल्ली कब आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं चार तारीख को आ रहा हूँ। हम 5 तारीख के सायं में किसी एक संसद सदस्य के घर मिले थे। मैंने कहा कि जब तक हमारे बीच थोड़ी सी समझ नहीं होगी तब तक यह सरकार नहीं चल सकती है। सरकार के कार्यकरण तथा सुचारु रुप से चलने के लिए समझ होना जरुरी है। उन्होंने यह सब बातें नोटबुक में लिख ली थी तथा कहा कल सुबह होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में वे इस पर निर्णय लेंगे। उस सांसद की कोठी से मेरा आवास 5, सफदरजंग लेन हाउस मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है लेकिन जब हमारे लोगों ने टी.वी पर देखा तो पता चला कि भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया है। और कोई प्रश्न नहीं रह गए हैं। यह उनकी पार्टी का निर्णय था तथा मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जब यह मुद्दा संसदीय बोर्ड के समक्ष आया और संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया यह स्टाम्प पेपर नहीं है यह मैंने टी.वी. पर देखा, प्रधानमंत्री को छोड़कर उस समय सभी राष्ट्रीय नेता उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि जो समझौता 2006 में हुआ था, वह एक समझौता ही था तथा उस संबंध में कोई सुझाव या समझौता स्वीकार्य नहीं है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा के प्रवक्ता ने यह बात कही थी।

संसदीय बोर्ड की बैठक पूरा होने के बाद, श्री येदुरप्पा कर्नाटक भवन आए तथा उन्होंने कहा कि गुजरात की तरह ही वे राज्य में सरकार चलाएंगे अर्थात राज्य में विकास तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु गुजरात का मॉडल अपनाएंगे। ...(*व्यवधान*)

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: नहीं, महोदय, उन्होंने केवल विकास के संदर्भ में ही गुजरात के मॉडल का उल्लेख किया था। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? वह अपने वक्तव्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उसमें कुछ गलत है, तो आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): मोदी को आप शपथ ग्रहण में ले गये थे। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यदि आप चाहें तो मैं प्रेस वक्तव्य तथा अन्य चीजें दिखा सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आपको यहाँ विवाद में पड़ने की जरुरत नहीं है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, दूसरी बात का उन्होंने उल्लेख किया कि मै हर बात स्टाम्प पेपर पर चाहता था। इसका संवैधानिक मूल्य क्या है? क्या मैं नहीं जानता या मुझे इस प्रकार के समझौतों का कम से कम आरम्भिक ज्ञान भी नहीं है, यह केवल एक आन्तरिक समझौता ही है तथा यह मैंने एक पत्र पर भेजा था। क्या यह एक लिखित या पंजीकृत दस्तावेज है या यह क्या है? मैंने इसमें बेल्लारी का उल्लेख नहीं किया था।

18 तारीख को मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की तथा मैंने उन्हें इन सब बातों के बारे में बताया था। उसके बाद 1 तारीख को मैंने यह पत्र लिखा था। उन्होंने कोई निर्णय लेने से मना कर दिया था उन्होंने कोई परवाह नहीं की। श्री येदुरप्पा ने 12 को शपथ ली थी। पांच-छह दिन बचे थे। मैंने मेरी बात श्री येदुरप्पा तथा एक या अन्य दो आर.एस.एस. नेताओं को कह दी थी। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, यदि उचित समझ नहीं है तो वे सरकार चलाएंगे। 20 माह के दौरान क्या हुआ?

श्री येदुरप्पा ने 20 करोड़ रुपये की यहां तथा 30 करोड़ रुपये की वहाँ तथा 50 करोड़ रुपये अन्यत्र की घोषणा की। उन्होंने इन सब बातों की घोषणा की थी जो कि बजट आवंटन के बाहर थी। महोदय, आपको इस सभा में लम्बा अनुभव है। जब डा. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने राजीव गांधी न्यास के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। इस बात पर इसी सभा में बहुत विरोध हुआ था तथा अंत में डा. मनमोहन सिंह ने इस सभा में आकर कहा कि वे इस न्यास को धनराशि जारी नहीं करेंगे तथा प्रतिवर्ष न्यास को प्रस्तावों के ब्यौरो सहित इन्हें भेजना होता हैं तथा यह बताना होता कि किस प्रकार से धनराशि का प्रयोग किया जाएगा, वे कौन-कौन से सामाजिक कल्याण कार्य करेंगे तथा उसके आधार पर वे 20 करोड़ रुपये जारी करेंगे। सभा ने अन्ततः इसे स्वीकार कर लिया। एक मामला है जैसा कि श्री जालप्पा ने कहा है कि जहां वे इस प्रकार घोषणाएं कर रहे थे जो कि बजट आवंटन के बाहर थी। मैं ये सभी देख रहा था।

जब मैंने यह शर्तें एक साधारण पत्र पर लिखकर ऐसे राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने छह वर्ष तक देश को चलाया, को भेजा तो उन्होंने कहा, "कुछ नहीं। 20 माह पहले जो हुआ था, वहीं समझौता होगा।" यदि समझौता यही है तो हां उन्हें मुझे माफ करना चाहिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 18 तारीख को मैंने विधायकों को मिलने के लिए कहा था क्योंकि 19 तारीख को विश्वास मत होना था। विधायक दल की बैठक में विभाग संबंधी मुद्दा उठा। यह धन कमाने के लिए नहीं था। यदि आप देखें, मैंने तत्कालीन धर्म सिंह सरकार को लिखा था कि खदान लॉबी किस प्रकार से राज्य में कार्य कर रही हैं तथा वर्ष 2002 से ही उचित कदम उठाने का अनुरोध किया था। यह पत्र मैंने श्री धर्म सिंह को लिखा था। उस पत्र का उदाहरण देते हुए मैंने साझा सरकार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उन्होंने कुछ उपाय किए तथा एक अधिकारी का स्थानान्तरण किया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेगौड़ा, कुछ सैकण्ड प्रतीक्षा कीजिए।

हमें अपराह्न 5.30 बजे एक विषय पर आधे घण्टे की चर्चा करनी हैं। इसके पूरा होने के तुरंत बाद श्री खन्ना हम इस बात पर चर्चा करेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: एक अग्रणी एमएलसी ने बयान दिया कि यदि एसपी का उस दिन नहीं रखा जाता तो सरकार गिर जाएगी।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: नहीं, महोदय, उन्होंने नहीं कहा कि सरकार गिर जाएगी। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपको इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। यह नहीं किया जा सकता है। यह चर्चा का नियम नहीं है।

श्री देवेगौड़ा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: विगत तीन माह में राज्य के खजाने से 150 करोड़ रुपये की लूट को लेकर श्री कुमारास्वामी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की आवश्यकता कहाँ से आन पड़ी? मुख्यमंत्री पर राज्य के 150 करोड़ रुपये लूटने का आरोप है।

अध्यक्ष महोदय: हमें अब गहराई में नहीं जाना चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: सीबीआई जांच कराने की मांग थी। कर्नाटक विधानसभा में इस पर विवाद किया गया था।

श्री अंनत कुमार: महोदय, पूरा मामला उच्चतम न्यायालय में है। यह न्याय निर्णयाधीन है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मुझे पता है।

अध्यक्ष महोदय: वह मुद्दे के गुणदोष के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

कृपया गुण दोष में न जाएँ।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं किसी पर दोषारोपण करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी सीमाएं ज्ञात हैं। इस 150 करोड़ के मामले पर कर्नाटक विधानसभा में चर्चा हुई थी। और कुमारास्वामी को अपना बचाव करना पड़ा था। उप-मुख्मंत्री किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? केवल मुख्यमंत्री को कांग्रेसी नेताओं के हमलों से बचाव करना था। उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को सीबीआई को सौंपा जाए। भट्ट आयोग द्वारा कई नोटिस जारी किए गए किन्तु उनमें से किसी का भी जवाब नहीं आया। वे सीधे उच्चतम न्यायालय में आए। क्या सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में इस पूरे ड्रामा को नहीं देखा है?

आज से नहीं बल्कि लम्बे समय से मीडिया मुझसे खफा है। मैंने इस नाराजगी को पिछले 25 वर्षों से झेला है और बचा रहा हूँ, किसी की दया पर नहीं बल्कि कर्नाटक के लोगों की कृपा से। वर्ष 2004 के चुनाव और कांग्रेस जे.डी (एस) सामने नहीं था। केवल भाजपा और कांग्रेस मुकाबले में थी। 'अन्य' को केवल 2 सीट प्राप्त हुई। वह 'अन्य-2' अब 58 हो गये हैं। इसीलिए मेरे दल को श्रीमती गांधी द्वारा बुलाया गया। मैं उनका आदर करता हूँ और इसीलिए मैं 10 जनपथ गया।

किसी ने श्री रामकृष्ण हेगड़े का उल्लेख किया। पहले 13 महीनों के लिए रामकृष्ण हेगड़े जी आपके दल में थे। रामकृष्ण हेगड़े को किसने हटाया? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उन सब ब्यौरे में न जाएँ। देवेगौड़ा साहब, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: उन सभी आरोपों का उत्तर जनता के सामने दूंगा। ...(*व्यवधान*) मैं स्पष्ट करुंगा कि किसने क्या किया. ..(*व्यवधान*) आप इतनी आसानी से देवेगौड़ा को हजम नहीं कर सकते, श्रीमानजी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए..(*व्यवधान*) जब श्री येदुरप्पा द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था श्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे।

श्री प्रहलाद जोशी: इसमें गलत क्या है? ...(*व्यवधान*)

कुछ माननीय सदस्य: यह गलत है। ...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैंने कोई गलत बात नहीं बतायी है। यह सही है।...(*व्यवधान*) यह कहा गया कि दक्षिण भारत में दरवाजे खुल गयें। यह ठीक है। दरवाजे खुल गए थे। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अब, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं भी कर्नाटक की जनता के सामने जाऊँगा। आप भी लोगों के सामने जाएँगे और जानेंगे। भाजपा की सारी यात्राएँ। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छी बात है। यही बात वह कह रहे हैं। वह अकेले नहीं जा सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: 18 तारीख को विधायी दल की बैठक में आपने एक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से एक सामान्य स्थल पर मिलेंगे। मैं जगह का उल्लेख भी करुंगा-वेस्ट एंड होटल, उन्होंने एक सूइट की व्यवस्था की थी। वे वहाँ गए। ...(*व्यवधान*) मैं माननीय ससंद सदस्य को जानता हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताउँगा। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे मिल सकते हैं। यह अच्छा होटल लगता है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यदि मैंने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा होता तो अब तक मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता। देवेगौड़ा को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपको कौन बर्बाद कर सकता है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं जनता के बीच जाऊँगा और मैं वहाँ उत्तर दूँगा।

अंत में मैं मंत्रालय के बंटवारे की बात पर आता हूँ। उच्चतम न्यायालय में 150 करोड़ रुपये का आरोप लंबित हैं अतएव श्री कुमारास्वामी ने कहा कि आरोप उनके विरुद्ध है तो वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगे और उन्हें इसकी अनुमति अवश्य देनी चाहिए। बैंगलौर-मैसूर गलियारे का मामला भी उच्चतम न्यायालय के समस्त लम्बित है। श्री कुमारास्वामी के नेतृत्व वाली सररकार ने मंत्रिमंडल में एक निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा 2002 में एक धोखाधड़ी वाला समझौता रद्द किया गया। यह सब उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा और मैं सत्तालोलुप हैं। हम सत्तालोलुप नहीं हैं। ...(*व्यवधान*) यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों के पास जाने को इच्छुक हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मुझे बेल्लारी के बारे में पता है। ...(*व्यवधान*) हम इन बातों से चिन्तित नहीं हैं...(*व्यवधान*) मुझे यह पता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकर रेड्डी, यह आपकी सीट नहीं है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, अपने स्थान पर जाइए अन्यथा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आप बेल्लारी से किसे मंत्री बनाने जा रहे हैं? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: हमें यह समाप्त करना चाहिए। कृपया इनकी बात सुनें। हमें इसे आज ही पारित करना चाहिए। यह उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वह कहते हैं कि वे श्री रामुलु को मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वह बेल्लारी से श्री रामुलू को मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले हैं। यह वही श्री रामुलू हैं, जिन्होंने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र के पिछले 60 वर्ष में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप फैसले के लिए लोगों के पास जाना चाहते हो।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: नहीं, मैं उसे बंद कर दूंगा। कर्नाटक में भाजपा के लिए खोले गए दरवाजों को बंद करने की अंतिम तारीख क्या है? इसीलिए पार्टी ने 19 तारीख को सरकार के विरुद्ध वोट देने का निर्णय लिया। यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं जनता को जवाब दूंगा। जनता की अदालत फैसला करेगी, ये लोग नहीं ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आपका धन्यवाद। और कुछ नहीं। अब केवल गृह मंत्री जी बोलेंगे।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं आपके मित्रों का नाम नहीं लेना चाहता ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप उन पर ध्यान मत दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आपका धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि मैं वाद-विवाद के उत्तर में लंबा भाषण दूं। प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने वह मुद्दे उठाए थे, जिनको सभा की जानकारी में लाना आवश्यक था। बोल चुके लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि उद्घोषणा की अभिपुष्टि की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया कि सभा को बिना किसी विलंब के भंग कर दिया जाए।

इन वक्तव्यों के मद्देनजर, मुझे और कुछ कहने की जरुरत नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखा जाए...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 20 नवंबर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 05.43 बजे

आधे घंटे की चर्चा

विदेश में रहने वाले भारतीयों को वीजा और पासपोर्ट जारी न किया जाना

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं पिछले तीन सैशन पहले यह एडमिट हुआ था और आज इस पर चर्चा की जा रही है। इसका कारण है कि मैं इसको फालो करता रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही सीरियस मैटर है।

अपराह्न 05.43$^{1}/_{2}$ बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

महोदय, मैंने एक प्रश्न 487 पूछा था, जिसके पाँच पार्ट थे।

[अनुवाद]

क्या भारतीय दूतावास तथा उच्चायोग विदेशों में रहने वाले सैकड़ों भारतीयों को भारत वापस आने के लिए वीजा तथा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसका जवाब आया।

[अनुवाद]

"नहीं, महोदय।"

[हिन्दी]

मेरा अगला प्रश्न था।

[अनुवाद]

"क्या सरकार ने ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार कि है, जिन्हें ये सुविधाएं नहीं दी जानी हैं।"

[हिन्दी]

तब डीटेल रिप्लाई सरकार की तरफ से आई, जिसमें जवाब दिया गया था:

[अनुवाद]

"देश के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की अलग सूची बनाई गई है, जिन्हें सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद पासपोर्ट तथा वीजा दिया जाना है। पासपोर्ट सुविधा केवल पासपोर्ट अधिनियम के संबंधित उपबंधों के दायरे में आने वाले मामलों अथवा विदेशों में शरण लेने अथवा ले चुके लोगों के मामले में सीमित होती है।"

[हिन्दी]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और उसके आस-पास के क्षेत्र के काफी लोग बाहर जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेश जाने के बहुत से वैध और अवैध तरीके होते हैं।

[हिन्दी]

सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने इसके लिए कोई रेगूलेटरी अथारिटी नहीं बनाई है। एक आदमी को सब्जी की दुकान लगाने के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है, लेकिन आदमी बाहर भेजने के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। सो लोग बहुत ज्यादा इल्लीगल वे से विदेश जाते हैं, एजेण्टों के चक्कर में फंसकर वे जाते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर वे जाते हैं। बाहर जाकर क्या होता है, जैसे उन लोगों को गाइड किया जाता है कि आप जब विदेश में उतरोगे तो अपना पासपोर्ट डिस्ट्राय कर देना और एक बात कहना कि इण्डिया में हमें खतरा है तो वे आपको सिटीजनशिप दे देंगे। बहुत से ऐसे लोगों ने, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इन्नोसेंट होने के कारण आज कई तो विदेशों की जेलों में लॉज्ड हैं। लेकिन जो डाटा विदेश मंत्रालय ने दिया है, वह डाटा तो 6 हजार के करीब है, जो इंडियंस विदेशों की जेलों में लॉज्ड हैं, लेकिन असलियत में यह डाटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो एम्बेसीज हैं वे इतना कष्ट नहीं करतीं कि वहां पर जाकर अपने इंडियंस को सर्च करे, काउंसलर्स असैस करे, आइडेंटीफाई करे, इसके बहुत से लोग विदेशों की जेलों मे भी हैं और वैसे भी हैं, लेकिन उनको इंडिया आने के लिए वीजा और पासपोर्ट इसलिए इश्यू नहीं किया जाता कि कई लोगों ने शायद यह कह दिया है कि उन्हें इस देश में खतरा है।

मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हर केस को एक ही रस्से से नहीं बांधना चाहिए। अगर किसी ने भारत के खिलाफ कोई बात कही है या की है तो उसको उस हिसाब से डील किया जाये। अगर किसी ने सिर्फ सैटिल होने के कारण एक प्रथा चल

[श्री अविनाश राय खन्ना]

गई कि ठीक है, वहां उतरते ही यह बोल दो तो आपको वहां पर स्टे मिल जाएगा, वह कहा है तो इन दोनो चीजों में काफी फर्क है। सरकार का यह फर्ज बनता है कि इन दोनों बातों को आइडेंटीफाई करे कि किसने क्राइम किया है, किसने क्राइम नहीं किया, अगर सभी को 25-26 वर्ष हो गए हैं। आज भी मुझे कनाडा से फोन आया था कि मैं अपने देश में आना चाहता हूँ, अपने देशवासियों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एलाऊ नहीं किया जा रहा है। उसका कसूर क्या है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप क्वश्चन पूछिए।

श्री अविनाश राय खन्ना: क्वश्चन यही है कि उन्हें बाहर क्यों रखा है, जबकि उनका कसूर कोई नहीं है। मेरा क्वश्चन यही है कि क्या सरकार, जो लोग बाहर बैठे हैं, वे विदेश से आना चाहते हैं। ...(*व्यवधान*) दासमुंशी जी, यह इम्पोर्टेंट मैटर है, तीन सैशन से मैं इसको ला रहा हूँ। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आपका क्वश्चन हो गया।

श्री अविनाश राय खन्ना: मेरे पास आधा घंटा है।

सभापति महोदय: इसमें अन्य माननीय सदस्य भी पार्टीसिपेट करने वाले हैं।

श्री अविनाश राय खन्ना: लेकिन मेरा टाइम तो है। तो क्या उन लोगों की कोई लिस्ट बनाकर ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आपका अन्य माननीय सदस्य सहयोग करना चाहते हैं।

श्री अविनाश राय खन्ना: ठीक है। क्या कोई ऐसी लिस्ट बनाकर उन लोगों से रिक्वैस्ट लेकर उन लोगों के केसेज को आइडेंटीफाई करके अगर किसी के खिलाफ सीरियस ऑफेंस नहीं बनते तो क्या सरकार उन लोगों को अपने देश में विजिट करने की आज्ञा देगी? दूसरे, जिन लोगों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, क्योंकि आपके देश के खिलाफ जब बात होती है तो ऐसी बातें होती हैं। क्या उस लिस्ट को पब्लिश करके उनके केसेज को लोकल पुलिस स्टेशन से, पुलिस आफिसर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से वैरीफाई करवाकर क्या वाकई इन लोगों का जो करैक्टर है, उनका जो व्यवहार है या उनका लाइफ है, वह क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसी चीजों को आईडेंटीफाई करवाकर उन लोगों को भारत में विजिट करने का अधिकार देगी या नहीं देगी?

एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर कोई मर्डर करता है, उसे सजा हो जाती है तो जेल से भी सरकार उसको पैरोल पर छोड़ने की बात करती है। लोग खेती-बाड़ी करते हैं, अगर कोई सीजन आ गया तो उनका करैक्टर देखकर उनको कहते हैं कि आप दो महीने के लिए अपने घर जाओ। अगर एक मर्डर करने वाले को इतनी रियायत दी जा सकती है। इसी तरह कोई प्रोबेशंस एक्ट में क्राइम करता है, उसको जमानत पर छोड़ दिया है तो इन लोगों को, जो लोग विदेशों में बैठे हैं, वे अपने देश के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको भारत में लाने का क्या सरकार प्रयास करेगी? क्या सरकार ऐसी कोई एथॉरिटी बनाएगी, जिसमें वे लोग एप्लाई कर सकें, उनकी एप्लीकेशंस को देखकर, उनकी एप्लीकेशंस को समझकर, उनको वैरीफाई करके केसवाइज अगर उनका कोई कसूर नहीं है तो उनको क्या भारत में लाने का प्रयास किया जायेगा।

महोदय, मैं आपको एक इंस्टांस बताना चाहता हूं। मेरी कंस्टीच्युएंसी में बहुत गरीबी है। वहां के बहुत से लोग अरब कंट्रीज में, कुछ लोग कनाडा, अमेरिका और यूके में जाकर बसे हैं। वे एजेंट्स हैं, वे उनको ऐसा सपना दिखाते हैं कि आप वहां इतने डालर कमाएंगे। वे उनसे लाखों रुपये लेकर उनकी सारी जमीन बिकवा कर उन्हें विदेश ले जाते हैं और जो सी-पोर्ट है, वहां उनको छोड़ दिया जाता है। मैं एक इंसीडेंट आपको बताता हूं। एक अनपढ़ सरपंच के बेटे की मौत हो गई, तो मैं उसका हालचाल पूछने गया। उसने कहा कि मेरे बच्चे को एजेंट लेकर गए हैं। मैं उनको बार-बार कह रहा था कि आप इनको डंकी बनाकर न ले जाए। इसका मतलब है कि सी-पोर्ट्स के ऊपर, उन लोगों को बिना किसी वैलिड वीजा के, इल्लीगल तरीके से लेकर जाया जाता है।

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अविनाश राय खन्ना: क्या ऐसा कोई कानून बनाना सरकार के ध्यान में है कि जो ट्रेवल एजेंट है, उनको रेग्युलराइज्ड किया जाए, उनकी कोई ऐसी अथारिटी दी जाए कोई रैग्युलेरिटी अथारिटी बने कि कौन-कौन लोग किसी को विदेश में लेकर जा सकते हैं? क्या सरकार जो लोग विदेशों में बाहर बसे हुए हैं, जिनको आप सो-काल्ड ब्लैक लिस्टेड कहते हैं, जिनकी ब्लैक लिस्ट बनाई गयी है, उनके केसेज की इंक्वायरी कराकर कुछ लोगों को भारत में लाने की आज्ञा दे रही है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक आप कर सकेंगे? इस बारे में कृपया बताइए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तक कायदा रहा है कि आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने के लिए दस बजे से पहले नाम देना पड़ता है। उसके बाद लाटरी से नाम निकालकर नोटिस बोर्ड पर लग जाना चाहिए,

लेकिन अभी तक मेरा नाम वहां नहीं लगा। अभी मैंने मालूम किया, तो मुझे बताया गया कि आपका नाम है। कम से कम भविष्य में इस ओर थोड़ा ध्यान दें।

सभापति महोदय: आप तो पूरा पढ़कर आए हैं। हाफ एन आवर का डिस्कशन पहले से कार्यसूची में अंकित है।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर शेखावटी क्षेत्र में ऐसे कई ट्रेवल एजेंट्स हैं, जो अखबारों में विज्ञापन देते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता और विदेशों में नौकरी के नाम पर कुवैत के अंदर, अमीरात के अंदर या सऊदी अरब के अंदर नौकरी दिलाने का झांसा देकर, उनसे बहुत सारे पैसे लेकर, नकली पासपोर्ट बनाकर उन्हें ले जाते हैं। कई बार ऐसे लोग पकड़े गए, उनके बड़े-बड़े जखीरे पकड़े गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के जो ट्रेवल एजेंट्स हैं, उनके पंजीकरण की कोई व्यवस्था विदेश मंत्रालय के अंदर है? यह पहला सवाल है। अगर ऐसा है, तो पिछले एक साल के अंदर कितने नकली पासपोर्ट पकड़े गए हैं जिनकी सरकार जांच कर रही है?

मेरा एक प्रश्न यह है कि जो विदेशों में ले जाए गए, वहां उनको नौकरी से हटा दिया गया। कुछ लोग उन्हें ले गए। वह दो-चार दिन वहां रहा और फिर उसे हटा दिया गया। वहां वे बेचारे बैठे हुए हैं, उनको वापस आने के लिए वीजा नहीं बन रहा है। कई लोगों की वहां मृत्यु हो जाती है, शव लेने के लिए रिश्तेदार आते हैं। उसकी लाश लेने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है।

महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में नकली पासपोर्ट ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं विदेशों में रह रहे भारतीयों को वीजा तथा पासपोर्ट जारी करने के संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना चाहता हूं। नवीकरण पद्धति के बारे में भी बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। लाखों लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों के वीजा तथा पासपोर्ट उचित समय पर नवीनीकरण नहीं किया जाता और यहां तक कहा जाता है कि रिश्वत दिए बिना कुछ नहीं होता। दूतावास के अधिकारी तक विदेशों में कार्य कर रहे गरीब भारतीयों से रिश्वत ले रहे हैं। ऐसा केवल खाड़ी देशों में ही नहीं हो रहा है बल्कि अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा है। मेरे पास जानकारी है कि अमरीका में जब तक पैसा नहीं दिया जाता, तब तक पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं होता। इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। बहुत से भारतीयों को यदि वे पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय दूतावासों में कार्य करने वाले लोगों को पैसा देना पड़ता है। बहुत से देशों में यही स्थिति है। मेरे पास इन मामलों की व्यक्तिगत जानकारी है। विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि उन्हें पासपोर्ट के नवीनीकरण तथा उसे जारी कराने के लिए भारी धनराशि देनी पड़ती है। देशभर में यह शिकायत है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय, से जांच करने तथा इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने तथा बिना किसी विलंब, बिना किसी शिकायत विदेशों में कार्य कर रहे इन गरीब लोगों से रिश्वत लिए बिना उनके नए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: हमारे पास आपका नोटिस नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमने नोटिस दिया है ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: ठीक है, सिर्फ एक क्लैरीफिकेशन पूछ लीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आपको विशेष परिस्थिति में प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना ने आधे घंटे की चर्चा में यह बात उठाई है कि जो भारत के प्रवासी विदेश में रहते हैं, उन्हें वीजा पासपोर्ट मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, यह बात सत्य है। हम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

भी स्पीकर साहब के साथ ग्रीस गए थे। वहां तमाम भारत प्रवासी शिकायत कर रहे थे कि वीजा और पासपोर्ट बनाने में न हमारा वहां का दूतावास मदद करता है और न वहां की सरकार मदद करती है। यह बड़ा गंभीर मामला है। कई लोगों ने यह बात भी कही कि अगर हमारे माता-पिता का देहांत हो जाता है या वे बीमार रहते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। हम उसके लिए आवेदन करते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जबकि ऐसे मौके पर प्राथमिकता देते हुए वीजा और पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। ...(*व्यवधान*) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर प्राथमिकता देते हुए उन्हें वीजा और पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेशों में हमारे दूतावासों को निर्देशित किया जाए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। इस आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से आज इस सभा में जो मुद्दा उठाया गया है, वह पहले एक प्रश्न के माध्यम से उठाया जा चुका है। मैं 9 मई, 2007 को माननीय सदस्य के प्रश्न का विस्तृत उत्तर दे चुका हूं।

मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं कि विदेशों में भारतीय मिशन, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जो वीजा के लिए आवेदन करते हैं तथा देश में आने के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों को सभी प्रकार की सदस्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति तथा निदेशों का पालन करते हैं।

जहां तक विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों का संबंध है, उन्हें अपने देश का दौरा करने के लिए किसी वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय, जोकि कार्य के लिए विदेश गए हैं, व्यवसाय में लगे हैं, जोकि वैध प्रवासी हैं; ये सभी लोग जब भी पीआईओ कार्ड अथवा भारत की प्रवासी नागरिकता मिल जाती है। इस प्रकार से भारत सरकार ने हर संभव उपाय किये है, जिससे कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा अन्य देशों की नागरिकता ले चुके भारतीयों की कठिनाइयों को कम से कम किया जा सके ।

जब पासपोर्ट के आवेदन प्राप्त होते हैं तो हमारे मिशनों द्वारा पासपोर्ट देने से मना नहीं किया जाता, जब तक कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के उपबंधों का खुल्ला उल्लंघन न हुआ हो। उस स्थिति में, दूतावास और संबंधित अधिकारी पूरी तरह से अपने अधि कारों के तहत पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकते हैं।

दूसरी स्थिति वह है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति ने विदेश में राजनैतिक शरण के लिए आवेदन किया है और उसे संरक्षण मिल गया है अथवा आवेदन विचाराधीन है। इस प्रकार, यह भारत सरकार की एक सुस्पष्ट नीति है। किन्तु फिर भी माननीय पहलु को कभी भी अनदेखा नहीं किया गया है।

सायं 6.00 बजे

यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी, जहाँ भारत सरकार की कोई जिम्मवारी नहीं है और कोई नैतिक दायित्व नहीं है, यदि कोई रिश्तेदार बीमार है अथवा माता-पिता बीमार हैं, जैसा कि माननीय सदस्यगणों द्वारा उल्लेख किया गया है, तो उन्हें भारत की यात्रा के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र दिया जाता है। उन लोगों के मामले में जिन्होंने राजनैतिक शरण मांगी है, मैं माननीय सदस्यगणों के लाभ के लिए यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि छः महीने की अवधि का एक अल्पावधि वैधता प्रमाण पत्र दिया जाता है। वे अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से मिलने आ सकते हैं। लेकिन उस पासपोर्ट की वैधता केवल उसी देश के लिए है, जिसमें उन्होंने राजनैतिक शरण मांगी है। इस प्रकार, उसके बाद वे वापस आने के लिए स्वतंत्र हैं।

अवैध प्रवासियों के मामले में, भारत सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। यह ऐसा मुद्दा है, जिसके लिए अधिक चिंता व्यक्त हुई है। विशेषकर पंजाब जैसे राज्यों में ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः माननीय मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट के लिए रुकें।

अभी, 6 बजे हैं। हमें मद सं. 15 पर चर्चा करनी है तथा संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 पारित करना है। यदि सभा सहमत हो, तो मैं इस विधेयक को पारित किए जाने तक सभा का समय बढ़ा दूं।

अनेक माननीय सदस्यगणः जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, जीरो ऑवर का क्या होगा?

सभापति महोदयः आप चेयर को को-आपरेट कीजिए और कुछ सरकारी काम होने दीजिए।

श्री आनन्द शर्माः उन लोगों के मामले में, जो अवैध रूप से देश से बाहर गए हैं, दो श्रेणियां है। एक श्रेणी तो उन लोगों की है। जो पासपोर्ट पर, कानूनी दस्तावेजों पर यात्रा करते हैं, जिन्हें ट्रेवल एजेंटो और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन जब वे अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तो वे उन यात्रा

दस्तावेजों को नष्ट कर देते हैं। जो उन्हें देश में जारी किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी उनकी है, जो वास्तव में जाली दस्तावेजों पर जाते है अथवा भारत द्वारा दिए गए वैध दस्तावेजों के बिना यात्रा करते है। ऐसे लोगों के मामले में, जो फंसाए गए हैं, जिन्हें बरगलाया गया है, हमारे दूतावासों में सुस्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि एक बार राष्ट्रीयता की पहचान हो जाने पर उनकी भारत वापसी के लिए सहायता की जाए। उन लोगों के मामले में, जो अपने पहचान संबंधी दस्तावेजों को नष्ट कर देते हैं, संबंधित राज्य सरकारों को उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करनी पड़ती है। तत्पश्चात उनके भारत लौटने की अनुमति देने के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र दिए जाते है।

उन अवैध प्रवासियों के मामले में, जो वैध दस्तावेजों पर दूसरे देश जाते हैं, लेकिन जिन्हें वहां उतरने के अधिकार नहीं मिलते, उन्हें वापिस लौटने के लिए हर प्रकार की सहायता की जाती है। लेकिन जिन्हें वहां उतरने का अधिकार मिलता है, उन्हें पूर्ण वैधता पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। हमने पिछले वर्ष यूनान के मामले में ऐसा किया। यदि मैं, माननीय सदस्यगणों को जानकारी दूं तो स्पेन और यूनान के मामले में 3000 ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी किए गए। हमने पूर्वानुमान के तहत भी ऐसा किया जब यह अनुमान था कि पुर्तगाल सरकार भी देश में उतरने के अधिकार दे सकती है।

उन अवैध प्रवासियों के मामले में, जिनके प्रवास को नियमित किए जाने की संभावना हो सकती है, हमने हाल ही में अगस्त के महीने में अनुदेश जारी किए कि उनके मामले में भी, उनकी सहायता के लिए अत्याधिक वैधता पासपोर्ट जारी किया जाए जहां पासपोर्ट जारी करने से उनके प्रवास को नियमित किए जाने में मदद मिलेगी, और ऐसे पासपोर्टों की वैधता एक वर्ष की है, जिनका एक और वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है। इसलिए, ऐसा कहना कि भारत सरकार चिंतित नहीं है, सही नहीं है। भारत सरकार वह सब कर रही है, जो कि संभव है। भारत सरकार अवश्य ही उन मामलों में वीजा और यात्रा दस्तावेज दोनों ही जारी करने से मना करती है, जहाँ लोग पूर्वानुमति श्रेणी (पीएसी) में आते हैं। इस प्रकार, यहाँ अंतर है। पीएसी काली सूची से अलग है। पीएसी की श्रेणी के तहत आसूचना एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश में रहने वाले उन व्यक्तियों की स्पष्ट रुप से पहचान की है, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जो कि भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक थी। ऐसे मामले में भी, दूतावास मना नहीं करते या इनकार नहीं करते। बल्कि वे प्राप्त हुए आवेदन अथवा अनुरोध को भारत सरकार को भेज देते हैं और इनमें से ज्यादातर मामलों में, आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जहाँ तक काली सूची का संबंध है, इनमें भी तीन श्रेणियां है-ग्रेड "क", ग्रेड "ख", ग्रेड "ग"। ग्रेड "क" काली सूची में वे लोग हैं, जिन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनमें भारत की अखंडता को खतरा पहुंचाने का सामर्थ्य है और वे लोग भी हैं, जो जघन्य अपराधों को अंजाम देने के दोषी हैं और जिन्हें नशीली पदार्थों की तस्करी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बच्चों के साथ दुष्कर्म में दोषी पाया गया है। निश्चित तौर पर, यह सूची एक स्थाई सूची है, जिसकी हम समीक्षा नहीं करते। लेकिन ग्रेड "ख" सूची, जिसमे दो वर्ष से कम के लिए सजा के मामले शामिल हैं, उसकी अवश्य ही समीक्षा की जाती है।

माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन, वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं–दूतावासों के बारे में उनके सहयोगात्मक रवैया न अपनाने अथवा भारतीय दूतावासों के ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में कह रहे थे। महोदय, इस प्रकार के व्यापक आरोप लगाना बहुत ही आसान है। यदि हमारे विदेश स्थित दूतावासों में से किसी में भी कार्यरत किसी भी भारतीय अधिकारी द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में हमे कोई विशिष्ट जानकारी दी जाती है, तो उस पर कड़ी और तीव्र कार्रवाई अपेक्षित होती है लेकिन विशेषकर खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर ऐसे अवैध प्रवासियों को वापिस लौटने में सहायता करने का सामान्य से अधिक भार रहता है। हाल ही में, जब संयुक्त अरब अमीरात ने आम माफी योजना की घोषणा की थी, तब केवल संयुक्त अरब अमीरात के मामले में ही 40000 ऐसे लोगों को आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे और अन्य मामलों में, 20000 पासपोर्ट बहाल किए गए थे। भारत सरकार उनको अपने देश वापिस आने में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसलिए मुद्दा यह नहीं है कि भारत सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है। यह एक अधिक व्यापक प्रश्न है। एक उल्लेख किया गया और एक प्रश्न पूछा गया कि ट्रेवल एजेंटों के बारे में क्या किया जा रहा है। पंजाब राज्य, जहाँ के माननीय सदस्य श्री अविनाश राय खन्ना हैं या केरल या आंध्र प्रदेश में राज्य प्राधिकारी ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: राजस्थान में "शेखावटी"।

श्री आनन्द शर्मा: हम 'शेखावटी' को भी सम्मिलित करते हैं। इस मामले के लिए, भारत में किसी राज्य में जहां कहीं ऐसे ट्रेवल एजेंट अथवा दलाल कार्यरत है वहां उनकी सूचियां है। इस असहाय स्थिति में फंसने वाले हमारे अनेक नागरिकों ने उन व्यक्तियों अथवा ट्रेवल एजेंटों का नाम लिया है। जिन्होनें उन्हें लालच देकर और गुमराह करके इस जाल में फँसाया है। यह सच है, यह एक सामाजिक समस्या है कि वे अपनी भूमि और परिवार को बेचते हैं अपने धन से वंचित होते हैं और उसके बाद ये व्यक्ति इन्हें जेल में या ऐसे रोजगार में पहुंचा देते हैं जो अवैध होते हैं। इसलिए, संबद्ध राज्य एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी में अधिक समझदारी होगी और हम गृह मंत्रालय को भी सुझाव देंगे

[श्री आनन्द शर्मा]

कि ऐसे ट्रेवल एजेंटों की छानबीन करने हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों, संसद सदस्यों अथवा विधायकों द्वारा भी लोगों को इस समस्या और खतरे के बारे में जागरुक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग लालच में आकर ऐसी स्थिति में न फँसे क्योंकि भारत से बाहर गए अवैध प्रवासियों की संख्या बड़ी है। अकेले खाड़ी क्षेत्र मे ही यह संख्या लगभग पच्चीस लाख है। मैंने केवल यूएई की संख्या दी है जहाँ हमने सहायता करने का प्रयास किया। इसी प्रकार की सहायता कुवैत में की गई थी जहां से और 12000 व्यक्तियों को वापस लाया था। अत: भारत सरकार जहां अपेक्षित है वहां कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी मामले में किसी सही व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज देने अथवा भारत वापस आने का अधिकार देने से इनकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: सभापति महोदय, एक सप्लीमेंट पूछना है।

सभापति महोदय: इस पर अब कोई सप्लीमेंट नहीं होगी। काफी विस्तार से जवाब दिया गया है।

प्रो. रासा सिंह रावत: कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों का वहां देहांत हो जाता है, उन्हें यहां लाने में बड़ी दिक्कत आती है।

श्री आनन्द शर्मा: जहां तक देहांत की बात आपने कही हैं, जहां भी ऐसा होता है, इल्लीगल नहीं, कभी भी किसी भारतीय नागरिक का देहांत हो जाए, जैसे ही हमारे पास कोई दरख्वास्त आती है, हम हस्तक्षेप करते हैं। हमारा मिशन वापस लाने में पूरी मदद करता है। मेरे पास जब इस तरह की कोई जानकारी आई है, हमने हमेशा उस पर कार्यवाही की है।

श्री अविनाश राय खन्ना: सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। मंत्री जी ने डिटेल्ड रिप्लाई दिया है। आपके पास मेरे कई लैटर्स जाते हैं। आप यहां पर एश्योर कर दें कि जो लिस्ट है, केटेगरी 1, 2 और 3 की, वह हम रिव्यू करते है। जिन्होंने स्टेट या देश के खिलाफ कोई बात की है, मैं उनके बारे में नहीं कहता, लेकिन जिनका खास कसूर नहीं है, उनके लिए, लिस्ट को रिव्यू करने के लिए, आपकी पालिसी के तहत कब-कब ऐसा होता है?

श्री आनन्द शर्मा: शायद माननीय सदस्य मेरी बात समझ नहीं पाए हैं, जो लिस्ट है, वह इल्लीगल माइग्रेंट्स की नहीं है। उनकी कोई लिस्ट नहीं बनतीं। उन्हें वापस लाने में हम पूरी मदद करते है। लिस्ट है प्रायर एप्रूवल केटेगरी की, जिनके बारे में सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, यहां गृह मंत्रालय के पास जानकारी आती है, उनमें अधिकांश केसेज में इमर्जेंसी सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं। एक लिस्ट है ब्लैक लिस्ट, वह 'ए' केटेगरी की हैं उसे कभी भी रिव्यू नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बड़े अपराध में जो लोग संलिप्त होते हैं, जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं या आतंकवादी हैं। दूसरी लिस्ट केटेगरी 'बी' की है। उसे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी खुफिया एजेंसीज दस बरस बाद रिव्यू करती हैं। लेकिन कोई भी इल्लीगल को बाहर रखने की लिस्ट नहीं है।

सायं 6.13 बजे

संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 15–संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 पर चर्चा करेंगी।

श्री थावरचन्द गेहलोत, आप आठ मिनट बोल चुके हैं। अब आप कंटीन्यू करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जब विधेयक प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने इसकी आवश्यकता और उद्देश्यों के बारें में विस्तार से बताया था। उनके कथन को सुनकर और बिल को देखकर लगा कि वास्तव में इस प्रकार के विधेयक और कनून की महति आवश्यकता है। मंत्री जी से मैंने उस दिन भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि इसकी धारा 34 में स्टाक एक्सचेंज, अन्य एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि वे इस प्रकार का लेनदेन का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि आदिकाल से अपने यहां भिन्न-भिन्न प्रकार से लेनदेन की पद्धति प्रचलित है, जैसे सर्राफी लेनेदेन, हुण्डी के रूप में प्रॉमिसरी नोट है। एक देनदार को दूसरा लेनदार लिखकर दे देता है, उस पर रिवेन्यू टिकट लगा देता है। परंतु अनेक बार वह समय पर पेमेंट नहीं करता है। जब पेमेंट नहीं होती है तो फिर कोर्ट-कचहरी में मामला चला जाता है। हालांकि हुण्डी या प्रॉमिसरी नोट से जो लेनदेन करते हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही सारा काम होता है। उस कारण भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

बिल का नाम देखने से ऐसा लगता है कि यह बिल सारे देश में जो लेन-देन करने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर लागू होता है। परंतु जब इसकी परिभाषा को देखा कि यह किस-किस पर लागू होगा, तो निष्कर्ष निकला कि जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अर्थात रिजर्व बैंक के नियंत्रण में काम करने वाले वित्तीय बैंक्स, राष्ट्रीयकृत बैंक्स, सहकारी बैंक्स आदि, उन पर लागू होता है। परंतु बहुत सारी संस्थाएं जो लेन-देन का काम करती हैं वे इसके दायरे से बाहर हैं। या तो इनका नाम "बैंककारी संदाय और निपटान योजना विधेयक" होना चाहिए या फिर इसका जो नाम रखा है, वही रखा जाए, ऐसा माननीय मंत्री जी का निष्कर्ष है, तो देश भर में जो अन्य संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम कई बार सुनते हैं काला-धन, दो-नम्बर का धन, बेमानी धन, आय से अधिक धन का लेन-देन सारे देश में होता है और वह धन देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। एक बार नहीं, अनेक बार इस सदन में भी और अन्य उपयुक्त स्थानों पर इस प्रकार की पद्धति के बारे में चिंता व्यक्त की जाती रही है और अनेक अवसरों पर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो काला-धन, बेमानी धन, आय से अधिक वाला धन है, यह ऊपर ही ऊपर सब कारोबार यहां से लेकर विदेश तक करता है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने का उपाय इस एक्ट के अंतर्गत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वित्त मंत्री महोदय बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मैं यहा कुछ अनुभव ले रहा हूं और उससे मुझे भी कुछ समझ में आता है। अगर उनको दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो जिस प्रकार कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी स्वरुप है, तो इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की आवश्यकता है तभी यह ढ़ांचा ठीक चलेगा। जब ढ़ांचा ठीक चलेगा तभी देश की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। परंतु इसमें इसका अभाव दिखाई दे रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज, कॉमोडिटी एक्सचेंज, सर्राफा लेन-देन, प्रोमिसरी लेन-देन वाला सिस्टम और जो क्रैडिट कार्ड लेन-देन का सिस्टम है, उसके बारे में वे सदन के माध्यम से देश की जनता को अवगत कराएं। फिर जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे एक लेनदार ने देनदार को कोई चेक दिया जो किसी एक बैंक काज, अगर वह उसी बैंक में या उसकी शाखा में उस चेक को जमा कराते हैं तो जल्दी पेमेंट हो जाता है। किसी और बैंक में जमा कराते हैं तो उसे समय पर पेमेंट नही मिलता है। कई बार एक, दो या तीन दिन का समय तक लग जाता है। कहते हैं कि क्लीयरेंस में जाएगा, फिर क्लीयरेंस से आएगा और फिर उसे दोहरा कमीशन देना पड़ता है। इससे जो लेनदार है, जिसको संदाय होना है उसको परेशानी होती है। अच्छा होगा अगर इस बिल में इस परेशानी को दूर करने के लिए भी कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार का प्रावधान किया जाए। नहीं तो यह सीमित संस्थाओं के लिए है और जो ढर्रा चल रहा है उस ढर्रे में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजायश दिखाई नहीं देती है।

आज भौतिक युग है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में भी बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। लेन-देन की नई-नई प्रणालियां, नई-नई पद्धतियां रोज विकसित होती जा रही हैं। सरकार सोच भी नहीं सकती है कि किस प्रकार की नई-नई लेन-देन की पद्धतियां विकसित हो रही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ये पद्धतियां देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यह अच्छा प्रयास किया गया है, इस प्रकार के प्रयास करते समय अगर किसी प्रकार की और खामियां भी सामने आती हैं, उन्हें भी संशोधन विधेयक ला कर समाधान करने का प्रावधान करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो।

श्री एस.के. खारवेलथन (पलानी): सभापति महोदय, मैं संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक के समर्थन में बोलने हेतु यह अवसर दिए जाने पर आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक के माध्यम से हमारे माननीय वित्त मंत्री जी पूरे देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में निधियों के अंतरण को सुचारु बनाना चाहते हैं। सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंकिंग, बैंक फाइनेंसियल टेलीकम्युनिकेशन्स (स्विस) के माध्यम से हमारे व्यक्ति विदेश से कम दस्तावेजी अंतरण के बिना धन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बैंकर सारे देशों से शीघ्र धन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार इस विधेयक का काम निपटान जोखिम के बिना शीघ्र ही भुगतान कराना है। हमारे देश में संदाय प्रणालियां हैं। जिनमें मैन्युअल दस्तावेज आधारित निपटान और रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम है। जिनसे भुगतानों की नान-कैश सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस समय, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में चल रही विभिन्नता खुदरा संदाय भुगतान प्रणालियों में मैन्युअल दस्तावेज आधारित निपटान, एमआईसीआर निपटान, इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियां, सरकारी प्रतिभूति निपटान, विदेशी-मुद्रा निपटान आदि सम्मिलित हैं। दस्तावेज आधारित चेक प्रक्रिया का प्रचालन और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चार मेट्रो केन्द्रों पर किया जाता है जबकि 12 अन्य केंन्द्रों का प्रचालन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है और शेष केंद्रों का प्रचालन और प्रबंधन कतिपय सरकारी बैंकों द्वारा किया जाता है।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

खुदरा संदाय प्रणालियों में दस्तावेज आधारित और इलेक्ट्रानिक प्रणाली दोनों सम्मिलित हैं। क्लियरिंग हाउस चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश जैसी दस्तावेज आधारित विभिन्न प्रकार की लिखतों का निपटान करते है। क्लियरिंग हाउस भागीदार बैंकों और डाकघरों द्वारा स्थापित संवैधानिक विकल्प है और उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जमा और नामें दोनो के लिए इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम्स (ईसीएस) 64 स्थानों पर कार्य कर रही है जिनमें से 15 का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और शेष प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सरकारी बैंकों द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) सिस्टम का 15 स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम का भी प्रचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

क्लियरिंग हाउस विधिक निकाय नहीं है। क्लीयरिंग हाउसों हेतु नियम और विनिमय संविदात्मक हैं। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम का प्रचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और अंतर बैंक शासकीय प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा निपटान प्रणालियों का प्रचालन क्लियरिंग आपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस समय कोई कानून केंद्रीय बैंक को संदाय और निपटान प्रणालियों को विनियमित और निरीक्षण करने का अधिकार नहीं देता है। यह विधेयक 25 जुलाई, 2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह विधेयक स्थायी समीति को भेजा गया था और इसमें अपनी रिपोर्ट 16 मई 2007 को प्रस्तुत की थी।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न संदाय प्रणालियों विनियमन प्रचालन और तकनीकी मानक निर्धारित करने, सेवा प्रदाताओं से सूचना मांगने और विवरणी तक दस्तावेज प्रस्तुत करने, प्रणाली प्रदाताओं के कर्तव्य निर्धारित करने हेतु प्रणाली प्रदाताओं की प्रणालियों और परिसरों की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने के लिए प्रणाली प्रदाताओं को निदेश और दिशा-निर्देश जारी करने का प्रणाली प्रदाताओं के कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कार्यहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को सुचारू प्रचालन हेतु भारत में संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कार्यहित प्रतिनिधि के रूप में निर्दिष्ट करता है।

यह विधेयक शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के प्रयोजनार्थ समिति के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के अध्यक्ष और संदाय और निपटान प्रणालियों के प्रभारी उप-गर्वनर भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे।

इस संशोधन विधेयक की धारा 24(5) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रणाली भागीदार के बीच उत्पन्न किसी विवाद के प्रतिभूति अपील अधिकरण को भेजा जाएगा। परंतु स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार यह निर्णय लिया गया है विवाद हल करने की शक्ति अब केन्द्र सरकार को दी जाए।

हाल में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत चेक अस्वीकृत होने के कारण देश में विभिन्न दंड न्यायालयों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं। इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर में भी धोखधड़ी की पूरी संभावना है। इस विधेयक की धारा 25(1) के अनुसार व्यक्ति द्वारा निधि का अंतरण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि खाते में जमा राशि अंतरण लिखत की स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कार्य एक अपराध है और ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष का दंड दिया जाएगा।

इन पहलुओं पर विचार करते हुए मै इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया एक और स्वागत योग्य कदम है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ किन्तु इसके साथ ही यदि मैं भविष्य में कारोबार में उत्पन्न होने वाली कतिपय कठिनाइयों की ओर संकेत नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाऊँगा।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। दैनिक जीवन में इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इस प्रणाली से भुगतान कारोबार में भी कतिपय बदलाव अवश्य आयेंगे। इसलिए मैं इन सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ किन्तु मैं इस विधेयक को लाने वाले मंत्रीजी का ध्यान एक मौलिक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो विनियमन से संबंधित है।

इस अधिनियम के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति सौंपी गई है अब, हम भारत सरकार को शक्ति प्रत्यायोजित कर सकते हैं। किन्तु हम भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकते जो कि अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है। इसलिए, प्रत्यायोजन ठीक है, यदि यह प्रत्यायोजन भारत सरकार को है, संबंधित मंत्रालय को है किन्तु इसके साथ ही, यदि रिजर्व बैंक को विनियमन की आवश्यकता लगती है तो भारत सरकार इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके विनियमन कर सकती है। सरकार की सहमति मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम प्रख्यापित करना सही नहीं है। विनियमों को रिजर्व बैंक के बजाय सरकार द्वारा स्वयं प्रभावी बनाना चाहिए।

रिजर्व बैंक के साथ पूर्व परामर्श करना ठीक है किन्तु सरकार के साथ परामर्श करने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन करना उचित नहीं है। जिन विनियमों को क्रियान्वित किया जाना है उनके संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा भविष्य में भी इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। यदि माननीय मंत्री जी इससे अवगत न हो तो वे इस बारे में चिंतन कर सकते है। अपने अनुभव से और अपनी कानूनी जानकारी के अनुसार यह मामला भारत सरकार के अलावा अन्य किसी निकाय को सौंपना सुरक्षित नहीं है। यही एक पक्ष है जिस ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ।

अन्य कठिनाई दिवालियेपन के संबंध में उत्पन्न हो सकती है। हमारे देश में कई चीजें छुपी रह सकती है। हम नही जानते कि इस अधिनियम के प्रावधानों से क्या प्राप्त होगा, विशेषकर, धन के लेन-देन में यह संभव है। न्यायालय किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर सकता है।

प्रतिभागी प्रणाली और प्रणाली प्रदानकर्ता द्वारा एक दूसरे के साथ सांठ-गांठ किये जाने की संभावना है। ऐसे में एक गरीब आदमी जो इस प्रणाली में विश्वास करता है उसके साथ छल हो सकता है। हमें ऐसे कदाचारों को रोकना चाहिए, यह जानते हुए कि वर्तमान प्रणाली में प्रवेश करने से पहले दिवालियापन है। इसलिए, पहले प्रणाली प्रदानकर्ता और फिर प्रणाली द्वारा छल किये जाने की संभावना है। 'प्रणाली प्रदानकर्ता' और 'प्रणाली प्रतिभागी' नामक दोनों मदों में ज्यादा अंतर नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि दिवालिया व्यक्ति यह जानता हो कि वह दिवालिया हो जायेगा किन्तु वह भुगतान करता रहे और भुगतान करना वह स्वयं के लिए बाध्यकारी माने। इससे भी भविष्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।

इसके अलावा, सभी प्रकार के पैसों के लेन-देन में आपराधिक तत्व शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में विशेषकर ऐसे लेन-देनों में माफिया सक्रिय है। इस प्रकार, जो लोग माफिया के तौर-तरीकों के आदी है वे आसानी से इस प्रणाली में प्रवेश कर सकते हैं और अनेकों निर्दोष व्यक्तियों, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं अथवा इसमें भरोसा रखते हैं, के साथ छल कर सकते हैं। ऐसी चीजें प्रचलन में हैं। हमें भविष्य में, अवश्य ही, आपराधिक स्थितियों से निपटना होगा क्योंकि हमारे देश में माफिया तत्व हैं। इस क्षेत्र में उनके प्रवेश की संभावना है और वे इस प्रणाली को विफल कर देंगें संदाय प्रणाली विफल हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है।

ये कुछ अभ्युक्तियाँ हैं जो मैं इस सभा के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने, निस्संदेह मुखर ढंग से उत्तर दिया, किन्तु भविष्य में उन्हें इस मामले में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि पैसे के मामले में हमारा देश सुरक्षित नहीं है। विशेषकर माफिया इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। इस क्षेत्र में माफिया के प्रवेश की संभावनाएं हैं। क्योंकि यह सभी प्रचलित प्रणालियों की विफलता है। संपूर्ण आर्थिक क्रिया-कलाप, संपूर्ण राष्ट्र बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे। धन के मामले में भी, इस प्रणाली से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में, इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी माफिया अवश्य सम्पूर्ण कार्यविधि को खराब करेगा।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इन सभी सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करुँगा और यदि आवश्यक हो तो भविष्य में वे समुचित संशोधनों के साथ इसे पेश करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार-उपस्थित नहीं

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, आरंभ में इस विधेयक के प्रति आपत्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित गैर-बैंक को केंद्रीय बैंककारी कार्य सौंपना था जो कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45(1) का उल्लंघन है।

सायं 6.33 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

मुझे अभी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मै जानता हूँ कि वर्तमान में ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है जिससे कि आरबीआई या अन्य कोई संस्थान देश में विविध संदाय प्रणाली का सीधा विनियमन और निगरानी कर सके। देश भर में लगभग 1050 समाशोधन गृह हैं जो विभिन्न बैंकों द्वारा चलाए जाते हैं। ये समाशोधन गृह कागजी प्रपत्रों का समाशोधन हाथों से करते हैं। केवल 45 समाशोधन गृहों में यांत्रिक ढंग से समाशोधन होता है। उनकी कार्य पद्धति में मानकीकरण का अभाव है। कई बार, उनके प्रचालन जोखिम प्रवण होते है। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि आरबीआई के पास उन्हें विनियमित करने की शक्ति नहीं है। फिर भी लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह कहता है कि यह विधेयक अनावश्यक है। आज स्थिति यह है कि लोग वे चेक ले रहे हैं जिन्हें किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है, जब बैंक इलेक्ट्रानिक रूप से जुड़ जाते हैं। आरबीआई इन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने भारत में संदाय और निपटान प्रणाली पर अपने विजन डाक्युमेंट 2005-2008 में एक प्रस्ताव पर चर्चा की थी कि समाशोधन गृहों की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर खुदरा संदाय प्रणाली के लिए एक पृथक संगठन की स्थापना की जाए और लेखाओं का निपटान आरबीआई द्वारा किया जाए।

[श्री भर्तृहरि महताब]

बैंकों का वैश्वीकरण हो रहा है। प्रौद्योगिकी का स्तर भी भिन्न-भिन्न है। जबकि विश्व समाशोधित निधियों में अत्यधिक वृद्धि के साथ एक छोटे स्पेक्ट्रम की ओर अग्रसर है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। प्रयोक्ताओं को बहुत लाभ होंगे। सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा को विनिमय का साधन समझना चाहिए। इंटरनेट के आने से पेपर का स्वरूप बदल कर इलेक्ट्रानिक हो गया है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुद्रा का लेन-देन बैंकों के पास जमा मुद्रा से कहीं ज्यादा है। समाशोधन गृहों के कार्यकरण का वैधानिक आधार "बैंकर्स हेतु एकसमान नियम व विनियम" हैं जिसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन लिया गया है। किसी समाशोधन गृह के सभी सदस्य बैंकों का समाशोधन गृह के प्रबंधकों के साथ अनुबंधीय संबंध होता हैं। प्रतिदिन लगभग एक लाख करोड़ रुपए को कारोबार नेटटिंग सिस्टम के जरिए होता है। इसलिए वित्तीय बाजार को कानूनी अनिश्चिन्तताओं से मुक्त रखने की सख्त आवश्यकता है। आशंका है कि शीघ्र ही निजी कंपनियां समाशोधन गृह संबंधी कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। इस आशंका को दूर करने हेतु एक संशोधन परिचालित किया गया है। निपटान में नई खोज व प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण है। निजी कंपनियों और प्रौद्योगिकी के आगमन से यह विधेयक प्रासंगिक प्रतीत होता है।

यह विधेयक नेटिंग प्रक्रिया और निपटान को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। एक विधेयक में पत्र (पेपर), नकदी, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण, क्रेडिट/डेबिट कार्ड: अंतरणों को भी भुगतान का ही अंग समझा जाता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न भुगतानों और निपटानों को विनियमित करने हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित करने; प्रणालियों और परिसरों की लेखा परीक्षा व निरीक्षण करने हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करता है।

कहा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक को उस दोहरे कार्यभार से मुक्त करना है जिसमें उसे सेवा प्रदान करने के साथ-साथ विनिमय के भी कार्य को करना पड़ता है, पर क्या आप यह नहीं मानते कि इस विधेयक के अधिनियम बनने पर भी भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षक की भूमिका में बना रहेगा और इस तरह विनियामक के रूप में फिर भी कार्य करेगा?

इस विधेयक के औचित्य और आवश्यकता के संबंध में आपत्तियां रही हैं। वर्तमान वैधानिक प्रावधान विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(त) और धारा 58 (तत) भारतीय रिजर्व बैंक को प्रणाली प्रचालनों को विनिमित करने व उनकी निगरानी की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। यद्यपि कि यह दावा किया जा रहा है कि अनेक विकसित देश अपने केंद्रीय बैंक को भुगतान करने व निपटान प्रणाली से अलग कर रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल बैंक यह सेवा प्रदान करने में अभी भी सक्रिय है। क्या हमें इसे बैंकिंग गतिविधि मानना चाहिए अथवा नहीं? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन गृह कार्य कलापों से करीब 300 करोड़ रुपये अर्जित कर रहा है। क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किए जाने के कारण इसे अपने इस संसाधन को खोना पड़ेगा।

दूसरा मूलभूल प्रश्न यह है कि क्या भुगतान एवं निपटान प्रणाली को बैंकिंग कार्यकलाप के रूप में समझना चाहिए या कुछ और समझना चाहिए? जब भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय स्तर पर सभी खुदरा भुगतान प्रणाली का कार्य किसी अलग विधिक निकाय को सौंप दे तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहा है। क्या यह सही नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक में कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है। कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है और कार्यों की आउटसोर्सिंग की जा रही है।

इस भुगतान और निपटान प्रणाली को किसी अलग निकाय को सौंपने से भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के कितने कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाएगा? इस कार्य में कितने कार्मिक कार्यरत थे? यह मशविरा का विषय हो सकता है, और यदि यह एनपीसीआई द्वारा किया जाता है तो और अधिक सुविधाएं पैदा करने के लिए बेहतर संभावना बन सकती है, परंतु नौकरियां घटाकर कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि कागज विहीन धन लेन-देन के संबंध में विश्वास पैदा करने हेतु यह एक लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता थी। यह विधेयक सीसीआईएल, कार्ड कम्पनियों व अन्य भुगतान प्रणाली प्रदाताओं जैसे गैर-बैंकों द्वारा प्रचालित भुगतान और निपटान प्रणाली समेत देश में सभी विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और निगरानी करेगा। सरकार ने स्थायी समिति के सभी सुझावों और सिफारिशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य सुझावों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। एकमात्र सवाल जो हल नहीं किया गया है वह यह है कि समाशोधन के कार्य में लगे लोगों को संभावित रूप से नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में हम जानना चाहते हैं।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूँ।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूँ।

*सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने शुक्रवार को इस सम्माननीय सभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रस्तावित विधान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। ऐसे परिचय असमान्य परंतु ज्ञानवर्धक हैं। उन्होंने इस विधेयक की उत्पत्ति वह इतिहास का और इस विधेयक को तैयार करने में सरकार की भूमिका का उल्लेख किया।

उन्होंने हमारी वित्तीय प्रणाली में संदाय और निपटान से संबंधित ऐसे विधान की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि इस नए कानून से प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन व प्रगति देखने को मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा को शायद ही कोई आवश्यकता है।

तथापि, मैं अपनी वित्तीय प्रणाली विशेषकर संदायों, निपटान और अन्य वित्तीय लेनेदेन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह सर्वविदित है कि भुगतान एवं निपटान हमारी वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह विधेयक पिछले वर्ष 25 जुलाई को सदन में पेश किया था। तत्पश्चात इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस वर्ष मई में प्रस्तुत की है।

सरकार ने स्थायी सामेति द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों और सिफारिशों को समाहित कर लिया है। अब यह विधेयक हमारे समक्ष है। यद्यपि कि माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए हैं और यत्र-तत्र कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है, मेरा विश्वास है कि आप सभी ने इस विधेयक पर अपनी सहमति जतायी है।

वित्तीय भुगतान और निपटान की प्रक्रिया जिसे हम अपना रहे हैं वह पेपर, चेक और सरकारी प्रतिभूतियों पर आधारित है। किन्तु आजकल के इलेक्ट्रानिक लेनदेन और समाशोधनों को अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित नहीं किया गया है। चूंकि कोई नियम या कानून निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो स्वैच्छिक संगठनों तथा निजी वित्तीय संस्थानों को स्वतंत्रता है। ऐसी गतिविधियों का नियमन करने तथा अनुवीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को इस नियम के अंतर्गत कुछ शक्तियां तथा कार्य दिए जाएंगे।

कागज आधारित लेनदेनों तथा समाशोधनों में कठिनाइयां है। उदाहरण के लिए, चैक को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने में विलम्ब, समाशोधन के लिए प्रतीक्षा करना, पृष्ठांकन में विलम्ब, भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति आदि। स्पष्टत: विलम्ब होता है तथा समय और उर्जा की बर्बादी होती है। नए नियम के अंतर्गत नई व्यवस्था होने से निश्चित रूप से ये सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। नई व्यवस्था में समय और उर्जा की बर्बादी नहीं होती है तथा समाशोधन, भुगतान तथा निपटान में कोई विलम्ब नहीं होगा और निश्चित रूप से यह कम खर्चीला होगा। इसके अलावा, प्रणाली में धोखाधड़ी तथा कदाचार में भी काफी हद तक कमी आएगी।

विनियामक प्राधिकरण होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक देश में होने वाले सम्पूर्ण भुगतानों तथा निपटानों का विनियमन तथा अनुवीक्षण कर सकेगा। धन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में जालसाजी करने की प्रवृति होती है। ऐसी गतिविधियां एक समेकित इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रक्रिया लागू हो जाने से दूर हो जाएंगी।

क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, डा. आर.एच. पटेल ने कुछ प्रासंगिक सिफारिशें की हैं। सरकार ने पहले ही इन सिफारिशों पर ध्यान दिया है। अब हमारे सामने वह विधायक अर्थात संदाय तथा निपटान प्रणाली विधेयक, 2008 है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने में हम सभी को माननीय वित्त मंत्री को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधन तथा सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को समाविष्ट कर लिया गया हैं एक बार पुन: मैं इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, संदाय और निपटान प्रणाली विनियमन विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि संदाय की विभिन्न प्रणालियों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है, तथा विशेषकर संदाय और नकद पद्धति की सुविधा आदि हेतु रियल टाइम प्रति निपटान प्रणाली के लिए इसकी आवश्यकता है। यह दीर्घ-काल से महसूस की जा रही आवश्यकता है।

लेकिन इस बारे में बैंकिंग क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों ने कतिपय समस्याएं उठाई है। पहली समस्या तो यह है कि देश में एक हजार से ज्यादा केन्द्रों जो कि समाशोधन कार्य करते हैं में प्रतिदिन 50 लाख चैकों का समाशोधन करना होता है। मेरे विचार से समाशोधन के लिए इन बैंकों द्वारा लगभग 2 रुपये लिए जाते हैं। इस प्रकार से इन समाशोधनों के जरिए कई बैंकों का राजस्व स्रोत एक वर्ष में 300 करोड़ रुपये हो जाता है। अब इन बैंकों को लगभग 300 करोड़ रुपये नहीं मिल पाएंगे जिनमें से अधिकांश सरकारी क्षेत्र के बैंक है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

*मूलत: मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

लेकिन दूसरी बात यह कि भारतीय रिजर्व बैंक अपना उत्तरदायित्व छोड़ना चाहेगा तथा यह उत्तरदायित्व इस नए निगम को दे देगा। क्या ऐसा प्रशासनिक कारणों से होगा? रिजर्व बैंक प्रमुख बैंक है जो देश में बैंकिंग प्रणाली को नियमित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में, जैसा कि मेरे पूर्व-वक्ताओं ने हमें बताया कि यह कार्य फेडरल बैंक या इन देशों के कन्द्रीय बैंक द्वारा विनियमित किया जा रहा है। अन्य देशों के अनुभव हैं कि वहां पर एक स्वतंत्र निगम की एक कंपनी इस कार्य को कर रही है।

अब, माननीय मंत्री एक सरकारी संशोधन करा रहे हैं तथा इसके अनुसार अब रिजर्व बैंक क्लियरिंग हाउसेज तथा इन सभी में ऐसी कंपनी या निगम की 51 प्रतिशत इक्विटी सरकारी क्षेत्र के बैंक के पास रहेगी।

यह एक अच्छी बात है। इसकी कई लोगों ने मांग की थी। लेकिन, समाशोधन तथा इन सभी बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि 49 प्रतिशत शेयर विदेशी बैंकों सहित निजी बैंकों को क्यों दिए जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि अमेरिकन बैंक भी इसमें एक भागीदार होगा। इससे, यदि विदेशी बैंकों को अनुमति दे रहे हैं तो बैंकिंग प्रणाली में कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। हो सकता है कि कई देशों में ऐसा कार्य होता है। लेकिन, हमारे देश में वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर सरकारी क्षेत्र के बैंक अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा काफी अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं, ऐसा संभव है कि यह उत्तरदायित्व सरकारी क्षेत्र के इन बैंकों को दिया जा सकता है तथा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के बजाय इस पूरे निगम का स्वामित्व सरकारी क्षेत्र का हो सकता हैं जो कि रिजर्व बैंक के लिए विनियमित करना आसान होगा। इन सब के बावजूद भी सम्पूर्ण-प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए ही होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 49 प्रतिशत हिस्सेदारी उन्हें क्यों दी गई। इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सम्पूर्ण नियंत्रण निजी-क्षेत्र के हाथ में चला जाएगा।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस कारसपोंडिंग न्यू बैंक को शेयरों की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी क्यों दी जा रही है। लेकिन अन्यथा हमारी पार्टी समझती है कि इन विभिन्न प्रकार के संदाय तथा निपटान प्रणाली की विभिन्न पद्धतियों के विनियमन की आवश्यकता है। इसका समर्थन करते हुए हम माननीय मंत्री से अपील करते है कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या इस बात की संभावना है कि यह केवल अस्पष्ट बात है या फिर आप इसे सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं इसे स्पष्ट करूंगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी अब उत्तर देंगे।

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, मैं अपने संशोधनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: जब मैं प्रस्ताव पेश करूं तो, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, क्या मुझे अनुमति मिलेगी?

सभापति महोदय: हां, अब माननीय मंत्री को उत्तर देना है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में केवल अनेक लोगों के मन में उठ रही वास्तविक आशंकाओं को दूर करने के लिए सामान्य से उतना अधिक समय लिया, जितना कि मंत्रीगण विधेयक प्रस्तुत करते समय लेते हैं। यह विधेयक समझने में इतना आसान नहीं है। हालांकि विधेयक का विषयवस्तु काफी सरल है। तथापि जिस प्रकार से विधेयक में तकनीकी भाषा का प्रयोग किया गया है और धाराओं को व्यवस्थित किया गया है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि इसमें थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। बल्कि स्वयं को समझने के उद्धेश्य से, मैंने स्वयं ही चार-पृष्ठ का एक नोट लिखा और मैंने वक्तव्य तैयार करने में उस नोट का इस्तेमाल किया।

मैं संक्षेप में इसे स्पष्ट कर रहा हूं कि आखिर यह है क्या। प्रतिदिन समाशोधन किया जाता है। किसी ने कहा कि यह लाखों करोड़ो रुपयों में होता है कुछ वर्ष पहले तक भुगतान और समाशोधन का एकमात्र तरीका चैक के माध्यम से था। एक बैंक से दूसरे बैंक तक पेपर चैक ले जाया जाएगा और तब वे उसे समाशोधित करेंगे और तत्पश्चात् पैसा खाते में आएगा। इसमें कई दिन लग जाएंगे। आज भुगतान की अनेक विभिन्न प्रणालियां आ गई है। हमारे पास पेपर चैक मौजूद हैं, हमारे पास एमआईसीआर चैक है, हमारे पास विदेशी मुद्रा लेन देन प्रणाली है, हमारे यहां सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन किया जाता है जो कि डी-मैटेरियलाइज्ड प्रकार का है और हमारे यहां क्रेडिट कार्ड भुगतान मौजूद है, जिनके तहत मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता हूं तथा कोई इसका निपटान करता है। भुगतान के विभिन्न स्वरूप आ गए हैं।

इन भुगतानों को निवल बनाया जाना चाहिए। इसीलिए "निवल" की अवधारणा मौजूद है। भारत में भुगतान कैसे किया जा रहा है? आरटीजीएस-रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट निपटान की एक उच्च तकनीकी विधि है। इसे आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है और आरबीआई इसे संचालित करता रहेगा। आरबीआई चार महानगरों

में सेवा प्रदाता है और आरबीआई सेवा प्रदाता बना रहेगा। जहाँ, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां पर भुगतान सेवा प्रदान करता है और आरबीआई ऐसा करता रहेगा। हमारे यहां क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करता है। वह कार्पोरेशन के उन कार्यों का निष्पादन करता रहेगा।

लेकिन इस देश में 1068 समाशोधन कार्यालय भी हैं। इन समाशोधन कार्यालायों के मालिक कौन हैं, इन समाशोधन कार्यालयों का प्रबंधन कौन करता है? उदाहरण स्वरुप, चेन्नै जैसे शहर में यह संभव है कि इंडियन बैंक एक समाशोधन कार्यालय का प्रबंधन कर रहा है। मैसूर जैसे शहर में, हो सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इनका प्रबंधन कर रहे हों।

गुवाहाटी जैसे शहर में, हो सकता है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक इनका प्रबंधन कर रहे हों। इनका 1068 स्थानों पर प्रबंधन किया जाता है और अन्य बैंक, जो उस भुगतान प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें उस मालिक और प्रबंधक के साथ समझौता करना पड़ता है और उसके बाद समाशोधन किया जाता है। हमारी 1068 अलग-अलग इकाइयां नहीं हो सकती, जो कि 1068 समाशोधन कार्यालयों का प्रबंधन करे, जिनके अलग-अलग मानदंड हों और अलग-अलग स्वरूप हों। हमारे यहां एकसमान प्रणाली होनी चाहिए, जिसके तहत देशभर में एकसमान उच्च गुणवत्ता हो। इसलिए, ऐसा कहते हुए भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है कि अब से इन सब को विनियमित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आज की स्थिति में यह विनियमित नहीं है। और कोई विनियमित शक्ति मौजूद नहीं है। यह एक संविदागत व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। इसलिए, यदि भुगतान करने वाले बैंक और भुगतान का निपटान करने वाले बैंक के बीच कोई विवाद हो जाए, तो यह हर प्रकार की मुकदमेबाजी और मध्यस्थता में फँस जाएगा। इसलिए, हम इस प्रणाली में कुछ व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये 1068 इकाइयां तत्काल तो नहीं, बल्कि कुछ समय पश्चात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अंतर्गत आ जाएंगी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही विनियमित किया जाएगा।

प्रश्न यह है इस एनपीसीआई का मालिक कौन होगा? वास्तव में, जिन बैंकों के पास समाशोधन कार्यालयों का स्वामित्व है, उन्हें ही नए एनपीसीआई का मालिक होना चाहिए। मैंने कहा है कि किसी को भी एनपीसीआई के दस प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी पाने की अनुमति नहीं होगी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी दस प्रतिशत होगी, सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंकों में से प्रत्येक की हिस्सेदारी दस प्रतिशत होगी। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक भी समाशोधन कर रहे हैं। उनकी भी इनमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए, यह इसमें अन्तर्निहित है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्यगण ने मांग की है कि इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी तत्परता से कहा है कि हम इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे और इसीलिए एक नया संशोधन लाया गया है। हमने यह सुस्पष्ट किया है कि एनपीसीआई एक सरकारी क्षेत्र का निगम होगा, जिनका स्वामित्व सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास होगा। सुधाकर रेड्डी जी ने मुझसे पूछा कि यह करेस्पांडिंग न्यू बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक तकनीकी शब्द है। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक को करेस्पांडिंग न्यू बैंक कहा जाता है क्योंकि पुराने बैंक का अधिग्रहण किया गया और नए बैंक की स्थापना की गई। इसे करेस्पांडिंग न्यू बैंक कहा जाता है। आप जानते है कि भारतीय स्टेट बैंक ही भारतीय स्टेट बैंक है। सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक का सहायक है। भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंक हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इस कार्पोरेशन में 51 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी नहीं होगी और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी हिस्सेदारी दी जानी है। अनुसूचित सहकारी बैंक, जो कि इस समाशोधन प्रणाली का हिस्सा है, उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी दी जानी है, लेकिन आरबीआई इसका विनियमन करेगा।

अब हम कुछ व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे स्तर का कारोबार करने वाली छोटी अर्थव्यवस्था नहीं रह गए हैं। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के तहत दस प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। हम सभी सिद्धांत मानते हैं। लेकिन हम पहले सिद्धांत को अभी भी नहीं मान रहे हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि भुगतान प्रणाली के लिए आपका एक सुविनियमित सांविधिक आधार होना चाहिए। चूंकि हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है, शेष विश्व हमारी ओर कुछ आशंका के साथ दृष्टिपात कर रहा है। हमारे पास एक सुविनियमित सांविधिक रूप से विनियमित भुगतान प्रणाली नहीं है। यह विधेयक प्रस्तुत करके उस अंतराल को भर रहे हैं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को मूर्त रूप देने वाला आरबीआई है, इस विधेयक को यहाँ तक पहुंचाने में भी आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आरबीआई ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया, तो उन्होंने इसे आर.एच. पाटील समिति को भेजा। श्री आर.एच. पाटील और उनकी समिति ने काफी समय लगाया और एक मोटी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कृपया रिपोर्ट को पढ़िए। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मैंने अपने आरम्भिक भाषण में इसका उल्लेख किया है। तत्पश्चात्, आर.एच. पाटील समिति ने इसे पुन: आरबीआई को सौंपा और आरबीआई ने प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिये। तत्पश्चात् यह सरकार के पास आया। हमने इसे विधि मंत्रालय को सौंपा और आरबीआई के परामर्श से हमने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। इसमें किसी आशंका की कोई आवश्यकता नहीं है कल, नई प्रणालियां

[श्री पी. चिदम्बरम]

आ जाएंगी। मुझे बताया गया है कि मोबाइल टेलीफोन द्वारा भुगतान करने की एक नई तकनीक ईजाद हुई है। अब किसी को उसे विनियमित करना पड़ेगा। मैं आपको मोबाइल फोन के माध्यम से एक लाख रुपये का भुगतान करता हूं। मैं यह भुगतान अपने मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से करता हूं और आपको यह अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त होता है। अब यह विवाद है कि किसी को तो यह सब विनियमित करना होगा। इसे गैर-विनियमित तरीके से करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। अत: अब इसे लाइसेंस देना पड़ेगा और धारा 4 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है।

माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन ने यह प्रश्न पूछा कि हम भारतीय रिजर्व बैंक को विनिमय बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? मूल धारा यह थी कि सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय रिजर्व बैंक विनियम बनाएगा किन्तु स्थायी समिति ने कहा की यह सही नहीं है। जैसे 'सेबी' स्वयं अपने लिए विनियम कर सकती है, उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक को विनियम बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कृपया अंतिम उप-धारा को देखें। विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना है और संसद विनियम में संशोधन कर सकती है। इसलिए यदि सरकार विनियम से प्रसन्न नहीं हैं तो जब विनियम को संसद के समक्ष रखा जाएगा हम विनियम में संशोधन कर देंगे या आप विनियम में संशोधन कर सकते हैं।

सायं 7.00 बजे

इसके अतिरिक्त, विनियमों में संशोधन करने के बाद ही विनियम लागू होंगे। विधेयक में यह एक खंड है।

स्टॉक एक्सचेंजों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? स्टॉक एक्सचेंजों को इससे इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि वे समाशोधन कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं। वे केवल प्रतिभूतियों का विनियमन कर रहे हैं और प्रतिभूतियों को समाशोधन क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा नहीं। इसलिए, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों को इससे बाहर रखा गया है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों का एक विनियामक है और हम स्टॉक एक्सचेंजों को इसमें नहीं लाना चाहते है।

लाभ के बारे में भी प्रश्न पूछे गए थे। यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगभग 180 करोड़ रुपये का लाभ कमा रही है। वास्तव में यह लाभ नहीं है यह लगभग 180 करोड़ रुपये की आय है। लेकिन 120 करोड़ रुपये का संचालन-कार्यकलापों पर खर्च किए जाते है। इसलिए, वास्तविक लाभ केवल 60 करोड़ रुपये है। और भारतीय रिजर्व बैंक अपने 5 एमआईसीआर केन्द्रों में जिनका संचालन वह स्वयं कर रहा है और अन्य बैंकों द्वारा संचालित 60 एमआईसीआर केन्द्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु उक्त 60 करोड़ रुपये की राशि को उपयोग में ला रहा है।

हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? एनपीसीआई और गैर लाभप्रद कार्पोरेशन है और यह धारा 25 की कंपनी है। वे किसी भी लाभ के लिए प्रति चैक दो रुपये वसूल रहे हैं किन्तु जब वे पैसा कमाते हैं तो उसे किसी शेयर धारक को लाभांश के रूप में नहीं दिया जा सकता है। उसे एनपीसीआई के पास रखना होगा और उसे प्रौद्योगिकी तथा उपकरण में सुधार करने हेतु पुन: कंपनी को देना होगा ताकि जब कभी प्रौद्योगिकी में सुधार हो तो हम प्रणाली में नई प्रौद्यागिकियों को शुरु करें। यह एक गैर-लाभप्रद कंपनी है और कोई भी उससे लाभ नहीं कमा सकता है और शेयर धारकों को कोई लाभांश प्राप्त नहीं होगा। इसे वायस कंपनियों में लगाया जाएगा।

यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इससे रोजगार समाप्त हो जाएंगे। इससे कोई रोजगार समाप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने चारो केन्द्रों को चलाता रहेगा; भारतीय रिजर्व बैंक आरटीजीएस को चलाना जारी रखेगा; भारतीय रिजर्व बैंक वह उपलब्ध कराना जारी रखेगा जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है; और सीसीआईएल वह उपलब्ध कराता रहेगा जो वह उपलब्ध करा रहा है। नए समाशोधन गृहों और नए संदाय प्रणाली प्रदाताओं को विनियमित किया जाएगा। वस्तुत: जैसे ही नई प्रौद्यागिकियां आएंगी, मुझे आशा है कि रोजगारों का सृजन होगा और कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। इसलिए इस बारे से चिंतित होने की कोई जरुरत नहीं है कि कोई रोजगार समाप्त हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा के सभी वर्गों विशेषकर, स्थायी समिति के सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने, मैं समझता हूं इसकी सिफारिश करने में काफी परेशानी उठाई। हम अपने वामपंथी मित्रों के भी आभारी हैं जिन्हें कुछ शंकाए थी। हमने उन शंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन पेश किए हैं। मेरा अनुरोध है कि विधेयक पारित किया जाए। मेरे पास कुछ अधिकारिक संशोधन हैं जिनमें मैं सिफारिशों को स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: जब कंपनी अधिनियम है तो हम इसे बैंककारी विनियम अधिनियम में क्यों नहीं रख सकते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इसे बैंककारी विनियम अधिनियम में नहीं रख सकता हूं क्योंकि कृपया विधेयक को देखें, दर्जन भर परिभाषाएं हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जाना है। यदि मैं इसे विद्यमान अधिनियम में प्रस्तुत कर दूं तो मुझे 'कक', 'कख', 'कग' आदि जोड़ने होंगें। अत: एक अलग अधिनियम होना चाहिए। वस्तुत: आर.एच. पाटील समिति ने मूल सिद्धांत प्रतिपादित किया है और पहला मूल सिद्धांत यह है कि प्रणाली में सभी संगत क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत एक सुस्थापित विधिक आधार होना चाहिए।

एक अलग अधिनियम एक नया विधान होगा जिसमें सभी परिभाषाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति वाली धारा होगी और उसमें कई अन्य उपबंध होंगे। यदि मैं विद्यमान अधिनियम में संशोधन करना शुरु करूं तो मुझे धारा '58(क)', धारा '59(ख)(ii)', आदि को भी प्रस्तुत करना होगा और यह काफी जटिल हो जाएगा। आप उन्हें एक साथ कैसे पढ़ेंगे? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अन्य अधिनियमों में भी अन्य उपबंध हैं। अत: इसके लिए एक अलग अधिनियम का होना बेहतर होगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत में संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप में अभिहित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री पी.चिदम्बरम।

खंड-2 (परिभाषाएं)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 से 32 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

'(v) ऐसा कोई अन्य बैंक जिसे रिजर्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे।

(ख) "व्युत्पन्न" से किसी भविष्यवर्ती तारीख पर निपटाया जाने वाला ऐसा लिखत अभिप्रेत है जिसका संपूर्ण मूल्य प्रतिभूतियों (जिन्हें "पूर्णाधिकार" भी कहा गया है), या कोई अन्य पूर्वाधिकार की ब्याज दर, विदेशी मुद्र दर, प्रत्यय संबंधी य प्रत्यय सूचकांक, कीमत में या किसी अन्य अंतर्निहित अथवा उनमें से एक से अधिक के संयोजन में परिवर्तन से व्युत्पन्न होता है और उसके अंतर्गत ब्याज दर अदला-बदली, अग्रिम दर करार, विदेशी मुद्रा अदला-बदली, विदेशी मुद्रा-रुपए की अदला-बदली, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्प या कोई भी लिखित भी है जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) "इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण" से निधियों का कोई ऐसा अंतरण अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुदेश, प्राधिकार या आदेश द्वारा किसी बैंक को उस बैंक में रखे गए खाते से रकम निकालने के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम से आरंभ किया जाता है और उसके अंतर्गत विक्रय अंतरण के बिंदु स्वचालित टेलर मशीन संव्यवहार; सीधे निक्षेप या निधियों का निकालना, टेलीफोन और कार्ड संदाय द्वारा आरंभ किए गए अंतरण भी सम्मिलित है;

(घ) "सकल निपटान प्रणाली" से ऐसी संदाय प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें निधियों का प्रत्येक निपटान या प्रतिभूतियां प्रथक् या व्यष्टिक अनुदेशों के आधार पर आती है;

(ङ) "शुद्ध अवधारणा" से प्रणाली के भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताओं या परिदान बाध्यताओं के मुजरे या समायोजन के परिणामस्वरुप शोध्य या संदेय अथवा परिदेय धन या प्रतिभूतियों की रकम प्रणाली प्रदाता द्वारा अवधारण अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत प्रणाली द्वारा किसी प्रणाली भागीदार के दिवालियापन या विघटन या परिसमापन पर किसी भविष्य की तारीख पर निपटान के लिए स्वीकृत संव्यवहारों की समाप्ति पर उद्भव दावे और बाध्यताएं या ऐसी अन्य परिस्थितियां जो प्रणाली प्रदाता अपने नियमों या विनियमों या उपविधियों (चाहे जिस नाम से ज्ञात हों) में विनिर्दिष्ट करे, भी है जिससे केवल शुद्ध दावे की ही मांग की जा सके या शुद्ध बाध्यता ही देय हो सके; (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 में, "(ङ)" के *स्थान* पर "(च)" रखे। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में, "(च)" के *स्थान* पर "(छ)" रखे। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39 में, "(छ)" के *स्थान* पर "(ज)" रखे। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 6 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

'(झ) "संदाय प्रणाली" से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो किसी संदाता और किसी हिताधिकारी के बीच संदाय किए जाने को समर्थ बनाती है और उसके अंतर्गत समाशोधन, संदाय या निपटान सेवा अथवा वे सभी सेवाएं भी है किन्तु स्टॉक एक्सचेंज सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए "संदाय प्रणाली" के अंतर्गत ऐसी प्रणाली है जो क्रेडिट कार्ड प्रचालनों, डेबिट कार्ड प्रचलनों, स्मार्ट कार्ड प्रचालनों धन अंतरण प्रचालनों या वैसे ही प्रचालनों को समर्थ बनाती है; (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 7 में, "(झ)" के *स्थान* पर "(ञ)" रखे। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 में, "(ञ)" के *स्थान* पर "(ट)" रखे। (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11 में, "(ट)" के *स्थान* पर "(ठ)" रखे। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13 से 15 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखे-

'(ड) " प्रतिभूतियां" से लोक ऋण अधिनियम, 1944 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस अधिनियम के अधीन समय-समय पर अधिसूचित की जाए;। (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 में, "(ड)" के *स्थान* पर "(ढ)" रखे। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19 से 26 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखे-

'(ण) "व्यवस्थित जोखिम" से-

(i) किसी प्रणाली भागीदार की संदाय प्रणाली के अधीन अपनी संदाय बाध्यताओं को, जब भी वे शोध्य हों, चुकाने में असमर्थता; या

(ii) प्रणाली में किसी विच्छिन्नता,

के कारण उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है जो अन्य भागीदारों को अपनी बाध्यताओं को, जब भी वे शोध्य हों चुकाने में असफल कर सकेगी और जिससे प्रणाली की स्थिरता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है:

परंतु यह कि यदि कोई संदेह या अंतर उद्भूत होता है कि क्या किसी विशिष्ट जोखिम से प्रणाली की स्थिरता पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है तो रिजर्व बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा; (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 में, "(ण)" के *स्थान* पर "(त)" रखे। (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, "(त)" के *स्थान* पर "(थ)" रखे। (15)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं? ठीक है, वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

अभिहित प्राधिकारी और इसकी समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 से 38 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(2) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का निर्वाहन करने के प्रयोजनों के लिए, विनियम द्वारा रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति का गठन कर सकेगा जो संदाय और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से ज्ञात होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) रिजर्व बैंक का गवर्नर जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर जिनमें से ऐसा उप-गवर्नर जो संदाय और निपटान प्रणाली का भारसाधक है, बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड से तीन से अनधिक निदेशक जो रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(4) उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैंको में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैंकों में गणपूर्ति भी है) और उससे आनुषंगिक अन्य विषय वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन गठित संदाय और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड को इस धारा के अधीन गठित बोर्ड समझा जाएगा और तदनुसार बना रहेगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन न हो जाए और जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।"

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

संदाय प्रणाली का प्राधिकार के बिना प्रचालन न किया जाना

संशोधन किए गए

पृष्ठ 3, पंक्ति 41-48 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें:-

"4. रिजर्व बैंक से भिन्न कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय कोई संदाय प्रणाली प्रारंभ या प्रचालित नहीं करेगा:

परंतु इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी-

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान संदाय प्रणाली के जारी प्रचालन को ऐसे प्रारंभ से छह मास से अनधिक की अवधि तक जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर ऐसी संदाय प्रणाली का प्रचालक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार अभिप्राप्त नहीं कर लेता या इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किया गया प्राधिकार आवेदन रिजर्व बैंक द्वारा नामंजूर नहीं किया जाता;"।

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करे:-

(2) रिजर्व बैंक, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन, किसी कंपनी या निगम को पूरे देश में बैंको के लिए सामान्य खुदरा समाशोधन गृह प्रणाली के लिए बैंको के विद्यमान समाशोधनों गृहों या नए समाशोधन गृहों को प्रचालित अथवा विनियमित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसी कंपनी या निगम की इक्यावन प्रतिशत से अन्यून इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पब्लिक सेक्टर बैंकों" में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित कोई "तदनुरुपी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" और "समनुषंगी बैंक" सम्मिलित होगा। (35)

(श्री पी. चिदम्बरम)

....(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं इस संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे इस संशोधन के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस तरीके से इस संशोधन को लाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय: आपका संशोधन भी कुछ-कुछ ऐसा ही है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाएं। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। महोदय, बात यह है कि इस विधेयक को भी अन्य विधेयकों की तरह ही वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं और हमने अनेक सिफारिशें की थी तथा माननीय मंत्री ने उन्हें स्वीकार किया था।

सभापति महोदय: स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। महोदय, हमने कुछ सिफारिशें की थी और माननीय मंत्री जी ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।

खण्ड 4 की संशोधन संख्या 35 में कहा गया है "परंत, तथापि सरकारी बैंकों द्वारा ऐसी कंपनी अथवा निगम की 51 प्रतिशत से अन्यून हिस्सेदारी अपने पास रखी जाएगी।" वित्त संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी। केवल समिति के एक सदस्य ने विमत टिप्पणी की थी क्योंकि वामदल के एक सदस्य ने विमत टिप्पणी की थी, इसलिए सरकार संशोधन ला रही है। तब, किसी स्थायी समिति की क्या जरुरत है? आप इसे भंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा हूँ। यहां पर इस प्रकार की समिति की क्या जरुरत है? हमने सिफारिश की थी लेकिन एक या दो सदस्यों, जो अल्पमत में हैं, ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। हर चीज में उनकी मनमानी क्यों होती है मैं सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं श्री स्वाईं का बहुत आभारी हूं। वे वित्त संबंधी स्थायी समिति के माननीय सदस्य है। मुझे मालूम है कि इन्होंने बैठकों में भी भाग लिया था। सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था। मैं अपने शुरुआती भाषण में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के पास दस प्रतिशत शेयर रहेंगे और कम से कम पांच सरकारी बैंको के पास दस प्रतिशत शेयर होंगे तथा वास्तव में अधिकतर शेयर सरकारी

[श्री पी. चिदम्बरम]

बैंकों के पास होंगे क्योंकि देश में बैंकिंग व्यापार से संबंधित अधिकतर शेयर सरकारी बैंकों के पास हैं। अगर अब भी माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि इसमें कुछ निहितार्थ हैं तो मैं इसे स्पष्ट क्यों न करुं? एनपीसीआई में, सरकारी बैंकों के पास हमेशा 60-65-70 प्रतिशत शेयर रहे हैं? यही निहितार्थ है। आपको इसके निहितार्थ पता है वे इसे स्पष्ट करना चाहते है। तो क्या हुआ? इसलिए हमने स्पष्ट किया है। हमने इसे स्वीकार किया है।

श्री खारबेल स्वाईं: इस पर विचार विमर्श हुआ था और अधिकारियों द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी दी गई; लेकिन तब भी इन्होंने इसे दिया।

श्री पी. चिदम्बरम: कोई बात नहीं।

सभापति महोदय: मैं आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं, अब ठीक है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 7

प्राधिकार का जारी करना या नामंजूर किया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(4) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन पर रिजर्व बैंक द्वारा यथाशक्य शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से 6 मास के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।" (18)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

प्राधिकार का प्रतिसंहरण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 24-27 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(4) जहां कोई प्रणाली प्रदाता दिवालिया हो जाता है या विघटित या परिसमापित कर दिया जाता है वहां ऐसा प्रणाली प्रदाता उस तथ्य की सूचना रिजर्व बैंक को देगा और उस पर रिजर्व बैंक ऐसे प्रणाली प्रदाता को जारी संदाय प्रणाली को प्रचालित करने के उसके प्राधिकरण को प्रतिसंहत करने के लिए ऐसे कदम जिन्हें वह आवश्यक समझे।" (19)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

केन्द्रीय सरकार को अपील

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 33-34 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा तीन मास की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।" (20)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

मानक अवधारित करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 2-4 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(ग) बैंक के बीच के या बैंकों और अन्य प्रणाली भागीदारों के बीच पत्र, इलैक्ट्रानिक साधनों या किसी अन्य रीति में संदाय प्रणालियों के भीतर निधियों के अंतरण की रीति;" (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

सभी प्रणाली में परिवर्तन की सूचना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 14-18 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"11. (1) कोई प्रणाली प्रदाता में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करवाएगा जो-

(क) रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना; और

(ख) रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् प्रणाली भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की सूचना दिए बिना,

संदाय प्रणाली की संरचना या प्रचालन को प्रभावित करें:

परंतु रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति के हित में प्रणाली प्रदाता को खंड (ख) के अधीन प्रणाली भागीदारों को सूचना दिए बिना या प्रणाली प्रदाता से तीस दिन से अधिक की अवधि की सूचना देने की अपेक्षा करते हुए संदाय प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।" (22)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 17

निदेश जारी करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 14-17 के *स्थान* पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"(ख) खंड (क) के अधीन किसी कृत्य से संदाय प्रणाली, देश की मौद्रिक या प्रत्यय नीति के प्रभावित होने की संभावना है,

रिजर्व बैंक ऐसी संदाय प्रणाली या प्रणाली भागीदार से ऐसी अवधि के भीतर निम्नलिखित की अपेक्षा करते हुए निर्देश जारी कर सकेगा जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे-" (23)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23

निपटान और शुद्ध अवधारणा

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 24-29 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"(4) जहां किसी प्रणाली भागीदार को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है या विघटित हो जाता है या समापन हो जाता है

तब तत्समय प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 1956 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विघटन या न्यायनिर्णयन या परिसमापन का आदेश ऐसे किसी निपटान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जो अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है और प्रणाली प्रदाता का प्रणाली भागीदार द्वारा अभिदाय किए गए किसी संपार्श्विक अभिदाय का उसके निपटारे के मद्दे विनियोग या ऐसे प्रणाली प्रदाता के नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार अन्य बाध्यताएं।" (24)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

विवादों का निपटान

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 11-15 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित केया जाए:*

"(5) जहां कोई विवाद रिजर्व बैंक, जब वह प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार की हैसियत में कार्य कर रही हो और किसी अन्य प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार के बीच उत्पन्न होता है वहां मामले को विवाद के निपटारे के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को प्राधिकृत करेगी और ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा"। (25)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25

खाते में निधि की अपर्याप्तता आदि के लिए इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण का अनादरण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 16-33 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए:*

"(25) (1) जहां किसी व्यक्ति उसके द्वारा रखे गए लेखा प्रारंभ किए गए किसी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण को इस आधार पर निष्पादित नही किया जा सकता कि उस खाते में अंतरण अनुदेश का समादरण करने के लिए उस खाते में जमा धन पर्याप्त नहीं है या बैंक के साथ किए गए किसी करार द्वारा उस खाते से संदाय के लिए की गई व्यवस्था से वह रकम अधिक है ऐसे व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा मानों उसने अपराध किया है, और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की रकम से दोगुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि-

(क) किसी ऋण या अन्य दायित्वों को संपूर्णत: या भागत: उन्मोचित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को धन की किसी रकम का संदाय करने के लिए इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रारंभ न किया गया हो;

(ख) प्रणाली प्रदाता द्वारा जारी सुसंगत प्रक्रियात्मक मार्गनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रानिक निधि अंरतण आरंभ किया गया हो;

(ग) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण की बाबत संबंधित बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर फायदाग्राही ने इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण का आरंभ किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देकर उक्त धन की रकम का संदाय करने के लिए मांग न की हो; और

(घ) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण आरंभ करने वाला व्यक्ति उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर

फायदाग्राही को उक्त रकम का संदाय करने में असफल न रहा हो।

(2) यह अवधारणा की जाएगी जब तक इसके विरुद्ध साबित न हो जाए कि इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के संपूर्ण रूप में या भाग रूप में उन्मोचन के लिए आरंभ किया गया था।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यह प्रतिरक्षा नही होगी कि वह व्यक्ति जिसने किसी अनुदेश, प्राधिकरण, आदेश या करार के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण आरंभ किया था। ऐसे अनुदेश, प्राधिकरण, आदेश या करार के समय यह विश्वास किए जाने का कारण नहीं था कि उसके खाते में जमा इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए अपर्याप्त है।

(4) न्यायालय इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक से इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण को रेखांकित करते हुए कोई संसूचना प्रस्तुत करने पर ऐसे इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण के तथ्य के बारे में तब तक अवधारणा करेगा कि जब तक की ऐसे तथ्य को असाबित न कर दिया हो।

(5) पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय 17 के उपबंध इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण को उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक परिस्थितियां स्वीकार करें।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए "ऋण या दायित्व" से, यथास्थिति, विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।" (26)

पृष्ठ 10, पंक्ति 34-40, हिन्दी पाठ में आवश्यकता नहीं है। (27)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26, और 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28

अपराधों का संज्ञान

संशोधन प्रस्तुत हुआ:

पृष्ठ 12, पंक्ति 30 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए:

"परंतु यह कि न्यायालय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण से व्यथित व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद पर धारा 25 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा" (28)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30

रिजर्व बैंक को शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 46 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आवेदन के सिवाय नहीं होगा।" (29)

पृष्ठ 11 पंक्ति 1 व 2 का लोप करें। (30)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 34

स्टॉक और अन्य एक्सचेंजों को लागू न होना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 16-18 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें-

"34. इस अधिनियम में अतर्विष्ट कोई बात स्टॉक एक्सचेंजों या स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन नियमों को लागू नहीं होगी।" (31)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35, से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 38

रिजर्व बैंक की विनियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 34-35 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

"38. (1) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से सुसंगत विनियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।" (32)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "2006" के *स्थान* पर "2007" *प्रतिस्थापित* करें। (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "सत्तावनवें" के *स्थान* पर "अठावनवें" *प्रतिस्थापित* करें (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा ने विधेयक का पूरा नाम संशोधित करने का नोटिस दिया है। श्री प्रबोध पाण्डा उपस्थित नहीं है।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा कल 27 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 नवम्बर, 2007/ 6 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	141
2.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री प्रेम कुमार धूमल	142
3.	श्री रनेन बर्मन	143
4.	श्री पी.एस. गढ़वी	144
5.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	145
6.	श्री सी.के.चन्द्रप्पन श्री रायापति सांबासिवा राव	146
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ श्रीमती निवेदिता माने	147
8.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री इकबाल अहमद सरडगी	148
9.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री मनोरंजन भक्त	149
10.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	150
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	151
12.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	152
13.	श्री अबु अयीश मंडल	153
14.	योगी आदित्यनाथ श्री उदय सिंह	154
15.	श्री पुन्नूलाल मोहले	155
16.	प्रो. रासा सिंह रावत श्री जी.एम. सिद्धीश्वर	156
17.	श्रीमती सी.एस.सुजाता श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	157
18.	श्री बसुदेव आचार्य	158
19.	श्री हरिभाऊ राठौड़	159
20.	श्री अनन्त नायक	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1258, 1288, 1315
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1237, 1267, 1293, 1336
3.	अहीर, हंसराज गं.	1178, 1261, 1339, 1368, 1382
4.	अजय कुमार, श्री एस.	1384
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	1242, 1375
6.	आठवले, श्री रामदास	1231, 1297, 1341
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1347
8.	बर्मन, श्री हितेन	1228, 1300
9.	बर्मन, श्री रनेन	1260
10.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1203
11.	भगोरा, श्री महावीर	1181, 1300, 1343, 1387
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	1278, 1332
13.	भार्गव, श्री गिरधारी	1193
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1180, 1262, 1316, 1353
15.	बोस, श्री सुब्रत	1189
16.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1256
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1218
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1203
19.	चौरे, श्री बापू हरी	1177, 1226
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1237, 1239, 1337, 1365

1	2	3
21.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1209, 1286
22.	चौधरी, श्री पंकज	1201, 1203
23.	चौधरी, श्री अधीर	1219
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	1195, 1345
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1211, 1287, 1335, 1364, 1377
26.	धोत्रे, श्री संजय	1177, 1226
27.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	1268, 1319, 1356, 1374
28.	गद्दीगउडर. श्री पी.सी.	1248, 1311
29.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1281, 1328, 1361, 1375
30.	गंगवार, श्री संतोष	1194, 1203, 1205, 1291
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1177, 1226
32.	घुरन राम, श्री	1212
33.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	1227, 1295, 1338
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	1225, 1294, 1375, 1384
35.	जैन, श्री पुष्प	1200, 1205
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1179
37.	झा, श्री रघुनाथ	1213, 1289, 1386
38.	जिन्दल, श्री नवीन	1332, 1382
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	1251, 1313
40.	कनोडीया, श्री महेश	1201
41.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1259, 1320, 1359
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1183, 1266, 1318, 1355, 1373
43.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1280, 1327
44.	कृष्ण, श्री विजय	1250, 1312, 1351, 1371
45.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1282, 1329, 1362
46.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1249
47.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1202, 1331
48.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	1327
49.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1197, 1288
50.	महरिया, श्री सुभाष	1192, 1274, 1324, 1365, 1378
51.	महतो, श्री नरहरि	1385
52.	महतो, श्री टेक लाल	1203, 1206, 1285, 1333
53.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1203, 1205
54.	मंडल, श्री सनत कुमार	1200, 1286, 1332, 1334
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	1281, 1328, 1361, 1375
56.	मनोज, डा. के.एस	1185, 1276
57.	मेहता, श्री अलोक कुमार	1224
58.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1284, 1385
59.	मिश्रा, डा. राजेश	1232
60.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1279
61.	मो. ताहिर, श्री	1199, 1203, 1312
62.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1216

1	2	3
63.	मुर्मू, श्री रूपचंद	1243
64.	नायक, श्री अनन्त	1208, 1258, 1273, 1323
65.	निखिल कुमार, श्री	1238
66.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1215, 1288, 1290
67.	पल्लानी शामी, श्री के.सी	1288
68.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1255
69.	परस्त, श्री दलपत सिंह	1191
70.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1184, 1267, 1337, 1367, 1379
71.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1277, 1326, 1363, 1376
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1223, 1253
73.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1201, 1223, 1230
74.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1221, 1233, 1298, 1367, 1379,
75.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1208
76.	राजगोपाल, श्री एल.	1188, 1271, 1322, 1358
77.	रामदास, प्रो. एम.	1241, 1246, 1306, 1348, 1370
78.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1236, 1301, 1344
79.	राणा, श्री काशीराम	1214
80.	राव, श्री के.एस.	1228, 1234
81.	राठौड., श्री हरिभाऊ	1283, 1330
82.	रावले, श्री मोहन	1247, 1310
83.	रावत, प्रो. रासा सिंह	1203, 1270
84.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1264, 1317, 1354, 1372
85.	रेड्डी, श्री एम. राजामोहन	1210
86.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1207
87.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1220
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1221, 1293, 1336, 1349, 1366
89.	रिजीजू, श्री कीरेन	1201, 1223, 1230
90.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1263, 1332, 1334
91.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1198, 1304, 1346
92.	सत्पथी, श्री तथागत	1190, 1272, 1329
93.	सिंधिया, श्री ज्यातिरादित्य माधवराज	1203, 1204, 1384
94.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1245, 1309, 1350
95.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1222
96.	शर्मा, श्री मदन लाल	1235, 1299, 1342, 1369, 1381
97.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1258, 1288, 1315
98.	शिर्वन्ना, श्री एम.	1200, 1203, 1223
99.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1241, 1246, 1306, 1348, 1370

1	2	3
100.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1267, 1303
101.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1214, 1233, 1298, 1365
102.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1288
103.	सिंह, श्री दुष्यंत	1252
104.	सिंह, श्री गणेश	1244, 1308, 1349
105.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1203, 1243
106.	सिंह, श्री राकेश	1186, 1269, 1300, 1321, 1357
107.	सिंह, श्री रामपाल	1369
108.	सिंह, श्री रेवती रमन	1187, 1200, 1302, 1332, 1345
109.	सिंह, श्री सुग्रीव	1275, 1325, 1360, 1380
110.	सिंह, श्री उदय	1307
111.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1201
112.	सुब्बारायण, श्री के.	1203, 1254, 1300, 1314, 1352
113.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1265
114.	सुमन, श्री रामजीलाल	1202, 1331
115.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1182
116.	थामस, श्री पी.सी.	1208, 1217, 1292
117.	तुम्मर, श्री वी.के.	1184, 1267, 1388
118.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1229, 1296, 1340, 1376
119.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1223, 1240, 1305, 1347
120.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1196, 1288
121.	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	1248, 1257, 1311
122.	यादव, श्री गिरधारी	1366
123.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1203, 1312
124.	यादव, श्री राम कृपाल	1224
125.	येरननायडु श्री किन्जरपु	1389

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	143, 146, 149, 151
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	144, 150, 154, 158, 160
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	141, 148, 157
रक्षा	:	152
श्रम और रोजगार	:	142, 156, 159
वस्त्र	:	147
जल संसाधन	:	145, 153, 155

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1180, 1181, 1183, 1184, 1185, 1189, 1194, 1195, 1196, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1219, 1221, 1224, 1228, 1229, 1236, 1238, 1240, 1241, 1243, 1246, 1248, 1252, 1253, 1255, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1273, 1277, 1279, 1280, 1282, 1290, 1292, 1294, 1297, 1300, 1304, 1305, 1309, 1312, 1313, 1323, 1326, 1330, 1333, 1335, 1339, 1341, 1343, 1344, 1351, 1352, 1353, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1381, 1383, 1384
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1177, 1187, 1190, 1212, 1214, 1215, 1216, 1230, 1232, 1239, 1242, 1244, 1249, 1251, 1266, 1267, 1278, 1286, 1287, 1291, 1301, 1302, 1306, 1307, 1318, 1319, 1322, 1324, 1338, 1356, 1358, 1360, 1365, 1377
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1200, 1201, 1203, 1213, 1220, 1222, 1223, 1234, 1237, 1245, 1250, 1256, 1271, 1275, 1289, 1331, 1334, 1340, 1342, 1354, 1379, 1380, 1386, 1387
रक्षा	:	1186, 1192, 1193, 1197, 1198, 1199, 1211, 1226, 1259, 1262, 1268, 1269, 1272, 1276, 1283, 1296, 1315, 1316, 1320, 1321, 1325, 1345, 1346, 1348, 1355, 1357, 1363, 1376, 1382
श्रम और रोजगार	:	1188, 1191, 1202, 1207, 1225, 1231, 1258, 1265, 1270, 1284, 1288, 1299, 1308, 1314, 1317, 1362, 1364, 1366, 1368, 1385
वस्त्र	:	1178, 1179, 1182, 1218, 1235, 1247, 1274, 1281, 1298, 1303, 1310, 1311, 1328, 1329, 1349, 1361, 1367, 1375, 1378, 1389
जल संसाधन	:	1217, 1227, 1233, 1254, 1285, 1293, 1295, 1327, 1332, 1336, 1337, 1347, 1350, 1359, 1372, 1388.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और श्री इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।